उत्तर प्रदेश विधान सभा

का

कार्यवाही

का

अनुक्रमणिका

खण्ड ७६

सोमवार, ३ जुलाई, सन् १९५० ई० से
शुक्रवार, ७ जुलाई, सन् १९५० ई० तक

इलाहाबाद
अधीक्षक, मुद्रणालय तथा
लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, भारत।
१९५१

विषय-सूची

खण्ड ७६

सोमवार, ३ जुलाई, सन् १९५० ई०

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१—२
प्रश्नोत्तर	३—८
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट-प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	८—९
सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश चैरिटेबिल इन्डाउमेंट्स (अधिकारों का विस्तार के) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा	९
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (विचार जारी)	९—४८
अनाथय।	४९—५३

मंगलवार, ४ जुलाई, सन् १९५० ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	५५—५६
प्रश्नोत्तर	५७—७७
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (विचार जारी)	७८—१६१
नस्थियाँ	१६२—१६५

बुधवार, ५ जुलाई, सन् १९५० ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	१६७—१६८
प्रश्नोत्तर	१६९—१७६
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल—(विचार जारी)	१७६—२१३
नस्थियाँ	२१४—२१५

बृहस्पतिवार, ६ जुलाई, सन् १९५० ई०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	२१७—११९
प्रश्नोत्तर	२१९—२३३
सन १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल—(विचार जारी)	२३३—२६७
नत्थियाँ	२६८—२७२

शुक्रवार ७ जुलाई, सन् १९५० ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	२७३—२७५
प्रश्नोत्तर	२७६—२९७
सन १९४९ ई० का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल—(विचार जारी)	२९७—३६९
नत्थियाँ	३७०—३८०

शासन

राज्यपाल

महामान्य श्री हारमसजी पेरोशा मोदी

मंत्रि-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री तथा न्याय, सूचना और सामान्य प्रशासन मंत्री।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल०, बी०, निर्माण मंत्री।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, शिक्षा, वित्त तथा श्रम मंत्री।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल०, बी०, वन तथा माल मंत्री।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, कृषि तथा पशु-पालन मंत्री।

माननीय श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा माद-कर मंत्री।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, स्वशासन मंत्री।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

माननीय श्री लालबहादुर, गृह (पुलिस) तथा परिवहन मंत्री।

माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एस-सी०, उद्योग तथा विकास मंत्री।

सभा-सचिव

माननीय मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

२—श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

माननीय निर्माण मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री लताफत हुसैन, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

माननीय माल मंत्री तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अचल सिंह	...	आगरा नगर।
२—अजित प्रताप सिंह	...	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
३—अब्दुल ग़नी अन्सारी	...	ज़िला आज़मगढ़ (पश्चिम)।
४—अब्दुल वाक़ी	...	ज़िला आज़मगढ़ (पूर्व)।
५—अब्दुल मजीद	...	मुरादाबाद, अमरोहा-चन्दौसी नगर।
६—अब्दुल मजीद ख़्वाजा	...	अलीगढ़, हाथरस—मथुरा नगर।
७—अब्दुल वाजिद, श्रीमती	...	मुरादाबाद ज़िला (उत्तर पूर्व)।
८—अब्दुल हमीद	...	ज़िला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)।
९—अम्मार अहमद ख़ां	...	ज़िला बुलन्दशहर (पूर्व)।
१०—अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स	...	उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई।
११—अलगू राय शास्त्री	...	ज़िला आज़मगढ़ (उत्तर पूर्व)।
१२—अली जर्रार ज़ाफरी	.	ज़िला गोंडा (उत्तर पूर्व)।
१३—अल्फ्रेड धर्मदास	...	उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई।
१४—असग़र अली ख़ां	...	ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर (पश्चिम)।
१५—अक्षयवर सिंह	...	ज़िला गोरखपुर (पश्चिम)।
१६—आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	...	फ़र्रुख़ाबाद—इटावा—झाँसी नगर।
१७—आर्चिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम	...	उत्तर प्रदेशीय ऐंग्लो इंडियन
१८—इन्द्रदेव त्रिपाठी	...	ज़िला ग़ाज़ीपुर (पश्चिम)।
१९—इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती	...	लखनऊ नगर।
२०—इनिज़ा हुसैन	...	मेरठ-हापुड़ — बुलन्दशहर—खुरजा—नगीना नगर।
२१—उदयवीर सिंह	...	ज़िला बस्ती (दक्षिण)।
२२—ऐज़ाज़ रसूल	...	ज़िला हरदोई।
२३—कमलापति तिवारी	...	ज़िला बनारस (पूर्व)।
२४—करीमुर्रज़ा ख़ां	...	बुदायूं—शाहजहांपुर—सम्भल नगर।
२५—कालीचरण टण्डन	...	ज़िला फ़र्रुख़ाबाद (दक्षिण)।
२६—किशनचन्द पुरी	...	उत्तर प्रदेशीय चेम्बर आफ़ कामर्स तथा उत्तर प्रदेशीय मर्चेण्ट्स चेम्बर।
२७—कुंजविहारीलाल शिवानी	...	ज़िला झाँसी (उत्तर)।
२८—कुशलानन्द गैरोला	...	ज़िला गढ़वाल (उत्तर पश्चिम)।
२९—कृपाशंकर	...	ज़िला बस्ती (दक्षिण)।
३०—कृष्णचन्द्र	...	ज़िला मथुरा (पश्चिम)।
३१—कृष्णचन्द्र गुप्त	...	ज़िला सीतापुर (दक्षिण)।

३२—कृष्ण शरण आर्य	...	रामपुर (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
३३—केशव गुप्त	...	जिला मुजफ़्फ़रनगर (पूर्व)।
३४—केशवदेव मालवीय, माननीय श्री		जिला मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
३५—खानचन्द गौतम	...	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
३६—खुशवक्त राय	...	जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)।
३७—खुशीराम	...	जिला अल्मोड़ा।
३८—खूब सिंह	...	जिला बिजनौर (पूर्व)।
३९—गंगाधर	...	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
४०—गंगाप्रसाद	...	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
४१—गंगासहाय चौबे	..	जिला कानपुर (पश्चिम)।
४२—गजाधर प्रसाद	...	जिला आज़मगढ़ (पश्चिम)।
४३—गणपति सहाय	...	जिला सुल्तानपुर (मध्य)।
४४—गणेशकृष्ण जैतली	...	जिला फ़ैज़ाबाद (पूर्व)।
४५—गिरधारीलाल, माननीय श्री	...	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
४६—गुरुनारायण	...	अवध का ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन।
४७—गोपाल नारायण सक्सेना	...	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
४८—गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री	...	बरेली—पीलीभीत—शाहजहाँपुर—बदायूं नगर।
४९—गोविन्द सहाय	...	जिला बिजनौर (पश्चिम)।
५०—चतुर्भुज शर्मा	...	जिला जालौन।
५१—चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	...	लखनऊ नगर।
५२—चन्द्रभानु शरण सिंह	...	जिला गोंडा (दक्षिण)।
५३—चरण सिंह	...	जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम)।
५४—चेतराम	...	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
५५—छेदालाल गुप्त	...	जिला हरदोई (उत्तर पश्चिम)।
५६—जगन्नाथ दास	...	जिला सहारनपुर (उत्तर पश्चिम)
५७—जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल	...	जिला सीतापुर (पूर्व)।
५८—जगन्नाथ सिंह	...	जिला बलिया (उत्तर)।
५९—जगनप्रसाद रावत	...	जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)।
६०—जगमोहन सिंह नेगी	...	जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व)।
६१—जमीलुर्रहमान क़िदवाई	...	जिला बाराबंकी।
६२—जयकृष्ण श्रीवास्तव	...	अपर इंडिया चेम्बर आफ़ कामर्स।
६३—जयपाल सिंह	...	जिला फ़ैज़ाबाद (पूर्व)।
६४—जयराम वर्मा	...	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
६५—जवाहरलाल रोहतगी	..	कानपुर नगर।

६६—ज़हीरुल हसनैन लारी	...	ज़िला गोरखपुर (पूर्व)।
६७—ज़हूर अहमद	...	इलाहाबाद--झांसी नगर।
६८—ज़ाकिर अली	...	आगरा—फ़र्रुखाबाद—इटावा नगर
६९—ज़ाहिद हसन	...	ज़िला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
७०—जुगल किशोर	...	मथुरा—अलीगढ़—हाथरस नगर।
७१—त्रिलोकी सिंह	...	ज़िला लखनऊ।
७२—त्रेपन सिंह	...	टेहरी गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)।
७३—दयालदास भगत	...	ज़िला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
७४—दयाल खन्ना	...	ज़िला मुरादाबाद (पूर्व)।
७५—दुर्गिकाप्रसाद मौर्य	...	ज़िला जौनपुर (पूर्व)।
७६—दीनदयालु अवस्थी	...	ज़िला इटावा (पश्चिम)।
७७—दीनदयालु शर्मा	...	ज़िला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम) सामान्य प्रतिनिधि।
७८—दीनदयालु शास्त्री	...	सहारनपुर—हरिद्वार—देहरादून—मुज़फ़्फ़रनगर नगर।
७९—दीपनारायण वर्मा	...	जौनपुर—मिर्ज़ापुर—ग़ाज़ीपुर—गोरखपुर नगर।
८०—नफ़ीसुल हसन	...	ज़िला इटावा और कानपुर।
८१—नवाज़िश अली ख़ाँ	...	फ़ैज़ाबाद—सीतापुर—बहराइच नगर।
८२—नवाब सिंह चौहान	...	ज़िला अलीगढ़ (पूर्व)।
८३—नाज़िम अली	..	ज़िला सुल्तानपुर
८४—नारायण दास	...	लखनऊ नगर।
८५—निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री	...	ज़िला मैनपुरी और एटा।
८६—निहालुद्दीन	...	ज़िला बदायूं (पूर्व)
८७—परागीलाल	...	ज़िला सीतापुर (उत्तर पश्चिम)।
८८—पुरुषोत्तम दास टंडन, माननीय श्री	...	इलाहाबाद नगर।
८९—पूर्णमासी	...	ज़िला गोरखपुर (उत्तर)।
९०—पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती	...	ज़िला मेरठ (उत्तर)।
९१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	...	ज़िला मेरठ (उत्तर)।
९२—प्रयागनारायण	...	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन
९३—प्रेमकिशन खन्ना	...	ज़िला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
९४—प्रेमलाल वैद्य	...	टेहरी गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)।
९५—फ़ख़रुल इस्लाम	...	ज़िला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर पूर्व)।

९६—फ़ज़लुरहमान खाँ	...	ज़िला शाहजहांपुर।
९७—फ़तेह सिंह राणा	...	ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर (पश्चिम)
९८— सिंह	...	ज़िला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)
९९—बदन सिंह	...	ज़िला बदायूं (पश्चिम)
१०० बनारसी दास	...	ज़िला बुलन्दशहर (उत्तर)
१०१ बलदेव प्रसाद	...	ज़िला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
१०२—बशीर अहमद हकीम	...	ज़िला सीतापुर।
१०३—बशीर अहमद अन्सारी	...	ज़िला बिजनौर (दक्षिण-पूर्व)।
१०४—बादशाह गुप्त	...	ज़िला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)
१०५—बाबूराम वर्मा	...	ज़िला एटा (उत्तर)।
१०६—ब्रजमोहनलाल शास्त्री	...	ज़िला बरेली (दक्षिण-पश्चिम)
१०७—बेचनराम गुप्त	...	बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)।
१०८—भगवती प्रसाद दुबे	...	ज़िला गोरखपुर (दक्षिण पश्चिम)।
१०९—भगवती प्रसाद शुक्ल	...	ज़िला प्रतापगढ़ (पश्चिम)।
११०—भगवानदीन	...	कानपुर नगर।
१११—भगवानदीन मिश्र	...	ज़िला बहराइच (दक्षिण)।
११२—भगवान सिंह	...	ज़िला पीलीभीत (दक्षिण)।
११३—भारत सिंह	...	ज़िला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)।
११४—भीम सेन	...	ज़िला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
११५—मक़्मूद आलम खां	...	बरेली-पीलीभीत नगर मुस्लिम-नगर।
११६—मंगला प्रसाद	...	ज़िला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम)।
११७ मसुरियादीन	...	इलाहाबाद नगर।
११८—महफ़ूज़ुरहमान	...	ज़िला बहराइच (दक्षिण)
११९ -महमूद अली खां	...	देहरादून—हरिद्वार—सहारनपुर—मुज़फ़्फ़रनगर नगर।
१२०—महमूद अली खां	...	रामपुर (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)।
१२१—मिजाजी लाल	..	ज़िला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।
१२२—मकुन्दलाल अग्रवाल	...	ज़िला पीलीभीत (उत्तर)।
१२३—मुज़फ़्फ़र हुसैन	...	लखनऊ नगर।
१२४—मुहम्मद अदील अब्बासी	...	ज़िला बस्ती (पश्चिम)।
१२५—मुहम्मद अब्दुल मुईज़ खां	...	ज़िला बस्ती (दक्षिण-पूर्व) मुस्लिम-ग्रामीण
१२६—मुहम्मद असरार अहमद	...	ज़िला बुदायूँ (पश्चिम)।
१२७—मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री		ज़िला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)।
१२८—मुहम्मद इस्माईल	...	ज़िला मुरादाबाद (दक्षिण-पूर्व)।
१२९—मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी	...	ज़िला अलीगढ़।
१३०—मुहम्मद जमशेद अली खां	...	ज़िला मेरठ (पश्चिम)।

१३१—मुहम्मद नबी.	...	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
१३२—मुहम्मद नज़ीर	...	जिला बनारस और मिर्ज़ापुर
१३३—मुहम्मद फारूक	...	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१३४—मुहम्मद याकूब	...	जिला गाजीपुर और बलिया।
१३५—मुहम्मद यूसुफ	...	जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)।
१३६—मुहम्मद रज़ा खां	...	जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)
१३७—मुहम्मद शकूर	...	बनारस—मिर्ज़ापुर नगर।
१३८—मुहम्मद शमीम	...	जिला रायबरेली।
१३९—मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री	...	गाजीपुर—जौनपुर—गोरखपुर नगर।
१४०—मुहम्मद शौकत अली खां	...	जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)।
१४१—मुहम्मद सआदत अली खां	...	जिला बहराइच (उत्तर)।
१४२—मुहम्मद सुलेमान अधमी	...	जिला बस्ती (उत्तर पूर्व)।
१४३—यज्ञनारायण उपाध्याय	...	जिला बनारस (पश्चिम)।
१४४—रघुनाथ विनायक धुलेकर	...	जिला झांसी (दक्षिण)।
१४५—रघुवंश नारायण सिंह	...	जिला मेरठ (पूर्व)।
१४६—रघुवीर सहाय	...	जिला बुदायूँ (पूर्व)।
१४७—राघवदास	...	फ़ैजाबाद—बहराइच—सीतापुर नगर।
१४८—राजकुंवार सिंह	...	आगरा प्रान्त ज़मींदार एशोसियेशन।
१४९—राजाराम मिश्र	...	जिला फ़ैजाबाद (पश्चिम)।
१५०—राजाराम शास्त्री	...	कानपुर औद्योगिक श्रम।
१५१ राधाकृष्ण अग्रवाल	...	जिला हरदोई (मध्य)।
१५२—राधामोहन सिंह	...	जिला बलिया (दक्षिण)।
१५३—राधेश्याम शर्मा	...	जिला बस्ती (पश्चिम)।
१५४—रामकुमार शास्त्री	...	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१५५—रामकृपाल सिंह	...	बुलन्दशहर—मेरठ—हापुड़—खुर्जा नगीना नगर।
१५६—रामचन्द्र सेहरा	...	आगरा नगर।
१५७—रामचन्द्र पालीवाल	...	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
१५८—रामजी सहाय	...	जिला गोरखपुर (मध्य)।
१५९—रामधर मिश्र	...	इलाहाबाद—लखनऊ तथा आगरा विश्वविद्यालय।
१६०—रामधारी पांडे	...	जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)।
१६१—रामनन्दन सिंह	...	बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)।
१६२—राम नारायण	...	अपर इंडिया चेम्बर आफ़ कामर्स।
१६३—रामबली	...	जिला सुल्तनपुर (पूर्व)।
१६४—राममूर्ति	...	जिला बरेली (उत्तर-पूर्व)।

१६५—राम शंकर लाल	...	ज़िला बस्ती (दक्षिण-पूर्व) ।
१६६—रामशरण	...	मुरादाबाद—अमरोहा—सम्भल—चन्दौसी—नगर ।
१६७—रामस्वरूप गुप्त	...	ज़िला कानपुर (दक्षिण)।
१६८—रामेश्वर सहाय सिंह	...	ज़िला हरदोई (दक्षिण-पूर्व) ।
१६९—रुक्नुद्दीन खां	...	ज़िला प्रतापगढ़ ।
१७०—रोशन ज़मां खां	...	ज़िला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम)
१७१—लक्ष्मी देवी, श्रीमती	...	ज़िला फैजाबाद (पश्चिम)
१७२—लताफ़त हुसैन	...	ज़िला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१७३—लाखनदास जाटव	...	ज़िला बुदायूं (पूर्व)
१७४—लालबहादुर, माननीय श्री	...	ज़िला इलाहाबाद (गंगापार)
१७५—लालबिहारी टंडन	...	ज़िला गोंडा (पश्चिम)
१७६—लीलाधर अष्ठाना	...	ज़िला उन्नाव (पूर्व)
१७७—लुत्फ अली खां	...	ज़िला मेरठ (पूर्व)
१७८—लोटन राम	...	ज़िला जालौन
१७९—वंशगोपाल	...	ज़िला फतेहपुर (पूर्व)
१८०—वंशीधर मिश्र	...	ज़िला खीरी (दक्षिण-पश्चिम)
१८१—विजयानन्द मिश्र	...	ज़िला मिरजापुर (उत्तर)
१८२—विद्याधर वाजपेयी	...	ज़िला सुल्तानपुर (पश्चिम)
१८३—विद्यावती राठौर, श्रीमती	...	ज़िला एटा (दक्षिण)
१८४—विनय कुमार मुकर्जी	...	लखनऊ-आगरा-अलीगढ़-इलाहाबाद-औद्योगिक-मिल-श्रम
१८५—विश्वनाथ प्रसाद	...	ज़िला मिर्जापुर (उत्तर)
१८६—विश्वनाथ राय	...	ज़िला गाजीपुर (पूर्व)
१८७—विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी	...	ज़िला उन्नाव (पश्चिम)
१८८—विष्णुशरण दुब्लिश	...	ज़िला मेरठ (उत्तर)
१८९—वीरबल सिंह	...	ज़िला जौनपुर (पश्चिम)
१९०—वीरेन्द्र शाह	...	आगरा प्रान्त जमींदार एसोसिएशन
१९१—वेंकटेश नारायण तिवारी	...	ज़िला कानपुर (उत्तर-पूर्व)
१९२—शंकरदत्त शर्मा	...	ज़िला मुरादाबाद (पश्चिम)
१९३—शान्तिप्रपन्न शर्मा	...	ज़िला देहरादून
१९४—शिवकुमार पांडे	...	ज़िला इलाहाबाद (द्वाबा)
१९५—शिवकुमार मिश्र	...	ज़िला शाहजहांपुर (पूर्व)
१९६—शिवदयाल उपाध्याय	...	ज़िला फतेहपुर (पश्चिम)
१९७—शिवदान सिंह	...	ज़िला अलीगढ़ (पश्चिम)
१९८—शिवमङ्गल सिंह	...	ज़िला मथुरा (पूर्व) और ज़िला एटा (पश्चिम)

१९९—शिवमंगल सिंह कपूर ... ज़िला आजमगढ़ (दक्षिण)
२००—श्यामलाल वर्मा ... जिला नैनीताल
२०१—श्यामसुन्दर शुक्ल ... जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०२—श्रीचन्द सिंहल ... ज़िला अलीगढ़ (मध्य)
२०३—श्रीपति सहाय ... ज़िला हमीरपुर
२०४—सज्जनदेवी महनोत श्रीमती ... बनारस नगर।
२०५—सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर ... बनारस नगर।
२०६—सरवत हुसैन ... ज़िला मुरादाबाद (उत्तर पूर्व)।
२०७—सलीम हामिद खाँ ... ज़िला झांसी, जालौन और हमीरपुर।
२०८—साजिद हुसैन ... अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
२०९—सालिग्राम जयसवाल ... ज़िला इलाहाबाद (यमुनापार)।
२१०—सिंहासन सिंह ... ज़िला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।
२११—सिराज हुसैन ... ज़िला पीलीभीत।
२१२—सीताराम अष्ठाना ... ज़िला आजमगढ़ (पश्चिम)।
२१३—सुदामा प्रसाद ... ज़िला गोरखपुर (उत्तर)।
२१४—सुरेन्द्र बहादुर सिंह ... ज़िला रायबरेली (उत्तर पूर्व)।
२१५—सुल्तान आलम खाँ ... ज़िला फर्रुखाबाद।
२१६—सूर्यप्रसाद अवस्थी ... ज़िला उन्नाव (दक्षिण)।
२१७—सईद अहमद ... जिला ननीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)।
२१८—हबीबुर्रहमान अंसारी ... ज़िला लखनऊ तथा उन्नाव।
२१९—हबीबुर्रहमान खाँ ... ज़िला खीरी।
२२०—हरगोविन्द पन्त ... ज़िला अल्मोड़ा।
२२१—हर प्रसाद सत्यप्रेमी ... ज़िला बाराबंकी (दक्षिण)।
२२२—हरप्रसाद सिंह ... जिला बाँदा (दक्षिण)।
२२३—हसरत मोहानी ... कानपुर नगर।
२२४—हुकुम सिंह, माननीय श्री ... ज़िला बहराइच (उत्तर)।
२२५—होनीलाल अग्रवाल ... ज़िला इटावा (पूर्व)।
२२६—हैदर बख्श ... ज़िला मथुरा तथा आगरा।
२२७—(रिक्त) ... ज़िला फ़ैज़ाबाद, मुस्लिम-ग्रामीण।
२२८—(रिक्त) ... ज़िला बाँदा (उत्तर), सामान्य-ग्रामीण।
२२९—(रिक्त) ... ज़िला सहारनपुर (उत्तर)—मुस्लिम, ग्रामीण

२३०—(रिक्त)		जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व), महिला निर्वाचन-क्षेत्र
२३१—(रिक्त)	...	जिला फ़तेहपुर और बाँदा, मुस्लिम ग्रामीण।
२३२—(रिक्त)	...	ट्रेड यूनियन।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

१—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

२—श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०

सचिव

३—श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

४—श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

अधीक्षक

५—श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-पी० ।

६—श्री सी० जे० एडम्स, बी० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ जुलाई, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन को प्रारम्भ हुई

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४५)

अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अलगूराम शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इतिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनचन्द जरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधरप्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदीलाल गुप्त, श्री
जगन्नाथदास, श्री
जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नफीसुल हसन, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
परागीलाल, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
मुहम्मद [illegible]
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
[illegible], श्री
राजाराम मिश्र, श्री
[illegible], श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
[illegible], श्री
राम कृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजीसहाय, श्री
राम[illegible] सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामशंकरलाल, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

[illegible] सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
[illegible], श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
[illegible], श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
[illegible], श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विमल कुमार मुखर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडे, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
[illegible], श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हरप्रसाद सिंह, श्री
[illegible] मोहनी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

[illegible] ३ जुलाई सन १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

लखनऊ आदर्श तथा डिस्ट्रिक्ट जेल में हवालाती कैदियों से कार्य लेना

*१—श्री भारत सिंह यादव [illegible]—क्या लखनऊ सेन्ट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल [illegible] जाते हैं?

[illegible] (मादक-कर मंत्री)—लखनऊ सेन्ट्रल जेल (जिसका नाम अब आदर्श जेल हो गया है) में बन्द हवालाती कैदियों से कोई काम नहीं लिया जाता है।

डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ में सिर्फ उन हवालाती कैदियों से काम लिया जाता है जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं।

*२–९—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—[स्थगित किये गये।]

*३–१२—श्री [illegible]—[स्थगित किये गये।]

*१३–२३—श्री [illegible]—[illegible] मंत्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये।]

*२४–२६—श्री अजित प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

सूचना विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के एक भाषण का प्रकाशन

*२७—श्री अजित प्रताप सिंह अनुपस्थित—क्या यह सच है कि सूचना विभाग से प्रकाशित पाक्षिक समाचार-पत्रों में माननीय प्रधान मंत्री का एक भाषण छपा था, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री ने किसानों से भूमिधर बनने की अपील करते हुए कहा था कि आप लोग जायदाद उन्मूलन कोष में दस गुना लगान जमा करके अपना रुपया सुरक्षित कीजिए, क्योंकि रुपये और नोटों का कुछ ठीक नहीं है और उनका मूल्य सरकार की इच्छा पर निर्भर रहता है?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव)—जी नहीं। माननीय सदस्य का अभिप्राय कदाचित माननीय मुख्य मंत्री के उन भाषणों के सारांश से है, जो उन्होंने सितम्बर, १९४९ ई० में अपने ९ दिन के दौरे में दिये थे और जो सूचना संचालन विभाग के पाक्षिक पत्रों "यू० पी० इन्फरमेशन", "समाचार" और "इनकलाब" के १५ अक्तूबर के अंकों में प्रकाशित हुआ था। इन भाषणों में किसानों द्वारा रुपया जमा कर रखने की निरर्थकता पर जोर दिया गया था।

सूचना विभाग द्वारा 'वायर रेकर्डर' की खरीद

*२८—श्री अजित प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि सूचना विभाग ने मार्च १९५० ई० का आखिर तारीखों में एक मशीन वायर रेकर्डर खरीदी? यदि हां, तो यह मशीन किससे और कितने मूल्य पर खरीदी गयी?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २७—३१ श्री वीरेन्द्र शाह ने पूछे।

श्री चरण सिंह--जी हां, यह मशीन मेसर्स रुबी इम्पोर्टर्स तथा एक्सपोर्टर्स लखनऊ से १,६०० रु० में खरीदी गई थी।

*२९--श्री अजित प्रताप सिंह (अनुपस्थित),--क्या लखनऊ के रेडियो के व्यापारियों [illegible] किसी जांच के लिये-ओं से इस वायर रेकर्डर के खरीदने के लिए टेन्डर [illegible] गये थे?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि टेंडर क्यों नहीं [illegible] गये?

श्री चरण सिंह--कारण यह है कि स्टोर पर्चेज डिपार्टमेंट ने कहा कि वह [illegible] इन्तजाम कर सकता है और उन्होंने सचिवालय विभाग को अधिकार दे दिया कि वह स्वयं खरीद ले। उस समय समय नहीं था, फाइनेन्शियल इयर गुजर रहा था इसलिए टेंडर नहीं मांगे गए।

३०--श्री अजित प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि उपरोक्त मशीन सूचना विभाग ने कीमत अदा करने के कई दिन बाद आयी?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

*३१--श्री अजित प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि उपरोक्त मशीन अभी तक काम में नहीं लायी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरण सिंह--जी हां, मशीन को प्रयोग में लाने का अभी तक कोई अवसर नहीं आया।

*३२-३३--श्री अजित प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

*३४-३७--श्री खुशाराम--[स्थगित किये गये।]

*३८-४४--श्री कृष्ण चन्द्र--[स्थगित किये गये।]

नोटिफाइड एरिया, कर्नलगंज (गोंडा) को सरकारी प्रबन्ध में लेने का विचार

*४५--श्री चन्द्र भानु शरण सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि गोंडा जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिफाइड एरिया, कर्नलगंज को सरकारी प्रबन्ध में लेने की सिफारिश की है? यदि हां, तो क्यों और सरकार उसे कब तक अपने प्रबन्ध में लेने जा रही है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--जी हां। नोटिफाइड एरिया का प्रबन्ध असन्तोषजनक और जनहित के विरुद्ध है और वह जनता का विश्वास खो चुकी है। उसे सरकारी प्रबन्ध में लेने का प्रश्न विचाराधीन है।

*४६-४८--श्री चन्द्र भानु शरण सिंह (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

*४९--श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--[स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद में आंखों के रोगों का प्रकोप तथा उपचार

*५०--श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या यह सच है कि इलाहाबाद में बेरी-बेरी की बीमारी से १०,००० आदमी अंधे हो गये हैं। क्या सरकार ने सीतापुर आंख के अस्पताल के इन्चार्ज से इस रोग का खोज करने और उससे बचने के उपायों के लिये परामर्श किया है? इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)--यह बात बिल्कुल ग़लत है कि इलाहाबाद में १०,००० आदमी बेरी-बेरी से अंधे हो गये हैं। वास्तव में भूल से लोग एपीडेमिक ड्राप्सी को ही बेरी-बेरी के नाम से पुकारते हैं। एपीडेमिक ड्राप्सी से कभी-कभी

लोग अंधे हो गये हैं पर १०,००० की संख्या बिलकुल गलत है। इसके अलावा यह [illegible] नहीं कहा जा सकता कि जो लोग इलाहाबाद में अंधे हो गये हैं वे [illegible] के कारण ही अंधे हुए हैं। अंधे होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसलिये सरकार ने लोनीपुर के आंख के अस्पताल के इलाके के सम्बन्ध में कोई पड़ताल नहीं किया है।

श्री महम्मद शाहिद फाखरी--जो तादाद माननीय मंत्री ने बतलायी है अगर उतनी न हो तो न सही लेकिन फिर भी इलाहाबाद में आंख के मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो उनके इलाज के लिये कोई फौरी इन्तजाम किया जा सकता है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--वैसे तो इलाहाबाद में आंख का अस्पताल भी मौजूद है जो आंख के मरीज होते हैं उनका इलाज वहां के अस्पताल में किया जाता है, इसलिये सरकार ने मेडिकल [illegible] के लिये [illegible] है कि [illegible] स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े) [illegible] कि किस तरह से और कैसे यह बीमारी होती है और तमाम आंकड़ों को इन तमाम हालातों को इकट्ठा करके हमारे डाइरेक्टर के यहां भेजें जिससे वे इन तमाम चीजों को स्पेशलिस्ट के पास भेज सकें, जो यह बता सकें कि किन कारणों से यह आंखों की बीमारी फैली हुई है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--अगर ऐसा कोई हिदायतनामा जारी किया गया है तो क्या गवर्नमेंट बतला सकती है कि वह कब जारी किया गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--गवर्नमेंट ने एक न्यूट्रीशन सर्वे आफिसर मार्च के महीने में भेजा था और उसी समय उस न्यूट्रीशन सर्वे आफिसर ने वहां के मेडिकल मेन और हेल्थ आफिसर को यह हिदायत जारी की थी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि उनके सवाल और जवाब में जैसा कि हमेशा देर लगा करती है तो अगर उसी तरह से इसमें भी देर लगी तो क्या हजारों की तादाद में आंखें अन्धी हो जायेंगी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय चूंकि सरकार के पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं थे और उन स्टेटिस्टिक्स को जमा करने के लिए इस तरह की कोई हिदायत मेडिकल मेन और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को नहीं थी, इसलिए उस जवाब में देर हुई। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि न्यूट्रीशन सर्वे आफिसर मार्च के महीने में जब वहां गये तो उन्होंने वहां के [illegible] को यह हिदायत जारी की। और उन स्टेटिस्टिक्स में जो बीमारी की हालत है वह आती रहेगी और उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट किया जायगा और बताया जायगा कि आंखों की यह बीमारी धूल की वजह से है या और किसी कारण से है।

*५१-५५--श्री फखरुद्दीन इस्लाम--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये।]

घरेलू धन्धों की उन्नति के लिए जापानी मशीनें

*५६-श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या यह सही है कि इस प्रदेश की सरकार की योजना घरेलू धन्धों के लिये कुछ जापानी मशीनों के मंगवाने की है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--सरकार का विचार है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू धन्धों के लिये जापानी मशीनें खरीदी जायं। इन मशीनों की शिक्षा शरणार्थियों व ट्यूशनल क्लास के विद्यार्थियों को दी जायगी।

घरेलू धन्धे के सलाहकार श्री पालटेलको

४७—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि पालटेलको जी, जो इस प्रदेश सरकार के घरेलू धन्धों के सलाहकार हैं, तत्सम्बन्धी कार्यों को क्या देखते हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—श्री पालटेलको इस प्रदेश की सरकार के छोटे उद्योग-धन्धों के सलाहकार हैं। छोटे धन्धों के चलाने की एक फर्म टेलको लिमिटेड है। उन्हें छोटे धन्धों के चलाने में बहुत अनुभव है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वह फर्म जो टेलको लिमिटेड कहलाती है वह किन चीजों का मशीन बनाती है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—इसकी तफसील के लिए तो नोटिस की जरूरत है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि यह टेलको लिमिटेड सिर्फ बोल्ट व नट ही बनाती है और दूसरी कोई चीजें नहीं बनाती है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि श्री पालटेलको को मशीनों को चलाने का अनुभव है, लेकिन उनको घरेलू धन्धों के चलाने का अच्छा अनुभव नहीं है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—यह बात ठीक नहीं है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—श्री पालटेलको को जो घरेलू उद्योग-धन्धों को चलाने का अनुभव है क्या सरकार उसका विवरण बतायेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—नोटिस मिलने पर तफसील इकट्ठी करके बतलाई जा सकती है।

*४८—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि श्री पालटेलको को शीघ्र ही अमेरिका भेजने की योजना है ? यदि हां, तो उस योजना की क्या क्या रूपरेखा है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—श्री पालटेलको को अमेरिका भेजने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। यदि वे भेजे गये तो उनका काम यह होगा कि वे अमेरिका से यू० पी० हैन्डीक्रेफ्ट के लिए आर्डर ले कर आएं।

*४९—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि श्री पालटेलको के द्वारा इस प्रदेश की सरकार ने कुछ मशीनरी क्रय की है ? यदि हां, तो वह मशीनरी क्या क्या है और वह कहां से, कब और कितनी कितनी कीमत पर खरीदी गई ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—श्री पालटेलको की कुछ योजनाओं के लिए कुछ मशीनें विलायत में हाई कमिश्नर द्वारा खरीदी गई, उनका विवरण संलग्न सूची (अ) में देखिये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९ पर)

श्री बादशाह गुप्त—जो मशीनरी खरीदी गई है वह किस प्रकार के घरेलू उद्योग-धंधों के लिए खरीदी गई है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—तफसील वाली फाइल इस वक्त मेरे पास है नहीं।

श्री बादशाह गुप्त—ये मशीनें खरीदने के बाद कौन-कौन से घरेलू उद्योग-धंधे यहां पर चालू हुए हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—प्रिसिशन इन्स्ट्रूमेंट्स का जो कारखाना है उसमें सब तरह की चीजें बन रही हैं और उसके नाम से भी साफ जाहिर होता है कि कैसी कैसी चीजें बन रही हैं।

*६०—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या उपरोक्त मशीनरी के खरीदने से पहले विविध फर्मों से कोटेशन मंगवाये गये ? यदि हां, तो वह क्या थे ? क्या सरकार उनकी प्रतिलिपि मेज पर रक्खेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—नहीं। यह आर्डर विविध फर्मों को उनकी मशीनें देख कर दिये गये थे।

*६१—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—(क) क्या यह सही है कि श्री पालटेलको को Precision Instrument Factory अथवा अन्य काम के लिए मशीनरी क्रय करने के लिए कलकत्ता भेजा गया था और वहां उन्होंने कुछ मशीनरी खरीदीं ?

(ख) यदि हां, तो वह मशीनरी क्या थीं, और वह किस फर्म से, कितने मूल्य पर खरीदी गयीं ?

(ग) क्या यह सही है कि उसी मशीनरी के लिए उसी फर्म ने जिससे वह मशीनरी खरीदी गयी, पहले कोटेशन भेजा था ? यदि हां, तो वह क्या था ?

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार के पास आई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि मेज पर रक्खेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) जी हां।

(ख) गवर्नमेंट प्रिसिशन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी के लिए जो मशीनें श्री पालटेलको द्वारा खरीदी गई हैं, उनका विवरण सूची 'ब' में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१ पर)

(ग) जिन फर्मों से मशीनें खरीदी गई थीं उन्होंने पहले कोटेशन भेजा था। विवरण संलग्न सूची 'ब' में देखिये।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१ पर)

(घ) जी नहीं।

श्री राधेश्याम शर्मा—प्रिसिशन इन्स्ट्रूमेंट्स फ़ैक्टरी में अब तक कौन-कौन-सी चीजें बन चुकी हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—नोटिस की जरूरत है।

*६२—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—(क) क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि श्री पालटेलको के ऊपर, भोजन, ठहरने, एलाउन्स वेतन, आदि का जब से वह आये हैं प्रत्येक मास का क्या खर्चा है ? उनको अब तक कितना टी० ए० दिया गया है ?

(ख) क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उनसे संलग्न और क्या-क्या स्टाफ़ हैं ? उनका नाम, उनका वेतन, एलाउन्स आदि क्या हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) श्री पालटेलको उद्योग धंधों की उन्नति के लिए १०० रु० मासिक आनरेरियम पर १ दिसम्बर, १९४८ से नियुक्त किये गए हैं। उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उनके लिए निःशुल्क मकान का आयोजन है। उचित बंगला न मिलने के कारण उनके होटल में रहने का किराया सरकार ने २०-२-४९ से २४० रुपया प्रति मास की दर से दिया है। १ मार्च १९५० से उन्हें कोटवारा भवन रहने को दिया गया है। जिसका किराया ३१२॥ प्रति माह है। अब तक उनके टी० ए० बिल ४१८७रु० ४ आना के पास किये गये हैं।

(ख) श्री पालटेलको से संलग्न स्टाफ का विवरण, सूची 'स' में देखिये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३ पर)

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि श्री पालटेलको को यहां सौ रुपया मासिक वेतन पर रहने में क्या लाभ है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--इसका जवाब तो वही ठीक दे सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि भत्ते के बिल पास होने के लिए पड़े हैं वह कितनी रकम के हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--यह बात पास होने पर ही बतलाई जा सकती है।

*६३--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार उन सब कार्यों का विवरण मेज पर रक्खेगी जो, उन्होंने अब तक किये हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--श्री पालटेलको छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की वर्तमान उत्पादन प्रणाली के यंत्रीकरण की संभावनाओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए बुलाये गये थे। उनकी यह योजना थी कि वर्तमान टेक्निकल इन्सटीट्यूट की ट्रेनिंग में सुधार किया जाय। श्री पालटेलको की योजना है कि इन इन्सटीट्यूटों में नई तरह की मशीनें लगाई जायें। इन सब मशीनों का आर्डर दिया जा चुका है और उनके आते ही उन पर काम शुरू हो जायगा। अलीगढ़ के ताले का व्यवसाय, लखनऊ व मुरादाबाद के कलई के व्यवसाय पर भी नई तरह की शिक्षा देने की योजना श्री टेलको ने बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत तालों के स्टैन्डर्ड हिस्से अलीगढ़ में बनाये जायेंगे और लोगों को मिलाने के लिए दिये जायेंगे। नई व पक्की कलई के लिए लखनऊ व मुरादाबाद में शिक्षा दी जायगी। इन विषयों पर प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है और इस साल के बजट में मंजूरी भी हो गई है। यह तीन काम अगस्त तक चालू हो जायंगे।

श्री टेलको से यू० पी० हस्त शिल्प के विक्रय की योजना का पुनर्संगठन करने को भी कहा गया था। उन्होंने इस काम को सुचारु-रूप से प्रारम्भ किया है। विदेशी बाजारों में अनेक जांचें भी की हैं। कई का जवाब भी मिल चुका है और नमूने और कोटेशन अमरीका, कनाडा, डेन्मार्क, स्वीडन, मिश्र आदि देशों को भेजे गये हैं। यह आशा की जाती है कि यू० पी० हस्त शिल्प को विदेशों में अनेकों आर्डर मिलेंगे। ये कुटीर मजदूरों को दिये जायेंगे, जो कि अपने माल के लिये अब पहले से अच्छी कीमतें पायेंगे।

उन्होंने लखनऊ में एक हाबी क्लब भी प्रारम्भ किया है जहां ४ से १६ वर्ष तक के लड़के-लड़कियों को प्लैस्टिक के ढांचे बनाना, रंगीन खड़िया से तस्वीरें बनाना, रंगाई, नाप, सरल रचना सम्बन्धी ड्राइंग बनाना और अनेक सामूहिक कार्य जैसे सरल गिनती के खेल, पासे के ऐसे पहेलियों आदि में भाग लेने को उत्साहित किया जाता है जिससे कि उन बच्चों में यंत्र संबंधी कौशल और विकसित हो सके।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--ये जो मशीनें मंगाई गई हैं, जिनका उल्लेख प्रश्न ६३ में है, ये किस फर्म से मंगाई गई हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह--जहां तक मुझे याद पड़ता है सूची में इसका हवाला है।

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)--जनाब स्पीकर साहब, इस सदन ने जो कमेटी डिलिमिटेशन आफ कांस्टिटुएंसीज निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के लिये बनाई थी उसकी रिपोर्ट के लिये आज की तारीख पिछले रेजोल्यूशन (प्रस्ताव) में मुक़र्रर हुई थी। वह कमेटी अभी तक काम कर रही है और अपना काम पूरा नहीं कर सकी। इसलिये उसकी कोई रिपोर्ट आज इस हाउस में पेश नहीं हो सकती है। मैं हाउस की मंजूरी के लिये यह प्रस्ताव पेश करता हूँ।

"चूंकि डिलिमिटेशन आफ कांस्टिटुएंसीज का मामला अभी सेलेक्ट कमेटी के जेरे-गौर है और अभी उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। इसलिए यह विधान-सभा सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की तारीख १० जुलाई, सन् १९५० ई० तक बढ़ाती है।"

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी [illegible]
के संबंध में [illegible] का [illegible]।

माननीय अध्यक्ष—[illegible] ने एक समिति बनाई थी, परन्तु उसका नाम [illegible] तो [illegible] के ऊपर विचार करने के लिये बनाई [illegible] ठीक कीजिये।

माननीय श्री [illegible]—[illegible] जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि [illegible] मामला अभी कमेटी के जेरे गौर है और [illegible] कार्रवाई पूरी [illegible] इसलिये यह विधान सभा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की तारीख १ [illegible] १९५० तक बढ़ाती है।

(प्रश्न [illegible])

[illegible] के उत्तर प्रदेश [illegible]

(क) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति [illegible]

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूँ कि [illegible] चरिटेबिल इंडाउमेंट्स (आसाम राज्य के [illegible]) [illegible] विधान परिषद ने अपनी ११ फरवरी, सन् १९५० ई० [illegible] विधान सभा ने अपनी २० मार्च, सन् १९५० ई० को [illegible] राष्ट्रपति की अनुमति ३१ मई, सन् १९५० ई० को प्राप्त [illegible] सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जोत [illegible] बिल (क्रमागत)

धारा १५३

१५३—[illegible] (पुण्यार्थ [illegible]) [illegible] हस्तान्तरित करने का अधिकार न होगा यदि [illegible] व्यक्ति उक्त विक्रय ([illegible]) या दान ([illegible]) के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी हो जाय, जो उस भूमि से मिलकर जो उसके पास, चाहे अकेले चाहे अपने जीवनस्थ पुत्र या जन्म अवलम्बी अथवा उसके साथ रहने वाली पत्नी या साथ रहने वाले पति के साथ, संयुक्त प्रान्त में ३० एकड़ से अधिक हो जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १५३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"यदि किसी भूमिधर द्वारा किया जाने वाला विक्रय ([illegible]) या दान ([illegible]) के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति इतनी भूमि का अधिकारी हो जाता है, जितने से मिल कर उसके परिवार की समस्त भूमि ३० एकड़ से बढ़ जाय तो जब तक वह व्यक्ति कोई पुण्यार्थ स्थापित संस्था न हो तब तक उक्त भूमिधर को यह अधिकार न होगा कि वह ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई ऐसा हस्तान्तरण कर सके।

[illegible]

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य उस व्यक्ति, उसकी अवयस्क सन्तान उसकी पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो, के एक कुटुम्ब से होगा।'

श्रीमान् यह संशोधन इसलिये उपस्थित किया गया है कि मूल विधेयक की जो धारा है उसमें 'किसी अन्य अवलम्बी' का भी एक वाक्य रखा गया है, यानी कोई व्यक्ति या उसका कोई अवलम्बी हो उसको लेकर के भी उसके पास ३० एकड़ तक भूमि है तो उससे अधिक भूमि वह नहीं खरीद सकेगा। इस धारा का यह अर्थ होना था। लेकिन यह 'अन्य अवलम्बी' इतनी व्यापक टर्म (शब्द) है कि उसकी पूर्ण व्याख्या नहीं हो सकती किसको अवलम्बी माना जाय और किसको नहीं माना जाय, यह बड़े झगड़े का विषय हो सकता है। इसलिये मैंने इस संशोधन में 'अन्य अवलम्बी" को निकाल दिया है।

दूसरे यह कि कोई एक परिवार होना चाहिये कि जो ३० एकड़ तक भूमि रख सके। तो इस संशोधन के द्वारा एक परिवार की व्याख्या कर दी गई है कि इतने-इतने व्यक्तियों का एक परिवार बनता है और जिस परिवार को ३० एकड़ से ज्यादा भूमि रखने का अधिकार नहीं होगा क्रय के द्वारा यानी अगर उसके पास ३० एकड़ भूमि है तो उसको अधिक भूमि खरीदने का अधिकार नहीं होगा। इस लिए इस संशोधन के द्वारा उस परिवार की व्याख्या कर दी गयी है जिसमें चाहे वह व्यक्ति अकेला हो, चाहे उसका कोई माइनर (अवयस्क) संतान हो, चाहे उसकी स्त्री हो और उस परिवार को महदूद कर दिया गया है। इसी आशय से मैंने यह संशोधन पेश किया है। परिवार की व्याख्या हो और "अन्य अवलम्बी" शब्द को हटाया जाय, क्योंकि "अन्य अवलम्बी" से बड़ा झगड़ा पैदा हो सकता है। इसलिये मुझे आशा है कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र ने सदन के सामने पेश किया है उससे जो मौजूदा धारा १५३ है उसकी सूरत कुछ बदलती है और उससे एक सही शक्ल पैदा हो जाती है। धारा १५३ में 'डिपेंडेन्ट" शब्द का तर्जुमा करके जो वाक्य रखा गया है वह बहुत व्यापक है और उसके माने कोई मुस्तक़िल माने नहीं हो सकते कि कहां वह खत्म होगा, किस हद तक लोग डिपेंडेंट (आश्रित) समझे जायेंगे। इसमें बड़ी-बड़ी दिक्कतों के पैदा होने की संभावना थी मगर इस संशोधन में वह दिक्कतें दूर होती हैं। और एक कुटुम्ब का शब्द रख करके उसकी परिभाषा स्पष्टीकरण में दी जा रही है जिससे जो मंशा इस धारा की है वह साफ हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यह संशोधन इस योग्य है कि मैं इसे स्वीकार करूँ और धारा १५३ की जगह पर इस शक्ल में यह धारा रखी जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५३ के स्थान पर निम्न लिखित रखा जाय —

"यदि किसी भूमिधर द्वारा किये जाने वाले विक्रय (sale) या दान (gift) के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति इतनी भूमि का अधिकारी हो जाता हो, जितने से मिल कर उसके परिवार की समस्त भूमि ३० एकड़ से बढ़ जाय तो, जब तक वह व्यक्ति कोई पुण्यार्थ स्थापित संस्था न हो, तब तब उक्त भूमिधर को यह अधिकार न होगा कि वह ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई ऐसा हस्तान्तरण कर सके।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य उस व्यक्ति, उसकी अवयस्क सन्तान, उसकी पत्नी या पति जैसी भी दशा हो, के एक कुटुम्ब से होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ऐजाज रसूल—जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री प्रार्थना प्रसाद मौर्य द्वारा संशोधन धारा १५३ की पंक्ति ३ में शब्द "परिवार की" और उस धारा में स्पष्टीकरण के पूरे शब्द निकाल दिये जायं, तथा भाषा को ठीक करने के लिये इस संशोधित धारा की तीसरी पंक्ति में "उसके" के स्थान पर "उसकी" रख दिया जाय।

मेरे अमेंडमेंट मूव (संशोधन प्रस्तावित) करने का मतलब यह है कि आपने जो लफ्ज "परिवार" रखा है तो यह बहुत वाइड टर्म (व्यापक शब्द) है। आपने उसके एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) में रखा है "बेटा, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट (आश्रित) हो, लड़की और बीबी"। यह हो सकता है कि इन लोगों के मुख्तलिफ खाते हों। अगर फ़र्ज किया जाय कि एक घर में रहते हों तो भी इसके मानी यह नहीं है कि उनके पास दूसरे नाम के खाते न हों। तो इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन निकाल दिया जाय और खानदान का लफ्ज निकाल दिया जाय। यह एक बहुत ज्यादती होगी। क्योंकि आप कहते हैं कि अगर इन सब लोगों की जमीन ३० एकड़ से ज्यादा हो तो वह रख नहीं सकते। यह एक बहुत ज्यादती होगी। फ़र्ज कीजिये कि बाप के पास पहले से खाता चला आता है। अगर लड़के ने भी जमींदार से कोई खाता ले लिया तो उस खाते को भी बाप के खाते में जोड़ दिया जाय और फिर तीस एकड़ का टोटल (जोड़) लगाया जाय, मैं समझता हूँ कि यह बहुत ज्यादती है। उसके लिये यह होना चाहिये कि अगर खाते मुख्तलिफ हैं तो मुख्तलिफ खातों को जोड़ना नहीं चाहिये। फ़र्ज कीजिये कि मेरा ही मकान गांव में है। मेरे बच्चे हैं या चचाजाद भाई हैं और एक ही मकान में हम लोग रहते हैं, तो इससे खान्दान मुश्तरका नहीं हो जाएगा।

ठाकुर साहब थे नहीं इस वजह से मैं फिर अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मेरे अमेंडमेंट का मतलब यह है कि लफ्ज 'परिवार' जो है वह बहुत वाइड (व्यापक) है। इसको निकाल दिया जाय। दूसरी बात यह है कि आपने परिवार के एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है—मां, बेटा, बेटी, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट (आश्रित) हैं। तो वे तीस एकड़ के अन्दर समझे जायंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि फ़र्ज कीजिये कि एक ही मकान में रहते हैं लेकिन अगर मेरे नाम अलहदा खाता है और मेरे लड़के के नाम अलहदा खाता है तो इस अमेंडमेंट से यह हो जायगा कि दोनों खाते जुड़ जायंगे। तो एक मकान में रहने से काश्त मुश्तरका नहीं होनी चाहिये बल्कि अगर जुदागाना खाते हैं तो जुदागाना मानने चाहिये। यही मेरा मतलब है और मेरा ख्याल है कि बहुत जायज है। फ़र्ज कीजिये कि तीस वर्ष से बाप के नाम से खाता चला आ रहा है अब लड़के के नाम भी एक खाता इंदराज हो गया। तो उसको भी जोड़ा जायगा। यह तो बहुत ज्यादती होगी। दोनों का चूल्हा अलहदा है लेकिन चूंकि बाप का लड़का है इस वजह से तीस एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद नहीं सकता। मेरे ख्याल में यह अमेंडमेंट बहुत मुनासिब और दुरुस्त है और मिनिस्टर साहब जरूर मंजूर करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, हमारे मित्र नवाब साहब ने जो संशोधन इस सदन के सामने उपस्थित किया है और उसकी ताईद में जो बातें कही हैं उनसे मुझे मजबूर होकर यही कहना पड़ता है कि शायद वह कुछ गलत-फ़हमी में हैं। जो धारा १५३ इस वक्त संशोधित शक्ल में है उसको अगर वह पढ़ें तो जो शक उनके दिल में है वह बिलकुल निर्मूल साबित होगी। आपने यह

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

फरमाया "परिवार" का शब्द बड़ा व्यापक है और अगर वह इसी शक्ल में धारा में रहे तो बड़ा दिक्कतें पैदा होने का अंदेशा है। अगर वह देखें कि जो इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें परिवार से तात्पर्य क्या है ? वह बिलकुल साफ-साफ बतला दिया गया है। मैं श्रीमान् की आज्ञा से उस स्पष्टीकरण को पढ़ करके अपने मित्र का ध्यान फिर इस तरफ आकर्षित करता हूँ कि यह स्पष्टीकरण निहायत जरूरी है और अगर यह निकाल दी जाय तो "परिवार" के शब्द से अर्थ वैसे ही बदल जायेंगे जैसे कि हमारे भाई सोचते हैं। स्पष्टीकरण यह है --

'स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य उसके पति, उसकी अवयस्क सन्तान, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो, के एक कुटुम्ब से होगा।"

नाबालिग बच्चे, और स्त्री और अगर काश्तकार स्त्री है तो उसका पति कुटुम्ब में सिर्फ इतने ही आदमी आते हैं इसके अलावा और नहीं हो सकते हैं। हमारे मित्र नवाब साहब ने अपनी तकरीर में यह भी फरमाया कि अगर भतीजा घर में रहता है खाना नहीं खाता है या अलग बना कर खाता है तो ऐसा न हो कि परिवार में वह भी आ जाय। अगर यह स्पष्टीकरण ऐसा कायम रहा तो भतीजा आ नहीं सकता। लड़के नाबालिग आ सकते हैं, बालिग लड़का भी नहीं आ सकता है। लिहाजा वह दिक्कतें जो आप महसूस करते हैं वह पैदा नहीं होतीं क्योंकि अवयस्क माने माइनर डिपेंडेंट के हैं। मेजर (वयस्क) कहीं आते नहीं हैं लिहाजा उनके खाते की जमीन जोड़ी नहीं जा सकती। उनके पास कितनी ही जमीन भले हो लेकिन पिता या कोई और काश्तकार जो हो उसको खरीदने का हक हो सकता है लेकिन जोड़े जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर उनकी सन्तान माइनर (अवयस्क) हो तो उनकी जमीन जोड़ी जायगी यह तो एक तत्व की बात है क्योंकि नाबालिग लड़कों की जमीन का प्रबन्ध पिता या मालिक करता है और वही उससे फायदा उठाता है और इसलिये खानदान मुश्तरका का मेम्बर भी होता है। तो ऐसी सूरत में उनकी जमीन का लिहाज करना तो माकूल बात मालूम होती है। हां, अगर सिर्फ लड़का होता,-बालिग या नाबालिग, तब तो हमारे मित्रका ऐतराज ठीक होता और उस वक्त कल इसके कि मैं आपकी तरमीम की मुखालिफत करता कई मरतबे सोचता। लेकिन जो शक हमारे मित्र ने जाहिर किया है वह बिलकुल बेबुनियाद मालूम होता है। अगर यह तरमीम किसी अंश में मान ली गई तब भी गड़बड़ होने का अंदेशा है। ऐसी सूरत में मैं अर्ज करूंगा कि हमारे मित्र इस तरमीम को वापस कर लें तो बहुत अच्छा, लेकिन राजा साहब जगमनपुर उन्हें क्यों वापस लेने देंगे और अगर हमारे मित्र राजा साजिद हुसैन साहब से पूछें तो बुनियादी कोई झगड़ा इसमें मालूम नहीं होता और अगर जरूरत हो तो कुंवर साहब से भी मशविरा कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इस बात की सलाह देंगे कि तरमीम अनावश्यक है और इसे वापस लिया जाय और अगर वापस नहीं होती तो मजबूरन मुझे इन चन्द अल्फाज के साथ इसकी मुखालिफत करनी पड़ेगी।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् जी, जो संशोधन अभी नवाब साहब ने इस भवन के सामने पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने मंत्री महोदय की स्पीच (भाषण) बड़े गौर से सुनी और उन्होंने भी हम लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि यह संशोधन बिलकुल साफ है। इसमें हम कहते हैं कि परिवार को शामिल न किया जाय और एक ही आदमी के खाते के बारे में देखा जाय। इसकी वजह यह है कि अगर हमारे बुन्देलखंड को ही आप देखें तो मालूम होगा कि एक ही आदमी का खाता ३० एकड़ का हो

जायगा और अगर परिवार को उसमे शामिल करते ह तो फिर कोई भी खाता बाकी नहीं बचेगा। अगर एक ही आदमी का खाता ३० एकड से कही अधिक है तो जो फायदा आप और जगह के लोगो को दे रहे ह वह फायदा बुन्देलखड को नहीं पहुँचेगा। इसलिये मै कहता हूँ कि "परिवार" शब्द निकाल दिया जाय और जो स्पष्टीकरण है उसे भी निकाल दिया जाय। आप यह रखिये कि जिसके नाम से खाता है उस आदमी के पास अगर ३० एकड से ज्यादा है तो वह नही ले सकेगा, लेकिन अगर आप नाबालिग सतान और पति, पत्नी के नाम से जो अलग-अलग खाते है उनको भी जोडेगे तो बडी कठिनाई पडेगी क्योकि जैसा कि गुजारेदारो ने और हम लोगो ने किया है उससे बुन्देलखड के सभी खाते इसके अन्दर आ जायेंगे। इसलिये मै मत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ खास तौर से दिलाना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रो मे मौजूदा आराजी ३० एकड से ज्यादा है उनकी क्या हालत होगी? ह पूर्वी इलाको मे जहा छोटी छोटी आराजी ह, जहा अनएकनामिक होल्डिंग्स (अलाभकर जोते) ह वहा तो लोगो को कुछ फायदा हो जायेगा लेकिन हमारी तरफ जहा जमीन बहुत खराब होती है और जहा एक खाते में ३० एकड से ज्यादा जमीन है वहा बहुत कठिनाई होगी। इस धारा से हमारे बुंदेलखड प्रान्त के लिये कोई गुजाइश नही रही है। इसलिये म अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ कि बुदेलखड के चार जिलो के वास्ते इसमे कम से कम कोई ऐसी चीज रक्खे जिससे उनका परिवार शामिल न किया जाय वरना उनको बहुत नुकसान होगा। इन शब्दो के साथ म माननीय मत्री महोदय से कहूँगा कि वह इस सशोधन को स्वीकार कर ले। इसमे कोई हर्ज नही है कि एक आदमी के खाते मे ३० एकड रखिये और परिवार वालो को शामिल न कीजिये। म आशा करता हूँ कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो सशोधित धारा इस भवन ने स्वीकार की है उसके सम्बन्ध मे श्री ऐजाज रसूल साहब ने एतराज पेश करते हुये कहा कि इससे तो बड़ी ज्यादती होगी। आपने अपने भाषण मे यह कहा कि मुश्तरका खानदान मे लोगो के लिये कठिनाई होगी। म उनको यह बतलाना चाहता हूँ कि जो चीज इस धारा मे नही है उसको भवन के समुख रख कर आपने एक भ्रम उपस्थित किया है। बिल्कुल इस धारा मे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ३० एकड तक जमीन रखने के लिये एक छोटा सा परिवार माना गया है। जब हम इस उसूल को मान रहे है कि किसी हद तक लोग जमीन रखे और उससे ज्यादा जमीन न खरीदी जा सके तो हमें कोई कुटुम्ब मानना पड़ेगा जिसको ३० एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने की इजाजत न हो। मै धारा ३९ की तरफ राजा साहब का ध्यान आकर्षित करूँगा। इस धारा मे परिवार के सम्बन्ध मे कुटुम्ब की व्याख्या की गई है। वह यह है कि "यदि पिता स्वत्वाधिकार के दिनांक पर जीवित था तो वह पुत्र पौत्रादिक क्रम वाली अपनी पुसन्तति के साथ (with his male lineal descendents in the male line of descent) संयुक्त कुटुम्ब को सम्पत्ति के विषय मे एक ही इकाई समझा जायेगा। लेकिन इस संयुक्त कुटुम्ब की व्याख्या को यहा पर और भी छोटा कर दिया गया है। यानी इस व्याख्या से अगर एक पिता के १० लड़के है और उनमें चार लड़के बालिग है तो वह चारो लडके उस परिवार से बंध नही जाते है यानी पिता अपने नाबालिग पुत्रों और पत्नी के साथ एक कुटुम्ब हुआ और बाकी सब अलग अलग कुटुम्ब और एक इकाई माने जायगे। इसके अलावा भाई भाई भी बधते नही ह और बालिग लडके भी बंधते नही है। इस तरह से काफी स्कोप (गुजायश) मिल गया है। ३० एकड तक जमीन खरीदने के लिये एक परिवार माना गया है। इस पर भी लोगो को एतराज है। अगर

श्री [illegible] के प्रसाद [illegible]

इसको भी ज्यादा कहा जाये तो फिर मैं कहूँगा कि इस धारा को रखना ही [illegible] है यानी ऐजाज रसूल साहब कहें कि इस धारा को हटा दिया जाये और [illegible] पर कोई इलाज न रखा जाये। चाहे कोई एक हजार या दस हजार एकड़ [illegible] जमीन बढ़ती नहीं है और खेती करने वालों की तादाद ज्यादा है। [illegible] कोई प्रतिबन्ध रहना चाहिये तो इससे ज्यादा हरगिज प्रतिबन्ध और कोई नहीं हो सकता है। वास्तव में एक कुटुम्ब इतना होना चाहिये कि एक बाप, उसके [illegible] बालिग और नाबालिग और उनकी स्त्री का एक कुटुम्ब माना जाय। लेकिन यहां तो बालिग लड़कों को अलग कर दिया गया है। अगर एक बाप के ४—५ लड़के हैं और वह बालिग है तो हर एक लड़का ३० एकड़ तक जमीन खरीद सकता है [illegible] कुटुम्ब का भी कोई बात नहीं आई। अगर कोई चचाजाद भाई है तो उसके लिये भी कोई रुकावट नहीं है और न खुदकी बिरादरी में चचाजाद भाई और बालिग लड़कों की है। नाबालिग लड़के बाप और उसकी स्त्री को एक कुटुम्ब माना गया है। फिर भी ऐजाज रसूल साहब कहते हैं कि ज्यादा हो गया। अगर अलग अलग नाबालिग लड़कों के नाम जमीन खरीदनी चाहिये और उसकी औरत के नाम से अलग खरीदी जा सके। इसके क्या माने हैं? एक परिवार के लिये ३० एकड़ जमीन जो रखी गई है वह काफी है। अगर आप यह कहें कि नाबालिग लड़कों के लिये भी ३० एकड़ जमीन खरीदने की इजाजत होना चाहिये तो आप इस धारा को खत्म ही कर दें ताकि इस धारा के होने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है।

इस तरह से [illegible] इतना एब्यूज (दुरुपयोग) न कीजिये। परिवार बहुत छोटा रह गया है, बहुत तकलीफ परिवार की है। बहुत जमीन लोगों को जमीन खरीदने के लिये मिल जायगी। इस लिये आपको [illegible] कि परिवार की [illegible] बहुत [illegible] नहीं है। भाई, भतीजे जितने भी बालिग हैं वे सब एक यूनिट मान लिये गये हैं। वे परिवार के अन्दर नहीं आते, उनको जमीन खरीदने का बहुत ज्यादा स्कोप है। चाहे वे मुजफ्फरपुर में हों या अलीगढ़ में। आप ने अगर गौर किया होता तो जरूर यह एतराज न उठाया होता और न बहस में मुझको खानदान और चचाजाद भाई का जिक्र करते। जितना वाइड (चौड़ा) हो सकता है उतना वाइड रास्ता जमीन खरीदने के लिये खुला रखा गया है। मैं तो समझता था कि परिवार का यह पारिभाषा नाकाफ है, परिवार को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहता था मैं नहीं समझता था कि इस पर आप एतराज करेंगे। यह एतराज बहुत नामुनासिब मालूम होता है। इस लिए मैं समझता हूं कि आप अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री सिद्धिहुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। इस वजह से जैसा कि मेरे दोस्त राजा साहब जगमनपुर ने कहा कि इस में इस बात का लिहाज नहीं रखा गया। जमीनें मुख्तलिफ होती हैं। कहीं पैदावार जरखेज होती है। कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां ३० एकड़ एक्चुअलि होल्डिंग (लाभकारी जोत) नहीं मानी गई है। तो ऐसी सूरत में एक ही उसूल को सब जगह बरतना बहुत ज्यादती होगी। इसके अलावा एक सवाल यह उठता है कि नाबालिग लड़का बाप के लिए फर्ज (अभिशाप) बन जायगा। वह चाहेगा कि किस तरह से वह बालिग हो इससे झूठ जालसाजी बढ़ जायगी। फर्ज कीजिए १८ वर्ष बालिग होने की उम्र है तो बाप १७ वर्ष का ही उम्र में अपने लड़के को १८ वर्ष का बतलायेगा और अमूमन झूठ बोलेगा। इस तरह से लेजिस्लेशन के जरिये सरकार झूठ बोलने के लिए लोगों को एंकरेज (उत्साहित) करेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि बालिग को ही क्यों निकाला गया। बालिग और नाबालिग बाप के लिये दोनों एकसां हैं। कहा गया कि नाबालिग डिपेंडेंट (आश्रित) होते हैं। इस तरह से तो बालिग, पड़ोसी और दुनिया भर के लोग डिपेंड कर सकते हैं। यह तो बाप की जनरोसिटी (औदार्य) और

[illegible] देना [illegible] लड़के हैं [illegible] नाबालिग को [illegible] अधिकार [illegible] रेखा) का [illegible] नाबालिग को भी बालिग कहते हैं। [illegible] यह बालिग और नाबालिग का सवाल, डिपेंडेंट (आश्रित) और इंडिपेंडेंट (अनाश्रित) का सवाल कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि फर्ज कीजिये कि एक लड़का है जो १७ वर्ष का है तो साल भर के बाद हो वह बालिग हो जायगा, इंडिपेंडेंट (अनाश्रित) हो जायगा। यहां उसके लिए यही उपाय है कि वह तब तक के लिए इंतजार करे जब तक कि बालिग [illegible] प्रिंसिपल (सिद्धान्त) का सवाल नहीं है बल्कि [illegible] का सवाल है। [illegible] कोई कि [illegible] लड़का हो तो वह हमेशा उसका लड़का ही रहेगा, लेकिन बालिग और नाबालिग का सवाल मेरे ख्याल में कानून के अन्दर लाना मुनासिब नहीं है। और एक लड़के को आपने मुस्तसना किया है तो दूसरे लड़के को मुस्तसना करना चाहिये। [illegible] तो हमेशा नाबालिगों का ख्याल करके आये हैं तो [illegible] इस पर [illegible] इस पर ठंडे दिल से विचार करेंगे और इस संशोधन को मंजूर करेंगे। एक [illegible] है जिसमें बहुतों के [illegible] है, फर्ज कीजिये कि एक मुसलमान ने अपने [illegible] को तलाक दे दिया तो उसकी वजह से उसे [illegible] (दण्डित) किया जाय जब कि वह मुस्तहिल नहीं है, बल्कि [illegible] (परिवार का [illegible]) है, मुजरिम नहीं है। इस लिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर फिर गौर करे और किसी माकूल काम करे। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री [illegible] [illegible] मानता है लेकिन [illegible] नाबालिग लड़कों के लिए [illegible] करते हैं? फर्ज कीजिये कि एक लड़का है [illegible] अपने ननिहाल से कोई [illegible] मिली या किसी [illegible] गिफ्ट (दान) कर दिया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--यहां सिर्फ खरीदने की बात है।

श्री तेजाज रसूल--फर्ज कीजिये कि वह खरीद नहीं सकता है लेकिन आप उन नाबालिग लड़कों को जमीन को जोड़ेंगे और वह आदमी जो भूमिधर है, उसका बाप है उन दोनों की जमीन को जोड़ेंगे और उसकी वजह से वह ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं जोत सकता है, महज इसलिये कि वह नाबालिग लड़का है। चूंकि बाप उस जमीन का इन्तजाम करता है इसलिए ३० एकड़ से ज्यादा जमीन न वह बो सकता है और न खरीद सकता है। मेरी समझ में यह चीज [illegible] है। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि यह लफ्ज 'परिवार' निकाल दिया जाय। उसका साफ मतलब यह है कि भूमिधर जिस खाते का हो, अगर दो खाते का हो तो वह जोड़ लिया जाय लेकिन उसका लड़का जो नाबालिग है, वह भी भूमिधर हो तो उसको न जोड़ा जाय यह मेरा मतलब था जो कि आनरेबिल मिनिस्टर साहबने समझा नहीं है। मैं इस बात पर सिर्फ (जिद) करता हूं कि जो भूमिधर के दो खाते हों तो उसको उस परिवार में हो शामिल होना चाहिए। आप चाहते हैं कि नाबालिग और स्त्री भी उसके अन्दर आ जायं और उनके नाम वह हो जायं। आप इस पर गौर कर सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

डिप्रेस्ड क्लास (दबी जातियां) के अन्दर विधवा हो जाती हैं और वह दूसरे के यहां बैठ जाती है। तो अगर किसी विधवा के नाम जमीन हुई और वह किसी और के यहां बैठ गई तो जो उसके नाम खाता है वह उसके नाम रह जायगा। इससे तो आपका ही नुक़सान है। इस लिए मैं मौर्य साहब से कहूंगा कि वह इस पर गौर करें और इससे तो उनका ही खुद नुकसान है कि वह ३० एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकते क्योंकि उसकी वहजमीन जोड़ ली जायगी। इस वास्ते मैंने यह रखा था कि जो खरीद सकते हैं वह ३० एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकेंगे। इन सब बातों को देखते हुए मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया था। मैं यह चाहता था कि अगर किसी भूमिधर के दो खाते हैं तो वह जोड़ लिये जायं। डिपेंडेंट लफ्ज़ को तो आप ने निकाल दिया है और इस धारा को आप ने काफी इम्प्रूव (सुधार) किया है और काफी लोग इसके अन्दर आ सकते हैं लेकिन फिर भी आप इस को और स्टिक करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको स्टिक न रखा जाय और इसी गरज से मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों पर गौर करके मिनिस्टर साहब इस अमेंडमेंट को मंजूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 'परिवार' शब्द को रखने से और मौजूदा धारा १५३ को वर्तमान शकल में रखने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि किसी परिवार में ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। परिवार की परिभाषा देते हुए उसमें ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जिससे किसी को हकतलफी न हो। परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे यह सब परिवार की परिभाषा में रखे गये हैं, इस धारा के प्रयोजन के लिए और असल बात तो यह है कि जिस धारा ३९ में 'परिवार' की परिभाषा है वह बहुत लम्बी चौड़ी है और उसकी वजह से काफी लोग उसके अन्दर आ जाते हैं लेकिन इस परिवार में नाबालिग बच्चे और पति पत्नी यह लोग आते हैं। यह दुनिया का कायदा सदा से बना है और इसको नवाब साहब भी जानते हैं कि एक परिवार में जो जायदाद होती है उसका इन्तजाम परिवार की तरफ से होता है और सारा कुटुम्ब उससे फायदा उठाता है। इस धारा का मन्शा यह है कि अगर किसी परिवार के लिए ३० एकड़ रक्खा जाय तो उससे वह फायदा उठाता है और उससे अधिक जमीन उसके पास नहीं होनी चाहिए वरना डर यह है कि हर खान्दान के पास जरूरत से ज्यादा जमीन इकट्ठा हो जायगी जिसका होना जनहित के लिए, पब्लिक इन्टरेस्ट (सार्वजनिक हित) के लिए बिलकुल विरुद्ध बात है। इसी वजह से यह धारा रक्खी गई है और इसीलिए यह प्रतिबन्ध रक्खा गया है और नाबालिग का इन्तजाम करने वाले उसके माता या पिता ही होते हैं और होशियार और चतुर स्त्री तो किसी किसी के ही होती है कि जो इंतजाम कर सके और हर एक का तो ऐसा सौभाग्य होता ही नहीं। बाकी आम तौर से तो पति को ही करना पड़ता है और इस तरह से भी लोग मुश्तरकन फायदा उठाते हैं। इन कारणों से ही ऐसा रक्खा गया है। एक बात राजा साहब जगमनपुर ने कही और उसमें मुझे कुछ तत्त्व भी मालूम होता है लेकिन अगर राजा साहब गौर से सुनें तो उन्हों ने एक इतराज किया है कि बुन्देलखंड और जिलों और दूसरी कमिश्नरियों से भिन्न है और वहां बड़े बड़े मैदान पड़े हुए हैं और वहां हर एक के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है और अगर वहां ३० एकड़ से ज्यादा पर प्रतिबन्ध लागू होगा तो वहां के लोगों को बहुत हानि पहुंचेगी। जब मैंने सुना तो मुझे भी उनकी बात ठीक मालूम हुई और मुझे उनकी युक्ति में तत्त्व मालूम हुआ। मैंने सोचा कि कोई ऐसा प्रतिबन्ध है या नहीं तो मुझे धारा ३०६ (ख) मिली। मैं श्रीमान की आज्ञा से सदन के सामने इस धारा ३०६ (ख) को पढ़ना चाहता हूं। धारा ३०६ (ख) "इस विधान के किसी निदेश के अधीन निश्चित किये गये क्षेत्र को गणना के प्रयोजनों के लिये बुन्देलखंड तथा जमुना पार वाले इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिले के भाग में जो दो एकड़ है वह एक एकड़ के बराबर गिना जायगा।" इसका मतलब यह है कि यहां ३० एकड़ है तो बुन्देलखंड में ६० एकड़ होना चाहिए लिहाजा इस तरह वहां ३० की जगह ६० एकड़ पढ़ा जायगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि राजा साहब को सन्तोष हो गया होगा कि उनकी दिक्कत रफा हो जाती है। बुन्देलखंड के प्रति माननीय सदस्यों का हमेशा अधिक ध्यान रहता है इसलिए इसमें ऐसी

तजवीज की गई है कि वहां के लोगों को विशेष फायदा पहुचे और अगर फायदा न भी वहुचे तो कोई नुकसान भी न पहुंचे। लिहाजा मैं यह अर्ज भी करना चाहता हूं। लिहाजा मैं यह समझता हूं कि इस प्रतिबंध से भी कोई दिक्कत या रुकावट बुन्देलखंडियों के लिए पैदा नहीं होती। राजा साहब ने केवल यही युक्ति इस संशोधन की ताईद मे पेश की थी। इसके अतिरिक्त और कोई खूबी की बात उन्हें इस संशोधन मे नहीं दिखलाई पड़ी। इस लिये मैं आशा करता हूं कि राजा साहब भी इस संशोधन की मुखालिफ़त करेंगे और अपने मित्र नवाब साहब को सलाह देंगे कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १५३ की पंक्ति ३ मे "परिवार की" और उसी धारा मे स्पष्टीकरण के पूरे शब्द निकाल दिये जायं तथा भाषा को ठीक करने के लिये संशोधित धारा की तीसरी पंक्ति मे "उसके"के स्थान पर "उसकी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री देवराज रसूल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि संशोधित धारा १५३ की पंक्ति ३ के अंक "३०" के स्थान पर "१००"रख दिया जाय। जनाबवाला, मेरी इस तरमीम का मतलब यह है कि ३० एकड़ जमीन बहुत कम होती है। आजकल गवर्नमेंट भी मेकनाइज्ड फारमिंग (मशीनों द्वारा खेती) के जरिये से तरक्की करना चाहती है और भूमिधर बनने से भी बहुत फ्रैगमैंटेशन आफ होल्डिंग (जोतों के टुकड़े) होगी। अगर वाकई सरकार काश्तकारों की तरक्की करना चाहती है तो कम से कम जोतने के लिए १०० एकड़ जमीन तो जरूर होनी चाहिए। वरना अगर उससे कम है और उसको अख्तियार दिया जाय कि ३० एकड़ तक खरीद सकता है तो न मेकनाइज्ड तरीके से और न किसी और तरीके से अच्छी तरह काश्तकारी कर सकता है और न मुल्क की पैदावार को बढा सकता है। अगर आप अगराज और मकासिद मे देखे तो गवर्नमेंट ने उसमे बहुत सी बातें लिखी है और यह भी लिखा है कि हम जराअत की तरक्की के लिए काश्तकारों की बहबूदी के लिए जमींदारी खत्म करने का बिल लाये हैं। ठीक है, अगर आप लाये हैं तो देखना यह चाहिए कि इस वक्त वाकई कितनी भूमि से खेती हो सकती है। लोग कहते हैं कि मैकेनाइज्ड फ़ार्मिंग के लिए कम से कम ५०० एकड जमीन हो, लेकिन मैंने हल और बल से खेती होने की वजह से ३० एकड की बजाय १०० एकड़ ही रखा है। यह एक रीजनेबुल (युक्तियुक्त) चीज है जिसको गवर्नमेंट को मानना चाहिए, क्योंकि अगर इससे भी कम जमीन होगी तो फिर देश की तरक्की कैसे होगी? हमको अपने मुल्क को अमरीका, आस्ट्रेलिया और और बडे मुल्कों के बराबर लाना है। ऐसा करने के लिए वहां की फार्मिंग (खेती) को भी तो देखिये कितने बड़े पैमाने पर फार्मिंग हो रही है। अगर आप इतनी बड़ी फार्मिंग न करेंगे तो मुल्क की आप किस सूरत से तरक्की करेंगे? इसके अलावा आप के यहां ला आफ़ सक्सेशन (उत्तराधिकार कानून) मौजूद है। एक शख्स को तो जमीन मिल नहीं सकती है। अगर उसके लड़के होंगे तो उनमें वह तकसीम हो जायगी। । अगर किसी के पास एक बिस्वा जमीन है और उसने दस गुना जमा कर दिया और मालिक हो गया, तो उसके मरने के बाद उसकी औलाद मे वह जमीन तकसीम होगी और उसके बाद वह ३० एकड़ तक खरीद सकते हैं। तो इन तमाम वजहों से मैंने यह रक्खा है कि १०० एकड तक खरीदने का आप मौका दें। मिनिस्टर साहब खुद भी समझते हैं वह ऐग्रीकल्चरिस्ट (कृषिज्ञ) हैं। उनके भी मेरे ख्याल में फार्म हैं, कि जो मैं कहता हूं कि वह ठीक है। हमारे मिनिस्टर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बैठे हैं। वह भी बहुत बड़े जमींदार हैं मेरे खयाल में ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स (कृषि आय-कर) भी देते हैं उनके भी फार्म हैं। वह भी इस बात में हमारे हम नवां होंगे कि १०० एकड़ से कम में काम चल नहीं सकता है। लिहाजा इन सब बातों पर गौर करते हुए मैंने इस बात का अमेंडमेंट रक्खा है। आप इस अमेंडमेंट को मंजूर करें ताकि वाकई जराअत की तरक्की हो सके। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब और मौर्य जी, जो कि बहुत बड़े काश्तकार हैं, हमारे उस अमेंडमेंट को मंजूर करेंगे। तीस एकड़ तो बहुत ही अनएकोनामिक होल्डिंग है। उसको एकोनामिक कहा ही जा सकता है, लेकिन वाकई है नहीं क्योंकि इस मे

श्री [illegible]

[illegible] अच्छी तरह से बयान आकात नहीं कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि [illegible] मंत्री जी इस [illegible] को [illegible] फरमायेंगे।

श्री [illegible] : —श्रीमान अध्यक्ष महोदय ! अगर इस संशोधन [illegible] कोई ऐसी हिम्मत करते कि हिन्दुस्तान को या इस उत्तर प्रदेश [illegible] १०० एकड़ जमीन मिल जाती तो मैं बड़ी खुशी से उनके इस [illegible] हमारे इस उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि कितने ही किसान के [illegible] हैं कि वे खेतों में काम करने वाले [illegible] रखने वाले हैं। [illegible] होतिहर की जाती है। उनका [illegible] यह जो १०० एकड़ का [illegible] उपस्थित [illegible] ३० एकड़ के मुकाबले में अधिक फायदा देने वाला नहीं है। ३० एकड़ [illegible] कि उनका उचित बंदोबस्त होने पर उस जमीन से [illegible] पूरे की जरूरत का [illegible] तक ३० एकड़ [illegible] अधिक [illegible] करने के लिए [illegible] ज्यादा होने से तो इस बात का अंदेशा है कि जमीन [illegible] इससे तो उपज बजाय बढ़ने के घटेगी। हमारे बुजुर्ग [illegible] बड़े-बड़े [illegible] (जोत) [illegible] बीघा जमीन है लेकिन उनकी उपज क्या है ? [illegible] तो [illegible] २०,३० एकड़ [illegible] वाले हैं उनके पास इतनी जमीन होनी चाहिए [illegible] १०० एकड़ [illegible] देने का मतलब यह होगा कि बड़े-बड़े [illegible] जब कि वे खुद उसमें खेती [illegible] जमीन से महरूम रह जावेंगे। [illegible] उससे अधिक से अधिक जमीन [illegible] कर फिर बड़े-बड़े [illegible] न हो लेकिन उनको मजा हो जाय कि वे फिर बड़े जमींदार हैं। हमारे प्रदेश की [illegible] हालत को देखते हुए किसी को यह मौका नहीं होना चाहिए कि वह बहुत ज्यादा जमीन खरीद कर उसका मालिक बन जाय। असलियत तो यह है कि [illegible] वही उसके मालिक होंगे। ऐजाज रसूल [illegible] यह चाहते हैं कि अमरीका, इंग्लैंड [illegible] तरह से ज्यादा से ज्यादा यानी १००, २०० या ४०० एकड़ जमीन पर मकेनाइज्ड फार्मिंग (मशीनों द्वारा खेती) करें। इतनी ज्यादा जमीन को एक ही आदमी के दे देने का यह मतलब होगा कि और लोगों को जमीन से महरूम रखा जावेगा। छोटे लोग जिनको वाकई खेती करना है वे बड़े लोगों के मुकाबले में जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अमरीका या रूस का जो उनके दिमाग में नक्शा है वहां तो जमीन फाजिल है और वहां ज्यादातर लोग इंडस्ट्री (उद्योग) में लगे हैं। हमारे मुल्क में तो खेती करने वालों की संख्या अधिक है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखना है कि जितनी हमारे पास जमीन है उसमें उन सब लोगों का गुजर हो जाय जो खेती करते हैं। यह सोचना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा जमीन अपने कब्जे में रखें और बाकी किसान भूखों मरें, इससे तो हमारे देश की समस्या हल नहीं होती। हमारे देश का तो मुख्य हल यही है कि जो किसान अपने हल-बैल से खेती करता है उसके पास इतने खेत हों कि वह अपने परिवार का ठीक गुजर कर सके। अभी-अभी इस भवन ने एक संशोधन स्वीकार किया है कि परिवार की रूप-रेखा क्या हो ? इस तरह परिवार छोटा सा बन जाता है और उस परिवार के लिये ३० एकड़ जमीन बहुत काफी है। हमको अपने देश में इस बात को भूल जाना चाहिये कि हमें मेकेनाइज्ड तरीके पर खेती करना है हमें मवेशियों की भी फिक्र होनी चाहिये क्योंकि खाद मवेशियों से बनती है। हमारा

देश पशु प्रधान देश है और यहां बैलों की तादाद भी ज्यादा है। हमारे किसान बैलों से खेती करते हैं और उन बैलों की खाद से खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगर यहां ठिकाने से खेती की जाय तो किसान अधिक से अधिक गल्ला पैदा कर सकता है लेकिन हमारे ऐजाज रसूल साहब तो हजारों एकड़ की मेकेनाइज्ड फार्मिंग का नक़शा देख रहे हैं जिस नक़शे में उन्हें बैलों की जरूरत नहीं पड़ेगी और शायद खाद भी जो मेकेनाइज्ड तरीके पर तैयार की जाय उसी से वह अपने खेतों की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश में बैलों की खाद सब से ज्यादा ताकतवर समझी गयी है और अगर लोग गोबर की जगह लकड़ी को जलाने के काम में लाने लगें तो हमारे देश का काफी फायदा हो। यह सभी को मालूम है कि गोबर की खाद से जमीन की ताक़त बहुत बढ़ जाती है। पढ़ने से यह मालूम हुआ है कि कृष्ण जी के जमाने में भी बैलों की खाद को बड़ा महत्व दिया जाता था। गोबर धन की पूजा की जाती थी। किसानों के लिये गोबर धन है, इसलिये उसकी पूजा की जाती थी। गोबर नष्ट न हो और वह खेतों में डाला जाय, यह आन्दोलन कृष्ण जी ने चलाया था। इसी तरह बलराम जी का अस्त्र हल था यानी हल से खेत जोता जाय और खाद को सुरक्षित रखा जाय। खेतों में डालने के लिये उस आन्दोलन को अब हमें चलाना है कि गोबर नष्ट न हो, हमारे खेतों की पैदावार बढ़े और हमारे बैल ताक़तवर हों, हमारी गायें अधिक दूध देने वाली हों, हमारे मुल्क में दरख्तों की तादाद ज्यादा हो, खूब फल हों, दूध हो और गल्ला अधिक हो और इन सब चीजों का हम एक संयक्त संमिश्रण चाहते हैं। हमारे ऐजाज रसूल साहब हमको रूस और अमेरिका की तरफ खींचना चाहते हैं कि यहां मेकेनाइज्ड फार्मिंग बड़े पैमाने पर हो। वास्तव में अगर देखा जाय तो जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि बैलों से एक महदूद फार्मिंग करने से देश का फायदा है और हमारे किसान उसके ज्यादा आदी भी हैं। हमारे लिये मेकेनाइज्ड फार्मिंग पर ज्यादा जोर देना मुनासिब नहीं है इसलिये ३० एकड का रकबा एक परिवार के लिये काफी उचित है। हमें तो हर किसान को खुशहाल बनाना है। हम यह नहीं चाहते कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग करके एक आदमी लख-पति हो जाय और एक बेचारा भूखों मरता रहे उसके पास गल्ला पैदा करने का कोई साधन न हो और वह या तो मोहताज बना रहे या मजबूर हो करके बड़े-बड़े लोगों के मेकेनाइज्ड फार्म में मजदूर बन कर रहे। इसलिये मुनासिब यही मालूम होता है कि एक किसान के पास इतनी काफी जमीन हो कि वह अच्छी तरह से अपनी और अपने बाल बच्चों की गुजर कर सके और हर किसान को ऐसी सुविधा मिल सके। इसीलिये यह धारा रखी गई है कि ३० एकड़ से ज्यादा कोई खरीद न सके और मंशा यह है कि हर किसान को काफी जमीन खरीदने का मौका मिल सके। आप चाहते हैं कि ३० के बजाय १०० एकड़ कर दिया जाय। इससे तो आप उस मंशा को खत्म कर देते हैं कि हर किसान के पास जमीन खरीदने का मौका हो। आपने अपने भाषण में तो किसानों के लिये, गरीबों के लिये, सोशलिस्टों के लिये और शोषितों के लिये हमदर्दी दिखलाई है तो अब आप वास्तविक हमदर्दी उन गरीब किसानों के साथ दिखलाइये जो अपने हाथ से हल बैल चलाते हैं और गल्ला पैदा करते हैं। मेकेनाइज्ड फार्मिंग तो आप के लिये है और अमीरों और पैसे वालों के लिये है जो कि मशीन और ट्रेक्टर्स मंगा सकते हैं, मगर जिनके पास जमीन नहीं है उनको तो मौका दीजिये कि वह जमीन खरीद सकें। अभी मेरे पास यह इत्तिला आई है कि जिनके पास जमीनें हैं वह उनको बेचना शुरू कर रहे हैं। रायबरेली में जमींदार साहबान अपनी जमीनें फरोख्त कर रहे हैं और करेंगे। उनको तो अब काश्त करने में दिक्कत पैदा होगी क्योंकि जिस तरीके पर पहले जमीन काश्त होती थी उस तरीके पर तो अब होगी नहीं। न सबलेटिंग (शिकमी पर देना) होगा, न तो अधिया पर कोई जमीन जुतायेगा। तो वह समझते हैं कि इन जमीनों को रखना बेकार है। जिनके पास जमीनें हैं वह तो बेच रहे हैं और आप कहते हैं कि १०० एकड़ तक खरीदने का मौका दिया जाय। यह मेरी दानिश्त में गलत सुझाव है और संशोधन अस्वीकार होना चाहिये। यह मानने के काबिल नहीं है। ३० एकड़ मुनासिब रक़बा रखा गया है।

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

उससे देश और सूबे का फायदा होगा और गल्ला भी उससे ज्यादा पैदा होगा। १०० एकड़ से न तो देश का भला होगा न गल्ला ही अधिक पैदा हो सकेगा। इसलिये ३० एकड़ का ही रखना सबसे ज्यादा मुनासिब है और मैं आपके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री ऐजाज रसूल ने पेश किया है मैं उसकी सख्त मुखालिफत करता हूं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि गवर्नमेंट जितनी ही ज्यादा रियायत जमींदारों के साथ करती जाती है उतनी ही उनकी भूख बजाय कम होने के और भी बढ़ती जाती है। हमने, जबसे इस बिल पर बहस शुरू हुई बराबर इस बात पर जोर दिया कि वास्तव में ३० एकड़ से ज्यादा जमीन का रखना किसी के पास नहीं होना चाहिये और भविष्य के लिये जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) इस प्रकार से होना चाहिये कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं पहले उनके पास भी होनी चाहिये। लेकिन, इस तरीके को हुकूमत ने पसन्द नहीं किया और मौजूदा ऐक्ट में जिनके पास हजारों बीघा जमीन है उनपर प्रतिबन्ध नहीं लगाया, लेकिन यह खुशी मुझे जरूर हुई कि भविष्य के लिये एक सही रोक-थाम उन्होंने की। पर बहुत से जमींदार भाइयों को उससे भी सन्तोष नहीं हुआ और अब वह इस बात की कोशिश में हैं कि ऐसी जरूरी बातों को गवर्नमेंट के सामने मोटे शब्दों में पेश करें ताकि कांग्रेस गवर्नमेंट को उनके ऊपर तरस आ जाय और ३० एकड़ के बजाय उनकी १०० एकड़ की बात को वह मंजूर करले। और सबसे मजे की बात यह है कि दलील पेश करते हुये उन्होंने यह नहीं कहा कि इस संशोधन के मंजूर हो जाने से इस प्रान्त के बड़े-बड़े जमींदारों का फायदा है, बल्कि वह देश की चिन्ता में घुले जा रहे हैं। आपने कहा है कि देश का इससे बड़ा फायदा होगा। जमींदार यह समझते हैं कि जिस चीज में उनका फायदा है बस मुल्क का फायदा भी उसी चीज में है। सही वाकया यह है कि आप के हाथ से जमींदारी जा रही है तो आप अब यह महसूस कर रहे हैं कि चलते-चलाते जितनी भी घसीट पके घसीट लेनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट आप के इस संशोधन को मान ले तो मुल्क का तो कोई फायदा होगा नहीं, हां चन्द बड़े-बड़े जमींदार जो इस हाउस में बैठे हैं या आपके जो नाते रिश्तेदार इस हाउस के बाहर होंगे जबकि गवर्नमेंट ने सरे बाजार जमीन बेचने के लिये खोल दी है वही सौ एकड़ अपने पास जमीन रख कर इससे फायदा उठा सकेंगे। आपके दिमाग में अब भी यह नकशा है कि इस कानून के पास होने के बाद सौ एकड़ जमीन रखने वाले उस मौके पर बड़े-बड़े जमींदार होंगे जहां ऐसे किसान होंगे जिनके पास एक, दो बीघा जमीन होगी। आप यह स्वप्न देख रहे हैं कि हमारे पास सौ एकड़ जमीन रहे। मेरा अपना पूरा विश्वास है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ अपना रवैया शुरू से ऐसा दिखाया होता जिससे उनको यह मालूम होता कि जमींदारी भी जा रही है मुआवजा भी नहीं मिलता है गवर्नमेंट उनके साथ बहुत सख्त है तो मैं आप को यह यकीन दिलाता हूं कि ये बहुत नरमी से पेश आते। कोई ऐसी मांग न पेश करते जो नाजायज होती या जिस को पेश करने में शर्म आती। लेकिन आज ऐसी हालत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तव में इस संशोधन की जितनी निन्दा की जाय और जितनी ही ज्यादा बहस की जाय उतना ही अच्छा है ताकि जमींदारों को जो सुबह से शाम तक खड़े होकर प्रचार करते हैं, कि हम मुआविजे का एक पैसा नहीं लेंगे, हम फलां चीज छोड़ने को तैयार हैं, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इस संशोधन को पेश किया, जिससे उनकी असली हालत का पता चलता है। वे चाहते हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनके पास से जमीनें लेकर उनको दी जायं, और सौ एकड़ रखने की इजाजत दी जाय। आप यह गनीमत समझिये कि समझौते के रूप से स्वराज मिला और वह भी कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी हुई है। इसीलिये आप ऐसे संशोधन पेश कर रहे हैं कि कभी मुआविजा और कभी जमीन ज्यादा मांगते हैं। दुनिया की हालत और

[illegible] देखिये और उसको देखते हुये अपने भाग्य को सराहिये। जो कुछ कांग्रेस गवर्नमेंट के रही है वह बहुत [illegible] समझता हूँ कि यह [illegible] देश में [illegible] और चीन में भी जिनकी जमीन छीनी गई अर्थात् जिन्हें [illegible] देश भक्त जमींदारों को भले ही कुछ दिया गया हो। देशभक्त [illegible] मुक्त नहीं किया गया। हां कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह बड़ी [illegible]

[illegible]

श्री सज्जिद हुसैन--माननीय अध्यक्ष महोदय इस बिल [illegible] मसलन यह है कि कुटुम्ब या खानदान के [illegible] ३० एकड़ [illegible] भी यह कहना चाहिये कि आपने मुल्क के लिये आरक्षतकारों के [illegible] के लिये यह [illegible] एकड़ की लिमिट (सीमा) मुनासिब है [illegible] लिमिट रखने के माने यह हो सकते हैं कि मैनेजमेंट इकट्ठा होगा, खाते अलहिदा होंगे [illegible] मैनेजमेंट इकट्ठा होगा तो मैनेजमेंट के मातहत सौ एकड़ जमीन ज्यादा मुनासिब होगी [illegible] एक [illegible] ने यह फरमाया कि ये लोग जिनका इस संशोधन से ताल्लुक है [illegible] और मेकनाइज्ड फार्मिंग (मशीनों द्वारा खेती) कैसे करेंगे लिहाजा यहां [illegible] (अधिकतम) रखा गया है वह ज्यादा मुनासिब है। मैं उनकी इत्तिला के लिये यह कहना चाहता हूँ कि मेरे यहां ऐसे काश्तकार हैं जो हल-बैल से तीन सौ एकड़ जमीन तक का इन्तिजाम करते हैं और निहायत मालदार हैं और अच्छी हालत में हैं। यह उनका ख्याल गलत है कि तीस एकड़ से ज्यादा हल-बैल के जरिये से नहीं हो सकता। यह मेरे ख्याल में उनकी जाती तजुर्बा नहीं है इसलिये उन्होंने ऐसा कहा। अब सवाल यह है कि मुल्क के लिये क्या मुफीद होगा। मेरा ख्याल यह है कि ज्यादा गल्ला वही लोग दे सकते हैं जो ज्यादा बड़े फार्म रखते हैं। बड़े का मतलब यह है कि वह शख्स जो छोटी सी खेती करता है [illegible] शहरों की आबादी के लिये दे सकता है। [illegible] ऐसे लोग जो बड़े फार्म रखते हैं [illegible] जिनके बड़े खेत हैं वे जरूर ऐसे हैं जो अपनी जरूरत के अलावा शहर वालों का पेट भरने के लिये भी गल्ला दे सकते हैं। जब का यह सवाल नहीं है सिर्फ आसानी का सवाल है तो आसानी उन लोगों को होती है जिनके बड़े-बड़े फार्म्स होते हैं और उनमें ज्यादा बड़े काश्तकार हैं कि अपना पेट भरने के बाद जो गल्ला बचता है उसे मारकेट (बाजार) में भेज सकते हैं वहां वह बिकता है और शहरों में पहुंचता है। अब यह कहा जाय कि यह न होना चाहिये सिर्फ ३० एकड़ ही रखना चाहिये तो यह जब कि इंडस्ट्रीज (उद्योग) मुल्क में नहीं है यह मेरे ख्याल में काश्तकारों का डिसकरेज (हतोत्साह) करना होगा। मैं तो कहता हूँ कि सौ एकड़ भी कोई ज्यादा नहीं है। मेकेनाइज्ड फार्मिंग के लिये कम से कम ढाई तीन सौ एकड़ होना चाहिये लेकिन जो ३० एकड़ का मक्सिमम रखा गया है वह बहुत मुनासिब है। इससे ज्यादा वह बढ़ नहीं सकते। जहां देखिये लोग जमींदारों का जिक्र कर देते हैं। अब तो साहब सब जमींदार भूमिधर बन गये। जिनके पास एक एकड़ है या १० हजार एकड़ है सब भूमिधर हो जायंगे लेकिन आइंदा जो लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे उनके लिये मक्सिमम रखना चाहिये और ऐसा रखना चाहिये कि उनकी दिलचस्पी बराबर काम करे। बहुत से गांवों में लोग ऐसे हैं, कि जिनके लड़के पढ़-लिख कर ग्रेजुयेट हो गये हैं। अब उनकी दिलचस्पी है कि वह (सांइटिफिक) वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो अब उनको क्या स्कोप (कार्यक्षेत्र) देते हैं यानी वे लोग ऐसे हैं जो अक्सर अच्छे कपड़े पहिनते हैं खाने के शौकीन हैं तो अगर उनके लिये ३० एकड़ मैक्जिमम रख दिया जाय तो वह इंटेलीजेंशिया (बुद्धिमानों का वर्ग) जो देहातों में आ रही है उसके लिये दरवाजा बन्द कर देंगे। हां अगर आपने १०० एकड़ रखा तो कम से कम वह ऐसी लिमिट (सीमा) होगी कि वह काम कर

[श्री साजिद हुसैन]

सकेंगे और आफिस में क्लर्क होने के बजाय वहां वह जा सकेंगे, वहां उनका गुजारा हो जायेगा और आसानी से वहां रह सकेंगे। ऐसी सूरत में आप इस चीज पर गौर करें। आपने एक ऐसी लिमिट मुकर्रर कर दी है जिसे कि वह कहेंगे कि हम क्या करेंगे खेती की तरक्की भी क्या कर सकेंगे और हमारे लिये तो दरवाजा ही बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। एक इंटेलीजेंट (बुद्धिमान) आदमी के लिये काश्तकारी में आइन्दा कोई जगह ही नहीं रहेगी। यह बिल्कुल टेकनिकल (परिभाषिक) चीज है कि पार्टी पालिटिक्स (दलगत राजनीति) का इसमें कोई सवाल नहीं है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट (कृषि विशेषज्ञ) के डिसाइड (निर्णय) करने की चीज है कि टोटल (कुल) खानदान भर के जो टोटल खाते हों वह आया ३० एकड़ हों या १०० एकड़ हों कौन चीज कहां तक मुनासिब है। मेरी राय है कि आप और मुल्कों की तरफ भी तवज्जह करें जैसा कि अभी कनाडा और आस्ट्रेलिया की मिसाल दी गई। कनाडा और आस्ट्रेलिया का जिक्र कर देना कोई हमारे लिये बुराई नहीं है कोई इसमें गुनाह नहीं है कि हम क्यों न उनकी नकल करें यह कोई गुनाह नहीं है यह कोई गाली नहीं है अगर हम यह कहें कि उनके यहां कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसको हम भी अपने यहां करें। यह कह देना कि चूंकि कनाडा में होता है चूंकि आस्ट्रेलिया में होता है इसलिये हमारे यहां नहीं हो सकता मुनासिब बात नहीं है। मैं खूब समझता हूं कि यहां लैंड (भूमि) के ऊपर काफी प्रेसर (बोझ) है लेकिन इसके यह माने यह नहीं है कि चूंकि लैंड पर ज्यादा प्रेसर है इसलिये आधा आधा एकड़ या दो-दो गज जमीन तकसीम करदी जाय इसका नतीजा यह होगा कि जितनी होल्डिंग्स (जोतें) हैं सब अनएकनामिक (अलाभकर) हो जायंगी और आप यकीन मानिये इससे सूबे का, मुल्क का, स्टेट का नुकसान होगा न देहात के रहने वालों का पेट भरेगा और न दूसरों का पेट भरेगा। अगर ज्यादा प्रेसर जमीन पर है तो उसका यह इलाज नहीं है कि बहुत छोटे-छोटे खेत बना दें। मैं समझता हूं कि हल-बैल से खेती करने के लिये १०० एकड़ एक सही लिमिट है और अगर १०० एकड़ एक मैनेजमेंट में रखा जाय तो ठीक होगा। देहातों में ज्यादा आबादी होने का जो आप जिक्र करते हैं उसका यह इलाज नहीं है कि हर टुकड़े को अनएकनामिक बना दें। या तो आप बर्थ कंट्रोल (सन्तति निरोध) कीजिये और अगर उसे नहीं कर सकते हैं तो उसका तरीका यह है कि उनको काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योग) या और दूसरे जो आमदनी के जरिये हैं रोजी के जरिये की तरफ लगा दीजिये। देहातों से शहरों में आबादी को शिफ्ट कीजिये या देहातों में ही काटेज इंडस्ट्रीज इस्टेबलिश (स्थापित) कीजिये। ऐसी सूरत में अगर आप देखें तो यह निहायत नामुनासिब होगा कि मैक्सिमम अधिकतम परिमाण को कम कर दें। मैक्सिमम को कम करने के माने यह हैं कि नये काश्तकारों या होने वाले काश्तकारों के जो ऐम्बिशस (इरादे) हो सकते हैं उनके ऊपर आप पानी डाल देंगे और उनको आप उठने नहीं देंगे और काश्तकारी को आप वही मामूली सी चीज बना देंगे। मैं चाहता हूं कि काश्तकारी को एक आलातरीन और फर्स्ट क्लास पेशा बनाइये। इसमें इंटेलीजेंट लोग हों। एग्रीकल्चर कालेज के लोग आयें, कुछ नये आइडियाज (विचार) के लोग हों और कुछ पुराने आइडियाज के और सब मिलकर काश्त की तरक्की करें। अगर आपने कम कर दिया तो वह लोग खयाल भी नहीं कर सकेंगे और वह मजबूर हो जायेंगे नौकरी ढूंढने को और दुकान करने के लिये और खेती की तरक्की बिल्कुल खत्म हो जायेगी।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र नवाब ऐजाज रसूल साहब ने अपनी तरमीम के जरिए से इस बात की ख्वाहिश की है कि धारा १५३ में ३० एकड़ की जो हद है वह १०० एकड़ रख दी जाये। इससे मतलब यह है कि अगर किसी के पास १०० एकड़ से अधिक आराजी हो या १०० एकड़ हो तो वह भूमिधरी राइट

(अधिकार) नहीं खरीद सकता या १०० से जितनी कम हो उस हद तक खरीद सके। ३० एकड़ की हद खास कर जो इस विधेयक में रखी गयी है वह किसी उसूल पर बनी है। आर्बीट्रेरी (आज्ञप्त) ३० की तादाद नहीं रक्खी गयी है। हमारे नवाब साहब ने १०० एकड़ किस उसूल पर रखा वह तो कोई बात नहीं बतलाई। जैसे बड़े आदमियों की धांधली होती है लिहाजा १०० एकड़ रख दिया। बड़े आदमी कहां तक कम कहें और छोटे आदमी कहां तक ज्यादा कह सकते हैं? जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं और उन बुनियादी बातों के उसूल पर ३० एकड़ की तादाद रक्खी गयी है। तीन तरह की होल्डिंग्स (जोत) होती हैं। एक तो बेसिक, (आधारभूत) दूसरी एकनामिक (लाभकर) और तीसरी आप्टिमम (अधिकतम लाभकर)। बेसिक होल्डिंग में इस विधेयक में सवा छः एकड़ जमीन मानी गयी, एकनामिक होल्डिंग १० एकड़ की और ऐग्रेरियन (कृषिविषयक) कमेटी की रिपोर्ट यह है कि आप्टिमम होल्डिंग एकनामिक होल्डिंग से तीन गुने से ज्यादा न होनी चाहिए। इस आधार पर आप्टिमम होल्डिंग ३० एकड़ होती है। लिहाजा आप्टिमम होल्डिंग ३० एकड़ रक्खी गयी है ताकि उससे ज्यादा कोई एक्वायर (प्राप्त) न कर सके। लिहाजा यह बुनियादी बात है जिससे ३० एकड़ रक्खा गया है। उन्होंने किस आधार पर १०० एकड़ रखा है? मेरी समझ में यह संशोधन उसूल से कोई ताल्लुक नहीं रखता लिहाजा इसको क्यों मंजूर किया जाए? अगर न चाहूं भी तब भी मेरे रास्ते में रुकावट है। इसके साथ साथ हमारे नवाब साहब और सभी माननीय सदस्य इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे सूबे में लैंडलेस लेबरर (भूमि रहित श्रमिक) की तादाद ४० लाख के करीब है। इस वक्त मैं इन्जैक्ट फीगर (ठीक आंकड़े) बतलाने से मजबूर हूं। इस तरह की आवाज उधर से भी और सदन के इस तरफ से भी कई बार आ चुकी है कि इस विधेयक में लैंडलेस लेबरर का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, वह होना चाहिए, वाकई होना चाहिए। अगर नवाब साहब की तरमीम मान ली जाती है और १०० एकड़ मेक्सीमम (अधिकतम) फिक्स (निश्चित) कर दिया जाता है तो नतीजा क्या होगा? जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिनके पास रुपया है उनके लिए आसानी होगी कि वह १०० एकड़ जमीन खरीद कर अपने कब्जे में कर लें। काफी लोग ऐसे हैं जो १०० एकड़ तक जमीन खरीद लेंगे और उसमें नानऐग्रीकल्चरिस्ट्स (खेती न करने वाले) भी हैं, वे भी १०० एकड़ तक खरीद लेंगे। उनके रास्ते में कोई रुकावट न होगी। सौ-सौ एकड़ के खाते अगर बना दिये जायं तो हमारे सूबे का कुल रकबा तो करीब ६ करोड़ एकड़ है, फिर जमीन कहां से आयेगी कि हम लैंडलेस को भी कुछ जमीन प्रोवाइड कर (दे) सकें। उनको भी हम कुछ न कुछ देना चाहते हैं। अगर हम उनकी जरूरियात को पूरे तौर से रफा नहीं कर सकते, तो भी अगर हम कुछ हद तक कर दें तो हमारे, आप सब के लिये एक सन्तोष की बात होगी। लिहाजा ऐसी बात कर देना कि ३० के बजाय १०० एकड़ लिमिट (सीमा) कर दिया जाय, इसके साफ माने यह होंगे कि कोई जमीन बाकी न छोड़ें जिससे कि हम लैंडलेस क्लास को देकर उनके जीवन का भी ठीक तौर से इन्तजाम कर सकें। फिर अगर यहां पर १०० एकड़ की होल्डिंग होती है तो बुन्देलखण्ड में २०० एकड़ की होल्डिंग होगी। इस तरह से २०० एकड़ की होल्डिंग बहुत बड़ी होल्डिंग होती है। और इस हिसाब से जमीन का बटवारा करने से बहुत कम आदमियों को जमीन मिल सकती है और बहुत कम आदमियों को जमीन पर काम करने का अवकाश मिल सकता है। ऐसी सूरत में यहां यह तादाद हर सूरत में हर तरह से नामुनासिब और अनुचित मालूम होती है। लिहाजा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ३० एकड़ की जो तादाद रखी गयी है वह ठीक और उचित है और एक उसूल पर मबनी है लिहाजा उसे टच करना (छूना) किसी तरह से भी मुनासिब नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं अपने मित्र नवाब साहब से फिर दरख्वास्त करता हूं और मैं तो बराबर दरख्वास्त करता जाऊंगा चाहे वह कबूल हो या न हो लेकिन मुझे यकीन कामिल है कि एक वक्त जरूर आवेगा जब मेरी बात क़बूल की जावेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह बराये मेहरबानी इस तरमीम को वापस ले लें और ३० की जो फीगर (अंक) है उसे बदस्तूर क़ायम रखा जाय ताकि जो इस विधेयक की स्कीम है उसमें किसी क़िस्म का खलल न पड़े और जिस उसूल से यह

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

विधेयक में रखा गया है उस उसूल को किसी तरह से धक्का न पहुंचाया जाय। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री बेजाज रसूल--जनाबवाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब, शास्त्री जी और मौर्य जी की तकरीरें सुनीं। शास्त्री जी का अपोजीशन (विरोध) तो मुझे ताज्जुबखेज मालूम हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी का तो यही उसूल रहा है कि २० एकड़ जमीन लैंडलेस को मिलनी चाहिये और हर एक इन्सान को कम से कम २० एकड़ जमीन मिलनी चाहिये और वह एक नाम होल्डिंग हो। इलेक्शन में जब मैं नैनीताल में था तो डाक्टर राम मनोहर लोहिया जो उनके बड़े लीडर हैं वहां तशरीफ लाये थे। तो वहां पर उन्होंने तकरीर की थी कि हम काश्तकारों को सौ-सौ एकड़ जमीन दिलवायेंगे। पहले तो उन्होंने १०० एकड़ जमीन की ही बात कही लेकिन आखिर में २० एकड़ पर आ गये। तो मैं भी तो यही चाह रहा हूं कि अगर कोई काश्तकार अपनी जमीन बेचे तो दूसरा काश्तकार १०० एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। यही मेरे अमेंडमेंट (संशोधन) का मतलब है। अब आप देखें कि इस वक्त शास्त्री जी ने जमींदारों की सीलिंग के ऊपर एतराज किया और कहा कि बड़े-बड़े जमींदार ऐसा कर सकते हैं। बड़े जमींदारों को अगर इन्तजाम करना था तो वे कर चुके, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इस ऐक्ट के अन्दर प्रोवाइड कर दिया है जिसका न मैंने और न हमारी पार्टी ने अपोजीशन किया कि इस वक्त जितनी जमीन जिसके पास है खाह वह काश्तकार हो या जमींदार हो, अगर वह उसे जोतता है तो जोतता रहेगा। तो आप यह देखें कि उसका नतीजा क्या होगा। कितने ऐसे हैं जिनके पास हजारों बीघे जमीन है? मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता इस हाउस के अन्दर और इस हाउस के बाहर भी हैं, अपर चेम्बर (काउंसिल) और लोअर चेम्बर (असेम्बली) में भी हैं जिनके पास पांच-पांच सौ और हजार-हजार बीघे तक जमीन है। और अगर आप देखें तो मालूम होगा कि हमारे सोशलिस्ट नेता जो हैं वह ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। आज जब मैं काश्तकारों की हैसियत बढ़ाना चाहता हूं कि अगर कोई काश्तकार खरीदना चाहे तो उस पर एतराज किया जाता है। आप देखें कि एक एकड़ में कितनी पैदावार होती है। एक पक्के बीघे में औसतन पैदावार ८ मन है और एक एकड़ में करीब १५ मन पैदावार हुई अगर ढाई सेर के हिसाब से गेहूं बिकता है तो अब आप हिसाब लगा लीजिये कि एक काश्तकार की सालाना आमदनी ३५, ३६, ३७ रुपया जाकर पड़ती है और हमारे राजाराम शास्त्री जी कहते हैं कि मिलों के अन्दर जो मजदूर काम करते हैं उनकी आमदनी १२० रुपया होना चाहिये। आप देखें कि कानपुर में एक भंगी की माहवार आमदनी १२० रुपया है तो उसकी सालाना आमदनी कुल १,५००, १,६०० रुपया जाकर पड़ती है। एक काश्तकार की आमदनी ३४, ३५ रुपया जाकर पड़ती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अगर इस तरह से लोग लैंडलेस लेबरर (भूमिरहित श्रमिक) तरक्की कर सकते हैं तो क्या वजह है कि जरात पेशा लोग तरक्की न करें। हमारे इलाके में इस तरह के काश्तकार हैं कि जिनके पास १०० बीघा, ५० बीघा और २० बीघा है। आप क्यों उस पर रिस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) लगाते हैं। अभी ठाकुर साहब को लैंडलेस की बात याद आगई तो उनकी बाबत कह दिया और कहा कि सब जमीन लेकर उनको तकसीम कर दी जाय। हां अगर आप जमींदार नहीं होते तो सब जमींदारों के हिस्से की जमीन लेकर बराबर से तकसीम कर देते। आप कहते हैं कि इस वक्त जिसके पास जितनी जमीन है वह उसी पर अपना काम करता रहे और किसी तरह से वह ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। हमारे मौर्य साहब ने रूस की मिसाल दी। वहां पर कलेक्टिव फार्मिंग (सामूहिक खेती) है तो उसके बाद जो जमीन उसके पास बच रहती है उसके लिये उसको अख्तियार है कि वह अपनी जमीन को जोत सकता है। आप अगर रूस की मिसाल लेकर चलना चाहते हैं तो इसी तरह से अपने यहां का इन्तजाम फरमाइये। वहां पर जो गवर्नमेंट है वह सब उनके बच्चों का एजुकेशन (शिक्षा) और उनकी देख-रेख और सब तरह की तालीम का इन्तजाम करती है। वही आपको भी करना चाहिये और उनके नक्शेक़दम पर चलना चाहते हैं। मगर आप तो कैपिटिलिस्ट क्लास (पूंजीपति वर्ग) जो ज्वाइन करना (सम्मिलित

होता) चाहते हैं और इसी वजह से आपने कोरिया के बारे में कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म कर दिया है। रूस में जो वहां की सल्तनत है वह हर तरह से उनके लिये जिम्मेदार है। अगर वही सब बातें यहां पर भी हम लोगों के लिये प्रोवाइड (प्रबन्ध) कर दी जायें तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं है कि आप यह करें वह करें। अगर यहां पर हमारे मुल्क में वही इक्वालिटी (साम्य) कायम कर दी जाय तो जिस तरह से यहां पर फार्मिंग (खेती) है वह उसी तरह से कायम रह जायगी। इसी वजह से मैंने यह रखा है कि १०० बीघा तक कोई किसी तरह से हदूद न मुकर्रर की जाय इसलिये कि उसमें एक आदमी कम से कम डिसेन्ट (सुन्दर) तरीके से रह सकता है। अगर शहर के मजदूर मिल के मजदूर और कुछ भाग की आमदनी पन्द्रह सौ और सोलह सौ हो सकती है तो क्या वजह है कि गांव का काश्तकार, जिसके हम और आप दोनों नुमाइन्दे हैं, उसको हम यह हक न दें कि वह खुशहाल हैसियत से अपनी जिन्दगी बसर कर सके। इस वक्त [illegible] जिनके [illegible] यह है कि वह कुछ अच्छी जिन्दगी बसर कर रहा है, हालांकि आप [illegible] नहीं रहेगी। आपने देखा कि [illegible] बाद [illegible] हुआ तो काश्तकारों की क्या हालत हुई। बहुत बुरी हालत हुई और नतीजा यह हुआ कि उनकी जिन्दगी बसर करना मुश्किल हो गया। इत्तफाक से यह लड़ाई आगई जिसकी वजह से उनकी हालत पहले से आज कुछ अच्छी है। तो आप उन दिनों का ख्याल कीजिये जब कि दीवार रुपये की आठ सेर या दस सेर बिकेगा। उस वक्त एक एवरेज (औसत) काश्तकार फैमिली (कुटुम्ब) किस सूरत से रह सकती है? अगर हम लोग जो उनके नुमाइन्दे हैं अपनी जिन्दगी अच्छी तरह बसर करना चाहते हैं तो क्या वजह है कि इस सूबे का हर बाशिन्दा जिसके वोटों पर हम चलते हैं अपनी जिन्दगी अच्छी तरह बसर न कर सके? और इस तरह की जिन्दगी सौ एकड़ के हिसाब से ही हो सकती है। इसलिये मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर गौर करेगी और मेरे इस अमेंडमेंट को मंजूर करेगी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि बदली हुई धारा १५३ की तीसरी पंक्ति में आने वाले अंक "३०" के स्थान पर अंक "१००" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संशोधित धारा १५३ में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां कृषिकर्म (farming) मशीनों द्वारा अच्छे तरीके से हो, भूमि का कुल क्षेत्र ५०० एकड़ तक हो सकता है।"

जहां तक मेरे इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि हमारी जो सरकार है उसने यह तो मान लिया है कि जहां तक मेकेनाइज्ड फार्मिंग (मशीनों द्वारा खेती) का ताल्लुक है वह तो तभी हो सकता है जबकि जमीन इतनी तादाद में हो कि उस पर हम कलों द्वारा फार्मिंग कर सकें। इसमें कोई आपत्ति भी मुझे नजर नहीं आती कि सरकार को कोई आपत्ति हो क्योंकि आपने जो यह कानून बनाया है इसमें बहुत से ऐसे भी जमींदार या काश्तकार हैं जिनके पास जितनी भी जमीनें हैं आपने छोड़ दी हैं और हजार-हजार, दो-दो हजार और तीन-तीन हजार एकड़ की फार्मिंग लोगों के पास मौजूद है यह किस नियत से आपने छोड़ी, यह मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ तो आप एकोनामिक होल्डिंग (लाभकर जोत) बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप यह भी जानते हैं कि लेंडलेस लेबरर (भूमिहीन श्रमिक) का मसला है। फिर भी जब आपने इस कानून के अन्दर जमीनें छोड़ी हैं तो यह सोच कर छोड़ी होंगी कि इतनी ज्यादा जमीन है कि ये लोग मेकेनाइज्ड तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसूली तौर पर अगर आप यह कहें कि हम एकोनामिक होल्डिंग बनाना चाहते हैं जो ३० एकड़ से ज्यादा न हो, तो यह बात नहीं रहती है जैसा कि आपके बिल में मौजूद है और दूसरों को इजाजत दे चुके हैं।

[श्री गुरु नारायण]

[illegible] जो मेकेनाइज्ड तरीके से फार्मिंग न करना चाहते [illegible] कम से कम ऐसे लोगों को जो कि मेकेनाइज्ड [illegible] के [illegible] से फार्मिंग करना चाहते हों उन्हें [illegible] ५०० एकड़ तक की इजाजत [illegible] उसकी तरफ से आप [illegible] तरह से इसका [illegible] किसी चीज को पेश करते [illegible] नजर होने [illegible] आवे और आप [illegible] तरीके [illegible] ३० एकड़ [illegible] देना नहीं चाहती है, लेकिन जो कानून [illegible] चाहूंगा कि हमारे माननीय [illegible] कि जो मेकेनाइज्ड तरीके से खेती करना चाहते हों उनके [illegible] होनी चाहिये कि वह ठीक से हो सके। यह ५०० एकड़ [illegible] नहीं हो सकता [illegible] जमीन किसी को देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मुहम्मद आलम खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस धारा पर जो तरमीमें [illegible] तक [illegible] पर जो तकरीरें सरकारी बेंचों से हुई और मुख्तलिफ जगह की तरफ से हुई [illegible] बहुत गौर से सुनी। जो तरमीम इस वक्त मेरे दोस्त गुरु नारायण जी ने पेश की है उसके [illegible] उन्होंने एक तकरीर की और उसको भी मैंने सुना। मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो इस वक्त इस धारा पर बहस हो रही है और मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें पेश की जा रही हैं तो इस वक्त एक चीज शायद बहुत से लोगों के ख्याल से निकल जाती है कि यह बिल और खास तौर पर यह धारा जो हम इस वक्त बनाने जा रहे हैं यह आज के जमाने के लिये नहीं है बल्कि यह उस जमाने के लिये है जब जमींदारी का खात्मा हो चुका होगा और उस वक्त जिस किसी शख्स को इन तरमीमों के जरिये से कोई भी नफा पहुंच सकेगा वह कोई भी शख्स हो लेकिन कम से कम जमींदार नहीं होगा। जो लोग इनसे कोई फायदा उठायेंगे वे ऐसा काश्तकार या भूमिधर की हैसियत से करेंगे न कि जमींदार की हैसियत से। उस वक्त जमींदार या जमींदारी का कोई नाम बाकी ही नहीं रहेगा।

जनाबवाला, इस धारा की मुख्तलिफ तरमीमों पर जो तकरीरें हुईं उनमें मुख्तलिफ पार्टियों के नुक्ते ख्याल सामने आये। यह भी हमने सुना कि इस बिल को बनाते वक्त ३ बुनियादी बातें सामने रखी गई थीं। एक तो यह थी कि बेसिक (आधारभूत) होल्डिंग (जोत) क्या हो, दूसरी यह कि एकोनामिक (लाभकर) होल्डिंग क्या हो।

उपाध्यक्ष—मैं आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अभी यह धारा जेरे बहस नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ श्री गुरु नारायण की तरमीम जेरे बहस है।

श्री मुल्तान आलम खां—जनाबवाला, बिलकुल सही है, लेकिन उसी के मुताल्लिक मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स (युक्तियां) देना चाहता हूं।

तीसरी बात यह थी कि मैक्सिमम होल्डिंग क्या हो सकती है। मेरे भाई राजाराम शास्त्री ने भी एक तकरीर की और उन्होंने यह बतलाया कि जहां तक जमीन के अजपरे नौ तकसीम होने का सवाल है सोशलिस्ट पार्टी का नुक्ते नजर यह है कि हर शख्स के पास २० एकड़ जमीन हो और अगर हो सके तो एक गाय भी उसके पास हो, ठीक है, यह एक नुक्ते ख्याल है और मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर यह एक ठीक नुक्ते ख्याल है। अगर जमीन की तकसीम होती है तो तकसीम इस तरह होना चाहिये कि सब के पास बराबर-बराबर आराजी रहे लेकिन इस सिलसिले में जो इस भवन के अन्दर हमारे सामने चीज रखी गयी है और जिस पर तरमीम आयी है, उससे मुझे इस बात का अन्दाज होता है कि उसमें यह बुनियादी बात नहीं रखी गयी है जहां तक एकोनामिक होल्डिंग (लाभकर जोत) का सवाल है, जिसका जिक्र माननीय मंत्री ने किया।

उपाध्यक्ष--मुझे अफसोस है कि आप इस तरमीम के बाहर अपनी तक़रीर कर रहे हैं। इस तरमीम का मतलब सिर्फ यह है कि जहां मेकेनाइज्ड फार्मिंग होती हो वहां जमीन का कुल रक़बा ५०० एकड़ तक हो सकता है।

श्री सुल्तान आलम खां--हुजूरवाला, अगर मैं यह दलील नहीं पेश कर सकूंगा कि ३० एकड़ जमीन हो या ५०० एकड़ जमीन हो, तो मेरी तक़रीर नामुकम्मल रह जायगी और उससे कोई नफा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष--मैं यह समझ रहा हूं कि आपने ग़लत मौक़ा इसके लिए हासिल किया है।

श्री सुल्तान आलम खां--अगर आप हुक्म दें तो मैं उसी वक्त तक़रीर करूं।

उपाध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि जो तरमीम है उसी पर तक़रीर महदूद रखी जाय।

श्री सुल्तान आलम खां--मैं इस वक्त बैठ जाता हूं और उसी वक्त बोलूंगा।

श्री साजिद हुसैन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त यह उसूल समझना है कि आया आइन्दा हम मेकेनाइज्ड फार्मिंग (मशीनों द्वारा खेती) को इनकेज (उत्साहित) करना चाहते हैं या नहीं, और अगर मेकेनाइज्ड फार्मिंग हो तो लामुहाला ३० एकड़ उसके लिए जमीन कम है। मेरे ख्याल में तो १,००० एकड़ जमीन इसके लिए होना चाहिये, लेकिन अगर ५०० एकड़ जमीन ही रखी जाय तो उसमें भी मेकेनाइज्ड फार्मिंग हो सकती है। यह देखना कि आया यह सरकार इसको चाहती है या नहीं, और इसकी गुंजाइश रखना चाहती है या नहीं। एक तरफ तो सरकार मशीनें मंगवाती है, विदेशी मुल्कों से ट्रैक्टर के मुताल्लिक़ इंतज़ामात कर रही है और सरकार यह भी कह रही है कि कारखाने क़ायम हों और मेकेनाइजेशन (मशीनों का प्रयोग) खास तौर से ऐग्रीकल्चर (कृषि) में हो, लेकिन दूसरी तरफ जब वोटों का ख्याल आता है तो हल याद आते हैं। वह चाहते हैं "बैक टू मिथ्रशिला।" यह कंफ्यूजन (सम्भ्रम) है कि आया वह मेकेनाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं या उसको बन्द करना चाहते हैं। अगर वह इस ५०० एकड़ की तादाद को नहीं मानते हैं तो उसके माने यह हैं कि वह मेकेनाइज्ड फार्मिंग का दर्वाजा बन्द कर देना चाहते हैं कि कोई शख्स भी चाहे कितना इंटरप्राइजिंग (कार्यशील) क्यों न हो मेकेनाइज्ड फार्मिंग न कर सके। अब सरकार को यह देखना है कि आया मुल्क के लिये यह चीज अच्छी है या नहीं। मैं खुद यह समझता हूं कि मेकेनाइजेशन से और इंडस्ट्रियलाइजेशन (उद्योगीकरण) से हम भाग कर कहीं नहीं जा सकते हैं यह जरूर है कि महात्मा जी ने चरखे की सलाह दी और सिम्पिल प्रीमेटिव लाइफ (साधारण तथा प्रारम्भिक सिद्धान्तों का जीवन) की तरफ हम लोगों को रगिब किया, मगर आजकल के जमाने में अगर मेकेनाइजेशन से हम भागते हैं, अगर इस जमाने में यह एटामिक वारफेयर (अणुयुद्ध) और दुनिया भर की मेकेनिकल (मशीनों की) और साइंटिफ़िक (वैज्ञानिक) तरक्कियों से हम हटते हैं, तो उससे हमारा क्या हश्र होगा, जब दूसरे मुल्कों के झगड़ों में हम थपेड़े खायेंगे तो हमारा क्या नतीजा होगा? मेरे ख्याल में हमको इस मुल्क में मेकेनाइजेशन को बन्द करना मुनासिब नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि हर शख्स को ५०० एकड़ की इजाजत दें, मगर अगर कोई ऐसा इंटरप्राइजिंग शख्स हो, हौसले वाला शख्स हो तो उसके लिये दर्वाजा बन्द कर देना यह मेरे ख्याल में गलती होगी, इस ख्याल से कि हम कम्पीटीशन (प्रतिद्वन्द) की दुनिया में पीछे रह जायेंगे और यह आप देखें कि सरकार खुद अपने फार्म्स में मेकेनाइजेशन कर रही है। तराई भावर वगैरा में ट्रैक्टरों की भरमार है। मैं कहता हूं कि वाकई यह तरक्की की चीज है। यह कहना कि हम मेकेनाइजेशन को इसलिये बन्द करते हैं कि जमीन इस तरह से तकसीम हो जाय कि चाहे वह एकोनामिक होल्डिंग (लाभकर जोत) हो या न हो हम हर एक को एक टुकड़ा जमीन जरूर दे दें। यह मुल्क के फायदे के लिये नहीं है। हमारा मन्शा तो यह होना चाहिये कि किसी न किसी तरह से हमारे मुल्क की तरक्की हो, जमीन ऐग्रीकल्चर में आवे। वहां काश्त हो और काश्त

[श्री साजिद हुसैन]

हो महज न हो बल्कि पैदावार इतनी हो कि जो और मुल्कों के मुकाबले में फी एकड़ पैदावार हमारी कम्पेयर (मुकाबला) कर सके और उसके मुकाबले में आये। तो यह सब हमारा आबजेक्टिव (उद्देश्य) होना चाहिये। यह कहना ठीक नहीं कि हमने तो एक राय कायम की है वह इसलिये कि है कि हलों के सिलसिले में क्या है, ट्रैक्टरों के सिलसिले में और मशीनरी और मेकेनाइज्ड फार्मिंग के मामले में वह राय बेकार है। क्योंकि अगर ३० एकड़ जमीन आप किसी को दे दें और कह दें कि वह ट्रैक्टर चलाये तो वह महज हिमाक़त होगी, इकानामिक वेस्ट (आर्थिक विनाश) होगा। तो ऐसी सूरत में कोई शख्स आइन्दा कोई मेकेनाइज्ड फार्मिंग करना चाहता है, मुल्क को मेकेनाइज्ड तरीके से तरक्की देना चाहता है तो सरकार को इस चीज को मंजूर करना चाहिये। यह अमेंडमेंट (संशोधन) एक कंडीशनल (शर्ती) अमेंडमेंट है। अगर कोई शख्स तैयार हो, अगर ऐसे सरकमस्टेंसेज (परिस्थिति) हों तब आप इजाजत दें दें। तो जब यह सूरत पैदा हो, यह एक कंडीशनल चीज है और बहुत सिम्पिल (सादी) सी चीज है जिसके मानने में इनको कोई एतराज नहीं होना चाहिये। अब अगर जमीन होगी तभी तो वह ले सकेगा और मतलब तो यह है कि वह जमीन काश्त में आये। गल्ला पैदा हो, चाहे वह एक-एक एकड़ करके पैदा हो या मशीनरी के जरिये से हजारों मुरब्बा मील में पैदा हो। गल्ला पैदा होने से काम है। अगर आदमी को रोजी नहीं मिलती तो दूसरा उसके लिये एम्पलायमेंट (कार्य) मिल सकता है और तलाश हो सकता है जिसके जरिये से उसको गल्ला मिल सके। फर्ज कीजिये कि एक जगह, किसी गांव में मेकेनाइजेशन (मशीनों का प्रयोग) हो गया। वहां २०० आदमी काश्त में थे और उसके बाद ५० आदमी काश्त में रह गये। तो यह १५० आदमी जो बेकार हुये, उनके लिये दूसरा काम निकल सकता है। गल्ले की कमी नहीं हुई। गल्ला तो वैसे ही पैदा होता रहा, सिर्फ यह आदमी बेकार हुये। वह दूसरे काम में लगाये जा सकते हैं, पैदावार को जो इन्कम होगी वह उनको बांट दी जायगी। इसमें मुल्क का कोई नुकसान नहीं है। आप देखें कि रशिया में जब जर्मनी ने इन्वेड (आक्रमण) किया तो इन्हीं ट्रैक्टर्स से टैंक्स का काम लिया गया। तो ऐसी सूरत में आप देखें कि मेकेनाइजेशन मुल्क की कूवत को बढ़ाता है, कम नहीं करता। ऐसी सूरत में यह चीज कोई रेट्रोग्रेडेड स्टेप (पीछे हटने का पदक्षेप) नहीं है, बल्कि तरक्की का स्टेप है। यह कंडीशनल चीज है, इसको सरकार को रोकना नहीं चाहिये। अगर रोकेगी तो इसके मानी यह है कि सरकार घड़ी की सुई को भी रोक देगी। जब हमारे मुल्क में कैपटलिज्म है तो इस से शर्म क्यों आती है? यह कहा जा सकता है कि पांच सौ एकड़ का फार्म कैपिटलिस्ट है। तो कैपिटलिस्ट्स से तो नातेदारी है। मैं तो कहता हूं कि कैपिटलिस्ट्स की तो यह हुकूमत है और जैसा कि हमारे दोस्त ने कहा क्योंकि सच्ची बात मुंह से निकल ही जाती है और देखिये आजकी रिया की लड़ाई से जाहिर भी हो गया, कैपिटलिस्ट ब्लाक में शामिल हो गये। तो वीरों के लिये कोई बात छिपानी बिल्कुल नामुनासिब है। आप शरमाइये नहीं क्योंकि हमारी सरकार बिल्कुल कैपिटलिस्ट (पूंजीवादी) सरकार है। जो वाक्या है उसको मानना चाहिये। अमेरिका की तारीफ करनी चाहिये। वे कहते हैं कि हम कैपिटलिस्ट हैं।

मैं सरकार से इसरार करूंगा कि पांच सौ एकड़ बहुत कम है। उनको तो अमेंडमेंट में अमेंडमेंट लगाना चाहिये कि पांच हजार एकड़ तक हो सकता है। अगर ऐसा हो जाय तो ज्यादा मुनासिब हो।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी तक़रीर को खत्म करता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस भवन के सामने उपस्थित है उस के सम्बन्ध में बड़ी दिक्कतें मालूम हो रही हैं। अव्वल दिक्कत तो यह है कि जिस शक्ल में तरमीम है वह इस मौके पर नयी धारा १५३ में फिट इन (उचित रूप से प्रयुक्त) होती है या नहीं। मैं आपकी आज्ञा से मौजूदा धारा को पढ़ना चाहता हूं और उसके साथ-साथ उस तरमीम को भी

श्री वीरेन्द्र शाह--एक्सपर्टस (विशेषज्ञों) से जंचवा लीजिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह--यहां सवाल यह नहीं है कि एक्सपर्टस् से दुरुस्त कराया जाय। सवाल यह है कि जो तरमीम इस वक्त हाउस के सामने पेश है वह, धारा से जो मंजूर की जा चुकी है, निस्बत भी खाती है या नहीं।

"यदि किसी भूमिधर द्वारा किये जाने वाले विक्रय (sale) या दान (gift) के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति इतनी भूमि का अधिकारी हो जाता है जितने से मिलकर उसके परिवार की समस्त भूमि ३० एकड़ से बढ़ जाय तो जब तक वह व्यक्ति कोई पुण्यार्थ स्थापित संस्था न हो, तब तक उक्त भूमिधर को यह अधिकार न होगा कि वह ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई ऐसा हस्तांतरण कर सके।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य उस व्यक्ति, उसकी अवयस्क सन्तान, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो, के एक कुटुम्ब से होगा।"

उसके बाद यह प्रतिबन्ध लगाये जाने की तजवीज है--

'किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां कृषिकर्म (farming) मशीनों द्वारा अच्छे तरीके से हो, भूमि का कुल क्षेत्र ५०० एकड़ तक हो सकता है।"

अगर इस संशोधन को हम यहां मान लें तो उसका कोई सम्बन्ध असली धारा १५३ से नहीं होता। क्षेत्रफल का मतलब किस क्षेत्रफल से है यह बात भी साफ नहीं होती। दूसरी दिक्कत तलब बात उसमें यह है कि अगर मान लें कि हमने इसको उसी शक्ल में मंजूर कर लिया और यह कानून हो गया तो कोई भी शख्स जो यह साबित कर दे कि वह मेकानाइज्ड फार्मिंग करेगा और ५०० एकड़ तक जमीन खरीद ले और बाद को न करे तो उसमें कौन सी बात है कि वह अपने इस फ्राड (धोखे) का फायदा न उठा सके। तरमीम जो होनी चाहिये वह मुकम्मिल होनी चाहिये। इस बात का सेफगार्ड (रक्षा) होना चाहिये कि कोई शख्स फ्रेडुलेंटली (धोखे से) पांच सौ एकड़ ऐक्वायर (प्राप्त) न कर सके। इस तरमीम में कोई बन्दिश नहीं है। अगर कुंवर साहब आज पांच सौ एकड़ ऐक्वायर कर लें और कल न करें तो कानून में कोई प्रावीजन (निदेश) नहीं है कि कुंवर साहब के कब्जे से वह जमीन निकाली जा सके और अपने प्लाट (खेत) का फायदा उठाने से उनको रोका जा सके। मैं इसलिये यह कहता हूं कि यह संशोधन इस शक्ल में बड़ा डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) इनऐडिक्वेट (अपर्याप्त) और नामुकम्मिल है। इसके मंजूर होने से यह लूपहोल (दोष) रह जाता है जो फ्राड (धोखा) मिसयूज और एब्यूज (दुरुपयोग) को जगह देता है। लिहाजा इस शक्ल में इसकी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से मित्रों ने लाल किताब को कोट (उद्धृत) किया, मैं भी हरी किताब लाया हूं। जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के मुताल्लिक़ मुझ से बार-बार कहा गया है कि इसमें यह लिखा है और वह लिखा है, उनके बारबार दोहराने से मैं यह समझा कि जो लोग दोहरा रहे हैं वह उसपर पूरा विश्वास करते हैं और अपने को उससे बाध्य समझते हैं और समझते हैं कि गवर्नमेंट उससे बाध्य है या कम से कम यही समझते हैं कि वह एक अथारिटेटिव डाकूमेंट (प्रमाणित लेख) या प्रोनाउन्समेंट (विज्ञप्ति) है वरना वह अपनी बहस की ताईद में उसका हवाला न देते। हर इंसान का ख्याल होता है कि जब कोई इंसान अपनी किसी बहस की पुष्टि के लिये कोई किताब या नजीर दे तो वह वही किताब या नजीर पेश करता है जिसे वह सही समझता है क्योंकि गलत चीज से सपोर्ट (समर्थन) लेने के लिये कोई तैयार नहीं होता। मिकेनाइज्ड फार्मिंग की बात देखने में तो अच्छी है लेकिन उस लाल किताब में उसके लिये क्या लिखा है? मैं श्रीमान् जी की इजाजत से थोड़ा सा हिस्सा उसमें से पढ़ देना चाहता हूं।

"On a consideration of the purely economic aspects of agricultural technique, we are of the opinion that mechanisation of agriculture is not desirable mainly on the following grounds :

माननीय श्री हुकुम सिंह :

(१) Mechanised agriculture does not lead to the maximum use of land. Considering that we have got only about .7 acre of land per head of the population it is necessary to employ wholly intensive methods to make this small area give enough food for the people.

(२) Mechanised agriculture would lead to the displacement of a large number of the rural population dependent upon land. Considering that we have got a surplus labour the use of machines that would increase the number of persons who are unemployed or under-employed is not in the present circumstances desirable;

(३) Lack of capital resources and absence of local fuel supply.

कृषि की कला के आर्थिक पहलू पर विचार करके हमने यह मत स्थिर किया है कि खेती में मशीनों का प्रयोग उचित नहीं है और उसके मुख्य कारण ये हैं—

(१) मशीनों द्वारा खेती करने में भूमि का अधिकतम उपयोग नहीं होता। चूंकि हमारे यहां की आबादी में प्रत्येक व्यक्ति पीछे केवल लगभग ७/१० एकड़ जमीन है, यह आवश्यक है कि थोड़ी भूमि में अधिक कार्य करके उपज लेने की रीति का प्रयोग किया जाय ताकि यह थोड़ी सी भूमि लोगों के लिये पर्याप्त भोजन दे सके।

(२) खेती में मशीनों का प्रयोग होने से देहात की वह बहुत सी जनता जो खेती पर निर्भर है बेदखल हो जायेगी। इस विचार से कि हमारे यहां मजदूर इतनी अधिक संख्या में हैं कि कुछ लोग फालतू रहते हैं, वर्तमान स्थिति में मशीनों का प्रयोग अभीष्ट न होगा क्योंकि इस व्यक्तियों की संख्या बढ़ जायेगी जो बेकार रहते हैं या जिनको पूरा काम नहीं

(३) आधारभूत साधनों की कमी है और ईंधन की स्थानीय सप्लाई विद्यमान नहीं]

इन आधारों पर उस लाख कमेटी से उत्तर जमींदारी अबालीशन कमेटी ने अपनी राय का इजहार किया है कि हमारे यहां ऐसे वाकयात हैं जिनकी बिना पर मेकेनाइज्ड फार्मिंग हमारे यहां मौजूं बात नहीं होगी।

श्री गुरु नारायण—तो मैं यह समझूं कि आप मेकेनाइज्ड फार्मिंग के खिलाफ हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं खिलाफ नहीं हूं। हो सकता है तो कीजिये। उसके खिलाफ कौन हो सकता है? उसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता जो जरा भी अक्ल रखता है लेकिन दूसरे हाई आल्टीट्यूड (बड़ी ऊंचाई) का दरख्त लाकर लखनऊ में लगाइये तो फल फूल कैसे देगा? रूस की बात लाकर यहां रखना ठीक नहीं क्योंकि बिना उन सरकमस्टांसेज (परिस्थितियों) को पैदा किये हुये, वह कोआपरेटिव स्पिरिट (सहयोग भावना) और सब बातों को पैदा किये हुये आप चाहें कि वह सब यहां हो जाय तो नामुनासिब सी बात होगी। लिहाजा ऐसी सूरत में बात वह कहनी चाहिये जो मौका महल हो और अपने देश के लिये फायदेमन्द हो, तभी वह काबिले मंजूरी हो सकती है। फार्मिंग कहने के लिये तो बात बहुत अच्छी है लेकिन हमारे यहां की हालत ऐसी नहीं है जिससे मेकेनाइज्ड फार्मिंग यहां पर सक्सेसफुली (सफलतापूर्वक) की जा सके। इस वजह से मैं यह कहना चाहता हूं कि ये दिक्कतें हैं।

श्री गुरु नारायण—गवर्नमेंट मेकेनाइज्ड फार्मिंग करती है या नहीं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—वह तो एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) कर रही है, लेकिन वह सक्सेसफुल (सफल) नहीं है। अभी तो वह एक्सपेरीमेंटल स्टेज पर है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स इस बात का बड़ा ख्वाहिशमंद है, उसकी बड़ी उत्कंठा है कि वह मेकेनाइज्ड फार्मिंग करे, तो बिला इस तरमीम को लाये अगर इस विधेयक को

ठीक तरह से पढ़ा जाय, तो भी उस बात की सभावना हो सकती है, उनके लिये जमीन मिल सकती है, क्योंकि भूमिधरी राइट (अधिकार) एक्वायर (प्राप्त) करने के लिये लिमिट (सीमा) है लेकिन जहां तक सीरदारी राइट का सवाल है, मेरी समझ मे उसमे कोई लिमिट नही है। आगे चल कर भले ही आप कर दे लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसी तजवीज हमारे सामने नही है, लिहाजा जो लोग मेकेनाइज्ड फार्मिंग करना चाहते है उनके लिये भी स्कोप (गुन्जाइश) है। इसके साथ-साथ अगर थोडी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि सीरदारी राइट मे भी कोई रुकावट है, अभी नही लेकिन आगे चल कर शायद हो जाय, तो उसके बावजूद भी मै यह कहना चाहता हूं कि तब भी जो लोग मेकेनाइज्ड फार्मिंग करना चाहते है उनके लिये स्कोप बाकी रहता है। वह स्कोप तो रहता है। केवल एक ही आदमी तो मेकेनाइज्ड फार्मिंग करेगा नहीं। जो तरमीम पेश है उसमे भी कुवर साहब ऐण्ड कम्पनी के सभी लोग दिलचस्पी रखते है। कम से कम ६ आदमी इस तरमीम मे दिलचस्पी रखते है। अगर छ आदमी अपनी थोडी थोडी जमीन मिलकर कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो [illegible] के ५०० एकड़ से ज्यादा जमीन हो जायगी।

श्री गुलजारीलाल--उनाव और जालौन कम मिल जायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह--जो करीब वाले हो उनसे [illegible] के तबके के [illegible] नाबाद मे लोग है और [illegible] मे धुरा मिलता है और [illegible] मे [illegible] है और अगर उधर और इधर मिलाया जाय तो करीब ३, ४ या ४० हजार कुटुम्ब [illegible] अपने गांव के आसानी से कोआपरेटिव फार्मिंग (सहकारी) कर सकते है। इस तरीके से यह दिक्कत नही होती। जहां तक राजा साहब का ताल्लुक है इनके [illegible] एकड़ की होल्डिंग (जोत) है, ३, ४, ५ या १० [illegible] तो ५०० एकड़ [illegible] कोई परेशानी या दिक्कत नही है। इसके अलावा राजा साहब के इलाके मे काफी [illegible] जमीन पड़ी हुई है और अगर वह दिल से मेकेनाइज्ड फार्मिंग करना चाहते है तो उनके रास्ते मे कोई कानूनी रुकावट नही है। वह बड़ी आसानी से उन्हे जोत सकते है और आज भी मेकेनाइज्ड फार्मिंग की बुनियाद डाल सकते है और अपने दोस्तो को भी उसमे शामिल कर सकते है। आज ही कोआपरेटिव फार्मिंग की बुनियाद [illegible] और इसमे कोई रुकावट नही है। [illegible] कहता हूं कि यह तरमीम [illegible] है, यह तरमीम अमल करने के लिये नही है। अगर [illegible] करके हमारे राजा साहब या नवाब साहब दिखा दे तो हमे भी यकीन आ जाय कि वाकई यह करना चाहते है। करना-वरना कुछ नही चाहते है खाली व्याख्यान देना चाहते है प्रोपगंडा (प्रचार) करना चाहते है। लिहाजा जो प्रोपेगंडा वाली बात थी वह तो खत्म हो गई और इसको आगे प्रेस करना (जोर देना) कहां तक वाजिब और मुनासिब है यह हमारे दोस्त लोग तय करें। ऐसी सूरत मे मेरा पहला ऐतराज जैसा कि मैने संक्षेप मे शुरू मे अर्ज कर दिया है कि यह संशोधन मौजूदा हालत मे बिल्कुल डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) और रिडीकुलस (हास्य स्पद) है। हम गुन्जाइश तो कर दे ५०० एकड़ हासिल करने की और अगर कोई अपनी पावर (अधिकार) को एब्यूज (दुरुपयोग) करता है और उसे पैनलाईज (दंडित) करने का कोई तरीका न रखा जाय तो यह एक गलत सी बात है।

एक सदस्य--आप इंतजाम कर दे।

माननीय श्री हुकुम सिंह--मै तो आपकी नियत का अन्दाजा करता हूं आपको चाहिये था कि इंतजाम करके मुकम्मिल संशोधन लाते, आपतो ऐसा संशोधन लाये है कि जिससे आपके हाथ पैर खुल जाये और मनमाना रकबा मेकेनाइज्ड फार्मिंग के नाम पर हासिल कर सके और आप पर कोई बंदिश न हो। यह तो जबरदस्ती की बात है, न्यायपूर्ण बात नहीं है। ऐसा संशोधन हमेशा सोच-विचार कर लाना चाहिये और ऐसी शक्ल होनी चाहिये

माननीय श्री हुकुम सिंह]

जिसमें ऐसी कोई बात न हो जिससे किसी को किसी के मोटिव (उद्देश्य) पर हमला करने का मौका मिल सके। लिहाजा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह न। मुनासिब और अनुचित है। अभी मेरे मित्र श्री राजाराम जी खामोश ह। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी मदद फरमायेंगे जहां वह जमींदारों की रोज मदद किया करते हैं यहां और बाहर अगर वह मेरी भी मदद कर देंगे तो म उनका बड़ा ऋणी और अनुग्रहीत हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें जनता का हित होगा। कभी कभी तो जनता के हित की एक आध बात कह दिया कीजिये। लिहाजा इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूं और कुंवर साहब से उम्मीद करता हूं कि वह इस पर फिर विचार करेंगे और अपने को राजी करेंगे कि वह इस तरमीम को वापस ले ले।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, जो संशोधन भवन के सामने हैं उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे मंत्री ने यह कहा कि यह जो संशोधन रखा है उसमें ऐसी चीज है और यह मुकम्मिल संशोधन नहीं रखा गया है। अगर कोई मेकेनाइज्ड फार्मिंग (मशीनों द्वारा खेती) के लिये ५०० एकड़ जमीन हासिल कर ले और उसमें मेकेनाइज्ड फार्मिंग न करके वैसे ही जोत कर उसका बेजा इस्तेमाल कर सकता है। म उनसे पूछना चाहता हूं कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग के सिवाय और किसी भी तरह से ५०० एकड़ जमीन जोतना इम्पाशिबिल (असम्भव) है क्योंकि आपने बिल ही ऐसा बनाया है। वह लगान पर उठा नहीं सकता है तो फिर वह किस तरह से ५०० एकड़ जमीन का इस्तेमाल करेगा? लिहाज जिस संशोधन के बारे में आपका कहना है कि वह मुकम्मिल नहीं है वह बिल्कुल ठीक है। अगर कोई जमीन लेता है तो वही लेगा जो मेकेनाइज्ड फार्मिंग के लिये तैयार हों क्योंकि कोई आदमी दूसरे तरीके से इतनी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मंत्री जी ने कहा कि इसमें शुबहा है कि लोग इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपने बिल ही ऐसा बनाया है कि चार बीघा जोतना मुश्किल है, वहां आप ५०० एकड़ जमीन के लिये परेशान हैं लिहाजा आप परेशान न हों।

दूसरी चीज यह है कि आपने और सरकार ने जो ज्यादा अनाज पैदा करने का आंदोलन उठा रखा है और हर प्रकार से सेंटर (केन्द्र) के फूड मिनिस्टर (अन्न मंत्री) भी यही कहते हैं कि अधिक अन्न पैदा करो। अगर कोई आदमी जमीन लेकर जिस तरह से इंडस्ट्रीज (उद्योगों) को डेवलप (विकसित) करना चाहता है उसी तरह से अगर कोई ऐग्रीकल्चर (कृषि) को डेवलप करना चाहता है तो आप क्यों रोकते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आप आइन्दा के लिये मेकेनाइज्ड फार्मिंग और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट्स (सुधार) को खत्म करना चाहते हैं। मेरी समझ में तो यह आता है कि यह संशोधन जमींदारों की तरफ से पेश किया गया है इसीलिये यह बात है। मैं आपसे कहता हूं कि जब आप जमींदारियां खत्म कर देंगे तो आखिर वह कौन सा धंधा करेगा? उसके लिये भी तो कोई गुंजाइश रखिए। जिस चीज में वे निपुण हैं, एग्रीकल्चर में अपना रुपया लगा कर अगर वह देश का अन्न बढ़ाना चाहें तो इसमें आपको क्यों बुरा मालूम होता है। हमारे सोशलिस्ट भाई उसको पसन्द नहीं करते। रूस में देखिये कहने को सरकार के फार्म कहे जाते हैं। लेकिन वहां सारा ग़ल्ला सरकार के जरिये जनता को ही पहुंचता है। यहां वही ग़ल्ला व्यक्ति विशेष द्वारा पैदा करके जनता को पहुँचाने की बात हम कहते हैं। जैसे कपड़े की मिलें और दूसरे उद्योग धंधे हैं। उसी तरह से अगर एग्रीकल्चर में हम एक कम्पनी फार्म करके एक बड़े स्केल पर उसे चलाना चाहें, उसमें मजदूर होंगे, काफी ग़ल्ला पैदा होगा, देश का फायदा होगा तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? आपकी सरकार आयेगी तो बड़ी-बड़ी मिलों को ले लेगी तो क्या यह फार्म नहीं ले सकती? मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी बुद्धि

इस तरफ क्यों नहीं झुकती। कोई आपको अच्छी चीज बना कर दे, खराब जमीन को अच्छा बना कर दे तो इसमें सोशलिस्ट भाई और सरकार को क्या आपत्ति है? असल में वह देखना नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। सरकार से मैं कहूँगा कि वह इस पर पुनः विचार करे। १० साल के लिये आप इंडस्ट्रीज रखना चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए रुपया भी लगाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि ऐग्रीकल्चर को अगर कोई इम्प्रूव (सुधार) करने के लिए जमीन लेता है तो उसको खुशी से दीजिये और ऐसे फार्म्स बनने दीजिए ताकि मुल्क की तरक्की हो सके।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है, मैं उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम आज तो हमारे माल मंत्री जी ने समझदारी की बात कही और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब तक वह समझदारी की बात कहेंगे तब हम उनका हमेशा समर्थन करेंगे। उन्हीं का ही नहीं अगर न्यायपूर्ण बात हमारे जमींदार भाई भी कहेंगे तो उनका भी समर्थन करने के लिये हम तैयार हैं। यहां जो बहस होती है वह इस आधार पर कि जिस किसी बात से हमारे सूबे के किसानों और आम जनता का फायदा होता हो उसे मानना चाहिए। मैं यह देख रहा हूँ कि जिस भावना से यह बिल पेश किया गया है हर वर्ग अपने स्वार्थ को सामने रख कर इस बिल पर विचार करता है और उसी के मुताबिक अपना संशोधन पेश करता है और कहता यह है कि इससे देश का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, इसमें उसका कोई फायदा होगा इसे स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे जमींदार भाई यह समझते हैं कि चूंकि वे जमींदार हैं लिहाजा उनकी तरफ से जो संशोधन पेश किए जाते हैं उनकी मुखालिफत की जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं यह देखता हूँ कि इस धारा के अंदर जो संशोधन आये हैं उनमें जमींदार कभी कहते हैं कि १०० एकड़ जमीन दो, कभी कहते हैं कि हमको ५०० एकड़ जमीन दो। हम मशीन मंगायेंगे, मशीन से खेती करेंगे। जब बहस आती है तो रूस का उदाहरण पेश करते हैं, कम्युनिज्म (साम्यवाद) का आदर्श पेश करते हैं। इस वक्त जमींदारशाही का आदर्श सोवियट रूस और कम्युनिज्म बन गया है। जब उनका विरोध किया जाता है तो राजा साहब कहते हैं कि सोशलिस्ट मुल्क की तरक्की देख नहीं सकते और इस तरह से उन्होंने कसम खा ली है कि चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन वे मुल्क की तरक्की करके मानेंगे। ठीक है, जो भी जो कहना चाहे कह ले, लेकिन देखना यह है कि आखिर आपके संशोधन पेश करने का मंशा क्या है? आप कहते हैं कि हम मशीन मंगायेंगे और हमें ५०० एकड़ तक जमीन प्राप्त करने का हक मिलना चाहिये। यह बिल जब से इस हाउस में पेश किया गया है तब से मैंने हमेशा इस विचार को जाहिर किया है कि इस बिल का उद्देश्य यही है कि, मैं पुकार-पुकार कर कहता हूँ कि कांग्रेसी सरकार देहातों के वास्ते पूंजीवादी व्यवस्था कायम करने जा रही है। जिस ढंग से यह बिल बनाया गया है उसका आखिर में यही नतीजा निकलेगा कि देहातों में पूंजीवाद का जोर होगा और लोगों को इसकी मुखालिफत करनी ही पड़ेगी। जब जमींदार कहते हैं कि साहब आप शरमाते क्यों हैं, कहते क्यों नहीं कि हम पूंजीवाद कायम रखना चाहते हैं तो हमारे माल मंत्री जी बड़ी खूबी से समझाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। जो बातें तुम चाहते हो वे सब इस क़ानून के अन्दर मौजूद हैं, जरा समझने की बात है। जितनी चाहो जमीन ले सकते हो, खरीद सकते हो, शोषण कर सकते हो और पूंजीवाद को क़ायम रख सकते हो। सिर्फ तुम्हारे समझने में फर्क है। इससे साफ मालूम होता है कि दोनों के उसूल में कोई भेद नहीं है। दोनों इस मुल्क में पूंजीवाद को लाना चाहते हैं। मैं

[श्री राजाराम शास्त्री]

मशीन से खेती करने की मुखालिफत में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मशीन की खेती से ज्यादा पैदावार हो सकती है तो कोई वजह नहीं है कि हम उस तरीक़े को अख्तियार न करें। लेकिन यह आधा तीतर और आधा बटेर वाला क़िस्सा नहीं चल सकता है। अगर सरकार मशीन प्रयोग खेती में शुरू करेगी तो आजकल की पिजेंट प्रोप्राइटरशिप (कृषक स्वामित्व), अलग-अलग टुकड़ों में जमीन का बटवारा कि किसी के पास आधा बीघा है तो किसी के पास एक बीघा है इस तरह की चीजें नहीं चल सकती हैं। आप एक तरफ तो यह चाहते हैं कि जमीन की मिल्कियत आपके हाथों में रहे, जमीन को बिगाड़ने और बनाने के मालिक आप रहें और किसी के पास देहातों में एक-एक बीघा डेढ़-डेढ़ बीघा जमीन रहे और किसी के पास हजारों बीघे जमीन रहे, इस तरह की चीजें इस क़ानून के अन्दर लाकर सरकार घपलेबाजी करना चाहती है। एक तरफ तो आप रूस के आदर्श को मानते हैं और दूसरी तरफ उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन आप याद रखिये कि अगर आप मशीनों से खेती करना शुरू करते हैं तो रूस के और आदर्श को भी मानिये अगर उस आदर्श को आप मानते हैं तो फिर जमीन का जब बटवारा होगा तो यह नहीं होगा कि जो खेती करना चाहते हैं उनके पास तो एक-एक, डेढ़-डेढ़ बीघा जमीन रहे और किसी के पास हजारों बीघे जमीन रहने दी जाय। फिर तो एक तरह से बटवारा होगा और उस वक्त सरकार यह देखेगी कि कितने बड़े-बड़े खेत हों। उसे इस बात की फिक्र न होगी कि फलां राजा साहब के पास कितने बीघे जमीन है और फलां कुंवर साहब के पास कितने बीघे जमीन है। उसके सामने तो एक आदर्श होगा कि इतने बड़े-बड़े खेत होने चाहिये और इस तरह के खेत होने चाहिये और खेती में जो पैदावार होगी उसका बटवारा किस तरह से हो यह भी सरकार ही तय करेगी। आज कुंवर साहब इस तरह का संशोधन पेश करके कि ५०० एकड़ तक जमीन रहे, अपनी मिल्कियत का रास्ता कायम रखना चाहते हैं। आप रूस के आदर्श को मानें या न मानें लेकिन आपको देखना होगा कि मशीन से या सहयोगी तरीक़े से किस हद तक खेती हो सकती है। मैं समझता हूँ कि यहां जिस तरह की चीजें चल रही हैं उससे किसान या यहां की सरकार कभी धोखे में नहीं आवेगी चूंकि सरकार ने यह मान लिया है कि जिसके पास जितनी जमीन है उतनी रहने दी जायगी। आपने और पैर फैलाये कि साहब १०० एकड़ और ५०० एकड़ रख दी जाय और वह देशभक्ति के नाम पर आपके पास रहे। मगर इस तरह की बात नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह से आप सारी तरक्की को रोक रखना चाहते हैं और आज देहात की तरक्की इसी वजह से रुकी हुई है। इस क़ानून के बावजूद भी जो आप आज बनाने जा रहे हैं यह एक अधूरा क़ानून है और इसके अन्दर जमींदारों के लिये मुहब्बत दिखाई गई है और जिस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की गई है वह उद्देश्य इससे पूरा नहीं होता। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जिस मशीन की खेती के लिये आप ५०० एकड़ रखना चाहते हैं उससे यहां के किसान का कोई लाभ नहीं हो सकता है, उससे मुल्क का किसी तरह से लाभ नहीं हो सकता है। यह थोड़े से आदमी ज़्यादा से ज्यादा जमीन अपने पास रख कर बाहर से मशीन मंगवाकर फिर उसी तरह से पूंजीवाद को पनपने में मदद पहुँचायेंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ कहा है कि आप ५०० एकड़ लेकर बैठ जायेंगे, क्योंकि इस क़ानून के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी गई है कि जिससे आप से उस जमीन को ले सकें। इस तरह से काश्तकारों के लिये कोई भी बहबूदी की बात इससे नहीं निकलती। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस संशोधन को हर्गिज नहीं मानेगी, क्योंकि इसके अन्दर जमींदारों का अपना स्वार्थ आधारित है और इससे देहात वालों का कोई फायदा नहीं है। आजकल जो खेतों के टुकड़े

है, वे तोड़ दिये जायं और व्यक्तिगत जो लोगों की मिल्कियत है उसको तोड़ दिया जाय और जमीन की व्यवस्था आजकल की व्यवस्था के अनुसार की जाय तो आपका उद्देश्य तब सफल हो सकता है और किसानों को लाभ हो सकता है और पैदावार भी देश के लिये बढ़ सकती है। जब व्यक्तिगत स्वार्थ समाप्त हो जायगा और किसानों का फायदा देखा जायगा, तो तब कुछ लाभ हो सकता है वरना इस तरह से तो जैसा कि आपने इस क़ानून में रखा है जमींदारों की ही स्वार्थ सिद्धि होती है। मैं समझता हूँ यह सदन इस संशोधन पर विचार नहीं करेगा और इसको रद्द कर देगा।

श्री भगवान दीन मिश्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो भवन के सामने पेश किया गया है, प्रसन्नता की बात है कि देश का कोई भी दल चाहे वह राजाओं का हो, ताल्लुक़ेदारों का हो, या नवाबों का हो वह किसान और देश के हित का नारा लगा कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लग जाता है। इस संशोधन को पेश करते हुए भी किसानों के हित और देश के हित की दुहाई दी जाती है, किन्तु मैं देखता हूँ कि इस विधेयक में जहां जमींदारी अबालिशन के साथ भूमि व्यवस्था का विधान किया गया है उसमें हर तरह से इस बात की गुंजाइश और इस बात का ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक हित अधिक से अधिक देश में रहने वालों का हित किस व्यवस्था से हो सकता है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये इस बिल में जगह-जगह पर जो संशोधन जिस रूप में होने चाहिये वह उसी रूप में रखे गये हैं। यह दफा १५३ जिसमें भिन्न-भिन्न रूप से ५० एकड़, १०० एकड़ या ५०० एकड़ के नाम से लाये गये हैं उसमें यही साधन ढूंढ़ा गया है कि किसी प्रकार से भूमि व्यवस्था में कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिससे इस भूमि व्यवस्था को तोड़ कर फिर पूंजीपति और रुपये वालों के हाथ में अधिक से अधिक जमीन आ जाय वह तरीक़ा अख्तियार करने की कोशिश की जाती है। इसके अन्दर हर तरह से जिस बात की व्यवस्था की गई है उसको हम जानते हैं। इसीलिये हमारे समाजवादी भाई आदर्श की बात कहते हैं और इसमें हमारी गवर्नमेंट को इल्जाम दिया करते हैं कि १२ एकड़ जमीन कम से कम सबको बांट दी जाय, यद्यपि वह जानते हैं कि अगर सूबे की जमीन का बटवारा किया जाय तो वह साढ़े चार से ज्यादा किसी के हिस्से में नहीं आ सकती और पैदावार की जमीन तो ३ एकड़ ही आती है और किसी एक पार्टी की बात सुनना तो गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का तो काम है कि जो चीज हमारे पास है, जो वस्तु हमारे पास है, जिसकी हमें व्यवस्था करना है वह कितनी है और सुन्दर से सुन्दर रूप में उसकी कहां तक व्यवस्था हो सकती है, यही गवर्नमेंट का कर्तव्य है। इसी विचार से यह विधेयक सदन के सामने आया है। दफा १५३ में इस तरह की रोक लगाई गई है। कि जिससे आगे चलकर भूमि व्यवस्था विशृंखल होकर टूट कर कुछ अधिक पैसे वालों के हाथ में, निर्धन किसानों को लालच देकर उनकी निर्धनता का फायदा उठा कर फिर एकत्रित न हो जाय, इसी कारण से यह रोक लगाई गई है। इसमें परिवार की व्याख्या भी कर दी गई है कि इतने लोग सम्मिलित होकर परिवार समझा जायगा और उसके लिए अधिक से अधिक ३० एकड़ जमीन तक की व्यवस्था रखी गई है। और इससे अधिक किसी परिवार को जमीन नहीं मिल सकेगी और न उसके हाथ बेची जा सकती है। इस व्यवस्था में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका विरोध कोई समझदार पार्टी या कोई आदमी कर सके। एक साधारण गृहस्थ के लिए तीन या चार एकड़ जमीन से अधिक की व्यवस्था नहीं है लेकिन इस भूमि व्यवस्था में ३० एकड़ तक की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसमें भी इस तरह के संशोधन लाना कि जिससे फिर जमीन अधिक लोगों के हाथ से निकल कर थोड़े लोगों के हाथ में आ जाय यह

[श्री भगवानदीन मिश्र]

उचित नहीं है और यह बात किसी तरह से भी मान्य नहीं हो सकती। न मैशीनरी के नाम पर ही ऐसी चीज लाना चाहिये। अभी माल मंत्री जी ने समुचित उत्तर दिया है कि अगर ऐसा भी कर दिया जाय तो उसका भी अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की जायगी। आपके संशोधन में भी कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है कि अगर कोई अनुचित लाभ उठाना चाहे तो उसकी रोकथाम की जाय। हमारे मित्र राजाराम शास्त्री जी ने भी व्यंगरूप में इशारा किया है कि इस सरकार ने सब बातों को खुला छोड़ रखा है। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार ने क्या किया। आप भी वही बात कहते हैं और हम भी यही कहते हैं। जो लोग विकसित रूप में कोआपरेटिव तरीक़े पर मिलजुल कर खेती करना चाहते हैं उनके लिये भी स्थान रखा गया है कि ६ या ७ आदमी मिल कर कोआपरेटिव रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन वह जमीन किसी एक की वस्तु नहीं मानी जायगी। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूँ कि इस स्थान पर इस संशोधन का पेश करना उचित नहीं है और किसानों की दोहाई देकर इस तरह के स्वार्थपूर्ण संशोधन लाना उचित नहीं है इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

श्री गुरुनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपने मित्रों के व्याख्यान इस सम्बन्ध में सुने। माननीय माल मंत्री जी ने अभी यह कहा कि यह इस धारा के साथ उपयुक्त नहीं होता। मेरी समझ में यह बात नहीं आती क्योंकि इसमें जो प्रतिबन्ध है उसको पढ़ने से साफ मालूम होता है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां कृषि कर्म (farming) मशीनों द्वारा अच्छे तरीक़े से हो, भूमि का कुल क्षेत्र ५०० एकड़ तक हो सकता है।" प्रश्न यह नहीं है कि हम यह इसमें रखना चाहते हैं। हम तो यह जानना चाहते हैं कि जब सरकार उसूली तौर पर यह बात तय कर चुकी कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग (मशीनों द्वारा खेती) होना लाभ कर है और इसको वह एनकरेज (प्रोत्साहित) करने के लिये तैयार है तो यह कैसे हो सकता है कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग हम थोड़ी-सी ही जमीन पर करें जब तक कि जमीन की तादाद हमारे पास काफी न हो। यह बात दूसरी है कि आपने जो मौजूदा क़ानून बनाया है उसके आधार पर बहुत से ऐसे लोग हैं, जमींदार भी और काश्तकार भी जिनके पास, जो कुछ भी जमीन रह गई है, हजार या दो हजार बीघा, वह उनके पास है। तो उनके लिये तो मेकेनाइज्ड फार्मिंग उपयुक्त होगी, लेकिन अगर कोई दूसरा अब करना चाहे तो उसके लिये आप प्रतिबन्ध करते हैं। जब आपने यह तय कर है कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग से हमको अपनी कंट्री (देश) को तरक्की देना है तो आखिर इसमें रुकावट क्यों होनी चाहिये? मुझे सबसे बड़ा दुःख तब होता है जब मैं इस भवन में यह सुनता हूँ कि साहब, यह तो जमींदारों ने एक तरीक़ा निकाला है कि वे अपनी जमीन को बढ़ाना चाहते हैं। यहां जमींदारों का क्या प्रश्न है। अब जमींदारी प्रथा तो नष्ट होकर रहेगी जैसा कि हमारी सरकार ने निश्चय कर लिया है। तो उसके बाद तो सब किसान ही रह ज और एक ही कैटेगरी (वर्ग) में हो जाते हैं। फिर जमींदारों का नाम बार-बार क्यों लिया जाता है? क्या इसमें कोई काश्तकार नहीं बढ़ सकता है? वह अपनी जमीन ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है? महज़ जमींदारों का हर बात में नाम लेना कहां तक मुनासिब और ठीक है? अभी माननीय माल मंत्री ने यह कहा कि ये पांच-छः आदमी हैं, कोटवारा, ऐजाज रसूल ऐंड को०, इन लोगों के पास अगर ३० एकड़ हो जाय तो यह छः मिल कर २०० एकड़ जमीन हो जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहां तक मेरा स्वयं का सम्बन्ध है, शायद मेरे पास १०, २०, २५ बीघे भी जमीन न पायेंगे जो सीर हो या खुदकाश्त

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

हमारा सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म (आलोचना) होता है वह हमारे समाजवादी भाइयों का होता है। जहां कोई भी बात इधर से कही गई कि पूंजीवाद, जमींदार, जितने भी नारे वे लगा सकते हैं लगाते हैं। न मालूम आप पूंजीवाद से इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैं तो कहता हूँ कि प्रकृति पूंजीवाद की तरफ जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि हर किसान इतना दौलतमन्द हो जाय कि पूंजीपति हो जाय। आप जो पूंजीवाद को इतना बुरा कहते हैं, मैं कहता हूँ कि एक समय आयेगा जब आपको मालूम होगा कि पूंजीवाद कितनी अच्छी चीज है। आपने अभी यह कहा कि देश की उन्नति जो कुछ है, हम लोग रोके हुये हैं। जो कुछ भी हम कहते हैं वह सिर्फ अपने स्वार्थ में आकर कहते हैं। मैं अगर अपने समाजवादी भाइयों को कहूँ कि इसमें क्या आपका स्वार्थ नहीं है कि आप चाहते हैं कि जमींदारी खत्म कर दी जाय और उसका कोई मुआविजा न दिया जाय। जमीन का बटवारा कर दिया जाय, इसकी कुछ फिक्र नहीं कि जमीन हमारे पास कितनी है। इसमें आपका स्वार्थ यही हो सकता है कि यह जो आज सरकार की गद्दी पर बैठे हुये हैं उसको उनसे छीन कर आप बैठना चाहते हैं। तो अपना-अपना स्वार्थ जो है वह तो दूसरी चीज, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि कितना भी स्वार्थ हो और वह ऊंचा उठना चाहता हो, छोटा हो या बड़ा हो तो इसमें कोई रुकावट डालना बहुत ही अनुचित बात है और लचर दलील है। यह बात दूसरी है कि अगर कोई जमाअत अन्याय करती है तो उसके लिये ५० तरीक़े हो सकते हैं और ५० तरीक़े ये उनके लिये रुकावटें पैदा की जा लेकिन इस तरीक़े की बातों से कि जमींदारों ने देश की उन्नति को रोका आपका या देश का कोई भला नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने जमींदार ऐसे हैं जिन्होंने हजारों रुपये सालाना अपनी आमदनी का स्कूलों और अस्पतालों में लगाये हैं और और तरीक़ों से खैरात किये हैं तो क्या आप इसे भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं? ये सब बातें आपने एक तरफ़ रख कर एकदम कह दिया कि साहब, ये लोग ऐसे हैं और वैसे हैं। जब जमींदारी प्रथा के अन्त के लिये यह बिल पास हो रहा है तब ऐसी बातें काम नहीं दे सकती हैं। मैं कहता हूँ कि जहां तक जमींदारी प्रथा का सवाल है, भले ही इसका अन्त हो और आप इसे बदनाम करें और चाहे हमारे आज के नेताओं की हिम्मत न पड़ती हो कि जो क़दम उन्होंने उठाया है उसे रोक सकें लेकिन अगर हमारे राष्ट्रपिता आज जिन्दा होते तो जो बात आप मुआवजे की कहते हैं यह कभी न होने पाती, चाहे जमींदारी खत्म होती या न होती। आपका इस तरीक़े की दलीलें देना देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जमींदारों ने जितना भरण-पोषण किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो। लड़ाई के जमाने में इंडस्ट्रियलिस्ट्स (औद्योगिकों) ने न मालूम कितना ब्लैकमार्केटिंग (चोर बाजारी) किया है और अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो वह जमींदारी संस्था है। जमींदारों ने देहातों में तमाम झगड़े-फिसादों को रोकने की चेष्टा की। अब उन्हें खत्म करना चाहते हैं, कीजिये। मैं भी जानता हूँ कि धाराप्रवाह इस समय ऐसा है। अगर कोई महान् शक्ति होती तो वह इसे रोक सकती थी।

जहां तक मेरे संशोधन का ताल्लुक है, इसमें मैं यह चाहता हूँ कि यदि आप मैकेनाइज्ड फार्मिंग चाहते हैं तो सबको पूरा हक़ देना चाहिये कि कोई भी किसी के साथ ज्यादा से ज्यादा जमीन ले सकता है। इसमें कोई भी बात शक या शुबहे की नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि मेरा यह संशोधन बिलकुल उपयुक्त है और इसे १५३ धारा में शामिल करना और मान लेना चाहिए।

माननीय श्री हुकुम सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीम श्री गुरुनारायण जी की तरफ से पेश हुई है वह धारा १५३ में नहीं बैठती है और इस तरमीम में इसके

मान[illegible] श्री हुकुम सिंह।

[illegible] श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं इस तरमीम को [illegible] चाहता हूँ। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां कृषि कर्म मशीनों [illegible] अच्छे तरीके से हो [illegible] कानून तय करेगा। बहुत से राजआ[illegible] कर्म देश जहां ट्रैक्टर भी है और दूसरी खेती की मशीनें भी [illegible] कभी-कभी ट्रैक्टर चलाये भी जाते हैं। लेकिन उनके यहां अच्छे तरीके [illegible] बुरे तरीके से हो रहा है, इसको तो हम अपने-अपने [illegible] (निर्णय) करेंगे जिसको हम बुरा समझेंगे उसको आप अच्छा [illegible] तो इसको तय कैसे करेंगे? कानून बनाने में ऐसे मोहमिल [illegible] जिनके पचासों माने निकाले जा सकें। जहां [illegible] निकाले जाने वहां स्ट्रांग पार्टी (शक्तिशाली दल) का फायदा होता है।

श्री गुरु नारायण—गांव सभा तय करेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—अभी तक आप कहा करते थे कि गांव सभा कुछ समझती नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि गांव सभा में आपको विश्वास तो आने लगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर अदालत में यह चीज गयी तो वहां बहुत से एतराजात का मौका रहेगा। बहुत ही लापरवाही के साथ इस तरमीम में कुछ लफ्जों का प्रयोग किया गया है जिनके मुखतलिफ माने लगाये जा सकते हैं। लिहाजा यह भी एक इसमें दिक्कत है। धारा में यह चीज रखी गयी है कि जिसके पास ३० एकड़ जमीन हो या इतनी जमीन हो कि जिसको मिला कर वह जमीन जिसके कि ट्रांसफर (हस्तान्तरण) होने जा रहा है ३० एकड़ से ज्यादा हो जाय तो वह उसके हक में ट्रांसफर नहीं हो सकती। वहां इस बात की रोक है। तो ऐसी हालत में इस तरमीम के शब्द धारा में कैसे बैठ सकते हैं? अगर इस तरमीम की शक्ल यों होती कि प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई शख्स मशीनों द्वारा खेती करना चाहता है तो उसके हक में ५०० एकड़ तक आराजी मुन्तकिल हो सकती है, तब तो हम कहते हैं कि बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो चीज तरमीम में पेश की गयी है वह ठीक नहीं बैठती है। बाज वक्त मेरा जी चाहता है कि मैं कुंवर साहब को ओबलाइज (कृतज्ञ) करूँ लेकिन अगर इस मौके पर मैं कुंवर साहब को ओबलाइज करूँ तो यह कहा जायगा कि हुकुम सिंह ने ऐसी गलत तरमीम स्वीकार करके इस धारा को बे शक्ल बना दिया। लिहाजा यह दिक्कतें हमारे सामने हैं और इन्हीं दिक्कतों के कारण मुझे बहुत अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं कुंवर साहब की इस तरमीम की मुखालिफत करता हूँ। यह तो आशा मैं कर नहीं सकता कि इन सब बातों के सुनने के बाद कुंवर साहब अपनी तरमीम को वापस ले लेंगे। जो फैसला है उनकी पार्टी का उससे वह अपने को जरूर पाबन्द समझते हैं लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि जो चीज जायज और उचित है उसको उनके सामने अर्ज कर दूं। ताकि मुमकिन है कि वह अपनी तरमीम को वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूँ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि बदली हुई धारा १५३ में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां कृषि कर्म (farming) मशीनों द्वारा अच्छे तरीके से हो भूमि का कुल क्षेत्र ५०० एकड़ तक हो सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

श्री सुल्तान आलम खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस धारा के ऊपर और इसके मातहत मुख्तलिफ तरमीमों पर आज तक़रीबन दिन भर इस भवन में बहस होती रही और हम सबने उन तमाम तक़रीरों को बहुत ग़ौर से सुना। मैंने जैसा पहले भी कहा था मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस वक्त हम इस दफा पर बहस करते हैं और मिनिमम (न्यूनतम) और मैक्सिमम (अधिकतम) होल्डिंग (जोत) का ख्याल हमारे दिमाग में आता है, तो उस वक्त शायद हम एक चीज भूल जाते हैं और वह यह है कि यह बिल जो इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं यह उस जमाने के लिए है कि जिस जमाने में न जमींदार होंगे और न जमींदारियां होंगी। जिस वक्त यह एकनामिक (लाभकर) बेसिक (आधारभूत) या मैक्सिमम (अधिकतम) होल्डिंग का सवाल इस बिल के मातहत पेश हो गया उस वक्त उससे मक़सद सिर्फ काश्तकार की मैक्सिमम, बेसिक होल्डिंग और भूमिधरी से था, जमींदार या जमींदारी कहीं पिक्चर (चित्र) में नहीं आती। जनाब वाला, इस सिलसिले में जो तक़रीरें की गयीं उनमें मुख्तलिफ पार्टियों के नुक्ते निगाह भी सामने रखे गये। हमने अपने सोशलिस्ट दोस्तों से यह भी सुना कि सोशलिस्ट थ्योरी (सिद्धान्त) जमीन के बटवारे के मुताल्लिक़ क्या है? वह यह कि जो जमीन इस वक्त इस सूबे में जेरे काश्त है उसको अजसरे नौ तक़सीम किया जाय, वह रिडिस्ट्रिब्यूट की जाय और इस तरह पर की जाय कि हर काश्तकार को मैक्सिमम ३० एकड़ आराजी मिले और अगर मैं ग़लती नहीं करता तो उसके साथ एक गाय भी उस काश्तकार को दी जाय। तो बहरहाल यह एक थ्योरी है, यह एक उसूल है जिसके मुताल्लिक़ कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। मैं जाती तौर से इस उसूल को इसलिये पसन्द करता हूँ कि इसमें यह इम्तियाज नहीं है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है। सोशलिस्ट उसूल यह है कि हर काश्तकार को बराबर जमीन तक़सीम की जाय और किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा न हो। दूसरी तरफ जमींदारों की तरफ से भी कुछ मांगें पेश की गयीं और उनमें बेश्तर मांगें यह थीं कि अगर कोई लोग, जोकि जमींदार हैं और जो आइंदा भूमिधर बनेंगे, या जो जमींदार नहीं हैं लेकिन भूमिधर बनेंगे, अगर आइंदा फार्मिंग करना चाहें तो उसके लिये उनके ऊपर वह पाबन्दी, जो हुकूमत मैक्सिमम होल्डिंग की इस दफा के मातहत लगाना चाहती है, न रखी जाय। इसके अलावा यह बात भी कही गयी कि जो एकानामिक होल्डिंग यहां हमने रखी है वह कम है, उसका रक़बा कुछ बढ़ा दिया जाय। इसके जवाब में मेरे दोस्त माननीय मंत्री ने फरमाया कि इस दफा को पेश करते वक्त हमारे सामने चन्द बुनियादी सवालात थे और जिस वक्त यह दफा ड्राफ्ट (तैयार) की गयी है उस वक्त चन्द बुनियादी सवाल जेरे ग़ौर रख कर इस दफा को बनाया गया है। इसके बारे में उन्होंने फरमाया कि हमने यह तारीफ करते हुए कि बेसिक होल्डिंग क्या हो, इस बात को भी मद्देनजर रखा है कि एकनामिक होल्डिंग क्या हो और इस बात का भी ख्याल रखा है कि संशोधित दफा के मुताबिक़ मैक्सिमम होल्डिंग क्या होनी चाहिये। इन तीनों बातों को मद्देनजर रख कर इस दफा को ड्राफ्ट किया गया है। यह लुब्बे लुबाब है। माननीय मंत्री की तक़रीर का, जो उन्होंने मुख्तलिफ तक़रीरों के जवाब में फरमाई है। लेकिन मैं एक चीज दरियाफ्त करना चाहता हूँ और वह यह है कि जहां तक एकानामिक होल्डिंग का सवाल है कहने के लिये यह बहुत अच्छी चीज है, इसमें शक नहीं। एकानामिक होल्डिंग का मसला ऐसा है कि जब तक हम इस चीज को तय न करें उस वक्त तक मैक्सिमम टेन्योर रिफार्म (जोत-कर सुधार) मुकम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक कि एकानामिक होल्डिंग का ताल्लुक़ है इस बिल में कोई तारीफ नहीं की गयी है। मुझे याद पड़ता है कि जब डेफिनीशन (परिभाषा) पर बहस

श्री [illegible]

है नहीं थी तो कई मतबा हुकूमत की तवज्जह इस बात की तरफ दिला [illegible] कि [illegible] एकानामिक होल्डिंग [illegible] ताल्लुक है हम उसी की बिना पर [illegible] [illegible] प्रोजेक्ट [illegible] पेश करते हैं, हमको चाहिये कि उसको डिफाइन [illegible] लेकिन हम यह [illegible] करते हैं कि एकानामिक होल्डिंग की डेफिनीशन [illegible] है [illegible] इसको [illegible] सेलेक्ट कमेटी में जाने से पहले थी।

[illegible], यह [illegible] है कि [illegible] बेसिक होल्डिंग, १० एकड़ [illegible] [illegible] १० एकड़ [illegible] होल्डिंग रखी गयी है, लेकिन मैं अपील [illegible] [illegible] दफा २२४ को पढ़ते हैं आप देखेंगे [illegible] बेसिक होल्डिंग ८ एकड़ रखी गयी है, रखा छः एकड़ नहीं रखा गया [illegible] [illegible] यह है कि कोई चीज किसी उसूल से बुनियादी तरीके पर [illegible] हुई और अगर तय नहीं हुई तो उसका आल्टरनेटिव (उपाधान्तर) यह है [illegible] [illegible] (उपाधान्तर) चीज है। [illegible] हाउस ने बाकायदा किसी कंसल्टेशन [illegible] के जरिये से इस बात का फैसला कर लिया था कि हमारी बेसिक होल्डिंग [illegible] एकड़ होगी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि दफा २२४ में भी जो बेसिक [illegible] का एरिया (क्षेत्रफल) आठ एकड़ का क्यों है? इसके मानी यह हैं कि हम अभी तक किसी कंसल्टेशन के जरिये से इस नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं कि बेसिक होल्डिंग का एरिया क्या होना चाहिये। इस नजरिये से जब मैं सोशलिस्ट थ्योरी (सिद्धान्त) को देखता हूँ तो मेरी समझ में कोई चीज आती है। मुमकिन है कि मैं पसन्द न करूँ और दूसरे साहबान या आप पसन्द न करें, लेकिन वह एक बुनियादी उसूल है। जनाबवाला, मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया सोशलिस्ट थ्योरी को कितना ही नापसन्द किया जाय कोई साहब कितनी ही मुखालिफत करें लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वह अपनी जगह पर एक थ्योरी है। वह एक उसूल की बात कहते हैं। वह यह कहते हैं कि हर शख्स के पास २० एकड़ आराजी हो। सूबे की तमाम जमीन अजसरे नौ तकसीम की जाय। लेकिन इसके बजाय हमारे यहां जो स्कीम लैंड रिफार्म (भूमि व्यवस्था) की आयी है उसमें एक यह बुनियादी बात मान ली गयी है कि जो काश्त किसी जमींदारी या काश्तकार के पास इस वक्त मौजूद है बिला इस चीज का इम्तियाज किये हुये कि उसका कितना रकबा है वह उसके कब्जे में रहे। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास ५००, १,०००, २,००० एकड़ आराजी है। वह उनके पास रहेगी। मैं इस चीज को नहीं कहता कि वह उनके पास न रहे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास आराजी नहीं है, जिनका वर्षों से आराजी से ताल्लुक रहा है और वह छोटे जमींदार जो जमीन के टिलर (कृषक) रहे हैं, उनका आराजी से वही ताल्लुक रहा है जो एक काश्तकार का होता है। इस कानून के जरिये से उनका दरवाजा बन्द कर दिया गया है। वह अपने लिये कोई जमीन हासिल नहीं कर सकते। दफा २२४ में यह है कि वह जमींदार जिनकी सीरे या खुदकाश्ते हैं लेकिन उठी हुई हैं तो वे उनको बेदखल करवा कर ८ एकड़ तक रख सकते हैं। लेकिन वह भी आसानी से नहीं बल्कि गवर्नमेंट उसके लिये नोटिफिकेशन (विज्ञप्ति) जारी करेगी कि फला जगह उस सहूलियत को देना चाहती है, सिर्फ वहां यह चीज हो सकेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? अगर आप एक रियायत गोरखपुर में देना चाहते हैं तो शौक से दीजिये लेकिन उसी रियायत को उन्नाव में क्यों न दें? जो बुनियादी रिलीफ (सहायता) किसी शख्स को सूबे के एक मुकाम पर देना चाहते हैं वह हर शख्स को सूबे भर में हासिल होनी चाहिये। लेकिन मैं यह देखता हूँ और मैंने जो इस दफा को पढ़ा और इसके साथ-साथ दफा २२४ को मिलाकर देखा तो मुझे

महसूस होता है कि इसमें रिजर्वेशन (सुरक्षा) है। इसमें कोई बात यूनिवर्सल (व्यापक) तय नहीं की है। इसका कोई बुनियादी उसूल नहीं है। बल्कि आर-बिट्रेरी (मनमाना) तरीका है। अगर ऐसा न होता तो क्या वजह थी कि सवा छः एकड़ आराजी बेसिक होल्डिंग के तौर पर जो रखी गयी थी वह फिर ८ एकड़ कर दी गयी। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बात का फैसला होना चाहिये कि कौनसी बेसिक होल्डिंग है और क्या इकनामिक होल्डिंग होनी चाहिये' यह तय किसी उसूल के मातहत तय होनी चाहिये। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत से खुशनसीब जमींदार होंगे, जैसे राजा साहब जयसापुर हैं जिनके पास ७ हजार बीघे आराजी होगी और बहुत से दोस्त होंगे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता लेकिन ऐसे बदनसीब भी बहुत होंगे जिनके पास २० एकड़ भी आराजी नहीं होगी और वह इस बात के भी बिल्कुल नाअहल होंगे कि वह २० बीघा आराजी खुशी-खुशी उठा सकें और एग्रीकल्चरिस्ट (कृषक) बन सकें और एग्रीकल्चरिस्ट तरीके पर अपना काम चला सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और अगर इस दफा को पढ़ें तो मालूम होगा कि यह बात साबित है कि जो आराजी उठाने का इंतजाम हमने किया है और जिस तरीके पर आइंदा जमीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन (पुनर्वितरण) होगा उससे पता चलता है कि कहा जाता है कि लैंडलेस लेबरर (भूमिविहीन श्रमिक) के लिये हमें प्रोटेक्शन करना है वह उससे महरूम रहेगा। मैं समझता हूँ कि भवन का हर मेम्बर लैंडलेस लेबरर से, या उस शख्स से, जिसके पास आराजी नहीं है, उसको उससे पूरी हमदर्दी होनी चाहिये और जो शख्स उससे हमदर्दी नहीं करता मैं समझता हूँ कि उसमें इंसानियत की कमी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से आराजी की अजसरे नौ तकसीम हो रही है उसमें देखना यह है कि इस सूबे के ४० लाख लैंडलेस लेबरर्स को क्या नफा पहुँचता है। अगर आप इस तहत में देखें तो आपको मालूम होगा कि लैंडलेस लेबरर का सबसे आखिर में नाम उस लिस्ट (सूची) में आता है। इसके अन्दर इसके लिये भी कोई प्रोटेक्शन (रक्षा) नहीं रखा गया है कि फर्ज कीजिये कि ३० एकड़ जो आराजी खरीदी या बेची जाय उसमें कम से कम इतना बंदोबस्त किया जाय कि वह लोग जो नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उनको इस बात का मौका न मिले कि उनको प्रिफरेंस (प्राथमिकता) मिल जाय। लेकिन जिस तरीके पर आप इंतजाम कर रहे हैं मैं समझता हूँ उससे जो महाजन लोग हैं, जो लोग दौलतमंद हैं जिनके पास काफी रुपया है वह काश्त खरीद सकता है और अगर नान-एग्रीकल्चरिस्ट क्लास के पास, महाजनों के पास आराजी काश्त पहुँच गई तो मैं समझता हूँ कि चाहे इस बिल के अन्दर हम कितना भी प्रोटेक्शन रख दें लेकिन जमीन का जो मौजूदा इंतजाम या फ्यूडल सिस्टम (सामन्त प्रथा) है वह कभी जाने का नहीं है। पैसा जिनके पास है वह ऐसी सूरतें पैदा कर देंगे कि वह जमीन उनके पास चली जायगी और हमारा यह बिल इम्पोटेंट (निष्प्रभाव) होगा उनकी मदद करने के लिये जो हमारे इमदाद के मुस्तहक़ हैं। हम कम से कम इतना तो करें कि जो लोग जमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं हमारे यहां उनके लिये ही काफी जमीन नहीं है। हम इसके अन्दर कम से कम इस बात का इंतजाम करें कि जो लोग नान एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं इससे पहले जिन्होंने कभी काश्त नहीं किया है उनको इस बात का हक होना चाहिये कि अगर वह काश्त करना चाहते हैं तो आइंदा जो जमीन खाली हो उनको पहुँचे। जिनके पास पहले कोई काश्त नहीं है, और वह महाजन एक फैबुलस सम (बड़ी रक़म) लेकर, काफी रुपया लेकर जाता है और आराजी खरीदना चाहता है तो वह इसलिये तो उसे मिल जायगी, क्योंकि वह रुपया दे सकता है। इससे हमारे लैंडलेस लेबरर्स का नुक़सान होगा जिसका हम प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और जो वाकई हमारी हमदर्दी का मुस्तहक है। मैं

श्री सुल्तान आलम खां :

जानता हूँ कि माननीय माल मंत्री ने इस दफा में जो चीजें इम्प्लीकेट (अन्तर्निहित) होती हैं उन पर काफी गौर किया होगा और बगैर काफी गौर किये हुए यह चीज तो सामने आई नहीं होगी लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि इसमें [illegible] दोष) मौजूद है। हम आराजी को इस तरह से तकसीम करें कि जो लैंड-एलीनेटेबिल क्लास है उसे आराजी न मिले, इसलिये नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं बल्कि इसलिये कि हमारे सूबे में जो जमीन है वह जो काश्त से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके लिये ही काफी नहीं है कि हम उनको दे सकें। [illegible] हमारे सूबे की जमीन रबड़ बन जाय और हम उन तमाम लोगों को ऐका-[illegible] जो जराअत पेशा है और उन लोगों को भी कर सकें [illegible] है तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती और उसमें किसी को ऐतराज भी नहीं हो सकता। लेकिन जमीन तो जमीन है वह रबड़ नहीं बन सकती है। वह उन लोगों के लिये ही नाकाफी है, जो जराअत पेशा है, ऐसी सूरत में जमीन उन लोगों को नहीं पहुँच सकती जो जराअत से ताल्लुक नहीं रखते। दूसरी चीज यह है कि जहां तक जमीन के रिडिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है यह उसूल मान लिया है कि जो जमीन जिस शख्स की काश्त में है वह उसके पास रहेगी बिला इसका ख्याल किये हुये कि उसके पास कितनी जमीन है। जब हमने इस बुनियादी उसूल को मान लिया है तो मैं समझता हूँ कि दरमियान में यह नई [illegible] कुछ मुनासिब नहीं है जमीन उन लोगों के पास जरूर होना चाहिये जिनका जमीन से ताल्लुक है। मैं इस बात को अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक जमीन का ताल्लुक है इसके लिये इसके अन्दर जो स्कीम दी हुई है वह स्कीम नाकिस है। एक अमेंडमेंट ऐसा भी पेश हुआ था कि जो लोग मशीनों से काम करना चाहते हैं उनको इस बात का मौका होना चाहिये कि वह अपने फार्म को, अपने काश्त को ज्यादा पिकनार में कर सकें और उनके ऊपर ३० एकड़ की पाबन्दी नहीं हो। ठीक है, यह भी अपनी जगह काबिले गौर चीज है लेकिन जाती तौर पर मैं इस बात का मानने वाला हूँ कि अगर वाकई हमें इस जमीन से बेहतर काम लेना है, हमें मुल्क की पैदावार बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें यह काम करना चाहिये कि कांसोलीडेशन आफ होल्डिंग (जोतों का एकत्रीकरण) हो जाय। मैं समझता हूँ कि सजा छः एकड़ या ८ एकड़, ३० एकड़ या ३५ एकड़ जो भी आराजी हो वह एक जगह हो, यह नहीं कि एक बीघा एक जगह, दो बीघे दूसरी जगह और तीन बीघे तीसरी जगह। इसका नतीजा यह है कि न तो उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, न उसमें आबपाशी के जरिये पैदा कर सकते हैं और न उसमें पैदावार बढ़ाने के लिये कोई खास काम ही कर सकते हैं। नतीजा यह होगा कि गल्ला पैदा करने में हम और दूसरे मुल्कों के मुकाबिले में पीछे रह जायेंगे। हिन्दुस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी बसर औकात जराअत पेशा से है, जिसका आम पेशा काश्त करना है लेकिन हमें अफसोस होता है कि अपने को खिलाने के लिये भी दूसरों का मुहताज बनना पड़ा है, दूसरी जगह से गल्ला मंगाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि हमारी पूरी तवज्जह पैदावार बढ़ाने की तरफ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी पूरी तवज्जह कांसोलीडेशन आफ होल्डिंग की तरफ हो जाय तो यह काम बड़ी आसानी से हो सकता है। इसी बिल में हमने इसकी तरफ कोई खास तवज्जह नहीं दी है। इस बिल में ३१० धारायें हैं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें न हो। कोआपरेटिव फार्मिंग (सह कृषि) का भी जिक्र है, गांव समाज का भी जिक्र है, अधिवासी का भी जिक्र है, लैंड रेवेन्यू (मालगुजारी) का भी जिक्र है, गर्ज यह कि हर किस्म की बातें मौजूद हैं लेकिन अगर कोई चीज नहीं है तो वह कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग की बात। मुझे यह भी मालूम है, हम सब जानते हैं कि

हमारे सूबे में कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट पास हो चुका है और इसको पास हुये आज तक़रीबन दस साल हो गये हैं लेकिन क्या कोई इलाक़ा है, कोई तहसील है, कोई परगना है जहां उसका अमलदरामद हुआ हो? मैं चाहता हूँ कि लैंड रिफार्म के सवाल को रैडिकल (शीघ्र) तरीक़े पर, रेवोल्यूशनरी (क्रान्तिमय) तरीक़े पर उठायें, जब जमींदारी का खात्मा हो रहा है और काश्त को अब सरेनौ तक़सीम कर रहे हैं तो इस चीज को भी उठाने की हमें ज़रूरत है। जिस तरीक़े से भी हो सके, कम से कम वक्त में, अच्छे से अच्छे तरीक़े से कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग हो जाय। अगर कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग हम कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत सी दिक्क़तें और दुश्वारियां खत्म हो जायेंगी और अगर यह चीज़ नहीं हो सकती तो जिस तरह से और बिल आये हैं उसी तरह से यह भी है। आज जो हमारा बुनियादी उसूल है कि मुल्क की पैदावार बढ़े, हिन्दुस्तान दूसरे मुकामात से गल्ला न मंगायें, यह कभी पूरा नहीं हो सकता।

इन तमाम वाक्यात को माननीय मंत्री जी के सामने रख कर मैं उनसे इस बात की अपील (प्रार्थना) करूंगा कि वह इस रोशनी से देखें और इस बात की कोशिश करें कि वाक़ई जो बुनियादी उसूल है वह पूरा हो।

श्री फूल सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दोस्त लेफ्टिनेंट सुल्तान आलम खां साहब की तक़रीर को ग़ौर से सुना। आपकी तक़रीर दफा १५३ से ही महदूद न थी और न जेड० ए० एफ० (जमींदारी उन्मूलन कोष) बिल से ही महदूद थी बल्कि आपने एक जनरल बजट की सी तक़रीर की। आपने ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स, गर्ज यह कि जितने मसले हो सकते थे उन सबको ले लिया और अपने प्रांत तक ही नहीं बल्कि आपने पंजाब वग़ैरह का भी हवाला दिया। मुझे शुबहा है कि बहुत-सी बातें इस दफा के मुताल्लिक़ नहीं हैं।

यह कहा गया कि यह अच्छा होता कि जो खेती करने वाले हैं उन्हीं को ज़मीन खरीदने का हक़ होता। यह एक हद तक मुनासिब है लेकिन इससे जो तजुर्बा और प्रांतों ने किया और जहां ऐसे क़ानून बने वहां तजुर्बा इस बात की शहादत नहीं देता कि ऐसे क़ानून और प्रांतों में नाफिज किये जायं। मसलन पंजाब में जहां लैंड एनीलेशन ऐक्ट बहुत अर्से से जारी है उसका नतीजा यह हुआ कि बड़े जमींदार और बड़े होते चले गये और छोटे जमींदार मिटते चले गये। इसमें शुबहा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई बात इस प्रांत में पैदा हो। लेकिन अगर यह क़ानून हो जाय कि ग़ैर जरायत पेशा लोग ज़मीन न खरीद सकें और जो खेती करते हैं वही खरीदें तो बड़े आदमी और बड़े होते चले जायेंगे। जो धारा १५३ भवन के सामने है उसमें एनीलेशन ऐक्ट की उस चीज़ को दूर करके जो पंजाब में हुई उनको दूर किया गया है। यानी खेती करने वाले ज़मीन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं लेकिन इतनी नहीं खरीद सकते जो उनके काबू में न हो और लगान वसूल किया करें। लिहाजा जो शर्त इस धारा में रखी गई है वह बहुत मुनासिब है।

ज़मीन खेती करने वालों के पास महफूज रहे इसके दो तीन-तरीक़े होते हैं। एक तो यह कि कौन-कौन खेती करते हैं यह कौम के लिहाज से तय होना चाहिये जैसा कि पंजाब में हुआ है। वहां नक़शा बन रहा है। वहां जाट जरायत पेशा रक्खे गये हैं और वैश्य ग़ैर-जरायत पेशा रखे गये हैं। अगर कोई वैश्य खेती करता है तो भी वह ग़ैर जरायत पेशा समझा जायेगा। ऐसे ही अगर कोई जाट खेती नहीं करता है तो भी जरायत पेशा समझा जायेगा। दूसरा तरीक़ा यह

[श्री फूल सिंह]

जो आपके प्रांत में अपनाया गया है। जो खेती करता है उसके पास वह जमीन महफूज कर दी गई है जिसमें वह खेती करता है। यह तरीका सरकार और मुहकमे के लिये पेचीदा है और दुश्वारियां बढ़ती हैं लेकिन यह तरीका यकीनन सबसे अच्छा तरीका है जिसका अमल हमारे प्रांत में किया जा रहा है। आपने यह भी फरमाया कि जो लैंडलेस लेबरर्स (भूमि हीन श्रमिक) हैं उनको भी जमीन खरीदने का हक होना चाहिये। मैं समझता हूं कि न तो यह बात इस धारा से टपकती है कि वह लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं और न इस भवन की मंशा ही है कि ऐसे लोग इससे महरूम कर दिये जायें कि जो खेती के मजदूर हों उनके पास जमीन न हो इस धारा के सम्बन्ध में यह बहस बेरमुताल्लिक है।

इस सिलसिले में जब इस बिल पर बहस शुरू हुई तो एकनामिक होल्डिंग (लाभकर जोत) की चर्चा की गयी थी। आज जो बहस यहां हो रही है। उसमें एकोनामिक होल्डिंग के साथ-साथ बेसिक (आधारभूत) होल्डिंग और आप्टिमम (अधिकतम लाभ कर) होल्डिंग की भी चर्चा हुई। पिछले दिनों इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट शाया हुई हैं। दोनों रिपोर्ट्स को शायद इस मामले में लास्ट वर्ड (अंतिम शब्द) कहा जा सकता है। इन दोनों रिपोर्ट में भी इन तीन-चार शब्दों की चर्चा है। मगर इस बिल की तमाम चर्चा को इन तीन-चार शब्दों की डेफिनीशन (परिभाषा) पर महदूद करना उसको एकेडेमिक (अध्ययनात्मक) बना देना होगा। मैं यह कह देना चाहता हूं कि बहुत सारे दलायल और बहुत सारी स्कीम्स जो आज के दिन पेश किये जा रहे हैं इस भवन में और बाहर भी वे शायद वाक्यात से ताल्लुक नहीं रखते। मैं मिसाल के तौर पर यह अर्ज करूं जो असल चीज होनी चाहिये वह डेफिनीशन से महदूद नहीं होती, वह वाक्यात से महदूद होती है। इस बिल में और भी चीजें आप देखेंगे। जहां आप्टिमम होल्डिंग का जिक्र है वहां इस बिल में यह भी है कि जिनके पास काफी जमीन है, कई सौ एकड़ उनकी खुद काश्त में है वह भी उनके पास महफूज है। अगर आप्टिमम होल्डिंग की डेफिनीशन को पूरे तौर से लागू किया जाये तो शायद बहुत से जमींदारों को जो बड़े जोर से यह चिल्लाते हैं कि साहब बड़ी ज्यादती है, उनको अपनी काफी आराजियात से हाथ धोना पड़ेगा। अभी ९ हजार जमींदार ऐसे हैं इस प्रान्त में जिनकी सीर और खुदकाश्त फी आदमी ५० एकड़ से ज्यादा है। उनके पास ९ लाख एकड़ जमीन है और औसतन हर जमींदार के पास उस लिस्ट (सूची) में १०० एकड़ जमीन आती है। इन ९ हजार में से २,३०० जमींदार ऐसे हैं जिनके पास साढ़े तीन लाख एकड़ जमीन सीर और खुदकाश्त में है। मैं यह कह सकता हूं यह मुनासिब होता, यह जो बहस मेरे दोस्त उठा रहे हैं आप्टिमम होल्डिंग की, उनके मुताबिक यह तय कर दिया जाता कि ३० एकड़ के बजाय ५० एकड़ कर दिया जाये और उन सब से बकिया जमीन छीन ली जाती और वह लैंडलेस लेबरर को दे दी जाती। इस तरह से दोनों तरफ की बहस खत्म हो जाती। लेकिन वाकया यह है कि इस कानून को जितना ढीलाढाला किया गया है उसको इस वजह से नहीं कि सरकार में कोई कमजोरी थी बल्कि वाकया यह है कि अगर मौजूदा हालत को सामने रख कर आप चीजों को फिट इन (उचित रूप से प्रयुक्त) करें जहां तक फिट इन हो सकें वह ठीक होगा। अगर इन २,३०० जमींदारों से जमीन छीन कर आप बांट दें तो इससे कितने लोग अफेक्टेड (प्रभावित) होते। थोड़े आदमी अफेक्टेड होते और दुनिया भर का वाबेला मचता। तो यहां वाकयात को मद्देनजर रखते हुये यह ढील की जा रही है। इस गरज से नहीं कि कुछ डेफिनीशन (परिभाषा, को समझने में लोगों को दिक्कत है। बल्कि कानून जब बनाया जाय और अगर उस कानून को कोई अमली शक्ल देने की जरूरत हो और ऐसा कानून बनाना हो जिससे लोगों को नफा हो तो फिर वह कानून की चहारदीवारी में क़ैद नहीं किया जा सकता। आपको वाकयात को फिट करना चाहिये। यहां दफा २२४ की बहुत चर्चा है कि पहले सवा छः एकड़ बेसिक होल्डिंग थी लेकिन अब इसमें ८ एकड़ क्यों कर दिया गया? अगर कोई शख्स खेती करना चाहता है तो उसे पहले कम से कम इकोनामिक

दे। बहरहाल, बेसिक होल्डिंग से उनको जो जमीन मिले, जो यह कोशिश करे कि काश्तकारों से जमीन छुड़ा कर अपनी काश्त में जमीन लावें, जबकि वे जमींदार इतने छोटे-छोटे हैं कि लगान वगैरह से उनकी गुजर ही नहीं होती, मैं समझता हूं कि ८ एकड़ और ६ एकड़ वाले इन जमींदारों की हालत सबसे बदतर है। जो छोटे-छोटे जमींदार हैं, मैंने कुछ जगह जाकर देखा कि वैसे तो जमींदार साहब हैं ६ एकड़ या ८ एकड़ के, मगर उनके पास एक अचकन है और एक टूटा हुआ सरकंडा है, अगर कोई मकान पर मिलने वाला आया तो बस उसी अचकन को पहन कर मिलने के लिये आ गये। तो छोटे-छोटे जमींदार जिनके पास ६ एकड़ और ८ एकड़ जमीन है यकीनन वे खेती नहीं कर सकते हैं। ऐसे जमींदार जो इरादा रखते हैं कि काश्तकारों से जमीन वापस लेकर उनको इतनी रियायत दी जाय कि वे खेती करें, उनके लिये शिकायत का कोई मौका नहीं है। कभी तो यहां बहस की जाती है कि छोटे जमींदारों को रियायत क्यों नहीं दी जाती है और कभी यह बहस की जाती है कि लें रियायत क्या यहां दी जाती है बहरहाल इन सब चीजों को, प्रोपेगेंडा को, सामने न र कर वाकयात को सामने रखने की जरूरत है और अगर वाकयात को सामने रखा जाय तो यकीन करता हूं कि मेरे दोस्त इत्तिफाक करेंगे कि वे छोटे-छोटे जमींदार जो गधिवासी वगैरह से जमीन छुड़ा कर अपनी काश्त करना चाहते हैं इस बात के मुस्तहक हैं कि उनको बेसिक होल्डिंग में कुछ ज्यादा रियायत दी जाय और यही दफा २२४ में लिखा हुआ है। दफा १५३ से कोई ताल्लुक नहीं है। दफा २२४ में है कि जमींदार काश्तकार से अपनी आराजी के लिये कितनी जमीन छुड़ावेगा। इन दोनों दफाओं के अन्दर कोई इख्तलाफ होने का सवाल ही नहीं है और न मुवाफिकत होने का ही सवाल है। दोनों डेफिनिट लेजिस्लेशन (निश्चित कानून) पर हैं। एक दफा की चर्चा करते हुये दूसरी दफा का हवाला देना सिवा गलतफहमी पैदा होने के और उससे कोई बात नहीं निकलती है। वाकया यह है कि इस कानून को बनाते वक्त एक बात को मद्देनजर रक्खा गया है और वह यह है कि जहां तक हो सके कम से कम ऐसी तबदीली की जाय कि जिससे कोई आदमी उखड़ न जाय या बेरोजगार न हो जाय। अगर इस दफा से आप इत्तिफाक करेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि दफा १५३ एक बहुत सीधा-सादा है और न यहां हो जा हो। जो तकरीर मुझसे पहले उसको आखि और इस बात का मुन्तजिर रहा कि यह तो मालूम हो कि इस दफा में मुझे क्या है और क्या इसकी जगह होना चाहिये। ३० एकड़ कंसोलिडेटेड होल्डिंग (एकत्रीकृत जोत) के बजाय ५० हो या २० हो, मेरे दोस्तों का क्या मन्शा है उन्होंने बताया नहीं जो इस दफा पर ऐतराज करते रहे। बाकी सारी कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग की बहस में मैं समझता हूं दो राय नहीं हैं। मगर वह बहस दफा १५३ के मुताल्लिक नहीं है। दफा १५३ में न तो यह है कि चकबन्दी की जाय या यह है कि की जाय। इसके ऊपर चकबन्दी का जिक्र करना इशुज (प्रश्नों) को कन्फयुज (भ्रान्त) करना है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ यह समझता हूं कि यह दफा १५३ अपनी जगह पर निहायत मुनासिब दफा है और जो ऐतराज इस दफा के मुताल्लिक किये गये हैं वह मानने के काबिल नहीं हैं।

श्री साजिद हुसैन--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस सिलसिले में ज्यादा लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूं; इस दफा के सिलसिले में जहां तक मैंने देखा है सिर्फ भूमिधर को ही ट्रान्सफर (हस्तान्तरण) का अख्तियार है यानी भूमिधर को या गैर-भूमिधर को जमीन मिल सकती है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि कोई अगर सेरेन्डर (युक्त) हो जाय गांव सभा के जरिये से कोआपरेटिव को मिले और उसके बाद भूमिधर को मिले और फिर उसके बाद दूसरों को मिले और उसमें एक हद भी मुकर्रर की गई है कि जिसके पास सवा छः एकड़ तक न हो तो वह इसी सूरत से ट्रान्सफर हो सकती है जोकि इस दफा १५४ में जरिया है। अब सवाल यह है कि यह दफा तो मैक्सिमम

[श्री सईद हुसैन,

अधिकतम) ३० एकड़ रखनी है। इसमें हम लोगों के नजरिये से दो नुक्स हैं। हम लोगों ने कहा कि यह जो ३० एकड़ का मेक्सिमम है उसकी जगह पर १०० एकड़ या २० एकड़ होना चाहिये और सबसे बड़ा नुक्स यह है कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग (मशीनों द्वारा खेती) के लिये आइन्दा कोई गुन्जाइश नहीं है। यही सब से बड़ा नुक्सा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका मौका नहीं है। अगर मौका नहीं है तो उन्होंने यह नहीं बतलाया कि इसका मौका कब आयेगा और सरकार किस तरह से प्रबन्ध करेगी। यह उन्होंने बताया नहीं है, महज कह दिया कि मौका नहीं है। यह उनके लिये कहना काफी नहीं था। इस सिलसिले में सोशलिस्ट भाइयों ने बिला वजह के लिये तरह-तरह से मुखालिफत की। एक जमाना वह था जब वह कहा करते थे कि पीजेन्ट प्रोपराइटरी (कृषक स्वामित्व) और दूसरी बात जो वह कहा करते थे वह नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) यह दो चीजें किस तरह से साथ-साथ चल सकती हैं जोकि बिलकुल एक-दूसरे के बरअक्स हैं। अब वह पीजेन्ट प्रोपराइटरी का जिक्र तो नहीं करते नेशनलाइजेशन का जिक्र करते हैं। वह हाल उन्होंने अब पीजेन्ट प्रोपराइटरी के बारे में अपनी राय बदल दी है। इससे यह मतलब साफ निकलता है कि अगर पीजेन्ट प्रोपराइटरी का जिक्र उन्होंने छोड़ दिया है तो वह नेशनलाइजेशन के फेवर (पक्ष में हैं, यानी लैंड (भूमि) तमाम स्टेट (राज्य) की हो और काश्तकार की जमीन न हो और जिसे स्टेट चाहे खेती के लिये जमीन दे दे। मेरे ख्याल में वह इस उसूल पर आ गये हैं। जहां तक सोशलिज्म (समाजवाद) का ताल्लुक है वह जरूर अच्छी चीज है लेकिन हिन्दुस्तान के सोशलिज्म और इंटरनेशनल (अन्तर्राष्ट्रीय) सोशलिज्म में बहुत फर्क है। यहां तो जो जिसकी समझ में आता है वह कहता है कि कोई नेशनलाइजेशन चाहता है कोई पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप की बात करता है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि किस का क्या उसूल है और किस तरफ कौन जाना चाहता है। मैं तो समझता हूं कि चूंकि सोसाइटी (समाज) और स्टेट कैपिटलिस्टिक (पूंजीवादी) है लिहाजा कैपिटलिस्ट के लिये उसमें गुन्जाइश होना चाहिये। यह कैसे हो सकता है कि लैंड में तो कैपिटलिज्म न रहे और इंडस्ट्री (उद्योग) में चलता रहे। अगर स्टेट जरा इस चीज पर गौर करे तो उसकी समझ में आइन्दा खुद ही आ जायगा कि वह क्या कर रही है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा १५३ पर मेरे बहुत से मित्रों ने तकरीरें कीं और मैंने उनकी बातों को सुनने और समझने की भरसक कोशिश की। मेरे मित्र श्री सुलतान आलम जी ने दो-तीन बातें कहीं। अव्वल तो उनका यह एतराज है कि एकोनामिक होल्डिंग (लाभकर जोत) की इस विधेयक में कोई डेफिनेशन (परिभाषा) नहीं है और यह बात ऐसी है कि जिसका तय होना आवश्यक है और तय करने के बाद उस पर इस बिल में अमल करना जरूरी है लेकिन इस बात को जरूरी समझते हुये भी इस बिल में उसको डिफाइन नहीं किया गया है और उसका कोई रकबा नहीं रखा गया है। लेकिन इसके मानी यह नहीं है कि सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। वाकया तो यह है कि यह काम आसान नहीं है कि एकोनामिक होल्डिंग का रकबा फिक्स (निर्धारित) किया जाय। मेरा तो यह ख्याल है कि एक रकबा हमारे ईस्टर्न (पूर्वी) अंचल में एकोनामिक होल्डिंग हो और दूसरे नेचुरल रीजन्स (प्राकृतिक प्रदेशों) में वह एकोनामिक होल्डिंग न हो और यह जरूरी नहीं है कि एक रकबा मुकर्रर करने से सारे सूबे के लिये ठीक ही बैठ जाय। रकबा तो अलग रीजन्स में घट बढ़ सकता है। यह काम ऐसा नहीं है कि आज ही हम फौरन इस चीज को मुकर्रर कर दें कि फर्रुखाबाद के लिये दस एकड़, बहराइच जिले के लिये १५ एकड़, बस्ती के लिये २० एकड़ और इस तरह से आरबिट्रेरीली (अनियन्त्रित रूप से) तो हमारे नवाब ऐजाज रसूल साहब ही कर सकते हैं और सरकार की तरफ से तो ऐसी चीज की नहीं जा सकती है। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि हर रीजन के मुताल्लिक काफी तहकीकात की जाय, स्टैटिस्टिक्स (आंकड़े) इकट्ठे किये जायं, कास्ट आफ प्रोडक्शन (उत्पादन व्यय) के बारे में भी तहकीकात की जाय इसके अलावा और भी बहुत से

वाकफ़ात हैं जो ऐसे मामले में रेलेवेन्सी (सम्बन्ध) रखते हैं, उनकी जांच-पड़ताल की जाय और तब यह फैसला किया जाय कि किस रीजन के लिये किसका रकबा एकोनामिक [illegible] हो सकता है। लेकिन यह बात इस वक्त सम्भव नहीं है। लिहाजा इसी लिये इस बिल में जो दफा २८९ है उसमें गवर्नमेंट को कुछ अधिकार हैं जिनके आधार पर वह मुख्तलिफ रीजन्स के लिये चुनकर कर सकती है कि किसका रकबा एकोनामिक और कितनी एकोनामिक होल्डिंग हो सकती है। इसलिये इस बात का भी प्रबन्ध इस बिल में है कि इसकी डेफिनीशन जरूरी तहकीकात के बाद की जा सके। बेसिक (आधारभूत) होल्डिंग और अडिशनल (अतिरिक्त लाभकारी) होल्डिंग का जिक्र किया गया। [illegible] २२४ में बेसिक होल्डिंग जो है वह सवा ६ एकड़ मानी गयी है उसमें कुछ इजाफा कर दिया गया है। वह इजाफा इस गरज से किया गया है कि जो जमींदार, जिनके पास सवा ६ एकड़ से कम जमीन है या जिनके पास कोई कोई जमीन नहीं है, उनको जमीन हासिल करने का अधिकार दिया गया है और अगर सवा ६ एकड़ के बजाय उनको ८ एकड़ तक हासिल करने का अधिकार दिया गया है, तो मेरे ख्याल में यह कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं है जो जमीन के लायक न हो। उन बेचारों के लिये भी जीविका का कोई साधन होना जरूरी है। इस ख्याल से ऐसा किया गया।

इसी के साथ-साथ एक एतराज यह किया गया कि मातहत धारा १५३ की रू से नानएग्रीकल्चरिस्ट को भी भूमिधरी राइट (अधिकार) खरीदने का अधिकार है, जो नहीं होना चाहिये। और मालिबन इसी सिलसिले में पंजाब लैंड एलीनेशन ऐक्ट या किसी ऐसी ही चीज का हवाला दिया गया, मुझे ठीक याद नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हां, इस धारा की रू से नानएग्रीकल्चरिस्ट भी खरीद सकता है, लेकिन मजबूरी यह है कि आपने खुद ऐसी धारायें पास कर रक्खी हैं जिनसे नानएग्रीकल्चरिस्ट को खरीदने में कोई रुकावट न डालनी चाहिये। मैं श्रीमान् की आज्ञा से इस बिल के अंग्रेजी तरजुमा की धारायें १४५ और १४६ पढ़ना चाहता हूं।

145 A bhumidhar shall, subject to the provisions of this Act have the right to the exclusive possession of all land in respect of which he is a bhumidhar and to use it for any purpose whatsoever.

146 (1) A bhumidhar, who uses his holding or a part thereof for industrial or residential purposes, may apply to the Collector for a declaration to this effect and the Collector shall, on being satisfied after making such inquiry as he may consider necessary, make a declaration accordingly.

(2) Upon the grant of the declaration mentioned in subsection (1) the provisions of this chapter (other than this section) shall cease to apply to the bhumidhar with respect to such land and he shall thereupon be governed in the matter of devolution of the land by personal law to which he is subject."

[१४५—इस ऐक्ट के निदेशों पर उपाश्रित रहते हुये भूमिधर को ऐसी सब भूमि पर जिसका वह भूमिधर हो, एकान्तिक (exclusive) कब्जे का अधिकार होगा। और उसको यह भी अधिकार होगा कि जिस प्रयोजन में चाहे उसमें उसका उपयोग कर सके।

[१४६—(१) भूमिधर, जो अपने खाते या उसके किसी भाग को उद्योग या निवास के प्रयोजन के लिये (for industrial or residential purposes) काम में लाता हो, कलेक्टर से इस बात के प्रख्यापन के लिये प्रार्थना कर सकता है और कलेक्टर ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो जाने पर तदनुसार प्रख्यापन दे देगा।

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित प्रख्यापन के प्रदान पर (इस धारा से भिन्न) इस अध्याय के निदेश ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त भूमिधर को लागू न रह जायेंगे और तदुपरान्त वह उक्त भूमि के उत्तराधिकार के विषय में ऐसी व्यक्तिगत विधि (personal law) से, जिसके वह अधीन हो, नियमित होगा।]

अगर भूमिधरों को देना है तो खेती करने की इजाजत देते। खेती के काम में ही जमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत देते। तब तो यह कहना जायज था कि नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स को हरगिज भूमिधरी का राइट खरीदने का हक़ न मिलना चाहिये। जब आपने धारा १४५ की रू से यह हक़ दिया है कि भूमिधर जमीन का इस्तेमाल जिस तरीक़े से चाहें करें और धारा १४६ में आपने यह अख्तियार दिया है कि इन्डस्ट्रियल परपजेज (औद्योगिक उद्देश्यों) के लिये अपनी जमीन का उपयोग कर सकते हैं तब यह कहना कि नान-एग्रीकल्चरिस्ट को खरीदने का हक़ न दिया जाय, मैं कहता हूं कि उसूलन गलत होगा अगर कोई शख्स चाहता है कि भूमिधर की जमीन लेकर हम एक मिल खड़ी करें तो उसको अधिकार है और नान-एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन खरीद कर उस पर इंडस्ट्री (उद्योग) खड़ी करने का अधिकार है। इसी ख्याल से उनको यह हक़ दिया गया।

जहां तक लैंडलेस लेबरर्स (भूमिहीन श्रमिक) का ताल्लुक़ है, इस धारा के अनुसार उनको कोई रुकावट नहीं है। हां, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा, वे गरीब हैं और बेचारे खरीद नहीं सकते। हां, आप ऐसा कोई सजेशन बतलावें और हम और आप उस पर विचार करें। कानूनन तो उनको कोई रुकावट नहीं है। आप कोई ऐसी बात बतलावेंगे कि जिससे उनको अमीरों के मुकाबिले में जमीनों के खरीदने की सुविधा मिले तो हम दोनों उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इस धारा का सवाल है इससे सबको जमीन हासिल करने का अधिकार है। इकोनामिक होल्डिंग का इसमें तो कोई जिक्र नहीं है लेकिन जमींदारी अबालीशन रिपोर्ट में १० एकड़ का औसत अपने सूबे में तसलीम किया गया है उसको देखकर उसी आधार पर आप्टीमम होल्डिंग का रक़बा ३० एकड़ रखा गया है। १० एकड़ की हद मुकर्रर करना मुश्किल अमर है। उसके लिये गुन्जाइश रखी गई है और बाद तहकीकात उसका रक़बा तअइयुन किया जा सकता है। अगर ३० एकड़ की लिमिट नहीं रखी जाती तो बड़े-बड़े लोगों के हाथों में जमीन का काफी रक़बा इकट्ठा हो जाता और बड़े-बड़े खेवट हो जाते। लिहाजा मैं समझता हूं कि यह धारा मौजूदा शक्ल में निहायत जरूरी है, भले ही इसमें कोई नुक्स हो। अगर हम इसको हट पेचीदगी पैदा होने की गुन्जाइश है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस ध का स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १५३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
३ जुलाई सन् १९५० ई०

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर

सूची (अ)

श्री पालटेलको द्वारा खरीदी मंगाने का विवरण—

सं०	मशीनों का विवरण	मंगाने का पता	कीमत रु०	आर्डर देकर मंगाने की तारीख
११	डेनहाई फ्लाइ प्रेस	मेसर्स बक हिकमन	१,०३३	२०—२—४२
१	कप्सटन लेथ	क० लि०		
१	एम० एम० ऐन्ड एस० सी० लेथ तथा इन सबसे सबंधित अन्य औजार और मशीनों के पुरजे ..	इंगलंड		
२	ब्रास स्टैम्पिंग फर्नेस ..	मेसर्स डाइन इंजीनियरिंग	३,५८६	१७—२—४२
२	मोटर द्वारा चलित पंखों का सेट .	क०, इंगलंड		
१	एअर कम्प्रेसर तथा इसमें सबंधित मशीनों के हिस्से ..	मेसर्स बुम् ऐन्ड वेड लि० इंगलंड	३,४४७	२१—२—४२
४	फिलिंग और आरे की मशीनें तथा उससे संबंधित आरे, स्क्रू आदि	मेसर्स विलियम आरकृहार्ट लि० इंगलैंड	२,७१३	२१—२—४२
७	कवेन्ट्री डाई हेड और उसके अन्य भाग और पुरजे	मेसर्स अकवार्स लि०	२,२१८	१७—२—४२
१	प्लेन मिलिंग मशीन तथा बिजली द्वारा चालित अन्य औजार और पुरजे	मेसर्स वो० इलियट ऐन्ड क०	१०,४७३	,,
१	स्ट्रोक शेपिंग मशीन ..			,,
[illegible]	[illegible]	मेसर्स वस्टन. टल्स. इंगलैंड	३६,८४३	,,

सं०	मशीनों का विवरण	मंगाने का पता	कीमत रु०	आर्डर देकर मंगाने की तिथि
६	बैन्च ग्राइडर ..			
१०	बिजली की ड्रिल मशीनें ..			
३	प्रेस ..			
२	मर्फेम ग्राइन्डर और मोटर ..			
१०	ग्राइडिंग पहिये ..			
२	ड्रिल मशीनें और आरे, इनसे संबंधित पुरजे तथा औजार ..			
३	डाइसिंकिंग मशीनें, इसके अन्य पुरजे तथा औजार, मोटर स्टार्टर आदि ..	मेसर्स जार्ज एच एलेक्जेंडर मेशीनरी लि०	२३,३८४	२१-३-४९
८	सेट इनग्रेविंग कटर ..			
१	कारडिंग और स्पिनिंग मशीन.	मेसर्स टेल्को लि० लंदन	५,३३३	१७-२-४९
१	वाल्व रिफरेशर ..	मेसर्स यूस्टन टूल्स लि०	१,०५४-८-८	,,
३	कौलेट फोर्ड के लिये ..			
१	रौकर आर्म अटैचमेंट ..			
१	सेफ्टी पिन बनाने के लिये प्लान्ट तथा इससे संबंधित पुरजे और भाग ..	मेसर्स एमिलो वार्टन वीलर मिलानो, इटली	३४,३३३-५-४	
		कुल ..	१,२५,११७-१४-०	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ (ख ग) का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

सूची (ख)

श्री पालटेलको द्वारा सरकारी प्रेसीजन यंत्र फैक्टरी, लखनऊ के लिये खरीदी हुई मशीनों का विवरण, जिनके कोटेशन श्री टेलको को दिये गये थे।

क्रम-सं०	सं०	मशीनों का विवरण	मंगाने का पता	कीमत रु०
१	१	हावट नं० २ डी० कास्टन लेथ आर उसकी एक्सेसरीज	मेसर्स अलफ्रेड हरवर्ट इंडिया लि०, कलकत्ता	८,९३० ४,८२०
२	१	कूपर २४ जुलाई स्पीड शेपर ३ हार्स पावर मोटर ऐन्ड स्टार्टर	, ,	६,८८० ८[illegible]
३	१	आरा मशीन .	,	२,३६३
	२	हार्स पावर मोटर स्टार्टर .	,,	३६५
		पैकिंग .	,,	७७
४	१	हरवर्ट हट सरफेस ग्राइन्डर .	,	९,८३५
५	१	क्रामिवेल यूनीवर्सल ग्राइडर एक्सेसरीज	,	८,४५०
६	१	फ्लोर ग्राइडर .	,	१,३४३
		पैकिंग .	,,	६८
७	२	ड्रिल मशीनें .	,,	५००
८	१	पावर प्रेस ..	,,	३,९७५
९	१	हेरीसन ४ १/२ इंच सेन्टर कैबिनेट वेस लेथ	,,	३,९७५
१०	१	कैबिनेट वेस लेथ ..	,,	४,१५०
११	१	एनग्रेविंग मशीन ..	,,	५,४७०
१२	१	हरवर्ट टाइप एच ब्रेच ड्रिल ..	,,	१,५६५
१३	१	प्लेनस्पिंडिल कालम ड्रिल ..	,,	२,८८०

म-सं०	सं०	मशीनों का विवरण	मंगाने का पता	कीमत रु०
१४	१	हरबर्ट क्रूस्व पालिशिंग आरा मशीन ..	मेसर्स अल्फ्रेड हरबर्ट इंडिया लि०, कलकत्ता	२७०
१५	१	प्रेस ..	,,	३,४६०
१६	१	एअर कम्प्रेसर ..	मेसर्स पावर टूल्स ऐन्ड ऐप्लाएन्सेज कं०, कलकत्ता	१,५००
		स्प्रेगन और जार ..		११५
१७	१	साउथ बेड ९ इंच बेंच लेथ मशीन ..	मेसर्स मशीन टूल्स इंडिया लि०, कलकत्ता	४,२००
१८	१	लेथ सिनसिनैती १४ ८ इंच सेन्टर लेथ	मेसर्स फ्रांसिस क्लीन लि०, कलकत्ता	१४,८२०
	१	३ हार्स पावर मोटर ..	,,	७६५
		४ जौ चक ..	,,	६०५
		३ जौ चक ..	,,	५५२
		योग .		९१,५६९

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

सूची (स)

श्री पालटेलको से संलग्न स्टाफ, उनके नाम, वेतन आदि और कर्त्तव्यो की विवरण सूची--

क्रम-सं०	नाम	पद	वेतन	वेतन की दर
१	श्री गोमती प्रसाद श्रीवास्तव	स्टेनोग्राफर	१७५ रु०मा०	१६०-१५-२८० ई० बी० २०-४००
२	कुमारी एम० कार्टर ..	,,	१६० रु०	३० अप्रैल, १९५० मे त्याग-पत्र दे दिया।
३	श्री हबीबर ..	अर्दली चपरासी	२५ रु० और २ रु० शहर प्रतिकर भत्ता	२५-१/२-३०
४	श्री मुन्नी लाल ४	,,	,,	,,

पी० एस० यू० पी०--७६-एल० ए०--१९५०--५,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ जुलाई, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५०)

अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इतिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
कुंजबिहारीलाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीन दयालु अवस्थी, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री

पुर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फज़लुल इस्लाम, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
बचन राम गुप्त, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह याज्ञवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मसुरिया दीन, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिर्जाजी लाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद नआदत अली खां, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राघव दास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखन दास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डे, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जयसवाल, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हरप्रसाद सिंह, श्री
हसरत मोहानी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ४ जुलाई, सन् १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

मौजा नवदर, जिला गाजीपुर के श्री रामराज सिंह का क़त्ल

*१--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि श्री रामराज सिंह, साकिन मौजा नवदर, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर का जो कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे कुछ महीने हुये क़त्ल किया गया है ? यदि उत्तर हां में है, तो क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि किस तारीख़ को उनका क़त्ल हुआ और इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

माननीय श्री लालबहादुर (पुलिस मंत्री)--जी हां, श्री रामराज सिंह, साकिन मौजा नवदर, थाना नंदगंज, जिला गाजीपुर का क़त्ल १४ दिसम्बर, १९४९ ई० या उसके बाद हुआ। घटना की रिपोर्ट दिनांक २९ दिसम्बर १९४९ ई० को थाना नंदगंज में हुई और धारा ३०२ (Indian Penal Code) भारतीय दंड विधान के अनुसार अभियोग क़ायम किया गया और ६ व्यक्तियों का चालान पुलिस द्वारा किया गया। मुजरिम ३१ मई १९५० ई० को सेशन न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिये गये।

कहुतरी, थाना बिदनी, जिला गाजीपुर के पटवारी का क़त्ल

*२--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह मालूम है कि ग्राम कहुतरी, थाना बिदनी, जिला गाजीपुर के पटवारी को कुछ महीने हुए दुश्मनों ने क़त्ल कर दिया ? यदि उत्तर हां में है, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त घटना किस तारीख़ को घटी और इस मामले में पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां, ग्राम कहुतरी, थाना बिदनी, जिला गाजीपुर के पटवारी ८-२ १९५० ई० को अपने हल्के से घर लौटते समय गायब हो गये। प्रारम्भ में धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अनुसार अभियोग बनाया गया। जांच करने पर केवल चश्मा, कुछ हड्डियां मिलीं जो मृत व्यक्ति के व्यक्तित्व को साबित करने के लिये काफ़ी न थीं। अतः अभियोग धारा ३६४ भारतीय दंड विधान में बदल दिया गया। किन्तु अभियुक्तों के खिलाफ काफ़ी सबूत न होने के कारण अभियोग समाप्त कर दिया गया पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा १०७/११७ दंड विधि संग्रह (Code of Criminal Proseduro) के अनुसार कार्यवाही की गई।

गाजीपुर जिले में कुछ पटवारियों पर आक्रमण

*३-श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गाजीपुर जिले के अन्तर्गत कई पटवारियों को छिप कर और खुलेआम चोट पहुंचायी गयी है और वे घायल किये गये हैं ? यदि उत्तर हां में है, तो क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि उन मामलों में पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

माननीय श्री लालबहादुर--जिला गाजीपुर में सन् १९४९-५० ई० में केवल एक घटना इस प्रकार की हुई है जिसमें एक पटवारी पर उनके हल्के के दो ग्रामीणों ने आक्रमण

करके चोट पहुंचाई, इसका मुकद्दमा धारा ३२५ भारतीय दंड विधान के अनुसार थाना मरवहा पर कायम किया गया और जांच के पश्चात् दो व्यक्तियों का पुलिस ने चालान किया। यह मुकद्दमा न्यायालय में विचाराधीन है।

लखनऊ के पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियरों और इंजीनियरों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*४--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० डब्लू० डी० के ओवरसियर व इंजीनियर एक स्थान पर कितने साल तक बराबर रह सकते हैं ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)--इसके लिए कोई खास कायदा नहीं है लेकिन यह तजवीज की जाती है कि कोई इंजीनियर या ओवरसियर एक स्थान पर बहुत साल तक न रहे।

श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहुत साल को सरकार कितने साल तक मानती है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--६-७ साल तक।

*५--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० डब्लू० डी० के कितने ऐसे ओवरसियर व इंजीनियर शहर लखनऊ में हैं, जो ३ या ४ साल से यहीं मौजूद हैं ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--ऐसे तीन इन्जीनियर और २१ ओवरसियर (भवन और सड़क विभाग) के हैं इनमें चीफ इंजीनियर और एडीशनल चीफ इन्जीनियर, जिनका हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है, शामिल नहीं हैं।

श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार यह बतायेगी कि ४ साल तक के इंजीनियर यहां मौजूद हैं या नहीं ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह तो जवाब में बता दिया गया है।

*६--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ में पी० डब्लू० डी० के ओवरसियर और इंजीनियर कितने हैं और उनका ग्रेड क्या-क्या है ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त लखनऊ में पी० डब्लू० डी० के (नहर और भवन व सड़क दोनों विभागों के) ४० इंजीनियर और ४७ ओवरसियर हैं जिनमें चीफ इंजीनियर और एडीशनल चीफ इंजीनियर भी शामिल हैं। उनके ग्रेड यह हैं--

क्रम-सं०	पद	ग्रेड
१	चीफ इंजीनियर .	२,७००--१२५--३,००० रु०।
२	एडीशनल चीफ इंजीनियर ..	२,७००--१२५--३,००० रुपये आई० एम० ई० ग्रेड के अफसरों के लिए।
		१,८००-५०-२,००० रुपये यू० पी० एम० ई० ग्रेड के अफसरों के लिये।
३	सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर	१,७५०-१००-२,१५० रुपये आई० एम० ई० ग्रेड के अफ़सरों के लिए।
		१,२५०-५०-१,५०० रुपये यू० पी० एम० ई०, ग्रेड के अफसरों के लिये।
४	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ..	५००-५०-१,०००-५०-१,२०० रु०।
५	पर्सनल असिस्टेंट चीफ इंजीनियर	५००-५०-१,०००-५०-१,२०० रु० और १५० रु० विशेष वेतन।

क्र०—सं०	पद	ग्रेड
६	असिस्टेंट इंजीनियर	२७०—२५—४००—३०—७००—५०—८५० रु० जो ३०० रु० से शुरू होती है।
७	ओवरसियर	१२०—६—११०—१०—२५० रु० नहर विभाग के ओवरसियरों को २५ रु० मासिक विशेष वेतन मिलता है।

*७—९—श्री खुशी राम—[स्थगित किये गये]।

उत्तर प्रदेश के सूती कारखानों के मजदूरों तथा उनके वेतन के संबंध में पूछ—ताछ

*१०—श्री गंगा सहाय चौबे—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९४६ ई० की अप्रैल में इस प्रान्त में कौन-कौन सूती कारखाने चल रहे थे ?

*११—क्या सरकार बतायेगी कि उस समय किस-किस सूती कारखाने में कितने-कितने मजदूर काम करते थे ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)—सन् १९४६ ई० की अप्रैल में इस राज्य में कौन-कौन से सूती कारखाने चल रहे थे, इसके संबंध कोई सूचना नहीं मिल सकी है। सन् १९४६ ई० में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सूती कारखाने चल रहे थे। औसत दैनिक मजदूरों की संख्या, जो उन कारखानों में काम कर रहे थे, हर कारखाने के आगे दी हुई है—

क्रम-संख्या	सूती कारखानों के नाम	औसत दैनिक मजदूरों की संख्या
१	इन्द्र स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, आगरा	४९९
२	जान्स स्पिनिंग मिल्स नं० २, आगरा ..	४९७
३	जान्स कारोनेशन स्पिनिंग मिल्स नं० ३, आगरा	३९२
४	जान्स प्रिन्सेज आफ वल्स स्पिनिंग मिल्स नं० ४, आगरा	६०३
५	डेविड मिल्स कम्पनी लिमिटेड, हाथरस ब्रांच, बिजली मिल्स, हाथरस, अलीगढ़	२०४
६	लल्लामल हरदेव दास काटन स्पिनिंग कम्पनी हाथरस, अलीगढ ..	६७७
७	रामचन्द्र स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी हाथरस, अलीगढ ..	१,१७६
८	स्वदेशी बीमा काटन मिल्स, अलीगढ़ ..	२७१
९	जमुना वीविंग मिल्स, इलाहाबाद ..	बंद
१०	दि बनारस काटन एण्ड सिल्क मिल्स कम्पनी लिमिटेड व बनारस स्टील रोलिंग मिल्स व लक्ष्मी आयल मिल्स, बनारस ..	२,३८०
११	दि प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड उझियाना, बदायूं	६३८

क्र०-सं०	सूती कारखानों का नाम	औसत दैनिक मजदूरों की संख्या
१२	दि कानपुर टैक्सटाइल, कानपुर ..	१,७४४
१३	दि म्यूर मिल्स लिमिटेड कानपुर .	६,०८९
१४	दि एलगिन मिल्स, कानपुर	५,४६५
१५	दि न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	६,४२५
१६	दि कानपुर काटन मिल्स कम्पनी, कानपुर	१,०६९
१७	दि कानपुर काटन मिल्स कम्पनी, कूपर गंज, कानपुर	४,७७२
१८	दि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	९,००४
१९	जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कानपुर	४,७२७
२०	जे० के० काटन मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कानपुर	१,४३८
२१	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर ..	२,९६८
२२	अथरटन मिल्स, कानपुर ..	२,८२१
२३	एच० बेविस एंड कम्पनी, नारायन काटन मिल्स, कानपुर	४००
२४	हरी कृष्ण दास विष्णु दयाल वीविंग मिल्स, कानपुर	६३
२५	अवस्थी टेक्सटाइल मिल्स, कानपुर	९३
२६	राम सेवक अग्रवाल वीविंग वर्क्स, कानपुर	बंद
२७	कृष्णा वीविंग वर्क्स, कानपुर ..	४०
२८	सनन्दी काटन मिल्स, कानपुर ..	९२
२९	रामचन्द्र गुरुसहाय काटन मिल्स, लखनऊ	१,५३१
३०	श्री राधाकृष्ण मिल्स, मिर्जापुर ..	१७९
३१	मुरादाबाद काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, गोरखपुर	४४२
३२	स्वदेशी वीविंग मिल्स, गोरखपुर ..	१३२

उपरोक्त सूती कारखानों में क्रम-सं० ९ तथा २६ के कारखाने सन् १९४६ ई० में बंद हो गये थे।

श्री गंगा सहाय चौबे--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है, कबतक उसके मिलने की हम उम्मीद करें ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर वह सूचना सरकारी दफ्तरों की बात होती तो हम फौरन दे सकते थे। वह तो मिलों की बात है, उनसे खतोकिताबत की जाती है। कब मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी, हम ठीक तरह से नहीं कह सकते।

*१२--श्री गंगा सहाय चौबे--अप्रैल, सन् १९४६ ई० में सूती कारखानों में हर एक का वेज बिल (wage-bill) निम्नलिखित मदों में क्या था:--

मजदूर, क्लेरिकल स्टाफ, सुपरवाइजरी स्टाफ, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन व अन्य मद ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस संबंध में पूरी सूचनायें प्राप्त नहीं हो सकी हैं। किन्तु कानपुर के सूती मिलों के बारे में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह निम्नलिखित हैं :--

कानपुर की सूती मिलों की सन् १९४६ ई० की औसत माहवारी वेज बिल--

मिलों की संख्या	नियुक्त मजदूरों की संख्या	टोटल वेज बिल, माहवारी औसत बेसिक वेज, व डी० एफ० ए० मिला कर	टिप्पणियां
११	४९,२४७	२४,७१,३५५ रु०	

*१३--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अप्रैल, सन् १९४६ई० व मार्च, सन् १९५० ई० के बीच सूती उद्योग के इस प्रान्त में कब-कब और कौन-कौन नये कारखाने खुले या पुराने बन्द हुए ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अप्रैल, सन् १९४६ ई० व मार्च सन् १९५० ई० के बीच सूती उद्योग के इस राज्य में कब और कौन नये कारखाने खुले और पुराने बंद हुये इसके बारे में सूचना इस प्रकार है :--

नये कारखाने, जो सन् १९४६ ई० और सन् १९४९ ई० के बीच में खुले और फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर किये गये

वर्ष	सूती कारखानों के नाम	रजिस्टर होने की तिथि
१९४६	.. स्वदेशी वीविंग मिल्स, गोरखपुर ..	२-५-४६
१९४७	.. ..	..
१९४८	.. कास्मो-पॉलिटन काटन मिल्स, इलाहाबाद	६-१२-४८
१९४९	.. १--मोदी स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स, मेरठ	२६-८-४९
	२--रजा टेक्सटाइल, रामपुर ..	३१-१२-४९
१९५०	.. मेंदीलाल सरजी प्रसाद, काल्पी रोड, कानपुर	१७-३-५०

अप्रैल सन् १९४९ ई० और मार्च, १९५० ई० के बीच जो मिलें बन्द हुईं—

क्रम-संख्या	सूती मिलों के नाम	बन्द होने की तिथि
१	इन्द्रा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, आगरा	११-८-४९
२	जान स्पिनिंग मिल्स, आगरा	लगभग मई सन् १९४९
३	जान्स कारोनेशन स्पिनिंग मिल्स नं० ३ आगरा	
४	जान्स प्रिन्सेज आव वेल्स स्पिनिंग मिल्स नम्बर ४ आगरा	
५	स्वदेशी बोमा काटन मिल्स, अलीगढ	तिथि नहीं मालूम
६	रामसेवक अग्रवाल वीविंग मिल्स, रामपुर	
७	सचेन्दी काटन मिल्स, कानपुर	
८	जामिना वीविंग मिल्स मऊ आइमा, इलाहाबाद	
९	अवस्थी टेक्सटाइल मिल्स, कानपुर	
१०	एच० बेविस एण्ड कम्पनी नरायन काटन मिल्स, कानपुर	२४-४-४८
११	श्री राधा कृष्ण मिल्स, मिर्जापुर	लगभग अक्तूबर सन् १९४९
१२	मुरादाबाद स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स, मुरादाबाद	७-३-४९

श्री गंगा सहाय चौबे—आगरे की सूती मिलें बन्द हैं तो क्या सरकार उनके चलवाने का प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, सरकार बराबर प्रबन्ध करती रहती है जो कुछ हो सकता है इस सम्बन्ध में ।

श्री गंगा सहाय चौबे—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि कब तक उनके चलने की उम्मीद की जाय ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो अखिल भारतीय रोग है, इसलिये कहना बड़ा कठिन है कि कब हम इसमें सफल हो सकेंगे ।

श्री गंगा सहाय चौबे—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिस तरह हाथरस में हुआ है कि मजदूरों ने जिम्मेदारी मिल चलाने की ली तो उनको यह काम सौंप दिया गया, इसी तरह अगर आगरे के मजदूर भी अपने कारखाने चलाने की जिम्मेदारी लें तो सरकार उनको वह जिम्मेदारी देगी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार का खाली जिम्मेदारी लेने की बात तो नहीं है। हाथरस में कुछ पक्के रूप से तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ मिल के मालिकों और मजदूरों में कोई बात चली है। हां, अगर आगरे के मजदूर और मिल मालिक दोनों तय कर लें तो सरकार इस प्रयोग की सफलता जरूर चाहेगी और उसको सफल बनाने में जरूर सहायता देना चाहेगी।

श्री खानचन्द गौतम--सन् १९४६ ई० और १९५० ई० के बीच में क्या कोई विशेष संख्या स्पिंडिल्स की इस सूबे के लिये अलाट हुई थी और हुकूमत की तरफ से उसका वितरण किस-किस प्रकार से हुआ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे स्मरण आता है कि शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ऐसा कुछ किया था कि इस प्रान्त के काटन मिल्स को कुछ अलाट किया था। लेकिन इस वक्त मैं कह नहीं सकता कि किस वक्त कितना हुआ और कितना नहीं हुआ।

श्री खानचन्द गौतम--क्या इस प्रान्त की गवर्नमेंट के सामने कोई ऐसी स्कीम रही कि अगर कोई स्पिंडिल्स की संख्या यहां इस सूबे में मिलती है तो वह उन मजदूरों को दी जाय कि जो उसमें काम करने को तैयार हैं और कैपिटल इकट्ठा होने में जो कुछ भी रहे उसमें सरकार सहायता करती रहे?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मुझको ज्ञात है कोई ऐसी स्कीम सरकार के सामने नहीं आई।

श्री खानचन्द गौतम--क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार की ऐसी नीति है कि अगर कोई उद्योग इस प्रकार से न चलता हो और उसमें काम करने वाले श्रमिक पूंजी इकट्ठा करके और सरकार की सहायता से बाकी कमी को पूरा करके काम चलाने को तैयार हैं तो उसको इस तरह से चलाने का जिम्मा सरकार लेगी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। इसका एक साथ उत्तर देना बहुत कठिन है। इस तरह के प्रत्येक सवाल पर अलग-अलग गौर करना होगा। जाहिर बात है कि अगर कहीं मजदूर रुपया जमा कर लेते हैं और कारखाना चलाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है यह एक ऐसी बात है, जिसका हम स्वागत करेंगे और उसको सफल बनाने की कोशिश करने को तैयार होंगे।

*१४--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि निम्बकर कमेटी की सिफारिशें लागू होने के पहिले किस-किस सूती कारखाने का निम्नलिखित मदों में क्या-क्या वेज बिल था और सिफारिश लागू होने पर वह क्या हो गया :--

क्लैरिकल स्टाफ, मजदूर सुपरवाइजरी स्टाफ, ऐडमिनिस्ट्रेशन तथा अन्य मद?

*१५--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मार्च सन् १९५०ई० में उत्तर प्रदेश के किस-किस सूती कारखाने में कितने-कितने मजदूर काम कर रहे थे और तब इन कारखानों के वेज-बिल भिन्न-भिन्न विभागों के क्या-क्या थे?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस सम्बन्ध में पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। किन्तु कानपुर की सूती मिलों के बारे में जो सूचना प्राप्त हो सकी है, वह निम्नलिखित है--

प्रश्न १४ की सूचना

कानपुर की सूती मिलों का वेज बिल

जो नवम्बर सन् १९४८ ई० और मई सन् १९४९ ई० में अर्थात् सरकारी आज्ञा ता० ६-१२-४८ के लागू होने के पहिले और बाद में था :—

	नवम्बर, १९४८			मई १९४९		
श्रेणी	मिलों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	टोटल वेज बिल, बेसिक वेज व डी० एफ० ए० मिलाकर	मिलों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	टोटल वेज बिल, बेसिक वेज, डी० एफ० ए० तथा परसनल वेज मिलाकर
			रु०			रु०
१—मजदूर .. } २—वाच ऐंड वार्ड }	९	४३,३७३	४०,३५,७४२	९	४३,९७७	४२,८५,९२४
३—क्लर्क .. } ४—सुपरवाइजर }	१०	१,८००	३,२६,४४७	९	१,७८१	२,८८,५२१
योगफल ..		४५,१७३	४३,८२,१८९	..	४५,७५८	४५,७४,४४६

प्रश्न संख्या १५ की सूचनायें

कानपुर की सूती मिलों का मार्च, सन् १९५० ई० का वेज बिल

श्रेणी	मिलों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	टोटल वेज बिल, बेसिक वेज, डी० एफ० ए० तथा पर्सनल वेज मिलाकर	टिप्पणियां
			रु०	
१—मजदूर ..	११	३९,४२६	३५,६९,०८२	मेसर्स जे० के० काटन मैनुफक्चर्स इस महीने में बन्द था ।
२—वाच एण्ड वार्ड ..	१०	५८१	६१,२७५	यह संख्या नौ मिलों की है, किन्तु वेज बिल १० मिलों का है ।
३—क्लर्क ..	१०	७७५	१,११,९३०	यह संख्या ९ मिलों की है, किन्तु वेज बिल १० मिलों का है ।
४—सुपरवाइजर ..	८	१७७	८३,३००	यह संख्या सात मिलों की है, किन्तु वेज बिल ८ मिलों का है ।
योगफल ..		४०,९५९	३८,२५,५८७	

सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति वालों की भर्ती के लिये सरकारी आदेश

*१६—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार मैनुअल आफ दी गवर्नमेंट आर्डर्स (Manual of the Government Orders) के पैरा ३४५ (ए) की एक नकल मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह (मालगोजारी मंत्री के स्थान पर)—मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा ३४५ (ए) की एक नकल मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६२ पर)

*१७—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—(क) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में उक्त आदेश का पालन किया जाता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त आदेश में कोई परिवर्तन किया गया है ?

(ग) यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह क्या है ?

श्री चरण सिंह—(क) उक्त आदेश के न पालन किये जाने की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*१८—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग द्वारा पिछड़ी जाति वालों की जो सूची बनायी गयी है, उन जाति वालों का सरकारी नौकरियों के चुनाव के अवसर पर विशेष रूप से उक्त मैनुअल के आधार पर लिहाज किया जाता है ?

(ख) क्या उक्त मैनुअल के अनुसार सरकार के उच्च अधिकारियों को कोई आदेश भेजा गया है ?

श्री चरण सिंह—(क) सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये कोई जगहें सुरक्षित (रिजर्व) नहीं रक्खी गई हैं। लेकिन यह बिलकुल साफ है कि नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे उक्त मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स (M.G.O.) के पैरा ३४५ (ए) में दी हुई हिदायतों का पालन करेंगे। समय-समय पर आज्ञाएं जारी की गई हैं और अभी हाल ही में सरकार ने यह आज्ञा निकाली है कि प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़ कर किसी और तरीके से सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती करते समय, पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाय, और अगर वे निर्धारित योग्यता रखते हों तो काफ़ी तादाद में उन्हें भर्ती किया जाय।

(ख) जी हां।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यह आज्ञा जो हाल में सरकार ने निकाली है वह किस तारीख को निकाली गई ?

श्री चरण सिंह—९ जून, सन् १९५० ई०।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या यह आज्ञा सभी सरकारी विभागों के लिये निकाली गई है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, जहां कि प्रतियोगिता परीक्षा न होती हो।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार की यह नीति है कि पिछड़ी जाति और गैर-पिछड़ी जाति के उम्मीदवार बराबर योग्यता रखते हों तो पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को तरजीह दी जायेगी ?

श्री चरण सिंह—जी हां, यथासंभव।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में नर्सों और मिडवाइफ़ों की कौंसिल

*१९. श्री गजाधर प्रसाद—(क) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोई नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल नाम की संस्था है ?

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य तथा पदाधिकारी कौन-कौन हैं ?

(ग) क्या सरकार उस संस्था की नियमावली की एक हिन्दी कापी मेज़ पर रखेगी ?

(घ) अभी तक इस संस्था की कार्यवाही किस भाषा में चल रही है ?

(ङ) इस संस्था का कार्य क्या है और क्या इसका कार्य-क्षेत्र देहातों में भी है ? यदि हां, तो वहां किस प्रकार यह संस्था ग्रामीण जनता की सहायता करती है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अर्थ मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) सूची मेज़ पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६३ पर)

(ग) नियमावली अभी हिन्दी में नहीं छपी।

(घ) अंग्रेजी में। किन्तु पिछली बैठक से बहस और भाषण हिन्दी में होने लगे हैं। बैठकों की कार्यवाही १९४७ ई० से हिन्दी गज़ेट में भी छपती है।

(ङ) यह संस्था नर्सों, मिडवाइफों, हेल्थ विजिटरों का रजिस्ट्रेशन करती है तथा उनकी शिक्षा, कार्य और उद्यम सम्बन्धी सदाचार का निश्चय और नियंत्रण करती है। देहात से इस संस्था का कोई सीधा सम्पर्क नहीं है।

श्री गजाधर प्रसाद—जब इस संस्था की कार्यवाही हिन्दी गज़ट में छपती है तो इसकी नियमावली हिन्दी में क्यों नहीं छपी है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—खेद है, अब तक यह नहीं छप सकी, लेकिन इसके लिये आदेश जारी कर दिया गया है।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हिन्दी में कार्यवाही करने के लिये जो आदेश दिया गया है वह इस प्रश्न का नोटिस पाने के बाद या पहले दिया गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब यह सूचना मिली कि कार्यवाही हिन्दी में नहीं होती है उसी के बाद यह आदेश जारी किया गया।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस बात की सूचना मंत्री जी को कब मिली कि इसकी कार्यवाही हिन्दी में नहीं होती है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब सवाल पूछे गये।

*२०—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष १९४९-५० ई० में इस संस्था को सरकार की ओर से कितने रुपयों की सहायता दी गयी और इसकी सालाना आमदनी तथा खर्च क्या है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसे सन् १९४९-५० में सरकार की ओर से ५,५०० रुपये की सहायता मिली है और इसकी पिछली तीन साल की सरकारी सहायता सहित आय औसत ८,९५३ रु०, व्यय का औसत ८,७३६ रु० है।

श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संस्था का जो खर्च है वह किन-किन मदों पर है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा कि बताया गया है यह संस्था नर्सेज और मिडवाइफ़ वगैरह का रजिस्ट्रेशन इत्यादि करती है, उनकी प्रोफेशनल एबिलिटी आदि बातों को देखती है और अगर कोई नर्स अनप्रोफेशनल काम करती है तो उसका नाम रजिस्टर से काट देती है। इसी कार्य के संचालन में इसका पैसा खर्च होता है।

श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संस्था की सालाना आमदनी रजिस्ट्रेशन से कितनी है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*२१–२४—श्री श्रीचन्द सिंघल—[स्थगित किये गये ।]

*२५–२८—श्री वीरेन्द्र शाह—[स्थगित किये गये ।]

*२९–३२—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—[स्थगित किये गये ।]

राज्य के विभिन्न विभागों में मोटर गाड़ियां

*३३—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस राज्य कि किस–किस विभाग में अलग–अलग गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स पर, रीजनल हेडक्वार्टर्स पर, सर्किल हेडक्वार्टर्स व अन्य जगहों पर कितनी मोटर गाड़ियां, किस–किस क़िस्म की (टाइप आफ़ बाडी व व्हील बस), किस–किस कारखाने की और किस किस साल की बनी हुई सरकारी गाड़ियां हैं ? जो गाड़ियां अब मौजूद हैं, उनकी खरीदारी पर सरकार का कुल कितना खर्च हुआ है ? यह सूचना विभागवार अलग–अलग दी जाय ?

माननीय श्री लाल बहादुर—माननीय सदस्य मानेंगे कि इस सवाल के जवाब देने में जो श्रम जिलों से सूचना मंगाने आदि में होगा उसकी जरूरत नहीं है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि सरकारी गाड़ियों का रिकार्ड मुहकमे में रखा जाता है या नहीं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हां, रखा जाता है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि यह इत्तिला इकट्ठा करने में क्या–क्या कठिनाइयां हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—आपने जो सवाल पूछा है कि गाड़ियां किस–किस मेक की और किस–किस कारखाने की हैं और क्या–क्या पार्ट्स हैं । जब तक हर जिलेवार यह इकट्ठा न की जायें तब तक नहीं हो सकता है । इसमें काफी वक्त लगेगा । अगर माननीय सदस्य किसी खास जगह की या किसी खास इलाके के बारे में पूछें तो गौर किया जायेगा ।

श्री खानचन्द गौतम—श्रीमान्, अब से पहले कई बार प्रश्नों के उत्तर में हुकूमत की तरफ से उत्तर दिया गया है कि सरकार अनुपयुक्त समझती है, इसलिए आंकड़े इकट्ठा नहीं किये गये हैं । क्या यह गवर्नमेंट के लिए उचित है या आपका क्षेत्र है जिसमें गवर्नमेंट को दखल नहीं देना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष—उत्तर देना गवर्नमेंट का काम है । प्रश्न उपयुक्त है या नहीं यह देखना मेरा काम है, परन्तु उनका उत्तर गवर्नमेंट दे सकती है या नहीं दे सकती या किसी अंश में दे सकती है, यह देखना गवर्नमेंट का काम है । अगर गवर्नमेंट यह कहती है कि वह किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझती है तो यह अध्यक्ष का काम नहीं है कि वह गवर्नमेंट को मजबूर करे कि वह उत्तर दे ।

श्री खानचन्द गौतम—जब गवर्नमेंट यह कहे कि वह उपयुक्त नहीं समझती ?

माननीय अध्यक्ष—यह भी उसी का काम है कि वह निश्चय करे कि किस प्रकार का उत्तर उसे देना है । उत्तर देना उपयुक्त है या नहीं यह उसके ऊपर है । मैं उसके उत्तर को बदल नहीं सकता । जो आप चाहते हैं यदि वैसा नियम हो तब तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर के ऊपर अध्यक्ष का शासन हो जायेगा और अध्यक्ष फिर उनको आज्ञा दे सकेगा कि वह किस किस प्रकार से परिश्रम करायें और सवालों का जवाब कैसे इकट्ठा करें । मेरा यह अनुमान है कि प्रजा–तंत्र सभाओं का, जिनमें आज हम काम करते हैं, यह मार्ग नहीं है । अध्यक्ष के अधिकार कार्य–वाही के सम्बन्ध में हैं और वह सीमित हैं । गवर्नमेंट के उत्तरों के ऊपर उनका यह अधिकार

नहीं है कि उनसे वह माफ़ी तलब करें या इस्तीफ़ा देने को कहें। उनके सम्बन्ध में जानकारी करें कि किस तरह का है। [illegible] मैं [illegible] तक उनका [illegible] अफ़सोस ही कर सकता हूँ। अगर मुझको ऐसा लगे कि इस सदन के अधिकारों के सम्बन्ध में वह त्रुटि कर रहे हैं तो मैं मुनादी कर सकता हूँ। परन्तु प्रश्न का उत्तर देना न देना किस रूप से देना यह अलग बात गवर्नमेंट के हाथ में है।

सन् १९४९—५० ई० के बजट में विभिन्न ग्रान्टों तथा विभागों में रुपये का लैप्स होना

*३४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९४९—५० ई० के बजट में किस–किस ग्रान्ट में और किस–किस मुहकमें में अलग–अलग कितना रुपया लैप्स हुआ और किस कारण?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसी विशेष वर्ष के विभिन्न अनुदानों में कितनी रकमें काम में नहीं आयी, यह तभी जाना जा सकता है जब उस वर्ष के विनियोग लेखों (appropriation accounts) का संकलन एकाउन्टेंट जनरल कर लेते है और ये लेखे सरकार के पास भेज दिये जाते हैं। १९४९–५० ई० के विनियोग लेखों का संकलन एकाउन्टेंट जनरल १९५१ ई० के शुरू तक पूरा नहीं कर पायेंगे और सम्भव है कि इसमें और भी ज्यादा समय लगे, इसका मुख्य कारण यह है कि वित्तीय वर्ष (financial year) के खत्म हो जाने के बाद भी कई महीनों तक हिसाब अन्तिम रूप से बंद नहीं किये जा सकते, क्योंकि उस अवधि में समाधान (adjustment) किये जाते रहते है और विनियोग लेखों के सब विवरणों और आकड़ों की होशियारी से जांच करनी होती है और उनकी तसदीक ऐसे विभिन्न अधिकारियों से करानी होती है, जो अपने सुपुर्द किये गये अनुदानों में से होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जब गवर्नमेंट को पासिबिल लैप्सेज़ का पता नहीं चलता तो आयंदा साल का बजट वह किस तरह से तैयार करेगी जब तक कि फरवरी और मार्च तक इस चीज का पता नहीं चलता?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य तीन साल से बजट बनते हुए देखते आ रहे हैं। ठीक-ठीक फीगर्स साल डेढ़ साल के बाद मालूम होते हैं। अंदाज रहता है कि अगले साल इतनी बचत होगी और उसी आधार पर उस साल के ओपनिंग बेलेन्सेज लिख देते है। फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच में भी यह आता है कि यह एप्राक्सिमेट फीगर्स हैं, जो आगे चलकर गलत हो सकते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट सन् १९४९–५० ई० के बजट के पासिबिल लैप्सेज बतलाने को तैयार है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक–एक चीज का अलग–अलग कहना मुश्किल है लेकिन जितने दिनों में अलग अलग विभाग के पासिबिल लैप्सेज जोड़े जायेंगे उतने दिन में तो ए० जी० के यहां से हिसाब भी आ जायेगा।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले तीन सालों से लगातार अप्रोप्रियेशन एकाउंट्स के बनाने में देरी होती रही है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सदस्य रहे हैं। वह जानते हैं यह बात ऐसी है।

*३५–३८—श्री मुहम्मद असरार अहमद—[स्थगित किये गये।]

सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों से एक घंटा अधिक काम लिया जाना

*३९—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि सचिवालय में कर्मचारियों से काम लेने के लिये एक घंटा बढ़ा दिया गया है और इस तरीके से एक घंटा ज्यादा काम लिया

जाता है ? क्या गवर्नमेंट कर्मचारियों को इस ज्यादा काम का कोई पुरस्कार देती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चरण सिंह—अप्रैल १९४९ ई० में समय बदल गया था, तब से कोई बदलाव नहीं हुआ। जी नहीं, न ऐसा करने की जरूरत ही है क्यों कि रोजाना सिर्फ साढ़े छै घंटे काम के लिये जब कि छुट्टियां अलग होती हैं, पुरस्कार देना हितकर है कि नहीं, विचारणीय है। अनेक कर्मचारी देश सेवा की भावना से न कि पुरस्कार की लालसा से निर्धारित समय से भी अधिक काम करते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलाएगी कि यह एक घंटा काम करना किस गरज से बढ़ाया गया है, पुरानी रीति में क्यों तब्दीली की गयी ?

श्री चरण सिंह—क्योंकि सरकार के आने के बाद काम बढ़ गया। उसे निबटाने के लिए यह बढ़ाया गया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि जब मिहनती है तब जिस हिसाब से काम बढ़ाया गया है उसी हिसाब से तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई गयी ?

श्री चरण सिंह—सरकारी कर्मचारी एक प्रकार से सरकार का २४ घंटे का सेवक है तो उन खास सूरतों को छोड़कर जिसमें वे निर्धारित समय से अधिक काम करते हैं, कानूनन किसी भत्ते या ज्यादा तनख्वाह पाने के हकदार नहीं हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि उसे यह कैसे मालूम हुआ कि कर्मचारी अपनी खुशी से ज्यादा समय तक काम करते हैं और उनसे जबरदस्ती काम नहीं लिया जाता ?

श्री चरण सिंह—अपने काम के सिलसिले में हम रोजाना देखते हैं कि वे किस देश-भक्ति भावना से काम करते हैं, इसको नापने के लिए किसी तराजू की जरूरत नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री—अभी गवर्नमेंट की तरफ से यह बताया गया कि सरकारी कर्मचारी २४ घंटे का सेवक है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस कानून से सरकारी कर्मचारी २४ घंटे का सेवक है ?

श्री चरण सिंह—फंडामेंटल रूल नंबर ११ के अनुसार।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि इस मामले में कब तक गौर होगा ?

श्री चरण सिंह—जब काम सीमा के अन्दर आ जायगा, और जब सरकार की आर्थिक स्थिति इजाजत देगी।

*४०—श्री मुहम्मद असरार अहमद—[स्थगित किया गया।]

१६ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रत्येक सिनेमा न देखने के सम्बन्ध में सरकारी योजना

*४१—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि जिसके अनुसार १६ साल से कम आयु के व्यक्ति हर सिनेमा को न देख सकें सिवाय उन पिक्चर्स के जो खासतौर से १६ साल से कम उम्र वालों के लिए ही तैयार की गयी हों ?

श्री चरण सिंह—सिनेमेटोग्राफ (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९४९ ई० के अनुसार, जो १ सितम्बर, १९४९ ई० से लागू है, फिल्म सेन्सर्स बोर्ड दो किस्म के फार्मों में फिल्मों को प्रमाणित करते हैं।

(१) फार्म 'यू' में सार्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) उन फिल्मों के लिए दिया जाता है जो बिना किसी रोक टोक के सब को दिखाने लायक समझी जाती हैं, और

२—फार्म 'ए' में सार्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) उन फिल्मों के लिए दिया जाता है जो बालिगों और ३ साल से कम के गोद के बच्चों को दिखाने लायक समझी जाती हैं। इस तरह फार्म 'ए' में प्रमाणित (certified) की गयी फिल्में १८ साल से कम उम्र वालों को नहीं दिखाई जा सकतीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि उसके कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा रिकार्ड रखा है जिससे यह मालूम हो सके कि ऐसे कितने फिल्म लोगों को दिखलाये गये जिनको सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखा जिनको कि उन्हें देखने का अधिकार था ?

श्री चरण सिंह—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने आज तक की तारीख में कोई ऐसी कानूनी कार्यवाही की कि किसी फिल्म को लोगों को देखने का अधिकार नहीं था और उन्होंने उसे देखा और फिर उन्होंने उनका प्रासीक्यूशन किया हो ?

श्री चरण सिंह—जहां तक जो सिनेमेटोग्राफ में हुआ उसके अधीन सेंसर बोर्ड राज्य की सरकार को बनाने का अधिकार था और गवर्नमेंट ऐसे नियमों को बनाने पर विचार कर रही थी कि इतने ही में मालूम हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने इस कानून में दूसरा संशोधन कर दिया है और जिसके अनुसार सारे हिन्दुस्तान के लिए वह बोर्ड आफ सेंसर कायम करना चाहती थी, इस लिये अपने यहां बोर्ड आफ सेंसर सिनेमा के बारे में बनाने का सवाल ही नहीं उठता और इस तरह से आंकड़े रखने भी प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि उत्तर प्रदेशिक सिनेमाटोग्राफ एडवाइजरी कमेटी ने कितने फिल्मों को यहां देखा जिनको ए० बी० के लाइसेंस मिले हुये थे और यह देखा कि वे सही तरीके से दिखलायी जा रही हैं या नहीं ?

श्री चरण सिंह—इस के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

प्रांतीय सचिवालय तथा जिले के कर्मचारियों में छटनी तथा उनके जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध

*४२—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सच है कि प्रान्तीय सरकार सचिवालय और जिले के कर्मचारियों में कमी कर रही है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार की नीति अपनी शासन व्यवस्था का इस प्रकार पुनः संगठन करना है कि कार्य क्षमता में कमी हुए बिना बचत हो जाय। यदि पुनः संगठन करने से कुछ सरकारी कर्मचारी फालतू हो जायेंगे तो उनकी जगहें खत्म कर दी जायेंगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि उसके सामने आज की तारीख को कोई ऐसा प्रश्न है कि कमी करना जरूरी है या नहीं ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज इस वक्त इस सूरत में कोई चीज हमारे सामने नहीं है।

*४३—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस कमी के स्कीम के अन्तर्गत सचिवालय में कितने कितने, किस-किस पद व वेतन के, कितने-कितने स्थायी और अस्थाई कर्मचारियों के निकाले जाने की सम्भावना है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि पुनर्संगठन के कारण अमले में कमी उसी समय की जायगी जब ऐसा करना जरूरी हो जायगा, इस लिये विभिन्न दफ्तरों में कमी

को जाने वाली जगहों की संख्या पहले ही से मन माने तौर पर नियत नहीं की जा सकती। इसलिये जिन लोगों को छटनी होगी उनकी संख्या, उनका वेतन-क्रम, उनकी अलग-अलग जगहें बताना संभव नहीं है।

श्री मुहम्मद अबरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जिन कर्मचारियों की छटनी होगी उनको कितने महीने की नोटिस दिया जायगा ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने महीने का नोटिस दिया जायगा। जितनी जल्दी से जल्दी उनको अलग किया जा सके, सूबे के लिए अच्छा होगा।

*४४--श्री मुहम्मद अबरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि इन लोगों के लिए जो निकाले जा रहे हैं, वह उनको काम में लगाने का कोई दूसरा प्रबन्ध कर रही है जिससे कि वे अपना जीवन-निर्वाह कर सकें ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिनके अमले की छटनी की जायगी उसे जब-जब मौका मिलेगा काम दिलाने की पूरी-पूरी कोशिश की जायगी।

श्री मुहम्मद अबरार अहमद--क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि उन कर्मचारियों का जिनकी छंटनी होगी और जिनकी काफी औलाद है, उनके लिये रोटी का मुहय्या करने की सरकार ने क्या स्कीम सोची है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो आखिरी सवाल है उसके जवाब में इसका उत्तर दे दिया गया है।

गवर्नमेंट प्लीडर्स की फीस

*४५--श्री मुहम्मद अबरार अहमद--क्या यह सही है कि जिले के गवर्नमेंट प्लीडर्स इस शर्त पर नियुक्त किये जाते हैं कि मुकदमे की पैरवी की रोजाना फीस उन्हें दी जायगी, लेकिन किसी भी ओपिनियन की फीस उनको नहीं दी जायगी, अगर उनसे किसी मामले में लीगल ओपिनियन ली जायगी ?

श्री चरण सिंह--माननीय सदस्य का ध्यान एल० आर० मैन्युअल के नियम १३४, १७९ और १८० की ओर दिलाया जाता है। सब गवर्नमेंट प्लीडरों का यह कर्त्तव्य है कि वे सब कानूनी मामलों में बिना फीस के राय दें लेकिन जिन मामलों में खास कठिनाई होती है या खास तौर से मेहनत करनी पड़ती है उनमें फी मामला १० रु० से लेकर ३२ रु० तक फीस दी जाती है। लखनऊ और कानपुर के गवर्नमेंट प्लीडरों को खासतौर से नियत किया हुआ ९० रु० महीने का भत्ता दिया जाता है।

श्री मुहम्मद अबरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जब बेगार उठाई जा चुकी है तो गवर्नमेंट मामूली से मामूली मुकदमों में उनसे क्यों बेगार ली जाती है और इस दफा को इधर से क्यों नहीं उड़ा दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह--जंगल महकमे की बेगार से तुलना करना तो मेरी अक्ल से बाहर का है।

श्री मुहम्मद अबरार अहमद--क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि ये जो जायद एल० उरीज कानपुर और लखनऊ के गवर्नमेंट प्लीडर्स को दिये जाते हैं वे और जगहों के गवर्नमेंट प्लीडर्स को क्यों नहीं दिये जाते हैं ?

श्री चरण सिंह--इन प्लीडर्स के पास असाधारण तौर पर ज्यादा काम होते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट ने यह मालूम किया है कि हर जिले में हर साल गवर्नमेंट एकाउंटेंट से कारगी मशविरे अलावा मुकदमात के कितने केसेज में उ तक लिये जाते रहे?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। ऐसी कोई तहकीकात नहीं की गयी और न उसकी आवश्यकता नहीं है।

*४६—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि बिना फ़ीस के लीगल ओपिनियन लेने के दस्तूर को समाप्त करने के लिए सरकार विचार कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

प्रान्त में बेरोजगारी रोकने की सरकारी योजना

*४७—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार को मालूम है कि प्रान्त में शिक्षित और अशिक्षित लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या सरकार ने इस बेरोजगारी का सही पता लगाने के लिए कोई सेंसेस कराया है या कराने का इरादा किया है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सेंसेस नहीं कराया गया है।

*४८—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उसने इस प्रान्त में इस बेरोजगारी रोकने के लिए क्या-क्या योजना तैयार की है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह समस्या केवल इस प्रदेश में ही सीमित नहीं है वरन् सम्पूर्ण देश ही इससे प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार व अन्य सरकारों से विचार विनिमय करके ही किसी सक्रिय रूप से इसका हल निकालने का प्रयत्न कर सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार अभी तक किसी निश्चय पर नहीं पहुंची है। यदि माननीय सदस्य या और कोई सज्जन किसी प्रकार के रचनात्मक सुझाव रखें तो सरकार इसके लिये उनकी आभारी होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि जबकि सरकार का इरादा बेकारी को दूर करने का है तो उसने अब तक बेकारी का सेन्सेस क्यों नहीं कराया?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा सेन्सेस करने के माने होंगे कि बेकार लोगों को उम्मेद दिलाई जाय कि सरकार की तरफ से उनका कोई न कोई इंतजाम किया जायगा और गवर्नमेंट बगैर सेन्सेस किये हुए ही जानती है कि बेकारों की तादाद कई हजार है और जब तक उनको दूर करने की कोई तरकीब दिमाग में नहीं आती तब तक सेन्सेस कराना लोगों को धोखा देना ही होगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलावेगी कि कांग्रेस मैनीफ़ैस्टों के मुताबिक जब गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह बेकारी को दूर करे, तो आज की तारीख तक उसने बेकारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाया?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह अफसोस जाहिर करती रहती है और गौर करती रहती है कि क्या किया जाय और इस चीज को कैसे दूर किया जाय।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या अब सरकार इस तरह का सेन्सेस कराने का इरादा रखती है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक इसका कोई हल न निकल आवे तब तक ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या यहां की सरकार ने इस बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास कोई तजवीज भेजी है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री खानचन्द गौतम—क्या पिछले ८ वर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेकारी की समस्या को दूर करने के सिलसिले में कोई योजना तैयार की है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फारमल तरीके पर तो नहीं लेकिन इनफारमल तरीके पर यह मसला सब के सामने है और सभी इस दिक्कत में हैं कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जावे।

श्री खानचन्द गौतम—यह जो इनफारमल तरीके से विचार हुआ है क्या वह केवल मन में विषाद लाने या आंसू बहाने तक ही सीमित रहा है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तो आंसू बहाने तक ही सीमित रहा है।

श्रीमती अब्दुल वाजिद—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि बेरोजगारी और बेकारी की वजह से कितने ही लोगों ने खुदकुशी कर ली है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका ठीक अन्दाजा हमारे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—कहा गया है कि अगर कोई सदस्य कोई योजना गवर्नमेंट के सामने रखें तो उस पर गौर किया जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई सदस्य कोई स्टेटिस्टिक्स तलब करें तो वह सरकार की तरफ से दिये जा सकते हैं या नहीं ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर हमारे पास होंगे तो वह शौक से दिये जायंगे।

विभिन्न जिलों में १५ जून, १९५० ई० तक जमींदारी फंड में वसूलयाबी

*४९—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि अलग-अलग जिलों ने इस प्रान्त में कितना-कितना रुपया १५ जून सन् ५० ई० तक जमींदारी फंड में जमा हुआ है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)—१६ जून सन् १९५० ई० तक की जमींदारी फंड की जिलेवार वसूली संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६४ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि इसकी क्या वजह है कि कुछ जिलों में वसूलयाबी बहुत कम है और कुछ में बहुत ज्यादा है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जिनके पास रुपया था उन्होंने ज्यादा दिया और जिनके पास कम था उन्होंने कम दिया और जो कम समझे उन्होंने भी कम दिया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि जिनके पास रुपया नहीं था उन्होंने रुपया नहीं दिया ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—यह कुछ हद तक ठीक हो सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि अब तक १७६ करोड़ में से २१ करोड़ रुपया जमा हुआ है, ऐसी हालत में सरकार जमींदारी किस तरह से खत्म करना चाहती है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जो बिल चल रहा है उसमें आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट जमींदारी को किस तरह से अबालिश करना चाहती है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि १७६ करोड़ रुपये का इन्तजाम वह किस तरीके से करेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—अभी तो इस बिल के मसविदे के लिहाज से इसकी जरूरत मालूम नहीं होती कि इन्तजाम इस वक्त किया जाय।

हरदुआगंज पावर हाउस के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

५०—श्री नवाब सिंह चौहान (अनुपस्थित)—वित्तीय वर्ष १९४६–४७ व १९४८–४९ ई० में हरदुआगंज पावर हाउस में अलग-अलग कितना कोयला खर्च हुआ और कितनी बिजली तैयार हुई ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—हरदुआगंज पावर हाउस में १९४६–४७ और १९४८–४९ के कोयले के खर्च और बिजली की तैयारी के आंकड़े यह हैं—

	कोयले का खर्च	बिजली तैयार
सन् १९४६–४७	१,४६,६५,५६१ टन	१,२४,५१,५०० यूनिट
सन् १९४८–४९	३,३०,४५,९६८ टन	२,६२,४९,६०० यूनिट

*५१—श्री नवाब सिंह चौहान (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि १९४८–४९ में इस पावर हाउस के बाइलर्स की मरम्मत एक फर्म द्वारा २९,००० रु० में करायी गई ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। किन्तु स्टाक से दी हुई वस्तुओं के अतिरिक्त उस पर २,८९५ रुपया ११ आना व्यय हुआ।

*५२—श्री नवाब सिंह चौहान (अनुपस्थित)—क्या यह भी सच है कि उक्त तीन बाइलर्स की मरम्मत जो कि ठीक पहिले बाइलर्स के बराबर थी डिपार्टमेंट द्वारा की गयी जिसमें केवल १०,००० रु० ही लगे ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। किन्तु प्राप्त रेकार्ड से यह नहीं कहा जा सकता कि डिपार्टमेंट द्वारा किये गये काम और फर्म द्वारा किये गये काम की मात्रा बराबर थी।

*५३—श्री नवाब सिंह चौहान (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले साल से हरदुआगंज स्टेशन की कोयले की राख का नीलाम किस किस को, कितने-कितने में दिया गया ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—सन् १९४५–४६ से १९४७–४८ तक राख हाप्पर्स (hoppers) से रेलवे साइडिंग तक महकमे के मजदूरों द्वारा उठाई गई और वहां से श्री पी० सी० गुप्ता ने बिना मूल्य के प्राप्त की। १९४८–४९ में यह श्री पी० सी० गुप्ता को १,५०० में रुपये दी गई। सन् १९४९–५० में हरदुआगंज कोआपरेटिव यूनियन को १,५०० रुपये दी गई।

टाउन एरिया शामली, जिला मुजफ्फरनगर का म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तन

*५४—श्री केशव गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया शामली, जिला मुजफ्फरनगर किस तिथि को म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित कर दी गयी है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)—पहली अगस्त सन् १९४९ से शामली म्युनिसिपैलिटी हो गयी।

*५५—श्री केशव गुप्त (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिलाधीश मुजफ्फरनगर ने अपनी ओर से धारा ३३३ म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट कैराना को उपरोक्त म्युनिसिपैलिटी का अधिकार नियुक्त किया और इस आदेश का तार द्वारा भी टाउन एरिया, शामली को दिया ? यदि उत्तर "हां" में है तो किस तिथि को और क्या सरकार उपरोक्त आदेश तथा तार की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—इस सम्बन्ध में सरकार जांच कर रही है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५४–६० श्री खानचन्द गौतम ने पूछे।

*५६--श्री केशव गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारी के अधिकार तथा कर्तव्य बताने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इसका उत्तर जांच पूरी होने पर दिया जा सकता है।

*५७--श्री केशव गुप्त (अनुपस्थित)--क्या उपरोक्त जिलाधीश द्वारा अधिकारी ही उपरोक्त म्युनिसिपैलिटी का अभी तक अधिकारी है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--जी हां।

श्री खानचन्द गौतम--क्या माननीय मंत्री महोदय को यह स्मरण है कि उन्होंने एक दफ़ा सदन में यह घोषणा की थी कि जो म्युनिसिपैलिटीज बनाई जायंगी उनके ऊपर किसी व्यक्ति की ही नियुक्ति नहीं की जायगी और एकाधिकारी शासन नहीं चलाया जायगा पिछले जिलों के मेम्बरों को शामिल करके कमेटी बनाई जायगी यह पसन्द किया जायगा ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--यह इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं समझता हूं एक नया प्रश्न उठाया गया है, लेकिन हां, कमेटी के सम्बन्ध में मैंने यह जिक्र जरूर किया था कि जहां सरकार उचित समझेगी कि कमेटी कार्य कर सकती है तो उस कमेटी को दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगी और इसके लिए हम हर जगह तहकीकात कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख भी दिया गया है कि अगर पुरानी कमेटियां काम कर सकती हैं तो उनको पुनर्जीवित किया जाय।

श्री खानचन्द गौतम--क्या सरकार की ओर से उसकी नीति के सम्बन्ध में ऐसा कोई परिपत्र जिलों को गया है कि म्युनिसिपैलिटीज के शासन के सम्बन्ध में जहां तक सम्भव हो कमेटी नियुक्त की जाय, किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति न की जाय ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--परिपत्र इस किस्म का गया है कि नोटिफ़ाइड एरियाज को ही बदल कर म्युनिसिपैलिटीज किया गया है, इसलिए उनको ही यह अधिकार दिया जाय। क्या जब संशोधन हुआ तब कमेटियां फिर से बनाई गईं। इसलिए परिपत्र यह भेजा गया कि पुरानी कमेटियों को पुनर्जीवित करने के लिए जांच की जाय और यदि ये उपयोगी साबित हो सकें तो उनको अधिकार दे दिया जाय।

श्री खानचन्द गौतम--क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शामली के सम्बन्ध में कौन सी ऐसी बाधा थी जिसके कारण शुरू से ही एक कमेटी नियुक्त नहीं हो सकती थी और एक व्यक्ति को यह अधिकार देना पड़ा ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--यह तो पुरानी फ़ाइन्डिंग्ज के अनुसार वहां एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गया। संशोधन तो बाद में किया गया। वही पुराना तरीका अभी तक वहां जारी है। जो प्रश्न पूछे गये उनसे इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आप एक नया सवाल छेड़ रहे हैं।

*५८--श्री केशव गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त म्युनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी की नियुक्ति अभी तक हुई या नहीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां नियुक्ति हो चुकी है।

*५९--श्री केशव गुप्त (अनुपस्थित)--यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर "हां" में है तो वह नियुक्ति विधि की गई और किसने की ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जिला मैजिस्ट्रेट ने २८ नवम्बर सन् १९४९ को नियुक्ति का हुक्म जारी किया।

*६०--श्री केशव गुप्त (अनुपस्थित)--क्या उपरोक्त नियुक्ति के आदेश की एक प्रतिलिपि सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जैसा कहा जा चुका है सरकार ब्योरेवार अभी कुछ नहीं बता सकती जब तक जांच की रिपोर्ट पर पूरा विचार न कर लिया जाय।

श्रीमती चिन्नो तथा श्रीमती करेलिया की गतिविधि सीमित करने के आदेश

*६१--श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि श्रीमती चिन्नो, गंगा करवट नट की लड़की और श्रीमती करेलिया, धुनिया नट की लड़की को, जिनको १७ मई सन् १९२० ई० को बनारस स्टेट में आने से रोका गया था, सरकार ने १६ फरवरी सन् १९५० ई० की विज्ञप्ति द्वारा फिर से सारे उत्तर प्रदेश में आने से रोका है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। १७ मई सन् १९२० को विज्ञप्ति द्वारा श्रीमती चिन्नो, गंगा करवाल नट की लड़की और श्रीमती करेलिया धुनिया नट की लड़की की गतिविधि बनारस जिले में सीमित थी। बाद में उन्हीं की प्रार्थना पर सरकार ने १६ फरवरी, १९५० ई० को विज्ञप्ति द्वारा उनकी गतिविधि बनारस के बजाय पश्चिमी बंगाल में सीमित कर दी।

*६२--श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (अनुपस्थित)--इस विज्ञप्ति के निकालने का क्या उद्देश्य है ?

श्री चरण सिंह--उनकी प्रार्थना की पूर्ति।

*६३--श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (अनुपस्थित)--इन दोनों स्त्रियों को क्यों यह दण्ड दिया गया ?

श्री चरण सिंह--दण्ड का प्रश्न नहीं उठता, उन्हीं की प्रार्थना पर ऐसा किया गया।

*६४--श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को निश्चय है कि ये दोनों व्यक्ति अभी जीवित हैं ?

श्री चरण सिंह--सरकार को इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

पुलिस विभाग में सरकारी खर्च पर कर्मचारियों तथा अधिकारियों की वर्दियां

*६५--श्री जयराम वर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पुलिस विभाग में किन-किन कर्मचारियों को और अधिकारियों को सरकारी वर्दी सरकारी खर्च पर मिलती है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ६१--६४ श्री रामचरण शास्त्री ने पूछे।

माननीय श्री लालबहादुर--हेड कान्स्टेबिल, कान्स्टेबिल, पुलिस लाइन्स के अध्यापक, मोटर ड्राइवर, अर्दली, अस्पताल के चपरासी और गार्द के चौकीदारों को सरकारी वर्दी सरकार खर्च पर मिलती है।

श्री जयराम वर्मा--क्या यह सही है कि डी० एस० पी० और एस० पी० को भी सरकारी वर्दी सरकारी खर्च पर मिलती है ?

माननीय श्री लालबहादुर--जहां तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं है, परन्तु मैं निश्चयपूर्वक इस सम्बन्ध में इस समय नहीं कह सकता।

श्री जयराम वर्मा--क्या यह सही है कि पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों को सरकारी वर्दी सरकारी खर्च पर नहीं मिलती है ?

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां।

श्री जयराम वर्मा--पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को सरकारी वर्दी सरकारी खर्च पर क्यों नहीं दी जाती ?

माननीय श्री लालबहादुर--शुरू से ही ऐसा नियम चला आ रहा है जिससे उन्हें वर्दी नहीं दी जा रही है। अभी वह बदला नहीं गया और इस समय उसको देने के माने पुलिस बजट का खर्च बहुत बढ़ाना होगा।

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को घोड़ा खरीदने के लिए सरकारी सहायता

*६६--श्री जयराम वर्मा--क्या यह सही है कि पुलिस सब-इंसपेक्टर को घोड़ा खरीदने पर सरकार से कुछ रुपया उस के दाम के रूप में दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां। सिविल पुलिस सब-इंसपेक्टरों को घोड़ा खरीदने के लिए ३०० रुपये सहायता के रूप में दिये जाते हैं।

श्री जयराम वर्मा--यह ३०० रु० की सहायता घोड़ा खरीदने के लिए कब से दी जाती है ?

माननीय श्री लालबहादुर--लगभग डेढ़ साल पहले यह आदेश दिया गया था।

*६७--श्री जयराम वर्मा--क्या यह सही है कि वह रकम जो घोड़े के दाम के रूप में दी जाती है, बहुत दिनों से उतनी ही चली आ रही है और उसमें कोई अन्तर नहीं किया गया ?

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां।

*६८--श्री जयराम वर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि एक अच्छे घोड़े का दाम आज से १० वर्ष पहले कितना था और अब कितना है ?

माननीय श्री लाल बहादुर--अब से १० वर्ष पहले एक अच्छे घोड़े का दाम लगभग ढाई तीन सौ के था और इस समय लगभग १,००० के है।

श्री जयराम वर्मा--जब घोड़े का दाम पहले के मुकाबले में इतने बढ़ गये हैं तो पुलिस सब इंसपेक्टरों को घोड़ा खरीदने की सहायता में वृद्धि क्यों नहीं की गई ?

माननीय श्री लालबहादुर--वृद्धि तो की गई और वृद्धि करने से ही ३०० रु० पर आये, लेकिन जितना हम अपने बजट के अनुसार कर सकते थे उसके अनुसार ही बढ़ाया गया।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने पर शेष प्रश्न अगले दिन के लिये स्थगित किये गये।)

सन १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष—अब हम सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार करेंगे।

धारा १५४

भूमिधर का भूमि को बंधक रखना

१५४—कोई भूमिधर अपनी ऐसी भूमि का, जिसका वह भूमिधर हो, इस प्रकार का बन्धक न कर सकेगा, जिससे दिये गये या दिये जाने वाले रुपये की सुरक्षा के लिए बन्धक की हुई भूमि में बन्धकी को कब्जा दिया जाता है या भविष्य में दिया जाने वाला हो।

श्री ऐजाज रसूल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १५४ के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा रख दी जाय—

"कोई भूमिधर अपनी ऐसी भूमि का, जिसका वह भूमिधर हो, पांच वर्ष से अधिक समय के लिए बंधक (mortgage) न कर सकेगा।"

हुजूरवाला, मेरी इस तरमीम का मतलब यह है कि भूमिधर को आपने राइट आफ ट्रांसफर (हस्तान्तरण-अधिकार) दिया है दफा १५१ के बमूजिब और भूमिधर अपनी जायदाद को बिल भी कर सकता है, तो फिर क्या वजह है कि उसको मारगेज का अख्तियार न दिया जाय। इसीलिये मैंने यह तरमीम मूव की है। आप यह क्यों इंसिस्ट करते हैं कि सवा छः एकड़ जमीन से कम का जो भूमिधर होगा उसको सब जमीन बेच डालनी पड़ेगी। मैं यह चाहता हूं कि बजाय इसके कि वह बेचे, अगर उसको रुपये की जरूरत हो तो वह अपनी जमीन को पांच साल के लिये मारगेज भी कर सके और फिर उसको छुड़ा सके। यही मेरे अमेंडमेंट का मतलब है। जो भूमिधर हजारों और लाखों की तादाद में बने हैं वह ज्यादातर छोटे खेतों के भूमिधर बने हैं। अगर मारगेज करने का हक उनको नहीं होगा तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह दफा ३९ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में मौजूद है कि एक काश्तकार अपने खाते को ५ वर्ष के लिए लीज कर सकता है और फिर छुड़ा सकता है। उसी तरह मैं चाहता हूं कि भूमिधर को आप यह अख्तियार दे दें कि अपनी जमीन को बेचने के अलावा उसको यह अख्तियार रहेगा कि वक्त जरूरत के लिए वह अपनी जमीन को मारगेज (बंधक) कर सकता है। अगर यह अख्तियार उनको नहीं दिया जायगा तो नतीजा यह होगा कि छोटे-छोटे भूमिधरों को जिन्होंने १० गुना जमा किया है, उनको जब रुपये की जरूरत पड़ेगी तो उनको अपनी जमीन बेच डालना पड़ेगा। इसी चीज को रोकने के लिए मैंने यह अमेंडमेंट (संशोधन) पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इस अमेंडमेंट को जरूर मंजूर करेंगे क्योंकि यह फायदेमन्द है।

श्री गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव या संशोधन जो अभी मेरे मित्र ऐजाज रसूल जी ने इस सदन के सामने रखा है उसको सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन के जरिये से हम भूमिधरों को वह अख्तियार देना चाहते हैं जिससे वह आसानी के साथ अपनी कठिनाइयां दूर कर सकें। आपने उसको रहन का तो अख्तियार दिया है, लेकिन दखली रहन का अधिकार आपने नहीं दिया। अगर आप दखली रहन का अधिकार नहीं देते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि जो कुछ भी भूमिधर के पास असेट्स हैं वह सब फ्रीज हो जायंगे। यानी अगर वह रुपया लगाना चाहता है, उसके पास धन नहीं है तो वह कर्ज लेकर लगा सकता है और उसके बाद अपना काम निकाल करके वापिस कर सकता है। लेकिन अगर आप यह हक नहीं देते हैं तो उसके सब असेट्स फ्रीज हो जायंगे। इसके अलावा एक बात जो सब से बड़ी होगी वह यह कि अगर उसको इस समय रुपये की आवश्यकता है और अगर वह

जमीन में कुछ तरक्की करना चाहता है लेकिन धन का न होने की वजह से और अपनी जमीन को भी रहन [illegible] धन हासिल नहीं कर सकता तो जो तरक्की वह जमीन में कर सकता है वह भी नहीं है [illegible] उसकी भी बहुत हानि पहुंचेगी। [illegible] नहीं [illegible] कि जब हक [illegible] तो उसकी रहन [illegible] हक को देने से [illegible] होगा। [illegible] उसे हासिल करने का [illegible] [illegible] बिलकुल [illegible] हटा दे [illegible] उसकी जमीन उसके [illegible] [illegible] जमीन की [illegible] [illegible] हुकूक [illegible] महाजन का बहुत [illegible] दावा करती है [illegible] [illegible] ऐसा [illegible] हक है कि अगर उनको नहीं देंगे तो जमीन का तरक्की रुक जायगा और जितना उनका धन है वह उसके पास रह जायगा, उसका उपयोग भी नहीं हो सकेगा। इन [illegible] बातों से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे मंजूर करेगी।

[illegible] श्री [illegible] सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन [illegible] है इसमें [illegible] माननीय मित्र नवाब ऐजाज रसूल साहब और [illegible] ताईद करने वाले श्री कुंवर गुरुनारायण जी की यह दिली इच्छा मालूम होती है कि सबलेटिंग के राइट को बलजोर से आखिर के हासिल किया जाय। जहां तक सबलेटिंग का ताल्लुक है यह तो एक बुनियादी बात है और उससे भी यह गलत संशोधन है और इसी [illegible] विधेयक में किया गया है, सिवाय उन लोगों के हक में जो कि डिस्एबिल्ड कहे जाते हैं, जिनका जिक्र धारा १५६ में है। अगर वाकयात से आंखें न मूंदी जाय तो जिनको मुकदमे के मुताल्लिक कुछ तजुर्बा है वह इस बात की ताईद करेंगे कि मौजूदा कानून के अन्दर लोगों ने मारगेज के बहाने से क्या क्या तरीके नहीं बरते और कानून की खिलाफवर्जी नहीं की। अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो पूरे–पूरे खाते के मारगेज होंगे। दूसरे लफ्जों में यह साफ–साफ कहा जाय कि लोगों को अपने पूरे–पूरे खाते को सबलेट करने का हक दिया जाय। इससे ज्यादा स्ट्रेटफारवर्ड बात यह होगी कि कह दिया जाय कि सबलेटिंग एलाउ कर दो, बजाय इसके कि यह कहा जाय कि दखल रहन का हक दे दिया जाय। यह भी इस बहाने से [illegible] कि अगर उनको रुपये की जरूरत होगी अपनी जमीन की तरक्की करने के लिए, तो जब तक उनको इस रेहन करने का अख्तियार न दिया जायगा उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो सकती और उनकी जमीन में तरक्की नहीं हो सकती और उनको परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे राजा और नवाब साहबान को तो पूरा तजुर्बा है, मुझे तो इसका तजुर्बा कतई नहीं है कि सिम्पिल मारगेज से उनका काम हमेशा चलता आया है। सीधे–सीधे मामूली रेहन कर देने से बड़ी–बड़ी रकमें पाते हैं।

श्री वीरेन्द्र शाह—अब नहीं मिलती।

माननीय श्री हुकुम सिंह—क्यों नहीं मिलती। अगर इन्कमबर्ड में दरख्वास्तें देखी जायं तो मालूम होगा कि जमींदारों को कितना मिल सकता है। जब आप को कर्ज [illegible] सकता है और सिम्पिल मारगेज की कोई मनाही इस विधेयक में नहीं की गई है। अगर रुपये की जरूरत होगी तो महाजन भी अपने पेशे से बाज न आयेगा, लेनदेन करेगा, बहुत से जमींदार भी अपनी जमींदारी खत्म हो जाने के बाद अपना मौरूसी पेशा फिर अख्तियार करेंगे और लेन–देन का काम शुरू करेंगे उनको सूद मिलेगा वह जरूर सिम्पिल मारगेज पर कर्ज देंगे क्योंकि उनके पास एक मुस्तकिल जायदाद है लिहाजा सिम्पिल मारगेज से उनकी मांग पूरी हो सकती है। उसके मुताल्लिक कोई मनाही नहीं है। लिहाजा यह तरमीम ला करके और सबको वाकजा रेहन का अख्तियार देना उसके माने वही होंगे जैसा मैंने अर्ज किया कि पूरे–पूरे खाते की सबलेटिंग करने का अख्तियार दे दिया जाय जो बुनियादी तरीके से [illegible], बकौल राजा साजिद हुसैन साहब के बिलकुल गलत बात है और फन्डामेंटली जो गलत बात है राजा साहब भी उसको न मानेंगे और

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

कम से कम इस संशोधन के सम्बन्ध में राजा साहब मेरी बात की ताईद करेंगे, क्योंकि बुनियादी बात में मैं हमेशा उनकी मदद चाहता हूं और मुझे विश्वास भी है कि हमको ऐसी बातों में जरूर मदद मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि नवाब साहब ने यह जो तरमीम रखी है इसमें खास बात बड़े है और जो स्कीम इस विधेयक की है कि किसी के पास जरूरत से ज्यादा जमीन इकट्ठी न हो, रेहन बाकब्जा करने से दिक्कतें होंगी वह ज्यादा मुनासिब है। धारा १५३ में आपने तय किया है और उसमें आपने महज सेल और गिफ्ट के बारे में कहा है कि उत शख्स के हक में सेल और गिफ्ट न होगी जिसकी जमीन का खाता मिला कर ३० एकड़ से ज्यादा हो जाय। मारगेज के बारे में आपने कोई बात रखी नहीं है।

धारा १५३ में ३० एकड़ की जो लिमिट (सीमा) है उसमें मारगेज के मुतालिक नहीं रखा है, लिहाज इस मामले पर दफा १५३ में नवाब साहब चाहते हैं कि ऐसा रख दिया जाय जिससे वह लिमिट न रहे और मनमाना रकबा रेहन बाकब्जा के जरिये से हासिल कर लें। इस तरह से जो धारा १५३ का मतलब है वह खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में इस तरमीम को मैं मुखालिफत करता हूं।

श्री सज्जिद हुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने जो इस संशोधन की मुखालिफत की उसकी खास बुनियाद और वजह ससपिशन (सन्देह) है, यानी उनको अन्देशा है कि अगर ये अख्तियारात भूमिधरों को दे दिये गये तो वे इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसे सबलेटिंग के काम में लायेंगे। मेरे ख्याल में उनका यह ससपिशन या शुबहा मुनासिब नहीं है, क्योंकि जमींदारी खत्म होने के बाद, उनको यह मानना पड़ेगा और उनका खुद यह अकीदा है, हिन्दुस्तान से और इस सूबे से बुराई खत्म हो जमींदार जायेगी, जब खत्म हो जायेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी और भूमिधर जो है जैसा कि अंग्रेजों की कहावत है कि "मेक ऐंड डू नो रांग," कोई बुराई नहीं करते। जब सरकार भूमिधरों को यह इत्मीनान दिला रही है कि दरअसल में वे जमीन के मालिक बनाये जा रहे हैं तो फिर यह कैसी मिल्कियत है जिसमें रेहन बाकब्जा शामिल नहीं है? यह अजीब किस्म की मिल्कियत है। मैं नहीं कहता कि भूमिधर मालिक बनाये जायं लेकिन सरकार का दावा है कि वे मालिक बन रहे हैं, इसलिए उनसे रुपया वसूल कर रही है और उनको समझा रही है कि वे रुपया दाखिल करें लेकिन वह कैसी मिल्कियत है जिसके लिए वह रुपया जमा करें जिसमें रेहन बाकब्जा नहीं है। यह तो एक अरजेंसी मेजर होता है, खुशी से कोई अपनी जायदाद दूसरे को मारगेज नहीं करता, बल्कि जब उसको इंतिहाई जरूरत पैसे की होती है और कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है तब अपनी जायदाद रेहन करता है। ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि जो यह वजह बतायी गई और इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं है कि इसका लोग गलत रास्ते पर इस्तेमाल करेंगे वह भूमिधरों के लिये कहां तक मुनासिब है। दुनिया भर की तारीफ भूमिधरों की कर रहे हैं और जब जमींदार भी भूमिधर बन जायेगा तो दुनिया भर की बुराई उनसे निकल जायेगी तो ऐसी सूरत में यह कहां तक मुनासिब और सही है कि उनको यह हक न मिले। बहरहाल, इससे एक बात साफ होती है कि भूमिधर मालिक नहीं बनेंगे जैसा कि अभी तक आप कहते रहे हैं कि भूमिधर पूरे मालिक हो जायेंगे। मेरे ख्याल में वह कोई मिल्कियत नहीं जिसमें रेहन बाकब्जा शामिल न हो। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस तरमीम की ताईद करता हूं।

श्री ऐजाज रसूल—जनाबवाला, मैंने मंत्री जी की तकरीर बहुत गौर से सुनी, जिसमें उन्होंने यह फरमाया कि बैंकडोर से राइट आफ सबलेटिंग लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में अगर दफा ३९ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट को देखा जाय तो उसमें साफ लिखा है 'सबटेनेंसी"। यह सबटेनेंसी का तरीका नहीं है। आप महज इस ईशू (विषय) को गड़बड़ कर देना चाहते हैं, कैमाफ्लाज कर देना चाहते हैं कि यह अख्तियार भूमिधरों को दिया जाय।

साफ तौर पर मैंने कहा। आप यह देखें कि दफा १५१ से आप ने काश्तकारों को राइट आफ ट्रांसफर दिया है और राइट आफ विल भी दिया है तो क्या वजह है कि काश्तकार को राइट आफ मार्गेज न दिया जाय। अगर लोगों को रुपये सख्त जरूरत होती है। हरजा नहीं मिलता है तो तरीका यह है कि कानून के मातहत उनके पास और कोई तरीका नहीं होता सिवाय इसके कि वह अपनी भूमिधरी की जमीन को बेच डाले। मैं पूछना चाहता हूं और मैंने सवाल किया था, जिसका मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया कि क्या गवर्नमेंट प्रिफर करती है कि काश्तकारों को जमीन से खारिज करदे। एक काश्तकार जिसके पास सवा छः एकड़ जमीन है उसको अगर रुपये की जरूरत पड़ेगी तो उसको सारी जमीन बेचनी पड़ेगी। उसके पास एक बीघा क्या एक बिस्वा और बिस्वांसी जमीन भी नहीं रह सकती है, इसलिये मैंने यह तरीका अख्तियार किया था जिसके लिये मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि इससे राइट आफ सबलैटिंग हो जायेगा। मैं कहता हूं कि इसमें बड़ा फर्क है। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया था और मेरा ख्याल था कि मिनिस्टर साहब जरूर इस पर गौर करेंगे। आगे चलकर आप ने यह फरमाया कि पूरे खाते को मार्गेज करना होगा। यह जरूरी नहीं है। अगर किसी को ५० रुपये की जरूरत है तो वह एक बीघा भी मार्गेज कर सकता है पूरे खाते के लिए आप के कानून में कहां लिखा है।

मैं यह देखता हूं जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी ने साझेदारी को मंजूर किया है। राइट आफ बेगार को मंजूर कर लिया है यानी जो काश्तकार बनायेंगे, जो जमीन उठाई जायेगी भूमिधर साझेदार बन जायेंगे उनको पावर नहीं होगी, जब चाहे निकाल दें। यानी आप ने बेगार का नया तरीका रायज कर दिया। इसके ऊपर जब अमेंडमेंट आयेगा तो मैं अपनी राय का इजहार करूंगा। गवर्नमेंट के तमाम प्रिंसिपिल्स (सिद्धान्त) जिस पर यह बिल मबनी था सब खत्म हो रहे हैं। मैं दफा १५५ पढ़ना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा है कि—

"No bhumidhar, sirdar or asami shall let for any period whatsoever, any land comprised in his holding except in the cases provided for in section 156".

(उन दशाओं को छोड़ कर, जिनकी व्यवस्था धारा १५६ में की गयी है, किसी भूमिधर, सीरदार या असामी को किसी भी काल के लिए अपने खाते की कोई भूमि लगान पर उठाने का अधिकार न होगा।)

तो अगर आप गौर करेंगे कि कोई भूमिधर जमीन उठा नहीं सकता है। दफा ९० यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में आप ने रखा था कि कोई साझेदार नहीं रखेंगे तो जब आप यह कर रहे हैं तो सबलैटिंग और मार्गेज का सवाल ही क्या है। आप बेगार को रायज कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो उसूल रखा था कि टिलर्स आफ दी स्वाइल को जमीन मिलना चाहिए। वह कहां रहा? आप तमाम उसूलों को खत्म कर रहे हैं। आपने दो रास्ते निकाले हैं। एक से आप ने राइट आफ ट्रांसफर दिया और दूसरे से आपने राइट आफ विल दिया है। मैं चाहता हूं कि काश्तकार को राइट आफ मार्गेज भी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको मंजूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने एक लम्बी चौड़ी तकरीर की और इस बात की शिकायत की कि साझे के उसूल को मंजूर करके कांग्रेस ने सारे सिद्धान्तों पर पानी फेर दिया। एक तरफ तो यह शिकायत और दूसरी तरफ यह कहना कि मार्गेज विद कम्पेनसेशन (प्रतिकर बन्धक) करने का हक किसानों को दिया जाए। इसका मतलब यह है कि उनको ऐसे अनलिमिटेड राइट्स (अपरिमित अधिकार) दिये जायं जिससे वे अनपढ़े आदमी जो हैं उनकी नावाकफियत से जो बड़े-बड़े लोग हैं, काफी अक्ल रखते हैं, वह फायदा उठा सकें और उनकी जमीनों को रहन की शकल में ले कर उनको जमीनों से महरूम कर सकें। यह मतलब इस तरमीम का है। आप ने फरमाया कि सारे खाते को रहन कर दें, यह कहां मुमकिन है इस तरमीम में। इस आप की तरमीम में रुकावट कहां है कि वह सारे खाते को रहन नहीं

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

[illegible]

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५४ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय—

"कोई भूमिधर अपनी ऐसी भूमि का, जिसका वह भूमिधर हो पांच वर्ष से अधिक समय के लिए बंधक (mortgage) न कर सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८
विपक्ष में—७४

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १५५

भूमि का लगान पर उठाया जाना।

१५५—उन दशाओं को छोड़, जिनकी व्यवस्था धारा १५६ में की गई है, किसी भूमिधर, सीरदार या असामी को किसी भी काल के लिये अपने खाते की कोई भूमि लगान पर उठाने का अधिकार न होगा।

माननीय अध्यक्ष—श्री रघुबीर सहाय अपना संशोधन नहीं पेश कर रहे हैं इसलिये श्री वीरेन्द्र शाह के संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, मैं श्री रघुबीर सहाय का संशोधन अपने संशोधन के साथ पेश करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--हां, कीजिये।

श्री वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १५५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:--

'उन दशाओं के अतिरिक्त जिनकी व्यवस्था १५६ धारा में की गयी है, भूमिधर तथा सीरदार को अपने खाते की ५० प्रतिशत भूमि लगान पर उठाने का अधिकार होगा पर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी उठाई हुई भूमि ३ साल पर्यन्त भूमिधर को अपने काश्त में लानी होगी और उसको फिर ३ साल तक उठाने का अधिकार न होगा पर यह अधिकार असामी को न होगा।"

श्रीमान् जी, मेरा संशोधन बहुत साफ है और हमारे एक कांग्रेसी मित्र ने इसको पेश करना चाहा था लेकिन पता नहीं कि किन मजबूरियों की वजह से वे इसे नहीं पेश कर रहे हैं और आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस संशोधन को मैं अपने संशोधन के साथ पेश करूं।

श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र --ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। श्रीमान् जी, क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिस संशोधन को श्री रघुबीर सहाय ने अपने नाम से दिया था, उस संशोधन को जब वह पेश नहीं कर रहे हैं तो श्री वीरेन्द्र शाह केवल अपना संशोधन पेश कर सकते हैं, मगर अपने साथ वह उनका संशोधन भी पेश कर रहे हैं जबकि उन्होंने अपने संशोधन को पेश करने की स्वीकृति नहीं दी?

माननीय अध्यक्ष--वह अपना संशोधन पेश कर रहे हैं। श्री रघुबीर सहाय का जो संशोधन कार्य-क्रम में था वह उस संशोधन का अंश हो गया है जिसे श्री वीरेन्द्र शाह पेश कर रहे हैं। यह नियमित है।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्जी, तो मुझे इसके मुताल्लिक यह कहना है कि इधर तो सरकार की यह नीति है कि अधिक से अधिक गल्ला पैदा करे और इस योजना के लिए सरकार की ओर से नाना प्रकार की स्कीमें निकलती हैं कि अधिक से अधिक अनाज पैदा किया जाय, परन्तु अगर आप यह देखें कि जो संशोधन हमने रखा है उसमें हमने इस बात को देखते हुए कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सबलेटिंग एलाउ नहीं करता है उसे कहां तक बचाते हुए और मौजूदा हालत को देखते हुए हम इस चीज को कह सकते हैं कि हमारे देश में अधिक से अधिक गल्ला पैदा हो। साथ ही साथ हमारे मंत्री महोदय ने हमारे पहले संशोधन के वक्त यह कहा था कि आप दूसरी तरफ सबलेटिंग चाहते हैं। तो मैं आप से यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार को अपने उद्देश्यों से जरा हट कर भी जहां कहीं ऐसा मुख्य काम पड़ जाय और देश के हित की कोई बात हो तो उसे मान लेना चाहिये। जैसे कि मैंने अपने इस संशोधन में रखा है कि यदि ५० फीसदी यानी दस बीघा में से ५ बीघा उठाने की इजाजत ३ साल के लिए दी जाय। मैं यह कहता हूं कि अगर कोई खेती करने वाला है और वह यह महसूस करता है की बैलों की बढ़ी हुई कीमत की वजह से जो दुगुनी और चौगुनी हो गई है, और दूसरी दिक्कतों की वजह से वह जमीन को काश्त में नहीं ला सकता है तो जमीन खाली न रहे या नाम के लिए वह उसमें लकीरें खींच कर ही खेती न करे, क्योंकि गल्ले की भी कमी है और गल्ला ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने यह रखा है कि उसको आधी जमीन उठाने की इजाजत दे दी जाय। अगर वह पूरी जमीन काम में ला सकता है तो लावे लेकिन अगर नहीं कर सकता है किसी ऊपर बताये कारणवश तो वह उसमें से आधी जमीन लगान पर उठा दे या उसको किसी तरह से मारगेज ही कर दे। यह बात भी आप ने मंजूर नहीं की। इस तरह से लैंड-लेस लेबर (भूमि-रहित श्रमिक) के बारे में जो मोर्य जी मांग किया करते हैं वह भी पूरी हो जायगी और इस तरह से लोगों को भी जमीन मिल जाया करेगी और वह भी अधिक मेहनत से अधिक गल्ला पैदा कर सकेंगे और आधी पर वह खुद अपने साधनों से पैदा कर सकेगा। अगर आप इसकी इजाजत न देंगे तो आपकी जो ग्रो मोर फूड की स्कीम है उसमें भारी बाधा पड़ेगी आप अपने अच्छे से अच्छे उद्देश्य भले ही रखिये लेकिन आप यह जरूर सोच लीजिये कि कोई

[श्री वीरेन्द्र शाह]

चीज आप के देश के लिए कहां तक लाभदायक साबित होगी। अगर आप ने यह रखा कि वह या तो खुद जोते वर्ना उसकी जमीन चली जावेगी। ऐसी हालत में किसान जमीन जोतेगा जरूर चाहे वह उसको पूरी तरह से न जोत सके। ऐसी हालत में जो एग्रीकलचरिस्ट हैं वह जानते होंगे कि वह नाम मात्र को लकीरें खेत में कर देगा जिससे पटवारी समझ ले कि जोता गया है और वह कोई अधिक प्रयत्न उपजाऊ बनाने के लिए या अधिक गल्ला पैदा करने के लिये नहीं करेगा। आज उसके साधन इतने कमजोर हैं कि वह कपड़ा खरीदने और रोजाना की जरूरत की चीजों को पाने में असमर्थ है। यह जो मेरा संशोधन है उसके लिए मुझे इतना ही कहना है कि उसको ५० प्रतिशत उठाने की इजाजत दी जाय। मौजूदा गल्ले के रेट को देखते हुए कोई किसान अपनी जमीन दूसरे को नहीं देगा, अगर देगा भी मजबूरन ही देगा। अगर वह उठा देगा तो सरकार की स्कीम के मुताबिक अधिक अनाज ही पैदा होगा और साथ ही उससे किसानों को भी फायदा होगा।

दूसरी चीज मुझको यह कहना है कि आप की ८० फीसदी होल्डिंग्ज अनएकानामिक हैं। वे इतनी छोटी छोटी होल्डिंग हैं कि उनके लिये अगर एक किसान स्वयं जोतने के लिये एक जोड़ी बैल रखेगा तो उसमें अधिक खर्च होगा और वह मजबूर हो जायगा कि अपनी जमीन छोड़ दे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी अनएकानामिक होल्डिंग्ज हैं, खासतौर से हमारे पूर्वी जिलों में बहुत सी छोटी-छोटी होल्डिंगज हैं एक एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़ की कि वे तब तक नहीं जोत सकते जब तक उनको यह इजाजत न हो लगान पर उठाने की नहीं तो उनको बड़ी कठिनाई होगी। फिर यह संशोधन तो कांग्रेस पार्टी के एक मेम्बर ने रखा था लेकिन किसी वजह से सरकार ने उसको पेश नहीं होने दिया। अब मैं पेश कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा नाम इसमें आ गया है बाक़ी है तो आप लोगों की मंशा के मुताबिक़ ही। मैं आशा करता हूँ कि सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को अभी हमारे मित्र राजा वीरेन्द्र शाह जी ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। अभी जब बहस हो रही थी तो माननीय माल मंत्री ने यह कहा कि सब-लेटिंग का राइट हम लोग बैक डोर से लाना चाहते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि मैं तो सबलेटिंग का राइट फ्रंट डोर, सामने से ही लाना चाहता हूं। यह हक़ भूमिधरों और सीरदारों को जरूर देना चाहिये और कोई कारण नहीं है कि जब आप उनसे इतना रुपया भी वसूल करने जा रहे हैं तो उनको इस हक़ से वंचित रखें। इसका परिणाम क्या होगा। सबसे पहले तो आपको मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि अगर उनको यह हक़ न मिला तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने होगी वह लैंडलेस लेबरर्स की होगी। बहुत से ऐसे लोग हो जायंगे जिनके पास जमीनें न रहेंगी और यह सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर हम उनको सबलेटिंग का हक देते हैं तो इससे तो हम लैंडलेस लेबरर्स की समस्या को हल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मौक़े आते हैं जब कि किसी किसान के यहां ऐसी बीमारी हो गई या उसको ऐसी कोई अड़चन पड़ गई जिसके कारण वह अपनी जमीन नहीं जोत सकता और अगर उसने दो तीन वर्षों के लिये अपनी जमीन को उठा दिया और वह उठी हुई जमीन जुत गई और उसके बाद उसको फिर मिल गई तो इसमें आपको क्या आपत्ति होती है और कौन बड़ा भारी नुकसान होता है जिसके लिये यह कहा जाता है कि सबलेटिंग का हक़ न दिया जाय। मैं तो समझता हूँ कि देश के लिये और प्रान्त के लिये यह बहुत ही आवश्यक है। पिछली बहसें जब हो रही थीं तब आपने कहा था कि जमींदारों ने किसानों को क्या दिया। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त भी जो उसको हक़ है शिकमी पर उठाने

का. उनका यह हक भी आप छीन रहे हैं। इस संशोधन के जरिये से मैं चाहता हूँ कि उनको यह हक तो रहे कि अगर पूरी नहीं तो आधी जमीन ही सही जो किसी न किसी तरह से वह उठा सके और कोई ऐसी बात भी नहीं मालूम होती जिसकी वजह से आप उनको इस हक से वंचित रखें। फिर इसके अलावा आप कितने ही कानून बनावें और प्रतिबन्ध लगायें लेकिन यह मानना ही पड़ेगा कि कुछ न कुछ एनक्रोचमेन्ट जरूर होगी। जो उसे खुद भी नहीं जोतेगा और न उठा सकेगा उसे नुकसान होगा और जमीन की उपयोगिता भी कम होगी। ऐसा अवश्य होना चाहिये कि वह जमीन को दूसरे से जुतवा सके वरना प्रोडक्शन में नुकसान होने का अन्देशा है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही जरूरी हक है जो प्रत्येक सीरदार और शिकमी को मिलना चाहिये। जब आप उनके नुमाइन्दे हैं और उनके काज को बयान करते हैं (हित का ध्यान रखते हैं) तो आप उनके इस हक को क्यों छीनते हैं? आप उनसे १० गुना लेना चाहते हैं और फिर लगान भी चाहते हैं तो आप उनके इस हक को क्यों छीनते हैं जो कि उन्हें अब भी हासिल है? उससे आपको उन्हें वंचित नहीं करना चाहिये और सबलैटिंग का हक जरूर देना चाहिये इन चन्द शर्तों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री मुहम्मद रजा खां--जनाबवाला, मैं इस तरमीम की ताईद के लिये खड़ा हुआ हूँ। काश्तकार को शिकमी के हक से महरूम करना उसके लिये बड़ी जबर्दस्त तकलीफ की बात होगी। काश्तकार अपनी जमीन को उस वक्त शिकमी पर देता है जब उसे कोई खास जरूरत पेश आती है। बाज मौकों पर ऐसा देखा गया कि काश्तकार बीमार हो गया और वह अकेला आदमी है तो यकीनन उसे अपनी जमीन शिकमी उठानी पड़ती है। अगर उसकी जमीन शिकमी पर नहीं उठायी जाती है तो वह खाली पड़ी रहेगी और इस गिरानी के जमाने में यह बात बहुत ही नामुनासिब होगी।

जहां तक भूमिधरी का ताल्लुक है, वह ठीक है कि काश्तकार जमीन का मालिक हो जायगा लेकिन उसे १०० फीसदी मकबूलियत सिर्फ इसी बात से हो सकती है कि उसे अपनी आराजी ५ साल के लिये पट्टे पर देने की इजाजत होनी चाहिये। उसके इख्तियार के जाने से अब हकूक में कमी हो गई है कि पहले वह अपनी आराजी ५ साल के लिये उठा सकता था मगर अब वह ऐसा नहीं कर सकेगा। अगर शकनी पर ५ साल के लिये पट्टे पर देने का काश्तकार को हक दिया जाय तो मैं समझता हूं कि १० गुना क्या, १२ गुना तक काश्तकार बखुशी देने के लिये तैयार होगा। इस वक्त जो आमतौर से लोग रुपया अदा नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनकी वजह यही है। काश्तकार कहता है कि मेरा पट्टे पर देने का हक मंसूख कर दिया गया है। यह जरूरी है कि दो बातों के लिये एक तो ज्यादा गल्ला पैदा करने के लिये और दूसरे १० गुना काश्तकार से वसूल करने के लिये--हमको पट्टे पर देने का हक रखना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन लाखों काश्तकार बेदखल होंगे और जिनको शिकमी पर आराजी दी जाती थी उनको भी तकलीफ होगी। इसलिये मैं गवर्नमेंट से इस्तदुआ करता हूँ कि वह काश्तकार के साथ मेहरबानी करके उसका यह हक तसलीम कर ले।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र राजा वीरेन्द्र शाह ने इस तरमीम को उपस्थित करते हुए यह फरमाया था कि कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश करने का इरादा किया था लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया, इसलिये अब उन्होंने खुद उसे पेश करके यह हुक्म मुझे दिया है कि चूंकि कांग्रेस सदस्य की तरफ से ऐसा प्रस्ताव था, लिहाजा यह स्वीकार किया जाय। हमारे मित्र इस बात को भूल गये हैं कि शायद हमारे माननीय

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

माननीय सदस्य ने उसको अनुचित समझ करके पेश करना पसन्द नहीं किया। किसी तरमीम को मंजूर कराने के लिये यह बहस कोई मतलब नहीं रखती है। हम इधर की भी तरमीमें मंजूर और नामंजूर करते हैं और उधर की भी तरमीमें मंजूर और नामंजूर करते हैं। यहां पक्षपात से काम नहीं लिया जाता है बल्कि यहां इंसाफ से काम लिया जाता है। जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, इसमें एक बुनियादी बात है। जमींदारी एबालिशन की जा रही है क्योंकि जमींदार किसान की सायल को एक्सप्लाइट करते (लूटते) थे। मुझे आशा है कि हमारे लायक दोस्त जमींदार अब बहुत जल्द मेरा इनको सुनेंगे वह किसान अफ द सायल (कृषक) को एक्सप्लाइट करते (लूटते) थे। मेरे दोस्त मुझ से इत्तिफाक नहीं करेंगे लेकिन आम तौर से देश में यह धारणा थी और वाकयात भी ऐसे थे जो कि इस बात को साबित करते थे कि जमींदार इंटरमीडियरी के नाते वाकई जो खेतों में मेहनत-मशक्कत करने वाले थे उनको एक्सप्लाइट करते (लूटते) थे। उनकी गाढ़े पसीने की कमाई जमींदार उठाते थे और जिनके फलस्वरूप बड़े बड़े कांप्लीकेशन्स पैदा हुये, डिस्प्यूट्स पैदा हुये, प्रोटेस्टेशन्स हुये, एजीटेशन्स हुये, जमींदारी एबालिशन की मांग हुई और उन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिये जमींदारी एबालिशन का प्रश्न इस सदन के सामने इस विधेयक की शक्ल में पेश हुआ। इस सिद्धान्त पर यह बिल्कुल निर्धारित है कि कोई इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिये और जो प्रस्ताव जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में ८ अगस्त सन् १९४६ को स्वीकार किया गया था उसमें भी यह कहा गया था कि जमींदारी एबालिश की जाय इन्क्लूडिंग इंटरमीडियरीज। इस प्रस्ताव को मंजूर करने के बाद जो भूमिधर होंगे उनको सबलेटिंग का हक होगा। इस तरह जिस इंटरमीडियरी क्लास को जमींदारी एबालिशन के जरिये हम खत्म करना चाहते हैं उसकी जगह एक दूसरा इंटरमीडियरी क्लास पैदा हो जायगा और यह बुनियादी तौर से गलत बात मालूम होती है।

श्री गुरु नारायण—यह सायंदार क्या है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—अभी मैं बतलाऊंगा। अगर आप जरा धैर्य से काम लें तो मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। यह मैं जानता हूं कि आप मुतमइन नहीं होंगे क्योंकि जागते हुये आदमी को जगाया नहीं जाता है बल्कि सोते हुये आदमी को जगाया जाता है।

(इस समय १ बज कर ३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे कर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस संशोधन के जरिये से सबलेटिंग का हक देने की कोशिश की जा रही है। सबलेटिंग का हक देने के मानी यह है कि हम फिर एक बीच में इंटरमीडियरी पैदा करें जिनके मिटाने के लिये यह तमाम जद्दोजहद की जा रही है। अगर सरकार ने और इस सदन ने इस संशोधन को मंजूर कर लिया तो एक उसूल पैदा होगा। इन्हीं बातों को सोच कर के पहले से भी सबलेटिंग के सम्बन्ध में बहुत कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। तजुर्बा भी यह बताता है कि सबलेटिंग से सबटेनेंट का एक किस्म से एक्सप्लाइटेशन होता है। तो ऐसी सूरत में फिर बहाना बना करके पेश करना बिल्कुल अनुचित सी बात है और इस वजह से मैं मजबूर हूं कि मैं संशोधन की मुखालिफत करूं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री साजिद हुसैन--उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट जो हमारी तरफ से पेश हुआ है [illegible]

[illegible] उसूल यह सरकार या उनकी पोलिटिकल पार्टी यह तय करे कि हर इंटरमीडियरी को [illegible] पड़ेगा कि वह खुद एक तरीके से इंटरमीडियरी हो जाते [illegible] सब मुल्कों में कोई न कोई इंटरमीडियरी हो जाता है। जहां तक पब्लिक का ताल्लुक है, पब्लिक ने वोट देकर मिनिस्टरान को यहां भेजा, नुमाइन्दों को भेजा और उनकी तरफ से उनके और फिर पब्लिक के बीच में यह मिनिस्टर्स और मंत्री एक इंटरमीडियरी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसी तरीके से हर जगह अगर आप देखें तो बगैर समझे बूझे यह मसला उठा दिया गया है कि हम इंटरमीडियरी को खत्म कर रहे हैं। अगर आप एक इंटरमीडियरी को खत्म करते हैं तो चार किस्म के इंटरमीडियरीज पैदा हो सकते हैं। जाहिर है कि हर काम इंसान खुद नहीं कर सकता तो दूसरे की जरूरत पड़ती है और जब दूसरा भी नहीं कर पाता तो तीसरे की जरूरत पड़ती है। यह बगैर समझे-बूझे कह दिया गया है कि इंटरमीडियरी खत्म कर दिया जाय। इसमें मेरा दावा है कि सरकार ने पूरा तौर से इस इंटरमीडियरी के सवाल पर गौर नहीं किया। अब दूसरा सवाल यह है कि आया इंटरमीडियरी होना या सबॉर्डिनेट होना क्या कोई बुरी चीज है। यह उनको डिग्रेड करता है। मेरे ख्याल में हर शख्स बहैसियत एक नागरिक के कोई न कोई फंक्शन परफार्म करता ही है, कोई न कोई ड्यूटी परफार्म करता है और कोई उसका सुपीरियर होता है और अक्सर कोई न कोई उसका इन्फीरियर भी होता है। अब यह कहना कि कोई अगर सर्विस में इन्फीरियर है तो वह जलील हो गया महज गलत है या इंट्रिंसिकली इन्फीरियर है बिलकुल गलत है। आप देखिये कि बड़े-बड़े बिजिनेस फर्म्स होते हैं और दूसरे फर्म्स जो छोटे होते हैं वह उनके एजेन्ट्स होते हैं। तो क्या वह छोटे फर्म्स जलील हो गये। यह एक ऐसी चीज जिसको आइडियालॉजिकल ग्राउन्ड्स पर जिस ग्राउन्ड को कभी थ्रेश आउट नहीं किया गया उन ग्राउन्ड्स पर, उन आर्ग्यूमेंट्स पर, यहां पेश कर दिया है यह ठीक नहीं है। यह कहना कि सबॉर्डिनेट होना एक डिग्रेडेशन है एक महज खामख्याली है। कोई डिग्रेडिंग काम नहीं है यहां तक भंगी का काम भी डिग्रेडिंग नहीं है। अगर हुक्म मानने की बात है तो हमारे मंत्री जो माननीय मुख्य मंत्री जी का हुक्म मानते हैं या मुख्य मंत्री जो किसी और का हुक्म मानते हैं तो यह डिग्रेडेशन तो नहीं हुआ। यह सिर्फ एक डिसिप्लिन (अनुशासन) की चीज है। इससे कोई फर्क पैदा नहीं होता। अब जहां तक गल्ले का सवाल है मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी चीज है जिससे हमारे मुल्क के गल्ले के पैदावार पर असर पड़ता है और खसूसन उस हालत में

[श्री साजिद हुसैन]
जब दुनिया बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है, तो वह सब टेनेंसी ही है। इसको भी छोड़ दीजिये कितने लोग हमारे मुल्क में ऐसे भी हैं जो आनरेबिल मौत को इस जिन्दगी से तरजीह देंगे। अव्वल तो मेरा दावा है कि इसमें डिग्रेडेशन का सवाल नहीं है और अगर हो भी तो वह डिग्रेडेशन बेहतर है बजाय इसके कि आप लोगों को मार डालें। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भूखों मर जाना पसन्द करेंगे लेकिन उसके साथ ही बहुत से उसके इन्डीसेंट डिसेंडेंट्स होंगे तो क्या आप इस डिग्रेडेशन में उनको मार डालेंगे। इसका आप को कोई हक़ नहीं है। यह मेरे ख्याल में ऐसा है जिसमें कोई अभी तक लाजिकल कन्क्लूजन तक पहुँचा नहीं है और अब उसके ऊपर बातें करते हैं और यह एक बिलकुल नासमझी की बात है। यह एक बिजिनेस का उसूल है कि एक शख्स एक चीज क़बूल करने के लिये तैयार होता है और दूसरा उसको देने के लिये तैयार होता है। यह तो गिव एंड टेक का सौदा है कोई किसी को मजबूर नहीं करता कि तुमको सब-टेनेंट बनना ही पड़ेगा अगर कोई सब-टेनेंट बनता है तो अपनी खुशी से बनता है अगर वह सब-टेनेंट नहीं रहना चाहते तो फौरन इस्तीफा दे सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जन्म भर के लिये पट्टा लिख गया और वह मजबूर हो गया कि हमेशा सब-टेनेंट बना रहे। मैं तो यह समझता हूँ कि खामख्यालियों की बिना पर आप रोजमर्रा के उसूल को तोड़ रहे हैं। बिजिनेस के उसूल को तोड़ रहे हैं जिसका असर मुल्क में गल्ले की पैदावार पर काफी पड़ेगा इस क़िस्म की बातें मेरे ख्याल में नामुनासिब हैं और इसका नतीजा क्या होगा, गालिबन इस पर अच्छी तरह से गौर नहीं किया गया है।

श्री रामकुमार शास्त्री--उपाध्यक्ष महोदय, इस जमींदारी उन्मूलन के सिलसिले में हमने सूबे के कोने-कोने में यह घोषणा कर दी है कि जमीन का मालिक वही होगा जो जमीन को जोतता है। जो संशोधन हमारे सामने पेश है उसके सिलसिले में यह जिक्र किया गया है कि भूमिधर अपने खेत का ५० प्रतिशत सबलेट कर सकता है, इससे तो मैं समझता हूँ कि इस बिल का जो उद्देश्य है वह हल नहीं होता बल्कि इस उद्देश्य का वह विरोध करता है। अभी गुरु नारायण जी ने यह जिक्र किया कि माननीय मालमंत्री जी ने किसी अमेंडमेंट के सिलसिले में अपनी स्पीच में यह कहा था कि हम दूसरे तरीक़े से सबलेटिंग के प्रश्न को हल करेंगे। उसी सिलसिले में हमारे वीरेन्द्र शाह जी ने कहा था कि चूंकि हमें अधिक अन्न उपजाना है, इसलिये यह जरूरी है कि हम सबलेटिंग के क्रम को जारी रखें। मैं समझता हूँ यह बिलकुल नामुनासिब बात होगी। जब हमने भूमिधरों को ऊंचे दर्जे का अधिकार दिया तो इसी उद्देश्य को सामने रख कर कि भूमिधर अपने खेत को जोतेगा और उसका वह मालिक रहेगा। यह हवा की बातें कब तक चल सकती हैं कि किसी को ५० प्रतिशत का साझीदार बना दें लेकिन कोई हक़ न दें। हम यह बराबर कहते आये हैं कि जो खेत जोतता है, वही मालिक है। हम किसानों के सामने बराबर एलान करते चले आये हैं कि उन्हें पूरे अधिकार रहेंगे और वे फायदा उठायेंगे परन्तु इससे वे फायदा तो उठायेंगे नहीं बल्कि उनका एक्सप्लायटेशन (अनुचित लाभ) होगा। हम श्रम तो दूसरे से ले लेंगे परन्तु उनको कोई अधिकार नहीं देंगे। माननीय माल मंत्री जी हमें मुगालते में न रखें, मुगालते में अगर रखते हैं तो एक-दो को मुगालते में नहीं रखेंगे बल्कि लाखों की तादाद में किसान हैं जो उनकी तरफ निगाह लगाये हुए हैं कि उनको पूर्णरूप से अधिकार मिले। भूमिधरों के बनाने के सिलसिले में हमारे किसानों के बीच में ऊंची ऊंची बातें कही हैं और अगर वे बातें टल जाती हैं तो हम अपने उद्देश्य से और ध्येय से हट जाते हैं।

इस संशोधन के सिलसिले में कहा गया है कि लैंडलेस लेबरर (भूमि-रहित कृषक) के वास्ते मौक़ा मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह बिलकुल गलत है। जिनको हमने

अधिकार दिया है जब वे स्वयं नहीं जोत सकते हैं तो वह चीज ओटोमैटिकली (स्वभावतः) उनके हाथ से निकल जाती है और वह निकल कर ऐसे लोगों को मिलेगी जिनके पास खेत नहीं हैं, इस वास्ते इन इंटरमीडियरीज का क़ायम रखना ठीक नहीं है और इसलिये ठीक नहीं है कि हम उनको अधिकार नहीं देते हैं, हां अगर अधिकार हम दें तो उचित है। यह हवा की बातें नहीं होनी चाहिये। अभी आगे चल कर हमारे सामने एक संशोधन आयेगा और मैं अनुमान करता हूँ कि सरकार की तरफ से या उनके इशारे से वह है। वह है द्वारिका प्रसाद मौर्य और फूल-सिंह जी का साझेदारी का संशोधन। इस तरह से पीछे के रास्ते से द्रविण प्राणायाम किया गया है। इससे भूमिधरी की हकतलफी होती है। भूमिधरी के लिये जहमतें और दिक्कतें उठाई हैं इसको माल मंत्री महसूस करते हैं और सूबे का हर एक निवासी महसूस करता है। हमने इस आशय से उनको बनाया है और उनको बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाई हैं। एक तरफ कहा यह जाता है कि जो जोत नहीं सकते हैं उनको उठाने का मौक़ा मिलेगा। हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में ऐसे भूमिधर बने हैं जिनके पास जोतने के लिये पर्याप्त साधन हैं बजुज उन लोगों के जिनके पास जमींदारी के सिलसिले में सीर है लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिये यह कहना कि अपने खेतों को वह जोत नहीं पायेंगे, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं गलत और लगो बात है। यह कहना कि हम अधिक अन्न उपजायेंगे यह ठीक नहीं है। आपके देश में और आपके प्रांत में न मालूम कितनी बाढ़ आई। आप तक़ावी भी ठीक तरह से न दे सके और उनके लिये बीज का प्रबन्ध तक न हो सका और यह उम्मीद की जाती थी कि बीज न होने की वजह से खेत पड़े रह जायेंगे। लेकिन कार्तिक में किसानों ने बीज डाल दिया। हवा की बात कहना कि वह अन्न नहीं उपजा पायेंगे जब तक सबलैटिंग न करें। वह गलत और लगो बात है। इसलिये भूमिधरी के जो अधिकार हैं वह सब-लैटिंग न करें इससे उसका कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। इस बिल में न मालूम हम कितनी जगह आगे पीछे गये हैं। जो हमारा मतलब किसानों को आगे बढ़ाने का है वह पूरा नहीं हो पाता है। इस तरह से साझे का मसला लगा कर भूमिधरों के हक़ को कम करना है। असल बात तो यह है कि जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं करते हैं और हमारा बिल भी नाकामयाबी को अख्तियार करेगा। इन हालात में मैं इस अमेंडमेंट की मुखालिफत करता हूँ और जो सरकार की तरफ से या इस विचार को अगर सरकार मान ले।

एक सदस्य--अभी आया कहां है।

श्री रामकुमार शास्त्री--हां आयेगा। वह चीज भी किसानों और भूमिधरों के लिये शुभप्रद नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय माल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि वह मेहरबानी कर गौर करें कि जिसमें हमने वक्त लगाया है कि हमारे भूमिधर फलते-फूलते रहें और किसानों का मरतबा ऊंचा रहे, अगर आपने सब-लैटिंग का रूप उपस्थित किया तो वह हानिकारक होगा। इस तरमीम की मैं मुखालिफत करता हूँ और जो दूसरी तरमीम आने वाली है उसकी भी मुखालफत मेरे दिमाग में है।

श्री मुहम्मद जमशेद अन्सी खां--जनाबवाला, मुझे यह देख कर ताज्जुब हो रहा है कि ऐसी सीधी-सादी सी बात जो इस तरमीम के जरिये पेश की जा रही है उसके ऊपर माननीय माल मंत्री जी ने इतनी लम्बी-चौड़ी तक़रीर की और अभी मेरे दोस्त जो मुझ से पहले तक़रीर कर चुके हैं उन्होंने इस तरमीम की मुखालफत करने में बहुत ही जोर लगाया, अगर गौर से देखा जाये तो बात सिर्फ इतनी है कि जो इस तरफ के लोग तरमीम पेश करने वाले हैं उन्होंने यह ख्याल करके कि जब हम क़ानून

[illegible]

[illegible] कानून नहीं कर सकेंगे। आप यह चाहते हैं कि मुल्क की पैदावार बढ़े, आपने जो कानून कायम किया है वह स्मूथली रन करे (ठीक तरह से प्रचलित रहे) तो आपको इस तरह की इजाजत देनी पड़ेगी जिसकी बिना पर कोई मजबूरी न करदी जाए और आपका असल मकसद जो पैदावार बढ़ने का है उस पर भी कहीं असर न पड़ जाए लिहाजा इस तरमीम के अन्दर इस बात का लिहाज रक्खा गया है और इसमें परसेंटेज मुकर्रर किया गया है। तमाम जमीन नहीं बल्कि एक परसेंटेज अगर जरूरत हो तो उसकी इजाजत दे दी जाए। मेरी समझ में नहीं आता इसके मानने में क्या मजबूरी पेश आ रही है जिसकी बिना पर माननीय मंत्री जी इस तरमीम को मंजूर नहीं कर रहे हैं। बार-बार जोर दिया गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल यह है इंटरमीडियरीज को दूर करना। आप तो हमेशा अपने उसूल को बदलते और बिगाड़ते रहे हैं। जो चीज आप कहते हैं उसे खुद ही तरमीम किया करते हैं। इस कानून के सिलसिले में मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि वेस्ट लैंड और परती इसमें कौन इंटरमीडियरी है। उसमें जमींदार को क्यों अफेक्ट किया गया। आप हकीकत में किसी एक उसूल पर कायम नहीं हैं। अगर किसी एक उसूल पर कायम होते तो परती जमीन को जमींदार से लेने का आपको कोई अख्तियार नहीं था। हाट और बाजार, इनमें कौन इंटरमीडियरी है, उनको आपने क्यों लिया। आप कहते हैं चूंकि इंटरमीडियरी को हटाना हमारा बेसिक प्रिंसिपल है लिहाजा मजबूरी है ख्वाह जमीन पड़ी रहे, ख्वाह पैदावार कम हो जाए. लेकिन कोई भी मजबूरी पेश आये वे जमीन को डाले रहेंगे, सबलेट न कर सकेंगे यह कहां का इंसाफ है, कहां की लाजिक है। जैसा कि मेरे दोस्त ने हवाला दिया और तरमीमें हाउस के सामने आयेंगी, उस वक्त बतलाऊंगा कि वही चीज जब आप उसको लाते हैं तो जायज होती है। आइंदा जो तरमीमें आ रही हैं ख्वाह गवर्नमेंट की जानिब से, या गवर्नमेंट के इशारे से उनको तो मंजूर फरमाया जायगा लेकिन वही चीज अगर इधर से पेश की जाती है तो फकत इस वजह से कि वह अपोजीशन की जानिब से कही गयी लिहाजा गलत है और आपकी तरफ से कही गयी इसलिए सही है। मैं यह समझ रहा था कि इस तरह की तरमीम मंजूर करने में गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हैरत की इंतिहा न रही कि उसे नामंजूर किया जा रहा है। इस तरमीम के मूवर (प्रस्तावक) खुद उन्हीं की पार्टी के सदस्य थे लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के मातहत उन्हें मजबूर कर दिया गया है कि वह खुद इस तरह की कोई तरमीम पेश न करें। मैं बार-बार कह चुका हूँ कि इस तरह का पार्टी डिसिप्लिन आयद करके वह कोई अच्छी मिसाल क़ायम नहीं कर रहे हैं और खास तौर से ऐसे मामलों में जिनकी बहुत अहमियत नहीं है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनमें इस तरह का पार्टी डिसिप्लिन आयद करना कोई ज्यादा सही बात नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू से अर्ज करूंगा कि वे गौर

क[illegible] कि आइन्दा जो तरमीमें आ रही हैं वे [illegible] हैं और इनमें और उन तरमीमों में क्या फर्क है जब उनमें दोनों चीजें एक हैं फिर उसे मान लेना चाहिये।

श्री बलदेव प्रसाद--- मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द की जाय।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बीरेन्द्र शाह---श्रीमान् जी, पहले तो मुझे दुख है कि सरकार ने दो-एक स्पीचेज के बाद ही क्लोजर मूव करा दिया। यह तो हमारा कर्तव्य था कि हम यह देखते कि हमारे लिये कितना समय रहता है मगर सरकार ने न जाने किस वजह से यह ठीक समझा कि यह सदन किसी चीज पर ठीक तरह से विचार भी न करे। अब मैं सरकार को यह बतला देना चाहता हूं कि यह संशोधन एक बहुत व्यापक संशोधन है मानो न मानो यह आपकी तबियत की बात है। रघुवीर सिंह जी के बारे में कहा गया कि वे इनको पेश ही नहीं करना चाहते थे। [illegible] यह बात हुई कि एक ब्राह्मण देवता थे उन्होंने खाना बनाया, घी डाल कर मलीदा बनाया और जब वह सुन्दर भोजन बन कर तैयार हो गया तो किसी ठाकुर साहब ने उसे छू दिया तो वह बेकार हो गया। इसी तरह से चूंकि हमने उसे छू दिया, इसलिये यह उपयुक्त संशोधन बेकार हो गया। यह बात है कि आप की तरफ से जो चीज आये वह तो बहुत अच्छी है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो लेकिन अगर हम किसी अच्छी चीज को भी लायें तो वह बहुत ही खराब हो जाती है और सदन को उस पर ठीक तरह से विचार करने का भी मौका नहीं देते हैं। यह भी हमारे लिये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। आगे चल कर इलेक्शन आ रहा है तब जा कर आपको मालूम होगा कि आपने क्या-क्या गलतियां की थीं और उनकी वजह से आपको क्या धक्का लगा। सरकार का उसूल तो हमने इस बिल में देखा, सरकार ने एक उसूल बनाया कि सवा छै एकड़ को एकोनामिक होल्डिंग हो लेकिन अगर वह भूमिधर बने तो वह एक बिस्वा के भी टुकड़े करा सकता है। आप आपस में पट्टी बांधना चाहते हैं। आप यह देख रहे हैं कि देश में अनाज की कमी है, यह देख रहे हैं कि किसान के पास [illegible] नहीं है, आज के सब लोगों ने आपसे कहा था कि जिनके [illegible] नहीं थे वे भूमिधर नहीं [illegible] कोई सुबूत इस बारे में नहीं है। [illegible] संशोधन [illegible] जोगा या जुतवाना चाहे जा सकते हैं लेकिन आप इसे मंजूर नहीं करते हैं। [illegible] यह है कि आप उन्हें मजबूर करना चाहते हैं कि वे जमीन को बेच दें या वह जमीन सरकार के फार्म में शामिल हो जाय यानी किसान कोई जमीन न रख सके। जमींदारी जा रही है, अब किसानों का भी नम्बर है उनकी तरफ से भी आपकी नीयत खराब हो रही है। मैं आपसे कहूंगा कि फिर भी इस पर सोचिये और मेरे इस संशोधन को मान लीजिये। आगे जो आप साझेदारी दे रहे हैं उसका रूप दूसरा है। हमने तो इनको सीधे रूप में रख दिया है, अब आप मानें या न मानें, आपकी मरजी। मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक है और सदन इसे स्वीकार करे।

माननीय श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपोजीशन (विपक्ष) की बातें और खासकर राजा साहब जगम्मनपुर की तक़रीर सुनने के बाद मेरे ऊपर यह इम्प्रेशन हुआ कि साझेदारी का जो प्रस्ताव आगे आने वाला है उसमें और इस प्रस्ताव में कोई फर्क नहीं है।

एक सदस्य---तो फिर इसको मंजूर क्यों नहीं कर लेते?

माननीय श्री हुकुम सिंह---अगर वही मंजूर किया जाय और यह न हो तो भी आपका काम बन जाता है। अगर आप देखें कि सरकार इस मूड में है कि वही मंजूर हो, या न हो और उससे आपका काम हो जाता हो तो फिर आपको परेशानी क्यों है? अगर मैं आपकी जगह पर होता तो क़तई परेशान नहीं होता। प्रोसीडिंग में कुंवर गुरु नारायण जी का नाम आये या न आये, उनके नाम की तरमीम मंजूर हो या न हो इसकी परवाह नहीं करनी

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

चाहिये। सरकार इन सब बातों की परवाह नहीं करती। वह इस बात की परवाह करती है कि किसानों और भूमिधरों का काम पूरा हो। मगर यहां पर तो कुंवर साहब का यह इरादा है कि उनके नाम का तरमीम मंजूर हो ताकि आइन्दा एलेक्शन के वक्त प्रोपेगंडा करके उससे फायदा उठावें। इस नुक्तेख्याल से न यहां पर कोई तरमीम लानी चाहिये और न बहस होनी चाहिये। हमारे राजा साहब ने फरमाया इस नुक्ते ख्याल कि सरकार गलत पर गलती कर रही है और आइन्दा इलेक्शन के वक्त वह धक्का खायेगी। मैं अपनी जबान से उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो राजा साहब ने इस्तेमाल किया है। मैं यह अर्ज करता चाहता हूं कि आप तो मुतालिक पार्टी के हैं, आपको तो खुश मनाना चाहिये कि यह सरकार गलती पर गलती कर रही है और आगे एलेक्शन में यह धक्का खायेगी और आपका दिन मुबारक आयेगा, अगर आपका ख्याल ठीक साबित हो। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन बातों से लोग मुतास्सिर नहीं होते। लोग तो वाकयात देखते हैं और यह देखते हैं कि इस तरमीम से फायदा किनका है। इससे फायदा बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं का ही है जिनके पास हजारों बीघे के फार्म हैं, जिनके पास काफी रकबे में खुद काश्त और सीर है। असल में इस तरमीम के जरिये से वे अपना इन्तजाम कर रहे हैं जहां तक छोटे जमींदारों का ताल्लुक है और काश्तकारों का ताल्लुक है उनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो सारी जमीन अपने हाथों से जोतते-बोते हैं और सब जमीन उनके कब्जे में है छोटे-छोटे जमींदारों की तादाद १८, १९ लाख के करीब है। उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो अपने हाथों से ही अपनी जमीन जोतते हैं। उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन किसानों पर उठायी है। लिहाजा उससे फायदा किसानों का ही है। मैं कहता हूं कि ९० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो अपने हाथों से जमीन जोतते बोते हैं लिहाजा उनमें से [illegible] लोगों को इस सब्लेटिंग से फायदा होगा। लेकिन फायदे के यह मानी नहीं हैं कि किसी को एक्सप्लोयटेशन का मौका दिया जाय। यह तो उसूल [illegible] बात है। इस एक्सप्लोआयटेशन (लूट, कोअर्साइड) [illegible] लिये ही [illegible] का खिलाफ गया है और जिसको लेकर [illegible] हैं। लिहाजा जिस काम के लिये हम जमींदारी एबालिशन करने जा रहे [illegible] फिर एक फर्क पैदा करने का मौका देना और वह फर्क भी अब सरे नौ पैदा हो [illegible] एक नई बंदिश पैदा करना कहां तक वाजिब और मुनासिब है? सरकार अपनी जिम्मेदारी को और अपने कर्त्तव्य को पूरे तौर पर समझती है और भरसक उसका पालन करने की कोशिश करती है जिसमें जनता का कल्याण हो, और राज्य का कल्याण हो। लिहाजा यह संशोधन जिस शक्ल में इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"उन दशाओं के अतिरिक्त जिनकी व्यवस्था १५६ धारा में की गयी है भूमिधर तथा सीरदार को अपने खाते की ५० प्रतिशत भूमि लगान पर उठाने का अधिकार होगा पर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी उठाई हुई भूमि ३ साल पर्यन्त भूमिधर को अपने काश्त में लानी होगी और उसको फिर ३ साल तक उठाने का अधिकार न होगा पर यह अधिकार असामी को न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ—)

पक्ष में—७

अम्मार अहमद खां, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
गुरुनारायण, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
साजिद हुसैन, श्री

विपक्ष में--६३

अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अल्लबख्श सिंह, श्री
इनिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा सहाय चावे, श्री
गजाधर प्रसाद श्री
[illegible] सक्सेना श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह श्री
जयराम वर्मा, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नारायण दास, श्री
पूर्णमासी, श्री
प्रकाशवती सूद श्रीमती
फतेहसिंह [illegible], श्री
बदन सिंह श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
भगवान दीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री

[illegible] दीन श्री
मुहम्मद [illegible] फारूकी, श्री
[illegible] उपाध्याय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
रामकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
[illegible] सिंह श्री
[illegible] लाल, श्री
राम शरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
[illegible] लहरी [illegible], श्री
लीलाधर अस्थाना, श्री
[illegible] अली खां श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्यावती [illegible], श्रीमती
विश्वनाथ [illegible], श्री
विशम्भर दयाल त्रिवेदी, श्री
शेरबल सिंह, श्री
[illegible] शर्मा श्री
[illegible], श्री
[illegible], श्री
[illegible] श्री
[illegible], श्री
सूर्य [illegible] अवस्थी श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हुकुम सिंह मानवीय, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा [illegible] पंक्ति में शब्द "खाते की" और शब्द "भूमि" के बीच का शब्द "[illegible]" निकाल दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में शब्द "लगान पर उठाने" के स्थान पर शब्द "पट्टे पर देने" रख दिये जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है, भाषा को सुधारने के लिए, लेकिन की जगह पट्टा रखा गया है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह--यह लफ्जी संशोधन है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री खुशवक्त राय--मैं माननीय माल मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इसके कर देने से क्या परिवर्तन हो जाता है।

[illegible] श्री हुकुम सिंह—आपके जरिये से मैं अपने दोस्त से कहना चाहता हूं कि अगर वह इस संशोधन की धारा १५५ में बैठकर देखें तो फिर दूसरे मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी [illegible] समझ में आ जायगी। यह मकसद नहीं है। तब भी मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि 'लगान पर उठाने' अल्फाज हो, मोहमिल हैं और जो शब्द इनकी जगह रखे जाने के लिये गये हैं, वे साफ हैं। इस वजह से यह संशोधन स्वीकार किया जाता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५५ की तीसरी पंक्ति में शब्द "खाते की" के बाद और शब्द "[illegible]" के बीच का शब्द "कोई" निकाल दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में शब्द "[illegible] पर बैठाने" के स्थान पर शब्द "पट्टा पर देने" रख दिये जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मत से स्वीकृत हुआ।

पक्ष में —४९

विपक्ष में —१०

श्री द्वारिका प्रसाद माथुर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान धारा १५५ को इसी धारा की उपधारा (१) कर दिया जाय तथा निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दी जाय—

"(२) इस धारा में शब्द 'पट्टा (lease) और उसके सजातीय पदों (cognate expressions) का वही अर्थ होगा जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट १८८२ में शब्द (lease) उसके सजातीय पदों को दिया गया है।

स्पष्टीकरण—[illegible] व्यवस्था (arrangement) जिसके द्वारा खेती-बारी के [illegible] (cultivation) में सक्रिय सहयोग या सहयोग देने के बदले किसी [illegible] 'पट्टा' की परिभाषा में नहीं आते।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—जो संशोधन अभी मोर्य [illegible] पेश किया है उसका जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है उससे यह बिल की धारा बिलकुल नलिफाइड (व्यर्थ) हो जाती है। उसका मतलब साफ-साफ यह है कि कोई सबलेटिंग का अख्तियार नहीं दिया जायगा और अगर यह पास होता है तो इसके मानी यह होते हैं कि सबलेटिंग के राइट को यह बैकडोर से ला सकेंगे इससे यह संशोधन पेश किया गया है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन संशोधन के रूप में नहीं है, इसे डिसअलाऊ किया जाय (इसकी अनुमति न दी जाय) एडिंग आर्डर में सफा १८ पर अमेंडमेंट के सिलसिले में जो २२(२) है उसमें यह है कि:—

"22 (2) An amendment may not be moved which, if carried, would have merely the effect of a negative vote."

[२२(२) कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिसके पास हो जाने पर केवल निषेधात्मक मत का प्रभाव पड़े]

तो मेरा यह प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि उनका संशोधन डिसअलाऊ किया जाय (अनुमति न दी जाय)।

उपाध्यक्ष—यह जरूर है कि असली दफा शिकमी पट्टा उठाने को रोकती है, लेकिन इस स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि अगर साझे पर दिया जाय, उस पर काम करने के सिलसिले में उपज में साझी को हिस्सा दिया जाय, तो वह पट्टा नहीं माना जायगा। यह मुखालिफत नहीं है बल्कि उसको साफ करना है। मैं समझता हूं उसमें कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की दफा १०५ में लीज की परिभाषा दी हुई है। श्रीमान् की आज्ञा से मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ

"A lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy such property made for a certain time, expressed or implied, or in perpetuity in consideration of a price paid or promised or of money, a share of crops, service or any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms. The transferor is called the lessor, the transferee is called the lessee, the price is called the premium and the money, share, service or other thing to be so rendered is called the rent."

(किसी अचल सम्पत्ति का पट्टा ऐसी सम्पत्ति के उपभोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है, जो व्यक्त अथवा सूचित ढंग से कुछ समय के लिये अथवा सदैव के लिये किया जाय और जिसमें मूल्य चुका देने पर या उसका वादा करने पर या रुपया, फसल का कोई हिस्सा, सेवा या समय-समय पर या विशेष अवसरों पर कोई अन्य मूल्यवान वस्तु हस्तान्तरण कारक को हस्तांतरण पाने वाले द्वारा दी जाय जो ऐसी शर्तों पर हस्तान्तरण स्वीकार करता हो। हस्तान्तरणकारक पट्टा देने वाला कहलाता है और हस्तांतरण पानेवाला पट्टेदार कहलाता है तथा मूल्य प्रीमियम कहलाता है, और रुपया, हिस्सा, सेवा, या अन्य वस्तु इस प्रकार की जानी वाली भूमिकर कहलाता है।)

भूमिधर या सीरदार अपनी जमीन को किसी दूसरे को पट्टे पर देना चाहे यानी किसी तरह से लगान पर या किसी प्रकार से भी, तो उसे देने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात् इस नई भूमि-व्यवस्था के अनुसार कोई भूमिधर या सीरदार अपनी जमीन को किसी दूसरे से किसी ऐसी शर्त पर नहीं जुतवायेगा कि वह इससे लगान लेगा उससे गल्ला लेगा उससे किसी तरह से सीरिम में, काइंड (बदले) में या कैश (नक़द) में कोई मुआवजा ले। तो इस तरह पर सबलेटिंग को रोका गया है, इसलिये कि जो जमीन जोते वही जमीन का मालिक हो इस उसूल को माना गया है। कांग्रेस ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि जमीन जोतने वाले की होगी। जब जमीन जोतने वाले की होगी तो ऐसी सूरत में अगर कोई जमीन को दूसरे के हाथ उठा दे तो इस कानून के जरिये से इस बात की व्यवस्था की गई है कि उठाने वाले के हाथ से जमीन निकल जायगी और जिसके हाथ में जमीन दे दी जायगी, तो वह जमीन का मालिक हो जायगा और इसलिये जो लीज की परिभाषा है जिसमें जमीन पर, प्रापर्टी पर किसी काश्तकार का जो इंटरेस्ट है अपनी जमीन को उठाने का उसको हमें अब कायम नहीं रखना है। हम नहीं चाहते कि फिर इंटरमीडियरी व्यवस्था जिसको हम खत्म करने जा रहे हैं या जिस सिद्धान्त के अनुसार जमींदारी खत्म होने जा रही है उसको फिर पनपने दें। सरकार और जोतने वाले के दरमियान में हम कोई ऐसा मध्यवर्ती नहीं चाहते जिसमें खेत या जमीन का मालिक कोई और और जोतने वाला कोई दूसरा हो। इसी सिद्धान्त को कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने माना है कि खेत का मालिक वही हो सकता है जो खेत को जोते। वह नहीं हो सकता जो खेत का मालिक तो बना रहे और खेत दूसरों से जुतवाता रहे। इस वक्त आम तरीके पर जो देखा जाता है वह यह है कि लोगों के पास हजारों और सैकड़ों बीघे आराजी है जिसे वह खुद नहीं कर पाते और दूसरों के हाथ उठा रखते हैं जो खेती करने वाले असल हैं। कहीं उनसे नक़द लिया जाता है, कहीं उनको बटाई पर दिया जाता है और कहीं मजदूरी के एवज में जमीन को उठाते हैं जिसके हाथ जमीन उठाई जाती है असल वही काश्तकार खेती करने वाला होता है और मजदूरी के एवज में खेत जोतता रहता है। इस तरह की बातें जो अब तक चली आ रही थीं वे एक नामुनासिब तरीके की थीं और उनका खत्म हो जाना लाजिमी था और इस विधेयक के जरिये से वह चीज खत्म की जा रही है। मैंने जो यहां पर संशोधन उपस्थित किया है

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य :

उसके अन्दर में यह कोई भी बात नहीं होगी। हर एक को यह अधिकार है कि मजदूर रख कर भी खेत अपनी कर ले। मजदूर में गल्ला भी दिया जा सकता है, नकद पैसे भी दिये जा सकते हैं। इस संशोधन के जरिये से खेत पर काबिज वही रहेगा जो कि खेत का मालिक होगा। इसमें ऐसी बात नहीं होगी कि कोई अपने खेत को साझेदारी के तौर पर दूसरे के कब्जे में दे दे तो वह उसका हो जाय। मतलब यह होगा कि कोई आदमी जिसके पास खेत नहीं है या एक दूसरे खेतवाले के साथ मिलकर काम करना चाहता है तो उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिये कि कुछ हिस्सा जो वह मेहनत करता है या उसमें पार्टिसिपेशन करता है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। फर्क इतना है कि जहां पहले जमीन असली काश्तकार दूसरों के हाथ में दे देता था और जिस काश्तकार के हाथ जमीन दी जाती थी उसको एक इंटरेस्ट करना होता था कि जमीन उसी के हाथ रहेगी जो असली काश्तकार है और जो दूसरा साझीदार है वह अपनी मेहनत-मशक्कत के लिये जब तक वह उसमें शामिल है उसका एक पोर्शन ले लेगा। इसमें जमीन दूसरे के हाथ में नहीं जाती बल्कि जमीन उसी के हाथ में रहती है। वास्तव में जो संशोधन हमने रखा है वह लीज की डेफीनीशन में नहीं आता। अगर यह चीज नहीं भी रखी जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कोई नई चीज नहीं है, केवल स्पष्टीकरण मात्र है, क्योंकि स्पष्टीकरण करने से कोई दुविधा नहीं रह जाती। अगर किसी को यह संदेह हो कि इसको रखने से लीज के अलावा कोई दूसरा नई बात हो जाती है, तो मेरा कहना है कि ऐसी बात नहीं है। लीज की जो डेफीनीशन है उसमें यह नहीं आता है। इसमें स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि इस प्रकार का जो अरेन्जमेंट हो वह लीज नहीं है। अगर विरोध में यह कहा जाय कि इससे सबलेटिंग को कायम किया जा रहा है तो वैसा बात भी नहीं है। यह लीज नहीं है बल्कि अगर इसको न भी रखा जाता तो जो लीज की मौजूदा डेफीनीशन है उसमें यह बाधक नहीं होता। स्पष्टीकरण तो इसलिये है कि जिसको समझने में दिक्कत न हो। मैं समझता हूँ इस संशोधन में कोई विवाद का मूल विषय नहीं है। उसूल पर हमारा जो है यह तो एक ऐसा अरेंजमेंट (व्यवस्था) है जिसमें कि जो हमारे उसूल हैं उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैंने तो केवल स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है और यह चीज मानने के काबिल है। इससे बिल्कुल संशय साफ हो जाता है। लीज की संशय भी साफ हो जाती है और खेती करने वालों को पूरी सुविधा मिलती है, जमीन उसी के पास रहती है, जो खेती करता है और कोई भी बिना खेती किये हुये जमीन का साझेदार नहीं होगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन इस संशोधन को मंजूर करेगा।

श्री गंगाधर प्रसाद--मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो हमारे श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने पेश किया है उसका घोर विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। यह संशोधन जो उन्होंने पेश किया है उसमें वह लडलेस लेबरर को तथा हरिजनों को गुलाम बनाने की बड़ी भारी खतरनाक तरकीब कर रहे हैं। जहां पर कि लोग हल छूना पाप समझते हैं वहां खेतिहर मजदूरों तथा हरिजनों का शोषण करने के लिये यह स्कीम है। साझेदारी के माने यह नहीं हैं कि जो मेहनत करे उसी का शोषण किया जाय। साझेदारी के माने यह हैं कि ईमानदारी से सब में बराबर का साझा हो। अगर किसी को साझेदारी करनी है तो आधे खेत में बीज वह दे, आधे में दूसरा दे, आधी मेहनत वह लगावे और आधी मेहनत दूसरा, आधे हल बैल उसके हों और आधे दूसरे के, आधा लगान वह दे और आधा दूसरा, और फिर पैदावार का आधा हिस्सा उसका हो और आधा दूसरे का। यह साझेदारी के असली माने हैं। लेकिन जो यह संशोधन पेश किया गया है उसके साफ माने यह हैं कि तमाम हरिजनों के और लेंडलेस लेबरर के, जो भूमिहीन हैं, जो खेत में मजदूरी करते हैं, कोई अधिकार न रहे, वे बेचारे मेहनत करें और दूसरे उनकी मेहनत से लाभ उठायें, उनका शोषण करें।

मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अर्ज करता हूं कि यह सरकार इस पर पुनः विचार करे कि हरिजन जिस जाल में परम्परा से गुलाम बने हुये हैं वही जाल फिर से बिछाया जा रहा है, इसलिये इसका सख्त विरोध होना चाहिये। मैं हाउस के मेम्बरों से निवेदन करता हूं कि महात्मा जी की फोटो भी यहां पर मौजूद है जिनके प्राणप्रिय हरिजन रहे हैं उनको इस जाल में न फंसाया जाय। यह संशोधन हाउस को मान्य नहीं होना चाहिये। हरिजनों को और लैंडलेस लेबरर्स को इस जाल में न फंसाया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे जो संशोधन मेरे माननीय मित्र श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने उपस्थित किया है और जो भाषण उन्होंने अपने संशोधन के सिलसिले में किया है उसे सुनकर अचम्भा ही नहीं बल्कि दुख हुआ। दुख इस बात पर हुआ कि हमारे मित्र जो डंका पीटते हैं और आये दिन दुहाई देते हैं कि वे उसूल पर कायम हैं और एक उसूल के मातहत जमींदारी को खत्म करना चाहते हैं वही मैं आज देखता हूं। यह नहीं की उनसे न मैं ऐसा हो। अफसोस की बात है कि अगर भूल चूक में गलती है तो मैं कोशिश करूंगा बल है लेकिन जानबूझ कर आड़ लेकर और पीछे से चोट की हट्टी खड़ी करके वार किया जाता है, जो उनके उसूल के खिलाफ होती है जो इस कानून यानी जमींदारी अबलिशन बिल के बुनियादी उसूल के खिलाफ होती है तो तकलीफदेह बात होती है।

मैं आपको बतलाऊं कि कितना बड़ा धोखा है यह जो संशोधन है वे हमारे देशे-लीज शब्द को और कहते हैं कि लीज शब्द के मानी वही होंगे जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में दिये हुये हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की और यह धारा १०५ उपस्थित कर चुके हैं। इस धारा में साफ–साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके के जो लीज के मानी हैं उसमें साझेदार हो चाहे बटाई करे, चाहे खिदमत अंजाम दे चाहे नगद दे और चाहे आयन्दा वायदा करे बड़े अफसोस की बात है कि हवाला तो यह है और कानून में लीज की परिभाषा वही होगी जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में दी हुई है। इसके बाद एक्सप्लोएटेशन (लूट) के नाम से जो इस ऐक्ट में दिया हुआ है उसके खिलाफ अपना एक्सप्लेशन एड कर (स्पष्टीकरण जोड़) दिया है। श्रीमन जी, मेरे दोस्त कहते हैं कि वही मानी होंगे जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में दिये हुये हैं यह धोखा आप के साथ पढ़ी जा रही है। [illegible] आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं वह अंग्रेजी में है

[illegible] transfer of [illegible] property [illegible] to [illegible] time express [illegible] or implied or in perpetuity in consideration of a price paid or promised or of money, a share of crops service or any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms"

(किसी अचल सम्पत्ति के पट्टा ऐसी सम्पत्ति के उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है जो व्यक्ति सूचित ढंग से कुछ समय के लिये अथवा सदैव के लिये किया जाय और जिसमें मूल्य चुका देने पर या उसका वादा करने पर या रुपया, फसल का कोई हिस्सा, सेवा या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु हस्तांतरण कारक को हस्तांतरण करने वाले द्वारा दी जाय जो ऐसी शर्तों पर हस्तांतरण स्वीकार करता हो।)

बिल्कुल साफ–साफ है कि अगर कोई साझेदारी करेगा तो जो स्पष्टीकरण है उसके अल्फाज पर अगर गौर करें तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा खातेदार की खेतीबारी के काम में सहायता या सहयोग देने के उपलक्ष्य में भूमि की उपज में साझे का हक प्राप्त है, तो वह पट्टे की परिभाषा में नहीं आता है। पट्टे की परिभाषा वह की गई थी जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में है। उसमें साफ–साफ लिखा हुआ है:—

"in consideration of a price paid or promised or of money, a share of crops, service or any other thing of value ."

(जिसमें मूल्य चुका देने पर या उसका वादा करने पर या रुपया, फसल का कोई हिस्सा, सेवा या कोई मूल्यवान वस्तु.....)

त्रिलोकी सिंह

मेरी समझ में नहीं आता कि आप मूल धारा में जिसका हवाला लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के बहाने उस मूल धारा का मतलब बिलकुल खत्म कर देते हैं। श्रीमान् जी, इस संशोधन का जो मेरे मित्र ने पेश किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। जिस नीयत को कायम करके हमने जमींदारी को खत्म करने का बीड़ा उठाया था वह सब इससे खत्म हो जाती है। आज के दिन अगर कोई काश्तकार किसी को शिकमी उठाता है तो उस शिकमी का भी कुछ हक होगा, उसे कान पकड़ कर जब कोई चाहे नहीं निकाल सकता है। उस शिकमी को आपने ५ साल की तौसीअ दे रक्खी है इस कानून के अंदर। थोड़े दिन हुए आपने ऐलान किया शिकमी जो होगा ५ साल के बाद १५ गुना देकर वह भूमिधर बन सकता है। आज जो मौजूदा अधिकार है किसी शिकमी का, उस शिकमी को मिटाने के लिये आप इस किस्म का शिकमी पैदा कर देते हैं जिसे जब असल काश्तकार चाहे कान पकड़ कर बाहर निकाल दे। आपका जितना भी कानून है, जितनी भी कोशिश है वह आगे बढ़ने के लिये होती है। कानून आप इसलिये बनाते हैं कि जो आपका इरादा है वह पूरा हो। आपका इरादा ज्यादा अधिकार देने का है, अधिकारों को मिटाने का नहीं। हमारे मित्र ने जो संशोधन आज यहां पेश किया है उससे यह जो जमींदारी एबालीशन कानून है जिसके पीछे हम चार वर्ष से कोशिश करते आये हैं, जो इस सदन में बार बार आया और आज के दिन तक कितने समय में एक एक धारा और उपधारा पर विचार हो रहा है, वह सब का सब मिट्टी में मिल जायगा। हर किसान को अधिकार होगा कि वह साझेदारी कर सके। इस परिभाषा में मान लिया गया है जो कि स्पष्टीकरण के रूप में आया है जिसके द्वारा खातेदार को खेती-बारी के काम में सहायता या सहयोग देने के उद्देश्य से किसी की भूमि की उपज में साझा लगाने का अधिकार प्राप्त हो "पट्टे" की परिभाषा में नहीं आता। दफा १५५ की मूलधारा में कहा गया है कि पट्टा देने का अधिकार नहीं होगा। पट्टे की जो परिभाषा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में है। ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में पट्टे की परिभाषा में कांट-छांट कर आप यह कहते हैं कि अगर कोई भूमि की उपज में साझा लगाए तो वह पट्टे की परिभाषा में नहीं आता। आज के दिन भी हमारे यहां जो लैंड टेन्योर सिस्टम है, लगान का तरीका है वह दो तरीके का है, एक नकदी और दूसरा पट्टा। पट्टे वाले पट्टेदार होते हैं, वे नकदी नहीं देते हैं बल्कि जो पैदावार होती है उसका कुछ हिस्सा देते हैं। आमतौर से आधी बटाई होती है, कहीं-कहीं उसका अलग-अलग हिसाब-किताब होता है। जहां किसान लगान अनाज के रूप में देता है उसे पट्टा माना जाता है, जिसको आपने संशोधन द्वारा निकाल दिया है। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। बात बिलकुल साफ है। सब को मालूम है और हमारे मित्र भी इस बात को समझते हैं कि जो कुछ वह कह रहे हैं वह बहुत कमजोर चीज है। जिस चीज को हासिल करने के लिये वे इस संशोधन द्वारा कोशिश कर रहे हैं उस उसूल से वह हट रहे हैं जिस उसूल के मातहत यह जमींदारी खत्म करने के कानून का मसौदा तैयार किया गया था। जमींदारी अबालीशन रिपोर्ट जो सरकार ने बनाई थी उसके सफा ५२२ पर लिखा है---

"To prevent the re-emergence of the landlord-tenant relation the cultivator shall have no right to sublet except in the case of disabled persons, such as minors, widows people suffering from physical infirmity, or in the military service of the State or in Jail etc."

(जमींदार काश्तकार के संबंध को फिर से पैदा होने से रोकने के उद्देश्य से शारीरिक दृष्टि से असमर्थ लोगों, यथा नाबालिगों, विधवाओं और शारीरिक दुर्बलताओं से ग्रस्त लोगों अथवा राज्य की सैनिक सेवा में या जेल वगैरह में रहने वाले लोगों को छोड़ कर दूसरे काश्तकारों को अपनी जमीन शिकमी सौंपने का कोई हक न होगा।)

उसको आपने दफा १५० में स्वीकार किया है कि स्त्री, अपाहिज, कमजोर या पढ़ने-लिखने वाले, जो ऐसे लोग हैं उनको आपने इजाजत दे दी है और वह भी उस समय तक जब तक कि वह डिसएबिलिटी कायम रहती है। जो लड़का पढ़ता है उसे २५ साल की उम्र के बाद सबलैट

करने का अधिकार नहीं रहेगा। आप सब-लैटिंग के नाम से घबराते हैं और कहते हैं कि लगान पर नहीं उठाना चाहिये। उसके बजाय आप बटाई शब्द को रखना चाहते हैं। किसी भी कानून में जो खास-खास शब्द होते हैं उसमें उनकी परिभाषा की जाती है लेकिन आप के इस कानून में 'लीज' शब्द की परिभाषा नहीं है। ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की परिभाषा को काट-छांट करने की कोशिश आपने की है। आप साफ-साफ परिभाषा क्यों नहीं कर देते हैं। आपने दूसरे की चीज को बोरो करने की कोशिश करते हैं। जाहिरदारी और असलियत में आप फर्क रखना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय मालमंत्री उस संशोधन को, जो उपस्थित किया गया है, उसे अस्वीकार करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन के सामने पेश है, मुझे उसकी ताईद में चन्द शब्द कहने हैं। मुझे खुशी है कि मेरे मित्र श्री त्रिलोकी सिंह जी ने इस संशोधन की मुखालिफत करते हुए अपने कुछ विचार प्रकट किये हैं और वे विचार कमसे कम जाहिरा तरीके पर उन्नतिशील मालूम होते हैं। अपने उन विचारों से जो उनके पहिले थे। मैं यह नहीं कहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी में इस धारा पर क्या बहस हुई थी और उसमें मेरे मित्र के क्या विचार थे लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी हुई कि एक नई पार्टी की शक्ल में और उसके नेता होने के नाते जो बातें उन्होंने कहीं मैं उनको उनके लिये बधाई देता हूं। मेरा ख्याल ऐसा है कि उन्होंने इस चीज को जरा गलत समझा। उन्होंने दलीलें देकर वकालत तो अच्छी की है। ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में से परिभाषा पढ़ कर उन्होंने बताया कि उसमें जो परिभाषा है और इस ऐक्ट की परिभाषा में जो दिया हुआ है वह एक दूसरे को खत्म करती है। उन्होंने एक दलील यह दी कि जो बटाई का सिस्टम जारी है, वही साझेदारी भी है। मेरे मित्र किसानों से संपर्क रखते हैं, मैं उनको बतलाऊंगा कि अगर उनका किसानों से ताल्लुक है तो उनको मालूम होना चाहिये कि बटाई और साझेदारी दोनों एक चीज नहीं हैं। बटाई और साझेदारी हमेशा से किसान करते रहे हैं। ये दोनो चीजें हमेशा से चलती आ रही हैं, लेकिन यह दोनों चीजें कभी भी एक नहीं रही हैं। यद्यपि वे बराबर रही हैं लेकिन अलाहिदा अलाहिदा रही हैं। बटाई उसे कहते हैं जो जमींदार अपना खेत किसान को दे देता है और उसमें कुछ काम नहीं करता और लगान नकद में लेने के बजाय गल्ले की शक्ल में लेता है और साझेदारी वह कहलाती है जिसमें कि किसान खुद अपना हल चलाता है और उसके साथ ही किसी दूसरे किसान को या ऐसे आदमी को शामिल कर लेता है जो उसके साथ खेती करे। इसी चीज को साझेदारी कहते हैं जिसमें खेत वाला खुद अपना हल चलाता है, खुद मेहनत करता है और तमाम परिश्रम जो खेती के लिये जरूरी है वह करता है। तो इस तरह से बटाई और साझेदारी में फर्क है। न केवल यह प्रचार प्रैक्टिस में बात है बल्कि कानूनी और कानूनी रूलिंग्स में भी बटाई और साझेदारी में फर्क माना गया है। साझेदारी की आज तक जितनी भी रूलिंग्स हुई हैं सिवाय एक को छोड़ कर जिसमें थोड़ा-सा शक पैदा किया गया है बाकी सब रूलिंग्स ऐसी हैं जो बोर्ड आफ रेवेन्यू की हैं और जिनमें यह माना गया है कि किसी को साझेदार बना देना जमीन को उठाना नहीं है। तो मैं अपने मित्र से यह कहूंगा कि यह जो सिद्धांत की बात उन्होंने कही तो उस सिद्धांत का मैं भी हामी हूं। और अगर इससे सिद्धांत का जरा भी खून होता दिखाई देता तो मैं एक पुराने मित्र के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी उसका समर्थन करने के लिये खड़ा नहीं होता। लेकिन मैं खुद किसानी करता हूं, मुझे देहात की हालतें मालूम हैं, इसलिये मैं जानता हूं कि यह साझेदारी जो थी वह जरूरी है और उसे रहना चाहिये। और यह एक्स-प्लेनेशन जो दिया गया है वह भी जरूरी है। इसलिये कि जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि यह उनका हक है, आज तक रहा है और बोर्ड आफ रेवेन्यू ने भी मंजूर किया है तो बटाई और साझेदारी को डिस्टिंग्विश, करने के लिये कुछ फर्क होना चाहिये जिससे आगे चल कर किसी तरह की दिक्कत न पैदा हो। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास दो-दो बीघे खेत हैं या यह कि एक किसान है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है और दूसरे के पास बहुत कम जमीन है और वह उसको अपनी खेती में शामिल करके कोआपरेटिव सोसाइटी के तरीके पर खेती करता है चूंकि अकेले वह नहीं कर सकता और दूसरा किसान अपनी

[illegible]

[illegible] महम्मद अमीन [illegible] लेकिन अगर [illegible] नहीं है मुझे उनको इस राय में इत्तफाक [illegible] चीजों को कुछ पर्दे के पीछे छिपा कर, जाहिर कुछ और बातें [illegible] और अमल कुछ, इस तरह की चीजों की आदत [illegible] उनसे कतई मुत्तफिक हूं।

दूसरा मसला जिस पर उन्होंने बहस की, [illegible] सब-लेटिंग [illegible] नहीं है और इसके दूसरे माने साझेदारी [illegible] कहते रहे हैं कि सब-लेटिंग की इजाजत नहीं देंगे [illegible] सब-लेटिंग न होना चाहिये इसलिये आपने [illegible] से दाखिल होते हैं और यह कहते हैं कि साझेदारी में कोई हर्ज [illegible] अगर चीजें ईमानदारी से की जायें और [illegible] लेटिंग में फर्क हो सकता है जैसा कि अभी शर्मा जी ने तकरीर [illegible] लेकिन [illegible] आप एक दरवाजा बंद कर देंगे और किसी काश्तकार को आइन्दा सब-लेटिंग की इजाजत नहीं देंगे तो जिन लोगों को मजबूरियां पेश आवेंगी जैसा कि मैंने शिकमियों को जमीन देने की मुआफकत करते वक्त कहा था, वह हर नए नए तरीके अख्तियार करेंगे। आप जो यह साझेदारी को टट्टी बना रहे हैं इसकी ओट में छिपकर लोग शिकार करने की कोशिश करेंगे। गोया इसके मानी यह नहीं हैं कि आप यह तो नहीं कहते कि हम शिकमी की इजाजत देते हैं लेकिन अगर जरूरत हो तो चन्द शरतों के साथ, पाबन्दियों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं और इस तरह से आप साझेदारी का लफ्ज लाकर यह तमाम चीजें किया चाहते हैं। मुझे इस पर एतराज है और यह चीज मुनासिब नहीं है मैं इस बात को मानता हूं और मुझे जरा भी इसमें एतराज नहीं है कि अगर भूमिधर को साझेदारी की जरूरत हो और साझेदार को साझेदारी

को जरूरत हो तो यकीनन उसको इजाजत होनी चाहिये। मैं इसके मानने वालों में से हूं कि अगर एक भूमिधर को जायज तरीके पर सबलेट करने की जरूरत है तो चन्द शराइत के साथ जो जाब्ते और कायदे आपने मुकर्रर कर दिये हों, उन रेस्ट्रिक्शंस के साथ उसे इजाजत होनी चाहिये। लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे माल मंत्री जी का यह तरीका कि एक चीज को दूसरे तरीके से घुमा फिरा कर हाउस के सामने पेश करना, यह चीज ज्यादा सही नहीं है। जब मैंने यह तरीका देखा और बाजीगर और जगलरी मैंने देखी तो बेअख्तियार मेरी जबान पर यह हिन्दी का दोहा आया।

मन मैला, तन उजला, बगले का सा भेष,
या से तो कागा भला जो बाहर भीतर एक।

अपोजीशन वाले और जमींदार मेम्बरान जो इस अपोजीशन में शरीक हैं वे और चाहे जैसे हों लेकिन बाहर और भीतर एक–से हैं मेहरबानी फरमा कर जब तक उन जिम्मेदाराना कुर्सियों पर आप तशरीफ रखते हैं इसका ख्याल रखिये कि आपका जाहिर और बातिन एक सा हो। आप एक बहुत जबर्दस्त सूबे की हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में लिये हुए हैं। आपका यह तरीका कि कहें कुछ, जाहिर कुछ करें और अमल कुछ हो, ज्यादा सही नहीं मालूम होता। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस तरीकेकार में तब्दीली की कोशिश करेंगे और ठाकुर फूल सिंह जी, मुझे उम्मीद है, मुझसे ज्यादा आपकी इस बात को नापसंद करेंगे।

श्री फूल सिंह––श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन के सामने हैं उन पर तीन चार तरफ से नुक्ताचीनी की गई है। ऐसा मालूम होता है कि इस संशोधन के आने से जो मौजूदा साझेदारी का कानून था उसमें कुछ बड़ा अंतर होने जा रहा है।

श्री एजाज रसूल––कौन कानून है मौजूदा?

श्री फूल सिंह––अगर मेरे दोस्तों ने इस प्वाइंट पर ला की किताब नहीं पढ़ी और बोर्ड की रूलिंग नहीं देखी तो यह मेरा कसूर नहीं है।

मैं यह अर्ज करने जा रहा था कि अभी तक अगर कोई शख्स काश्तकारी में किसी को साझेदार कर लेता है, तो साझी को टेनेंसी राइट्स एक्ट नहीं होते। यह मौजूदा पोजीशन है। लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि जो नुक्ताचीनी हैं वे साझेदार में और बटाई में तफरीक नहीं समझते। वे कभी साझेदार इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी बटाई। लेकिन दोनों में इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में। कोई शख्स काश्तकार हो, वह लगान नकदी में दे या बटाई में, वह काश्तकार रहता है। बटाई तो लगान की अदायगी की एक शक्ल है। लेकिन साझेदार तो शरीक काश्त है। एक शख्स खुद खेती करता है। उसमें दूसरे को शामिल कर लेता है तो साझेदार का शब्द और बटाई का शब्द अदल–बदल कर इस्तेमाल करने के माने यह हैं कि जो दोस्त इसको इस्तेमाल करते हैं वे न एक के माने जानते हैं और न दूसरे के माने जानते हैं। मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ जब मेरे एक दोस्त ने लीज की डेफीनीशन का हवाला दिया और यह फरमाया कि दरअसल यह स्पष्टीकरण लगा कर तो जो लीज की डेफीनीशन है उस का उल्टा कर देना है।

श्री त्रिलोकी सिंह––उल्टा नहीं करना है, रेस्ट्रिक्ट कर देना है।

श्री फूल सिंह––मुझे खेद है। (I am sorry) मैं इस संबंध में महज दो–तीन बातें कहना चाहता हूं। काश्तकारी की जमीन के मुताल्लिक ३,४ तरीके हैं जिनमें चीजों का तबादला होता है। पहली चीज है (sale) विक्रय जिसकी परिभाषा में है (transfer of ownership) (मालकाना हक का (इन्तकाल), दूसरी है (Mortgage) (बंधक) जिसमें (transfer of interest in property) होता है। तीसरी चीज है लीज, जिसमें होता है (transfer of a right to enjoy such property) आप देखेंगे कि लीज की परिभाषा में न तो प्रापर्टी का इंतकाल है और न उसके किसी इंटरेस्ट का इंतकाल है। महज एक चीज का तबादला है और वह है (transfer of the right

[श्री [illegible] सिंह]

[illegible] से [illegible] फिर [illegible] कोई [illegible] [illegible] ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

अदालतों [illegible] [illegible] के ऊपर यह इलजाम लगाया गया कि उन्होंने [illegible] नहीं पढ़े जहां मवेसि वगैरह आये हैं। मैं आप से [illegible] [illegible] दो हिस्से हैं। [illegible] हिस्मा [illegible] ट्रान्सफर [illegible] फिर एक्ट ने [illegible] किया। कम्पोजेशन के [illegible] में हो सकता है। इस पर जोर देना मुनासिब नहीं है, [illegible] हो सकता है और सेल का भी हो सकता है। कानूनी नजर से इन दोनों [illegible]

इस संशोधन पर एक और आपत्ति है और वह यह [illegible] बिचौलिये को निकालने का वसूल कायम किया था उसे [illegible] से तोड़ा जा रहा है। मेरा नम्र निवेदन है कि यह [illegible] इंटरमीडियरीज को निकाल दिया जाय और जमीन उन लोगों के पास [illegible] करते हैं, यह एक उसूल है। अगर आगे आप देखें तो इसमें फिर [illegible] पड़ती है। एक शख्स अपनी जमीन को खुद जोत सकता है या किसी और से भी [illegible] है। कुछ लोगों ने यह कहा जा सकता है कि अगर कोई शख्स अपने [illegible] तनहा खेती नहीं करता है बल्कि मजदूर रख करके खेती करता है, वह भी [illegible] जाता है और उसको भी वह इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह [illegible] मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल हो जायगी और अगर इस बात को मान [illegible] सवाल आ जाता है कि जिन लोगों को आप इम्प्लाय करते हैं खेती करने में [illegible] कैश में दी जाय या काइंड में दी जाय। मैं समझता हूं कि यह [illegible] असल सवाल यह है कि आप आपखेती के काम में मजदूरों का इस्तेमाल [illegible] नहीं समझते हैं। अगर आप खेती के काम में मजदूरों का इस्तेमाल जायज [illegible] फिर आप के लिए यह कहने का मौका नहीं रहता कि अगर आप [illegible] तो जायज है और अगर अनाज दिया तो नाजायज है। यह जो धारणा है कि [illegible] मीडियरीज (मध्यवर्तियों के अन्तर्गत) का जो उसूल है उस पर [illegible] संशोधन से, यह नहीं होती है। मैं इतना और अर्ज करना चाहता हूं। [illegible] ([illegible]) जोड़ते हैं यह उसूल कायम किया करते हैं, उसको [illegible] करते हैं। [illegible] मानें कि खेती के कामों का उसूल यह है कि जो काश्त करता है जमीन उसी की होगी [illegible] फिर भी बहुत से ऐसे मौके होंगे कि जब वह काश्त नहीं कर सकेगा। [illegible] कुछ ऐसे माहिर भी होंगे जो इस बात को नहीं जानते हैं कि जब [illegible] चार एकड़ होल्डिंग वाला आदमी दो बैल से खेती करता है और दो [illegible] में खराब हो जाते हैं, तो उसको कैसे गुजर होगा। अगर किसी के पास [illegible] और एक एकड़ जमीन है, और दूसरे के पास ३ एकड़ जमीन है और ३ बैल [illegible] खेती करते हैं, तो इसमें आप का क्या नुकसान है? मैं समझता हूं कि साझेदारी का [illegible] है। साझेदारी के मानी यही हैं कि दो शख्स अपनी जमीन को शामिल कर लें, अपने लेबर को

शामिल कर लें और खेती करें। साझेदारी के कानून की इजाजत देना रिमूवल आफ इंटर-मीडियरीज (मध्यवर्तियों के अपनयन) के उसूल पर पानी फेरना नहीं है बल्कि उसको और मजबूत करना है। यह चीज देश में खेती की उन्नति का राज है। अगर यह चीज नहीं होगी तो बेशुमार लोग खेती नहीं कर सकेंगे। हां अलबत्ता इसमें जो शब्द हैं, मैं उम्मीद करता था कि उनपर कुछ आलोचना होनी चाहिए लेकिन मेरे दोस्तों ने उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की यहां शब्द "सहायता" और "सहयोग", "असिस्टेंस" और "पार्टिसिपेशन" के लिए आया है। जो बात मैं कह रहा हूं वह पार्टिसिपेशन में आती है लेकिन "असिस्टेंस" का शब्द उससे वाइडर (विस्तृत) है। अगर कोई शख्स अपनी जमीन शामिल न करे और सिर्फ मशक्कत शामिल कर दे, तो यह भी "असिस्टेंस" में आ जाता है। इसलिये यह दलील भी बहुत मजबूत नहीं है। एक दूसरी दलील है जो ज्यादा अहमियत रखती है और वह दलील यह है कि इस संशोधन से खेतिहर मजदूरों को जमीन मिलने में दिक्कत होगी। मैं समझता हूं कि जो लोग खेती से थोड़ा-बहुत सम्बन्ध रखते हैं और इस संशोधन की मुखालिफत करते हैं, उनके दिमाग की तह में यह बात है, लेकिन जो खेती से संबंध नहीं रखते उनको नहीं पता है कि क्या मसला इसमें है। मगर जिनका खेती से सम्बन्ध है और जो इस संशोधन की मुखालिफत करते हैं या उनके दिमाग की तह में यह बात है कि अगर यह संशोधन मंजूर हो गया, तो यह मुमकिन नहीं होगा कि जो लैंडलेस लेबरर हैं उनके पास जमीन पहुंच जाय। मुझे खेतिहर मजदूरों से पूरी हमदर्दी है। लैंडलेस लेबरर पर जमीन पहुंच सके, मैं इसका हामी हूं, मगर मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के नामंजूर करने से भी जमीन लैंडलेस लेबरर (भूमिहीन श्रमिक) के पास नहीं पहुंच रही है। अगर कानून में यह हो कि अगर कोई शख्स खेती नहीं कर सकेगा, तो उसकी जमीन उससे ले ली जायगी और लैंड लेस लेबरर (भूमिहीन श्रमिक) को दे दी जायगी तब तो इस संशोधन की मुखालिफत करने से कुछ नफा हो सकता है, लेकिन जब तक कानून ऐसा है जैसा कि आपके सामने है, जहां कहीं यह नहीं इस कानून में कि स्टैंडर्ड एफिशियेंट फार्मिंग आप करते हैं या नहीं, तो फिर ऐसी बात कहने से क्या फायदा। मेरे पास ४० बीघे जमीन है, हल, बैल कुछ नहीं है। दो बैल ले आऊं, १५ सेर ज्वार बखेर दूं चाहे १५ सेर उसमें पैदा भी न हो, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। मैं खेती करने वाला समझा जाऊंगा। तो कानून ही ऐसा है। अब अगर किसी आदमी को बैल मर जायं, साझा वह यों न करे कि जमीन चली जायगी, उसे वह जोते भी नहीं, इससे यह नफा हो सकता है कि देश की पैदावार कम हो जाय। जमीन लैंडलेस लेबरर (भूमिहीन श्रमिक) के पास नहीं पहुंच जायगी। ऐसे बेशुमार मौके होते हैं जब काश्तकार इस कोशिश में हों कि खेती करें और एफिशियेंटली करें, लेकिन ऐन मौके पर बेकार हो जाय। मैं अभी २० दिन हुए एक गांव में गया, जिसमें ५१० घरों में से ५०६ घर बिलकुल खाक हो गये और १३५ मवेशी मर गये और ११ आदमी जल गये। अब आप सोचिये कि जिसके मवेशी जल गये, घर जल गया, महज कमीज पहने रह गये, क्या उसके लिए मुमकिन है कि वह खेत जोत ले और अगर उसे यह मौका भी नहीं दिया गया कि वह दूसरे आदमी से साझा करले जिसके पास मवेशी हों, सामान हो तो आप उसे मजबूर करते हैं कि वह जमीन को खाली डाले रखे। इसलिए इस संशोधन को नामंजूर करने से देश की पैदावार को तो नुकसान है ही लैंडलेस लेबरर को भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जब हंसते हैं तो उससे मेरी दलील को हंस कर टाल देना चाहते हैं। तो कई ऐसी दिक्कतें हैं कि जिनका इस कानून में इलाज होना चाहिये था और उनमें से एक यह है कि मसलन बाग लगाने की बात है। जब बाग लगाते हैं तब किसी के सुपुर्द कर देते कि खेती के आस पास की जमीन में खेती करते रहो, जब पेड़ बड़े हो जायं तो छोड़ दो। अगर यह कह दिया जाय कि इसमें तो इंटरमिडियरी बनता है तो यह बात नहीं है। ऐसी ही और बहुत सी चीजें होती हैं। मसलन् टेम्पोरेरी एक्सचेंज है। जब खेती कर रहे हैं वह जानते हैं। जहां आपकी ईख है अगर मैं भी काश्तकार हूं तो मैं भी चाहूंगा कि मेरी ईख भी आपके ही पास हो और वहीं उसकी खेती हो। अगर आपकी ईख एक तरफ और मेरी दूसरी तरफ होगी तो उससे गांव के लोग खा जायंगे तो मैं बदल करके खेत ले लूंगा और आप कहेंगे कि यह

[श्री फूल सिंह]

तो इंटरमीडियरी हो गया तो वह तो सब चौपट हो जायगा। लिहाजा कोरे उसूलों से बिला बात को जाने-बूझे काम नहीं चल सकता। वाकयात को पैमाने पर कसिये और देखिये कि इस संशोधन के नामंजूर होने से क्या नुकसान होगा और उसके मंजूर होने से क्या नफा होगा। और अगर आप इस नुक्ते से इसको देखें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह संशोधन निहायत जरूरी है। इस संशोधन से मौजूदा पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मुकदमेबाजी को बचाता है। मेरे दोस्त, जो वकालत करते हैं, उनके नफे में वाकई नहीं है और अगर वह मुखालिफत करें तो बेजा नहीं है। लेकिन यह खर्चा करने वाले के नफे का है और इस संशोधन को निकालने से लैंडलेस लेबरर का नफा नहीं हो सकता।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य, जो शोषितसंघ के लीडर कहे जाते हैं, की तकरीर को बड़े गौर से सुना और मैंने उसमें यह बात देखी कि वह खुद यह समझते थे कि उनकी दलील बहुत कमजोर है। बहुत एक-एक कर वह दलीलें पेश करते थे और उनके दलीलों से यह मालूम होता था कि उनका यह यकीन है कि वह सही संशोधन नहीं पेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उन्होंने इस संशोधन को पेश किया है। उसके बाद एक तकरीर मेरे मित्र श्री चतुर्भुज शर्मा साहब ने की। उन्होंने कानूनी हवाले दिये और बोर्ड आफ रेवेन्यू की रूलिंग कोट की कि साझेदार के यह मतलब हैं और तमाम कानून जितने थे सब छान डाले। उसके बाद मेरे मित्र फूल सिंह साहब ने एक व्याख्यान साझेदारी और बटाई पर दिया और यह बतलाने की कोशिश की कि साझेदारी और बटाई में कोई फर्क नहीं है। मुमकिन है कि हम लोग देहातों में गये नहीं हम नहीं जानते और हमारे भाई फूल सिंह साहब साझेदारी और बटाई को खूब जानते हैं लेकिन इन सब बातों को जानते हुए और समझते हुए मैं एक सीधा और साफ सवाल पेश करता हूं कि आखिर इस संशोधन को लाने की जरूरत क्या थी? आप ४ वर्ष के बाद जो सेलेक्ट कमेटी की फाइन्डिंग्ज हैं उन्हें देखिये। उसने अपनी तमाम बहसों के बाद यह फाइन्डिंग दी जो उस के सफे ५२२ पर है।

"To prevent the re-emergence of the landlord-tenant relation the cultivator shall have no right to sublet except in the case of disabled persons, such as minors, widows, people suffering from physical infirmity, or in the military service of the state or in jail etc,"

(जमींदार-काश्तकार के सम्बन्ध को फिर से पैदा होने से रोकने के उद्देश्य से शारीरिक दृष्टि से असमर्थ लोगों यथा नाबालिगों, विधवाओं और शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त लोगों अथवा राज्य की सैनिक सेवा में या जेल वगैरह में रहने वाले लोगों को छोड़ कर दूसरे काश्तकारों को अपनी जमीन शिकमी सौंपने का कोई हक न होगा।)

बड़े गौर खोज के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे थे और एक उसूल तय किया था और मैं आज भी देखता हूं कि सब मेम्बर साहबान आज भी उस उसूल को मान रहे हैं। वह यह कहते हैं कि हम सबलेटिंग नहीं लाते या हम जो संशोधन ला रहे हैं इसमें सबलेटिंग की गुंजाइश नहीं है लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर सबलेटिंग की गुंजाइश नहीं थी तो आप संशोधन क्यों ला रहे हैं। आप साफ-साफ बातें करने के आदी नहीं हैं। मैं साफ कह दूं, मैं कई बार इस ऐवान में कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि आप हजरात ने यह फैसला किया है कि जमींदारी उन्मूलन फंड से जो रुपया आयेगा उसी से जमींदारों को अदा करदेंगे और आज आप उससे हटने को तैयार नहीं हैं अगरचे आप ने देख लिया है कि आप उसमें नाकामयाब हो चुके हैं। लेकिन आप इस संशोधन से यह सोच रहे हैं कि शायद हम एक चारा छोड़ दें किसान के सामने और इसके जरिये से शायद रुपया वसूल हो जाये और किसान दे दे। तो जो साफ-साफ बात है उसको आप छिपाते हैं और एक-दूसरे तरीके से उसको लाना चाहते हैं।

अगर आप कहते हैं कि एबलेटिंग की जरूरत नहीं है तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन को लाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात आप से और पूछना चाहता हूं कि आप सोचिये तो कि लैंडलेस लेबरर को आप इससे कितना नुकसान पहुंचायेंगे। जबकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट लैंडलेस लेबरर की स्थिति को देखने के लिए एक कमीशन बैठा रही है तब यह क्या होने वाला है। ठाकुर फूल सिंह ने [illegible] और बटाई पर [illegible] लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर किसी के पास १०० बीघा [illegible] है और कहता है कि तुम जोतो और बोओ और [illegible] दे देना तो क्या इसे आप रोक सकेंगे? इससे तो आप फिर भी वही एक्सप्लाइटेशन कायम रखेंगे। आप कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस बारे पर आपने इस कदर बहस की और सारी बहसों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं जो बोयेगा, जो जोतेगा वही मालिक होगा। चाहे कानून की कितनी बातें हमारे चतुर्भुज शर्मा करें, फूल सिंह साहब या [illegible] और बटाई पर कितना ही लेक्चर दें, लेकिन अभी-अभी [illegible] तकरीर सुनी जिसमें कि उन्होंने यह कहा था कि [illegible] मैंने आकर जब उनसे कहा कि ये जो दूसरे संशोधन आपकी तरफ से आये हैं [illegible] आप कौन सी दलील पेश करेंगे। माल मंत्री जी ने कहा कि [illegible] सफाई का जवाब देता हूं। वह कोई इतने बड़े वकील नहीं हैं, एक मफस्सिल जिले में शायद वे वकील थे। हां हर शख्स जब खड़ा होता है तो जवाब तो कुछ न कुछ [illegible] मैं उनसे कहूंगा कि मेरे एक छोटे और सीधे-सादे सवाल का जवाब अपनी तकरीर में दें कि आप इस संशोधन को लाने की क्या जरूरत पड़ी जबकि आप किसी तरह से एबलेटिंग एक्ट नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि उन बेंचों पर बैठने वाले पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर ऐसा नुकसान नहीं पहुंचायेंगे। इससे जमींदारी उन्मूलन का जो सब से बड़ा उसूल है उसे ही आप नष्ट कर देना चाहते हैं आप डिसिप्लिन के फेर में पड़ कर वोट भले ही दें लेकिन मैं आप से कहूंगा कि इसको स्थगित कराये और फिर से पार्टी में इस पर सोच-विचार कीजिये और इसको पास न होने दीजिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र गोपाल नारायण सक्सेना से अपनी काबिलियत का कोई दावा नहीं किया। उनका यह [illegible] कि आप क्या जवाब देंगे कब्ल अजवक्त था और उस मौके पर जवाब देना कि हम यह कहेंगे कोई मुनासिब नहीं था मैंने सिर्फ यह अर्ज किया था कि जब मौका होगा तब जवाब देने की कोशिश करूंगा मैंने उनसे कोई अपनी काबिलियत की दावेदारी नहीं की थी, लिहाजा बिला वजह उनको यह बात नागवार खातिर हुई। मैं तो जनता का मामूली खादिम हूं और अगर मैं यह कहूं कि मुझमें कोई काबिलियत नहीं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हां, जहां तक कानूनी मसलों का सम्बन्ध है, वकील होने के नाते अगर मैं कुछ दावा करूं तो ऐसा दावा नाजायज नहीं हो सकता। जबकि हमारे मित्र पालन जी को दावा हो सकता है, जिन्होंने कानूनी तालीम हासिल नहीं की। तो फिर ऐसी सूरत में अगर मैं करूं तो नामुनासिब न होगा। उनको भी हक है और वह कर सकते हैं अगर वह चाहें। दूसरा दावा नहीं कर सकता है अगर ऐसा वह कहें तो यह उनकी जबर्दस्ती होगी। मसला बड़ा अहम और पेचीदा है जिसको साधारण तरीके से अगर समझना चाहें तो जरा मुश्किल बात है। हमारे लायक दोस्त जमशेद अली खां साहब ने जो कहा उसके लिए मैं क्या कहूं मैं तो एक अनपढ़ हूं। उन्होंने एक कहावत या कव्वाली पढ़ी थी। उसके जवाब में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि न तो मैं कवि ही हूं और न कविता ही जानता हूं। (One sees the reflection of his own heart) (कोई व्यक्ति अपने ही हृदय का प्रतिबिम्ब देखता है।) जाहिरा बात एक है। दो बात नहीं है। मेरा सफेद रंग भी नहीं है। बगुलापंथी पोशाक भले ही हो। लिहाजा यह चीज मेरे ऊपर आयद नहीं होती। शायद कुंवर साहब पर आयद होती है जो उनकी बगल में बैठे हैं। खैर बड़ी लम्बी-चौड़ी तकरीर की गई। कब्ल इसके कि मैं कुछ तकरीर करूं मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं क्योंकि यह मुनासिब

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

हैं। हमारे दोस्त के दिल में जो भ्रम है, वह गलत है। यह कैसे कहूं, मैं पढ़ा नहीं, ऐसी हिम्मत करना ऐसे अहले कलम लोगों के सामने मुनासिब नहीं है लेकिन मजबूरी कहलवाती है। हमारे लायक दोस्त श्री त्रिलोकी सिंह ने जो लीडर आफ दि अपोजीशन की हैसियत से मैडिन स्पीच दी (प्रथम भाषण किया) है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं लेकिन अफसोस कि जो तकरीर उन्हों की है वह इतनी कन्फ्यूज्ड थी कि मेरे लिये कोई नतीजा बरामद करना नामुमकिन है। उन्होंने अगर किया हो तो बाद में पूछने की कोशिश करूंगा।

सरकार का जैसा कि रवैया है सरकार ने एलान किया है कि हम सबलैटिंग (पट्टे पर उठाने) की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि इसके माने यह है कि एक नया इंटरमिडियरी पैदा किया जाय जिसको मिटाने के लिए यह सब किया जा रहा है लिहाजा एलान साफ है। इसमें कोई पेचीदगी या छिपाने की बात नहीं है। कहा यह जाता है कि इससे सब लैटिंग (पट्टे पर उठाने) की इजाजत दी जा रही है। यहां पर गलत फहमी है। यह भी पूछा गया कि यहां पर यह चीज क्यों रखी गयी। मैं त्रिलोकी सिंह साहब की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह—ऐसी बात कहें जिसे मैं समझ सकूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं तो साफ बात कह सकता हूं। टेनेन्सी ऐक्ट के सेक्शन ३ के सब-क्लाज १३ में लीज की डेफिनेशन है। [illegible] a counterpart of a lease (पट्टे में पट्टे को पूरा करने वाला भाग भी सम्मिलित है।) यह क्या डेफिनेशन है। इस गरज से दी गयी है कि जहां-जहां लाल किताब में यह लफ्ज है वहां कबूलियत के माने निकाल सकते हैं। हम समझते हैं कि पालन जी और त्रिलोकी सिंह इस ला के एलीमेंट प्रिंसिपल को मानेंगे कि जब कहीं किसी चीज की डेफिनीशन नहीं होती तो जहां कहीं वह डिफाइन किया जाता है तो उसके माने निकालने के लिए किया जाता है। इस ऐक्ट में और न इस विधेयक में लीज का आज तक डेफिनीशन है। लीज के क्या असरात होते हैं? लीज का काउंटर पार्ट इंक्लूड किया जाए, यह डेफिनीशन है। लीज ट्रान्सफर किया जाए तो क्या-क्या नतीजे बरामद होते हैं, इस बात की डेफिनीशन इस डेफिनीशन से पता नहीं चलती। लेकिन ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में लीज का शब्द साफतौर से डेफा-इंड है जिसका हवाला हमारे और मित्रों ने दिया है, भाई त्रिलोकी सिंह ने दिया है। उस लीज का मतलब यह है कि इम्मूवेबिल प्रापर्टी जिसके मुताल्लिक लीज लिखा जाये, वह इंटरेस्टेड लीजी के हक में मुंतकिल हो जाती है। अगर हम कोई चीज भाई त्रिलोकी सिंह के हक में लिखें तो त्रिलोकी सिंह जी को उस इम्मूवेबिल प्रापर्टी में हक हासिल हो जाएगा। लिहाजा इस दिक्कत को दूर करने के लिए इस ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की डेफिनीशन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि कोई गलतफहमी न हो और हमारे भाई इससे बखूबी वाकिफ हैं कि सबलीज सबलेटिंग के जरिए हुआ करती थी। दफा ४२, जो पहले थी बाद को १९४७ के अमेंडिंग ऐक्ट के जरिए रद कर दी गयी। लीज के जरिये सबलेटिंग होती है, कुछ ऐसी डेफिनीशन ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में नहीं है तो उस चीज को दूर करने के लिए उस ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट का हवाला दे दिया जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। नयी बात क्या की जा रही है। हवाला न दिया जाता तब भी जो इंटरप्रीटेशन का सवाल होता तब कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन मेरे लायक दोस्तों को गलतफहमी हुई। उसे दूर करने के लिए हमने ऐसा किया ताकि त्रिलोकी सिंह और गोपाल नारायण जी को गलतफहमी न हो तो इसमें कोई मुजायके की बात नहीं है। आप कहते हैं स्पष्टीकरण क्यों लगाया गया। कहा गया कि चोर दरवाजे से सबलेटिंग की इजाजत दी जा रही है। अगर आपका यह गेस ठीक है तो चोर पकड़ा गया। सरकार पकड़ ली गयी, सरकार चोर है। आप सब-टेनेन्ट की परिभाषा पढ़ें "सबटेनेण्ट इज ए पर्सन हू होल्ड्स लैंड"। होल्डिंग की जहां डेफिनीशन है उसे देखिये। इन दोनों डेफि-नीशंस को पढ़िये। लिहाजा अगर किसी शख्स को इन डेफिनीशन्स से लैंड में इंट्रेस्ट नहीं पैदा होता है तो वह सब-टेनेण्ट की परिभाषा में नहीं आता जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें लैंड का

इंट्रेस्ट उसे हो जाए तो जरूर वह सब–टेनेण्ट की परिभाषा में वह आ जाता है। बात कानूनी है लेकिन बारीक जरूर है। हां समझने में दिक्कत है। अब यह मेरी नाकाबिलियत है कि मैं समझा नहीं सकता। दो बातें हो सकती हैं या तो मैं ठीकतौर से समझा नहीं सकता या हुजूर समझ नहीं सकते। हुजूर से मेरा मतलब चेयर से नहीं है बल्कि भाइयों से है, जिन्होंने इसकी मुखालिफत की है। इसके बाद एक दूसरी बात देखी जाए, जिसकी तरफ फूल सिंह जी ने अपनी तकरीर में कुछ संकेत किया था। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इससे यह साफ जाहिर है और मुझे यकीन है कि अगर उसके अल्फाज में खामी है, अगर वह अपने तजुर्बे से कोई मुनासिब तरमीम पेश करें तो उसमें हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। हम यह कहते हैं कि इस स्पष्टीकरण से यह भी नहीं हो सकता कि हम साझेदार को एक्सक्लूजिव पजेशन दे दें। वह आराम से बैठा रहे और साझेदार हल चलाता रहे और जब फसल तैयार हो जाय तो सर पर लाद कर दे जाय। इस स्पष्टीकरण की यह भी मंशा नहीं है। अगर इसके अल्फाज को साफतौर पर पढ़ा जाय तो उसके यही माने निकलते हैं कि दूसरे साझीदार को भी हल चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि लैंसर अपने घर पर बैठा रहे और सब–लैंसी को काम करना पड़े। साझेदारी के यह मानी नहीं है कि वह तो मजे में रहे और दूसरा फसल तैयार करता रहे। ऐसी सूरत में यह कहना कि इससे सब–टैनेंसी की हालत पैदा हो जाती है, किसी किसान सभा की मीटिंग में तो ऐसी बात कही जा सकती है, लेकिन लेजिस्लेचर के मेम्बरों के सामने जहां कि सब लोग माहिर हैं, जो कानून बनाने की अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं, उनके सामने ऐसी बातें कह देना ठीक नहीं है। इसलिए जो राय दी गयी है वह बिलकुल गलत है। इससे और साझीदारी से कोई सबटैनेंसी क्रियेट (पैदा) नहीं होती। फूल सिंह जी के जवाब में नवाब ऐजाज रसूल साहब ने फरमाया कि वह कौन सा कानून है जहां साझेदारी बतायी गयी है। लैंड रिकार्ड मैनुअल के पैरा ८३ के सब पैरा २ में यह लिखा हुआ है—

"If the recorded tenant has permitted any person to share in the cultivation of his holding or any part thereof as a partner or 'sajhi' or has put any person in cultivating possession on his behalf except as provided in paragraphs 79 and 87, the entry in column 5 will be made exactly as it was in the previous year, and the name of the sharer or the cultivator will be shown only in the remarks column of the Khasra, the former with the word 'sajhi' and the latter with the word 'marifat'."

(यदि अभिलिखित काश्तकार ने किसी व्यक्ति को अपने खाते या उसके किसी भाग की कृषि में साझीदार या साथी होने की अनुमति दे दी हो, या उन शर्तों को छोड़ कर जो पैरा ७९ और ८१ में दी गयीं है, उसने अपनी ओर से किसी व्यक्ति को कृषि कार्य में लगा दिया हो तो स्तम्भ ५ में ठीक वैसी ही प्रविष्टि की जायेगी जैसी वह पूर्व वर्ष की गयी थी और साझीदार का या कृषक का नाम खसरा के रिमार्क के स्तम्भ में दिखाया जायगा, पूर्ववर्ती का नाम साझी और परवर्ती का नाम 'मारिफत' दिखाया जायगा।)

साझेदारी का इंदराज भी होता है। अगर कानून में यह बात न होती तो इंदराज कैसे होता। पटवारी के कागजात में कैसे इंदराज हो सकता है जब तक कि कानून में वह बात न हो। कहा यह गया कि साझे के मसले को क्यों यहां लाया गया। एक कोर्ट की रूलिंग अभी जो हुई है अगर मेरे दोस्त उसे उसी लापरवाही के साथ पढ़ें, जिस लापरवाही के साथ उन्होंने इसे पढ़ा है तो साझी उसके अनुसार शिकमी भी हो सकता है। इसी पोजीशन को स्पष्ट करने के लिए इस स्पष्टीकरण की जरूरत हुई ताकि लोग नुकसान न उठा जायं बहुत से हमारे भाई ऐसे हो सकते हैं, जिनका बैल बीमार हो जाय और अगर वह मर जाय तो किसतरह से वह खेती करेंगे और बिला वजह वे परेशानी में पड़ जायेंगे। आप पैदावार बढ़ाने की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उसको घटाने का प्रबन्ध करके आप वहां के हालात भी देखें। महज दो रोज पिकनिक में चले गये और कह दिया कि हम तो देहात के हालात से बखूबी वाकिफ हैं, यह ठीक बात नहीं है। देहातों में चलिये और खास कर हमारी तरफ चलिये कि वहां के क्या हालात हैं। मैं अभी १५ दिन देहात में रह कर आया हूं। वहां चलने से ही आपको असली हालत मालूम होंगे।

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

आजकल आम की फसल है आप मलीहाबाद पिकनिक में चले गये और कह दिया कि हम देहात की हालात अच्छी तरह जानते हैं। एक रोज में देहात की हालत नहीं मालूम हो सकती है। आप लोगों को सहूलियतें दीजिये। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जिनके पास जमीन है, अगर अकस्मात् कोई ऐसी आफत आ जाय कि उनकी जमीन के इंतजाम में गड़बड़ी हो जाय तो क्या हम और आप यहां इसलिए बैठने के लिए आये हैं कि वे तबाह होते रहें और हम उनका कुछ इन्तजाम न करें? आप बहुत बड़ा कानून बना रहे हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर और आपके ऊपर है, इसलिए अगर कोई कंटिजेंसी हो जाय तो हम और आप मिल कर उस काम को कर सकते हैं। लिहाजा अपने दिमाग पर जरा जोर देकर हम कोई काम करें क्योंकि आगे उसका इन्तजाम और प्रबन्ध आपको ही करना है। हमको और आपको अपने सूबे की बहबूदी और तरक्की करना है जिससे लोगों को बिला वजह तकलीफ न हो। इन अल्फाज के बाद अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने भाइयों के इत्मीनान के लिए दो-एक नजीरें भी दे सकता हूं। साझेदारी सब-टेनेंसी नहीं होती है लिहाजा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां सबलेटिंग से साझेदारी का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे राजा साजिद हुसेन साहब खड़े होकर कहेंगे कि जो डिसएबुल गुजारेदार हैं उनको भी सबलेटिंग का अख्तियार दिया जाय। बात ठीक है उनको यह हक मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई बीमार है और आज की तारीख में बीमार हो जाय तो उसका हम कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो सभी हमारे ऊपर यह इल्जाम आयद करेंगे कि हुकुम सिंह ऐसा कर रहे हैं, ठीक है डेमोक्रेसी है, जो जी में आवे कह लीजिये, कोई रोकने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष—आप दो मिनट में अपनी तकरीर खत्म कीजिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह—जनाबवाला, मैं आप की आज्ञा से अपनी तकरीर खत्म करता हूं और इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस तरमीम को वह स्वीकार करें।

श्री ऐजाज रसूल—जनाबवाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तकरीर बहुत गौर से सुनी। वक्त बहुत कम है, लिहाजा मैं कोई लम्बी तकरीर नहीं करूंगा और न उनका जवाब ही दे सकूंगा। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि साझेदारी जो होगी उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? क्योंकि कोई साझीदार है, जिसने साथ में मिल कर खेती तो की, लेकिन फसल तैयार होने के पहले ही खेत वाले किसान ने उसको निकाल दिया। तो इस तरह से इसमें एक्सप्लोएटेशन (अनुचित लाभ) हो सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसके लिये कोई सिक्योरिटी है या नहीं। इसके अलावा मैं एक बात और दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि बड़े जमींदार जिनकी सीर थी और उनके शिकमी काश्तकार मौजूद थे, उनको निकाल कर आपने हेरिडिटरी राइट दे दिया? वह भी एक क़िस्म की साझेदारी ही थी, सब-लेटिंग ही थी; मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह इस वजह से कि दस गुना रुपया वसूल हो सके? और अब चूंकि गवर्नमेंट उस काम में फेल हो रही है, उसका दसगुना लगान वसूल नहीं हो रहा है तो वह इस तरह से साझेदारी का सिस्टम रखना चाहती है ताकि देहात के काश्तकार जिनके पास रुपया नहीं है उसमें शामिल हो सकें। आपने इन महाजनों को हिस्सा दिला कर उनको सब कुछ करने का अख्तियार दिया, जिससे दसगुना वसूल हो सके। दूसरे यह बेगार का ऐसा सिस्टम है कि बेगार लेते हैं और उनका कोई हिस्सा नहीं रहता। कह देते हैं कि खेत जोतो हम इतना गल्ला देंगे, उसने कहा कि जोत लेंगे। लिहाजा यह वही तरीक़ा है कि जो कांग्रेस सरकार ने बन्द किया था और मेरे पास प्रीमियर साहब का एक ऐलान रखा हुआ है उन्होंने बड़े जोर से जब यह बिल इस असेम्बली में पेश हुआ था उस वक्त साफ कहा था कि हम शिकमी की इजाजत नहीं देंगे। क्या अब वे सब प्रिंसिपल (सिद्धान्त) हवा हो गए?

उपाध्यक्ष--अब आपको अपनी तक़रीर खत्म करना है चूंकि वक़्त खत्म हो गया।

प्रश्न यह है कि वर्तमान धारा १५५ को इसी धारा की उपधारा (१) कर दिया जाय तथा निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(२) इस धारा में शब्द 'पट्टा (lease)' और उसके सजातीय पदों (cognate expressions)' का वही अर्थ होगा जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में शब्द '(lease)' और उसके सजातीय पदों को दिया गया है।

स्पष्टीकरण--कोई ऐसी व्यवस्था (arrangement) जिसके द्वारा खेती-बारी के काम-काज (agricultural operations) में सक्रिय सहायता या सहयोग देने के बदले किसी को भूमि की उपज में हिस्सा मात्र पाने का अधिकार प्राप्त हो 'पट्टा' की परिभाषा में नहीं आती।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित दल ने विभाजन होने पर स्वीकृत हुआ--)

पक्ष में--६०

अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
इतिज़ा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कुंजबिहारीलाल शिवानी, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
खुशीराम, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
पूर्णमासी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मसुरियादीन, श्री
मुहम्मद जमशेद अलाना, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
राघव दास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पांडे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामशंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लाल बिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विनयकुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
बीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
हीतीलाल अग्रवाल, श्री

विपक्ष मे—१३

ऐजाज रसूल श्री
गंगा सहाय चाबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना श्री
चेतराम श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नारायणदास, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५५ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

"स्पष्टीकरण—'भूमि खेती पर उठाने के अन्तर्गत ऐसी साझे की खेती सम्मिलित नहीं है जिसमें सब साझी खेती के काम में सहयोग देते हों और न वह खेती सम्मिलित है, जो कोई माली, जिसे किसी भूमि में बाग लगाने के लिए नियुक्त किया गया हो और जो उसमें पेड़ लगा कर उनका पालन करता, वो उस भूमि में करे।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५५ में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किंतु प्रतिबन्ध यह है कि श्रमिकों के मिलने में कठिनता हो तो प्रत्येक भूमिधर, सीरदार या असामी को यह अधिकार होगा कि वह अपने खाते भूमि का २५ प्रतिशत लगान पर उठा सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५५ के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध लिख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा भूमिधर या सीरदार जिसने अपने खाते में खेती कराने के लिये मजदूर रखे हों, मजदूरों को उनकी मजदूरी देने के बदले में अपने खाते में से तीन एकड़ तक भूमि खेती करने के लिए दे सकेगा।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५५ के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भूमिधर या सीरदार अपने साथ किसी को ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर तथा ऐसे काल के लिये साझीदार बना सकता है जो आपस में तय हो जायं और ऐसी साझेदारी इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत भूमि लगान पर उठाना नहीं समझी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५५ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जावे—

"स्पष्टीकरण—किसी भूमिधर, सीरदार या असामी द्वारा उसके खाते की हरवाही के लिये दी हुई भूमि लगान पर उठाई भूमि न समझी जावेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि धारा १५५ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

"किन्तु जो भूमिधर और सीरदार अपना कोई खाता या उसका हिस्सा खेती पर काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी की एवज में दे उसे लगान पर उठाया जाना नहीं समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १५५ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १५६

अक्षम व्यक्ति का भूमि का लगान पर उठाना

१५६—(१) ऐसा भूमिधर या सीरदार जो—

(क) स्त्री

(ख) अवयस्क (minor)

(ग) पागल या जड़,

(घ) ऐसा व्यक्ति जो अन्धेपन, दारुण रोग या अन्य शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम (incapable) हो,

(ङ) किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो,

(च) भारत की स्थल सेना, नौ सेना, या वायु-सेना सम्बन्धी सेवा में हो, अथवा

(छ) निरोधन (detention) या कारावास में हो अपना कुल खाता या उसका कोई भाग लगान पर उठा सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो और वे सभी खंड (क) से (छ) तक में उल्लिखित अक्षमताओं के अधीन न हों, किन्तु उनमें से एक या अधिक ही उक्त अक्षमताओं के अधीन हों तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिकार है कि खाते में अपना अंश लगान पर उठा दें।

(२) यदि उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य (proviso) के अधीन खाते का कोई अंश लगान पर उठा दिया गया हो तो असामी या किसी खातेदार की प्रार्थना पर न्यायालय उठाने वाले का अंश अवधारित करके खाते का बटवारा कर सकता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १५६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"नीचे लिखे खातेदार जो खेती करने में असमर्थ हैं उनके खातों पर खेती करने की सारी व्यवस्था गांव पंचायत करेगी और लागत तथा व्यवस्था व्यय काट कर बाकी पैदावार इन्हें दे देगी—

(क) स्त्री, (ख) अवयस्क, (ग) पागल या जड़, (घ) अन्धा-अपंग, रोगी या निर्बल, (ङ) विद्यार्थी (च) राष्ट्रीय सेना का कर्मचारी, (छ) निरोधन या कारावास में पड़ा व्यक्ति।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ की उपधारा (१) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) (च) तथा (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाये--

"१५६--(१) ऐसा भूमिधर या सीरदार को--

(क) नेत्र विहीन होने के कारण, असाध्य रोगी होने के कारण, अन्य शारीरिक अयोग्यता या जन्म से पागल या मूढ़ होने के कारण,

(ख) अवयस्क,

(ग) स्वीकृत विद्यालय में अध्ययन कर रहा हो और उसकी आयु २५ वर्ष से अधिक न हो,

(घ) (क) स्त्री जो कि खेती करने में असमर्थ हो,

(ख) स्त्री जो कि स्त्री होने के आधार पर खेती न कर सकती हो,

(ङ) या क़ैदी, अपनी भूमि का पूरा या कोई भाग उठा सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ की उपधारा (१) की पंक्ति १ के आधे शब्द "सीरदार" के बाद शब्द "या गुजारेदार" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "या सीरदार" के स्थान पर "सीरदार या गुजारेदार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) खंड (क) में "स्त्री" शब्द से पूर्व "विधवा, अविवाहिता तथा तलाक-शुदा" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ की उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "स्त्री" के पहले निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"अविवाहिता, परित्यक्ता या विधवा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ की उपधारा १ के खंड (क) में शब्द "स्त्री" के स्थान पर "विधवा" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ की उपधारा (१) (ख) में शब्द "अवयस्क" के पूर्व शब्द "पितृहीन" जोड़ दिया जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ की उपधारा १ के खंड (ख) में शब्द "(minor)" के बाद वाले कामा के पश्चात् "जिसका पिता मर चुका हो" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ की उपधारा (१) (ग) में शब्द "पागल" के बाद शब्द "या जड़" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ की उपधारा (१) के खंड (घ) की पहली पंक्ति में शब्द "दारुण" निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "असाध्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) (ख) की पहली पंक्ति से शब्द 'दारुण रोग" और दूसरी पंक्ति में शब्द "अन्य" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ के उपधारा (१) (ग) की पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में शब्द "दारुण रोग या अन्य शारीरिक निर्बलता" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ के उपधारा (१) के खंड (घ) और (ङ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ के उपधारा (१) के खंड (छ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "हो" के बाद एक विराम (,) रख दिया जाय और उसके बाद वाला दूसरा वाक्यखंड वहां से हटा कर एक दूसरी पंक्ति में रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) में खंड (छ) के बाद खंड (ज) जोड़ दिया जाय:--

"(ज) अपने खेती के पशुओं की मौत या बीमारी के कारण खेती करने में असमर्थ हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ के खंड (छ) के बाद खंड (ज) और जोड़ दिया जाय--

"(ज) इसके अतिरिक्त वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० के पहले से संस्थापित है, अपना कुल खाता या उसका कोई भाग लगान पर उठा सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) के खंड (छ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ दिये जायं--

(ज) धर्मार्थ न्यास या वक्फ (religious trust or waqf),

(झ) मूर्ति (idol);

(ञ) पुण्यार्थ न्यास (charitable trust);

(ट) सशस्त्र पुलिस दल (armed constabulary) में;

(ठ) नागरिक या फौजी पुलिस (civil or military) में या गांव का चौकीदार;

(ड) सरकारी या सरकार से सहायता पाने वाले (aided) या म्युनिसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल का अध्यापक हो और १०० रु० मासिक से अधिक वेतन न पाता हो;

(ढ) पटवारी;

(ण) डाकखाने का कर्मचारी हो और १०० रु० मासिक से अधिक वेतन न पाता हो,

(त) जेल वार्डर (jail warder);

(थ) सरकारी चपरासी (peon)

[उपाध्यक्ष]

(ङ) सरकारी सिविल (civil) कर्मचारी हो और १०० रु० से अधिक मासिक वेतन न पाता हो;

(च) भारत जनतन्त्र की स्थल सेना, नौ सेना या वायुसेना का पेंशनर।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि" और "यदि कोई खाता" के बीच शब्द "उठाई हुई भूमि १०० एकड़ से अधिक न होगी" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ६ में 'छ' के बजाय 'ज' कर दिया जाय:--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) के प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:--

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि जहां कोई खाता या उसका कोई भाग किसी अच्छे भले व्यक्ति (able person) द्वारा इस ऐक्ट के लागू होने के दिनांक से ठीक पूर्व दिनांक पर, लगान पर उठा दिया गया हो और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, इस धारा की उपधारा (१) में उल्लिखित व्यक्ति, जिसे कि भूमि लगान पर उठायी गई हो उस खाते का उत्तराधिकारी हो तो पट्टे का बाकी अवधि के लिये उसके वसियत बजाय अधिवासी के असामी को होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५६ (१) का प्रतिबन्ध तथा उपधारा निकाल दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १५६ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १५७

पट्टे का निबन्धन

१५७--ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ या इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये या वर्षानुवर्षी (from year to year) पट्टा रजिस्टर्ड करण (instrument) द्वारा अथवा नियत रीति से किया जा सकता है।

ऐक्ट ४, १८८२, ऐक्ट १६, १९०८

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५७ की पंक्ति ५ में शब्द "नियत रीति" के स्थान पर शब्द "गांव सभा की अनुमति" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५७ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १५८

धारा १५७ के अधीन पट्टे का निबन्धन न होना

१५८--केवल इसलिये कि उसके सम्बन्ध में धारा १५७ के निदेशों का पालन नहीं हुआ है, धारा १६५ के प्रयोजनों के लिये किसी पट्टे के विषय में यह नहीं समझा जायगा कि वह इस विधान के निदेशों के प्रतिकूल हस्तान्तरण है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५८ की प्रथम पंक्ति में शब्द "उसके" के स्थान पर शब्द "किसी पट्टे के" और तीसरी पंक्ति में शब्द "किसी पट्टे के" के स्थान पर शब्द "उसके" रक्खे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १५८ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १५९

स्वत्व के उत्तराधिकारी का पट्टे से बाध्य होना

१५९--यदि कोई खाता धारा १५६ के निदेशों के अनुसार उठाया गया हो तो, भूमिधर या सीरदार के, जैसी भी दशा हो, स्वत्व का उत्तराधिकारी (successor in interest) पट्टे की शर्तों से जहां तक वे इस विधान के निदेशों के प्रतिकूल न हों, बाध्य होगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १५९ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १६०

अदला-बदली

१६०--(१) कोई भूमिधर या सीरदार अपनी उस भूमि को, जिसका वह भूमिधर या सीरदार हो, किसी अन्य भूमिधर या सीरदार से बदल सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई बदलाई, जिस के परिणामस्वरूप उसके किसी फरीक की भूमि ३० एकड़ से अधिक हो जाय, वैध (valid) नहीं होगा।

(२) उपधारा (१) के अनुसार बदलाई होने पर बदले में मिली भूमि में वे ही अधिकार होंगे, जो बदले में दी गई भूमि में थे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६०(१) की पंक्ति १ में शब्द "भूमिधर या सीरदार" की जगह शब्द "खातेदार" लिखा जाये और इसका प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६० की उपधारा (१) की उपधारा (१) का खंड (क) कर दिया जाय और उसमें एक नया खंड (ख) जोड़ दिया जाय--

"(ख) कोई भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी चकवार खेती की सुविधा के लिये किसी दूसरे के साथ कोई खेत या उसका कोई भाग किसी फसल बोने के लिये अस्थायी तौर से बदल सकता है। ऐसी अस्थायी तौर पर बदले हुये खेत में कोई अधिकार धारा १६० (२) के अधीन पैदा नहीं हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६० (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के अंक "३०" के स्थान पर अंक "१००" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६० के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के अंक "३०" के स्थान पर अंक "५०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६० (१) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द "होगा" के स्थान पर शब्द "होगी" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६० (१) के प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि जहां बदलायी (exchange) मशीनों द्वारा कृषि-कर्म (mechanised farming) अच्छे तरीक़े से करने के लिये की गयी है तो ऐसी कोई बदलाई जिसके परिणाम स्वरूप किसी फ़रीक़ के पास ५०० एकड़ से अधिक भूमि हो जाय, वैध (valid) नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६० का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १६० इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १६१

अदला-बदली से माल-गुजारी पर प्रभाव न पड़ना

१६१--इस प्रकार बदली गई भूमियों पर निर्धारित या उनके लिए देय मालगुजारी की धनराशि पर धारा १६० की किसी बात का प्रभाव नहीं होगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६१ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १६२

इस ऐक्ट के प्रतिकूल हस्तान्तरण।

१६२--(१) यदि किसी खाते या उसके भाग का हस्तान्तरण धारा १५३ के निदेशों के प्रतिकूल किया गया हो तो, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्तान्तरण हुआ हो, किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, गांव-सभा के बाद पर ऐसे खाते या भाग से बेदखल हो सकेगा और तब वह भूमि खाली भूमि हो जाएगी, किन्तु इस धारा में कही गई कोई बात, देने से शेष रह गए कुल मूल्य या उसके भाग को वसूल करने

के हस्तान्तरण कर्ता के अधिकार को, या जिसके पक्ष में, हस्तान्तरण किया गया है उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को यदि ऐसे खाते या भूमि के प्रति कोई दावा है, तो उसके उस दावे को कार्यान्वित करने के लिये व्यवहार में लाने के अधिकार को, बाधित न करेगा।

(२) इस धारा के अधीन बेदखली के प्रत्येक वाद में हस्तान्तरणकर्ता फरीक बनाया जायगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"यदि किसी खाते या उसके भाग का हस्तान्तरण धारा १५३ के निषेधों के प्रतिकूल किया गया हो, तो वह व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्तान्तरण (transfer) हुआ हो, किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी इस कारण से कि हस्तान्तरण (transfer) व्यर्थ (void) है, गाँव-सभा के वाद पर ऐसे खाते या भाग से बेदखल हो सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि दफा १६२ (१) की चौथी पंक्ति में शब्द 'गाँव सभा को" जो है पर शब्द "गाँव समाज" रखा जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६२ की उपधारायें (१) और (२) हटा दी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६२ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १६३

भूमिधर द्वारा कब्जे सहित अन्तरण का विक्रय समझा जाना

१६३--किसी भूमिधर द्वारा किया गया किसी खाते या उसके भाग का ऐसा हस्तान्तरण जिसके द्वारा उधार दिए गए या दिए जाने वाले रुपये की तथा वर्तमान या भविष्य ऋण की अदायगी को, या किसी ऐसे अनुबन्ध (engagement) के सम्पादन को जिससे कोई आर्थिक दायित्व उत्पन्न होता हो, सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिये हस्तान्तरणी को कब्जा हस्तान्तरित किया जाय, हस्तान्तरण के लेख्य में या समय विशेष पर किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, सदा और सब प्रयोजनों के लिये उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसको हस्तान्तरण किया गया हो, विक्रय समझा जायगा और इस प्रकार के प्रत्येक विक्रय के विषय में धारा १५३ और १६२ के निदेश लागू होंगे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६३ के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा रख दी जाय--

"१६३--धारा १५४ के अधीन बंधक (mortgage) को छोड़ कर किसी भूमिधर द्वारा किया गया किसी खाते या उसके भाग का ऐसा हस्तान्तरण जिसके द्वारा उधार दिये गये या दिये जाने वाले रुपये को तथा वर्तमान या भविष्य ऋण को अदायगी हो, या किसी ऐसे अनुबन्ध (engagement) या स्वीकृत (performance) को जिससे कोई अधिक दायित्व उत्पन्न होता हो (may give rise to pecuniary liability) सुरक्षित करने के प्रयोजनों के लिये हस्तान्तरण को कब्जा हस्तान्तरित किया जाय, हस्तान्तरण के लेख में या समय विशेष पर किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी सदा और सब प्रयोजनों के लिये व्यर्थ (void) समझा जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १६३ क

धारा १५६ के प्रतिकूल पट्टे का परिणाम।

१६३-क--यदि धारा १५६ में अभिविष्ट भूमिधर से भिन्न कोई भूमिधर अपने खाते को या उसके किसी भाग को लगान पर उठा दे तो किसी विधि, संविदा या पट्टे के लेख में किसी बात के रहते हुए भी, पट्टेदार--

(क) यदि उस भूमि को मिला कर जो उसे लगान पर उठाई गई है उसके पास की कुल भूमि का क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं होता है तो उस भूमि का सीरदार हो जायगा और सीरदार हुआ समझा जायगा।

(ख) यदि उपरोक्त कुल भूमि का क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक होता है तो उस भूमि का क्रेता हो जायगा और क्रेता हुआ समझा जायगा तथा धारा १५३ और १६२ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसको लागू होंगे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६३ (क) की उपधारा (ख) की पंक्ति ८ में से शब्द "आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसको" निकाल दिये जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६३-क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १६४

इस अध्याय के प्रतिकूल हुये अन्तरण का व्यर्थ होना।

१६४-- किसी सीरदार या असामी द्वारा या उसकी ओर से इस अध्याय के निदेशों के प्रतिकूल किया गया प्रत्येक हस्तान्तरण व्यर्थ (void) होगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६४ इस विधेयक का अंश मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १६५

अन्तरण के व्यर्थ होने के परिणाम।

१६५--यदि इस विधान के निदेशों के विरुद्ध किसी सीरदार या असामी ने कोई हस्तान्तरण किया हो तो, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्तान्तरण हुआ हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने उस पूरे खेत या उसके भाग का इस प्रकार कब्जा प्राप्त कर लिया हो, गाँव-सभा या अन्तरिति के, जैसा भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६५ की पंक्ति और छठवीं पंक्ति में शब्द "गाँव सभा" की जगह शब्द "गाँव समाज" रखा जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६५ इस विधेयक का अंश मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १६६

बेदखली के परिणाम

१६६--धारा १६५ के अधीन वाद के फलस्वरूप धारा १६५ के अधीन हुई सीरदार या असामी के बेदखल हो जाने पर खाते में या उसमें की गई किसी उन्नति में उक्त सीरदार या असामी के सभी अधिकार और स्वत्व तथा ऐसी उन्नति के लिये प्रतिकर पाने के भी अधिकार और स्वत्व समाप्त हो जायंगे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वर्तमान धारा १६६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय:--

"धारा १६५ के अधीन वाद के फलस्वरूप सीरदार या असामी के बेदखल हो जाने पर खाते में या उसमें की गई किसी उन्नति में उक्त सीरदार या असामी के सभी अधिकार और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और इस के एकमात्र निदेशों (provisions) के अनुसार वैधानिक (lawful) उन्नति (improvement) के लिये उसे प्रतिकर (compensation) दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६६ इस विधेयक का अंश मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नयी धारा १६६ (क)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६६ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १६६ (क) जोड़ी जाय--

"किसी भूमि धर, सीरदार द्वारा कृषि कार्य में सहायता पाने के लिये खाते का कोई भाग किसी व्यक्ति को वेतन के एवज में उठा देना, इस

[illegible]

धारा १६७

[illegible] द्वारा वसीयत

१६७—(१) उपधारा (२) में की गई [illegible] की ओर कोई [illegible] भूमिधर [illegible] किसी भाग को हिस्सा (वसीयत) कर सकता है [illegible] (Leaving by will)

१६७—(२) कोई [illegible] भूमिधर जो किसी [illegible] उनके भाग में किसी विधवा पत्नी, माता, सौतेली [illegible] पितामह, पितामही अविवाहित पुत्री या अविवाहित [illegible] के अधिकार के आधार पर अधिकार रखता हो, ऐसे खाते या भाग की हिस्सा (वसीयत) नहीं कर सकता।

(३) उपधारा (१) के निदेशों के अधीन की जाने-वाली प्रत्येक हिस्सा (वसीयत) किसी विधि, आचार (custom) या व्यवहृत (usage) में किसी बात के रहते हुए भी, लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६७ (१) (२), (३) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"धारा १६७—कोई खातेदार गोद ले सकता है, वसीयत [illegible] जो [illegible] विभाग को बाधित न करता हो और किसी विधि, आचार या व्यवहृत में किसी बात के रहते हुए भी यह कार्यवाही लिखित और गाँव-पंचायत द्वारा होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६७ (१) की पंक्ति २ के शब्द 'भूमिधर' के बाद शब्द 'या सीरदार" लिख दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६७ की उपधारा (२) की पंक्ति १ के शब्द 'भूमिधर" के बाद शब्द "या सीरदार" लिख दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६७ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ का शब्द "पितामह" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[illegible]

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १६८ का [illegible] निकाल दिये जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

[illegible]

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा [illegible] जैसा है वैसा ही खड़ा रहे।

१६८--क--भूमिधर अपने खाते के उत्तराधिकार के विषय में (in the matter of succession) व्यक्तिगत विधि (personal law) द्वारा, जिसके कि वह अधीन है (to which he is subject) शासित (governed) होगा।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

धारा [illegible]

१६९--[illegible] उसके [illegible] उत्तराधिकार [illegible] १६८ और १६९ का [illegible] बाधित न करते हुए, निम्नलिखित क्रम में होगा.--

(क) पुरुष जातीय वंशानुक्रम में संतति (male line of descendants) [illegible] male line of descent)

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुए पुत्र के पुत्र या पुत्रों को वे चाहे जितना नीचा पद [illegible], वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा, जो मृतक को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।

(ख) विधवा पत्नी,

(ग) पिता,

(घ) विधवा माता,

(ङ) [*]

(च) पितामह (father's father)

(छ) विधवा पितामह (father's mother),

[*] संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा निकाल दी गई।

(ज) पुरुष जातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तति में से किसी की विधवा (widow of male lineal descendant in the male line of descent),

(जज) विधवा सौतेली माता,

(झ) अविवाहिता पुत्री,

(ञ) नवासा (daughter's son),

(ट) भाई अर्थात् मृतक के पिता का पुत्र,

(ठ) अविवाहिता बहिन,

(ड) भतीजा अर्थात् मृतक के पिता के पुत्र का पुत्र,

(ढ) पितामह का पुत्र

(ढढ) भाई का पौत्र

(ण) पितामह का पौत्र।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"जब कोई भूमिधर, सीरदार या असामी मर जाये, तो उसकी भूमि का उत्तराधिकारी व्यक्तिगत विधि (personal law) के अनुसार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जावे:—

"जब कोई भूमिधर या सीरदार या असामी मर जायेगा, तो उसकी भूमि में विरासत उस परसनल ला (personal law) के अनुसार होगी, जिसका वह पाबन्द था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६९ की पंक्ति १ में "पुरुष भूमिधर, सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६९ (झ) में शब्द "अविवाहिता" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १६९ इस विधेयक का अंश मानी जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १७०

विधवा पत्नी माता, पुत्री इत्यादि के रूप में उत्तराधिकार पाने वाली स्त्री के विषय में उत्तराधिकार—क्रम

१७०—(१) यदि कोई भूमिधर, सीरदार या असामी, जिसे स्वत्वाधिकार के दिनांक के बाद किसी खाते में विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामही, अविवाहिता पुत्री या अविवाहिता बहिन के नाते उत्तराधिकार मिला हो, मर जाय, विवाह कर ले या ऐसे खाते अथवा उसके किसी भाग का परित्याग कर दे (abandons) या समर्पण कर दे (surrenders) तो, ऐसा

खाता या भाग अंतिम पुंजातीय (male) भूमिधर, सीरदार या असामी के ऐसे निकटतम जीवित उत्तराधिकारी (nearest surviving heir) को मिलेगा, जो ऐसा व्यक्ति न हो जिसे पितामह के रूप में उत्तराधिकार मिला हो; ऐसा उत्तराधिकारी धारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

(२) यदि कोई भूमिधर या सीरदार जिसने स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले किसी खाते में कोई स्वत्व विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामही, पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन के नाते उत्तराधिकार में पाया हो—

(क) मर जाय और ऐसा भूमिधर या सीरदार उपर्युक्त दिनांक के ठीक पहिले के दिनांक पर उक्त खाते के अंतर्गत भूमि का मध्यवर्ती रहा हो, या वह खाता उसके पास शरह मुअइयन काश्तकार या अवध में साकितुलमिल्कियत अथवा दखीलकार काश्तकार या अवध में विशेष शर्तों वाले काश्तकार के नाते रहा हो; और

(१) वह अपनी व्यक्तिगत विधि (personal law) के अनुसार खाते में केवल आजीवन स्वत्व की अधिकारिणी रही हो तो, खाता उत्तराधिकार में अंतिम पुंजातीय मध्यवर्ती या अंतिम पुंजातीय पूर्वोक्त प्रकार के काश्तकार के सब से निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को मिलेगा, ऐसा उत्तराधिकारी धारा १९६ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा, और यदि

(२) वह अपनी व्यक्तिगत विधि के अनुसार खाते में पूर्ण स्वत्व की अधिकारिणी रही हो तो खाते का उत्तराधिकार धारा १७२ में उल्लिखित क्रम के अनुसार चलेगा।

(ख) मर जाय, विवाह करले या ऐसे खाते का परित्याग या समर्पण कर दे तो उपरोक्त दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर खाता ऐसे भूमिधर या सीरदार के पास, खंड (क) में अभिदिष्ट मध्यवर्ती या काश्तकार के नाते न होकर और किसी प्रकार रहा हो तो खाता उत्तराधिकार में ऐसे अंतिम पुंजातीय काश्तकार को मिलेगा, जो ऐसा व्यक्ति न हो, जिसे पितामह के रूप में उत्तराधिकार मिला हो, ऐसा उत्तराधिकार धारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) के निदेश आवश्यक परिवर्तन के साथ उस असामी को भी लागू होंगे जिसने स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले खाता उत्तराधिकार में पाया हो।

(४) उपधारा (१) की कोई ऐसी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगा जिसे धारा १७२ के निदेशों

के अधीन किसी खाते में किसी स्वत्व का उत्तराधिकार मिला हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये अंतिम पुंजातीय भूमिधर, सीरदार या असामी पद के अन्तर्गत, जैसी भी दशा हो, अंतिम पुंजातीय काश्तकार बागदार, अवध में दवामी पट्टेदार, माफीदार या सीरदार अथवा खुदकाश्त रखने वाला व्यक्ति भी है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७० (१) की पंक्ति १—२ में "भूमिधर, सीरदार या असामी" की जगह 'खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७० (१) की आठवीं पंक्ति में शब्द "भाग" तथा "अंतिम" के बीच शब्द "ऐसे" बढ़ा दिया जावे तथा नवीं पंक्ति में शब्द "ऐसे" निकाल दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७० (१) में नवीं पंक्ति में शब्द "असामी" और "निकटतम" के बीच शब्द "जो ऐसा व्यक्ति न हो जिसे पितामह के रूप में उत्तराधिकार मिला हो" बढ़ा दिये जावें तथा पंक्ति ११, १२, १३ में स्थित वाक्यांश "जो ऐसा व्यक्ति न हो जिसे पितामह के रूप में उत्तराधिकार मिला हो" निकाल दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७० की उपधारा (१) की पंक्ति १२ व १३ के शब्द "ऐसा उत्तराधिकारी धारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा" के स्थान पर शब्द "ऐसा उत्तराधिकारी, भूमिधर की दशा में, व्यक्तिगत विधि (Personal law) के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, निश्चित किया जायगा और सीरदार या आसामी की दशा में धारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७० की उपधारा (२) की पंक्ति १ में शब्द "भूमिधर या सीरदार" की जगह "खातेदार" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७० की उपधारा (२) की पंक्ति १ में शब्द "भूमिधर या सीरदार" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७० की उपधारा (२) (क) की पंक्ति १ में शब्द "भूमिधर या सीरदार" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७० की उपधारा (२) (क) (१) की पंक्ति ७ व ८ में "ऐसा उत्तराधिकारी धारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा" के स्थान पर "ऐसा उत्तराधिकारी भूमिधर की दशा में, व्यक्तिगत विधि (personal law) के अनुसार, जिसके कि वह अधीन है, निश्चित किया जायगा और सीरदार की दशा में धारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १७० की उपधारा (२) (क) की पंक्ति १ तथा उपधारा (२) (ख) की पंक्ति ३,४ में शब्द "भूमिधर या सीरदार" के स्थान पर शब्द "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १७० (२) (ख) की दूसरी पंक्ति मे शब्द "तो" के स्थान पर शब्द "और" रक्खा जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १७० (२) (ख) की सातवी पंक्ति म शब्द "काश्तकार" क बाद शब्द "के ऐसे निकटतम जीवित उत्तराधिकारी" बढा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १७० की उपधारा (३) निकाल दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १७० (४) की प्रथम पंक्ति मे शब्द "ऐसी" निकाल दिया जावे और दूसरी पंक्ति मे शब्द "होगा" के स्थान पर शब्द "होगी" रक्खा जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १७० का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १७० इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १७१

पितामह को उत्तराधिकार मिले खाते के सम्बन्ध में उत्तराधिकार का क्रम

१७१--यदि कोई भूमिधर, सीरदार या असामी, जिसको स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले या बाद किसी खाते में पितामह के रूप मे स्वत्व का उत्तराधिकार मिला हो, मर जाय या ऐसे खाते का या उसके भाग का परित्याग या समर्पण कर दे (abandons or surrenders) तो ऐसा खाता या उसका भाग उत्तराधिकार में ऐसे अंतिम पुंजातीय भूमिधर, सीरदार या आसामी के, जिससे ऐसे पितामह ने खाते मे स्वत्व का उत्तराधिकार पाया हो, निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को मिलेगा। ऐसा उत्तराधिकारी धारा १६९ के निदेशो के अनुसार निश्चित किया जायगा।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १७१ की पंक्ति १ मे शब्द "भूमिधर, सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १७१ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १७२

अन्य प्रकार से स्वत्व पाने वाली स्त्री के सम्बन्ध मे उत्तराधिकार का क्रम

१७२—यदि कोई स्त्री जातीय भूमिधर, सीरदार या असामी (धारा १६९ या १७० मे उल्लिखित भूमिधर, सीरदार या असामी से भिन्न) मर जाय तो खाते मे उसका स्वत्व निम्नलिखित क्रम मे उत्तराधिकार में जायगा :—

(क) पुंजातीय वंशानुक्रम मे पुसन्तति (male lineal descendants in the male line of descent) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुये पुत्र के पुत्र या पुत्री को, वे चाहे जितनी नीची पीढ़ी मे हो, वह अंश उत्तराधिकार मे मिलेगा जो मृतक को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।

(ख) पति,

(ग) पुंजातीय वंशानुक्रम में किसी पुसन्तति की विधवा,

(घ) पुत्री,

(ङ) पुत्री का पुत्र (Daughter's son),

(च) भाई,

(छ) भाई का पुत्र,

(ज) बहिन,

(झ) बहिन का पुत्र (Sister's son)।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७२ की पंक्ति १, २ मे शब्द "भूमिधर, सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७२ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १७३

गलितांश द्वारा स्वत्व का संक्रमण

१७३—यदि कोई विधवा सपत्नी या सहखातेदार (co-tenure-holder) इस विधान के निदेशों के अधीन कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाय, तो ऐसे खाते मे उसका स्वत्व गलितांश रूप मे संक्रमित होगा (shall pass by survivorship)।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १७३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १७४

भूमिधर या सीरदार के खाते का बंटवारा योग्य होना

१७४—(१) भूमिधर और सीरदार अपने खाते के बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर सकते हैं (may sue)

(२) ऐसे प्रत्येक वाद में उससे सम्बन्ध रखने वाली गांव-सभा फरीक बनाई जायगी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १७४ के खंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "भूमिधर या सीरदार" की जगह "खातेदार" लिखा जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १७४ के खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय:--

"ऐसा प्रत्येक वाद गांव-सभा के सामने प्रस्तुत होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १७४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८०

कई खातों के बंटवारे का एक ही वाद

१८०--प्रतिवाद के सब फरीक प्रत्येक खाते में संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों, तो एक से अधिक खाते के बटवारे के लिये केवल एक वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १८० इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८१

खाते का विक्रय

१८१--(१) उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गई है यदि बटवारे के किसी वाद में न्यायालय इस परिणाम पर पहुंचे, कि

(क) बटवारा किये जाने वाले खाते या खातों का कुल क्षेत्रफल (aggregate area) ६.१/४ एकड़ से अधिक नहीं है, या

(ख) बंटवारे का परिणाम यह होगा कि कोई खाता ६.१/४ एकड़ से कम का बन जायगा तो खंड (क) में आने वाले दशाओं में खाते या खातों को बांटने की कार्यवाही करने के स्थान पर यह निर्देश करेगा कि वे बेच दिये जायं और उनके विक्रय से मिला धन बांट दिया जाय, और खंड (ख) में आने वाली दशाओं में या तो वाद को खारिज कर देगा या खाते को ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत किये जायं, बांट देगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये नियम उन परिस्थितियों को नियत करेंगे जिनमें किसी सह-खातेदार को खाते में उसके अंश के स्थान पर प्रतिकर दिया जा सके और ऐसे सह-खातेदार को गांव सभा द्वारा धारा १९४ के निदेशों के अधीन भूमि उठाई जा सके।

नोट--धारायें १७५ से १७९ तक संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा निकाल दी गयीं।

(३) उस खातेदार के विषय में, जिसे धारा १५६ के निदेश लागू होते हों, और जिसने खाते में अपना अंश या उसका कोई भाग दूसरे को उठा दिया हो तथा ऐसे सह-खातेदार के विषय में, जिसने इस विधान के या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ के निदेशों के अधीन यथावत् खाते के केवल एक अंश के सम्बन्ध में ही भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये हों, न्यायालय बांट कर उक्त अंश को अलग कर देगा, किन्तु जहां शेष खाते का सम्बन्ध है यदि इस धारा के निदेश लागू हों, तो उनके अनुसार न्यायालय कार्यवाही करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १८१ के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय--

"धारा १८१--यदि बटवारे के किसी बाद में कुल क्षेत्रफल न्यूनतम लाभकर जोत से अधिक नहीं है, अथवा बटवारे के बाद उसके भाग न्यूनतम लाभकर जोत से कम हो जावेंगे, तो बटवारा नहीं होगा। गांव-सभा उन खातेदारों में से एक या उतनों को वह खाता दिलायेगी जितने में उसके भाग न्यूनतम लाभकर जोत से कम न हो। शेष खातेदारों को उचित प्रतिकर दिलायेगी। ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि कुल खाता गांव-सभा अपने हाथ में ले ले और सभी खातेदारों को प्रतिकर का हिस्सा दे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १८१ (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द "बन जायगा" के बाद अर्धविराम का चिन्ह लगाया जावे तथा उसके बाद का वाक्यांश नयी पंक्ति से शुरू किया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८१ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं १८२ और १८३

बेचे जाने वाले खाते का मूल्यांकन

१८२--यदि न्यायालय ने धारा १८१ के अधीन खाते या खातों के विक्रय की आज्ञा दी हो तो वह ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, आज्ञा के द्वारा उनका मूल्यांकन (valuation) करायेगा और फिर इस प्रकार निश्चित किये गये मूल्य पर उन सहखातेदारों को क्रयाधिकार के ऐसे तारतम्य (order of preference) के अनुसार, जो नियत किया जाये, मोल लेने को कहेगा।

क्रयाधिकार में तारतम्य

१८३--यदि दो या अधिक ऐसे सहखातेदार जिन्हें तारतम्य के अनुसार बराबर का क्रयाधिकार हो, मोल लेने को अलग-अलग इच्छा प्रगट करें तो न्यायालय उसे उनमें से ऐसे के हाथ बेचने की आज्ञा देगा, जो धारा १८२ के अधीन निश्चित किये गये मूल्य से ऊपर सब से अधिक मूल्य पर मोल लेने को तैयार हो।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८२ और धारा १८३ इस विधेयक का अंश मानी जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८४

धारा १८३ के अधीन क्रय न करने पर विक्रय

१८४--यदि कोई भी अंशभर (share holder) धारा १८२ के अधीन निश्चित किये गये मूल्य या उससे अधिक पर मोल लेने को तैयार न हो तो न्यायालय उसे ऐसे अंशधर के हाथ बेच दिये जाने की आज्ञा देगा, जोसब से अधिक मूल्य देने को तैयार हो।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८४ की पंक्ति ४ में शब्द "अंशधर" के स्थान पर शब्द "खातेदार व्यक्ति" रख दिया जाय और अन्त में "।" के स्थान पर "," रख दिया जाय और बाद में शब्द "और जिसके पास पुरानी और नयी खरीदी हुई जमीन ३० एकड़ से अधिक न हो जाय" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८५

विक्रय की प्रक्रिया

१८५--उस दशा को छोड़कर जिसके विषय में इससे पहले व्यवस्था की गई है, यदि किसी खाते के सम्बन्ध में धारा १८१ के अधीन दी हुई आज्ञा के अनुसार बचने की आज्ञा दी गई हो तो न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८५ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८६

सीरदार द्वारा खाते का समर्पण (surrender)

१८६--चाहे खाता लगान पर उठा हो या नहीं, उसका कब्जा छोड़कर तहसीलदार को लिखित प्रार्थना-पत्र देकर और गांव-सभा को अपने ऐसे विचार का लिखित नोटिस देकर सीरदार अपने खाते या उसके किसी भाग का समर्पण कर सकता है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १८६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा लिखी जाय--

"धारा १८६--कोई भी खातेदार पहिली अप्रैल से पहिले ही गांव-सभा को लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अपने खाते का समर्पण कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८६ की पंक्ति २ में शब्द "छोड़ कर" के स्थान पर शब्द "छोड़ने के लिये" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८६ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८७

१८७--असामी गाव-सभा या क्षेत्रपति को, जैसी भी दशा हो, अपने ऐसे विचार का लिखित नोटिस देकर और खाते का कब्जा छोड़कर अपने कुल खाते का समर्पण कर सकता है, परन्तु उसके केवल भाग का नहीं।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८७ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८८

असामी द्वारा खाते का समर्पण

१८८--यदि सीरदार या असामी १ अप्रैल से पूर्व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत न करे या नोटिस न दे तो वह समर्पण करने पर भी समर्पण के दिनांक से ठीक बाद के कृषि वर्ष के लिये उस खाते की मालगुजारी या लगान का, जैसी भी दशा हो, देनदार होगा।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८८ की पंक्ति १ में शब्द "सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय और पंक्ति २ में शब्द "या नोटिस न दे", पंक्ति ४ में शब्द "या लगान" तथा पंक्ति ५ में शब्द "जो भी दशा है" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८८ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८९

परित्याग (abandonment)

१८९--(१) यदि किसी सीरदार ने (जो अवयस्क, पागल या जड़ न हो) या किसी असामी ने अपना खाता लगातार दो कृषि वर्ष, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन तक कृषि के लिये काम में न लाया हो, तो गाव-सभा या क्षेत्रपति तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि ऐसे सीरदार या असामी को, जैसी भी दशा हो, इस आशय का नोटिस दिया जाय कि वह इस बात का कारण दिखलावे कि उक्त खाता परित्यक्त क्यों न माना जाय।

(२) उक्त-प्रार्थना-पत्र में ऐसे ब्यौरे होंगे, जो नियत किये जायं।

(३) यदि तहसीलदार इस निर्णय पर पहुंचे कि प्रार्थना-पत्र यथावत् दिया गया है तो वह सीरदार या असामी पर, नियत किये जाने वाले आकार में एक नोटिस तामील करवा के या नियत रीति से प्रकाशित कराके उसे निश्चित

किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने के लिये, और इस बात का कारण प्रकट करने के लिये, आदेश देगा कि उक्त खाता परित्यक्त क्यों न समझा जाय।

(४) यदि नोटिस के उत्तर में सीरदार या असामी उपस्थित न हो या उपस्थित हो पर उसका प्रतिवाद न करे, तो तहसीलदार खाते को परित्यक्त (abandoned) प्रख्यापित कर देगा और तदुपरान्त, उस दशा को छोड़ जिसको व्यवस्था धारा १७० और १७१ में की गई है, खाते के विषय में यह समझा जायगा कि वह खाला भूमि है।

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८९ के खंड (१) का पंक्ति १ में शब्द "सीरदार" के जगह "खातेदार" लिखा जाय तथा पंक्ति २ में शब्द "या असामी" निकाल दिया जाय और पंक्ति ५-७ में वाक्यखंड "या क्षेत्रपति" दिया जाय" के जगह "उस खातेदार को इस आशय का नोटिस दे" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८९(१), पंक्ति ३, में शब्द 'फलोत्पादन' के बाद "काष्ठ" और शब्द "जरावन और इमारती लकड़ी के वृक्ष" जोड़ दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८९ के खंड (२) को निम्नलिखित प्रकार लिखा जाय --

"उक्त नोटिस में नियत ब्योरे के साथ यह आदेश भी होगा कि निश्चित समय और स्थान पर गाँव-सभा के सम्मुख उपस्थित हो, इस बात का कारण प्रकट करे कि उक्त खाता परित्यक्त क्यों न समझा जाय। यह नोटिस खातेदार पर तामील होगी या नियत रीति से प्रकाशित होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १८९ का खंड (३) हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १८९ के खंड (४) की पंक्ति १ में शब्द "सीरदार या असामी" के स्थान पर "खातेदार" और पंक्ति ३ में शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर "गाँव-सभा" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष -- प्रश्न यह है कि धारा १८९ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८९-क

अक्षम सीरदार की जोत में असामी की स्वीकृति

१८९-क--यदि किसी ऐसे सीरदार ने, जो अवयस्क, पागल या जड़ हो, अपना खाता लगातार दो कृषि वर्षों तक कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिए काम में न लाया हो, तो सीरदार

और उसके अभिरक्षक (guardian) को नोटिस देने और ऐसी जांच के बाद, जो नियत की जाय तथा पूर्वोक्त दो वर्षों की समाप्ति के बाद गांव सभा, किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, उक्त खाते के अन्तर्गत भूमि उक्त सीरदार की ओर से किसी व्यक्ति को असामी के रूप में ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जाय, उठा सकती है और इस विधान के ऐसे सब निदेश, जो धारा १०४ के खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग के असामी को लागू होते हैं, उसे भी उसी प्रकार लागू होंगे, मानों उक्त भूमि उसे स्वयं सीरदार द्वारा उठा दी गई हो।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १८९ -क की पंक्ति १ में शब्द "सीरदार" की जगह "खातेदार" लिखा जाय और पंक्ति ९-१५ में वाक्यखंड "उक्त सीरदार . . . .उठा दी गयी हो" के स्थान पर "को पंचायती खेतों में दाखिल कर लेगा और धारा १५६ के अनुकूल कार्यवाही करेगी" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १८९-क में १२वीं पंक्ति में अंक "१०४ के स्थान पर अंक "१३४" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष -प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १८९-क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १८९-ख

प्रतियुक्त जोत में प्रवेश

१८९-ख--धारा १८९ या १८९-क के निदेशों के प्रतिकूल खाते पर कब्जा कर लेने वाली गांव-सभा या क्षेत्रपति के विषय में यह समझा जायगा कि उसने खातेदार को इस प्रकार बेदखल कर दिया है की इस विधान के निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance with) नहीं है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १८९ -ख की पंक्ति ४ में शब्द "है" के बाद शब्द "को" के स्थान पर शब्द "जो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १८९-ख इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १९०

भूमिधर के स्वत्व की समाप्ति (extinction)

१९०--भूमिधर के खाते या उसके किसी भाग में उसका स्वत्व निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जायगा:--

(क) यदि कोई हिस्सा (वसीयत) किए बिना और इस विधान के निदेशों के अनुसार उत्तराधिकार का कोई अधिकारी छोड़े बिना मर जाय,

(ख) यदि खाते के अन्तर्गत भूमि, भूमि हस्तगत करने (acquisition of land) से सम्बन्ध रखने वाली समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अनुसार हस्तगत कर ली गयी हो, या

(ग) यदि वह कब्जे से रहित कर दिया गया हो और कब्जा वापस लेने का उसका अधिकार अवधि बाधित (barred limitation) हो गया हो।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९० इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १९१

सीरदार के स्वत्व की समाप्ति (extinction)

१९१--(१) धारा १७० और १७१ के निदेशों को बाधित न करते हुए किसी खाते या उसके भाग में सीरदार का स्वत्व निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जायगा--

(क) यदि वह इस विधान के निदेशों के अनुसार उत्तराधिकार का कोई अधिकारी छोड़े बिना मर जाय,

(ख) यदि खाता धारा १८९ के निदेशों के अनुसार परित्यक्त प्रख्यापित हो गया हो,

(ग) यदि वह अपने खाते या उसके भाग का समर्पण कर दे,

(घ) भूमि हस्तगत करने से सम्बन्ध रखने वाली, समय विशेष पर प्रचलित, किसी विधि के अनुसार यदि खाते के अन्तर्गत भूमि हस्तगत कर ली गयी हो,

(ङ) यदि इस विधान के निदेशों के अनुसार उसकी बेदखली हो गयी हो, या

(च) यदि वह कब्जे से रहित कर दिया गया हो और कब्जा वापस लेने का उसका अधिकार अवधिबाधित हो गया हो,

(२) उपधारा (१) के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ असामियों को भी लागू होंगे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९१ के खंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "धारा" और "१७०" के मध्य "१६७," और जोड़ा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९१ का खंड (२) हटाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत आ)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९१ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत आ।)

धाराएं १९२ तथा १९२--क

असामी के स्वत्व की समाप्ति

१९२--किसी भूमिधर या सीरदार के अधिकार, आगम और स्वत्व के समाप्त होने पर, उसके अधीनस्थ विलय (holding under him) असामी का भी स्वत्व समाप्त हो जायगा।

१९२--क--यदि पूरे खाते में असामी का स्वत्व तथा भूमिधर या सीरदार का स्वत्व एक ही व्यक्ति के स्वत्वाधिकार मे, अधिकार के अधीन (in the same right) आ जायं तो खाते में असामी का स्वत्व समाप्त हो जायगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९२ और १९२--क इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १९२--ख

सीरदार या असामी के स्वत्व समाप्त होने पर उसके अधिकार और दायित्व

१९२--ख--सीरदार या असामी का स्वत्व समाप्त हो जाने पर उसे अपना खाता छोड़ देना पड़ेगा और उस दशा को छोड़ कर जिसमें उसका स्वत्व, भूमि हस्तगत करने से सम्बन्ध रखने वाली, समय विशेष पर प्रचलित, किसी विधि के निदेशों के अधीन या अनुसार समाप्त हुआ हो, उसे खाते पर विद्यमान खड़ी फसल और किसी निर्माण को हटा ले जाने के सम्बन्ध में वही अधिकार होगा, जो उसे इस विधान के निदेशों के अधीन बेदखल हो जाने पर होता।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९२--ख की पंक्ति १ में शब्द "सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९२--ख इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १९३

स्वत्वों की समाप्ति पर भूमि का गांव-सभा द्वारा ले लिया जाना

१९३--निम्नलिखित अवस्थाओं में गांव-सभा को किसी खाते या उसके भाग के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर लेने का अधिकार होगा जहां:--

(क) भूमि किसी भूमिधर के पास रही हो और ऐसी भूमि में उसका स्वत्व धारा १९० के खंड (क) के अधीन समाप्त हो गया हो,

(ख) भूमि किसी सीरदार के पास रही हो और ऐसी भूमि में सीरदार का स्वत्व धारा १९१ के खंड (क), (ख), (ग) या (ङ) के अधीन समाप्त हो गया हो, या

(ग) धारा १३३ में उल्लिखित किसी वर्ग के अन्तर्गत कोई भूमि असामी के पास रही हो और असामी बेदखल हो गया हो या उसका स्वत्व इस विधान के निदेशों के अनुसार किसी अन्य प्रकार से समाप्त हो गया हो।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९३ की उपधारा (क) हटा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९३ की उपधारा (ख) की पंक्ति १ में "सीरदार" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९३ की उपधारा (ग) हटा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १९४

भूमि का उठाया जाना

१९४--गांव-सभा को अधिकार होगा कि धारा १३३ में उल्लिखित वर्गों की भूमि को छोड़ कोई भूमि किसी व्यक्ति को सीरदार के रूप में उठा दे, यदि

(क) भूमि खाली भूमि हो,

(ख) भूमि धारा ११७ के अधीन गांव-सभा के स्वत्वाधिकार में हो (is vested in the Gaon Sabha), या

(ग) भूमि धारा १९३ क, या इस विधान के किसी दूसरे निदेश के, अधीन गांव-सभा के कब्जे में आ गई हो।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"गांव-सभा को अधिकार होगा कि वह खाली भूमि और जो भूमि इसके कब्जे में आती जाय, उसे पंचायती खेती में लेती जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९४ के खंड (ख) में अंक "११७" के स्थान पर अंक "११८" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १९४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १९४-क

कुछ दशाओं के मध्यवर्तियों का सीरदार के साथ में जमीन उठा देना

१९४-क- यदि कोई भूमि धारा १५ की उपधारा (२) के खंड (ख) के उपखंड (२) के अधीन खाली हो जाय और ऐसी भूमि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी ऐसे मध्यवर्ती के स्वामित्व में रही हो, जिसकी सीर में धारा १३ के अधीन मौरूसी अधिकार उत्पन्न हो गये हों तो गांव-सभा ऐसे मध्यवर्ती [illegible] प्रार्थना पर प्रार्थी को ऐसी [illegible] या उसका भाग सीरदार के रूप में उठा देगी, किन्तु प्रार्थी भूमि के इस प्रकार उठाये जाने के परिणाम स्वरूप ऐसी भूमि का अधिकार न होगा, जो उस भूमि से मिल कर, जो उसके पास हो, संयुक्त प्रान्त में ५० एकड़ से अधिक, हो जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९४-क की अन्तिम पंक्ति के अंक "५०" के स्थान पर अंक "६०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९४-क की अन्तिम पंक्ति में अंक "५०" की जगह अंक "२०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९४-क की अन्तिम पंक्ति के अंक "५०" के स्थान पर अंक "१००" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९४-क की अन्तिम पंक्ति के अंक "५०" के स्थान पर अंक "७०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९४-क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १९५

धारा १३३ में उल्लिखित भूमि का उठाया जाना

१९५--गांव सभा को अधिकार होगा कि धारा १३३ में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग की भूमि किसी व्यक्ति को असामी के रूप में उठा दे, यदि

(क) भूमि खाली भूमि हो,

(ख) भूमि गांव-सभा के स्वत्वाधिकार में हो, या

(ग) भूमि धारा १९३ के, या इस विधान के किसी दूसरे निदेश के अधीन गांव-सभा के कब्जे में आ गई हो।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९५ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १९६

धारा १९४ और १९५ के अधीन भूमि उठाने में व्यक्तियों का तारतम्य।

१९६--(१) धारा १९४ या १९५ के अधीन किसी व्यक्ति को सीरदार या असामी के रूप में भूमि उठाते समय गांव-सभा, धारा १८१ या २२४ के अधीन बने नियमों या न्यायालय की आज्ञा को बाधित न करते हुए, निम्नलिखित तारतम्य (order of preference) का अनुसरण रक्खेगी--

(क) इस विधान के अधीन स्थापित ऐसी सहकारी खेती संस्था (co-operative farm) जिसके पास उस गांव-सभा के अधिक्षेत्र में की भूमि हो, ताकि उसके कब्जे में कृषि सम्बन्धी या खेती योग्य पर्याप्त भूमि आ सके,

(ख) ऐसा भूमिधर जिसे धारा १९ की उपधारा (२) या धारा १४३ लागू होती हो और जिसके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो,

(खख) उन भूमिधरों से भिन्न जिन्हें खंड (ख) लागू होता हो ऐसे खातेदार जिनके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो।

(ग) उस मंडल में रहने वाला ऐसा मजदूर जिसके पास कोई भूमि न हो, और

(घ) कोई दूसरा व्यक्ति।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन दशाओं में जिन्हें खंड (ख) और खंड (ख ख) लागू होते हों, ऐसे खातेदार को केवल उतनी ही भूमि मिलेगी जितनी उसके पास की कुल भूमि के क्षेत्रफल को ६ १/४ एकड़ कर देने के लिए पर्याप्त हो।

(२) जो व्यक्ति गांव-सभा द्वारा उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा से असंतुष्ट हो, वह परगना अधिकारी के सामने अपील कर सकता है, परगना अधिकारी अपील की ऐसी रीति से सुनवाई और निर्णय करेंगे, जो नियत की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९६ निम्नलिखित प्रकार लिखी जाय--

"धारा १९६--धारा १९४ के अनुसार काम करते हुए गांव सभा पंचायती खेती के पंच हिस्सेदारों का तारतम्य इस प्रकार रक्खेगी--

(क) अलाभकर जोत वाले पंच हिस्सेदार,

(ख) पंचायती खेती के खेतिहर मजदूर,

(ग) पंचायती खेती के बाहर के उस क्षेत्र में रहने वाले अलाभकर जोत वाले खातेदार,

(घ) पंचायती खेती के बाहर के उस क्षेत्र में रहने वाले खेतिहर मजदूर।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९६ की उपधारा (१) (ख) की पंक्ति १ व २ के शब्द व अंक "जिसे धारा १९ की उपधारा (२) या धारा १४३ लागू होती हो और" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९६ की उपधारा के खंड (१) (ख) की पंक्ति ३ में "६ १/४" के स्थान पर "८" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९६ की उपधारा (१) के खंड (ग) को अपनी जगह से हटाकर खंड (क) के स्थान पर रख दिया जाय तथा वर्तमान खंड (क) (ख) और (ख ख) और (घ) को क्रमानुसार खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा [illegible] में" के जगह "ऐसे खातेदारों को" [illegible] निकाल दिया जाय।

[illegible]

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि [illegible] में "६ १/४" के स्थान पर "८" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया [illegible])

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि [illegible] के स्थान पर शब्द "आपत्ति प्रस्तुत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया [illegible])

उपाध्यक्ष- प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १९६ [illegible]

(प्रश्न उपस्थित किया गया [illegible])

धारा १९७

भूमिधर का बेदखल न हो सकना

१९७--कोई भी भूमिधर [illegible]

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९७ के शब्द "भूमिधर [illegible] या मीरदार" बढ़ा दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और [illegible])

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९७ इस विधेयक [illegible]

(प्रश्न उपस्थित किया गया [illegible])

धारा १९८

मीरदार और असामी की बेदखली

१९८--उस दशा को [illegible] लेख में की गयी है, कोई मीरदार [illegible] से बेदखल नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९८ के [illegible] की जगह "खातेदार" लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया [illegible])

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९८ की [illegible] दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया [illegible])

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९८ इस [illegible]

(प्रश्न उपस्थित किया गया [illegible])

धारा १९९

मीरदार की बेदखली की प्रक्रिया

१९९--धारा १६५, [illegible] किसी आधार पर और [illegible] की बेदखली उसके खाते से हो सकेगी।

[illegible]

निश्चित [illegible] के [illegible] हो [illegible]
बीत गई है, या

(ङ) अक्षमता (disability) [illegible]
[illegible] है

(छ) कि वह धारा १३४ के खण्ड (क) के उपखण्ड (८) में उल्लिखित [illegible] का है और धारा १५ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) में उल्लिखित अवधि बीत गई है।

(ज) कि उसके विरुद्ध कोई ऐसी लगान की डिक्री है जिसके रुपये का भुगतान अभी नहीं हुआ है और ऐसी डिक्री बेदखली द्वारा निष्पादित की जा सकती है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०० की पंक्ति २ में "असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय और पंक्ति ३ में वाक्यखन्ड "क्षेत्रपति के बाद प्रस्तुत करने पर" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०० की उपधारा (क) की पंक्ति १ से "१६५, १९२ या" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०० की उपधारा (ख) की पंक्ति २ से '(२ क)' और "या खंड (ग)" निकाल दिया जाय--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०० की उपधारा (घ) के बाद में निम्नलिखित वाक्यखंड उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय--
"(१) वह मजदूर जिसे मजदूरी के एवज में जमीन दी गई है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०० की उपधारा (च) के खंड (१) और (२) हटाए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०० के खंड (छ) की तीसरी पंक्ति में खंड "(ख)" के स्थान पर खंड "(क)" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०० की उपधारा (छ) हटा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २०० इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २००-क

दखली होने पर फसल और पेड़ सम्बन्धी अधिकार

२००-क--(१) यदि (धारा २०६ के अधीन दी गई डिक्री से भिन्न) किसी डिग्री के, या दखल होने की आज्ञा के निष्पादन में न्यायालय को इस बात का संतोष हो जाय कि उस भूमि पर जिसकी दखल दिहानी होनेको है, कोई ऐसी बिना बटोरी फसल या पेड़ विद्यमान है, जो वादण (judgment-debtor) की संपत्ति हैं तो डिक्री या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा।

(क) यदि धारा १५० के अधीन निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाने के बाद वादऋणी से प्राप्य धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो तो न्यायालय गांव सभापति या क्षेत्र पति को जैसी भी

दशा हो, उक्त भूमि पर कब्जा फसलों और पेड़ों के साथ दिलवा देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में वादऋणी के समस्त अधिकार डिक्रीदार को संक्रमित हो जायेंगे।

(ख) यदि धारा १५० के अधीन निर्धारित प्रतिकर यदि कोई हो घटाने के बाद वादऋणी से प्राप्य धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य से कम हो, और

[१] गांव सभा या क्षेत्रपति ऐसी धनराशि और मूल्य का अन्तर वादऋणी को दे दे तो न्यायलय तत्संबंधी गांव-सभा या क्षेत्रपति को खाते पर दखल दे देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में वादऋणी के समस्त अधिकार डिक्रीदार को संक्रमित हो जायंगे।

[२] गांवसभा या क्षेत्रपति ऐसे अन्तर को न दे तो वादऋणी को अधिकार होगा कि ऐसी फसलों या पेड़ों को या ऐसे पेड़ों के फलों को जब तक, ऐसी फसलें या पेड़ बटोर कर हटा न लिये जायं या नष्ट न हो जायं या काट न डाले जायं, जैसी भी दशा हो, भूमि के उपयोग और दखल के लिये ऐसा प्रतिकर देकर, जो न्यायालय निश्चित करे, पाले, पोसे, बटोरे या हटा ले जाय।

(२) बेदखली की डिक्री या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी फरीक की प्रार्थना पर फसलों और पेड़ों का मूल्य, तथा उपधारा (१) के खंड (ख) के निदेशों के अधीन वादऋणी द्वारा देय प्रतिकर, अवधारित कर सकता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २००-क के खंड १ के उपखंड (ख) (१) की पंक्ति १ से शब्द "या क्षेत्रपति" निकाल दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २००-क के खंड १ के उपखंड (ख) (२) की पंक्ति १ से "या क्षेत्रपति" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि २००-क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं २०१ और २०२

२०१—यदि उसके लिये नियत अवधि के भीतर किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसे असामी की बेदखली का कोई वाद जिसे धारा १३४ के खंड [क] के उपखंड (१) से (४) तक में से कोई या खंड [ख] लागू होता हो प्रस्तुत न हुआ हो या ऐसे वाद में हुई डिग्री निष्पादित न हुई हो तो ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर असामी ऐसी भूमि का सीरदार हो जायगा।

धारा २० के अधीन बेदखली के वाद का न प्रस्तुत होना या ऐसे वाद में मिली डिक्री का निष्पादित न होना

धारा २०० के अधीन बेदखली के परिणाम

२०२--यदि २०० के खंड (च) (१) में उल्लिखित किसी आधार पर असामी अपने खाते से बेदखल हो गया हो तो बेदखली के दिनांक से दो वर्ष के भीतर क्षेत्रपति किसी व्यक्ति को उस खाते का पट्टा नहीं देगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०१ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं--

(१) पंक्ति २ में शब्द 'असामी' की जगह 'खातेदार' लिखा जाय।

(२) पंक्ति ४ से शब्द या खंड '[ख]' निकाल दिये जायं।

(३) पंक्ति ७ में शब्द 'असामी ..... हो जायगा' की जगह 'बेदखली का वाद या डिक्री बेकार हो जायगी' लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०१ और २०२ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २०३

इस ऐक्ट के निदेशों के प्रतिकूल भूमि को काम में लाने पर बेदखली

२०३--कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन में भूमि का उपयोग करने के कारण सीरदार या असामी गांव-सभा या क्षेत्रपति (land holder) के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा और उसको ऐसी क्षतिपूर्ति (damages) भी देनी होगी जो उस भूमि को उक्त प्रयोजनों के लिये फिर से उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय के बराबर हो।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०३ की पंक्ति १ में शब्द "पशुपालन" के बाद शब्द "तथा जरावन और इमारती लकड़ी के वृक्ष" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०३ की पंक्ति ३, ४ व ५ के शब्द "सीरदार या असामी गांव-सभा या क्षेत्रपति (landholder) के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "असामी क्षेत्रपति (landholder) के वाद पर बेदखल हो सकेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०३ की पंक्ति ३ में "सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" और पंक्ति ४-५ में वाक्यखंड "या क्षेत्रपति के, जैसी भी दशा वाद पर" की जगह "के द्वारा" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २०४

धारा २०३ के अधीन बेदखली की डिक्री

२०४--(१) परिस्थितियों का ध्यान रखते हुये धारा २०३ के अधीन बेदखली की किसी डिक्री में न्यायालय यह निर्देश कर सकता है कि सीरदार या असामी की बेदखली कुल खाते से की जाय या उसके किसी भाग से।

(२) डिक्री में यह भी निर्देश रहेगा कि यदि सीरदार या असामी डिक्री के दिनांक से ठीक बाद के तीन मास के भीतर क्षति को ठीक करदे तो डिक्री बाद-व्यय (costs) के अतिरिक्त और किसी बात के लिये निष्पादित (executed) नहीं की जायगी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०४ के खंड (१) की पंक्ति ३-४ के बाद में शब्द सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०४ (१) की पंक्ति ३ व ४ के शब्द "सीरदार या" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०४ के खंड (२) की पंक्ति २ में "सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०४ के खंड (२) की पंक्ति २ के शब्द सीरदार या" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २०५

क्षति या ह्रास ठीक करने के लिये या उसके निमित्त प्रतिकर दिलाये जाने के लिए वाद

२०५--धारा २०३ में किसी बात के रहते हुए भी गांव-सभा या क्षेत्रपति को अधिकार होगा कि बेदखली का वाद न लाकर निम्नलिखित विषय में वाद प्रस्तुत कर सके :--

(क) प्रतिकर सहित या प्रतिकर बिना समादेश (injunction) के लिये, या

(ख) खाते की भूमि की क्षति (damage) या ह्रास (waste) के ठीक करा पाने के लिये (for repairs).

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०५ की पंक्ति २ के शब्द "गांव-सभा या" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०५ की पंक्ति २ से शब्द "या क्षेत्रपति" हटाये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २०५ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २०६

भूमि पर आगम बिना काबिज व्यक्ति की बेदखली

२०६---यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों के अनुकूल और (otherwise than in accordance)

(क) जहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग हो, वहां ऐसे भूमिधर, सीरदार या असामी की सहमति बिना,

(ख) जहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग न हो, वहां गांव-सभा की सहमति बिना किसी भूमि पर कब्जा कर ले या अपना कब्जा रखे रहे तो व भूमिधर, सीरदार, असामी या गांव-सभा के, जैसा भी दशा हो, बाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि धारा २०६ की उपधारा (क) की पंक्ति १ में शब्द "भूमिधर, सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि धारा २०६ की उपधारा (ख) की पंक्ति १-२ में शब्द "भूमिधर, सीरदार या असामी" की जगह "खातेदार" और पंक्ति ४-५ में वाक्यखंड "भूमिधर..... बाद पर" की जगह "गांव-सभा के द्वारा" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि धारा २०६ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं २०७ और २०८

धारा २०६ के अधीन वाद का न प्रस्तुत होना या उसके अधीन मिली डिक्री का निष्पादन न होना

२०७---यदि तत्सम्बन्धी अवधि के भीतर धारा २०६ के अधीन वाद प्रस्तुत न किया जाय या ऐसे वाद में हुई डिक्री निष्पादित न की जाय तो कब्जा कर लेने या रक्खे रहने वाला व्यक्ति।

(१) जहां भूमि भूमिधर या सीरदार के खाते की भूमि का भाग हो, उसका सीरदार हो जायगा और ऐसी भूमि पर यदि असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायंगे।

(२) यदि भूमि गांव-सभा की ओर से कब्जा रखने वाले किसी असामी के खाते का भाग हो उसका असामी हो जायगा।

(३) ऐसी दशा में जहां धारा २०६ के खंड (ख) के निदेश लागू होते हों, सीरदार या असामी हो जायगा, मानो उसे कब्जा गांव-सभा ही द्वारा मिला हो।

धारा २०७ के सीरदार की बेदखली

२०८---(१) ऐसा व्यक्ति, जो धारा २०७ के खंड (क) के निदेशों के अधीन सीरदार हो गया हो, इस विधान में इससे पूर्व किसी बात के रहते हुये भी ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, गांव-सभा द्वारा भूमि से बेदखल किया जा सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन ... की तरह ... हो जाय और ... उस डिग्री का निष्पादन ... उसके ... अधिकारों ... भूमि हो जायगी।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह ... यदि ... ऐसे बातें हुई ...

(क) ... धारा २०९ ... करता ... रहने ...

(...)

धारा २०९

२०९—यदि किसी मध्यवर्ती ने ... अगस्त, १९६ ... ई० को या उसके बाद कोई ऐसी भूमि, जो आलेखित (recorded) या आचारिक (customary) सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान या कब्रिस्तान, ... रास्ता या खलिहान था, अपनी खेती में कर लिया ... काश्तकार को ... भूमि के ...

उपाध्यक्ष—प्रश्न ... धारा २०९ ... मध्यवर्ती ने ... और छठी पंक्ति ... कोई भूमि ... "प्रविष्ट" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित ...)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २०९, उपधारा (१) ... के बाद शब्द "या आचारिक (customary)" ... हो" ... जमीन नहीं ... जोड़ दिये जायं और ... होने की तारीख से ... हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २०९ की उपधारा (२) की पंक्ति ... प्रतिकार ... "रहते हुये भी" हटाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २०९ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं २१० और २११

असामी का लगान

२१०—ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों को बाधित न करते हुये, जो नियत किये जायं, प्रत्येक असामी भूमि का कब्जा मिलने पर ऐसे लगान का देनदार होगा, जो उसके और उसके क्षेत्रपति या गाव-सभा के बीच, जैसी भी दशा हो, तय हो जाय।

लगान में परिवर्तन न किया जाना

२११—किसी असामी द्वारा देय लगान उस रीति और उस आयति (extent) के अतिरिक्त, जिसकी व्यवस्था इस विधान द्वारा या इसके अधीन की गई हो और किसी रीति से या आयति तक, परिवर्तित नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धाराएँ २१० और २११ इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २११-क

लगान निश्चित कराने का वाद

२११—क—(१) यदि किसी व्यक्ति ने, जिसे कोई भूमि किसी के कब्जे में देने का, या किसी को किसी भूमि पर कब्जा रखे रहने की अनुज्ञा देने का, अधिकार हो, किसी को किसी भूमि पर उस भूमि के असामी के रूप में कब्जा दे दिया हो या कब्जा रखे रहने की अनुज्ञा दे दी हो पर लगान न निश्चित हुआ हो तो असामी या कब्जा अथवा अनुज्ञा देने वाला व्यक्ति कब्जा के काल के भीतर या उसके बीतने पर तीन वर्ष के भीतर लगान निश्चित कराने का वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन लाये गये वाद में वादी कालावधि संबंधी विधि को बाधित न करते हुए (subject to the law of limitation) बकाया की डिक्री की भी प्रार्थना कर सकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन लाये गए वाद में जिस लगान की डिक्री होगी वह वही लगान होगा, जो कब्जा या अनुज्ञा दिये जाने या असामी—अधिकार उत्पन्न होने के, जैसी भी दशा हो, वर्ष से पहले वाले वर्ष में देय रहा हो, या यदि उक्त वर्ष में कुछ लगान न देय रहा हो तो लगान उस दर से लिया जायगा जो उक्त भूमि में लागू—मौरूसी दरों के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर हो।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २११-क (१) की पंक्ति ७-८ में शब्द "कब्जा के" बाद के शब्द "काल के भीतर या उसके बीतने पर" निकाल दिये जायं और पंक्ति ८ में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "एक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २११-क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २१२

लगान देने के निमित्त उपज का भाराक्रांत रहना

२१२-- किसी असामी की जोत के प्रत्येक खाते की उपज और ऐसे खाते में स्थित प्रत्येक पेड़ के फल उस खाते के सम्बन्ध में उस असामी द्वारा देय लगान के लिए बन्धक रखे समझे जायंगे और जब तक वह लगान दे या किसी दूसरे प्रकार से चुका न दिया जाय तब तक किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में नीलाम द्वारा ऐसी उपज या फल के सम्बन्ध में कोई और दावा (claim) उसके विरुद्ध कार्यान्वित नहीं हो सकेगा (shall not be enforced)।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१२ की चौथी पंक्ति में शब्द "लगान" और "दे" के बीच शब्द "न" तथा शब्द "दे" के बाद शब्द "दिया जाये" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २१२ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २१३-क

लगान की अदायगी का ढंग

२१३-क--(१) किसी भी असामी के लिये डाकघर के मनीआर्डर द्वारा अपना लगान देना वैध होगा, किन्तु गांव-सभा या क्षेत्रपति का इस प्रकार दिया गया रुपया ले लेना क्षेत्रपति या गांव-सभा के, जैसी भी दशा हो, यह सिद्ध करने के मार्ग में कि किसी वर्ष या किसी किस्त के निमित्त देय धनराशि प्राप्त धनराशि से भिन्न थी, कोई बाधा नहीं उपस्थित करेगा।

(२) जहां लगान डाकघर के मनीआर्डर द्वारा भेजा गया हो वहां पाने वाले की रसीद या ऐसे मनीआर्डर पर, जिसपर यथावत् डाकघर की मोहर लगी हो, उसकी अस्वीकृति सूचक अनुलेख (Endorsement of refusal) रीतिक रूप से सिद्ध हुए बिना ही (without formal proof) प्रमाण में ग्राह्य होगा और जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाय, उसके विषय में यह प्रकल्पित कर दिया जायगा (shall be presumed) कि उसमें उक्त लगान की प्राप्ति या अस्वीकृति अभिलिखित है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१३-क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट--धारा २१३ संयुक्त विशिष्ट समिति ने निकाल दी।

धारा २१३-ख

लगान का नगदी परिवर्तन

२१३-ख--यदि लगान जिन्सी हो या खड़ी फसल के अनुमान (estimate) या कूत (appraisement) के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर उसे नियत रीति के अनुसार, स्वतः (at his own discretion) नगदी में परिवर्तित कर सकते हैं और गांव सभा के या उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा या जिसे, लगान देय हो, चाहने पर अवश्य ही ऐसा कर देंगे।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१३-ख की पंक्ति ५,६,७,८ व ९ के शब्द "परगना के अधिकारी.....अवश्य ही ऐसा कर देंगे" के स्थान पर शब्द "बिना गांव-सभा या क्षेत्रपति (landholder) की स्वीकृति के, जैसी भी दशा हो, लगान परिवर्तित (commuted) नहीं किया जायगा" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१३-ख इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं २१३-ग और २१४

लगान अदा करने की किस्त

२१३-ग--किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर (in the absence of a contract to the contrary) लगान दो बराबर किस्तों में उस कृषि-वर्ष के, जिसके संबंध में उक्त लगान देय हो, नवम्बर के पहले दिनांक और मई के पहले दिनांक को देय होगा।

बकाया लगान की अदायगी और उसके न होने पर बेदखली के लिए प्रार्थना-पत्र

२१४--(१) यदि किसी असामी के किसी खाते का कुल लगान या उसका कोई भाग तीन मास के ऊपर बकाया में पड़ा रहे तो गांव-सभा या क्षेत्रपति, जैसी भी दशा हो, बकाये की अदायगी की, तथा उसके अदा न होने पर खाते से असामी की बेदखली की, आज्ञा के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(२)-उक्त प्रार्थना-पत्र कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में वाद-पत्रों के हस्ताक्षर (signing) और सत्यापन (verification) के लिए नियत रीति से हस्ताक्षरित (signed) और सत्यापित (verified) किया जायगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१३-ग की पंक्ति ४ में शब्द "नवम्बर के पहले दिनांक" के स्थान पर शब्द "दिसम्बर के पन्द्रहवें दिनांक" और पंक्ति ५ में शब्द "पहले" के स्थान पर शब्द "पन्द्रहवें" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१३ -ग और धारा २१४ इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २१४-क

धारा २१४ के अधीन प्रार्थना-पत्र के नोटिस का असामी का नाम जारी होना

२१४-क--(१) धारा २१४ में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र पाने पर अधिक्षेत्र-प्राप्त न्यायालय (the court having jurisdiction) असामी पर नोटिस तामील करवा कर उसके द्वारा उसे आदेश देगा कि वह या तो प्रार्थना-पत्र के व्यय सहित बकाया को नोटिस की तामील के दिनांक के तीस दिन के भीतर दे दे

कि खाते से उसकी बेदखली की क्यों न दे दी जाय

यदि दिये गए समय के भीतर असामी नोटिस में उल्लिखित धनराशि प्रार्थी को दे दे या जमा कर दे न्यायालय उसकी भरपाई दर्ज कर देगा और प्रार्थना-पत्र को खारिज कर देगा और जमा की हुई धनराशि प्रार्थी को दे दी जायगी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१४-क की उपधारा (१) की पंक्ति ७ के शब्द "अवधि" के बाद शब्द "जो तीन महीने से अधिक न होगी" लिख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१४-क इस विधेयक का अंश मानी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २१४-ख

धारा २१४-क के अधीन जारी हुई नोटिस के अपालन पर अदायगी की आज्ञा

२१४-ख--(१) यदि असामी पर धारा २१४-क के अधीन दिया गया नोटिस यथावत् तामील हो गया हो, किन्तु उसने पूर्वोक्त धनराशि दी या जमा न की हो और कोई उज्रदारी भी न प्रस्तुत करे तो तहसीलदार उक्त धनराशि की अदायगी की और उसके न अदा होने पर खाते से असामी की बेदखली की आज्ञा दे देंगे।

(२) यदि असामी उपस्थित होकर दावे (claim) का प्रतिवाद करे तो प्रार्थना-पत्र वाद-पत्र मान लिया जायगा और यदि आवश्यक हो तो न्यायालय प्रार्थी को ऐसे अतिरिक्त न्याय-शुल्क के देने की आज्ञा देगा, जो बकाया लगान और बेदखली के वाद-पत्रों से संबंध रखने वाली समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार देय हो।

(३) यदि प्रार्थी लिए गए समय के भीतर न्याय-शुल्क न दे तो प्रार्थना-पत्र अपासित कर दिया जायगा (shall be rejected)।

(४) यदि न्याय-शुल्क यथावत् दे दिया जाय तो, ऐसी दशा में जहां असामी यह कहता हो कि प्रार्थी क्षेत्रपति नहीं है या खाते अथवा उसके किसी भाग की वह स्वयं भूमिधर या सीरदार है, न्यायालय मुकदमे को अधिकार-क्षेत्र-प्राप्त दीवानी न्यायालय को संक्रमित (transfer) कर देगा और तब दीवानी न्यायालय उसकी उसी प्रकार सुनवाई और अवधारण करेगा मानो वह ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया बकाया लगान और बेदखली का वाद हो।

(५) उपधारा (३) के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र का अपासन (rejection) बकाया लगान की वसूली के लिए प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने में बाधक न होगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१४-ख की उपधारा (२) की पंक्ति ४ व ५ के शब्द "और बेदखली" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१४-ख की उप धारा (४) की पंक्ति ४,५,६,७ व ८ के शब्द "अधिकार-क्षेत्र-प्राप्त ..... बेदखली का वाद हो" के स्थान पर शब्द "प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर (first class) निस्तारण के लिए संक्रमित (transfer) कर देगा रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१४-ख इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं २१४-ग, २१४-घ, २१४-ङ तथा २१५

बकाया लगान की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन का ढंग

२१४-ग--(१) कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी किसी असामी के विरुद्ध बकाया लगान की अदायगी की डिक्री या आज्ञा उस धनराशि के, जिसकी डिक्री हुई है, न देने पर निष्पादन के दूसरे ढंगों के अतिरिक्त खाते से असामी की बेदखली द्वारा निष्पादित हो सकेगी,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दखलदिहानी की कोई आज्ञा तब तक न दी जायगी जब तक बाद-ऋणी पर निश्चित किए जाने वाले दिनांक पर इस बात का कारण प्रकट करने के लिये कि उक्त आज्ञा क्यों न दी जाय, कोई नोटिस न तामील हो जाय।

(२) यदि दखलदिहानी के बाद एक मास के भीतर काश्तकार उस कुल धनराशि को, जिसके सम्बन्ध में वह बेदखल हुआ हो, जमा कर दे तो बेदखली की आज्ञा निरसित (cancelled) कर दी जायगी और काश्तकार को कब्जा तुरन्त वापिस कर दिया जायगा।

२१४-घ--उस दिनांक से, जिस पर लगान देय हो जाय, असामी ऐसी किस्त पर, जो देने से रह जाय, ६ १/४ प्रतिशत सूद का देनदार होगा।

बकाया लगान पर ब्याज

२१४-ङ--लगान की ऐसी बकाया, जो किसी ऐसी संपत्ति के संबंध में हो, जो केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार के स्वत्वाधिकार में हो या ऐसे क्षेत्रों के संबंध में हो, जो धारा २६३ के निशेषों के अधीन कुर्क हुआ हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

सरकारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में बकाया लगान की वसूली

२१५--(१) यदि लगान की बकाया का वाद सुनते समय न्यायालय को यह सन्तोष हो जाय कि उस काल में, जिसके लगान की बकाया का दावा किया जाता है, खाते का क्षेत्रफल जलाप्लावन (diluvion) के कारण या किसी दूसरे कारण से तत्वतः (substantially) घट गया था या उसकी उपज सूखा, ओला, बालू पड़ जाने या अन्य विपत्ति (calamity) के कारण तत्वतः कम हो गई थी, तो उसके लिए यह वैध होगा कि वह लगान में ऐसी छूट दे दे जो उसको न्यायसंगत प्रतीत हो;

बकाया की डिक्री देते समय विपत्ति के निमित्त न्यायालय को छूट देना

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जायगा कि जिस काल के लिए वह दी गई है उसके अतिरिक्त किसी और काल के लिए भी असामी द्वारा देय लगान में कोई परिवर्तन हो गया है।

(२) यदि न्यायालय उपधारा (१) के अधीन छूट दे तो, प्रान्तीय सरकार या इस संबंध में अधिकृत कोई दूसरा आधिकारिक ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत किये जायं, मालगुजारी में पारिणामिक (consequential) छूट की आज्ञा देगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१४ ग की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धाराएं २१४-ग, २१४-घ, २१४-ङ और २१५ इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २१५-क

२१५-क--यदि किसी व्यक्ति का कोई रुपया नार्दर्न इंडिया केनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ की धारा ४७ के अधीन नहर संबंधी देय (canal dues) के निमित्त प्राप्य हो तो वह ऐसे रुपये की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

सिंचाई सम्बन्धी देयों की बकाया का वाद

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २१५-क की पंक्ति ४ व ५ के शब्द "ऐसे रुपये की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी की बकाया के रूप में ऐसे रुपये की वसूली के लिए प्रार्थना कर सकता है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २१५—क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नई धारा २१५—ख

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २१५—क के बाद निम्नलिखित नयी धारा २१५—ख के रूप में जोड़ दी जाय :—

"२१५—ख—यदि निहित होने के दिनाक से ठीक पहले के दिनाक पर किसी काश्तकार के खेत की मेड़ पर स्थित कोई पेड़ उक्त काश्तकार का न रहा हो तो निहित होने के दिनांक से वह समान अंशों में उक्त मेड़ से सलग्न खेतो के सीरदारों और भूमिधरों में निहित हो कर उन्हीं का हो जायगा।

स्पष्टीकरण—यदि कोई खेत संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक सीरदारो या भूमिधरों का होगा तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए वे सब मिलाकर एक समझे जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २१६—क

प्रख्यापनिक वाद (Declaratory)

२१६—क—स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट १८७७ की धारा ४२ में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी गांव-सभा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अपने को किसी भूमि में किसी अधिकार का अधिकारी बतलाता है, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार के प्रख्यापन के लिये वाद प्रस्तुत कर सकती है और न्यायालय स्वविवेकानुसार (in its discretion) ऐसे व्यक्ति के अधिकार का प्रख्यापन कर सकता है और गांव-सभा के लिये यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे वाद में किसी अपर उपशम (further relief) की प्रार्थना करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वादी आगम के प्रख्यापन मात्र (mere declaration of title) के अतिरिक्त कोई अपर उपशम मांग सकता हो पर न मांगे तो न्यायालय इस प्रकार का कोई प्रख्यापन न करेगा।

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि धारा २१६—क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नयी धारा २१५—ख इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नयी धाराएँ २१६—ख, २१६—ग तथा २१६—घ

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २१६—क के बाद निम्नलिखित नई धारायें २१६—ख, २१६—ग व २१६—घ बढ़ा दी जायं :—

"२१६—ख—(१) ऐसा कोई व्यक्ति जो भूमिधर या संयुक्त भूमिधर (Joint Bhumidhar) होने का दावा करता है वह इस बात के प्रख्यापन (declaration) के लिये कि वह भूमिधर है या खाते में अपने भाग के प्रख्यापन के लिये (or for a declaration of his share in the holding) गांव-सभा पर वाद प्रस्तुत कर सकता है (may sue a Gaon Sabha)।

नोट—धारा २१६ संयुक्त विशिष्ट समिति ने निकाल दी।

(२) इस धारा के अधीन किसी वाद में कोई भी व्यक्ति जो भूमिधर होने का दावा करता है, प्रतिवादी (party) बनाया जायगा।"

"२१६-ग--(१) ऐसा कोई व्यक्ति जो सीरदार या संयुक्त सीरदार (Joint Sirdar) होने का दावा करता है वह इस बात के प्रख्यापन (declaration) के लिये कि वह सीरदार है या खाते में अपने भाग के प्रख्यापन के लिये (or for a declaration of his share in the holding) गांव-सभा पर वाद प्रस्तुत कर सकता है (may sue a Gaon Sabha)।

(२) इस धारा के अधीन किसी वाद में कोई भी व्यक्ति जो सीरदार होने का दावा करता है, प्रतिवादी (party) बनाया जायगा।"

"२१६ घ--(१) ऐसा कोई व्यक्ति जो आसामी या संयुक्त असामी (Joint Asami) होने का दावा करता है वह इस बात के प्रख्यापन (declaration) के लिये कि वह आसामी है या खाते में अपने भाग के प्रख्यापन के लिये (or for a declaration of his share in the holding) गांव-सभा और क्षेत्रपति पर वाद प्रस्तुत कर सकता है (may sue a Gaon Sabha and the landholder)।

(२ इस धारा के अधीन कोई भी व्यक्ति जो आसामी होने का दावा करता है, प्रतिवादी (party) बताया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

धारा २१८

नियम बनाने के अधिकार

२१८--(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:--

[उपखंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) निकाल दिये गये।]

(छ) धारा १४० के अधीन दी जानेवाली धनराशि देने की प्रक्रिया,

(ज) धारा १४० के अधीन दिये जानेवाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसके देने की प्रक्रिया,

(१) धारा १४३ के अधीन प्रमाण-पत्र (certificate) के प्रदान की प्रक्रिया और ऐसे प्रमाण-पत्र का आकार,

(२) धारा १४३ के अधीन खाते के बटवारे की प्रक्रिया और ढंग,

नोट--धारा २१७ संयुक्त विशिष्ट समिति ने निकाल दी।

(ञ) धारा १६० के अधीन भूमि की बदलाई की प्रतिक्रिया,

(ट) धारा १६३ के अधीन हस्तांतरण के विक्रय रूप में पुष्टीकरण (confirmation) की प्रक्रिया,

(ठ) धारा १६५ के अधीन सीरदार और असामी के बेदखली की प्रक्रिया,

(ड) धारा १८६ और १८७ के अधीन दी जाने वाली नोटिस का आकार और उसकी तामील का ढंग,

[उपखंड (ढ) निकाल दिया गया।]

(ण) धारा १९३ के अधीन गांव-सभा द्वारा भूमि को क़ब्ज़े में ले लेने की प्रक्रिया,

(त) धारा १९४ और १९५ के अधीन भूमि को उठाने की प्रक्रिया,

(थ) इस अध्याय के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य व्यवहारों को निर्णय करने वाले अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन (guidance),

(द) वे विषय जो नियत किये जाने वाले और नियत किये जायं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २१८ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २१९

अधिकारी के अधिकार

२१९—(१) उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था धारा २२०, २२१ और २२४ में की गई है, लगान देने पर अधिवासी को वे सब अधिकार और दायित्व प्राप्त रहेंगे, जो उसको स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त थे या जिनके वह अधीन था।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी संविदा या दूसरे अनुबन्ध (engagement) में किसी बात के रहते हुये भी, अधिवासी द्वारा देय लगान में कोई ऐसा परिवर्तन न किया जायगा, जो इस विधान के अधीन न किया जा सके।

(२) किसी अधिवासी के मर जाने पर खाते में उसका स्वत्व उत्तराधिकार के विषय में धारा १६९ से १७३ तक के निदेशों द्वारा नियमित होगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २१९ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"किसी अधिवासी के मर जाने पर खाते में उसका स्वत्व समाप्त हो जायगा और भूमि क्षेत्रपति (land holder) की हो जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २१९ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नयी धारा २१९-क

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि--धारा २१९ के बाद निम्नलिखित धारा २१९-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

२१९-क- (१) ऐसे अधिवासी को, जिसे धारा २१ का खंड (ग) लागू होता हो अधिकार होगा कि निहित होने के दिनांक से ६ मास के भीतर परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दे कि जिस भूमि का वह अधिवासी है, उसपर उसे क़ब्ज़ा दिला दिया जाय।

(२) उक्त प्रार्थना-पत्र में ऐसे ब्योरों का, जो नियत किये जायं, दिया जाना आवश्यक होगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र पाने पर असिस्टेंट कलेक्टर क्षेत्रपति या ऐसे अन्य व्यक्ति को जो उक्त भूमि या उसके किसी भाग पर काबिज हो, नोटिस देगा कि वह नोटिस में दिये हुये दिनांक पर उपस्थित होकर उत्तर दे कि प्रार्थी को भूमि पर क़ब्ज़ा दिलाने की आज्ञा क्यों न दे दी जाय।

(४) यदि निश्चित दिनांक या ऐसे दिनांक पर जिसे सुनवाई दी गई हो असिस्टेंट कलेक्टर को ऐसी जांच के बाद जो नियत की जाय, संतोष हो जाय कि प्रार्थी क़ब्ज़ा पाने का अधिकारी है तो वह तदर्थ आज्ञा दे देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी ऐसे व्यक्ति के क़ब्ज़े में हो, जिसे वह क्षेत्रपति द्वारा पहली जुलाई सन् १९४९ ई० के पूर्व पट्टे पर दे दी गई हो और ऐसा बढ़ा व्यक्ति क्षेत्रपति का सम्बन्धी अवलम्बी या सेवक न हो तो ऐसे व्यक्ति के प्रार्थना पत्र देने पर असिस्टेंट कलेक्टर आदेश दे देगा कि उक्त आज्ञा के दिनांक के तुरन्त बाद पड़ने वाले जून मास के तीसवें दिनांक से तीन वर्ष पूरा होने तक उक्त व्यक्ति उपर्युक्त भूमि या उसके उक्त भाग से बेदखल न किया जायगा।

और यह भी प्रतिबन्ध है कि उस अवधि में जिसके लिये उक्त व्यक्ति को उपरलिखित प्रतिबन्धात्मक वचन के अधीन क़ब्ज़ा रखने दिया गया हो उस के द्वारा अधिवासी को वही लगान देय होगा जो वह निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उक्त भूमि के लिये देता रहा हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि नयी धारा २१९-क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारायें २२० तथा २२१

अधिवासी का लगान

२२०—यदि अधिवासी द्वारा देय लगान के सम्बन्ध मे कोई अनुबन्ध (engagement) न हो, तो स्वत्वाधिकार के दिनाक से उसके द्वारा देय लगान उक्त भूमि के सम्बन्ध मे लागू मौरूसी (hereditary) दरों से लगाये गये लगान के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर होगा।

अधिवासी की बेदखली

२२१—धारा २२४ के निदेशों को बाधित न करते हुये कोई अधिवासी निम्नलिखित आधारों को छोड़ किसी दूसरे आधार पर अपनी भूमि से बेदखल नही किया जा सकेगा और निम्नलिखित आधारों मे से किसी आधार पर लाये जाने वाले बेदखली के वादों से सम्बन्ध रखने वाले अध्याय ८ के निदेश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अधिवासी असामी रहा हो—

(क) कि उस पर लगान बाकी है,

सं० प्रा० ऐक्ट, ३, १९०१ई०

(ख) कि उसने अपने खाते या उसके किसी भाग का हस्तान्तरण कर दिया है, या

(ग) कि वह भूमि का किसी ऐसे प्रयोजन मे उपयोग करता है, जो कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्ध न रखता हो।

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि धाराएं २२० और २२१ इस विधेयक के अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं २२२ तथा २२३

अधिवासी का भूमिधर अधिकार उपार्जित करना

२२२—(१) यदि इस विधान के प्रारम्भ से पाच वर्ष की अवधि के बाद किसी समय या ऐसे पाच वर्ष के भीतर अपने क्षेत्रपति को सहपति से किसी समय अधिवासी प्रान्तीय सरकार को निम्नलिखित धनराशि दे दे, तो वह परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को इस सम्बन्ध मे प्रार्थना-पत्र देने पर उस भूमि का भूमिधर प्रख्यापित होने का अधिकारी होगा.—

(क) यदि उसके पास ऐसी भूमि है, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनाक पर सीर या खुदकाश्त अभिलिखित थी, तो ऐसी धनराशि जो उक्त दिनाक पर प्रचलित मौरूसी दरों से लगाये गये लगान की पंद्रह गुनी हो, और

(ख) किसी और दशा मे ऐसी धनराशि जो उक्त दिनांक पर उस भूमि के काश्तकार द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान की पंद्रह गुनी हो।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित प्रख्यापन हो जाने पर ऐसी भूमि मे क्षेत्रपति के सब अधिकार और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

(३) धारा १४०, १४१ और १४३ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और उसकी सुनवाई के सम्बन्ध मे लागू होंगे।

(४) उपधारा (१) मे किसी बात के रहते हुये भी उक्त उपधारा मे उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर किसी समय प्रान्तीय सरकार गजट मे विज्ञप्ति द्वारा सब अधिवासियों को आदेश दे सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर या उससे पहले उक्त उपधारा (१) मे उल्लिखित धनराशि जमा कर दे।

(५) ऐसे प्रत्येक अधिवासी की जो उक्त दिनांक पर या उससे पहले रुपया जमा न कर सके, क्षेत्रपति के बाद पर भूमि से तुरन्त बेदखली हो सकेगी, मानों वह ऐसा व्यक्ति था जो इस ऐक्ट के निदेशों के अनुकूल और क्षेत्रपति की अनुमति बिना कब्जा किये हुये या रक्खे हुये था।

(६) उपधारा (१) मे किसी बात के रहते हुये भी ऐसा अधिवासी जिसके पास कोई भूमि किसी पुण्यार्थ या धर्मार्थ संस्था की ओर से हो, उक्त उपधारा में उल्लिखित धनराशि किसी समय दे सकता है और उपधारा (१) से (५) तक के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे।

अधिवासी के क्षेत्रपति का प्रतिकर पाना

२२३—यदि किसी अधिवासी ने धारा २२२ के निदेशों के अनुसार भूमिधर के अधिकार और स्वत्व उपार्जित कर लिये हों, तो प्रान्तीय सरकार क्षेत्रपति को निम्नलिखित धनराशि देगी :—

(क) यदि क्षेत्रपति या उसका पूर्वाधिकारी (Predecessor) धारा १९ की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट भूमिधर था तो ऐसी धनराशि जो धारा २२२ के अधीन जमा की हुई धनराशि की एक तिहाई हो और उसी के साथ ऐसी धनराशि जो इस विधान के निदेशों के अनुसार उसे देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के, यदि कोई बराबर हो,

(ख) यदि वह धारा २२२ की उपधारा (१) के अधीन दिये गये प्रख्यापन के दिनांक पर खंड (क) में अभिदिष्ट भूमिधर से भिन्न भूमिधर था, तो धारा २२२ के अधीन जमा की गई कुल धनराशि,

(ग) यदि वह या उसका स्वत्व पूर्वाधिकारी धारा २२२ की उपधारा (१) के अधीन किये गये प्रख्यापन के दिनांक पर सीरदार था, तो वह धनराशि, जो उक्त धारा के अधीन जमा की गई धनराशि की एक-तिहाई के बराबर हो।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण धारा २२२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय:—

"इस विधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर अधिवासी क्षेत्रपति के बाद पर उस भूमि से जो उसके पास हो बेदखल हो सकेगा मानो वह ऐसा व्यक्ति था जो इस ऐक्ट के निदेशों के अनुकूल और क्षेत्रपति की अनुमति बिना कब्जा किये हुये या रक्खे हुये था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण धारा २२२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"इस विधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर सब अधिवासी सरकार को बिना कुछ लगान अदा किये हुये ही भूमिधर बन जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२२ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं:--

(१) उपधारा (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "बाद" के स्थान पर "भीतर" और शब्द 'भीतर' के स्थान पर 'बाद' रख दिये जाय।

(२) उपधारा (४) निकाल दी जाय।

(३) उपधारा (५) की पहली और दूसरी पंक्ति से शब्द "दिनांक पर या उससे पहले" निकाल कर उन की जगह शब्द "अवधि के भीतर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२२ (१) (ख) की दूसरी पंक्ति में "काश्तकार" के स्थान पर "अधिवासी" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धाराएं २२२ और २२३ इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २२४

अलाभकर खाते से अधिवासी की बेदखली

२२४--(१) गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रान्तीय सरकार यह प्रख्यापित कर सकती है कि विज्ञप्ति के दिनांक से निर्दिष्ट क्षेत्रों में इस धारा के निदेश लागू हो जायंगे।

(२) जहां किसी मंडल में भूमिधर या सीरदार का कोई खाता या उसका भाग किसी अधिवासी के दखल में है, वहां यदि संयुक्त प्रांत में भूमिधर या सीरदार की निज जोत में कोई भूमि नहीं है या ८ एकड़ से कम है, तो वह परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को इस आधार पर अधिवासी को बेदखली के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि वह अधिवासी के दखल वाली भूमि को अपनी निज जोत में लाना चाहता है।

(३) गांव-सभा और ऐसे सब अधिवासी जो प्रार्थी की ओर से किसी भूमि पर काबिज हों, इस धारा के अधीन लाए गए व्यवहार में फरीक बनाए जायंगे।

(४) यदि प्रार्थना पत्र यथावत दिया गया हो और असिस्टेंट कलेक्टर को ऐसी जांच के बाद, जो नियत की जाय, यह संतोष हो जाय कि प्रार्थी के पास अपनी निजी जोत में कोई भूमि नहीं है, या ८ एकड़ से कम भूमि है, और अधिवासी के कब्जे की भूमि को वह अपनी निजी जोत में लाना चाहता है, तो वह अधिवासी या अधिवासियों को बेदखली की आज्ञा इतनी भूमि से दे देगा जितनी को मिलाकर प्रार्थी की निजी जोत में ८ एकड़ भूमि हो जाय।

(५) जब कभी कोई अधिवासी उपधारा (४) के निदेशों के अधीन बेदखल हो गया हो, असिस्टेंट कलेक्टर गांव-सभा के कथन को सुन कर गांव-सभा को यह आदेश दे सकता है कि उक्त भूमि के अधिवासी को लागू मौरूसी दरों से लगाये गए इतने मूल्य की खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दे, जो उसी प्रकार लगाए गए उस भूमि के मूल्य के बराबर हो, जिससे उसकी बेदखली की आज्ञा हुई है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २२४ (१) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २२४ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ व ४ में वाक्य-खंड "वहां यदि संयुक्त प्रांत में भूमिधर या सीरदार की निज जोत में कोई भूमि नहीं है या ८ एकड़ से कम है" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २२४ की उपधारा (२) की पंक्ति ४ के अंक "८" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २२४ की उपधारा (२) की पंक्ति ४ के अंक "८" के स्थान पर अंक "१२ १/२" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २२४ की उपधारा "२" की पंक्ति ४ के अंक "८" के स्थान पर अंक "१०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २२४ (२) की चौथी पंक्ति में "८" के स्थान पर "१२" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २२४ की उपधारा (२) की चौथी पंक्ति में अंक "८" की जगह अंक "६" रख दिया जाय तथा उपधारा (४) में जहां-जहां शब्द "८" आया है, उनकी जगह शब्द "सवा छ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २२४ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"यदि प्रार्थना-पत्र यथावत दिया गया हो, और असिस्टेंट कलेक्टर को ऐसी जांच के बाद जो नियत की जाय, यह संतोष हो जाय कि प्रार्थी अधिवासी के कब्जे की भूमि को अपनी निजी जोत में लाना चाहता है, तो वह अधिवासियों को बेदखली (ejectment) की आज्ञा इतनी भूमि से (from such area) दे देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२४ उपधारा (५), पंक्ति २ मे शब्द "असिस्टेंट कलेक्टर" के बाद शब्द "अधिवासी की किसी ऐसी दरख्वास्त पर, यदि कोई हो" जोड़ दिय जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २२५

अक्षम क्षेत्रपतियों के सम्बंध में अपवाद

२२५--यदि क्षेत्रपति या जहां एक से अधिक क्षेत्रपति हों वे सब ऐसे व्यक्ति रहे हों जो स्वत्वाधिकार के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर धारा १५६ मे उल्लिखित वर्गों में से किसी के अंतर्गत थे तो धारा २२१ से २२४ तक की कोई बात अधिवासी को लागू नहीं होगी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२५ की पंक्ति ३ के शब्द "दिनांक पर" के बाद शब्द "या तदंतर (or subsequently)" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२५ की पंक्ति ४ के शब्द "थे" के बाद शब्द "और वे मध्यवर्ती जो २५० रुपया या कम मालगुजारी देते हों" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२५ की चौथी पंक्ति मे शब्द "थे" के बाद "एक" और शब्द "तो" के पहिले शब्द "और यदि अक्षम काल मे भूमि दूसरे को उठाई (let) गई हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२५ के अन्त मे "विराम" हटाकर निम्नलिखित वाक्यखंड जोड़ दिया जायं--

"और उसे असामी समझा जायगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २२५ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नयी धारा २२५-क

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२५ के बाद निम्नलिखित नयी धारा २२५-क लिख दी जाय--

"२२५-क--यदि भूमि, क्षेत्रपति (landholder) की सीर भूमि है और वह स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर २५० रुपया या उससे कम मालगुजारी देता रहा है, तो धारा २२१ से २२४ तक की कोई बात अधिवासियों को लागू नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

धाराएं २२६ तथा २२७

अधिवासी का ५ वर्ष बाद असामी हो जाना

२२६--ऐसा अधिवासी, जिसे धारा २२५ लागू होती हो, इस विधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर, ऐसे सब अधिकारों और दायित्वों के साथ, जो इस विधान के द्वारा या अधीन किसी असामी को दिये गये हों, या उस पर लगाये गए हों, असामी हो जायगा और असामी समझा जायगा।

नियम बनाने का अधिकार

२२७--(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :--

(क) धारा २२४ के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसमे दिये जाने वाले ब्योरे,

(ख) धारा २२४ के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निर्णय करने की प्रक्रिया,

(ग) यह निर्णय करने के सिद्धांत कि कौन-कौन अधिवासी और कितने क्षेत्र से धारा २२४ के अधीन बेदखल किया जाय या किये जायं,

(घ) धारा २२४ के अधीन दी गई आज्ञाओं को कार्यान्वित करना, और

(ङ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२६ की पंक्ति १ के अंक "२२५" के बाद शब्द व अंक "और २२५--क" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२६ की पंक्ति २-३ मे वाक्यखंड "इस विधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धाराएं २२६ और २२७ इस विधेयक का अंश मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन, ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
४ जुलाई सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १६ का उत्तर नीचे पृष्ठ ६५ पर।)

Copy of para. 345 a of the Manual of Government Orders

Attention should also be given to the necessity of securing a due admixture of castes in government service in order to prevent a monopoly of government employment by particular sections of the community, and to secure the admission to the public service of castes hitherto either unrepresented or represented only to a small extent

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १९ (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६ पर।)

सदस्यों तथा पदाधिकारियों की सूची

१—डाइरेक्टर, मेडिकल तथा हेल्थ सर्विसेज, अध्यक्ष।
१—डिप्टी डाइरेक्टर, मेडिकल तथा हेल्थ सर्विसेज (वीमेन)
३—सुपरिण्टेण्डेण्ट, सिलवर जुबिली हेल्थ स्कूल, लखनऊ।
४—सुपरिण्टेण्डेंट, आफ नर्सिंग सर्विसेज, लखनऊ।
५—सुपरिण्टेंडेंट, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद।
६—श्रीमती सज्जन देवी महनोत, एम० एल० ए०।
७—श्री गजाधर प्रसाद, एम० एल० ए०।
८—श्रीमती रानी फूल कुमारी, एम० एल० सी०।
९—कुमारी दयावंती धूलिया, यु० एच० एम० अस्पताल, कानपुर।
१०—श्री हरी कृष्ण, वार्ड मास्टर, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ।
११—श्री पहलवान पांडे, वार्ड मास्टर, जिला अस्पताल, गोरखपुर।
१२—श्रीमती शिव प्यारी, चाइल्ड वेल्फेयर सेंटर, मोहनलालगंज, लखनऊ।
१३—कुमारी वासंती दत्त, मैटर्निटी तथा चाइल्ड वेल्फेयर सेण्टर, हेडक्वार्टर्स, यू० पं एरिया, लखनऊ।
१४—श्रीमती डी० ए० बीट, नर्सिंग सुपरिण्टेण्डेंट, सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा
१५—कुमारी आई० एम० पीटर्स, मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद।
१६—कुमारी आई० जी० शा०, मैट्रन—टी० बी० सपरू अस्पताल, इलाहाबाद।
१७—कुमारी जी० पी० कपाडिया, लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर।
१८—(डा० कुमारी) ए० मुण्डले, एम० बी०, बी० एस०, मेडिकल सुपरिण्टेंडेंट डफरि अस्पताल, लखनऊ।
१९—कुमारी ई० मेकलाउड, मेट्रन यु० एच० एम० अस्पताल, कानपुर।
२०—डा० आर० एम० शुक्ला, एम० बी०, बी० एस०, रजिस्ट्रार।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३ पर।)

डिवीजन		जिला		१६ जून तक वसूल की गई रकम
				रू०
मेरठ	..	देहरादून		८,१७,१८७
		सहारनपुर	..	१,२७,१६,५८४
		मुजफ्फरनगर		२,०३,२५,१०७
		मेरठ		१,९८,२७,५५०
		बुलन्दशहर		१,०४,८९,३९५
आगरा	..	अलीगढ़		७५,५२,६२९
		मथुरा		६१,५७,७९६
		आगरा		६१,७२,१३८
		मैनपुरी	.	३०,५८,७९३
		एटा		४६,५७,२३०
रुहेलखंड	..	बरेली	..	२७,६९,४८७
		बिजनौर	..	४५,१६,४२४
		बदायूं	..	२५,५९,१५३
		मुरादाबाद	..	४१,७७,७५२
		शाहजहांपुर	..	९,६५,७२०
		पीलीभीत	.	१२,५५,८९७
इलाहाबाद	..	फर्रुखाबाद	..	३४,८३,८१०
		इटावा	..	३०,४७,२३९
		कानपुर	..	४५,४१,८६२
		फतेहपुर	.	३४,११,९६५
		इलाहाबाद	..	६२,८८,३५२
झांसी		झांसी	..	२७,८१,०९४
		जालौन	..	१९,४१,५२२
		हमीरपुर	..	४०,२०,६६१
		बांदा	..	२६,७७,३३३
बनारस	..	बनारस	..	१७,२८,२१८
		मिर्जापुर	..	३६,७४,६५१
		जौनपुर	..	३१,८७,५५४
		गाजीपुर	.	२२,१५,३६३
		बलिया	..	१९,५९,६२०

डिवीजन		जिला		१६ जून तक वसूल की गई रक़म
				रु०
गोरखपुर	..	गोरखपुर	..	७९,०८,२५७
		देवरिया	..	४८,०३,२७४
		बस्ती	..	१,२६,५३,३६६
		आजमगढ़	..	३३,८५,९०२
कुमायूं	..	नैनीताल	.	३,६५,३३०
लखनऊ	..	लखनऊ	..	१६,७६,२०४
		उन्नाव	.	२७,३०,५०६
		रायबरेली	.	२६,८५,००८
		सीतापुर	.	१८,३४,०१६
		हरदोई	.	१८,४३,७६३
		खीरी	.	२२,४२,६३७
फैजाबाद	..	फैजाबाद	.	२८,४१,३५८
		गोंडा	..	३८,१३,६६७
		बहराइच	..	३०,३२,२५१
		सुल्तानपुर	..	३०,५५,८१८
		प्रतापगढ़	..	१९,१५,५८१
		बाराबंकी	.	३४,१०,९८४
		योग	..	२१,३१,७६,००७

पी० एस० यू० पी०—८८ एल० ए०—१९५०—५०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ जुलाई, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरंभ हुई।

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५१)

अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगू राय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धमदास, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इतिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द बल्लभ पंत, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जनीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगुल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुज़फ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इस्माइल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
मुहम्मद याकूब, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राघव दास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाल बहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
साजिद हुसेन, श्री
सालिग राम जायसवाल, श्री
सैयद जाकिर अली श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हरप्रसाद सिंह, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ जुलाई, सन् १९५० ई०

[मंगलवार, ४ जुलाई सन् १९५० ई० के शेष प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

देवगांव, जिला आजमगढ़ के पुलिस स्टेशन आफिसर की नियुक्ति तथा तरक्की आदि के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*६९--श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार कृपा करके बताएगी कि स्टेशन आफिसर, पुलिस स्टेशन देवगांव, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ की पुलिस डिपार्टमेंट में नियुक्ति कब हुई ?

माननीय श्री लाल बहादुर (पुलिस मंत्री)--सब-इन्सपेक्टर श्री कमलापति मनी त्रिपाठी की नियुक्ति, जोकि इस समय थाना देवगांव, जिला आजमगढ़ के स्टेशन आफिसर हैं, ९ दिसम्बर, १९४८ ई० को हुई।

*७०--श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि स्टेशन आफिसर वहां कितने दिनों से हैं ? उनकी क्या विशेष योग्यतायें हैं, जिनके कारण उन्हें इतने अल्प समय में तरक्की दी गई ?

माननीय श्री लाल बहादुर--सब-इन्सपेक्टर श्री कमलापति मनी त्रिपाठी २५ सितम्बर, १९४९ ई० से स्टेशन आफिसर हैं। पुराने और अनुभवी अफसरों की कमी की वजह से नये सब-इन्सपेक्टरों को, जिनका काम संतोषजनक है, तरक्की देनी पड़ी है।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले के अन्दर कितने सीनियर सब-इन्सपेक्टर्स हैं, जिनको चार्ज नहीं दिया गया है ?

माननीय श्री लाल बहादुर--सीनियारिटी का ब्योरा मैं इस वक्त नहीं दे सकता, लेकिन अकेले सीनियारिटी ही काफी नहीं होती तरक्की के लिए।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या यह सही है कि ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में ट्रेनिंग के बाद पांच-पांच साल तक यह हेड कांस्टेबिलों से ट्रेनिंग हासिल करते थे और उसके बाद उन्हें सेकिंड आफिसर बनाया जाता था ?

माननीय श्री लाल बहादुर--मुमकिन है ऐसा होता हो।

*७१--श्री फखरुल इस्लाम--क्या यह सही है कि स्टेशन आफिसर, देवगांव, जिला आजमगढ़ के पास एक नई साइकिल सिंगापुर से लायी हुई मौजूद है ?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी हां, यह साइकिल उनके भाई की है।

*७२--श्री फखरुल इस्लाम--क्या यह सही है कि यह साइकिल एक सिंगापुरी से, जो उनके सर्किल का निवासी है, हासिल की गयी है और उसकी कोई कीमत अदा नहीं की गयी ?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी हां, लेकिन श्री कमलापति मनी त्रिपाठी के भाई के हाथ ४०७ रु० में यह बेची गयी। उसकी रसीद मौजूद है।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि यह जो थानेदार के भाई साहब हैं उन्हीं के साथ रहते हैं और उनका कोई जरिया माश नहीं है ?

माननीय श्री लाल बहादुर-----जी नहीं, उनके भाई एक सरकारी नौकर हैं।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स कांडक्ट रूल्स में ऐसा है कि जिस इलाके में पुलिस आफिसर हो उस इलाके में वह या उसके खान्दान के लोग कोई ऐसी चीज खरीद-फरोख्त न करें ?

माननीय श्री लाल बहादुर---जी नहीं, ऐसा पैरा नहीं है कि उसका कोई रिश्तेदार या खानदान वाला खरीद-फरोख्त नहीं कर सकता है।

*७३---श्री फखरुल इस्लाम---क्या यह सही है कि इस साइकिल के सम्बन्ध में कोई शिकायत उसके आफिसर के पास आयी और उसकी जांच-पड़ताल हुई ?

माननीय श्री लाल बहादुर---जी नहीं कोई शिकायत नहीं आयी थी।

[बुधवार, ५ जुलाई सन् १९५० ई० के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*१-४---श्री राम नन्दन सिंह---[स्थगित किये गए।]

चकिया सब-डिवीजन (बनारस) में बाढ़, जमीन का कटाव और सूखा

*५---श्री राम नन्दन सिंह---(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि चकिया सब-डिवीजन, बनारस के पट्टी लेहरा के मौजा बयापुर, केरायगांव, जैगुरी और ऊनीडीह की आराजियां नाली के कारण प्रतिवर्ष कट-कट कर बह रही हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण से उन गांवों की उपज दिनों दिन कम होती जा रही है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)---(क) जी हां।

(ख) जी हां।

श्री राम नन्दन सिंह---क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि उन चार गांवों के नालों की जहां नालियां कट-कट कर बह रही हैं, बनाने का विचार रखती है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---तफसील बताना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन जिलाधीश ने कुछ प्रबन्ध इस सम्बन्ध में किया है।

*६---श्री राम नन्दन सिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि चकिया सब-डिवीजन के करइल प्रान्त में बाढ़ और सूखा दोनों से फसल को अक्सर नुकसान पहुंचता रहता है, जिससे अन्न के उपज में काफी कमी पड़ती है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--- जी हां।

श्री राम नन्दन सिंह---क्या सरकार करइल प्रान्त के लिए बाढ़ को रोकने और सूखा को रोकने के लिए कोई उचित प्रबन्ध करना चाहती है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---सरकार की तो हमेशा इच्छा रही है कि कहीं पर लोगों को ऐसी तकलीफ न होने पाये।

*७---श्री राम नन्दन सिंह---[स्थगित किया गया।]

*८---श्री राम नन्दन सिंह---[कल तक के लिए स्थगित किया गया।]

*९-१२---श्री लाल बिहारी टण्डन---[स्थगित किये गये।]

*१३---१८---श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी---[स्थगित किये गये।]

गैर-सरकारी निरीक्षकों द्वारा जेल निरीक्षण के लिये समय निर्धारण

* १९.--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बनारस डिवीजन के कमिश्नर ने जेल के गैर-सरकारी निरीक्षकों के लिए अलग-अलग महीने निरीक्षण के लिए निश्चित किये हैं?

माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक-कर मंत्री)--जी हां।

* २०--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या और डिवीजनों के कमिश्नरों ने भी इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं?

माननीय श्री गिरधारी लाल--जी हां।

* २१--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या इस प्रकार के आदेश सरकार की आज्ञा से जारी किये गये हैं?

माननीय श्री गिरधारी लाल--जेल मैनुअल में पैरा ६७२ (अ) के नियमानुसार प्रत्येक डिवीजन का कमिश्नर गैर सरकारी जेल निरीक्षकों का एक रोस्टर बनाता है और निरीक्षकों को रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करने को आमंत्रित करता है।

जवाहर गंज (इलाहाबाद) के बाढ़-ग्रस्त किसानों के लिये स्थायी निवास का प्रबन्ध

२२--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम जवाहरगंज, शहर इलाहाबाद के बाढ़-ग्रस्त किसानों के लिए स्थायी तौर पर बसाने का क्या प्रबन्ध किया गया है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--जवाहरगंज के बाढ़-पीड़ित किसानों को बसाने के लिये सरकार ने माननीय जज श्री शंकर सरन के हाते की कुछ भूमि प्राप्त करने के हेतु केन्द्रीय सरकार से आवश्यक लिखा-पढ़ी की थी, परन्तु उस सरकार ने उपर्युक्त भूमि को देने से इनकार कर दिया। अब दूसरी भूमि को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या केन्द्रीय सरकार ने इंकार करने का कोई कारण भी बताया है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--देना वह नहीं चाहती।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--सरकार कौन सी दूसरी भूमि उनके बसने के लिये प्राप्त करना चाहती है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--ठीक जमीन का पता लगा नहीं।

जमींदारी विनाश विधेयक के कारण जमींदारों का परती के दरख्तों को कटवाना

*२३--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य (क)--क्या सरकार को मालूम है कि जमींदारी विनाश का जो विधेयक धारा सभा में विचाराधीन है उसकी मंशा को देखते हुए जमींदार परती के दरख्तों को कटवा रहे हैं और बेच रहे हैं?

(ख) सरकार इन दरख्तों का कटना रोकने के लिए क्या प्रबन्ध कर रही है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--(क)--जी हां। सरकार को जमींदारों द्वारा पेड़ कटवाने की कुछ सूचना मिली है।

(ख) सरकार ने इस विषय में जिलाधीशों को आदेश दिया है। इस आदेश की एक प्रति सम्बद्ध है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१४ पर)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--बहुत सख्या मे जो पेड़ जमीदारो की तरफ से काटे जा रहे है उनकी रोक के लिए गांव सभा या फूड ऐडवाइजरी कमेटी को जैसा इस आदेश मे बताया गया है, कौन सा अधिकार दिया गया है, जिससे पेड काटने से रोके जा सकते है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--जमींदारो को समझा-बुझा कर ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध मे, जो परती के तमाम दरख्त वगैरह गाव सभा को मिलने वाले है, सरकार कोई ऐसा उपाय सोच रही है कि वे न काटे जाय, अगर समझाने बुझाने मे वे नही मानते ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--यह पहली कोशिश है । अगर इसमे नाकामयाबी हुई तो फिर सोचेंगे ।

*२४--श्री गोपाल नारायण सक्सेना--[स्थगित किया गया ।]

*२५-३०--श्री दीनदयालु अवस्थी--[स्थगित किये गये ।]

*३१-३३--श्री खुशवक्त राय--[स्थगित किये गये ।]

भुवाली क्षयरोगाश्रम के इन्चार्ज डा० धर्मानन्द केशरवानी का हटाया जाना

*३४--श्री खुशवक्त राय--(क) क्या यह सच है कि भुवाली क्षयरोगाश्रम के इचार्ज डाक्टर श्री धर्मानन्द केसरवानी को हटा दिया गया है ?

(ख) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इसका क्या कारण था ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मत्री)--(क) जी हा ।

(ख) इतनी बड़ी सस्था के लिये यह मुनासिब समझा गया कि उनसे भी अधिक तजुर्बेकार व्यक्ति इस संस्था का अध्यक्ष बनाया जाय ।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह अधिक तजुर्बेकार व्यक्ति कौन है और उनका तजुर्बा क्या है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--उनका नाम है डा० खजानचन्द । यह अल्मोड़ा मे प्राइवेट प्रैक्टिशनर है ।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो डाक्टर महोदय है उन्होने विदेशो मे भी कोई तजुर्बा हासिल किया है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक मुझे मालूम है विदेशो मे उन्होने कोई तजुर्बा हासिल नही किया है, लेकिन अल्मोड़ा के फोरमोस्ट डाक्टर है । खासकर टी० बी० का ज्ञान जितना उनको है उतना बहुत कम डाक्टरों को है ।

श्री खुशवक्त राय--क्या यह डाक्टर महोदय अल्मोड़े मे प्राइवेट प्रेक्टिस करते है, किसी अस्पताल मे काम नहीं करते ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैने पहले ही कह दिया कि प्राइवेट प्रेक्टिशनर है ।

*३५--श्री खुशवक्तराय--[स्थगित किया गया ।]

जिला गोंडा में बिक्री-कर की वसूली

*३६--श्री लाल बिहारी टण्डन--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस समय जिला गोंडा मे कौन बिक्री-कर अधिकारी काम कर रहे है ? उनकी योग्यता क्या है तथा उन्हे गोंडा मे आये हुए कितना समय हुआ ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षामंत्री)--श्री लक्ष्मीनारायण रस्तोगी इस समय गोंडा जिले में बिक्री-कर अधिकारी हैं। वह एम० काम० तथा एम० ए० हैं। अक्तूबर, १९४९ ई० से वह गोंडा मे हैं।

*३७--श्री लाल बिहारी टण्डन--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गोंडा जिला में आर्थिक वर्ष सन् १९४९ व ५० ई० में बिक्री-कर से कितनी आमदनी हुई ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वित्तीय वर्ष सन् १९४९-५० ई० में गोंडा जिले मे बिक्री-कर से ६,०५,४९७ रुपये की आमदनी हुई।

श्री लालबिहारी टण्डन--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ये आंकड़े सन् १९४८-४९ ई० के आंकड़ों से ज्यादा हैं या कम ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

*३८--श्री लाल बिहारी टण्डन--गोंडा बिक्री-कर अधिकारी ने कितने मुकद्दमे बिक्री-कर के संबंध मे उपरोक्त वर्ष मे चलाये ? किन-किन अपराधों में मुकद्दमे चलाये गये ? कितने को सजा तथा जुर्माना हुआ तथा कितने अपील मे छूट गये ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वित्तीय वर्ष सन् १९४९-५० ई० मे बिक्री-कर अधिकारी, गोंडा ने बिक्री-कर के संबंध मे कोई मुकद्दमे नहीं चलाये।

विभिन्न सरकारी विभागों में मोटर, ट्रकों तथा वानों (गाड़ियों) की संख्या

*३९--श्री लाल बिहारी टण्डन--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस समय उत्तर प्रदेशीय सरकार के पास कुल कितनी मोटरें, ट्रक, वान आदि हैं ? उनमें से अलग-अलग विभागों में काम आने वाली कितनी-कितनी मोटरें हैं ?

*४०--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उन मोटरों मे, जो सरकार के पास हैं, कितनी जिलों में काम कर रही हैं तथा कितनी केन्द्र में ?

*४१--कुल मोटरों में भिन्न-भिन्न प्रकार की गाड़ियों, जैसे कारें, जीपें, लैण्ड रोवरें आदि कितनी-कितनी हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर--माननीय सदस्य मानेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर देने मे जो श्रम जिलों से सूचना मंगाने आदि में होगा उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या माननीय मन्त्री को यह इल्म है कि कुल कितनी मोटरें सरकार के पास अलहदा-अलहदा विभागों में हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर--सरकार के पास जितनी मोटरें हैं वह सब ट्रांसपोर्ट विभाग के मातहत नहीं हैं, इसलिये मेरे लिये यह जानना लाजिमी नहीं है कि कितनी मोटरें सरकार के पास हैं।

*४२-४४--श्री लाल बिहारी टण्डन--[स्थगित किये गये।]

*४५-५०--श्री फखरुल इस्लाम--[स्थगित किये गये।]

*५१-५६--श्री चतुर्भुज शर्मा--[स्थगित किये गये।]

भूमिधर का जमीन की मालगुजारी में आधे लगान का मुजराई न देने की शिकायत

*५७--श्री वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार को विदित है कि सरकारी कर्मचारी बहुत से जिलों में उन जमींदारों को, जिनके काश्तकारान भूमिधर बन गये हैं, उन काश्तकारों के लगान की आधी रकम की मुजराई मालगुजारी में नहीं देते और पूरी मालगुजारी ले लेते हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---भूमिधरों द्वारा प्राप्त रुपयों के आधार पर जमींदारों को मालगुजारी में मुजराई देने के बाबत जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिये गये हैं। मगर यह काम हर जिले में अभी खत्म नहीं हुआ है।

श्री बादशाह गुप्त---क्या सरकार को ज्ञात है कि भूमिधर बनने के बाद भी अदालतें पूरे लगान की डिग्रियां काश्तकारों के खिलाफ दे रही हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---नहीं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां---क्या जब तक इस लगान की अदायगी न हो जायगी क्या उस वक्त तक मालगुजारी का तकाजा नहीं होगा ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---होगा।

श्री बादशाह गुप्त---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यदि भूमिधर होने के बाद किसी काश्तकार के खिलाफ पूरी डिग्री दे दी गयी है तो उसके लिये क्या चारा है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---अपील।

श्री वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिलाधीशों को क्या आदेश दिये गये थे ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---जितनी जल्दी हो सके इसका हिसाब-किताब पक्का करके जो जिसको मिलता हो वह उसकी मालगुजारी में मुजरा दे दिया जाय।

श्री वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की कार्यवाही की वजह से जमींदारों का लगान वसूल नहीं हुआ ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---यह ग़लत बात है कि इस कार्यवाही से लगान वसूल नहीं हुआ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार को यह मालूम है कि जो काश्तकार भूमिधर बन गये हैं उनसे भी जमींदारान पूरी मालगुजारी वसूल कर रहे हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---दो-एक शिकायतें आई हैं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां---कलेक्टर जिला को जो हिदायत लगान अदायगी के सिलसिले में भेजी गई है वह क्या यह हिदायत है कि वह इस रबी की फसल की मालगुजारी के अन्दर मुजरा दे दें ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---जितनी जल्दी इसका हिसाब तय हो जाय उसका इंतिजाम कर दें यह हिदायत है।

जमींदारों की सीर और खुदकाश्त पर नाजायज क़ब्ज़ा

*५८---श्री वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार को विदित है कि जब से धारा १८० और १६३ के अधीन बेदखली बन्द है, जमींदारान की सीर खुदकाश्त की जमीन पर लोग नाजायज क़ब्ज़ा कर रहे हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---जी नहीं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार को यह मालूम है कि जिन सीर और खुदकाश्त की जमीनों पर शिकमी तौर पर काश्तकारान काबिज हैं उन पर जमींदारान जबर-दस्ती क़ब्ज़ा कर रहे हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह---ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई।

*५९---श्री वीरेन्द्र शाह---[स्थगित किया गया।]

जिला जालौन में सरकारी खजाने में गबन

*६०—श्री वीरेन्द्र शाह—(क) क्या यह सच है कि जालौन जिला मे सरकारी खजाने मे गबन हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो कितने रुपयो का गबन हुआ और किस के द्वारा ?

(ग) इस सम्बन्ध मे सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हा।

(ख) ७०,००० रु० के गबन का अभी तक पता चला है। हिसाब जांचने का एक विशेष दल स्थिति को ठीक-ठीक जानने के लिये खजाने के हिसाबों की जांच कर रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मुख्यतः चौबे दामोदर दास खजांची गबन के लिये जिम्मेदार है।

(ग) जिले के अधिकारी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। जैसा कि बताया जा चुका है हिसाब जाचने का एक विशेष दल भी हिसाबो की जांच करने के लिये भेजा गया है।

श्री वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार इतने बड़े गबन जिले मे हो जाने से यह समझती है कि जिले के कर्मचारियों की ढिलाई के कारण ऐसा हुआ ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक पूरी जाच-पड़ताल नही हो जाती तब तक यह कहना मुश्किल है कि किसकी ढिलाई है और किसकी गलती है।

श्री वीरेन्द्र शाह—क्या आडिट रिपोर्ट आने पर सरकार उस पर कोई कार्यवाही करेगी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, इसीलिए जांच की कार्यवाही की जा रही है।

*६१-६८—श्री फखरुल इस्लाम—[स्थगित किये गये।]

जिलाधीश, इलाहाबाद को दावतें

*६९—श्री फखरुल इस्लाम—क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद का तबादला हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उन्होंने किस तारीख को चार्ज दिया ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हां मे है। उन्होने ३१ मई, १९५० ई० के अपरान्ह मे कार्य-भार छोड़ा।

*७०—श्री फखरुल इस्लाम—क्या यह सच है कि चार्ज देने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद एक महीने तक इलाहाबाद ही में ठहरे रहे ? यदि हां, तो क्यो ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नही मे है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*७१—श्री फखरुल इस्लाम—क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कुछ लोगों ने दावतें और ऐट होम दिये ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां, जिलाधीश को निजी तौर पर कुछ जलपान तथा खाने की दावतें दी गई थीं।

*७२—श्री फखरुल इस्लाम—क्या सरकार ने कोई परिपत्र (Circular) जारी किया है जिसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को दावतों में सम्मिलित होने से रोका गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके इस परिपत्र की एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खेगी ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हा, सबसे बाद के आदेशो की इस विषय मे एक प्रतिलिपि सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१५ पर)

श्री फखरुल इस्लाम——क्या गवर्नमेंट बतलाएगी कि इस सर्कुलर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने कितनी दावतें खाने की इजाजत मांगी हैं ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——किसी पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए कोई इजाजत नहीं मांगी जाती ।

श्री फखरुल इस्लाम——क्या जो २५–३० इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिए गए उन्हें गवर्नमेंट पब्लिक इंटरटेनमेंट समझती है या प्राइवेट इंटरटेनमेंट ।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——गवर्नमेंट को कोई इत्तिला नहीं है कि कोई पब्लिक पार्टी दी गयी ।

श्री फखरुल इस्लाम——क्या गवर्नमेंट जानती है कि इलाहाबाद मिल्क यूनियन और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन ने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जिसके वह प्रेसीडेंट हैं, दावतें दीं ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——माननीय मेम्बर को इल्म है तो वह सही होगा ।

श्री फखरुल इस्लाम——क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि इस सरक्युलर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने दावतें क्यों क़बूल कीं ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——जहां तक गवर्नमेंट को इत्तिला है इस सरक्युलर के खिलाफ नहीं की ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद——क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि प्राइवेट इंटरटेनमेंट और पब्लिक इंटरटेनमेंट वह किसको समझती है ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——जब आमतौर पर लोगों को बुलाकर एक पब्लिक जगह पर पार्टी दी जाय तो वह पब्लिक है, लेकिन निज में आप मुझको बुलाकर खिलावें तो मैं आपका अहसान मानूंगा और यह प्राइवेट होगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद——क्या सरकार बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और और दूसरे जो अफसर इस सरक्युलर के खिलाफ कार्यवाही करते हैं उनके खिलाफ क्या सजा मुकर्रर की गई है ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——यह तो हाइपाथेटिकल सा सवाल है, अगर कोई इसके खिलाफ कार्यवाही करेगा तो जिस तरह से उसका क़सूर होगा उसी तरह उसको सजा दी जायेगी ।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (क्रमागत)

धारा २२८

गांव पर निर्धारित मालगुजारी

२२८——(१) किसी गांव में स्थित भूमि के सम्बन्ध में सभी भूमिधरों और सीरदारों द्वारा देय कुल मालगुजारी उस गांव पर निर्धारित मालगुजारी समझी जायगी ।

(२) किसी गांव पर निर्धारित मालगुजारी पूरे गांव के अन्तर्गत सभी भूमि तथा उसके लगान, लाभ या उपज पर प्रथम भार (first charge) होगी ।

माननीय अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि धारा २२८ इस विधेयक का अंश मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा २२९

भूमिधर या सीरदार की भूमि पर मालगुजारी का दायित्व

२२९--(१) ऐसी भूमि को छोड़, जो इसके बाद प्रान्तीय सरकार के अनुदान या उसके साथ हुई संविदा द्वारा पूर्णतः या अंशतः मालगुजारी के दायित्व से मुक्त कर दी जाय, ऐसे व्यक्ति के पास की, जो उसका भूमिधर या सीरदार हो या समझा जाय, सभी भूमि पर, वह कहीं भी स्थित हो, प्रान्तीय सरकार को देय माल-गुजारी का दायित्व होगा।

(२) यद्यपि अभ्यर्पित (assigned), अभित्यक्त (released), अभिसंधित (compounded) या निष्क्रीत (redeemed) होने के कारण मालगुजारी प्रान्तीय सरकार को देय न हो, तब भी वह भूमि पर निर्धारित की जा सकती है।

(३) न तो किसी भूमि पर किसी के कब्जे का कोई दीर्घकालीनता (length of occupation) न इस विधान के प्रारम्भ से पहले सम्राट, प्रान्तीय सरकार या क्षेत्रपति द्वारा दिया गया कोई अनुदान ऐसी भूमि को मालगुजारी के दायित्व से मुक्त कर सकेगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २२९ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३०

भूमिधर और सीरदार का गांव पर निर्धारित मालगुजारी के लिये दायित्व

२३०--(१) गांव के सभी भूमिधर और सीरदार उस गांव पर समय विशेष पर निर्धारित मालगुजारी देने के प्रान्तीय सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे व्यक्ति, जिन्हे ऐसे भूमिधर और सीरदार के स्वत्व उत्तराधिकार द्वारा या किसी अन्य प्रकार से मिले वे उस स्वत्व को पाने के समय देय मालगुजारी की कुल बकाया के लिये उत्तरदायी होंगे।

(२) उपधारा (१) के निदेशों के होते हुए भी कोई भूमिधर या सीरदार, ऐसे खाते की, जिसमे वह पूर्णतः (wholly) या अंशतः स्वत्व रखता हो, माल-गुजारी की बकाया को छोड़ और किसी मालगुजारी की बकाया देने को तब तक न बाध्य (compelled) किया जायगा जब तक प्रान्तीय सरकार गजट मे विज्ञप्ति द्वारा यह न प्रख्यापित कर दे कि उपधारा (१) के निदेश किसी निर्दिष्ट क्षेत्र को लागू होंगे।

श्री एजाज रसूल--जनाब स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हूं कि धारा २३० की उपधारा १ के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा (१) रख दी जाय--

"(१) गांव के सभी भूमिधर और सीरदार अलग-अलग ऐसे खाते या खातो पर, जिस मे वह पूर्णतः (wholly) या अंशतः (or in part) स्वत्व रखते हों, समय विशेष पर

[श्री ऐजाज रसूल]

निर्धारित मालगुजारी देने के प्रान्तीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे, तथा ऐसे व्यक्ति, जिन्हे ऐसे भूमिधर और सीरदार के स्वत्व उत्तराधिकार द्वारा या किसी अन्य प्रकार से मिले वे उस स्वत्व को पाने के समय अपनी-अपनी देय मालगुजारी के बकाया के लिये उत्तरदायी होंगे।"

जनाब वाला, मेरी इस तरमीम का मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट ने दफा २३० मे हर काश्तकार, भूमिधर और सीरदार को जाइंटली (सयुक्त रूप से) और सेपरेटली (पृथक रूप से) जिम्मेदार करार दिया है। इस वक्त जब जमींदार काश्तकारों से लगान वसूल करते थे और काश्तकारों से लगान वसूल करने के बाद अगर किसी के ऊपर बकाया लगान रह जाता था तो सिर्फ उसी काश्तकार के ऊपर बकाया लगान की डिग्री होती थी और वही बेदखल होता था, लेकिन इस दफा के जरिये से गवर्नमेंट यह करने जा रही है कि हर काश्तकार सीरदार और भूमिधर अपने ही लगान का नही दूसरे के लगान का भी जिम्मेदार होगा। मसलन अगर वह काश्तकार ५ रुपया लगान देता है तो यह कहां तक मुनासिब होगा कि वह उसके लगान का जिम्मेदार हो जो कि ५ हजार लगान देता है। मै इस बात को मानता हूं कि गवर्नमेन्ट ने यह काम गांव की बकाया मालगुजारी के तरीके से रखी है, जोकि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के जरिये से जमींदारों के ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है वही चीज यहा पर भी गवर्नमेन्ट लागू करना चाहती है।

अब आप यह देखे कि गवर्नमेन्ट ने दफा २६० से लेकर २६२-सी तक इतने अख्तियार अपनी मालगुजारी वसूल करने के रखे है कि कुछ कहने की बात नही है। अगर आप देखे तो उसमे यह है कि वह भूमिधर और सीरदार को जेलखाने तक भिजवा सकते है उनकी जायदाद कुर्क कर सकते है, उनकी जायदाद नीलाम कर सकते है, गरज यह कि इसी किस्म के तरीके अख्तियार कर सकते है। लेकिन बावजूद इन सब तरीकों के जो अपने अख्तियार मे रखे है उसके बाद एक और दफा रख दी गई है और इससे गांव की जंजीरबन्दी कर दी गई है कि हर काश्तकार, चाहे वह भूमिधर हो या सीरदार हो, पूरे गाव के लगान का जिम्मेदार है। तो यह चीज कहां तक मुनासिब और जायज है? इस वक्त आप देखे कि डेढ़ करोड़ काश्तकार है। अब मुझे मालूम नही है कि कितने भूमिधर और कितने सीरदार बन जायेंगे और गवर्नमेन्ट किस सूरत से उनसे रुपया वसूल करेगी। इस अमेंडमेंट (प्रशोधन) से मेरा मकसद यह है कि हर काश्तकार या भूमिधर और सीरदार अपने-अपने खाते के लगान का जिम्मेदार हो, मुश्तरका जिम्मेदारी न हो। मगर गवर्नमेन्ट यह कह सकती है कि दफा २३० (२) के जरिये से जब तक लोकल गवर्नमेन्ट जो है वह अधिकार नहीं देगी उस वक्त तक जिले का कलेक्टर इस दफा को लागू नही कर सकता। मेरे ख्याल मे यह दफा महज मौजूदा एलेक्शन (चुनाव) आने की वजह से रखी गई है। क्योंकि मै ख्याल करता हूं कि इस वजह से गवर्नमेन्ट को वसूलयाबी मे जरूर दिक्कते पेश आयेंगी, इसलिये कि अगर उसे अपनी गांव पंचायतो पर पूरा विश्वास होता तो दफा २५२ इस कानून के अन्दर क्यों लाती? और उस दफा २५२ मे उसने यह अख्तियार दे दिया है कि गवर्नमेन्ट किसी शख्स को किसी एजेंसी को ठेका देसकती है क्योंकि गवर्नमेन्ट को अपना भरोसा नहीं है, और आखिर मे यही होगा कि अभी जो नेता लोग यहां मौजूद है वे या उनके ताल्लुकात वाले चाहे महमूदाबाद का इलाका हो या बलराम पूर का इलाका हो माननीय मंत्री जी के हुकुम से ठेका ले लेंगे और उनके जरिये या उनकी एजेंसी के जरिये वसूल होना शुरू हो जायगा और एक परवाना निकला करेगा कि और एक जमाव होगा कि भाई फलां-फला इलाके और परगने का इन्तजाम फलां के जिम्मे दिया गया है और इनके जरिये से यहां की वसूलयाबी होगी। क्योंकि अगर गवर्नमेन्ट को अपनी गांव पंचायतों पर इत्मीनान होता तो यह दफा २५२ लाती नहीं। अगर गवर्नमेन्ट को वसूलयाबी का इत्मीनान होता तो जब वह टिलरआफ दि स्वाइल (जमीन जोतने वाले) के लिये जमींदारी खत्म कर रही है तो पूरे गांव वालों को मुश्तरका जिम्मेदारी की जंजीरबन्दी मे क्यो कर रही है? जब कि दफा २६० से लेकर २६२ तक रुपया वसूल करने के मुख्तलिफ तरीके है। मै उम्मीद करता हूं कि अगर गवर्नमेन्ट वाकई काश्तकारों का भला चाहती है और चाहती है कि काश्तकार अच्छी तरह से रहे, तो मेरे ख्याल मे यह दफा निहायत सख्त है क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि आगे चल कर बड़े-बड़े जमींदार, जो आगे भूमिधर हो जायेंगे या जो बड़े-बड़े काश्त-

कार हैं वे भी इसके शिकार हो जायंगे। इसकी वजह यह है कि फर्ज कीजिये कि हमारे राजा साहब जगम्मनपुर या महाराजा बलरामपुर के देहात में मालगुजारी बकाया रह गई, तो सबसे पहले उन्हीं की जिम्मेदारी है और उनसे रुपया वसूल कर लिया जायगा, मगर उनको कोई तरीका नहीं बतलाया गया है कि वे अपना बकाया किस सूरत से वसूल करेंगे?

इस क़ानून में मैंने कोशिश की कि देखूं इस क़ानून के अन्दर ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) के लिये भी कुछ लिखा गया है या नहीं, तो फिर मालूम हुआ कि इस तरह से इसके अन्दर कोई बात नहीं है। अगर उस तरीक़े से रुपया वसूल हो जाय तो मैं समझता हूँ कि आप उस सूरत में रुपया वसूल कर सकते हैं। मगर मेरा मतलब यह है कि एक आदमी के ऊपर इस तरह का भार लादना किसी तरह से मुनासिब नहीं है। जो रुपया ग़रीबों को मिल सकता है वह खत्म हो जायगा। मेरी राय में तो आपको उनका तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी था, लेकिन आप इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे उसको नुक़सान पहुँचने का इमकान है। हर आदमी को अपनी बकाया का जिम्मेदार होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि अगर किसी दूसरे आदमी की बक़ाया की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाली जायगी तो उसके लिये बहुत नुक़सान होगा और कोई बात सहूलियत से नहीं हल हो सकेगी। अगर आप मौरूसी काश्तकार को कुछ देना चाहें तो बजाय इसके जो तरीक़ा सीरदार के लिये बना है वह खत्म हो जायगा। इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस तरमीम पर ग़ौर करें और भूमिधर और सीरदार को एक ही क़ानून के अन्दर न लायें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरमीम को मंजूर फरमायेंगे।

श्री साजिद हुसैन--जनाब स्पीकर साहब, यह ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) का सवाल जो विधान में सरकार ने उठाया है मेरे ख्याल में इससे और ज्यादा ग़लत तरीक़े का सवाल और नहीं हो सकता। कोई शख्स किसी भूमि को जोतता हो मगर उसकी मालगुजारी किसी दीगर शख्स से वसूल कर ली जायगी यह कहां का इन्साफ है और कहां की जस्टिस (न्याय) है? अगर कोई कलेक्टिव फाइन (सामूहिक जुर्माना) लगा दिया जाय तब तो सबसे वह वसूल किया जा सकता है, मगर इस तरह की जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालना किसी तरह से इन्सफ की बात नहीं कही जा सकती। जिसका कोई इंडिविजुअली (पृथक् रूप से) सबूत नहीं मिलता। इस वजह से वह कलेक्टिव फाइन मुक़र्रर किया जाता है। अगर यह भी कोई ऐसा सही तरीक़ा इंसाफ़ का नहीं माना गया है। मगर अब यह ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी दूसरों के टैक्सेज़ की खास तौर से डिफ़ाल्टर्स (दोषियों) की या उनका बोझ जो सालवेंट (ऋण चुकाने योग्य) या इंडस्ट्रियस (परिश्रमी) लोग हैं, अपना काम करते हैं, और अपने ऊपर जो टैक्स अदा करना हो अदा करते हैं, उन्हीं के ऊपर यह बोझ लाद दिया जाय, यह मेरे ख्याल में निहायत ग़लत चीज है और सरकार को इसको ऊंची नजर से देखना चाहिये कि यह एक ऐसा उसूल वे ला रहे हैं, ऐसी बेउसूली, मुझको कहना चाहिये, इस क़ानून में ला रहे हैं, जिससे जितनी जल्द वे हट जायं उतना ही अच्छा है। मैंने आपसे यह सिफारिश नहीं की कि आप किसी से लगान या जिसका आइन्दा नाम मालगुजारी होगा किस तरह से वसूल करें। मैंने यह नहीं सिफ़ारिश की कि आप कब सख्ती करें। इसका जब वक्त अयेगा तब देखा जायगा। मैंने यह नहीं कहा कि जो भूमिधर या सीरदार हैं उनके ऊपर आप, सख्ती कीजिये और दूसरों के साथ न कीजिये। यह दूसरा सवाल है। मगर आन दि सरफ़ेस (प्रत्यक्ष में) अगर आप देखिये कि दूसरे का टैक्स उससे लिया जाय जिसके जिम्मे वह न हो, यह बिलकुल ग़लत चीज है और मुझे उम्मीद है कि हर शख्स इस भवन में मेरी राय से इत्तफाक़ करेगा कि यह कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) जो है वह बिलकुल ग़लत चीज है। जिसके ऊपर जो बोझ टैक्स का हो वह उसी को अदा करना चाहिये। अगर फर्ज कीजिये कि अदा नहीं

[श्री साजिद हुसैन]

होता तो इतने आले सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं कि मेरे ख्याल में उसमें रुकावट नहीं हो सकती। फिर भी अगर किसी तरह से वसूली नहीं होती तो सरकार को वह चीज भुगतना चाहिये, क्योंकि सरकार का भुगतना बेहतर है बजाय इसके कि बेगुनाह एक प्रामप्ट पेमेन्ट (शीघ्र अदा) करने वाले शख्स से आप उसका बोझ वसूल करें। यह मेरे ख्याल में एक बहुत ही गलत उसूल होगा। फिर जैसा मेरे दोस्त ने कहा यह चीज उसूलन गलत है और आगे चल कर उसके एब्यूज (दुरुपयोग) होने के काफी अन्देशे रहते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्ज किया कि मुमकिन है कि किसी एक शख्स के हवाले कलेक्टिव एजेंसी कर दी जाय और बड़े-बड़े जमींदारों के इलाके बड़े-बड़े ठेकेदारों को मिल जाय और क्या रवैया उन लोगों का होता है यह कोई नहीं जानता। यह कह देना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह बेइंसाफी नहीं होने देगा यह एक बिलकुल गलत चीज है और गलत उसूल है और मेरे ख्याल में कानून की दुनिया में आज तक यह चीज नहीं आयी और अगर आयी भी तो वह गलत हुई और अगर गलत है तो उसको सही करने में इन्सान को पसोपेश नहीं करना चाहिए। ऐसी सूरत में मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बदनामी के टीकरे को अपने सर पर न आने देगी और इसको जरूर हटा देगी क्योंकि कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी एक बिलकुल बेउसूल चीज है और कोई वजह नहीं है कि सरकार इस स्टेज पर इसको न हटा दे। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस संशोधन की ताईद करता हूं।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--श्रीमान् जी, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है मुझे इससे पूरी सहानुभूति है। मैं समझता हूं कि कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी (सामूहिक उत्तर-दायित्व) अभी तक पुश्तेदारों के साथ जमींदारी के समय से लागू थी। मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूं कि कुछ पुश्तेदारान ऐसे थे, जिन्होंने कभी लगान दिया ही नहीं और उनका लगान दूसरों को भुगतना पड़ता था।

मैं समझता हूं कि किसी आदमी को दिया हुआ कर्जा दूसरे आदमी से वसूल करना गलत बात है। इसके अलावा सरकार के और भी बहुत से टैक्स हैं, जैसे इन्कम-टैक्स (आय-कर), सेल्स टैक्स (विक्रय-कर) वगैरह-वगैरह। इनमें किसी में भी कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी नहीं रखी गई कि आप किसी का टैक्स दूसरे से वसूल कर सकें। लगान के ही सिलसिले में कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी क्यों रखी जाय, यह मुझे समझ नहीं पड़ता है। लगान के वसूल करने के और सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। मौजूदा कानून से तो एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा कि जो लोग लगान नहीं देना चाहें वे न दें और वह दूसरों से वसूल किया जा सकता है। यह सिद्धान्त रूप से भी गलत है कि जो अच्छी हालत में किसान है वह अपना लगान नहीं देता है और उसका लगान एक दूसरे किसान से भी, जो अच्छी हालत में नहीं है, वसूल किया जा सके और जो अपना निजी लगान दे चुका हो। इनसे बदअमनी फैलेगी। किसान सोचेंगे कि बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि सरकारी कोर्ट आफ वार्ड्स में कुछ न कुछ रुपया ऐसा बजट में रखा जाता है जो नाकाबिले वसूली माना जाता है। जब नाकाबिले वसूली रुपया अब तक माना जा रहा है तो कोई वजह नहीं है कि अब आगे वह क्यों नहीं माना जाय। नाकाबिले वसूली रुपया किसी दूसरे से वसूल करना कहां तक जायज है, इसको मैं कहां तक वर्णन करूं, मैं समझता हूं कि इस कानून के बन जाने से काश्तकारों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। काश्तकार इसकी वसूली के लिये बेदखल किया जा सकता है। भूमिधरों की जमीन नीलाम की जा सकती है और और भी हजारों तरीके हो सकते हैं। जिनके जरिये से लगान वसूल किया जा सकता है। इतना कह करके मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसके ऊपर बहुत गौर से ख्याल करेगी और इस तरह का गलत कानून बनने से रोकेगी।

श्री सुल्तान आलम खां--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम श्री ऐजाज रसूल ने हमारे सामने पेश की है वह बहुत अहम तरमीम है। दफा २३० के मातहत जो तरीका मालगुजारी

की वसूलयाबी का रखा गया है वह ऐसा है, जिससे बहुत से ऐसे लोगों को तकलीफ पहुचने का काफी इमकान है जो हकीकत मे अपनी मालगुजारी देना चाहते हों और इसके बावजूद दूसरे की गलतियो की वजह से उन्हें दुश्वारिया उठानी पड़े। इस दफा मे बुनियादी और उसूली तौर पर यह माना गया है कि हर शख्स जो भूमिधर या सीरदार है, वह इस बात का पाबन्द है कि अपने जाती तौर पर और तमाम गाव की तरफ से मुश्तर्का तौर पर मालगुजारी अदा करे। अगर इस दफा के अन्दर यह बुनियादी बात नहीं माना गई होती और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी नाजुक हालत पेश आजाती जिसमे कि गवर्नमेंट इस किस्म के अख्तियारात हासिल करके बर्तना चाहती तो मुझे कोई एतराज नही होता। लेकिन अब मुझे एतराज तो यह है कि हमारे सामने ऐसी कोई इमर्जेंसी (आवश्यकता) नहीं है, जिसमे हमको इतने जरूरी अख्तियारात बरतने की जरूरत पड़े। जहां तक कि पिछले जमाने का ताल्लुक है, अंग्रेजों के जमाने मे भी इस किस्म की जिम्मेदारी कभी नही रखी गई। ऐसा हुआ था कि जिस जमाने मे जनरल नान-पेमेंट आफ टक्स (करों की साधारण अदम अदायगी) था उस वक्त उन्होने इमर्जेंसी पावर्स (आवश्यक अधिकार) हासिल की थी। उस इमर्जेंसी पावर को हासिल करने के बाद उस पर अमलदरामद किया और उसके मातहत मालगुजारिया वसूल की लेकिन जब तक कि ऐसी इमर्जेंसी नही आयी नार्मल टाइम्स (साधारण समय) हुए तो सिर्फ उसी कानून के जरिए काम लेने की कोशिश की जो कानून हमारे सामने था और जो एक सही कानून था। मै यह देखता हूं कि यहा दफा २३० मे हमने बुनियादी तौर पर यह बात मान ली है कि मालगुजारी दूसरे लोगों से भी वसूल की जा सकती है, अलबत्ता सेलेक्ट कमेटी की तरफ से उसमे एक तरमीम हो गयी है जो तरमीम बेहतरी की तरफ है। यह मै मानता हूं कि इस किस्म के अख्तियारात सिर्फ उन्ही मुकामात पर बरते जायगे जहा गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन (विज्ञप्ति) कर दिया जायगा, लेकिन इसका असर खास तौर पर जो पड़ता है वह यह है कि जिस वक्त यह कानून अजला मे जायगा और जिस वक्त वहा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरे हुक्काम उसे पढ़ेगे तो उन्हे यह मालूम होगा कि इसके अन्दर यह अख्तियारात बुनियादी तौर पर दिये जा चुके है कि हमको इस बात का हक हासिल है कि हम अपनी सहूलियत के लिए मालगुजारी जिससे चाहें उससे वसूल करवायें। इस तरह जब वह चाहेगे तब गवर्नमेंट के पास लिख देगे कि हमारे यहा इस बात की जरूरत है कि नोटिफिकेशन कर दिया जाय ताकि हम अपने अख्तियारात को बरत सके। अगर यह चीज बुनियादी तौर पर नही होती और किसी वक्त इमर्जेंसी होती तो हुक्कामान को सौ दफा यह सोचना पड़ता कि हम पहले मालगुजारी वसूल करने की पूरी कोशिश कर ले तब गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन के लिए लिखे और फिर उस वक्त गवर्नमेंट का फर्ज होता कि वह वाकयात, जरूरत और सरकम्सटासेज (परिस्थिति) को मद्दे नजर रखते हुये इस किस्म के अख्तियारात अपने आफिसरों को दे, जिनके जरिये मालगुजारी वसूल की जाय, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। सिलेक्ट कमेटी मे जो तरमीम इसमे की गई है वह बेहतरी की तरफ ले जाती है और उसे मै पसन्द करता हूं। लेकिन मै यह समझता हूं कि जो गलत किस्म की स्प्रिट (भावना) इस दफा मे पैदा हो जायगी उसका हल उस सब-क्लाज से जो नीचे जोड़ा गया है, पूरा नहीं होता। मै माननीय मत्री को यह भी याद दिलाऊगा कि मालगुजारी की वसूलयाबी के लिए जो दफा २६० रखी गयी है उसको वह गौर से एक मर्तबा पढ़े। उससे मालूम होता है कि मालगुजारी वसूल करने के लिए हर किस्म के अख्तियारात गवर्नमेंट ने अपने पास रखे है, कुर्की हो सकती है, नीलाम हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है और सब कुछ हो सकता है। अलबत्ता उसमे भी थोड़ी तरमीम सिलेक्ट कमेटी मे हुई है। उस तरमीम को भी मै मुनासिब तरमीम समझता हूं। २६० (बी) मे जो तरमीम हुई है सिलेक्ट कमेटी के जरिए वह यह है कि किसी को गिरफ्तारी अपनी मालगुजारी के न देने के सिलसिले मे हो सकती है, लेकिन दूसरे को मालगुजारी के न देने के सिलसिले मे नहीं हो सकती है। हमारे माननीय मत्री को याद होगा कि यह चीज जो की गयी है यह उस दफा से बेहतर है जो दफा सिलेक्ट कमेटी के सामने थी। उस दफा मे यह नहीं था कि हर शख्स की गिरफ्तारी सिर्फ अपनी ही मालगुजारी की बकाया के सिलसिले मे होगी बल्कि उसमे यह था कि हर शख्स की मालगुजारी की बकाया के सिलसिले मे गिरफ्तारी हो सकती है। जाहिर है कि यह चीज बहुत ज्यादा सख्त थी तब ही गवर्नमेंट ने उसे महसूस किया और महसूस करने के बाद गवर्नमेंट ने इस बात को मान

[श्री सुल्तान आलम खां]

लिया कि गिरफ्तारी सिर्फ उसी सूरत में की जाय कि जब अपनी जाती मालगुजारी बाक़ी हो। अगर दूसरों की मालगुजारी बाक़ी हो तो कुर्की, नीलाम और सब कुछ किया जाय, लेकिन गिरफ्तारी न की जाय। इससे जाहिर होता है कि इस चीज को महसूस किया गया है कि इस क़िस्म की जो चीज रखी गयी थी वह बहुत ही सख्त थी और उसका रहना मुनासिब नहीं था।

एक चीज और यह है कि अभी तक यह होता था कि एक जगह एक शख्स जिम्मेदार बना दिया जाता था कि वह वहां के दूसरे जमींदारों से मालगुजारी जमा करके अदा कर दे। हमें यह भी मालूम है कि जो नम्बरदार दूसरे जमींदारों की तरफ से मालगुजारी वसूल करके अदा करता था उसको नम्बरदारी का कुछ मुआविजा भी मिला करता था और उस मुआविजे के सिलसिले में लोग जिम्मेदारी उठाते थे कि वह दूसरे लोगों की मालगुजारी वसूल करे और वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करते थे और वह क़ानून के मातहत जमींदारों से मुआविजे की सूरत में कुछ रक़म वसूल करते थे। लेकिन यहां यह सूरत है कि कोई बड़ी-बड़ी मालगुजारी के रखने वाले दूसरे जमींदार नहीं होंगे, बल्कि उसमें सीरदार होंगे, भूमिधर होंगे, और ऐसे होंगे जो ५-१० रुपया मालगुजारी देंगे और कितनों की मालगुजारी तो आनों में भी होगी। इन लोगों की मालगुजारी जमा करना और उसे खजाने में पहुंचाना और फिर हर शख्स की ए, बी, सी और डी, सब की जिम्मेदारी ली जाय यह कितना मुश्किल काम है। यह आसान काम नहीं है। जिन अफसरान को या और लोगों को उन मौजों में काम करने का मौक़ा मिला है, जो पट्टीदारी के छोटे-छोटे मौजे हैं उनको मालूम होगा कि वहां की थोड़ी-थोड़ी मालगुजारी की रक़म का जमा करना कितना मुश्किल है। और पट्टीदारी वाले मौजों से सीरदारों और भूमिधरों से रक़म वसूल करना और जमा करना ज्यादा मुश्किल है। वसूलयाबी का तरीक़ा क्या होगा, आया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या पंचायत वसूल करेंगे या कोई तीसरे शख्स होंगे, यह हमको नहीं मालूम है। आइंदा रूल्स (नियमों) के जरिये से यह तय होगा। कोई नक़शा या तस्वीर भी हमारे सामने नहीं है। आप सोचिये, गवर्नमेंट, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज (साधन) वसीले और जरायें हैं, इतना बड़ा स्टाफ (कर्मचारीगण) है, उसकी पंचायत और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वह सब लोग मिलकर इस काम को करने के जिम्मेदार नहीं होंगे, वह इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक शख्स चुन लिया जायगा और वह जिम्मेदार होगा कि वह तमाम गांव की मालगुजारी वसूल करे और खजाने में जमा करे। ऐसा भी कोई प्रिकाशन (सावधानी) नहीं है कि ऐसा ख्याल रखा जाय कि कोई शख्स जिसके ऐसे सरकम्स्टांसेज (परिस्थिति) हों या इस क़ाबिल नहीं हो कि इस तरीक़े से वसूल करके गवर्नमेंट को पहुंचा दे तो ऐसे लोगों को मुस्तसना कर दिया जाय। ऐसा भी नहीं किया गया है बल्कि वसूली का अख्तियार दे दिया गया है, किसी को मुस्तसना नहीं किया गया है। हर एक की जिम्मेदारी है कि वह वसूल करे। मैं समझता हूं कि यह ऐसी चीज है जो गौर तलब है। काश्तकारों का लगान आधा हो रहा है, जमींदारी खत्म हो रही है और काश्तकार भी इससे मुतमइन है क्योंकि उसको लगान कम देना पड़ रहा है। कोई वजह नहीं है कि वह आसानी से अपना लगान न दे दे। ऐसी सूरत में ऐसा अन्देशा करना कि हमारे सामने कोई इमर्जेंसी (आकस्मिक आवश्यकता) है जिससे लगान वसूल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है और अगर ऐसी इमर्जेंसी आ भी जाय तो भी हम उसके आर्डिनेंस बना सकते हैं, सेशन बुला कर दूसरा क़ानून बना सकते हैं और उससे वक्ती तौर पर काम ले सकते हैं। जहां तक नार्मल टाइम्स (साधारण समय) का ताल्लुक़ है उसके अन्दर तो ऐसा ही क़ानून होना चाहिये जो बिलकुल साफ हो, जो किसी का पिंच (कष्ट युक्त) न करे और उसके अन्दर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, जिससे दूसरे लोग यह महसूस करें कि हमको यह हक़ और अख्तियार हासिल है कि जिस तरह से चाहें मालगुजारी वसूल कर लें सिर्फ कमी इस बात की है कि गवर्नमेंट की चिट्ठी लिख दें और गजट में नोटिफिकेशन (विज्ञप्ति) निकल जाय। तो लोगों के ऊपर ऐसा इम्प्रेशन (ख्याल) कर दिया जाय कि हमको यह अख्तियार मिल रहा है, यह बुनियादी तौर से चीज मान ली गयी है, यह न सूबे के लिये मुनासिब होगा, न हुक्काम के लिये, आफिशियल्स के लिये मुनासिब

होगा। आखिर क्या दिक्कत है ? गवर्नमेंट ने हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं रखी जिससे हम समझ सकते कि ऐसी बात मानने के काफ़ी वजूहात हैं कि अगर ऐसा क्लाज नहीं रखा गया तो मालगुजारी वसूल नहीं होगी। इमर्जेन्सी नहीं है तो जो चीज मौजूद ही नहीं है उसको क़ायम करके फरजी तौर से एक चीज पेश करना यह किसी तरह से मौजूं और मुनासिब नहीं है।

अगर किसी तौर पर भी यह चीज जायज होती तो मैं समझता हूं कि किसी शख्स को इस बात से इन्कार न होता कि गवर्नमेंट को ऐसे अख्तियारात दे दिये जाय। लगान आधा हो चुका है। बहुत आसानी से वसूलयाबी हो सकती है। ऐसी सूरत में क़ानून को ओवरबर्डेन (अत्यन्त बोझ डालना) करना और ऐसे गैर जरूरी अख्तियारात देना, जिनके बरतने की बजाहिर कोई उम्मीद नहीं है, मैं समझता हूं कि यह क़ानून बनाने के उसूल के मुआफिक़ नहीं है। इस वजह से मैं माननीय मंत्री से फिर दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मसले पर गौर करें और मुझे यक़ीन है कि अगर वह इस पर काफ़ी गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह वाक़ई गैर जरूरी है। इसमें मुश्तर्का जिम्मेदारी का सवाल पैदा ही नहीं होता है। हर शख्स की अलहदा–अलहदा जिम्मेदारी हो।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो तक़रीरें इस संशोधन पर हुई हैं, मुखालिफत की तरफ से हुई हैं। मैंने उनको गौर से सुना और उनको समझने की कोशिश की, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिन बातों का जिक्र इसमें किया गया है किसी गलतफहमी पर मबनी है। मिसाल के तौर पर मैं अपने माननीय मित्र कुंवर सुरेन्द्र बहादुर सिंह की तक़रीर का जो मतलब समझा, उन्होंने यह फरमाया कि लगान के संबंध में मुश्तर्का जिम्मेदारी होना नामुनासिब और गैर जरूरी है। मेरे लायक दोस्त जनाब सुल्तान आलम खां साहब ने फरमाया कि इस वक्त तक कोई ऐसा क़ानून नहीं है, जिससे कोई शख्स दूसरे की मालगुजारी की अदायगी के लिए मजबूर किया जाय। हमारे ऐजाज रसूल साहब को इस बात पर और ताज्जुब है और राजा साजिद हुसैन साहब को तो हर बात पर ताज्जुब होता है, यह कोई नई धारा नहीं है। जहां तक हमारे नवाब साहब का ताल्लुक़ है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह लगान का मसला नहीं है, यह मालगुजारी का मसला है। लगान के मसले में मुश्तर्का जिम्मेदारी देना वाक़ई नामुनासिब है और क़ानून की तवारीख में लगान के संबंध में ऐसी मुश्तर्का जिम्मेदारी नहीं पायी जाती। लेकिन यहां तो लगान का नहीं, मालगुजारी का सवाल है। जैसा कि इस विधेयक में साफ तौर से बताया गया है, यह मालगुजारी होगी, जो भूमिधर अपनी जमीन के बारे में सरकार को अदा करेंगे। लगान और मालगुजारी में हमेशा फर्क रहा है। लिहाजा जब तक इस फर्क़ की तमीज ठीक तौर से न कर लें तब तक लगान और मालगुजारी को एक मानकर बहस करना गलत बात होगी। हमारे सुल्तान आलम खां साहब का यह कहना कि धारा २६० में सरकार ने सारे अख्तियारात लगान की वसूलयाबी के लिए हैं, लिहाजा उसके बाद ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी के सवाल को रखना, ऐसी तवारीख में कोई मिसाल नहीं है। मैं अपने मित्र की आगाही के लिए धारा १४२, ऐक्ट मालगुजारी, जो कि असें दराज रायज है, और धारा १४६, ऐक्ट मालगुजारी—इन दोनों को पढ़ना चाहता हूं —

धारा १४२—

"All the proprietors of a mahal are jointly and severally responsible to Government for the revenue for the time being assessed thereon, and all persons succeeding to proprietary possession therein, otherwise than by purchase under section 160, shall be responsible for all arrears of revenue due at the time of their succession."

(महाल के सब स्वामी उस पर अनुमति मालगुजारी के लिये, वर्तमान समय में संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से, सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं, और ऐसे सब व्यक्ति, जो सेक्शन १६० के अन्तर्गत क्रय के अतिरिक्त और किसी रीति से उसमें स्वाम्याधिकार का उत्तराधिकार पावें मालगुजारी की उस सब बक़ाया रक़म के लिये उत्तरदायी होंगे जो उनके उत्तराधिकार के समय देय हो।)

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

इस धारा से यह बखूबी साबित है कि एक मोहाल में जितने प्रोप्राइटर्स (मालिक) होते हैं वह उस मोहाल की मालगुजारी के लिये ज्वाइंटली (संयुक्त रूप से) और सेवरली (अलग-अलग) रेस्पांसिबिल (जिम्मेदार) होते हैं। अब यह कहना कि यह अख्तियारात जब कि २६० में सरकार को दिये गये हैं तो फिर २३० में इसे लेना नामुनासिब और अनुचित बात है यह गलत है। धारा २६० के पैरेलल (समानान्तर) जो धारा १४६ इसमें है वह मैं पढ़ता हूं —

'An arrear of revenue may be recovered by one or more of the following processes:

(a) by serving a writ of demand or a citation to appear on any of the defaulters.

(b) by arrest and detention of his person;

(c) by attachment and sale of his movable property;

(d) by attachment of the specific area, share, patti or mahal in respect of which the arrear is due

(e) by transfer of such share or patti to a solvent co-sharer in the mahal

(f) by annulment of the settlement of such patti or of the whole mahal,

(g) by sale of such specific area or patti or of the whole mahal,

(h) by sale of other immovable property of the defaulter."

[मालगुजारी की बक़ाया निम्नलिखित रीतियों में से किसी एक रीति या अधिक रीतियों से वसूल की जा सकती है :—

(क) बाकीदारों में से किसी एक को लिखित मांग या उपस्थित होने के लिये आदेशपत्र भेज कर ;

(ख) उसको गिरफ्तार करके निरोध में रख कर ;

(ग) उसकी चल सम्पत्ति को कुर्क करके उसे बेच कर ;

(घ) जिस निश्चित क्षेत्र, हिस्से, पट्टी या महाल की बकाया देय हो, उसको कुर्क करके ;

(ङ) उस हिस्से या पट्टी को महाल के ऐसे साझीदार को हस्तान्तरित करके, जो रक़म देने में समर्थ हो ;

(च) ऐसी पट्टी या सम्पूर्ण महाल के बन्दोबस्त को रद्द करके;

(छ) ऐसे निश्चित क्षेत्र या पट्टी या सम्पूर्ण महाल को बेच कर;

(ज) बाक़ीदार की अन्य चल सम्पत्ति को बेच कर]

जो अख्तियारात २६० में लिये गये हैं इससे कहीं ज्यादा दफ़ा १४६ ऐक्ट मालगुजारी में थे। लेकिन इन अख्तियारात के होते हुये भी धारा १४२ को रू से प्रोप्राइटर्स (मालिक) पर ज्वाइंट (संयुक्त) और सेवरल (अलग-अलग) रेस्पांसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) का क़ानून रखा गया था। लिहाजा यह बहस इससे गलत होती है कि दफ़ा २६० के रहते हुये दफ़ा २३० में अख्तियारात की जरूरत नहीं थी। और दफ़ा २६० के अख्तियारात के बाद २३० के अख्तियारात होना गलत और नामुनासिब है। हमारे लायक दोस्त ने एक बात और कही कि कोई इमर्जेंसी साबित नहीं हुई। सरकार को इमर्जेंसी में आउट करनी (बनानी) चाहिये तभी वह जस्टीफाइड (न्याययुक्त) होगी धारा २३० के अख्तियारात हासिल करने के। मैं कहता हूं कि यह भी बहस गलतफहमी पर मबनी है। हमारे लायक़ दोस्त गालिबन टेनेंसी ऐक्ट की

उस धारा को सोच करके ऐसी बहस कर रहे हैं जहां काश्तकारों के दर्मियान में अगर जेनरल रिफ्यूजल टुपेदिरेट (लगान अदा करने से साधारण इन्कार) हो तो वहां उस धारा का प्रयोग करके गवर्नमेंट रेवेन्यू (मालगुजारी) सब लोगों से वसूल की जाती है। वह केवल काश्तकारों के लिये है वह जमींदारों के लिये कभी एप्लाई (लागू) नहीं होता। वह लगान के लिये लागू होता है मालगुजारी के लिये कभी नहीं होता। तो जब इस प्राविजन (निदेश) को रखा गया था तो इसमें इमर्जेंसी का सवाल नहीं था इसमें जो सरकारी नीति रखी गई थी वह इसलिये कि उसकी वसूलयाबी हर तरह से हो जाय। वह इसी नुक्ते ख्याल से रखा गया था। यह जो मालगुजारी आती है वह किसी ऐसी सरकार की नहीं है जो विदेशी सरकार हो। यह तो जनता का रुपया होगा और सारे सूबे की मिल्कियत होगी। लिहाजा यह अवाम के इंटरेस्ट (हित) में है कि इस रुपये की वसूलयाबी की हर तरह से हिफ़ाजत की जाय और हर तरह से कोशिश की जाय कि यह रुपया वसूल हो करके सरकारी खजाने में आ जाय। इस नुक्ते ख्याल से ही यह बात रखी गई थी। हां, कुछ दिक्कतें बतलाई गई हैं कि इसमें दिक्कतें होने का अन्देशा है और जैसा कि हमारे नवाब ऐजाज रसूल साहब या राजा साहब या और हमारे मित्र समझते हैं वह खतरा हरगिज होने का नहीं है। हमारे सुल्तान आलम साहब ने बतलाया कि धारा २३० में सब-क्लाज (२) सलेक्ट कमेटी में जोड़ा गया और यह मुमकिन है कि वह बेहतरी की तरफ जाता है। उससे आम तौर में जो खतरात थे उनमें कमी हो जाती है।

यह माना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखेंगे, लेकिन प्राविंशियल (प्रान्तीय) गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह उस पर विचार करे। यह मान लेना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो लिखेंगे प्राविंशियल गवर्नमेंट कतई वही करेगी, ख्वाह इस प्राविजन को लगाने की जरूरत हो या न हो, मैं कैसे कहूं कि गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि प्राविंशियल गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी और जैसा मुनासिब समझेगी वैसा करेगी और ऐसी बात नहीं होगी कि किसी के कहने पर ही सरसरी तौर से लागू कर दिया जायगा और लोगों की परेशानी को किसी तरह से बढ़ाया जायगा। आपको यकीन रखना चाहिये कि प्राविंशियल गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत समझदारी रखती है और थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेती है और आपको यह समझना चाहिये कि प्राविंशियल गवर्नमेंट भी जनता की हुकूमत है, जनता के लिये है और जनता की बहबूदी का ख्याल यह सरकार के दिल में भी रहता है।

मैं अपने मित्र सुल्तान आलम खां का बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने दो-एक बातों का हवाला देकर हमारी कठिनाई को कम किया। धारा २६०-क और सेकंड प्राविजो (द्वितीय प्रतिबन्ध) भी इसलिये रखा गया है कि किसी को किसी दूसरे की मालगुजारी के लिये गिरफ्तार न किया जा सके। यह धारा भी बंदिश पैदा करती है और इसके एब्यूज (दुरुपयोग) होने या इससे ज्यादा हार्डशिप (कष्ट) होने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हर तरह से प्रयत्न किया गया है कि यह किसी तरह से एब्यूज न हो। एब्यूज की रोक-थाम के लिये ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी रखना जरूरी है। हर तरह से गवर्नमेंट की यह कोशिश रही है कि इसके एब्यूज होने की गुंजाइश को जितना कम कर सकते हैं उतना किया जाय।

हमारे लायक दोस्त नवाब ऐजाज रसूल साहब ने एक बड़ा पर्टीनेंट (युक्त) सवाल किया। वह कहते हैं कि इस विधेयक में इस बात का कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है कि अगर कोई शख्स दूसरे के हिस्से की मालगुजारी अदा करता है तो वह उसका रुपया किस तरह से वसूल करे। सवाल बड़ा माकूल था और मुझे बड़ी खुशी है हमारे दोस्त भी कभी माकूल सवाल कर देते हैं। मैं उनकी तवज्जह धारा २३१ की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं श्रीमान जी की आज्ञा से इस धारा को पढ़कर अपने मित्र को इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि और आगे भी एक बात बताऊंगा जिससे कि उनका शक रफ़ा हो जायगा और उनके रास्ते में जो दिक्कत है वह भी दूर हो जायेगी और मुझे उम्मीद है इसके बाद वह अपनी तरमीम को वापस ले लेंगे।

धारा २३१ यह है —

"यदि किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने अंश से अधिक मालगुजारी दी हो, तो वह दूसरे भूमिधरों और सीरदारों से उनकी ओर से इस प्रकार दिये गये अधिक धन की क्षतिपूर्ति करा सकता है (may require to reimburse)"।

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

हमारे मित्र किसी वकील से मशविरा लेंगे, लखनऊ मे बड़े-बड़े वकीलों की कमी नही है, तो जान लेंगे कि यह क़ानून है कि अगर किसी शख्स को मजबूर किया जाता है दूसरे की लाइबिलिटी (देय) पे करने (देने) के लिये तो वह उसके खिलाफ दावा करके अपना रुपया वसूल कर सकता है।

श्री गुरु नारायण--२६४ मे रूल्स (नियम) बनायेंगे तभी तो यह हो सकता है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--मैंने अभी नवाब साहब से दरख्वास्त की और आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि अगर वकील से पूछिये तो जान लेंगे कि ऐसा है। हमारे मित्र पालन जी बैठे है उनसे पूछ लीजिये। इसलिये जो दिक्कत हमारे दोस्त ऐजाज रसूल साहब को मालूम होती है वैसी कोई दिक्कत वसूलयाबी मे नहीं है।

लिहाजा मै यह अर्ज करूंगा कि यह तरमीम जो नवाब साहब ने पेश की है, यह जिस मकसद से पेश की हो लेकिन वह प्रोपेगेंडे (प्रचार) का मकसद पूरा नहीं हो सकता। लोग इसे समझते है। हां, इससे डर बड़े भूमिधरों को जैसे राजा जमशेद अली खां को हो सकता है, कुंवर गुरु नारायण को हो सकता है हालांकि यह उनका महज ख्याल है। छोटे भूमिधरों को तो इससे जरा भी खतरा नहीं है। उन्हें दस पांच रु० देने है जिसे वह फौरन अदा करेंगे। बाकीदार की फेहरिस्त मे उन्होंने कभी नाम नहीं लिखाया। आज कल किसान बाकी नहीं रखते। वे आदी हो गए है अपने लगान को अदा करने के। मालगुजारी भी वे वक्त से अदा करेंगे। चूंकि यह गवर्नमेंट नयी बनी है लिहाजा इसकी हिफाजत हर तरीक़े से होनी चाहिए। हिफाजत के ख्याल से यह बाते रक्खी गयी है। दूसरे ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी की वजह से गांव पंचायतें है, गांव सभाएं मुक़र्रर की गयी है। अब तो लोग आपस मे मिल कर गांव का इंतजाम करेंगे, लोगों में स्पिरिट (भावना) पैदा होगी कि अपनी लायबिलिटी को अदा करे और चूंकि सबकी जिम्मेदारी रहेगी, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और मदद करके बकाया अदा कराने मे सहूलियत पैदा करेंगे। मैं अपने दोस्त ऐजाज रसूल से कहना चाहता हूं कि अब तो पंचायतों मे दीवानी के छोटे-छोटे दावे होने लगे है। आप उसमे दावा दायर कर सकते है। कोर्ट फीस भी नहीं लगेगी, वकील भी नहीं करना पड़ेगा। गांव की पंचायते है। वे सारा हाल जानती है। नवाब साहब की डिग्री हो जायगी और वसूलयाबी भी हो जायगी। लिटीगेशन में खर्चे की भी गुन्जाइश नहीं है। यह सब बाते रक्खी गयी है। इसमे कोई डरने की बात नहीं है। बराय मेहरबानी अब इस तरमीम को वापस ले लीजिए। दफ़ा मे पूरी तरह मे बन्दिश कर दी गयी है कि उसका एब्यूज न हो।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री ऐजाज रसूल साहब ने पेश किया है मै उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यह बहुत ही नामुनासिब मालूम होता है कि एक अच्छे मेहनती और सम्पन्न काश्तकार से रुपया वसूल किया जाए, किसके लिए, एक ऐसे काश्तकार के लिए जो नहीं जोतता है, काम ठीक तौर से नहीं करता है, न वह इस काबिल है कि अपना लगान या मालगुजारी ठीक तौर से अदा कर सके। उस रुपये को दूसरे काश्तकार से वसूल किया जाय, यह बहुत नामुनासिब बात है। हमारे माल मंत्री ने एक बहुत बड़ी तफरीक इस बात की पेश की कि यह लगान नहीं है, यह मालगुजारी है और मालगुजारी का पहले भी यही तरीक़ा था और उन्होंने कोई धारा पुराने टेनेन्सी ऐक्ट की पढ़ कर भी सुना दी। वह यह भूल जाते है कि मालगुजारी और लगान की तफरीक उस वक्त थी जब जमींदार मौजूद थे जब जमींदार मालगुजारी देते थे तब काश्तकार लगान देते थे। आज चाहे उसका नाम आप मालगुजारी रखिये या लगान रखिये वह देना तो भूमिधर को ही पड़ेगा। इसलिये अगर आप भूमिधर के ऊपर ऐसी सख्ती करेंगे तो मै समझता हूं कि वह मुनासिब नहीं है। एक और बात माननीय माल मंत्री साहब ने फरमाई कि यह रुपया किसी न किसी तरीक़े से सरकारी खजाने में आना ही चाहिये क्योंकि यह सब रुपया जनता की सेवा में लगाया जावेगा और अगर्चे यह रुपया सरकारी खजाने में न आया तो जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो भी उसका यह तरीक़ा नहीं है कि आप एक के बदले दूसरे से वसूल करें। आपने खुद इस बात को देखा

और क्लाज दो में इस खतरे को महसूस करके उसको थोड़ा सा ढीला किया। खुद आपने अपनी तक़रीर में फरमाया कि खतरा जरूर है, लेकिन हम इस बात का वायदा करते हैं और हम इस बात को देखेंगे कि ऐसा न हो।

माननीय श्री हुकुम सिंह––मैंने यह कभी नहीं कहा कि खतरा जरूर है मैंने तो यह कहा था कि नवाब साहब अगर खतरा समझते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश की जायगी।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना––अगर खतरा नहीं है तो किस चीज को दूर करने की कोशिश की जायगी। खतरा न होता तो दूर करने की जरूरत ही न पड़ती। खतरात के लिये खुद आपने कहा कि हमने इसके लिये क्लाज २ रखा है। आपने यह भी कहा कि पंचायतें खुल गई हैं जहां आप बगैर कोर्ट फ़ीस के दावा कर सकते हैं और फौरन अपना रुपया वसूल कर सकते हैं। अगर खतरा नहीं है तो उसे कचहरी में जाने की जरूरत ही क्या पड़ी। जब जमींदारी हट गई तो हमको यह चीज नहीं रखनी चाहिये। इसकी उस वक्त जरूरत थी जब कि जमींदार इंटरमिडियरी (मध्यवर्ती) था। जब वे हट गये तो इस पुराने ढांचे पर क़ानून बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि जमींदारों के हट जाने के बाद इस धारा की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिये जो संशोधन ऐजाज रसूल साहब ने पेश किया है, मैं समझता कि वह भूमिधरों के फायदे की चीज है, इसलिये मैं उसकी ताईद करता हूं।

श्री राधामोहन सिंह––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी भवन के सामने पेश हुआ है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। संशोधन में यह कहा गया है कि मालगुजारी को अदा करने का उत्तरदायित्व अलग–अलग होना चाहिये, संयुक्त नहीं होना चाहिये। यह तो एक बहुत पुराना रिवाज है। अगर इसके इतिहास को देखा जाय तो जिन मित्रों ने इस संशोधन को उपस्थित किया है वे बराबर इसका समर्थन करते रहे हैं कि जिम्मेदारी संयुक्त होनी चाहिये। इस वक्त भी माननीय मंत्री महोदय ने उसको अच्छी तरह से भवन के सामने रख दिया है। इसके मुताल्लिक़ पहिले भी क़ानून जारी था। जब आज हम एक नया क़ानून बना रहे हैं, एक नयी व्यवस्था बना रहे हैं तो फिर से इस बात पर विचार करना असंगत न होगा।

सवाल यह है कि जिम्मेदारी तमाम समाज की होनी चाहिये, संयुक्त होनी चाहिये या जैसा कि संशोधन में है अलग–अलग होनी चाहिये। असल में इसके अन्दर जो भाव है वह यह है कि सरकार का अब सीधा सम्पर्क भूमिधर और सीरदार से होगा, बीच में कोई मध्यवर्ती नहीं होगा। और अगर जिम्मेदारी संयुक्त रहती है तो उसका एक दूसरा ही नतीजा होगा और अलग–अलग रहती है तो उसका दूसरा ही नतीजा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार की दिक्क़तों को सामने रखते हुये हमको भूमिधरों और काश्तकारों के प्रश्न पर यहां विचार करना चाहिये। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम संयुक्त उत्तरदायित्व क्यों रखें? संयुक्त उत्तरदायित्व वहीं रखा जाता है या रहना चाहिये जहां पर आपस में जो सहकाश्तकार हैं, उनका कोई सम्बन्ध हो या आपस में कोई स्वार्थ हो। यहां पर इस विधान के जरिये से यह व्यवस्था की गयी है कि नये समाज के निर्माण में गांव का पूरा–पूरा समाज तमाम जमीन का एक तरह से मालिक होगा, उसका प्रबन्धकर्त्ता होगा और इसी वजह से इस नये विधान के अन्दर माल–गुजारी वसूल करने की जिम्मेदारी समाज पर रखी गयी है और इस विधान के अन्दर यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई जमीन खाली पड़े तो उसका भी प्रबन्ध गांव समाज की तरफ से होगा और वह संयुक्त होगा। जितने भी गांव के बसने वाले हैं उन सबका संयुक्त स्वार्थ है और मालगुजारी वसूल करने का अधिकार और उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। अगर ऐसा न किया जाय तो आज तक तो चन्द लाख जमींदार थे और मालगुजारी वसूल करने में सैकड़ों तरह की दिक्क़तें थीं, परन्तु अब उसकी जगह सीधा सम्पर्क काश्तकारों से सरकार का हो रहा है और उसकी वसूली का प्रश्न इतना बड़ा हो जायगा कि इसमें बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसलिये विधान के अन्दर यह व्यवस्था की गयी है कि मालगुजारी की अदायगी गांव–समाज की तरफ से हो। गांव–समाज को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि तमाम परती जमीन व नाले वगैरह का उत्तरदायित्व भी उसी के ऊपर है। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था करना

[श्री राधामोहन सिंह]

अनुचित नहीं है और ख्वामख्वाह अगर हम ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो राष्ट्र के लिये, इस राज्य के प्रबन्ध के लिये एक बहुत बड़ा मसला उपस्थित हो जायगा। इसलिये इन सब कारणों से मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था धारा २३० के अन्दर की गई है वह ठीक है और इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिये जो संशोधन अभी पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, अभी मुझसे पहले ठाकुर राधा मोहन सिंह जी तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर को मैंने बहुत गौर से सुना। आखिरी चीज जो खास तौर से उन्होंने अपनी तक़रीर में फरमायी, वह यह थी कि हमें यह अन्देशा है कि लगान, जिसका नाम मैं मालगुजारी रखता हूं, उसके वसूल करने में हमें बड़ी दिक्कत पेश आयेगी। तो मैं उनकी बात का जवाब सिर्फ दो जुमलों में देना चाहता हूं। मुझे बड़ी हमदर्दी है उनके इस ख्याल से और मेरा तो यह ख्याल है कि आगे और बहुत सी चीजों के अन्दर नयी दिक्कतें पेश आयेंगी। जिस वक्त यह क़ानून पास हो जायेगा और जमींदारी खत्म हो जायेगी तब गवर्नमेंट आइन्दा महसूस करेगी कि किस तरह से मालगुजारी वसूल की जायगी और मैं समझता हूं कि उस वक्त आपको और बहुत सी बातें याद करनी पड़ेंगी और यह सोचना पड़ेगा कि हमने जो क़ानून बनाया था और जो तरीके व जो पालिसी हमने इस जमीन रिफार्म (सुधार) के सिलसिले में अख्तियार की थी वह गलत थी। लिहाजा इस गलत चीज पर आप अफसोस करेंगे। लेकिन आपके इस अफसोस करने में कोई हक़ीक़त नहीं होगी सिवा इसके कि आपका अफसोस वैसे ही होगा जैसे "क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क" (पछताये क्या होत है जब चिड़िया चुग गयी खेत)।

हमारे दोस्त मुहरिक, जिन्होंने यह तरमीम पेश की है, उन्होंने पूरी वजाहत के साथ और पूरी तफसील के साथ इसके ऊपर रोशनी डाली है। बात कोई लम्बी-चौड़ी नहीं है, सिर्फ सवाल यह है कि सेपरेटली या ज्वाइन्टली मालगुजारी वसूल की जाय या नहीं। फक़त इतना सा सवाल है। जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसका मुलाहिजा आप फरमायें। यह मामला सेलेक्ट कमेटी में पेश हुआ तो उस वक्त हम लोगों ने इसके बारे में यह कहा कि यह बेइन्साफ़ी है कि तमाम अदायगी की जिम्मेदारी ज्वाइन्टली नहीं होना चाहिये और पूरी तरह से मुख्य मंत्री जी का तवज्जह इसके ऊपर दिलाई थी। आखिरकार उस सेलेक्ट कमेटी का, जिसमें अक्सरियत हमारे गवर्नमेंट के मेम्बरों की थी, उन्होंने इस चीज को महसूस किया वह कहते हैं कि—

"The Principle of joint and serveral responsibility for the payment of land revenue hitherto applicable to all the co-sharers of a mahal has been extended by section 230 to all the revenue payers in a village. The large body of tenants who were hitherto responsible merely for their own rents will now all be affected by this provision which may well too severely upon them.)

(महाल के हिस्सेदारों पर मालगुजारी देने का जो संयुक्त तथा व्यक्तिगत भार था उसको अब धारा २३० से गांव के सब मालगुजारी देने वालों पर लगा दिया गया है। किसान समुदाय अब तक केवल अपना ही लगान देने के लिये बाध्य था। इस निदेश के कारण उन पर प्रभाव पड़ेगा और शायद इसके कारण उनको कठिनाई पड़े।)

मैं इस चीज को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि वक्त जाया होगा। उन सेलेक्ट कमेटी ने भी इस चीज को महसूस किया है कि ज्वाइन्ट तरीक़े से उसको वसूल करना गलत है। आप इस तरीक़े से आइन्दा मालगुजारी के वसूल करने के तरीक़े पर गौर करें। एक आदमी अपनी ग़फलत की वजह से पैदा नहीं करता है या किसी वजह से अपने यहां फिजूल खर्ची करता है तो उसकी फांसी दूसरे के गले में आप क्यों डालते हैं। यह तरीक़ा निहायत गलत है और निहायत बेइन्साफ़ी का है। वह लोग जो अपना रुपया सरकार को खुशी से अदा करना चाहते हैं उनके ही ऊपर इस तरह का भार डालना कहां तक मुनासिब है यह गवर्नमेंट खुद ख्याल कर

सकती है। आज जो लोग चालाकी से, गलतफहमी से पैदा नहीं करते हैं उसका बार दूसरे के जिम्मे डालना किसी तरह से मुनासिब नहीं कहा जा सकता। जो ठीक तरह से पैदा नहीं करता है या फिजूलखर्ची करता है उससे ही वह रुपया वसूल करना चाहिये। हमारे मंत्री जी ने उसके लिये लैंड रेवेन्यू ऐक्ट पेश किया और मिसाल दी कि इसके पहले भी इस तरीक़े से लैंड रेवेन्यू के वसूल करने का तरीक़ा था। आप इससे पहले की अंग्रेजों की मिसाल क्यों देते हैं। क्या आप उन्हीं जालिमाना तरीक़ों को अख्तियार करना चाहते हैं, जो पहले अंग्रेज अख्तियार किया करते थे? क्या वह तरीक़े, जिनको जालिमाना कहा गया और जिन अंग्रेजों ने काफ़ी मजालिम किये आप चाहते हैं उन तरीक़ों को यहां पर फिर अख्तियार किया जाय? आप अगर लगान का नाम मालगुजारी रख लें तो उससे कोई हक़ीक़त नहीं बदलती है। जो चीज है वह अपनी जगह पर मौजूद है। अब आगे लगान को मालगुजारी कहा जायगा। मैं आपसे यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि अब तो हजारों और लाखों आदमी भूमिधर बन गये हैं क्या उनके साथ ज्यादतियां नहीं होंगी? इन सब बातों पर आपको ख्याल करना चाहिये। मैं तो खास तौर पर इस बात का चैलेंज करता हूं कि इस हाउस के अन्दर ख्वाह किसी पार्टी के भी मेम्बरान हों, ख्वाह अपोजीशन के साथ के हों या ट्रेजरी बेंचेज के हों, अगर अपने दिल पर हाथ रख कर देखेंगे और पार्टी एलाइनमेंट से अलग रहेंगे तो किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि ऐसी ग़लत चीज पर इसरार करे। मेरे दोस्त ठाकुर साहब ने अपनी तक़रीर में इसकी हिमायत की। मैं उनकी हिम्मत के ऊपर आफरीन करता हूं कि ऐसी ग़लत, नाजायज और जालिमाना बात के ऊपर तक़रीर करने की जुर्रत की, वरना इससे ज्यादा ग़लत क़ानून और क्या हो सकता है, जिसमें आप एक ऐसे शख्स के एवज में जो नादेहन्द है, जिसने रुपया नहीं अदा किया उन लोगों को जो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं पेनालाइज करना चाहते हों। मुझे ताज्जुब है कि ठाकुर साहब ने किस तरह से यह जुर्रत की और किस तरह से यह हिम्मत की कि वह इसकी ताईद में खड़े हो गये। माल मंत्री की पोजीशन को मैं महसूस करता हूं। ग़लत या सही, अच्छा या बुरा, उन्हें तो बहरहाल जो यह क़ानून है उसकी ताईद करना है। चाहे उनका दिल खून होता हो, उसकी ताईद करने में उन्हें कितना ही दुःख पहुंचता हो, लेकिन जब तक वह माल मंत्री हैं उन्हें यक़ीनन इस बिल की ताईद करनी है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन और नान-आफ़िशियल मेम्बर साहबान जब इस क़िस्म के ग़लत क़ानून की ताईद करें तो वाक़ई मुझे ताज्जुब होता है। मैं वाक़ई यह देखना चाहता हूं कि कौन-कौन से साहबान ट्रेजरी बेंचेज की तरफ के इस दफा के मुताल्लिक़ क्या राय रखते हैं। अगर वाक़ई उनके दिल में ज़रा भी दर्द उन लोगों के लिये है, जो गांव के अन्दर छोटे छोटे ग़रीब भूमिधर हैं, उनके लिये कोई भी इंसाफ उनके दिल के अन्दर है तो वे इस तरमीम की ताईद करेंगे और हर्गिज-हर्गिज इस दफ़ा की किसी सूरत में ताईद नहीं करेंगे। अगर आपने यही तरीक़ा रखा तो मैं समझता हूं कि माल-गुजारी का वसूल करना जुल्म और जब्र के साथ और ज्वाइंटली वसूल करने की आप कोशिश करेंगे तो यह गाड़ी, माफ कीजिये, बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। जिस क़ानून की बुनियाद जुल्म के ऊपर रखी जाती है वह कभी चलता नहीं है। अभी तक आप यह कह कर अपना दिल खुश कर लिया करते थे कि हम जनता को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, हम चन्द जमींदारों को जिन्होंने बेकमाई हुई दौलत हासिल करली है, जिनके पास कसरत से रुपया और जमीन है उनको एक्सप्रोज करना चाहते हैं और उन्हें क़ानून के शिकंजे के अन्दर कसना चाहते हैं। मैं इसे समझ सकता था। लेकिन आज जब यह करोड़ों की तादाद में भूमिधर होंगे, जब छोटे से छोटे और मामूली से मामूली हैसियत वाले भूमिधर बन जायंगे तो क्या आप उनको उसी शिकंजे में कसना चाहते हैं? यह कहां का इंसाफ है। जब कोई क़ानून ऐसा हो कि उसका असर आम जनता पर पड़े तो उसे बड़े एहतियात के साथ बर्तना चाहिये। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरमीम की हिमायत में ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई गई। मैं तो यह समझता हूं कि ख्वाह कैसी ही पार्टी डिसिप्लिन हो लेकिन ऐसे ग़ैर मुन्सिफाना और जालिमाना क़ानून के लिये हर एक अपनी अपनी आवाज उठायेगा और कम से कम दो-चार साहबान, जो दिल रखते हैं और जिनके दिलों में ग़रीबों के लिये कुछ हमदर्दी है, अपनी आवाज यहां उठायेंगे। मेरे लिये कांस्टिटयूशनल तरीक़े में इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

हाउस के सामने आर्गुमेंट्स दिये जाय, जो मिनिस्टर इन्चार्ज है उनको दलायल के जरिये से समझाने की कोशिश की जाय और आखिरी चीज यह कि उनसे दरख्वास्त की जाय कि मेहरबानी फर्मा कर वह गौर करें ।

अगर वह अपने फैसले के ऊपर अपनी अक्सरियत के जोम पर अड़े रहना चाहते है और यह ख्याल करते है कि वह उसकी बिना पर हर चीज को पास करा सकते है, तो यह ठीक नहीं है । आपको ऐसी मिसालें कायम नहीं करना चाहिये कि अक्सरियत के जोम पर चाहे जो कुछ भी पास करा लिया जाय । बहुत मुमकिन है कि कभी ये चीजें आपको भी भुगतना पड़े और आपकी तमाम करतूतें सामने आये ।

माननीय श्री हुकुम सिंह---पी लीजिये, पानी पी करके बोलिये ।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां---मैं बगैर पानी पिये ही वाक़यात आपको सही रोशनी में दिखलाना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि आप वे चीजें न करें कि कभी अगर आपकी तादाद घट गई और दूसरी अक्सरियत बरसरे हुकूमत आई तो वह इन्हीं तमाम चीजों को आपका नाम लेकर आपके ऊपर इस्तेमाल करे । जब आपने करोड़ों भूमिधर बनाये है और ग़लत वाक़यात बयान करके और धोखा देकर रुपया वसूल किया है और अब जब वे क़ानून की पाबन्दी में आ गये तो आप कहते है कि मालगुजारी की वसूलयाबी का तरीक़ा वह होगा जो अंग्रेज बहादुर अब तक किया करते थे कि ख्वाह जुल्म हो या जब्र हो, हमें अपना रुपया वसूल करना है । इससे आपको बहस नहीं कि कौन मुजरिम है बल्कि आप तो चाहते है कि जिसके गले मे भी फांसी का फंदा, जो आप पहले से ही तैयार किये बैठे है, ठीक बैठ जायगा उसी के गले मे वह डाल दिया जायगा । जिन लोगों ने मेहनत करके रुपया पैदा किया उनको आप उनकी खातिर पैनेलाइज करें, जिन्होंने फजूलखर्ची या काहिली की वजह से अपनी आराजी मे कुछ पैदा तक नहीं किया है, यह कहां तक मुनासिब है ? अगर आप यही चाहते है तो आप तमाम क़वानीन को हटा कर एक फ्लैट क़ानून यानी सनसेट क़ानून क़ायम कर दीजियेगा जैसा कि बिहार मे किया था कि फलां तारीख की सनसेट तक यानी सूरज ग़रूब होने तक हम वसूल करेंगे और इससे हमें बहस नहीं कि वह रुपया आता किससे है । जिस तरह से आपने भूमिधरी फरोख्त की है और रुपया हासिल किया है, क्या आप समझते है कि इस तरह से आप हमेशा रुपया वसूल करते रहेंगे ? क्या आप समझते है कि इस तरह से लोग हमेशा धोखे मे आते रहेंगे ? अगर आप ऐसा समझे बैठे है तो आप ग़लती पर है । मेरे ख्याल में ऐसा करना आपके लिये मुनासिब नहीं है । आप फिर ग़ौर करें और इस क़िस्म के कानून को स्टैटयूट बुक पर न आने दें वर्ना आपके पास जनता के सामने कोई जवाब नहीं होगा और आपके लिये यह एक क़ाबिले शर्म बात होगी ।

श्री गुरु नारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र श्री ऐजाज रसूल साहब ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस बात का मुझे बड़ा ही अचम्भा सा मालूम होता है कि एक ऐसी बात, जो कि किसानों के हित की है और किसानों के फायदे की है, उसको भी सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है । मैं बहुत सोचता रहा कि अगर यह सामूहिक और पृथक-पृथक जिम्मेदारी दोनों ही रक्खी जायं तो उसमे किसानों का अधिक लाभ होगा यह अगर पृथक-पृथक ही जिम्मेदारी किसानों की रहे तो उसमें अधिक लाभ होगा । मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिसके जिम्मे मालगुजारी बाकी हो उसी से ली जाय लेकिन नहीं मालूम किस तरह से और किस हिसाब से सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि पृथक-पृथक के साथ साथ सामूहिक जिम्मेदारी भी अगर रख दी जाय तो बहुत मुनासिब होगा । एक-आध मर्तबा मैंने इस भवन मे यह कहा है कि यह जो जमींदारी विनाश क़ानून है इस पर आप किसानों की राय क्यों नहीं लेते है, लेकिन आपने उसको किसी भी तरीक़े से नहीं माना । अब मैं यह कहता हूं कि यह जो धारा है यह अगर किसानों के लिए हितकर है तो इसमे आप किसानों की राय ले और अगर किसानों का बहुमत आप की तरफ हो जाय तो आप जरूर इस धारा को अपने इस बिल मे रक्खें और इसको स्वीकार करें, लेकिन

अगर बहुमत आप की तरफ न हो और उस पर भी अगर आप जिद करते चले जायं और इस धारा को रक्खें तो सिवाय इसके कि मैं यह कहूं कि आपने एक बात तय कर ली है, चाहे वह ग़लत हो या सही और अब आप उसी पर डटे हुये हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जेड० ए० एफ० की वसूलयाबी जो फेल हुई उसका मुख्य कारण यह है कि जो क़ानून आपका है उसके बारे में किसानों को मालूम हो गया है कि उसके अन्दर कोई फायदा उनको नहीं होने जा रहा है। विशेषकर दो-तीन चीजें ऐसी हैं जैसे कि एक यह पृथक-पृथक और सामूहिक जिम्मेदारी की बात है और दूसरे कल जैसे शिकमी उठाने का विरोध आपने किया, इन सब बातों से किसान समझता है कि आप उसको अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं और उसको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। मौर्य जी जब भाषण देते हैं तब वह यह फरमा देते हैं कि जमींदारों ने क्या हक़ूक़ दिये, हक़ूक़ तो हम दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनको आप हक़ूक़ दे रहे हैं या उनको जो हक़ है कि अपने-आप लगान की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उस हक को आप छीन रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी का परिणाम यह होगा कि किसी भी गांव में अगर मान लीजिये पांच-सात हजार उसकी मालगुजारी है तो गांव का हर एक किसान चाहे वह छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो उसके सिर पर यह तलवार लटकती रहेगी कि नहीं मालूम कि किस दिन हमारी कुर्की हो जाय और हमसे रुपया वसूल किया जाय। जब सामूहिक जिम्मेदारी है और रुपया आप को वसूल करना है तो वह बिलकुल निश्चिन्त नहीं रह सकता। होगा यह कि जितने नाशेहंद काश्तकार होंगे उनकी जिम्मेदारी एक ऐसे आदमी के ऊपर पड़ेगी जो थोड़ा सा आराम के साथ रह लेता है। यह चीज भी होगी कि छोटे किसान यह कहेंगे कि अगर हम नहीं देंगे तो तहसीलदार साहब आयेंगे या जो एजेंसी आप की वसूलयाबी की होगी वह आयेगी और फलां से वसूल कर लेगी। एक यह भावना पैदा होगी कि जो छोटे काश्तकार हैं वह यह सोचेंगे कि अगर हम रुपया नहीं देंगे तो वह दूसरों से वसूल हो ही जायगा। इसकी बड़ी भारी शंका है बढ़ने की और गांव में फैलने की। जब आप सोशलिस्टों के सामने बहस करते हैं तो आप कहते हैं कि हम तो जमींदारों को खत्म करना चाहते हैं। जब जमींदारों को समझाना होता है तब जमींदारों से कहते हैं कि हम आपको मुआविजा देना चाहते हैं और यह सहूलियतें दे रहे हैं और इस तरीक़े से तुमको साझेदारी में भी फ़ायदा हो सकता है, बहुत सी बातों में फायदा हो सकता है। लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि जमींदारी तो खत्म होगी लेकिन सबसे पहला प्रहार जो होगा वह ऐसे जमींदारों पर पड़ेगा जो भूतपूर्व जमींदार हैं और भूमिधर हो गये हैं। मानी हुई बात है कि अगर कोई भूमिधर है, जो जमींदार था, उसका गांव में एक बाग भी है तो कलक्टर साहब को पूरा अधिकार होगा कि उससे रुपया वसूल करलें। उसके बाद जब वह खत्म हो जायगा तो गांव के और काश्तकारों का नम्बर आयेगा और उसके बाद जो कुछ होगा वह देखा जायगा। आपका काम यह है कि रुपया वसूल हो जाय, कैसे वसूल हो उससे कुछ मतलब नहीं। मैं इसमें एक बात और देखता हूं कि इसमें बड़ी दिक्क़त और परेशानी बेचारे गांव वालों को उठानी पड़ेगी, अगर सामूहिक खेती का तरीक़ा आपने रखा। जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी दशा पर भी आप विचार कीजिये। आज भी हमारा मानसिक स्तर इतना सब लोगों का ऊंचा नहीं उठा है कि हम अपने कर्त्तव्य का किस तरह पालन करें। सरकारी कर्मचारी समझते हैं कि यह तो सरकार का हुक्म है और हमें उसका पालन करना है। स्वाभाविक है कि वह ज्यादती भी करते हैं और उसके लिये प्रमाण हमारे सामने हैं। अभी आपकी प्रोक्योरमेंट स्कीम का मसला था और अब जेड० ए०एफ० कलेक्शन का है इसमें आप देखिये, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट आफिशियल्स हैं वह घबराते हैं कि मालमंत्री के पास यह जायगा कि फलां जिले से इतना कम रुपया वसूल हुआ, लिहाजा कुछ गड़बड़ है। वह परेशान होते हैं तो वह सख्ती करने के लिये आमादा हो जाते हैं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गुरुनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को हमारे मित्र ऐजाज रसूल साहब ने उपस्थित किया था उसी का समर्थन मैं कर रहा था। मैं कह रहा था कि जिन

[श्री गुरुनारायण]

सरकारी कर्मचारियों के जरिये से आप रुपया वसूल करेंगे उनका मानसिक स्तर इतना ऊंचा स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद अभी नहीं उठा है कि वह अपने कर्त्तव्य का सही—सही निर्णय कर सकें कि किस प्रकार किस कार्य को उनको करना चाहिये। उसका कारण भी है और उसके प्रमाण भी मैंने दिये थे और अभी आपने देखा कि प्रोक्योरमेंट स्कीम या जेड० ए० एफ० के कलेक्शन के ड्राइव में प्रान्तीय रक्षा दल था। उसका तात्पर्य कुछ और था लेकिन किस तरीक़े से उससे मदद ली गई इस जेड० ए० एफ० को वसूल करने में वह सबको मालूम है और सब पर जाहिर है। बहरहाल कुछ भी हो, यह बात तो आपको माननी ही पड़ेगी और आप जानते भी हैं कि जो आपने सामूहिक जिम्मेदारी रखी है कि इसमें खामियां है और इसीलिये आपने भी इसमें एक शर्त रखी है। जैसा कि हमारे मित्र नवाब जमशेद अली खां ने कहा था कि इसी क़ानून के पेज १० पर आपने रखा है कि इसकी सख्ती को कम करने के लिये यह जरूरी है कि यह जो आपने नोटीफिकेशन की बात रख दी है। बहरहाल मैं तो यह ईमानदारी के साथ समझता हूं कि अगर आप वाक़ई काश्तकारों का फायदा चाहते हैं तो यह सबसे जरूरी बात है कि उनको हर प्रकार की सहूलियतें दी जायं और जो तरीक़ा आपने वसूलयाबी का रखा है उसमें सिवाय उनको परेशान करने के कोई किसी क़िस्म का आराम नहीं दिया है। आपने खुद जो विलेज रिपब्लिक्स क़ायम की हैं उन्हीं पर आपको आशंका है कि सही तौर पर काम नहीं कर पायेंगी, इसीलिये नोटीफिकेशन की शर्त आपने इसमें रखी है। जब कि आप उनसे १० गुना लगान मांग रहे हैं और एक क़ीमत पर उनको भूमिधरी दे रहे हैं तो जो उनके खास—खास हक़ूक़ हैं आप उनसे उनको वंचित रखते हैं और यह तो हर इंसान का खास हक़ है कि अगर आप किसी की चीज ले तो आप से रुपया तलब किया जाय न कि दूसरे से और मैं नहीं समझता कि हमारे माननीय माल मन्त्री जी ही कैसे इसे पसन्द करेंगे। वह भी जमींदार हैं उनकी भी बड़ी—बड़ी सीरें हैं और वह किसी न किसी गांव में हिस्सा रखते हैं तो कहां तक वह मुनासिब समझेंगे कि तमाम गांव के जमींदारों का भार उनके ऊपर पड़े और कब तक पड़े। इसका आपको अहसास होना चाहिये था, लेकिन बात यह है कि आपने एक चीज तय की और अब आप उससे हटना नहीं चाहते और न आप काश्तकारों की राय लेना चाहते हैं। जो आपकी पार्टी में तय हो गया है उसको आपको पूरा करना है। और कोई दूसरा तरीक़ा आपके सामने नहीं है। मैंने स्वयं कम से कम इन दो—ढाई वर्षों में लाख—डेढ़ लाख किसानों को भाषण दिया होगा और जितने जिलों में मैं गया मैंने देखा कि एक खास बात का अहसास उनके दिलों में था कि सरकार उनके साथ बहुत ही अन्याय कर रही है और दो—तीन हक़ूक़ उनके छीन रही है। मैं समझता हूं कि हर शख्स और जितने भी एम० एल० एज० यहां पर बैठे हुये हैं वह अपने हृदय में यह समझते हैं कि यह बात गलत हो रही है, लेकिन उनकी जबान बन्द है, पार्टी डिसिप्लिन है वह कुछ कह नहीं सकते। आपको फिक्र है अपना रुपया वसूल करने की, उसमें कोई गड़बड़ी न हो बस यही आपका मतलब है। आप व्यक्तिगत यानी सेवरल रिसपांसिबिलिटी रखते हैं तब भी आप वसूलयाबी कर सकते हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आपको आगाह कर देना चाहता हूं हालांकि मैं जानता हूं कि आज भले ही आप न मानें, भले ही आज इस क़ानून में खास खास इस तरह की शर्तें रख दें, लेकिन वह समय बहुत जल्द आयेगा जब आपको इन सब धाराओं को बदलना पड़ेगा। आपके लिये यह कोई नई बात भी नहीं है, आप इसकी कोई परवाह भी नहीं करते। जिस वक्त आपको किसानों का रुख मालूम हुआ, जहां आप अपने निर्वाचन-क्षेत्र में गये और देखा कि जो शिकमी को उठाने का हक़ छीना है और जो सामूहिक उत्तरदायित्व ला रहे हैं, उसके खिलाफ किसान हैं तो आप ही सबसे पहले आदमी होंगे जो इसको बदलेंगे। इसके साथ—साथ आपने इस बात पर बिलकुल विचार नहीं किया कि जो रुपया किसी से वसूल कर लिया गया उसको वह कैसे वसूल करेगा और किससे वसूल करेगा। आपने क़ानून में इसके बारे में कोई कलाज साफ तौर पर नहीं रखा है। इसके अलावा आपने दफ़ा २५२ में यह रख दिया है कि आप किसी भी आदमी को जिसको जी चाहे वसूली के लिये तैनात कर सकेंगे ताकि वह जाकर गांव में वसूली करे। इसके माने यह होंगे कि एक पार्टी की डिक्टेटरशिप हो सकती है। आप ऐसे आदमी उसमें चुन सकते हैं, जो क़ानून क़ायदे से वाक़िफ न हों, कोई भी आदमी जो आपकी

पार्टी का हो और जिसकी आपकी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने सिफारिश कर दी हो उसे आप रख देंगे। नतीजा यह होगा कि ऐसे आदमियों को जो कि आपके अपोजीशन में हैं उनको परेशान होना पड़ेगा। मुमकिन है आप इस बात से आज फायदा उठा सकें, परन्तु आगे चल कर यह हानिकर होगा और मैं समझता हूं कि प्रांत के हित में यह चीज किसी तरह से ठीक नहीं हो सकती और न हम न्याय की उम्मीद ही कर सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या कहूं, कांग्रेस का न्याय तो मशहूर है, उनसे यह उम्मीद करना कि जस्टिस होगी बड़ी वैसी बात होगी। हमारे माल मंत्री जी, जब कोई बात हमारी तरफ से कही जाती है, तो दो-चार छींटे मार देते हैं, जैसे कि साजिद साहब के बुनियादी उसूलों पर, नवाब साहब के बारे में कुछ कह देते हैं, कल मैं भी नवाब साहब की बगल में बैठा था तो मैं भी चपेट में आ गया। बहरहाल, मैं आपको क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि आप इस समय राजा की हैसियत से हैं और राजा का काम है उपदेश करना और प्रजा का काम है उपदेश ग्रहण करना, सिवाय इसके कि हम फरियाद करें और कुछ नहीं कर सकते। हमारी तरफ से जो दलीलें पेश होती हैं वे कहां तक गलत हैं और कहां तक सही और आप जो हमारे जवाब में फरमाते हैं वह कहां तक सही है इसका तसफिया कौन करे? इसका तसफिया तो समय ही करेगा। साथ ही साथ हमारे माल मंत्री जी वकील भी हैं और वकीलों का तो यह तरीका ही है, उनका यह काम है कि कोई बात अगर झूठ हो तो ऐसी बातें रख देते हैं कि वह सच मालूम होने लगे और अगर कोई सही बात हो तो उसे गलत कर देते हैं। मैं कुछ कह तो इसलिये सकता नहीं, सिवाय इसके कि इतना ही निवेदन करूं कि आप काश्तकारों का, भूमिधरों का, सीरदारों का बहुत बड़ा हक छीनने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार का यह फर्ज है कि जब वह उनसे इतनी तादाद में रुपया वसूल कर रही है, तो वह उनको इतने बड़े हक से किसी तरह से वंचित न करे इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ऐजाज रसूल—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने आनरेबिल रेवेन्यू मिनिस्टर की तकरीर को बहुत गौर से सुना। उन्होंने मालगुजारी का नाम इसलिए रक्खा चूंकि जो पुराना क़ानून लैंड रेवेन्यू ऐक्ट का है वह इस दफ़ा में लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट लगान तो कुछ कम नहीं कर रही है। सीरदारों का वही लगान है जो उस वक्त था और वही रुपया वह लगान की हैसियत से वसूल करेगी। उनको अधिकार भी कोई नहीं दिया गया। १९३९ के यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के मुताबिक कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो हुकूक मौरूसी काश्तकारों को दिए थे वही सीरदारों के अख्तियारात रक्खे गए हैं। भूमिधरों को सरकार ने १० गुना रुपया वसूल करने की वजह से राइट आफ ट्रान्सफर (अन्तरणाधिकार) दे दिया है। लेकिन मालिक खुद गवर्नमेंट बन बैठी है। जिस तरह से हम जमींदार ओनर्स आफ दी लैंड (भूमि के स्वामी) थे और जिस तरह से मालगुजारी हम वसूल करते थे अगर वही सब अख्तियारात उनको दिए जाते तो कहा जा सकता था कि आपने लैंड रेवेन्यू ऐक्ट का तरीक़ा अख्तियार किया। गवर्नमेंट ने तो रुपये की वजह से यह तमाम दफात कानून के अन्दर रक्खीं और महज रेवेन्यू ऐक्ट का नाम लेकर ऐसा किया। अगर वाक़ई लैंड रेवेन्यू ऐक्ट पर अमल होता तो इस वक्त जो ६ करोड़ ५० लाख रुपया बक़ाया है वह काश्तकारों से वसूल करती तो मैं समझता कि वाकई सरकार लैंड रेवेन्यू का रुपया वसूल कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट तो जमींदार जो रुपया काश्तकारों से वसूल करते थे वह १७ करोड़ रुपया लगान जो गवर्नमेंट काश्तकारों से वसूल कर रही है उसे वह मालगुजारी कह कर वसूल करना चाहती है। वे काश्तकार जो भूमिधर बन गए हैं उनका लगान आधा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो वह लगान बहुत कम होगा। लेकिन जो और लोग हैं उनसे सरकार यह रुपया वसूल करेगी, जितनी माफ़ी की जमीन है उसका भी लगान वसूल करेगी। महज रुपया वसूल करने के लिए सरकार यह सब मजबूती कर रही है। आनरेबिल मिनिस्टर ने फरमाया कि आप गांव पंचायत में जाएंगे और बगैर कोर्ट फीस लगाए हुए आप अपनी डिग्री वसूल कर सकते हैं। मैं आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह दफ़ा ७५ यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर कोई शख्स दावा दायर करेगा तो उसको स्टैम्प, कोर्ट फ़ीस लगानी पड़ेगी।

[श्री ऐजाज रसूल]

"Any person who wishes to institute a suit, case or proceeding under this Act before a Panchayati Adalat may make an application orally or in writing to the Sarpanch of the Panchayati Adalat or in case of his absence from the circle, to such other Panch as he may have appointed in this behalf and shall at the same time pay the prescribed fee. The Court Fees Act, 1870, shall not apply to Panchayati Adalats except as may be prescribed."

(ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस ऐक्ट के अधीन कोई नालिश या मुक़द्दमा या कार्रवाई किसी पंचायती अदालत मे दायर करना चाहता हो, वह अदालती पंचायत के सरपंच से या जब वह क्षेत्र मे न हो तो किसी ऐसे पंच से, जिसको उसने इस काम के लिये नियुक्त किया हो, ज़बानी या लिख कर दरख्वास्त करेगा और उसी के साथ वह नियत फ़ीस अदा करेगा। पंचायती अदालतों पर कोर्ट फ़ीस ऐक्ट, सन् १८७० ई० लागू न होगा, उस दशा के अतिरिक्त जो नियत की गयी हो, हर एक नालिश मे मुद्दई उसकी मालियत लिख देगा।)

तो यह सब चीजे है। इस तरह से आप लोगों को गलतफहमी में डाल रहे हैं। आपने दफ़ा २३१ का हवाला दिया। उसमे लिखा है कि जिससे रुपया वसूल कर लिया जाएगा उसको अख्तियार होगा कि वह दावा दायर कर सके।

खुद मिनिस्टर साहब ने तक़रीर की कि वह अदालत मे दावा करे। वह दावा करे, डिक्री हासिल करे, अदालत मे पैरवी करे, गरज यह कि उसके ऊपर एक मुसीबत हो जायगी। तारीखें मुक़र्रर हों, सम्मन की तामील न हो तो दूसरी तारीख मुकर्रर हो, और बरसों में जाकर रुपया वसूल हो। इस वक्त आज आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। माल के मुक़द्दमे और सिविल के मुक़द्दमे ५–५, ६–६ बरस में जाकर फैसल होते हैं। उसका तो दिवाला निकल जायगा। उसके पास इस क़दर रुपया कहां से आया कि आपको दूसरे की मालगुजारी देता रहे? ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) के माने यह होंगे कि पहिले तो पुराने जमींदार खत्म होंगे और फिर काश्तकार भी खत्म हो जायेंगे। गरज यह कि गवर्नमेंट किसी को भी अच्छी हालत में देखना ही नहीं चाहती है। वह चाहती है सब तबाह और बरबाद हो जायं। आप चाहते हैं कि लोग आपके दबाव में आ जायं और कहें कि हुजूर आप जो कहते हैं वह सब ठीक है और एलेक्शन (चुनाव) में आपको वोट दे दें ताकि आप फिर आकर इन कुरसियों पर बैठ सकें। इसीलिये यह दफ़ा बनाई गई है।

अब हमारे राधा मोहन साहब जो बलिया के हैं उन्होंने फरमाया कि रुपया वसूल कर लेने से मेल–जोल बढ़ जायगा। यह उन्होंने एक नई चीज बतलाई कि इसमे आपस में मेल–जोल बढ़ जायगा। चूंकि वे बलिया के हैं इसलिये मैं इसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। बहुत सी दलीलें हैं, लेकिन अब मैं हाउस का वक्त जाया करना नहीं चाहता। अगर मिनिस्टर साहब इस पर दुबारा गौर फरमायेंगे तो देखेंगे कि यह सब चीजें ग़लत हैं। आपने दफ़ा १४२ और १४६ बढ़ा दी वही चीजें आप जोड़ते जाते हैं जिनको अंग्रेजों के जमाने मे आप हेट (घृणा) करते थे, जिनकी वजह से उनको गालियां दिया करते थे। आपने कोई खास चीज पैदा नहीं की है, उनकी किताबों की ही नकल आपने कर दी है। अगर आप देखें तो उसमे लिखा हुआ है है कि फलां क़ानून से यह ले लिया गया और फलां क़ानून से यह। आप तो नयी दुनिया बनाने वाले थे, लेकिन आपने बिलकुल उसी की नकल करके रख दी। यों तो मिनिस्टर साहब वकील हैं, क़ानूनी खुशमिजाज हैं, क़ानूनी तरकीब से मैं उनका मुक़ाबिला नहीं कर सकता। वकील एक शायर के पागल को अक्लमंद और अक्लमंद को पागल बता सकते हैं। यह तो आपकी बहस का तरीक़ा है। आप अवाम को समझाइये। जब आप जनता के सामने तक़रीर फरमायेंगे कि आप ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी रखना चाहते हैं तो आपके साथ कोई भी न होगा। जब आप जनता के नुमाइंदे हैं और उसके लिये एक क़ानून बना रहे हैं तो आपको उसकी राय लेना मुनासिब है। अगर उन सब की यही राय हो तो मुझे कोई इंकार नहीं होगा।

लेकिन आप तो महज अपना रुपया वसूल करने के लिये अपने नुक्तेनिगाह से ही काम करते हैं। अगर उनकी राय नहीं है तो महज अपना रुपया वसूल करने के लिये गवर्नमेंट के नुक्ते नजर से इसे नहीं लेना चाहिये। बल्कि जब आप अपने को जनता के नुमायंदे कहते हैं तो उसी नुक्तेनजर से इसे लेना चाहिये। जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने अपना रुपया वसूल करने के लिये यह कानून बनाया लेकिन अब तो हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हिन्दुस्तान की सरकार है और हम और आप जब जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि) हैं तो उसी ख्याल से हमें और आपको इस मसले पर गौर करना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर दोबारा गौर करेंगे और मेरी इस तरमीम को मंजूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुक्म सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क़ब्ल इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं मैं नवाब ऐजाज रसूल और कुंवर गुरु नारायण साहब को यह यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि जब मैं उनको दानिशमन्द कहता हूं तो उन्हें दानिशमन्द समझता हूं। यह नहीं कि दानिशमन्द कहता तो हूं लेकिन दिल में उनको पागल समझता हूं। यह तरीक़ा मेरा कभी नहीं रहा है। हमारे लायक़ दोस्त ने बलिया के बारे में भी कुछ फरमाया, लेकिन हरदोई के बारे में भी उसी तरह की बात कहीं जा सकती है क्योंकि वहीं गोपामऊ है। लिहाजा मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता। अब हमारे लायक़ दोस्त ने फरमाया है कि सरकार चूंकि १७ करोड़ रुपया वसूल करना चाहती है लिहाजा यह मालगुजारी नहीं हो सकती है। हां, यह नया क्राइटेरियन (सिद्धान्त) मैंने आज ही सुना कि अगर रक़म ज्यादा है तो वह मालगुजारी नहीं हो सकती है। मालगुजारी की जो रक़म हो वह थोड़ी होनी चाहिये, अव्वल तो यह क्राइटेरियन, टेस्ट (परीक्षा) गलत है, दूसरे यह बात भी गलत है कि हम बहुत ज्यादा रुपया वसूल करना चाहते हैं। जितने भूमिधर हैं जैसा कि नवाब साहब ने खुद तसलीम किया है, मैं श्रीमान् जी के जरिये से फिर अपने लायक़ दोस्त को बतलाना चाहता हूं कि भूमिधरों का लगान आधा हो गया है, यह तो साफ जाहिर है। उनकी तादाद काफ़ी है और उनके सालाना लगान में काफ़ी कमी हुई है। इसके अलावा जो सीरदार हैं वह भी मुस्तकिल क्लास के नहीं हैं बल्कि टेम्पोरेरी (अस्थायी) क्लास के हैं वे सब भूमिधर होंगे और उनके लगान में भी कमी हो जायगी। लिहाजा यह कहना कि हम १७ करोड़ रुपया वसूल करना चाहते हैं, इसलिये उसे माल-गुजारी नहीं कह सकते हैं, उसे लगान ही कहना चाहिये, किसी तरह से ठीक बात नहीं मालूम होती है। आप फरमाते हैं कि चाहे जिसको चाहिये लगान कह दीजिये, चाहे मालगुजारी कह दीजिये लेकिन यह चाहने की बात तो होती नहीं। हमारे नवाब साहब ने फरमाया कि जमींदार ओनर आफ दि लैंड (भूस्वामी) रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जमींदार कभी भी ओनर आफ दि लैंड नहीं रहे हैं। वे हमेशा रेंट कलेक्टर (लगान वसूल करने वाले) रहे हैं। "हार्ड फैक्ट्स आर हार्डली पैलेटेबिल" (सत्य बातें मधुर नहीं होती।) अगर मैं उस बात को दोहराऊं तो यह जरा मिजाज के खिलाफ होगा लिहाजा मैं उस पर जोर भी नहीं देना चाहता हूं। अब जो भूमिधर होंगे वे ही असली माने में अपनी जमीन के मालिक होंगे क्योंकि वही टिलर आफ दि सोइल (जमीन जोतने वाले) होंगे। जो टिलर आफ दि सोइल होता है वही असली माने में जमीन का मालिक होता है। आप ने यह भी फरमाया है कि उनको बाक़ब्जा मार्टगेज (बन्धक) करने का हक़ नहीं है लिहाजा वे जमींदार नहीं हो सकते। मैं कहता हूं कि बहुत से जमींदार लिमिटेड ओनर (सीमाबद्ध स्वामी) थे और उनको भी रेहन, बय करने के अख्तियार कतई नहीं थे तो क्या इसके माने यह हुए कि वे जमींदार नहीं हैं और उनको प्रोप्राइटरी राइट्स (स्वत्वाधिकार) नहीं हैं। यह तो महज उनके इंटरेस्ट (हित) की बात है और उनके हक़ूक़ को तहफ़ुज करने के लिये है। इससे यह नतीजा निकालना कि वे ओनर नहीं हैं यह सरासर गलत है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भूमिधर अपनी जमीन के मालिक होंगे। जिस तरह से चाहें वे अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें खेती कर सकते हैं, उसे इंडस्ट्रीज के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्टिकल्चर (वृक्षारोपण) के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं या एनिमल हस्बेंडरी (पशुपालन) के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर तरीक़े से उनको अपनी जमीन इस्तेमाल करने का हक़ हासिल होगा। लिहाजा यह बात ओनरशिप इन्सिडेंट की कही जाती है। जब वह जमींदार अपनी उस

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

जमीन के एवज में जो कुछ सरकार को देगा तो वह मालगुजारी कही जायगी लगान नहीं कहा जायगा और न और कुछ कहा जायगा। मालगुजारी की अदायगी जमाने से होती आई है। इस वास्ते हमारे जमशेद अली साहब ने जो यह कहा कि यह सरकार पुरानी सरकार की नकल कर रही है यह उनकी जबान से शोभा नही देता। मैंने देखा है कि उनके नाम के आगे मेजर लगता है और उस खिताब को अंग्रेजी सरकार ने दिया था और उसको नवाब साहब ने बड़ी खुशी के साथ कबूल किया था। उनकी इस बात को सुनकर मैं कायल हो जाता हूं कि यह सरकार जालिमाना हुकूमत की ताईद करती है। यह बिलकुल साफ हो जाता है कि किसी तरह से भी जालिमाना हुकूमत नहीं की जा रही है। मैं क्या बताऊं आप के नाम से मेरे ऊपर जो चोटें होती हैं उनके ऊपर मैं पूरा ध्यान भी नही देता। सेवा करने के लिए जब कुंवर साहब आये हैं तो इस बात को अपने दिल में रखना है कि जब सेवा करने के लिए आये हैं तो उसके लिए तकलीफ उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब वह कुछ कहते हैं तो उनको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो उनकी शान के खिलाफ हो। आप फरमाते हैं कि २३० पर प्लेबिसाइट (जनमत) ले लिया जाय। हरबार इसी हथियार को इस्तेमाल करने की बात नहीं करनी चाहिए आप जो उस तरफ माइनारिटी (अल्पसंख्यकों) में बैठे हुए हैं यह उसी प्लेबिसाइट का नतीजा है। आप को यह धोखा है और इस पर यकीन नहीं करनी चाहिए। आप गलत-फहमी में हैं लेकिन जो तरीका आप को बतलाया गया है उसमें २३० तो बहुत ज्यादा है। प्लेबिसाइट हो सकता है और उससे क्या नतीजा निकलेगा यह आप ख्याल कर सकते हैं। कोई बात कहते हैं तो चैलेंज (चुनौती) कर दिया जिसका जवाब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने पेश नहीं किया। मगर याद रखिये जनरल एलेक्शन (साधारण चुनाव) में अभी से ख्याल किया जाय तो ज्यादा मुनासिब नहीं होने वाला है जिसकी आप उम्मीद बांधे हुए हैं। अगर आप का यह ख्याल है तो आप बहुत धोखे में हैं। आप को वही बात सोचनी चाहिए जिसमें जनता का हित हो, जिसमें आप लोगों की कार्यवाही इतनी हो कि जिसकी आवश्यकता जनता को है।

लिहाजा मैं अपनी बात कह कर आप के चैलेंज को मंजूर करता हूं। जनरल एलेक्शन में आपको तो पता चल जायगा चाहे आप हर जगह पर प्लेबिसाइट ले लें। इसके अलावा हमारे राजा साहब को तजुर्बा होते हुए भी फिर से यह देखना चाहते हैं कि प्लेबिसाइट का नतीजा क्या होगा। आपने अपने जिले में प्लेबिसाइट किया उसका क्या नतीजा निकला आपको यह मालूम है। अगर कहीं आपके जिले उन्नाव में हो जाय तो आपको मालूम हो जाय कि क्या नतीजा उसका होगा। हमारे कुंवर साहब ने फ़र्माया कि कांग्रेस सरकार से तो जस्टिस (न्याय) की उम्मीद करना बिलकुल एक नामुनासिब सी बात है। हां, उनको तो जस्टिस की उम्मीद उनसे थी, जो चले गये। अंग्रेजों से जस्टिस की उम्मीद थी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको अंग्रेजों ने जब १८५७ ई० में देश की आजादी की पहली लड़ाई हुई थी, उसके सिल-सिले में बहुत से लोगों को जागीरें दे दी थीं। उनको तो उम्मीद उन्हीं से हो सकती है। यह सरकार वैसी कोई जागीर देने के लिए तैयार नहीं है। खिताब भी देने के लिए तैयार नहीं है, जागीर देने की कौन कहे। लिहाजा उनकी शिकायत सही है। वह ऐसी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जहां तक जनता का ताल्लुक है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता और देश का हित चाहते हैं उनको कांग्रेस सरकार से जस्टिस की उम्मीद है और कांग्रेस जस्टिस करती है, करती है, करती है और आइन्दा करेगी। लिहाजा हमारे कुंवर साहब की शिकायत अगर उसी नुक्ते ख्याल से है तो मैं समझता हूं यह बदस्तूर कायम रहेगी। उसको हम रफा नहीं कर सकते। जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है उसके मेरिट (गुण) में मैंने शुरू में ही सारी बातें कह दी थीं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। इसके अलावा मुझे और कुछ कहना नहीं है और इस सदन का अमूल्य समय मैं लेना नहीं चाहता। इन शब्दों के साथ मैं फिर तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २३० की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (१) रख दी जाय--

"(१) गाव के सभी भूमिधर और सीरदार अलग-अलग ऐसे खाते या खातो पर, जिनमे वह पूर्णतः (wholly) या अशतः (in part) स्वत्व रखते हो, समय विशेष पर निर्धारित मालगुजारी देने के प्रान्तीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होगे, तथा ऐसे व्यक्ति, जिन्हें ऐसे भूमिधर और सीरदार के स्वत्व उत्तराधिकार द्वारा या किसी अन्य प्रकार से मिलें वे उस स्वत्व को पाने के समय अपनी-अपनी देय मालगुजारी के बकाया के लिये उत्तरदायी होगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ--)

पक्ष में ८

अम्मार अहमद खा, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कुंजविहारी लाल शिवानी, श्री
गुरु नारायण, श्री
जुगुल किशोर, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खा, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
साजिद हुसन, श्री

विपक्ष में ५१

अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अलगू राय शास्त्री, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
आत्मा राम गोविन्द खेर, माननीय श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशी राम, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नाजिम अली, श्री
पूर्णमासी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुबीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
रामधारी पान्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम शंकरलाल, श्री
राम शरण, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
वीरबल सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डे, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा--जनाब वाला, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा रूल है कि अगर डिवीजन काल (विभाजन आमन्त्रित) करने पर परसेंटेज (प्रतिशत) से कम वोट आयें तो आइन्दा डिवीजन काल न हो सके ?

उपाध्यक्ष--ऐसा कोई कानून नहीं है।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि धारा २३० इस विधेयक का अंश मानी जाये।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाब वाला, मुझे अफसोस है कि मुझे उन तमाम चीजों को दोहराना पड़ेगा जो इससे पहले इस सदन के सामने.....

उपाध्यक्ष-- इस वक्त तो मौका नहीं है। जो बातें पहले कही जा चुकी हैं उन्हें आप दोहरा नहीं सकेंगे।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--मुझे यह तो कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने गलती की, बेइंसाफी की। वह चीज कहे बगैर तो कुछ नहीं कह सकता।

उपाध्यक्ष--मगर कायदा महदूद करता है कि जो बातें कही जा चुकी हैं वह न दोहराई जायं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--मैं लिहाज रखूंगा कि जो कुछ मुझे कहना है वह नये तरीके से बयान करूं।

उपाध्यक्ष--जो बात कही जा चुकी है उसको नये तरीके से बदल कर कहना भी दोहराना ही कहा जायगा। तरीका बदलने से बात नहीं बदलती।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--चूंकि चेयर (सभापति) के हुक्म की हमेशा मैं इज्जत करता हूं, मैं उनकी तामील को पूरी कोशिश करूंगा कि वजूहात जो मैं पेश्तर बयान कर चुका हूं उनको दोहराने के बजाय नये वजूहात पेश करूं। अव्वल तो मुझे बड़ी मुसर्रत होती है और शुक्र गुजार हूं ट्रेजरी बेंचेज का कि इससे पेश्तर जो हमने अपील (प्रार्थना) की थी उसका अहसास उन्हें हुआ और सिवाय एक साहब के और किसी ने तकरीर नहीं की। बहरहाल इन्साफ, सच्चाई, ईमानदारी, दयानत जिस वक्त भी जिस शख्स को हासिल हो जाय वह मुबारकबादी के काबिल है। मुझे मजीद खुशी यह है कि ट्रेजरी बेंचेज के बाज साहबान जिनकी कांशेंस ने उनको प्रिक किया, जिनको जमीर ने सही रास्ता दिखाया और जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई का दामन छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने उस तरफ जाकर दस्तखत किये। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, मैं कोशिश करूंगा कि कोई पिछली कही हुई बात इस मौके पर न कहूं लेकिन वह बात जो सब से आखिर में आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने कही है उसका जवाब देना तो मेरे लिए जरूरी है। मेरे मुताल्लिक कहा गया, और मुझे खुशी है कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू मुझे हकीर का नाम अक्सर याद कर लिया करते हैं। मुझे खुशी है कि वह मेरे नाम को और मुझे, ख्वाह किसी भी हैसियत से हो, याद करते रहते हैं। बहरहाल आप मुझे याद रखते हैं। अब रह गया सवाल ब्रिटिश हुकूमत का। मैं आज इस फ्लोर आफ

की हाउस में कहने के लिए तैयार हूं कि इससे पहले जो हुकूमत थी उसके साथ हम लोगों ने कोई गद्दारी और दगाबाजी नहीं की। हमारे मुताल्लिक कुछ कहा जा सकता है तो यही कहा जा सकता है कि उस वक्त जो हुकूमत थी उसका एतबार और उसकी इज्जत हम लोगों को हासिल थी। आज जो हुकूमत है उसका एतबार जिन लोगों को हासिल है, कल उनके लिए भी यही चीज पेश की जा सकती है। खैर मैंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हवाला दिया था उसका मतलब यह था कि वह हुकूमत, जिसके हर कानून को आप जुल्म कहते रहे हैं और जिसको आप स्क्रैप आफ पेपर से ज्यादा हकीकत नहीं देते रहे हैं, उन्हीं कानूनों का, अजीब बात है, आज और हवाला देते हैं, और उन्हीं कानूनों को आप इन्साफ की सनद में पेश करते हैं, उसको आप अपनी ताईद में पेश करते हैं कि हमारी बात इतनी सच है और अच्छी है जैसी कि अंग्रेजों की बात हुआ करती थी। आज हमारी गवर्नमेंट के मोअज्जिज रुक्न आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू मुसर्रत के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारे कानून भी वैसे ही अच्छे हैं जैसे कि ब्रिटिश हुकूमत के हुआ करते थे, जिसको कि वह जालिम कहते आये हैं, और मिसाल में लैंड रेवेन्यू ऐक्ट को पेश करते हैं। मैं अंग्रेजों को चाहने वाले अपने आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू से दरियाफ्त करता हूं कि क्या वह उसको सनद में पेश नहीं करते, आज भी वह उनको क्यों नहीं भूलते हैं? खैर, यह चीज अपनी जगह पर है और समझने वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज भी हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिये जाते हैं वे बिलकुल उसी तरह के होते हैं जैसे कि सर सैमुअल और सर लुडविग पोर्टर के जमाने में जब हम लोग सवाल किया करते थे तो जवाब दे दिया जाता था कि हमारे कलेक्टर ने जो किया वह ठीक है और हमारे पास कोई वजह नहीं है कि उसकी बात को गलत कहें। आज भी आप की बातें ठीक वैसी ही हैं और आज भी पब्लिक की वही वकत है, जो हुक्कामान हैं वे भी वही हैं और आज भी ताबेदारी हुकूमत का दौरदौरा है। हुजूरवाला, इस पूरे क्लाज की मुखालिफत इस बिना पर करता हूं कि इस का एक जुज ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी के मुताल्लिक है जो कोई जिम्मेदार आदमी पसन्द नहीं करेगा। मैं इस पूरे क्लाज की मुखालिफत करता हूं और यह समझता हूं कि यह सब क्लाज ऐसा डिफेक्टिव है और हरगिज इस काबिल नहीं है कि स्टेट्यूट बुक पर आये।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान्, मैं भी धारा २३० का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी पार्टी की तरफ से अभी एक संशोधन इस भवन के सामने पेश किया गया था लेकिन सरकार ने उसको ठुकरा दिया और गौर नहीं किया और हमें मजबूर किया कि हम भी अपने ख्यालात को इस भवन के सामने रखें। सरकार कहती है कि हमने किसानों के हित के लिए भूमि सुधार बिल पेश किया है और उन्हीं के फायदे के लिए हम जमींदारी खत्म कर रहे हैं और उनको सुविधा देने के लिए ही इस बिल को लाये हैं। अब आप यह देखें कि इस धारा में जमींदारों से ज्यादा सख्ती करने की बात रखी गयी है। यानी आप वसूल तो करेंगे लगान और नाम रखते हैं उसका रेवेन्यू और वही सब सख्तियां जो आप के कहने के मुताबिक किसानों पर होती थीं या आप जमींदार पर किया करते थे कि पकड़ कर उनको जेलों में ठेल दिया और उनकी हर मिल्कियत से वसूल कर लिया वही तरीका आप इस धारा के जरिये से जारी रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सरकार का पैसा-पैसा वसूल हो जाय चाहे किसान मरे या जिन्दा रहे। आप यह देखें कि आपने जंजीरबन्दी के सिलसिले में कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई। वह कोआपरेटिव सोसाइटीज महज इसी वजह से फेल हुई कि लोग इस चीज को अभी पसन्द करते नहीं हैं। हमारे देश में इतनी ऊंचाई अभी नहीं आयी है कि लोग ईमानदारी से अपने ड्यूज अदा कर दें और जो भले आदमी होते हैं उन्हीं के ऊपर सारा भार आकर पड़ जाता है। तो जो कोआपरेटिव सोसाइटीज इंडिया की हैं वह आज इसी वजह से फेल सी हो रही हैं कि एक आदमी को दिया हुआ रुपया सब मेम्बरों से वसूल होता था। अब उसी चीज को सरकार इस बिल के जरिये से ला रही है और अपने फायदे के लिए यह नहीं सोच रही है कि किसान इससे बरबाद हो जायेगा या जिन्दा रहेगा। आप जब किसानों की सरकार बन कर आये हैं तो आप को क्यों यह भय है कि किसान रुपया अदा नहीं करेंगे। हम तो समझते थे कि जमी-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्री [illegible] — [illegible] कानून के मातहत गिरफ्तार [illegible] जाता [illegible] था कि वह अपनी पैरवी कर सकता था। [illegible] उसका अधिकार तक नहीं है कि वह किसी अदालत [illegible] वाकई वह गुनाहगार है भी या नहीं। दूसरी बात [illegible] और उसके लिए आपने नोटिस दिया। [illegible] मैं यही कहता [illegible] कि मैं तो [illegible] आपने राय ली होती, [illegible] अगर किसानों की यह राय [illegible] सरकार जब यहां आती है और यहां [illegible] जरा भी अहसास नहीं होता। गांव की जनता इतनी [illegible] क्या कानून बनने जा रहा है। उनको बताने के बाद [illegible] यही वजह है कि हमने जब उनको कानून की [illegible] बताई और उनको [illegible] मालूम हो गई तो उसी की वजह से आपका कलेक्शन [illegible] और [illegible] आपने आसमान को ऊपर उठा लिया। जिस तरह से [illegible] बारे में आपको सबूत दूं तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा गांव या जिला बाकी नहीं होगा जिसमें सख्ती के साथ यह बातें नहीं हुई हों। आपने एक भी बार उनकी राय ली होती तो मुझे जरा संतोष हो जाता। जब आप जनता के लिए कानून बना रहे हैं तो आप जनता से पूछ लीजिये। आपने जालौन जिले के चुनाव के बारे में कहा और कहा कि उससे मालूम होता है कि लोगों की विचार-धारा किधर जा रही है। तो इसके बारे में भी यह कह सकता हूं कि विचार-धारा किधर जा रही है इसका भी अन्दाजा सरकार को होना चाहिए। स्वतंत्र

उम्मीदवार होने के बावजूद और तमाम परेशानियों के होने के बावजूद भी उसने १० हजार वोट प्राप्त किये। स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तो आपके सोचने की बात है कि लोगों की विचार धारा में परिवर्तन जरूर हो गया है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा भय, फियर और फेवर उनके हृदय में है यही वजह है कि जो बात वह कहना चाहते हैं वह कह नहीं सकते। आपने अंग्रेजी सम्पर्क और नवाब साहब के बारे में कहा और आप यह तो जानते हैं कि पुलिस का और पटवारियों का अंग्रेजों के साथ सब से बड़ा सम्पर्क था लेकिन वे सब लोग आप के विश्वासपात्र हो रहे हैं। उनकी तो कुछ पूछिये ही नहीं। अगर कोई खराबी अंग्रेजी सम्पर्क की है तो वह जमींदारों के ऊपर डाली जाती है। आप कहते हैं कि हम लोगों को अंग्रेजी तरीके पसंद हैं लेकिन हमारे देश की राजभाषा जो हिन्दी है उसको भी आप ने १५ साल के लिये टाल दिया है। जो सही बात है उसे सही कहना चाहिए और गलत को गलत। जो हक आज किसानों के हैं उनको आप आज छीन रहे हैं। आपका यह कहना कि इसमें उनको फायदा है यह गलत है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामशङ्कर लाल---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा का जमींदार लोग तो विरोध करेंगे ही यह बात तो मैं समझता हूं लेकिन जब ये लोग किसानों की हमदर्दी की बातें करते हैं और खासकर हमारे राजा साहब ने जब हमदर्दी की बात की तो उसमें कुछ समझ नहीं सका अपने जमाने में तो इन लोगों ने किसानों से लगान वसूल करने में जो--जो सख्तियां कीं और जो--जो ज्यादतियां की हैं कि किसानों को मुर्गे बना--बना कर अपने रुपये वसूल किये, वे आज इस तरह से किसानों की हमदर्दी की बात करते हैं। जब आज स्टेट की मालगुजारी वसूल करने का वक्त आया है और जमींदारी खत्म हो रही है तब किसानों के लिए इनमें हमदर्दी का जोश उमड़ आया है खैर, मैं इस बात का खैरमकदम करता हूं कि उनके दिल में अब तो किसानों के लिये हमदर्दी पैदा हुई। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे एक राजा साहब ने यह कहा कि वह मालगुजारी है ही नहीं बल्कि वह लगान है भूमिधर जो एक्स गवर्नमेंट को देंगे वह माल--गुजारी कहलायेगी। भूमिधर का स्टेटस हम लोगों ने वही रखा है जो जमींदार का स्टेटस है, मालिक का स्टेटस है। उसे लगान कहना तो सही नहीं है हम तो उसे मालगुजारी ही मानते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो उसे मालगुजारी मिलनी चाहिए। अब आगे उसकी वसूली का क्या मुनासिब जरिया हो, रिस्पांसिबिलिटी ज्वाइंट हो या सेपरेटली हो इस पर विचार करना है। अभी तक हमारे मुल्क में मालगुजारी वसूल करने का जो तरीका रहा है वह यही रहा है ज्वाइंट और सेपरेट। लेकिन अब हम लोगों ने अपने यहां गांव पंचायतें कायम कर दी हैं और गांव वालों के ऊपर ही हम बहुत जिम्मेदारी आयद करना चाहते हैं यही नहीं जैसा कि हमारा इरादा है, इस बिल में वह आगे आयेगा कि हम चाहते हैं कि मालगुजारी वसूल करने का काम भी गांव सभा के ही जिम्मे हो इस ऐक्ट में भी गांव समाज को गांव के प्रबन्ध के बहुत से अख्तियारात दिये गये हैं ये दोनों बातें ऐसी हैं कि अगर गांव के लोग कलेक्टिव सेंस आफ रिस्पांसिबिलिटी पर आयें तो मैं यह कह सकता हूं कि मालगुजारी की अदायगी अच्छी तरह से होगी हम लोगों को चाहिए कि ऐसा उपाय करें जिससे गांव वालों में कलेक्टिव सेंस आफ रिस्पांसिबिलिटी पैदा हो जाय जब यह चीज आज तक होती रही है और आज भी है और आगे भी हम चाहते हैं कि यह रहे जो गांव वालों में सेंस आफ रिस्पांसिबिलिटी डेवलप करे जिससे कलेक्टिव मालगुजारी स्टेट को वसूल हो। आखिर में समझ नहीं पाता कि इसमें कुछ लोगों को एतराज क्यों है? यह दलील दी जाती है कि अगर एक काश्तकार अपनी मालगुजारी अदा नहीं करता है तो फिर उसका क्या होगा इससे औरों को भी नुकसान है। सेलेक्ट कमेटी ने क्लाज २ में यह प्रोवाइड कर दिया है कि जब तक कोई खास वजह न हो तब तक प्राविंशियल गवर्नमेंट इस प्राविजन को कहीं लागू नहीं करेगी और इस पर कोई अमल नहीं होगा लेकिन अगर यह ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी सब की रहती है तो मैं समझता हूं कि इससे किसी का कुछ हर्ज नहीं होता है और जहां तक अमल में लाने की बात है वह इस ऐक्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है। जब प्राविंशियल

[श्री रामशंकर लाल]

गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि किसी एरिया के लिये यह अमल में आयेगा तो तब यह अमल में आयेगा इसके खिलाफ काफी कहा गया है । कुछ लोगों ने कहा कि गिरफ्तारी न हो लेकिन मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान की बात तो जाने दीजिये ब्रिटिश ला में भी और अमरिकन ला में भी यह मौजूद है कि वहां पर इन्कमटैक्स वगैरह के सम्बन्ध में एरेस्ट हो सकती है लेकिन फिर भी वहां यह देखा जाता है कि किसी गलत तरीके पर उसके सिटिजन के जो राइट है वह उसके खिलाफ न जाये । हमारे राजा साहब कहते हैं कि गांव के लोग अनपढ़ हैं समझते नहीं हैं तो फिर इस कानून का मतलब क्या समझेंगे और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि ब्रिटिश ला और अमेरिकन ला को वहां की पब्लिक अच्छी तरह से समझती है तो फिर यह यहां के लिए कैसे मेल खाती है यह बात समझ में नहीं आती है, लेकिन मैंने जैसा कहा इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं यह ऐक्ट मुनासिब है और यह दफा जो इस जगह पर है उसको पास किया जाना चाहिये । मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको मंजूर करेगा ।

श्री प्रयाग नारायण--यह जो २३० क्लाज है इसके बारे में बड़ा देर से बहस हो रही है । यह एक ऐसी चीज है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर काफी गौर करना चाहिए और जो जिम्मेदारी मुनासिब हो वही डालनी चाहिए । क्या यह मुनासिब होगा कि बाकी किसी की और वसूल किसी और से की जाय ? भला कहीं ऐसा भी होता है कि चोरी तो कोई और करे और जेल वाने किसी और को भेजा जाय ? मैं तो यह समझता था कि यह गवर्नमेंट, जिसने उस गवर्नमेंट की गद्दी ली है, जिसके लिये वह हमेशा कहा करते थे कि यह गवर्नमेंट काश्तकारों की भलाई का कोई ख्याल नहीं करती है उससे हम यह आशा करते थे कि यह अंग्रेज सरकार यहां से जल्दी जाये और इसकी जगह पर हमारी सरकार हो जो हम सब को सुख देगी और देश का भला करेगी और जो यहां पर नामुनासिब बातें हैं उनको दूर करेगी । यह गवर्नमेंट अब उन्हीं बातों को जो पुरानी सरकार करती थी करती जाती है । क्या यह मुनासिब बात है कि उसी सरकार की पैरवी की जाय, जिसके लिए आप सब लोग कहा करते थे कि इस सरकार ने बहुत ज्यादतियां कीं और उनकी कोई सुनता नहीं है । वही चीजें आज फिर दोहराई जा रही हैं । मैं तो यह कहता हूं कि यह आप को जेबा नहीं देता है । मैं यह नहीं चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट फिर उन्हीं बातों को दोहराये । इस बारे में काफी कहा गया और मजीद उसके ऊपर कहना और उन्हीं बातों को दोहराना अच्छी बात नहीं मालूम होता है । यह जिम्मेदारी की बात है । आज आप हम लोगों को खत्म कर रहे हैं । हमारे लोगों के पास जो मकानात बेचेंगे उनसे आप वह रुपया वसूल करेंगे और जो मोटर वगैरह है उसके लिये आप कहेंगे कि नहीं यह तुम्हारी नहीं है यह भी सरकार की है और जो जेवर वगैरह होगा वह भी आप हड़प कर लेंगे आप तो पापुलर (लोकप्रिय) गवर्नमेंट हैं ऐसी चीजें नामुनासिब हैं और मेरे ख्याल से आप का दिल भी यही कहता होगा कि यह बात हम नामुनासिब कर रहे हैं तो जब आप का दिल इसको नामुनासिब कहता है तो आप वही करिये जो आप का दिल कहता है दुनिया को दिखाने के लिए या जिस गवर्नमेंट पर आप काबिज हैं उसका पक्ष लेने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारे कैप्टन ने पास कर दिया, हमारी पार्टी के लोग यह चाहते हैं कि यह कर देना चाहिए, इन सब बातों पर न जाइए यह कोई तरीका नहीं है कि आप ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) कर दीजिये । आप समझते हैं कि काश्तकारों की हालत अच्छी है हम समझते हैं कि उनकी हालत अच्छी नहीं है । हम भी देहात के रहने वाले हैं, शहर के नहीं आप पता लगाइए तो यह सब बातें हैं जिनकी वजह से मैं इस धारा का विरोध करता हूं ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--आज बहुत जोरों से इस बात की दलील दी जा रही है कि सरकार तो ऐसा कदम उठा रही है, जिससे किसानों के ऊपर एक तरह से तलवार चलाना है और बड़ी सख्ती हो रही है और इस तरह का संशोधन पेश किया गया जैसे मानों किसानों के

साथ बड़ी भारी हमदर्दी जाहिर की जा रही है। वाक़या तो यह है कि आज हमारे जमींदार साहबान खुद उस दर्जे पर आ रहे हैं कि जिस दर्जे पर किसान थे और अब उनको किसानों की तरह से सोचने और समझने का मौका मिल रहा है वे समझ रहे हैं कि अब हम भी किसान बन रहे हैं, हम भी एक तरह से व्यक्तिगत रूप में सरकार को मालगुजारी अदा करने के जिम्मेदार हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में कहीं ऐसा न हो जाय कि गांव भर की मालगुजारी जैसे पहले हम वसूल करके अदा करते थे उसी तरह से अब भी हमसे सरकार गांव भर की मालगुजारी वसूल करे। तो ऐसा खतरा तो अपने दिल में उन्हें नहीं लाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव अब होगा जैसा और काश्तकारों के साथ सरकार का है। सरकार को जमींदार साहबान से कोई ऐसी अदावत नहीं है कि इस बात से डरें कि आज वे भी किसान बन जायंगे तो गांव भर की मालगुजारी उन्हीं से वसूल की जायगी। वाकई अगर हमारे जमींदार साहबान या जिन लोगों ने यह संशोधन उपस्थित किया है देखें तो उन्हें मालूम होगा कि अब गांव का नक्शा बिलकुल बदल रहा है। गांव में गांव सभायें स्थापित हो रही हैं और हुई हैं और गांव सभाओं की एक सेपरेट ऐंटिटी बन गई है। गांव-सभायें अपने-अपने गांव का इन्तजाम करेंगी, गांव-सभायें अपने-अपने गांवों की पर्ती जमीन, तालाब वगैरा का इन्तजाम करेंगी और उनकी मालिक होकर रहेंगी। यह तो उसूली बुनियाद की बात है। इसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन माननीय मालमंत्री के शब्दों में इस बुनियादी उसूल को तो राजा साजिद हुसेन साहब को जरूर कबूल करना चाहिए कि गांव सभायें जब सेपरेट ऐंटिटी बन गई हैं तो वह पूरे तौर पर गांव की पूरी मालगुजारी अदा करने की जिम्मेदार होती हैं जब एक तरफ से हमने गांव-सभाओं को पूरे अख्तियारात दे रखा है गांव के पूरे इन्तजाम का, गांव की तमाम तकलीफ और आराम का, तो ऐसी सूरत में गांव की जिम्मेदारी भी एक होती है। मगर इस बात को हम मद्देनजर रखें कि जो गांव सभाओं का मौजूदा कांस्ट्रक्शन बनाया गया है, जिस तरह से गांव वालों को हम मिल जुल कर रहने का सबक सिखलाने जा रहे हैं, उस तरीके पर गांव सभायें पूरे गांव की जिम्मेदार हैं, लेकिन उन लोगों के दिल में यह शुबहा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी खाते की मालगुजारी बाकी रह जायगी तो गांव के किसी दूसरे किसान से वसूल की जायगी। धारा २३० की उपधारा (२) में यह साफतौर पर लिख दिया गया है कि अगर किसी गांव में संयुक्त रूप से मालगुजारी वसूल करनी होगी तो सरकार की तरफ से प्रख्यापन होगा कि अमुक गांव में यह बात लागू की जायगी कि उस गांव की मालगुजारी संयुक्त रूप से वसूल की जाय। यह चीज कुछ खास वाकयात के पेश आने पर की जायगी, लेकिन यह चीज नहीं है कि आम तौर पर यह चीज अमल में लाई जाय। उपधारा (२) से साफ मालूम होता है कि किसी खास मौके पर इस धारा का अमल किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा गांव सभा एक सेपरेट ऐंटिटी है, एक मुस्तकिल यूनिट है और एक यूनिट के लिहाज से उसके ऊपर गांव वालों की एक सम्मिलित जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को उन्हें निभाना चाहिए, इस में सरकार के ऊपर ऐसे लांछन लगाना कि सरकार किसानों के साथ ज्यादती करने जा रही है यह बिलकुल गलत है। न किसानों को डरना चाहिए और न हमारे जमींदार साहबान को डरना चाहिए और न उन्हें किसानों की तरफ से यह वकालत करना चाहिए कि किसी किस्म का अंदेशा है। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि महज प्रोपेगंडा करने के ख्याल से उन्होंने इस संशोधन को उपस्थित किया है। उनके दिल में किसी किस्म का खतरा नहीं होना चाहिए। सरकार को मालगुजारी मिलना चाहिए इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता है। किसान मालगुजारी अदा करते हैं और अदा करेंगे, इससे भी किसी को इनकार नहीं हो सकता। इससे हमारे जमींदार साहबान इनकार नहीं करेंगे कि अब तक गांव के गरीब किसान सब से पहले मालगुजारी अदा करते थे। कुछ लोग जो नादिहंद होते थे उनके ऊपर जरूर बकाया लगान की नालिश जमींदार साहबान को करनी पड़ती थी। अब जब जमींदारी खत्म हो रही है तो सरकार को बराहरास्त मालगुजारी वसूल करना है। आगे चल कर यह चीज रखी गयी है कि गांव-सभाएं मालगुजारी वसूल करेंगी। जब गांव-सभाएं मालगुजारी वसूल करेंगी और गांव-सभाएं रिप्रेजेंट करती हैं पूरे गांव को तो सब गांव वालों की मालगुजारी वसूल करने के लिए संयुक्त जिम्मेदारी का होना कोई बुनियादी उसूल के खिलाफ बात नहीं है बल्कि यह उसूल के

[illegible]

... साथ हो [illegible] जा [illegible] हो [illegible] यह कहा जाय। अगर [illegible] कार्रवाई करता है तो [illegible] कानून जानता और [illegible] वह सब फाने हो जाता है। [illegible] मिनिस्ट्री का इस जमींदारी अबालिशन [illegible] आप को जनता का किस कदर फायदा [illegible] है या इसके अन्दर कुछ ऐसे लोग व तलवार भी [illegible] गरीब शख्स जो आप के साथ ता [illegible] उनको [illegible] इस्तेमाल कर सके। ऐसे तमाम नश्तरों का अगर जाहिर किया जाय तो उनके अन्दर भी आप यह चाहते है कि [illegible] इजहार को बाहर भी जबानबन्दी [illegible] जाय और उन्हें बाहर हाने का मौका न मिले। जनाब [illegible], किसी मुल्क [illegible] डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) में [illegible] कायदा नजर नहीं आयेगा कि एक शख्स के जुर्म कोई करता हो और [illegible] दूसरे में [illegible] कर लिया जाय। उसके लिए कितने ही बड़े-बड़े उसूल आप [illegible] करें और अपनी बारीके करें, लेकिन दुनिया का यह उसूल अपनी जगह पर है। यह बिल्कुल गलत है कि किसी एक शख्स की जिम्मेदारी किसी दूसरे [illegible] में वसूल की जाय। यह कहना कि पहले लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में [illegible] जा रहा वह और गलत हो जाता है। पहले जमाने के अन्दर [illegible] हुकूमत के [illegible] किस-किस किस्म की चीजें चल रही थी और आप उनमें से [illegible] है ? सिवाय ऐसी चन्द चीज निकाल लेना [illegible] आप [illegible] जरिये से आप अपनी सियासी मुखालिफ जमातों को [illegible] और [illegible] आप [illegible] दबाव डाल सके और किस बात की [illegible] है ? [illegible] सकता है ? आप क्या सही मानों में [illegible] कि आप [illegible] और गांव को भलाई करने जा रहे है ? आप तो यह अपना मुफीमेशी ([illegible]) [illegible] है जिससे कोई ऐसा ऐक्ट न बने जिससे कोई [illegible] आप के खिलाफ कुछ कह या कर सके और अगर वह ऐसा करे और करे तो [illegible] है जिसमें हर शख्स और हर जमाअत आप के खिलाफ कुछ न [illegible] देना कि अगर पुरानी हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रहे है जिनके [illegible] है यह कोई दलील नहीं है। आप तो [illegible] पुरानी हुकूमत के [illegible] और [illegible] पुरानी हुकूमत के जुल्म और ज्यादती के [illegible] उनको आप कानूनन पास करते हैं, [illegible] पास करके मुकम्मल जुल्म और ज्यादती की शक्ल दे रहे है। आप अगर गौर से देखें तो [illegible] इब्तदा अंग्रेजी जमाने में हुई। इसका आगाज शायद कलेक्टिव फाइन (सामूहिक जुर्माना) से हुआ। सन् १९४२ में जो कलेक्टिव फाइन्स होते थे वह [illegible] जो [illegible] करने वाला होता था उसका पता नहीं चलता था या गांव के अन्दर लोग एक दूसरे से मिले-

[illegible]

[illegible] जिन लोगों की जमानत को [illegible] मंजूर है, या उन लोगों के [illegible] जिस मुखालिफ पार्टी को दबाना है वहां ही इसका [illegible] चाहेगी वहां उसका नफाज नहीं करेगी। कोई हद तक तो [illegible] अगर इसका ताल्लुक पूरे सूबे से होता [illegible] सभी [illegible] अगर वह मुनासिब न समझती, तो इनको छोड़ देती, लेकिन [illegible] यह बहुत गलत बात है। यह बड़े अन्धेर की बात है कि एक जगह पर जुल्म और ज्यादती की जाय और किसी जगह पर न की जाय। यह करीने इन्साफ नहीं है। इसके वह तमाम शुबहात पुख्ता होते हैं कि वाकई में इसमें मकसद मुतालिबा वसूल करना नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ और भी मकासिद हैं और वह मकासिद वही हैं कि हुकूमत चाहती है कि उसके मुखालिफ जितनी भी सियासी जमाअतें हैं उनकी जबाबन्दी हो और उनको कुछ कहने का मौका भी न मिल सके। इसके साथ-साथ ही यहां पर अंग्रेजी और अमेरिकन कानूनों का हवाला दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि इस किस्म की चीजें अंग्रेजी और अमेरिकन कानूनों के अन्दर मौजूद हैं, लेकिन अगर हों भी तो भी मुझे अफसोस है कि एक तरफ तो आप अंग्रेजों की हर चीजों की मुखालिफत करते हैं और सिर्फ [illegible] इसको पूरा बताते हैं कि फलानी बात की नकल की जिस वक्त कोई कानून पेश करते हैं तो सिर्फ इस वजह से मुखालिफत करते हैं कि यह अंग्रेजी जमाने की पैदावार है, अंग्रेजी जमाने की दी हुई है लेकिन जब कोई चीज सफाई के साथ लाने की नहीं होती तब फिर अंग्रेजी और अमेरिकन कांस्टीट्यूशनों (संविधानों) का हवाला देते हैं और जो कि इंगलिश कानून है मुझे इल्म इसका नहीं है कि वाकई यह चीज इंग्लिस्तान और अमेरिकी कानून के अन्दर है लेकिन आप ईमानदारी से देखिये कि जितनी बेदारी और सियासी-बेदारी इंग्लिस्तान और अमेरिका में हो चुकी है उतनी बेदारी हमारी पब्लिक में नहीं है। वहां अगर ऐसी चीजें मौजूद हैं तो भी उनके मिसयूज (दुरुपयोग) होने का अंदेशा नहीं है जितना हमारे मुल्क के अन्दर है। जनाब वाला, इस बात का हर वक्त ऐतबार है कि कांग्रेस ही पब्लिक की सही तर्जुमानी करती है, अभी तक पब्लिक ने कांग्रेस को ही वोट दिया है, कांग्रेस ही एलेक्ट (निर्वाचित) हो कर आती रही है, कांग्रेस ही पब्लिक की आवाज को बुलन्द करती रही है, कांग्रेस ने ही सब मौकों पर पब्लिक की नुमाइन्दगी की है, कोई शाने नहीं रखता ऐसे जो जबान से दावे किये जाते हैं उनके साथ-साथ कुछ अमल भी होता तो बहुत अच्छा होता। वाकया यह है कि कांग्रेस पब्लिक की नुमाया जमात है नहीं है और अब भी है, लेकिन आजादी के बाद से, अगर गौर से देखा जाय तो सिर्फ अपने आमालों की वजह से गलत अमलों की वजह से कांग्रेस की अनपापुलैरिटी (अप्रियता) बढ़ती जा रही है और किसी हद तक कांग्रेस आज एक अनपापुलर जमात बन गयी है। अभी बहुत अर्सा नहीं हुआ है, मुश्किल से ३ या ४ साल हुए हैं जब कि जो एलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस ने अपने मुखालिफ लोगों की जमानत तक जब्त करा दी [illegible] आज

[श्री अम्मार अहमद खां]

वही कांग्रेस है जिसके खिलाफ मुखालिफ जमातों को ३३ परसेंट (प्रतिशत) तक वोट मिल जाते हैं। क्या यह अनपापुलैरिटी का सबूत नहीं है ? अगर यही होता रहा और कांग्रेस का रवैया यही रहा तो अगली दफा कांग्रेस की मुखालिफ पार्टियों को ५०—५० या ६०—६० परसेंट वोट मिलेंगे और आप की वही जगह होगी जो आज हमारी है। अगर आप इन तमाम चीजों को देखें तो आप को अच्छी तरह से मालूम हो सकता है कि आप किधर जा रहे हैं। ये चीजें, जो मैंने कही, इस दफा से गैर मुताल्लिक हैं और इन चीजों का हवाला इस दफा में लाना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से जब इस किस्म के एलान होते हैं और मजबूती के साथ एलान अपनी तारीफ के होते हैं और यह तो एक आदत सी पड़ गई है कि बार—बार अपनी तारीफों को बघारा जाय, इसी बिना पर इतना अर्ज करने की हमें हिम्मत हुई नहीं तो इन सब बातों को अर्ज करने का यह मौका नहीं था।

जनाब वाला, हमारे मिनिस्टर साहब ने जागीरों के मुताल्लिक भी फरमाया है और कहा है कि लोगों को जागीरें मिलीं, लेकिन हम जागीरें नहीं देते हैं इस वास्ते लोग नाखुश हैं। मैं वजीर साहब की इत्तिला के लिए यह कह देना चाहता हूं कि उनका यह ख्याल गलत है, इसमें कोई असलियत नहीं है, न कोई हकीकत है। अगर जागीरें मिला करती थीं तो इसलिए मिला करती थीं कि कोई नुमायां काम करते थे जिससे कि जागीर मिल सके, और आज भी जिन लोगों ने आप के साथ कोई फायदा किया है, आप का काम किया है, उनको आपने जागीरें नहीं दीं, क्या यह गलत है ? हां, आप ने जमीन की जागीरदारी नहीं दी, लोगों को जमींदारी नहीं बख्शी, लेकिन परमिटों की जागीरें आप ने दी हैं, जैसे सिविल सप्लाईज के परमिट, मोटरों के परमिट, ट्रकों के परमिट, वगैरह, वगैरह। ये भी जागीरें ही हैं, जो आप की खिदमत करने के सिलसिले में लोगों को हासिल होती रहती हैं और उनके तकसीम करने का ऐसा ही गलत रवैया रखा गया है। आप अपने खादिमों में जागीरें उसी हद तक गलत रवैये से तकसीम करते रहे हैं जैसा कि पहले होता रहा है। आप ने उसको तकसीम करने में मुस्तहक और गैर मुस्तहक को नहीं सोचा, आप ने उसके अन्दर सचाई और ईमानदारी को पसेपुश्त डाल दिया है और उन्हीं चीजों को क्राइटेरियन (सिद्धान्त) रखा है जो चीजें कि किसी इंसाफ और सच्चाई और ईमानदारी के जमाने में क्राइटेरियन नहीं हो सकतीं। जागीर इनकश (नकद) भी हो सकती है और जागीर इनकाइंड (चीज में) भी हो सकती है। इन सब बातों को लोग अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए आपके लिए इन सब बातों को न कहना ही बेहतर है। मैं जो कुछ भी अर्ज कर रहा हूं वह आज आप के भाइयों की ही आवाज है, आप के साथ हमेशा से रहने वालों की ही आवाज है, यह आज उन्हीं की आवाज है जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी आपके साथ आजादी की लड़ाई में बिताई है, यह उनकी ही आवाज है जो आप के थे और आपकी हालत से बेकरार होकर आप की तरफ से हटकर इधर बैठने आये हैं। ये तमाम चीजें इस किस्म की नहीं हैं जिन पर आंखें बन्द कर ली जायं और यह समझ लें कि आज की दुनिया इन सब बातों को बर्दाश्त कर सकती है।

खैर, जनाबवाला, दफा २३० इस बिल के अन्दर देखा जाय तो उन चन्द दफात में है, जो इस बिल की स्याही है और यह उसे स्याहतर कर देती है। इस बिल के अन्दर यह तमाम शायबे, तमाम माकूलियत को खत्म कर देती है। इसके बाद भी अगर आप इस चीज पर इसरार करते हैं कि दफा २३० इसी सूरत से रखी जायगी तो अल्लाह आपको नेक तौफीक दे और हमें यह तौफीक दे कि आपका जो तरीकेकार है उसके साथ इस ढंग से चल सकें जिसमें कम से कम बुराइयां हों और अगर अच्छाई न कर सकें तो आप की बुराइयों से अपने को बचाने की ताकत और कूवत पैदा कर सकें।

श्री साजिद हुसैन—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त यह सवाल पेश है कि आया दफा २३० इस विधेयक का अंश मानी जाये या न मानी जाय। अमूमन जब हमने किसी दफा की

मुखालिफत की तो हमारे मंत्री जी ने यह फरमाया कि अगर यह नहीं मानी जायगी तो इससे एबोलीशन (उन्मूलन) में रोड़ा अटकेगा। जहां तक कि इस दफा २३० का ताल्लुक है और जिसके जरिये से सरकारी ड्यूज (मतालबों) की वसूलयाबी की बात रखी गयी है मैं उसको मालगुजारी या लगान के नाम से नहीं कहता क्योंकि उसमे बहुत कन्फ्यूजन (सम्भ्रान्ति) पैदा करने की कोशिश की गयी है। यह चीज दफा २६० के जरिये से भी आसानी से हो सकती थी, लेकिन उसमें यह बात पैदा नहीं होती यानी जायज तरीके से रुपया वसूल करना है, तो २६० काफी है। मगर यहां मन्शा दूसरा है यहां नाजायज तौर से रुपया वसूल करना है यहां लोगों को विक्टेमाइज (शिकार बनाना) करना है। जमींदार जो आइन्दा भूमिधर कहलायेंगे उनको इसके जरिये सजा दी गयी है। यह कहा गया कि यह जमींदार जो कल किसानों का खून चूसता था इसकी क्यों मुखालिफत करता है। मेरी समझ मे यह बात नहीं आती कि जिन साहब ने यह फरमाया गालिबन मुख्तारी से वह वास्ता रखते है, खैर जिससे भी वास्ता रखते हों, उनके इस कहने से मैं हैरत मे पड़ गया। यह चीज मौजूदा जमींदार और मौजूदा काश्तकार जो आइंदा भूमिधर और सीरदार कहलायेंगे यह दोनों पर लागू होगी। दोनों पर यह चीज बराबर लागू होगी। एक साहब ने फरमाया कि यह दफा जो है वह प्रेम का जरिया है। यह बात बिलकुल समझ मे नहीं आयी कि इससे प्रेम कैसे बढ़ेगा। एक चीज हो सकती है। फर्ज कीजिये मैं दिवालिया हूं, कामचोर हूं लेकिन आप साहूकार है। तो यह जरूर हो सकता है कि मुझे उनसे प्रेम हो, मेरा कर्ज आप से वसूल हो, लेकिन आपको मुझसे प्रेम हो यह मेरी समझ मे नहीं आता। जो साहूकार है, मेहनती है उसको तो यह परेशानी का जरिया है। दिवालिये को जरूर प्रेम होगा कि यह मोटा असामी जब तक है तब तक उसकी जेब महफूज है। अब आप देखे हमारे द्वारिका प्रसाद जी को। वे शोषित संघ के लीडर हैं, उनका तो सपोर्ट (आश्रय) बिलकुल ही गलत है। अब आप देखिये कि किसी गांव मे आपका मकान है और उसी वजह से आपको गांव से ताल्लुक है, यही आपका कसूर है कि वहां पर आपका मकान है। अगर ऐसा होगा तो लोग गांवों को छोड़ देंगे और शहरों में अपने मकानों को बनायेंगे। अगर आपका यही उसूल रहा कि किसी के कसूर पर दूसरे को सजा दी गई तो यह एक अजीब बात होगी। अगर आप इस प्रिंसिपल (सिद्धान्त) को ला (क़ानून) मानना चाहें तो वह भी एक प्रिंसिपल जरूर होगा, लेकिन वह एक ला-लैस ला (ग़ैर क़ानूनी कानून) होगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह ला नहीं होगा लेकिन वह एक नोबिल ला (सद्विधान) नहीं होगा। महात्मा जी जो इस बात को कहते थे कि चाहे कोई बात हमारी फ़ितरत के खिलाफ ही क्यों न हो, लेकिन हम इंसाफ के खिलाफ कभी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन आज उनके ही पैरु गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसका सिर्फ यही मतलब है कि सिवाय किसानों को टैरोराइज (भयभीत) करने के और विक्टेमाईज करने के और आइंदा के एलैक्शन को जीतने के लिये आप उनको हर तरह से दबा देना चाहते है। गोया कि आप अपने अधिकारियों के जरिये से और विलेज पंचायतों मे अपने असर के जरिये से विलेज कम्युनिटी (ग्राम-समाज) को आप थ्रीट करना (डराना) चाहते है। जरा-जरा सी बातों मे आप प्लबीसाइट (जनमत) की बाते कहते हैं। जरा मामूली दिमाग से ही सोचा जाय कि किसी आदमी से यह कहा जाय कि दूसरे का रुपया तुझसे वसूल कर लिया जायगा तो वह कैसे क़बूल कर सकता है। उसके जूते को क्या गरज पड़ी कि वह मुक़द्दमेबाजी करने जाय। रुपया तो आप उससे वसूल कर ले और वह दौड़ा-दौड़ा फिरे। यह निहायत ही जब्र का क़ानून है और कम से कम मेरे ख्याल मे यह महात्मा जी के फालोअर्स (अनुगामियों) के लिये इन्तिहाई शर्म की बात है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस धारा का ताल्लुक है, काफी तक़रीरें हुई और एक-एक बात पचासों मर्तबा कही गई, लेकिन मैं भी इस जुर्म का मुजरिम नहीं होना चाहता कि इन सब बातों को दुहराऊं। हमारे नवाब

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

साहब ने एक शेर पढ़ कर शुकिया अदा
लेकिन मेरे लिये यह बड़ी मजबूरी की बा
वे साफ ही दिखाई पड़ते हैं वरना कभी
नजरों से ओझल हो जाते। हमारे कुंव
डिटेंशन ऐक्ट (निरोध विधान)
और बड़े जालिमाना तरीके से बरता ह
बेइंसाफी की है। लोगों को मालूम है कि जब कोई गलती करता है तो वह डिटेन (निरुद्ध) होता है और जिस वक्त वह अपनी गलती को महसूस करता है उसी वक्त फौरन ही वह छोड़ भी दिया जाता है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा यह कहना कि डिटेंशन ऐक्ट को बुरी तरह से बरता गया, कम से कम हमारे कुंवर साहब तो यह बात नहीं कह सकते हैं। हैबियस कार्पस की दरख्वास्तें गुजरती आयी हैं और अदालतों के सामने उनको कहने का मौका होता है। लिहाजा ऐसे इल्जाम लगाना किसी तरह से भी मुनासिब बात नहीं है। इसके अलावा कुंवर साहब को एक बात और नागवार खातिर हुई जब कि उन्होंने यह फरमाया कि कांग्रेसी सरकार से जस्टिस (न्याय) की उम्मीद नहीं है तो उसके जवाब में मैंने यह अर्ज किया कि कुंवर साहब को जस्टिस की उम्मीद तो अंग्रेजी सरकार से ही सकती थी। यह कहना उनको नागवार मालूम हुआ, बहुत बुरा मालूम हुआ। लेकिन मैं क्या कहूँ? ब्रिटिश तो चले गये, लेकिन अभी आपका असोसियेशन बाकी है। जो ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन है उसी के नुमाइन्दे होकर आप यहां आये हैं। फिर मैं यह कहूँ कि अभी तक आपका असोसिएशन उनसे क़ायम है, तो आपको बुरा मालूम होता है। अगर मैंने यह कहा कि अभी आपको उनसे दिलचस्पी है, तो मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं और वाक़ई में यह बुरा मानने की बात है भी। सही वाक़ये पर भी मजाक कर देने से जरा चोट पहुंचती है। इस वजह से गालिबन आप नाखुश हैं और अगर आपके दिल में इससे कुछ तक़लीफ पहुंची हो, तो मैं उसके लिये अफसोस जाहिर करता हूँ। मेरा कतई यह मंशा नहीं था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आइन्दा आप उनको अपने असोसियेशन से हटा देंगे। जहां तक इस धारा का ताल्लुक है मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, और अम्मार अहमद साहब की एक बात का भी जवाब देना है कि एक मसल है कि किसकी दाढ़ी में तिनका, तो मेरी कभी यह मंशा नहीं थी, और मैं जानता भी नहीं था कि उनको जागीर मिली है। लेकिन उसी मसल से यह मालूम हो गया और मैं मजबूर हो गया नतीजा निकालने के लिये कि उन्हें जागीर मिली है। लेकिन अगर जागीर मिली भी होगी तो वह नाजायज तौर से मिली होगी। १८५७ ई० में गद्दारी करने के सिलसिले में मिली होगी। आपने फरमाया कि यह सरकार भी जागीर देती है। मगर यह सरकार उनको देश सेवा के लिये जागीर देती है। उन्होंने देश के साथ गद्दारी नहीं की है। अंग्रेजी सरकार उनको जागीर देती थी जो देश के साथ गद्दारी करते थे। जब पहली इंडिपेंडेंस (स्वाधीनता) की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गयी तो कुछ लोगों ने देश के खिलाफ जाकर अंग्रेजों का साथ दिया और उसी के बदले में उनको जागीरें दी गयीं। लिहाजा उस जागीर और इस जागीर में जमीन और आसमान का फर्क है। जहां तक इस धारा का ताल्लुक है, मैं इस सदन को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार कतई इसको नाफिज करने के लिये तैयार नहीं है जब तक कि वह मजबूर न हो जाय कि फलां गांव के लोग दीवआदानिस्ता लगान देने में कोताही करते हैं। वरना यह मानी हुई बात है कि दफा २३० की उपधारा (२) लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उपधारा (२) पर बजाय इसके कि हमारे मित्र अम्मार अहमद साहब सेलेक्ट कमेटी के मशकूर हों और उन माननीय सदस्यों के, जिन्होंने उपधारा (२) बनवाने की कोशिश की, आप कहते हैं कि उपधारा (२) की वजह से कुछ शक

ा हो गया है कि सरकार इसको लागू करना चाहती है। लेकिन मैं अम्मार
हमद साहब को यकीन दिलाता हूँ कि सरकार ऐसी कोताह अंदेश नहीं है, वह एक
नट के लिये भी इस तरह की बात सोच भी नहीं सकती। हमारे राजा
म्मनपुर इस बात के शाहिद हैं कि उनके खिलाफ सरकार ने कभी भी ऐसी बात
मल में लाने की कोशिश नहीं की। मैं कहता हूँ कि किसी भी जमींदार के खिलाफ
सरह की कोई बात करने का इस सरकार का कतई इरादा नहीं है। आप ऐसी
मालें दे देकर जहां खतरा नहीं है, वहां भी खतरे का इस्तआल देकर उसे इन्फाइट
रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आप भले ही कुछ कहें, लेकिन यह सरकार कभी भी
सी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहती है। आप इस दफा को एब्यूज कर
ते हैं लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब सरकार मजबूर हो जायगी
ी वह इसे कहीं पर नाफिज करेगी वरना ऐसा कोई इरादा नहीं है। लिहाजा
के एब्यूज करने का सवाल ही नहीं है। जहां तक मैरिट का सवाल है वह मैं आपकी
इमत में बयान कर चुका हूँ। अगर लगान है तो वह लगान रहेगा और अगर
लगुजारी है तो वह मालगुजारी रहेगी। अगर आप लोग रात को दिन कहने
तो हो नहीं सकता। जो क़ानून हम बनाने जा रहे हैं, उसके अन्दर अगर लगान
बा गया है तो लगान रहेगा और अगर मालगुजारी है तो मालगुजारी रहेगी।
हाजा जो बात सही है वह अपनी जगह पर क़ायम रहेगी और उसकी वसूलयाबी के लिये
तरीक़ा रहा है, वही तरीक़ा अब भी रखा जा रहा है और मैं आपको यक़ीन
राना चाहता हूँ कि जिस तरह से मालगुजारी बकाया ले ली जाती थी और उसके
ये राजा साहब शान के साथ जेल चले जाते थे, भूमिधर भी जेल चले जायंगे।
हाजा आप परेशान न हों। अपनी सरकार के बारे में उनकी तरफ से कोई शक व
हा नहीं है वह अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि सरकार उनके साथ
और कभी ज्यादती नहीं करेगी। जो कुछ करेगी वह उनकी भलाई और
बूदी के लिये ही करेगी। लिहाजा यह धारा बिलकुल इन्नोसेन्ट है और जो देश
वैल्थ है उसका अच्छा इन्तजाम करने के लिये है। लिहाजा यह दफा निहायत
री है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया इसको ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल करने
कभी इरादा नहीं है और न किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इसकी ताईद
ता हूँ कि यह धारा अपनी जगह बिल्कुल मौजूं है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २३० इस विधेयक का अंश मानी जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित
नुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--५०
विपक्ष में--७

धारा २३१

दूसरों की ओर से मालगुजारी का दिया जाना।

२३१--यदि किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने अंश से अधिक मालगुजारी दी हो, तो वह दूसरे भूमिधरों और सीरदारों से उनकी ओर से इस प्रकार दिये गये अधिक धन की प्रतिपूर्ति करा सकता है (may require to reimburse)

श्री ऐजाज रसूल--जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा २३१ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा २३१ रख दी जाय--

"२३१--यदि किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने अंश से अधिक मालगुजारी दी हो, तो वह अदा करने के दिनांक से छः महीने के भीतर, अधिक दी हुई धनराशि के

[श्री ऐजाज रसूल]

लौटाये जाने के लिए मानो वह मालगुजारी की बक़ाया हो, कलेक्टर को लिखित प्रार्थना-पत्र दे सकता है। ऐसा प्रार्थना-पत्र पाने पर और इस बात का सन्तोष कर लेने के बाद कि मांगा जाने वाला रुपया (amount claimed) प्रार्थी को देय है, कलेक्टर बाक़ीदार, या बाक़ीदारों से (defaulter or defaulters) से व्यय और ब्याज (costs and interest) सहित ऐसी धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानों वह मालगुजारी की बक़ाया हो।"

हुजूरवाला, मेरी यह तरमीम निहायत साफ़ और वाजे है। जैसा कि मने दफा २३० की तरमीम पेश करते वक्त कहा था कि अगर किसी काश्तकार से ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) की बिना पर रुपया वसूल कर लिया गया तो, उसका रुपया कैसे वसूल होगा। तो मिनिस्टर साहब ने यह फ़र्माया था कि वह अदालत में जनरल क्लाजेज ऐक्ट मे बक़ाया लगान का दावा कर सकता है। इस क़ानून के अन्दर कोई दफा ऐसी नहीं है, जिसकी बिना पर वह वसूल कर सके। लिहाजा मैंने यह दफा इस क़ानून के अन्दर जोड़ दी है कि वह शख्स जिससे ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी की बिना पर रुपया वसूल कर लिया गया हो इस कानून के अन्दर ही रुपया वसूल कर सकता है। वह छः महीने के अन्दर कलेक्टर साहब को दरख्वास्त दे और उसके दरख्वास्त देने पर कलेक्टर साहब इस बात की तहक़ीकात कर ले कि आया वाक़ई उससे रुपया वसूल किया गया है ताकि वह उसकी दरख्वास्त को मंजूर करके बक़ाया लगान के तरीक़े पर उनका रुपया वसूल कर ले। आनरेबिल मिनिस्टर साहब लैंड, रेवेन्यू ऐक्ट की दफा १४२ पढ़ देते हैं कि देखिये, इसमें यह लिखा है और दफा १४६ में यह लिखा है। लिहाजा मैं दफा १८४ का हवाला देना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट गांव की बक़ाया मालगुजारी लम्बरदार से वसूल कर लेती है, तो वह कलेक्टर के यहां दरख्वास्त देता है और वह उसकी मंजूरी पर मय खर्चे और हर्जे के रुपया सरकार के जरिये से वसूल करा लेता है। अगर उस गांव के और हिस्सेदार हैं और वे रुपया नहीं देते हैं तो लम्बरदार से रुपया वसूल कर लिया जाता है। ऐसी सूरत में अगर यह ऐतराज (मानता) यहां मानी जाय कि दफा २३० में किसी भूमिधर और सीरदार से गवर्नमेंट ने रुपया वसूल कर लिया हो तो अगर वह भूमिधर या सीरदार कलेक्टर को दरख्वास्त दे तो क्या कलेक्टर साहब उसको रुपया वसूल करा देंगे? मुझे उम्मीद है कि मौर्य साहेब जो कि एक बड़ा उदार दिल रखते हैं, मेरी इस तरमीम की ताईद करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। मौर्य साहब को गवर्नमेंट पर जोर देना चाहिये कि वह इस मुनासिब तरमीम को माने। एक तरीक़ा यह रखा गया है कि अगर सीरदार और भूमिधर से सरकार अपना रुपया वसूल कर लेती है, तो दूसरी तरफ उनको सहूलियत दी गई है कि सरकार उनके एरियर्स (बकाया) वसूल करा दे यानी जो रुपया उन्होंने जायद दिया है वह उनको मिल जाय। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर जरूर गौर करेगी, क्योंकि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि उसने ईमानदारी से यह दफा रखी है, तो उसे हमारी तरमीम मंजूर कर लेना चाहिये।

श्री रामशंकर लाल---जो संशोधन हमारे नवाब साहब ने पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अगर आप इसको और दफा २६२-ग को एक साथ पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि इस संशोधन की जरूरत ही नहीं है। इस दफा के मातहत हर एक आदमी को जो किसी दूसरे की मालगुजारी अदा करता है यह हक़ हासिल है कि वह अदालत दीवानी में दावा करके वसूल कर ले। अगर कोई ऐसा करेगा तो गवर्नमेंट उसे वसूल करा सकती है। गवर्नमेंट का मंशा यह नहीं है कि किसी का रुपया मारा जाय या कोई मुसीबत में पड़ जाय; जो इस तरमीम का

मक़सद है वह क़रीब-करीब मौजूदा दफा और दफा २६२-ग से हल हो जाता है। ऐसी सूरत मे आप देखेगे कि इस संशोधन की कोई जरूरत बाक़ी नही रहती है। इसलिये मैं नवाब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ज्यादा अच्छा है कि वह इस तरमीम को वापिस ले लें।

श्री साजिद हुसैन--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ख्याल यह था कि जो साहब गवर्नमेंट बेंचेज से अभी बोले हैं वह इस मुनासिब तरमीम की ताईद करेंगे मगर जो स्पीच (भाषण) उन्होंने दी है उससे अंदेशा यह हो गया है कि शायद माननीय मंत्री भी इसकी मुखालिफत करें। मगर मुझे उम्मीद है कि मेरी तक़रीर के बाद वह जरूर इस संशोधन को तसलीम करेंगे और मंजूर फरमायेंगे।

बहरहाल एक तरफ जब भूमिधर और सीरदारो के ऊपर यह ज्यादती दफा २३० के जरिए हो गयी और दुनिया के तमाम उसूलों के खिलाफ और इक्वीटी (साम्य) और जस्टिस (न्याय) के खिलाफ एक के ड्यूज (देय) दूसरे से वसूल किये जायंगे और इसके सिलसिले मे सिर्फ यह वजह बतलाई गयी कि एक ग़लत क़ानून अंग्रेजों का था उसी की बिना पर ऐसा किया। अब उसके बाद सिर्फ यही एक इलाज है कि अगर सरकार एक तरफ ज्यादती करती है, तो कौन-सा तरीक़ा ऐसा है कि उसकी परेशानी और उसकी मुश्किल को सरकार आसान कर दे। अगर अपनी सहूलियत के लिए सरकार ने उससे रुपया ले लिया और अपना काम निकाल लिया तो यह ठीक नहीं है कि उससे यह कहा जाय अब जाओ, अदालत का दरवाजा देखो, वकीलों को ढूंढ़ो, मुख्तारों को ढूंढ़ो और न जाने क्या क्या करो। यह तो मेरे ख्याल मे यही है कि 'आंख फेर लीं मतलब निकल जाने के बाद।' अपना काम तो करा लिया और फिर कह दिया कि अब दुनिया मे ठोकरे खाते फिरो, हर वकील को सलाम करो और हर मुख्तार के तख्त पर इमली के दरख्त के नीचे बैठ कर मुसाहबत करो। ऐसी सूरत मे वह मेरी समझ मे नहीं आता कि सरकार का ऐसा रवैया क्यों है? सरकार का रवैया तो ऐसा है जैसे किसी ग़ैर क़ौम का रवैया होता है या किसी का रवैया दुश्मन के साथ होता है। महात्मा जी की तालीम तो यह थी कि दुश्मनों के साथ भलाई करना चाहिये, किसी से नफरत नहीं करना चाहिये, जो अपने खिलाफ हों उनके साथ और भी मुहब्बत से पेश आना चाहिये। यहां तो इस बात का भी सबूत नहीं है कि हम दुश्मन है। हम लोग अपने को दोस्त समझते हैं और दोस्त से ज्यादा बात यह है कि हम लोग एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही जगह के नागरिक हैं। इस तरीक़े से यह ज्यादती और यह जबरदस्ती तो इस क़दर नामौजूं है और नाजेबा है सरकार के लिए कि सरकार को मेरे ख्याल मे इसके मुताल्लिक़ कम से कम ग़ौर ही करना चाहिये। शर्म आना तो कोई सवाल ही नहीं है। शर्म से न हमारी सरकार को वास्ता ही है और न सरकार इस चीज की परवाह ही करती है। सरकार ने जब एक तरफ से तलवार चलाई है तो कम से कम यह ही करे कि उसकी मलहम पट्टी ही कर दे। सरकार को कम से कम इतनी मदद करना चाहिये कि अगर वह सरकार के काम आगया और उसने सरकार की थैलियां भर दीं किसी न किसी तरीक़े से, तो सरकार के ऊपर यह फर्ज है कि जब उसका काम निकल गया है तो वह अपने जरिये से, अपने क़ानून के जरिये से और अपने अधिकारियों के जरिये से उसके रुपयों की वसूलयाबी का पूरा इन्तजाम करे। यह एक जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि एक मारल रेस्पांसि-बिलिटी (नैतिक उत्तरदायित्व) है सरकार के ऊपर कि वह उसको वसूल करावे। मैं यह समझता हूँ कि सरकार हवा के घोड़े पर सवार है। मगर मेरा ऐसा ख्याल है कि जब इस मुल्क की तारीख लोग लिखने बैठेंगे और इस सरकार का जिक्र करने बैठेंगे तो वह पता नहीं क्या कहें कि यह कैसी सरकार थी। क्या यह विदेशी सरकार थी या देशी सरकार थी जिसने अपने नागरिकों के साथ यह ज्यादती की

[श्री साजिद हुसैन]

कि उसने किसी की बक़ाया किसी से वसूल कर ली और फिर उसका साथ छोड़ दिया। उसको भाड़ में जाने दो, यह वजह भी न रखो कि वह नागरिक है या विदेशी आदमी। मैं कहता हूँ कि विदेशी आदमियों के साथ भी भलमनसाहत का बर्ताव किया जाता है। क्या हो सकता है कि अंग्रेज बहादुर से कुछ कर्जा ले लें और बाद में उनसे कहें कि आप यू० एन० ओ० में तशरीफ ले जाइये, हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको देना पड़ेगा और मजबूरन देना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में अगर आपका नागरिक आपके काम आ गया, अब वह खुशी से काम आया या मजबूरन वह दूसरी बात है, उसने आपको दो पैसे दे दिये और आपका भला हो गया, तो आपका फर्ज है कि आप उसके पैसे की वसूलयाबी में कम से कम उसकी सहायता करदें, उसकी इमदाद कर दें। यह तो भलमनसाहत का तकाजा है। यह एक रोजमर्रा का तरीक़ा है, रोजमर्रा का बाक़ायदा है और हर भले आदमी का यह तौर व तरीक़ा है। मगर जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ वह तो चौथे आसमान पर बैठे हुए हैं और अगर नहीं बैठे हैं तो समझते हैं और सरकार गोया हवाई घोड़े पर उड़ रही है। तो हम लोग जो दुनिया के रहने वाले हैं उनसे बर्ताव करना चाहते हैं वह इस दुनिया से बर्ताव होने के बाद मुमकिन हो सकता है। जो अपने को उनका स्पोक्समेन (मुख्य) समझते हैं जरा वह ही बतायें कि यह वकीलों के झगड़े में अगर हम पड़ें तो वह तरीक़ा कहां तक मुनासिब होगा। उन्होंने तो आपके साथ इतना बड़ा अहसान किया। आपको शादी-ब्याह में जरूरत हुई तो उनको पौता आपने दिया और एक तरीक़े से चन्दा इकट्ठा हो गया। लेकिन उसके यहां जरूरत पड़ी तो उसके तो काम आइये, उसके यहां से न्योता आया तो खबर ही न हो। तो ऐसी चीज सरकार को नहीं करना चाहिये। आपको तो अहसानमन्द होना चाहिये कि उनकी वजह से आपका बजट (आय-व्ययक) बैलेंस्ड (संतुलित) हुआ, हमारी तनख्वाहें मिल गयीं, हमारा भत्ता पूरा हुआ, हमारी मोटरों को पेट्रोल मिला। अब मैं समझता हूँ कि मैं काफी कह चुका हूँ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लायक दोस्त श्री एजाज रसूल साहब को यह सलाह देना चाहता हूँ कि कोई भी संशोधन मंजूर होने के लिये मुनासिब होना चाहिये। और उसके अलावा मुनासिब मौके और जगह पर प्लेस होना चाहिये। जो धारा २३१ है उसमें तो इतना ही कहा गया है कि, "यदि किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने अंश से अधिक मालगुजारी दी हो तो वह दूसरे भूमिधरों और सीरदारों से उनकी ओर से इस प्रकार दिये गये अधिक धन की प्रतिपूर्ति कर सकता है।" यानी अगर उसने दूसरे के हिस्से का दिया है तो उसको राइट है कि जिसकी भूमि है उससे वसूल कर सकता है या किसी को वसूल करा सकता है। क्या तरीक़ा उसका हो, उसका मौक़ा यहां इस संशोधन में नहीं है।

श्री एजाज रसूल---मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों मुनासिब नहीं है?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---जो चीज मुनासिब जगह पर न हो वह गैर मुनासिब होती है। दफा २६२ को अगर नवाब साहब गौर से पढ़ेंगे तो उसमें सब बातें आ जाती हैं और अगर संशोधन उपस्थित करना हो, नवाब साहब को या हमारे किसी और लायक दोस्त को, तो उसके लिये मुनासिब जगह की तलाश उनको करनी चाहिये और वहां पर उस पर गौर किया जा सकता है। यहां पर यह संशोधन उनका बहुत बेमौक़े है। दफा २३१ बहुत सीधी-सादी है। इसमें वसूली का हक़ दिया गया है। इसमें झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि वसूली कैसे होगी कलेक्टिवली होगी या सेपरेटली होगी। उसका जब वक्त आवे, जहां वसूली का तरीक़ा दिया गया है उस वक्त इसको पेश कीजियेगा। उस वक्त हम लोग गौर करेंगे

और अगर आपका वह संशोधन मुनासिब जगह पर और मुनासिब होगा, तो यह भवन उसको जरूर मानेगा। यह भवन खामखाह आपके संशोधनों को इसलिये कि आप पेश करते हैं, मुखालिफत नहीं करता है, लेकिन मुनासिब जगह पर और मुनासिब संशोधन पेश कीजिये। इसलिये मैं नवाब साहब से यह दरख्वास्त करता हूँ कि यह संशोधन जो बेमौके है उसको वह वापिस ले लें और जब मुनासिब जगह आवे तो फिर पेश करें तो उस पर भवन गौर करेगा।

श्री ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मैंने रामशंकरलाल जी और मौर्य जी की तक़रीरों को बड़े गौर से सुना। मिनिस्टर साहब मेरी तरमीम का कोई जवाब दे नहीं सकते थे, इसलिये उन्होंने श्री रामशंकर लाल जी और मौर्य जी से कहलवा दिया कि यह मुनासिब जगह नहीं है और अगर मुनासिब जगह आवे तो मंजूर कर लेंगे। दफा २३१ पर अगर आप गौर फरमावें तो उसमें भूमिधरों और सीरदारों से रुपया वसूल करने की बाबत है और तरीका वसूली जो है वह कहीं नहीं लिखा हुआ है। मौर्य जी ने दफा २६२ का हवाला दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि इतने होशियार वकील और शोषित संघ के लीडर और उसके बाद दफा २६२ का हवाला दें।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,
जुलाई, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न सं० २३ (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

D.O. No. F-1655/XII-A.

U. P. Civil Secretariat,
Agriculture (Food Production) Department.
Dated Lucknow, May 31, 1950.

DEAR SIR,

It has been brought to the notice of Government that in view of the restrictions imposed under the U.P. Private Forest Act on the falling of trees in private forests and groves, isolated trees are being cut in villages. There is no enactment under which such action can be prohibited. Since in the interest of the village itself it is necessary that such indiscriminate cutting of trees should be avoided, I am to request you to take suitable action in the matter. It is suggested that the Gaon Sabhas as well as the tahsil and Mandal Food Production Advisory Committees if constituted in the district may be utilised in this behalf.

Yours Sincerely,
(Sd.) R. N. MATHUR,
Officer on Special Duty.

To

All District Officers,
Uttar Pradesh.

No. F-1655 (1)/XII-A.

COPY forwarded to the Director of Agriculture, U. P., for information with reference to his note, dated April 12, 1950, recorded in Secretariat Forest Department file No. 40/1950.

COPY forwarded to the Forest Development Commissioner, U. P. for information.

By Order,
(Sd.) R. N. MATHUR
Officer on Special Duty.

नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न सं० ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

No. O-73/II-B—120-1949

From

SHRI K. P. BHARGAVA, I.C.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS
OF OFFICES, UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow, January 13, 1950.

Subject.—**Presentation of addresses or giving parties, etc to officers on their transfer or promotion**

SIR,

I AM directed to say that Government have noticed that it has become a common practice to present addresses, give parties, etc, to officers on their transfer or promotion. The practice is against the Government Servants Conduct Rules. The attention of all Government servants is drawn to rule 3 of the Government Servants Conduct Rules which enjoins that no Government servant shall, *without the previous sanction of the Government*, "receive any complimentary or valedictory address, accept any testimonial or attend any public meeting or entertainment held in his honour". Any breach of the above rule will be severely dealt with.

Yours faithfully,
K. P. BHARGAVA,
Secretary.

No. O-73(1)/II-B—120 1949

Copy forwarded to all departments of the Secretariat for information.

By order,
K. P. BHARGAVA,
Secretary to Government,
United Provinces

पी० एस० यू० पी० ८७ एल० ए०—१९५०—५०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ जुलाई, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५७)

अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कुंजविहारी लाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगुल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दाऊ दयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री

दीप नारायण वर्मा, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद हाशरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राघव दास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
रामबला मिश्र, श्री
रामभूति, श्री
राम शंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाल बहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी मण्डल, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्व नाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णु शरण बुद्धिलश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सालिग्राम जयसवाल, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हर प्रसाद सिंह, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ जुलाई, सन् १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

(बुधवार, ५ जुलाई, सन् १९५० ई० का स्थगित प्रश्न)

कर्मनाशा की नहर से चकिया सब-डिवीजन में एक शाखा निकालना

*८—श्री रामनरेश सिंह—क्या सरकार का चकिया सब-डिवीजन के नहर विभाग से पट्टी लेहरा के हामों खरौंहा, अरजी, उसरी, ईसापुर, सुल्तानपुर, बरहुआ आदि गांवों के लिए कर्मनाशा की नहर से एक शाखा निकालने का विचार है?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—सूचना इकट्ठी की जा रही है। प्राप्त होने पर जवाब दिया जायगा।

(बृहस्पतिवार, ६ जुलाई सन् १९५० ई० के प्रश्न)

हुसैनाबाद तथा सुल्तानुलमदारिस के लिए तालीमी ऐडवाइजर

*१—श्री फखरुल इस्लाम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने हुसैनाबाद तथा सुल्तानुलमदारिस के लिए कोई तालीमी ऐडवाइजर नियुक्त किया है? यदि हां, तो उसका वेतन क्या है और वह किस मद से दिया जाता है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)—सुल्तानुलमदारिस के तालीमी ऐडवाइजर को सरकार ने नहीं बल्कि हुसैनाबाद ट्रस्ट ने नियुक्त किया है। ऐडवाइजर का वेतन २०० रु० महीना है, जो कि हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा मदरसे को दी जाने वाली वार्षिक सहायता से दिया जाता है।

*२—श्री फखरुल इस्लाम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह सुल्तानुलमदारिस के सेक्शनों को अलग-अलग कितनी और किस किस काम के लिए वार्षिक सहायता देती है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९४९-५० ई० में मदरसे को ४,५०० रु० वार्षिक सहायता दी गयी थी। यह सहायता मदरसे की अलग अलग मदों में न दी जाकर उसके समस्त कार्यों के लिए एक साथ दी गई थी।

* ३-९—श्री वशीर अहमद हकीम—[स्थगित किये गये।]

* १०-१५—श्री अम्मार अहमद खां—[स्थगित किये गये।]

* १६-२५—श्री चतुर्भुज शर्मा—[स्थगित किये गये।]

* २६—श्री मुहम्मद अहमद असरार—[स्थगित किया गया।]

बन विभाग के अन्तर्गत सुरक्षित लकड़ी

* २७—श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बन विभाग ने गत दो वर्षों में रिक्यूजी टिम्बर के नाम से जंगलों के ठेकेदारों को किस-किस किस्म की और कितने घनफुट इमारती लकड़ी सुरक्षित रखने की आज्ञा दी थी ?

* २८—उपर्युक्त सुरक्षित लकड़ी में से सरकार ने कुल कितने घनफुट लकड़ी खरीदी है और बाकी लकड़ी का सरकार ने क्या किया ?

* २९—(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वह लकड़ी केवल बन विभाग के एक ही डिवीजन या सर्किल में सुरक्षित रखाई गयी थी या सब ही डिवीजनों और सर्किलों में ?

(ख) यदि सब डिवीजनों या सर्किलों में सुरक्षित रखायी गई थी, तो वह लकड़ी प्रत्येक डिवीजन के डी० एफ० ओ० या सर्किल के कन्जरवेटर के अधिकार में थी या उसके लिए कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था ?

माननीय श्री दुकुम सिंह (माल मंत्री)—इन प्रश्नों का उत्तर आवश्यक सामग्री एकत्रित न हो सकने के कारण बाद में दिया जायगा ।

राजनीतिक पीड़िता श्रीमती गिरीश कुमारी के गाड़ी का परमिट

* ३०—श्री खुशवक्त राय—क्या यह सच है कि राजनीतिक पीड़ितों को गाड़ी के परमिट मिलने के लिए एक यह भी शर्त है कि उनकी आर्थिक अवस्था खराब हो ?

माननीय श्री लाल बहादुर (पुलिस मंत्री)—गवर्नमेंट ने राजनीतिक पीड़ितों को कच्ची सड़क पर परमिट देने का आदेश एस० टी० ए० को दिया था । एस० टी० ए० ने परमिट देने के सम्बन्ध में आर्थिक अवस्था की बात रखी थी ।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एस० टी० ए० ने परमिट देने के बारे में आर्थिक अवस्था की जो बात रखी थी वह राजनीतिक पीड़ितों को परमिट देने के सम्बन्ध में एक शर्त के रूप में मान ली गयी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—यह फार्म इसलिए नहीं बनाया गया और गवर्नमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं है । इसे एस० टी० ए० ने बनाया था । जहां तक शर्त का सवाल है इस तरह की कोई शर्त उसमें नहीं थी ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि एस० टी० ए० ने बगैर मंत्री महोदय से पूछे यह शर्त बढ़ा दी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हां, परमिट के बारे में तो आदेश दिये गये थे, लेकिन फार्म आदि बनाने की जो बात थी वह वास्तव में मैंने फार्म देखे भी नहीं थे और जब श्री खुशवक्त राय ने मुझे यह फार्म दिखलाये तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन फार्म देखने पर मुझे यकीन हुआ कि ऐसी बात है ।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि क्या एस० टी० ए० को इस तरह के अख्तियार हैं कि वह बगैर मंत्री महोदय की अनुमति लिए इस तरह की शर्तें लगा कर ऐसा काम करें ?

माननीय श्री लाल बहादुर—अख्तियार की बात तो नहीं है । साधारणतः उनको जो अख्तियार दिये गये हैं और गवर्नमेंट, जिनको पोलिटिकल सफरर समझती है और जो उनकी परिभाषा दी गई है उसी को सामने रखते हुए उन्होंने ऐसा किया ।

* ३१—श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतायेगी कि कुंवर माधवेन्द्र प्रताप सिंह, बरांव स्टेट, इलाहाबाद की विधवा श्रीमती गिरीश कुमारी की आर्थिक अवस्था क्या थी, जब उन्हें राजनीतिक पीड़िता होने के कारण परमिट दिया गया ?

* ३२—क्या सरकार यह बतलायेगी कि श्रीमती गिरीश कुमारी को जब परमिट दिया गया तो उनकी आर्थिक अवस्था की कोई जांच की गयी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं। अपने प्रार्थना-पत्र में श्रीमती गिरीश कुमारी ने अपनी हालत खराब लिखी थी। उनके पति के देहान्त तथा घर के बटवारे आदि के सवाल के उठ जाने के कारण उनके लिखने के अनुसार उनकी दशा शोचनीय थी।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आया सरकार की तरफ से कोई जांच इस बात की की गयी थी कि श्रीमती गिरीश कुमारी की हालत खराब है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—मैंने जवाब में कहा है कि इस तरह की जांच नहीं की गयी और न कभी इस चीज पर जोर ही दिया गया, जो दरख्वास्तें आयीं और उनमें जो कुछ लिखा था उस पर भी जांच नहीं की गयी।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार को यह मालूम है कि और जो दरख्वास्तें राजनीतिक पीड़ितों की आईं और जिनकी ऐसी अवस्था होती थी उनकी जांच की गयी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार बतलायेगी कि श्रीमती गिरीश कुमारी को राजनीतिक पीड़ित किस वजह से करार दिया गया ?

माननीय श्री लाल बहादुर—अगर माननीय सदस्य को पुराना उत्तर याद हो तो मैं नहीं चाहता कि हाउस का समय नष्ट किया जाय, क्योंकि इस सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि इस दरख्वास्त पर जिस पर परमिट दिया गया, किसकी सिफारिश थी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—यह सवाल पहले भी किया जा चुका है और यही चीज पूछी गई थी और उसका जवाब भी दिया गया था कि आर० टी० ए० की सिफारिश पर एस० टी० ए० ने ऐसा किया था और जिला कौंसिल की सभा ने उस पर सिफारिश की थी।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार ने जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति से कोई तहकीकात की कि उन्होंने यह सही सिफारिश की थी या गलत ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक परमिट का सवाल है इसमें आर्थिक अवस्था की बात पर कभी जोर नहीं दिया गया और आज भी लगभग डेढ़ दो-सौ परमिट्स जो पांच-पांच के ग्रुप बना कर राजनीतिक कार्यकर्ता देते हैं उसमें भी कोई शर्त आर्थिक अवस्था की नहीं है।

शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में रजिस्टर्ड सहयोग समितियों द्वारा शक्कर का वितरण

* ३३—श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या सरकार को ज्ञात है कि शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में एक रजिस्टर्ड सहयोग समिति है ? यदि हां, तो उसका क्या नाम है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (उद्योग मंत्री)—शिकोहाबाद शहर में नीचे लिखी हुई रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं—

(१) सहकारी संघ लिमिटेड, शिकोहाबाद।
(२) घी सेल सहकारी यूनियन, शिकोहाबाद।
(३) सहकारी उपभोक्ता भंडार, शिकोहाबाद।
(४) कटरा मीरा सहकारी समिति, शिकोहाबाद।
(५) शुद्ध खादी भंडार सहकारी, शिकोहाबाद।

* ३४—श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या सरकार बतायेगी कि जो शक्कर शिकोहाबाद देहाती क्षेत्र के लिए बांटी जाती है वह किनके द्वारा बांटी जाती है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय—शिकोहाबाद देहाती क्षेत्र में जो शक्कर बांटी जाती है वह सहकारी समितियों तथा लाइसेंस होल्डर्स द्वारा बांटी जाती है।

* ३५—श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या यह सच है कि उक्त शक्कर का कोटा पाने के लिये शिकोहाबाद की सहयोग समितियों ने भी प्रार्थना-पत्र दिया था ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय—शिकोहाबाद की उपभोक्ता सहकारी समितियों ने शक्कर का कोटा पाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनको शक्कर बेचने का लाइसेंस मिल गया। दूसरी सहकारी समितियों ने कोटा पाने के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिये।

गोंडा जिले में दवाखाने

* ३६—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में किस तहसील में कहां-कहां और कितने सहकारी या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त—एलोपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक दवाखाने हैं ?

माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त (स्वास्थ्य मंत्री)—गोंडा जिले में जितने सहकारी व सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय हैं उनकी संख्या और जिन-जिन स्थानों पर वे हैं उनके नाम एक सूची में, जो इस उत्तर के साथ नत्थी है, दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६८ पर)

* ३७—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार गोंडा जिले में सब-डिवीजन, मनकापुर, परगना बभनीपायर, बुड़ापायर में कुकनगर गिरण्ड, फैजीनगर गिरण्ड में कोई दवाखाना खोलने जा रही है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

इटावा जिले की महेवा विकास योजना

* ३८—श्री टीनदयालु अवस्थी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की महेवा विकास योजना पर सरकार कितना रुपया खर्च कर चुकी है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय—इस योजना पर सन् १९४८-४९ ई० में २,६९,११२ रुपये और सन् १९४९-५० ई० में ६,७८,१३७ रुपये खर्च हुए हैं।

श्री होती लाल अग्रवाल—क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि इस योजना में जो रुपये खर्च किये गये हैं इनमें कितने वेतन में खर्च हुए और कितने किसानों की सहायता और तरक्की के कामों में लगे ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय—वेतन पर जो रुपये सर्फ हुए उसकी फेहरिस्त माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता की मेज पर रखी गयी है। उसके आंकड़े आप जोड़ सकते हैं। मेरे पास इसके आंकड़े जोड़े नहीं हैं, मगर वह ज्यादा नहीं हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६९ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ३८—४४ श्री होती लाल अग्रवाल ने पूछे।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी [illegible] अभिप्राय से चलाई गई है?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--उनका अभिप्राय यही है [illegible] रक्खी हो।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक क्या-क्या काम हुआ है?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--यह तो एक बहुत लम्बा तफसील है, माननीय सदस्य को इस तफसील में जाने का अवसर हो चुका है, लेकिन मैं उनके लाभ के लिये यह कहूँगा कि केवल ९ लाख रुपया इस योजना में शुरू से खर्च हुआ, जिसमें [illegible] एग्रीकल्चर में खर्च हुआ है, बाकी [illegible] खर्च करने [illegible] में। [illegible] किसानों को तरक्की के लिये ९७ [illegible] में जिनकी आबादी ९० हजार है, खर्च किया गया और पिछले साल के आखीर [illegible] किसानों को [illegible] में जो तरक्की इस योजना के अनुसार हुई उसमें लगभग [illegible] लाख का अंदाज किया गया। इस तरह से माननीय सदस्य देखेंगे कि पहले [illegible] अर्थात् में किसानों ने [illegible] और दूसरे खेत में [illegible] ३ लाख रुपये ज्यादा बनाये।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह [illegible] किसानों ने तीन लाख अधिक पैदा किया है कि तरक्की में लगाया गया और किस [illegible] ने आंकड़े इकट्ठे करके लगाया गया?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जैसे आम तौर पर आप लगा सकते हैं उसी तरह से सरकारी कर्मचारियों ने भी लगाया।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके उन आकड़ों की तफसील देगी?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--इस समय तो वह मेरे पास नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य यदि चाहें तो मेरे दफ्तर आवें, मैं उन्हें दे सकता हूँ या दूसरी बार फिर प्रश्न करें, तो इस भवन में भी उसका उत्तर दे सकता हूँ।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि साधारण तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो किसानों की तरक्की के लिये काम करता है, क्या उससे वह काम नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से यह विकास योजना चलायी गई?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जी हां, सरकार की तो यही राय थी। एग्रीकल्चर विभाग के लिये कुछ और भी जिम्मेदारी इस योजना के अनुसार हो गयी थी जिसे निभाना जरूरी समझा गया।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार वह काम बतलायेगी जो कि कृषि विभाग नहीं कर सकता था और इस विकास योजना द्वारा हुआ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूँ कि इटावा की इस योजना के सम्बन्ध में मैंने एक बार बहुत तफसील में इस भवन में बयान किसी प्रश्न के उत्तर में दिया था, यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह बयान मैं उनको फिर पेश कर सकता हूँ, लेकिन इस समय तो वह मेरे पास पूरा है भी नहीं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि बहुत से काम हैं जिनमें उद्योग-धंधे भी हैं। सहयोगिता के आधार पर वहां की जनता की मुस्तैदी से मिल-जुली योजनायें आगे चलाने के लिये बनायी गयी हैं और इसके अतिरिक्त पशुपालन वगैरह सब चीजें भी हैं और जिनका संयुक्त प्रभाव उस हल्के में यह पड़ा है कि वहां की जनता की माली हालत में संतोषजनक तरक्की हुई है।

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो विकास योजना महेवा में चलाई गई थी उसके लिये क्या विशेष सुविधायें वहां पर थीं ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--वहां पर विशेष कर्मचारी रखे गये थे, काश्तकारों के इस्तेमाल के लिये मशीनें रखी गई थीं जो बंजर जमीन के तोड़ने में काम आ सकें जो खेती करने के लायक बनाई जायें। पशुपालन के लिये भी वहां पर एक केन्द्र खोला गया था जो सहकारिता के आधार पर वहां पर बढ़ाया गया।

*३९--**श्री दीनदयालु अवस्थी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महेवा केन्द्र पर कितने अधिकारी तथा कर्मचारी किस-किस पद पर हैं और उन्हें कितना-कितना वेतन मिल रहा है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--महेवा केन्द्र पर दो तरह की योजनाएं चल रही थीं--

१--जिला विकास योजना जिला विकास अफसर की निगरानी में।

२--आपरेशनल प्रोजेक्ट योजना एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की निगरानी में अप्रैल, १९५० ई० से आपरेशनल डिवीजन फूड प्रोडक्शन योजना के तहत में चला गया है। विकास अफसर की निगरानी में नत्थी की हुई सूची में दिये हुये कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६९ पर)

*४०--**श्री दीनदयालु अवस्थी** (अनुपस्थित)--(क) क्या यह सही है कि इस केन्द्र पर कुछ घोड़े भी रक्खे गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो घोड़े कितने हैं और कहां रक्खे जाते हैं ?

(ग) प्रत्येक घोड़े पर कितना खर्च होता है ?

(घ) जिस गांव में घोड़े रक्खे गये हैं वह केन्द्र से कितनी दूरी पर है ?

(ङ) वहां घोड़ों का अस्तबल किस सुविधा के विचार से बनाया गया है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--(क) जी नहीं, लेकिन बरसात के मौसम में जब कि और कोई जरिया न था दो मुकामी लोगों के घोड़े किराए पर रक्खे गए थे, किराए में सिर्फ उन घोड़ों के खाने-पीने तथा रहने का खर्चा दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बरसात के मौसम में इन घोड़ों पर सिर्फ १९० रुपये खर्च हुए।

(घ) यह गांव केन्द्र से १ मील की दूरी पर है।

(ङ) कोई अस्तबल नहीं बनाया गया।

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह जो इस योजना के सम्बन्ध में घोड़ा रखा गया है वह किस काम के लिये रखा गया है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--माननीय सदस्य देहाती क्षेत्र से आते हैं वह जानते होंगे कि बरसात में बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर घोड़े ही जा सकते हैं। संम्भवतः इसी कारण घोड़ा रखा गया हो।

*४१--**श्री दीनदयालु अवस्थी** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि महेवा केन्द्र पर रहने वाले कतिपय अधिकारी १४-१५ मील की दूरी पर इटावा शहर में चाय पीने के लिए सरकारी पेट्रोल खर्च करके मोटर द्वारा जाया करते हैं ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जी नहीं।

*४०--श्री दीनदयालु अवस्थी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी तक उस केन्द्र पर कितना पेट्रोल व किस-किस मद में, कितना-कितना खर्च हुआ है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--मार्च सन् १९५० ई० तक लगभग २,२०० गैलन पेट्रोल सरकारी गाड़ियों में और लगभग ३८६ गैलन वर्कशाप में खर्च हुआ।

*४३--श्री दीनदयालु अवस्थी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस केन्द्र पर कितनी मशीनें हैं ? उनमें से किस-किस मशीन से अभी तक क्या-क्या काम लिया गया है और कितनी मशीनें अभी तक बेकार पड़ी हैं जिनसे अभी तक बहुत थोड़ा या कुछ भी काम नहीं लिया गया है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--इस सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७० पर)

श्री हीरालाल अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो मशीनें इस केन्द्र पर हैं वे जब तक सरकारी काम न हो किराए पर उठाई जायेंगी ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--ये मशीनें डिवीजनल फूड विभाग को दे दी गई हैं।

*४४--श्री दीनदयालु अवस्थी (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि कुछ मशीनें किराये पर भी उठाया जा रही हैं ? यदि हां, तो किस-किस गांव में, कौन-कौन सी मशीन किराये पर गयीं और अभी तक किराये से कितनी आमदनी हुई है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--पिछले अप्रैल तक कोई मशीन किराये पर नहीं उठाई गई। मई के महीने से ही मशीनों को किराए पर उठाने की प्रथा शुरू हुई। कोई भी किसान मशीन या दूसरे औजारों को केवल तीन दिन तक बिना किराए के इस्तेमाल कर सकता है इससे अधिक समय की जरूरत के लिये या तो वह उस मशीन को खरीद ले या पूरे समय का किराया दे। इसकी तफसील फसल के आखीर में ही हासिल हो सकती है। इस मद में अभी तक सिर्फ ५० रुपये की आमदनी हुई है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि ये मशीनें कुल कितने दिन काम में आयीं ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जब से यह योजना चालू है तब से मशीनें काम में आ रही हैं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या यह सही है कि ये मशीनें बराबर काम में नहीं आती रहीं और बहुत कम दिन काम में आयीं ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जी हां, जब मशीनें टूट जाती थीं तब काम नहीं करती थीं।

गोंडा जिले के अन्तर्गत सरजू घाट के पान्टून ब्रिज का निर्माण

*४५--श्री चन्द्र भानुशरण सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के अन्तर्गत सरजू घाट का पान्टून ब्रिज कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री) (अनुपस्थित)--उम्मीद की जाती है कि नाव का पुल इस साल की वर्षा के बाद तैयार हो जायगा।

*४६—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कुछ लकड़ी की बड़ी नावें बनकर तैयार हो गयी हैं? यदि हां, तो कितनी और इन पर कितना खर्च बैठा है?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (अनुपस्थित)—आठ लकड़ी की नावें तक़रीबन ४८,००० रुपये में बनाई गयी हैं।

*४७—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों के अन्दर सरजू घाट पर कितने हज़ार सीमेंट की बोरियां एकत्रित की गयीं? उनमें से कितनी इस्तेमाल में आयीं और कितनी खराब गयीं? यदि खराब गयीं, तो क्यों?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (अनुपस्थित)—कोई सीमेंट का बोरा सरजू घाट पर इकट्ठा नहीं किया गया था। इस वजह से प्रश्न के दूसरे भाग का कोई सवाल नहीं उठता।

कुसमरा गांव में पुलिस तथा पी० ए० सी० द्वारा अत्याचार

*४८—श्री बदन सिंह—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कुसमरा गांव में जो अत्याचार पुलिस व पी० ए० सी० द्वारा किये गये उस सम्बन्ध में किन-किन कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया और दंड दिया गया?

*४९—क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि इस घटना से सम्बन्धित थानेदार को भी कुछ दंड दिया गया? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय श्री लाल बहादुर—कुसमरा घटना के सम्बन्ध में जिन पुलिस कर्मचारियों को दंड दिया गया उनका विवरण साथ की सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७१ पर)

श्री बदन सिंह—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि यह बलवा जो हुआ था इसमें पुलिस को भी चोटें आई थीं?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं, यह झगड़ा एकतरफा ही हुआ था।

श्री बदन सिंह—क्या सी० आई० डी० के जरिये से इसकी जांच कराई गई थी?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह जो दंड दिया गया वह किस तरह से और किसको दिया गया?

माननीय श्री लाल बहादुर—दंड जोकि दिया गया वह इस प्रकार है:—

जिन हेड कान्स्टेबिल और कान्स्टेबिलों का सीधा सम्बन्ध इस घटना से था और बरखास्त किये गये, उनके नाम यह हैं। बरखास्तगी के पहले इनको २८ दिन की जेल भी दी गई:—

हेड कान्स्टेबिल—राजाराम सिंह।
कान्स्टेबिल—विश्वनाथ प्रसाद।
कान्स्टेबिल—केदारनाथ।
कान्स्टेबिल—रेवाड़ी सिंह।
कान्स्टेबिल—हरद्वारी सिंह।

निम्नलिखित लोगों को उनके काम की ठीक देख-रेख न रखने के लिये जो-जो सजायें दी गईं वे यह हैं:-

प्लाटून कमांडर रामनाथ सिंह बरखास्त कर दिये गये।

हेड कांस्टेबिल रामनाथ सिंह बरखास्त कर दिये गये।

सर्किल इंस्पेक्टर जियाउल हसन को सदा के लिये सब-इंस्पेक्टर के पद पर वापस कर दिया गया।

सब-इंस्पेक्टर मुहम्मद अख्तर को हेड कान्सटेबिल के पद पर वापस कर दिया गया।

सब-इंस्पेक्टर श्री सुखसोराम शर्मा के कैरेक्टर रोल में इन्तराज किया गया।

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस श्री असगर अब्बास जैदी की एक साल की वेतन वृद्धि रोक दी गई तथा जितने समय में वह मुअत्तल रहे उस समय के लिये उनको निर्वाह पुरस्कार (Subsistence allowance) दिया गया।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उन कर्मचारियों को मुअत्तल करने और हटाये जाने के अतिरिक्त उन पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया गया?

माननीय श्री लाल बहादुर---मुकद्दमा इसलिये नहीं चलाया गया कि कोई गवाही देने के लिये तैयार नहीं होता था।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---क्या यह सही है कि जिस वक्त शिनाख्तगी की कार्यवाही की गई उस वक्त यह कर्मचारी मुअत्तल नहीं किये गये और अपनी जगह पर तैनात रहे?

माननीय श्री लाल बहादुर---जी नहीं, यह बात गलत है वे फौरन ही मुअत्तल कर दिये गये थे और इसके बाद शिनाख्तगी की कार्यवाही हुई थी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह घटना किस तिथि को घटी?

माननीय श्री लाल बहादुर---तिथि तो मैं इस समय नहीं बतला सकता लेकिन ६--७ महीने पहिले की बात है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि क्या पुलिस के कर्मचारियों को भी चोट पहुँची?

माननीय श्री लाल बहादुर---जी नहीं।

*५०---श्री बदन सिंह---क्या यह ठीक है कि कुशमरा में हुए अवसर पर करीब ४० मनुष्यों के मारे जाने के कारण चोटें आयीं और उनका डाक्टरी मुआइना कराया गया और करीब ५-६ स्त्रियों को अपमानित किया गया।

माननीय श्री लाल बहादुर---मेजिस्टीरियल जांच (इंक्वायरी) के समय केवल ८ आदमी ही ऐसे उपस्थित हुए जिनके चोटें आई थीं। इन आदमियों का डाक्टरी मुआयना कराया गया। यह सत्य है कि इस घटना में ५ स्त्रियों को अपमानित किया गया।

*४६—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कुछ लकड़ी की बड़ी नावें बन कर तैयार हो गयी हैं? यदि हां, तो कितनी और इन पर कितना खर्च बैठा है?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (अनुपस्थित)—आठ लकड़ी की नावें तक़रीबन ४८,००० रुपये में बनाई गयी हैं।

*४७—श्री चन्द्रभानु शरण सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों के अन्दर सरजू घाट पर कितने हज़ार सीमेंट की बोरियां एकत्रित की गयीं? उनमें से कितनी इस्तेमाल में आयीं और कितनी खराब गयीं? यदि खराब गयीं, तो क्यों?

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (अनुपस्थित)—कोई सीमेंट का बोरा सरजू घाट पर इकट्ठा नहीं किया गया था। इस वजह से प्रश्न के दूसरे भाग का कोई सवाल नहीं उठता।

कुसमरा गांव में पुलिस तथा पी० ए० सी० द्वारा अत्याचार

*४८—श्री बदन सिंह—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कुसमरा गांव में जो अत्याचार पुलिस व पी० ए० सी० द्वारा किये गये उस सम्बन्ध में किन-किन कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया और दंड दिया गया?

*४९—क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि इस घटना से सम्बन्धित थानेदार को भी कुछ दंड दिया गया? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय श्री लाल बहादुर—कुसमरा घटना के सम्बन्ध में जिन पुलिस कर्मचारियों को दंड दिया गया उनका विवरण साथ की सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७१ पर)

श्री बदन सिंह—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि यह बलवा जो हुआ था इसमें पुलिस को भी चोटें आई थीं?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं, यह झगड़ा एकतरफा ही हुआ था।

श्री बदन सिंह—क्या सी० आई० डी० के जरिये से इसकी जांच कराई गई थी?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी नहीं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह जो दंड दिया गया वह किस तरह से और किसको दिया गया?

माननीय श्री लाल बहादुर—दंड जोकि दिया गया वह इस प्रकार है:—

जिन हेड कान्स्टेबिल और कान्स्टेबिलों का सीधा सम्बन्ध इस घटना से था और बरखास्त किये गये, उनके नाम यह हैं। बरखास्तगी के पहले इनको २८ दिन की जेल भी दी गई:—

हेड कान्स्टेबिल—राजाराम सिंह।

कान्स्टेबिल—विश्वनाथ प्रसाद।

कान्स्टेबिल—केदारनाथ।

कान्स्टेबिल—रेवाड़ी सिंह।

कान्स्टेबिल—हरद्वारी सिंह।

निम्नलिखित लोगों को उनके काम की ठीक देख-रेख न रखने के लिये जो-जो सजायें दी गईं वे यह हैं:-

प्लाटून कमांडर रामनाथ सिंह बरखास्त कर दिये गये।

हेड कांस्टेबिल रामनाथ सिंह बरखास्त कर दिये गये।

सर्किल इंस्पेक्टर जियाउल हसन को सदा के लिये सब-इंस्पेक्टर के पद पर वापस कर दिया गया।

सब-इंस्पेक्टर मुहम्मद अख्तर को हेड कान्सटेबिल के पद पर वापस कर दिया गया।

सब-इंस्पेक्टर श्री तुलसीराम शर्मा के कैरेक्टर रोल में इन्द्राज किया गया।

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस श्री असगर अब्बास जैदी की एक साल की वेतन वृद्धि रोक दी गई तथा जितने समय में वह मुअत्तल रहे उस समय के लिये उनको निर्वाह पुरस्कार (Subsistence allowance) दिया गया।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उन कर्मचारियों को मुअत्तल करने और हटाये जाने के अतिरिक्त उन पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया गया?

माननीय श्री लाल बहादुर---मुकद्दमा इसलिये नहीं चलाया गया कि कोई गवाही देने के लिये तैयार नहीं होता था।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---क्या यह सही है कि जिस वक्त शिनाख्तगी की कार्यवाही की गई उस वक्त यह कर्मचारी मुअत्तल नहीं किये गये और अपनी जगह पर तैनात रहे?

माननीय श्री लाल बहादुर---जी नहीं, यह बात गलत है वे फौरन ही मुअत्तल कर दिये गये थे और इसके बाद शिनाख्तगी की कार्यवाही हुई थी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह घटना किस तिथि को घटी?

माननीय श्री लाल बहादुर---तिथि तो मैं इस समय नहीं बतला सकता लेकिन ६--७ महीने पहिले की बात है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि क्या पुलिस के कर्मचारियों को भी चोट पहुँची?

माननीय श्री लाल बहादुर---जी नहीं।

*५०---श्री बदन सिंह---क्या यह ठीक है कि कुमारगंज में इस अवसर पर करीब ४० मनुष्यों के मारे जाने के कारण चोटें आयीं और उनका डाक्टरी मुआइना कराया गया और करीब ५-६ स्त्रियों को अपमानित किया गया।

माननीय श्री लाल बहादुर---मेजिस्टीरियल जांच (इंक्वायरी) के समय केवल ८ आदमी ही ऐसे उपस्थित हुए जिनके चोटें आई थीं। इन आदमियों का डाक्टरी मुआयना कराया गया। यह सत्य है कि इस घटना में ५ स्त्रियों को अपमानित किया गया।

लखनऊ स्टेशन पर परीक्षार्थियों के उत्तरों की कापियों की चोरी

*५१—श्री खुशवक्त राय—(क) क्या यह सच है कि पिछले मास में लखनऊ स्टेशन पर परीक्षार्थियों के उत्तरों की कापियां चोरी गयीं और रद्दी बना कर विक्रय कर दी गयीं ?

(ख) यह किन परीक्षार्थियों की कापियां थीं ?

(ग) क्या इन परीक्षार्थियों की दुबारा परीक्षा होगी ?

(घ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह चोरी कैसे हुई ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हां।

(ख) ये कापियां हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की थीं, जो ग्वाल कालेजियट स्कूल, बलरामपुर केन्द्र से प्रविष्ट हुये थे।

(ग) जी नहीं। बोर्ड की सम्बन्धित कमेटी ने इन विद्यार्थियों के विषय में विचार कर लिया है और इन विद्यार्थियों को कोई हानि नहीं हुई है।

(घ) इस विषय में रेलवे अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश भी प्राप्त हुये पृथक विवरण पर जांच कर रहे हैं।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिन विद्यार्थियों की कापियां चोरी गई हैं उनके साथ न्याय करने के लिये सरकार ने कौन सा रास्ता निकाला है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या ५१ (ग) के उत्तर में दे दिया गया है।

पब्लिक कैरियर तथा प्राइवेट कैरियर के रूट परमिट देने के नियम

*५२—श्री खुशवक्त राय—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आज कल पब्लिक कैरियर व प्राइवेट कैरियर के रूट परमिट मिलने के क्या नियम हैं ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि यह नियम कब बने थे और उनमें कब-कब परिवर्तन किया गया ?

माननीय श्री लाल बहादुर—पब्लिक कैरियर व प्राइवेट कैरियर के परमिट आर० टी० ए० तथा एस० टी० ए० मोटर विहिकिल्स ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत देते हैं।

पब्लिक कैरियर की परमिट मोटर विहिकिल्स ऐक्ट की धारा ५४, ५५ व ५६ और प्राइवेट कैरियर के परमिट धारा ५२ और ५३ के अन्तर्गत दिये जाते हैं।

(ख) यह नियम केन्द्रीय सरकार ने सन् १९३९ ई० में बनवाया था। बीच में द्वितीय महायुद्ध के समय डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा ६ द्वारा इन नियमों में कुछ रद्दोबदल हो गया था, लेकिन अब सारे प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं और इस काम के लिये मोटर विहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० के अलावा कोई नियम नहीं है। ऐक्ट के मातहत कोई भी आर० टी० ए० या एस० टी० ए० को परमिट के लिए दरख्वास्त दे सकता है।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि मोटर विहिकिल्स ऐक्ट की धारा ५४, ५५, ५६ की शर्तों को जो लोग पूरा करते हैं उन सब को परमिट दे दिये जाते हैं ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इसका फैसला करना आर० टी० ए० और एस० टी० ए० के हाथ में होता है।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार को यह मालूम है कि अभी यह परमिट मिलने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश हुआ था ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हां।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस हाईकोर्ट ने अपना क्या फैसला दिया ?

माननीय श्री लाल बहादुर--फैसला तो माननीय सदस्य को जजमेंट पढ़ने से मालूम हो जायगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने अपने आर्डर से परमिट देना बन्द कर दिया था और हाईकोर्ट ने उसे नाजायज करार दे दिया?

माननीय श्री लाल बहादुर--माननीय सदस्य जजमेंट देख कर इस का खुद फैसला कर सकते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला इस बारे में किया और मैं समझता हूं उन्हें इसकी जानकारी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--इस फैसले के बाद मुस्तकिल परमिट लारियों के और बसेज के मिले थे और जिन्हें टेम्पोरेरी कर दिया गया था उनको फिर मुस्तकिल क्यों नहीं किया जा रहा है?

माननीय श्री लाल बहादुर--जब तक कोई दरख्वास्त नहीं देगा तब तक कैसे मुस्तकिल किया जाय।

श्री कुंजविहारी लाल शिवानी--क्या हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की परमिट देने की नीति में कोई परिवर्तन हुआ?

माननीय श्री लाल बहादुर--फैसले पर सरकार विचार कर रही है और उसके विचार करने के बाद जरूरी आदेश जारी कर दिये जायंगे।

श्री कुंजविहारी लाल शिवानी--क्या जिन लोगों को टेम्पोरेरी परमिट्स दिये गये थे अगर वे मोटर विहिकिल्स ऐक्ट की शर्तों को पूरा करते हैं तो वे परमानेंट कर दी जायंगी, अगर वे दरख्वास्त दें?

माननीय श्री लाल बहादुर--इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या यह सही है कि लड़ाई के दिनों में अधिकांश लोगों को जो परमिट्स दिये गये थे, जिन्होंने लड़ाई में सहायता की थी उनके परमिट्स सरकार खारिज करने का विचार कर रही है?

माननीय श्री लाल बहादुर--जहां तक परमिट देने का सवाल है वह आर० टी० ए० और एस० टी० ए० का काम है और वही फैसला करते हैं कि किन हालात में परमिट्स दिये जायें और किन हालात में नहीं। लेकिन मोटर विहिकिल्स ऐक्ट के अन्दर ऐसी कोई गुंजायश नहीं है कि लड़ाई के जमाने में अगर किसी को परमिट दिया गया तो वह रद्द कर दिया जाय।

श्री कुंजविहारी लाल शिवानी--क्या सरकार को यह मालूम है कि मोटर का परमिट हासिल करने में लोगों को काफी रुपया नाजायज तरीके से खर्च करना पड़ता है?

माननीय श्री लाल बहादुर--जी हां, शिकायतें ऐसी आती हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य से भी, लेकिन और कई भाइयों से मैंने यह कहा कि वे हमें कोई ऐसा मामला दें, जिसके पीछे पड़ कर मैं उसे गिरफ्तार करवाऊं और कार्यवाही करूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई भी ऐसा वाकया मुझे दिया नहीं गया जिसके कुछ सबूत मिल जाते और कार्यवाही की जाती। फिर भी मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में काफी कार्यवाही की गई और हालांकि आज भी शिकायतें हैं, लेकिन पहले से हालत अब कुछ अच्छी है।

श्री कुंजविहारीलाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि परमिट के लिये जो दरख्वास्तें दी जाती हैं उनमें से अधिकांश आर० टी० ओ० के आफिस में बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं?

माननीय श्री लाल बहादुर--ऐसी शिकायतें बहुत कम हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--गवर्नमेंट को ऐसी हिदायत जारी करने में क्या कठिनाई है कि जिन लोगों के पहले मुस्तकिल परमिट थे और टेम्पोरेरी कर दिये गए थे वे फिर मुस्तकिल कर दिये जायं?

माननीय श्री लाल बहादुर--हाई कोर्ट के जजमेंट पर गवर्नमेंट विचार कर रही है और जैसा मुनासिब होगा आदेश जारी किया जावेगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें और भी कानूनी पहलू हैं और उन सब पर सरकार को विचार करना है। इन सब बातों पर एक साथ ही फैसला होगा और उसके बाद जो आदेश जरूरी समझा जावेगा दिया जावेगा।

उत्तर प्रदेश में अपराधी विद्यार्थी

*५३-श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले दो साल से इस प्रान्त में कितने विद्यार्थी, चोरी, डाका और दीगर अपराधों में पकड़े गये और कितनों को सजा हुई?

माननीय श्री लाल बहादुर--चोरी डकैती आदि अपराधों में सन् १९४८ ई० में २०० तथा सन् १९४९ ई० में १०१ विद्यार्थी पकड़े गये जिनमें से क्रमशः १७० तथा ६२ को सजा हुई।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--इस तादाद में यूनीवर्सिटी स्टेज के कितने विद्यार्थी और सेकेंडरी स्टेज के कितने थे?

माननीय श्री लाल बहादुर--इसका ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--सन् ५० में ऐसे कितने विद्यार्थी पकड़े गये?

माननीय श्री लाल बहादुर--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

*५४--श्री मुहम्मद असरार अहमद--[स्थगित किया गया।]

विलीन काशी राज्य के अन्तर्गत मध्यवर्ती जमींदार

*५५-श्री रामनन्दन सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य क्षेत्र में--

(क) कुल कितने जमींदार हैं, जो मध्यवर्ती कहे जा सकते हैं और उनकी कुल भूमि कितनी है और उसमें से कितनी भूमि उनकी सीर या खुदकाश्त और कितनी भूमि काश्तकारों के कब्जे में है?

(ख) उक्त मध्यवर्तियों के सीर और खुदकाश्त के कितने शिकमीदार हैं और इन शिकमीदारों के कब्जे में कुल कितनी भूमि है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--(क) विलीन काशी राज्य क्षेत्र में १,३९० जमींदार हैं, जो मध्यवर्ती कहे जा सकते हैं। उनकी कुल भूमि २५,३९१ बीघा है। इसमें ७,२५७ बीघा सीर व खुदकाश्त है और १३,६४९ बीघा काश्तकारों के कब्जे में है।

(ख) मध्यवर्तियों की सीर और खुदकाश्त के १,०३० शिकमीदार हैं और उनके कब्जे में कुल २,१८० बीघा काश्त है।

श्री रामनन्दन सिंह--विलीन काशी राज्य के शिकमीदार के कब्जे से जो पिछले दो वर्षों में वहां के जमींदारों ने लगभग १९ हजार बीघा जमीन निकाल ली है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--अगर कानूनी तरीके से निकाल ली है तो वापस नहीं की जा सकती।

काशी राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत काश्तकार और उनकी जमीन

*५६--श्री रामनन्दन सिंह--(क) क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि काशी राज्य के क्षेत्र में कुल कितने काश्तकार हैं और कितनी-कितनी भूमि के और ८ एकड़, ३० एकड़ और ५० एकड़ तक के कितने काश्तकार हैं और ५० एकड़ के ऊपर के काश्तकार कितने हैं?

(ख) शिकमी काश्तकारों की संख्या कितनी है और सन् १९४८–४९ ई० में कितनी भूमि उनके क़ब्ज़े में रही है और इसके पिछले दो सालों में क्रमशः कितनी भूमि इनके क़ब्ज़े में रही ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क)—१,३२,५२९ काश्तकार हैं :—

८ एकड़ के काश्तकार	..	८५,३२६
३० एकड़ के काश्तकार	.	३४,८४१
५० एकड़ के काश्तकार	..	१०,०३३
५० एकड़ के ऊपर के काश्तकार	..	२,३२९

(ख) शिकमी काश्तकारों की संख्या ९५,८२३ है और उनके क़ब्ज़े में भूमि पिछले तीन सालों में निम्न प्रकार रही :—

१९४६–४७	.	१५५,४०१ बीघा १२ बिस्वा
१९४७–४८	.	१४९,७०५ बीघा १२ बिस्वा
१९४८–४९	..	१३६,७६४ बीघा १६ बिस्वा

अलीगढ़ जिले का क्वारसी कृषि फार्म

*५७–श्री नवाब सिंह चौहान—अलीगढ़ जिले में क्वारसी कृषि फार्म का रक़बा क्या है और उसको कब और कितने रुपये वार्षिक किराये पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—क्वारसी कृषि फार्म का रक़बा ६१.८६९ एकड़ है। उसको १ अप्रैल, १९३५ ई० को इक्कीस वर्ष के लिये सौ रुपये वार्षिक किराये पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया।

*५८—श्री नवाब सिंह चौहान—दिये जाने के समय भूमि के अतिरिक्त कितनी इमारत, कितने कृषि-यंत्र व अन्य वस्तुयें दी गयीं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—दिये जाने के समय नीचे लिखी हुई चीजें दी गई :—

(क) इमारतें—६।
(ख) पक्का कुआं—एक।
(ग) पशु—१२ बैल, १२ लोहे की जंजीर के साथ।
(घ) कृषि-यंत्र—१२६।

श्री नवाब सिंह चौहान—क्या सरकार ने इस बात के जानने की कोशिश की है कि जो सामान विश्वविद्यालय को दिया गया था वह ज्यों का त्यों है या बरबाद कर दिया गया है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इसके मुतालिक़ नोटिस चाहिये।

श्री नवाब सिंह चौहान—क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि जो सामान विश्वविद्यालय को दिया गया था उसकी कीमत लगभग बीस हजार रुपये के थी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—मुझे इस वक्त मालूम नहीं है।

*५९—श्री नवाब सिंह चौहान—विश्वविद्यालय को यह फार्म क्यों दिया गया और जिस कार्य के लिये दिया गया, क्या उससे विश्वविद्यालय ने फायदा उठाया ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—यह फार्म विश्वविद्यालय को शिक्षा और प्रदर्शनी के लिये दिया गया था और विश्वविद्यालय ने इससे फायदा भी उठाया।

*६०—श्री नवाब सिंह चौहान—विश्वविद्यालय को अब तक प्रतिवर्ष कितने धन का लाभ हुआ और कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा पायी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—(क) माननीय सदस्य की मेज पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है।

(ख) ६७३।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २७२ पर)

*६१—श्री नवाब सिंह चौहान—क्या सरकार के कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया ? यदि हां, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी हां, उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी फार्म की देख-भाल भली भांति नहीं कर रहे हैं।

श्री नवाब सिंह चौहान—जबकि कृषि विभाग के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट की कि विश्वविद्यालय क्वारसी कृषि-फार्म को ठीक से नहीं रख रहा है, तो सरकार ने उस फार्म को वापस क्यों नहीं लिया ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—मुनासिब नहीं समझा।

श्री नवाब सिंह चौहान—क्या सरकार उन कारणों को बतलाने की कृपा करेगी जिन की वजह से फार्म को वापस लेना मुनासिब नहीं समझा ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इसलिये कि यह फार्म यूनिवर्सिटी के हाथ में रह कर यह उम्मीद थी कि आइन्दा चल कर इसकी हालत सुधर जायगी और इस से देश को लाभ पहुंचेगा।

*६२—श्री नवाब सिंह चौहान—क्या सरकार को मालूम है कि फार्म का ३० हजार रुपये का कटीला तार और २० हजार रुपये के कृषि-यंत्र गायब कर दिये गये हैं, बिजली की फिटिंग नष्ट कर दी गई है और इमारत के सुन्दर स्थानों पर शौचालय बना दिये गये हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—सरकार को केवल फार्म के घेरे के कटीले तार के ही गायब होने की सूचना मिली है।

श्री नवाब सिंह चौहान—क्या सरकार ने कटीले तार के गायब हो जाने की जानकारी के अलावा इस बात की जानकारी के हासिल करने की भी कोशिश की है कि बिजली की फिटिंग खराब कर दी गई है और उसके तमाम औजार खत्म कर दिये गये हैं और जो इमारतें थीं उनको शौचालय बना दिया गया है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इसकी जांच गवर्नमेंट उस वक्त कराती जब उसको वापस लेने का फैसला कर लेती। जो चीजें गवर्नमेंट की तरफ से यूनीवर्सिटी को दी गई थीं उनको वापस करने के लिये यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है और जो नुक़सान हुआ होगा उसके लिये भी यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि ये २० हजार का सामान और औजार कहां चले गये ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इंक्वायरी यूनिवर्सिटी ने की और जो शख्स उसके लिये जिम्मेदार पाया गया उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार बता सकती है कि क्या कार्यवाही की गयी और उसमें कुछ हुआ या नहीं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—यह यूनिवर्सिटी और उस शख्स के दरमियान की बात है, गवर्नमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है। नुक़सान यूनिवर्सिटी ने बरदाश्त किया या उस शख्स ने, इससे सरकार को वास्ता नहीं है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार यह बता सकती है कि जिस वक्त यह ठेका दिया गया उसके अन्दर जो शर्तें थीं उनके मातहत यह चीजें सरकार के पास वापस आनी चाहिये थीं या नहीं।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--यह चीजें वापस आने का सवाल उस वक्त उठता है जब यूनिवर्सिटी से इस फार्म के वापस लेने का फैसला कर लिया जाय। अभी तक वह फैसला नहीं किया गया, इसलिये यह सवाल अभी उठा नहीं है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं यह जानना चाहता हूं कि आया यूनिवर्सिटी के साथ क्या सरकार का वादा था कि किन शर्तों पर यह फार्म उनके पास रहेगा और किन शर्तों पर सरकार वापस ले सकती है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--उसके मुताल्लिक़ एग्रीमेंट है। अगर मोअज्जिज मेम्बर दफ्तर में तशरीफ लायें तो वह दिखला सकता हूं या कोई दूसरा सवाल करें तो उनको जानकारी कराई जा सकती है।

*६३--श्री नवाब सिंह चौहान--इस फार्म को उपजाऊ भूमि को बिगड़ने से बचाने के लिये क्या सरकार कोई उपाय सोच रही है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। यदि दो वर्षों में फार्म की हालत नहीं सुधरती है तब सरकार उसे अपने प्रबन्ध में लेने के बारे में विचार करेगी।

श्री बादशाह गुप्त--फार्म की उपजाऊ भूमि बिगड़ने न पाये, यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--हमेशा रहा है।

श्री बादशाह गुप्त--इस प्रश्न को कब तक सरकार हल करने की उम्मीद रखती है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--इसका जवाब दे दिया गया है कि दो बरस बाद इस मसले पर गौर किया जायगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार ने यूनिवर्सिटी को कोई नोटिस दिया है या नहीं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी-- जी हां।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के कारण शेष प्रश्न अगले दिन के कार्यक्रम में रख दिये गये।)

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

धारा†--२३१ (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष--अब सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदार विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार होगा।

श्री ऐजाज रसूल--जनाब वाला, कल मैंने जो तरमीम इस ऐवान में पेश की थी वह यह थी कि अगर किसी भूमिधर और सीरदार से गवर्नमेंट ने ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) के रुपया वसूल कर लिया हो तो उसको अख्तियार दिया जाय कि वह दफा २२१ की रू से कलेक्टर को ऐप्लाई करे और कलेक्टर उसका लगान या मालगुजारी जो उस गांव में दी हो गवर्नमेंट से वसूल करा दे। यह था मेरा अमेंडमेंट जो मैंने कल ऐवान में पेश किया था। इसमें मेरे दोस्त रामशंकर लाल जी और मोर जी ने यह फरमाया कि यह मुनासिब जगह नहीं है और उसके सिलसिले

†५ जुलाई, १९५० ई० की कार्यवाही में छपी है।

[श्री ऐजाज रसूल]

में उन्होंने दफा २६२—सी का हवाला दिया। दफा २६२—सी अगर गौर से पढ़ा जाय, तो मालूम होगा कि यह दफा सिर्फ उन लोगों के लिये लिखी गई है कि जो दफा २५२ के जरिये से, गवर्नमेंट किसी एजेंसी या किसी शख्स के जरिये से रुपया वसूल करे नकि जैसा कि मैंने कल भी पूछा था और जिसका कि जवाब आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया और आज भी सवाल करता हूं कि वह इस कानून के अन्दर कौन सी धारा ऐसी है कि वह भूमिधर और सीरदार, जिससे रुपया गवर्नमेंट ज्वाइन्ट बवजह रिस्पांसिबिलिटी के वसूल कर ले तो वह अपने रुपये को पाने के लिये अदालत में जाय और अपना रुपया वसूल कर ले। कोई ऐसी धारा नहीं है। हमारे ये दो मेम्बर साहब तो गवर्नमेंट के ग्रामोफोन रिकार्ड हैं क्योंकि वे यह नहीं देखते कि इस कानून में दफा २६२ सी में क्या लिखा है, जो उन्हें समझा दिया गया वह ऐवान में कह दिया। लिहाजा मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को मेरी तरमीम मंजूर कर लेना चाहिये। हां, अगर वह यह समझती है कि यह इस दफा में किसी वजह से ठीक नहीं है तो दफा २६२—सी के बाद कोई नई दफा २६२—डी० लिख दे या कुछ कर दे, जिससे कि भूमिधरों को और सीरदारों को गारण्टी हो जाय कि उनसे जो रुपया ज्वाइण्ट रिस्पांसिबिलिटी की वजह से वसूल किया जायगा वह वापस मिल जायेगा। आप जानते हैं कि आजकल कोर्ट में जाने में कितनी दिक्कत होती है, ६—६ महीने या साल—साल भर भोगना पड़ता है और मान लीजिये कि २५ या ३० रुपया ज्यादा वसूल कर लिया गया तो उस तीस रुपये के लिये दावा करना पड़ेगा, कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, वकील करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा, जिसमें कि कम से कम ५०—६० या १०० रुपये खर्च हो जायेंगे। उसका रुपया भी खर्च होगा और वह बेचारा मुसीबत में भी पड़ेगा, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर फिर गौर करेगी और मेरी तरमीम मंजूर करेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा २३० के अनुसार गांव के भूमिधर और सीरदार को मालगुजारी के बारे में मुश्तरका जिम्मेदारी करार दी गई है। अगर कोई भूमिधर या सीरदार को किसी दूसरे भूमिधर या सीरदार के हिस्से की मालगुजारी अदा करनी पड़ती है तो धारा २३१ की रू से उसको हक़ दिया जाता है कि वह उस बकायादार से, जिसका रुपया उसने अदा किया है, रुपये को वसूल करे। हमारे दोस्त नवाब ऐजाज रसूल साहब ने पूछा कि इस विधेयक में कौन सा कानून है, जिसकी रू से वह अपना रुपया वसूल कर लेगा? कल भी यह प्रश्न इसके पहले वाले संशोधन पर आपने किया था और गालिबन, यह मैं कैसे कहूं कि उनकी मेमोरी शार्ट है, कल मैंने कहा भी था कि धारा २३१ से उन्हें हक़ पैदा होता है, लेकिन वसूलयाबी जेनरल ला से हो सकती है। उससे तात्पर्य यही था कि इस विधेयक में और कोई प्रावीजन इसीलिये नहीं है, जिसके अनुसार वह दावेदारी करके रुपया वसूल कर सके। लिहाजा यह बात तो कल ही मैंने अर्ज कर दी थी। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है इसके जरिये से आप चाहते हैं कि मौजूदा धारा २३१ की जगह दूसरी धारा रखी जाय, जिसका तात्पर्य यह है कि वह कलेक्टर को दरख्वास्त कर दे और कलेक्टर बतौर मालगुजारी के वसूल कर ले। जहां तक संशोधन के मेरिट का ताल्लुक है मैं तसलीम करता हूं कि वाजिब संशोधन है। जब मुश्तरका जिम्मेदारी दी गई है तो भूमिधरों और सीरदारों को पूरी सहूलियत देनी चाहिये और अगर उनको किसी दूसरे की मालगुजारी अदा करनी पड़ी है तो उसकी वसूलयाबी में उनको हर तरह से सहूलियत होना चाहिये, लेकिन मैं कैसे कहूं, हमारे नवाब साहब दिखलाने के लिये उनकी मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में उनको धोका भी देना चाहते हैं। धक्का यों पहुंचेगा, अगर २३१ दफा निकाल दी जाती है तो जो उनको जनरल ला में राइट है बाई सूट वसूल करने का, वह जाता रहता है, सिर्फ कलेक्टर के जरिये वसूल करने

का हक रहता है। सरकार इन दोनों हुकूक को देना चाहती है। धारा २३१ में दावों के जरिये से हक़ जो जनरल ला में मिलता है और दूसरे हम इस संशोधन को २६२(घ) में करके कलेक्टर के जरिये बतौर मालगुजारी वसूल करने का हक़ देना चाहते हैं क्योंकि इस संशोधन के जरिये वसूलयाबी की मियाद बहुत कम होती है, लेकिन जनरल ला में काफी मियाद गालिबन ३ वर्ष की मियाद रहेगी। लिहाजा जैसा नवाब साहब चाहते हैं कि दावे वाला हक़ निकाल दिया जाये तो इससे भूमिधरों को हकतलफी होने की गुन्जाइश है। लिहाजा यह तरमीम वापस कर ली जायें, ताकि जो भूमिधरों को और सीरदारों को सरकार ३ वर्ष की मियाद का मौका दे कर दावेदारी का हक़ देना चाहती है वह हक़ बदस्तूर उनको मिले और उसमें आप मुखिल न हों और उसमें दस्तंदाजी करना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिये अनुचित बात है। जब आप उनकी हमदर्दी का दम भरते हैं तो उनके हुकूक पर आघात करना वायदे को गलत साबित करना है। बराय मेहरबानी इसे वापिस लीजिये और धारा २६२(घ) जब आयेगी, श्रीमान् जी की इजाजत से उसे पेश किया जायगा और पेश होने पर वह इस विधेयक का अंश बनेगी, उस सूरत में सीरदारों और भूमिधरों को दोनों सहूलियतें मिल जायंगी। अगर नवाब साहब मेरी दरख्वास्त को ध्यान से सुनेंगे तो हस्ब दस्तूर वह जिद न करेंगे, बल्कि इस तरमीम को वापस ले लेंगे।

श्री ऐजाज रसूल—चूंकि मिनिस्टर साहब ने यह एंश्योरेंस (आश्वासन) दिया है कि आगे चल कर वह दफा २६२ (घ) बना दी गयी है, इसलिये मैं अपनी तरमीम को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २३१ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३२

भूमिधर द्वारा देय मालगुजारी की मात्रा।

२३२—इस विधान के निदेशों को बाधित न करते हुये प्रत्येक भूमिधर अपनी भूमिधारी भूमि के लिये प्रान्तीय सरकार को मालगुजारी के निमित्त निम्नलिखित का देनदार होगा:—

(क) यदि वह स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर,

(१) मध्यवर्ती था, तो धारा ४८ के खंड (घ) के उपखंड (२) में अवधारित धनराशि,

(२) शरहमोअइयन काश्तकार था, तो ऐसी धनराशि, जो उक्त दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान के बराबर हो, और

(३) माफीदार था, तो ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर, जो नियत किये जायं, अवधारित धनराशि;

(कक) यदि वह धारा १९ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर हुआ हो, तो ऐसी धनराशि जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान के आधे के बराबर हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पूर्वोक्त लगान लागू मौरूसी दरों से लगाए गए लगान के दुगने से अधिक हो, तो

मालगुजारी ऐसे दरों से लगाये गये लगान के ही बराबर होगी।

(ख) यदि उसने भूमिधर के अधिकार धारा १४३ के अधीन उपार्जित किये हों तो उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (ख) में उल्लिखित मालगुजारी की धनराशि,

(ग) यदि उसने भूमिधर के अधिकार धारा १४४ के अधीन उपार्जित किये हों तो उक्त धारा में उल्लिखित मालगुजारी की धनराशि,

[घ] (*)

(ङ) यदि वह धारा २२२ के अधीन भूमिधर प्रख्यापित हुआ हो तो वह धनराशि जो नियत किये जाने वाले सिद्धान्त पर अवधारित की जाय।

श्री ऐजाज रसूल—जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २३२ की उपधारा (क) (१) के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा (क) (१) रख दी जाय—

"(क) (१) मध्यवर्ती था, तो ऐसी धनराशि, जो गत कृषि वर्ष में उसके द्वारा देय मालगुजारी से अधिक न हो, यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ६३—डी (63—D) और ६३—आई (63—I) में नियत की हुई रीति से लगाई जाय"।

जनाबवाला, मेरी इस तरमीम का मतलब यह है कि दफा २३२—ए (i) में यह लिखा है —

'an intermediary, an amount determined in sub- clause (ii) of clause (d) of section 48,"

(मध्यवर्ती था, तो धारा ४८ के खंड (घ) के उपखंड (२) में अवधारित धनराशि)

और सेक्शन ४८ में यह लिखा है —

"the land revenue, cesses and local rates payable therefor in the previous agricultural year to be ascertained in the prescribed manner."

(मालगुजारी, अबवाब और स्थानिक कर, जो पिछले कृषि वर्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में देय रहा हो, ये नियत रीति से निश्चित किये जायेंगे।)

मेरी तरमीम का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो कुछ सेक्शन ६३—डी के बमूजिब करेगी उसके बाद ६३—आई लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के बमूजिब डिडक्शन करती है, जो प्रोपराइटरी राइट्स उसको मिलते हैं वह यह हैं —

"The Settlement Officer shall deduct from the assets of the mahal an allowance for proprietary cultivation which shall not be less than fifteen per cent. nor more than thirty per cent. of the valuation of the land so cultivated ;

Provided that in a mahal in which the number of proprietors is large and their circumstances are poor, the deduction shall not be less than twentyfive per cent."

(अफसर बन्दोबस्त महाल की निकासी में से मालकाना काश्त के लिये भत्ता काट लेगा, जो इस प्रकार कृषि की गयी भूमि के मूल्य के १५ प्रतिशत से कम और ३० प्रतिशत से अधिक न होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे महाल में, जहां मालिकों की संख्या अधिक हो और उनकी परिस्थितियां खराब हों, कटौती २५ प्रतिशत से कम न होगी।) यानी कि जो मौजूदा मालगुजारी वह देता है उस पर २५ फीसदी तक मालगुजारी कम की जा सकती है।

---

[*] संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा निकाल दी गई।

अब आप देखेंगे कि इस वक्त जो भूमिधर बनेंगे गवर्नमेंट उनसे न तो सेस वसूल करेगी और न लोकल रेट ही वसूल करेगी बल्कि जो जमींदार भूमिधर बनेंगे उनसे लोकल रेट व सेस वसूल किये जायेंगे। जब भूमिधर और जमींदारों की हैसियत एक मान ली गई है और जमींदारों को जब भूमिधर मान लिया गया है तो फिर उनकी पोजीशन भी भूमिधरों की सी रखी जाय और उससे भी लोकल रेट्स और सेस वसूल नहीं होने चाहियें। जब गवर्नमेंट साफ तौर पर यह कहती है कि जमींदारों को पूरे भूमिधरों के हक़ दिये गये हैं तो फिर क्या वजह है जो पहिले जमींदार थे और वह सब इस ऐक्ट के बमूजिब भूमिधर बन जायेंगे, उनसे लोकल रेट का रुपया क्यों वसूल किया जायगा। लिहाजा इस तरमीम से मेरा साफ-साफ मतलब यह है कि जब आप एक्स-जमींदारों को कोई खास प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं और उनके लिये कोई बात नहीं कर रहे हैं और वही पोजीशन आप रख रहे हैं, जो और भूमिधरों की है, तो उनसे आप लोकल रेट्स और सेस क्यों वसूल करते हैं। इसीलिये मैंने यह तरमीम ऐवान के सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब मेरी इस तरमीम को मंजूर फरमायेंगे।

श्री गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को अभी हमारे मित्र नवाब ऐजाज रसूल साहब ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इसमें कुछ अधिक कहने की बात नहीं है। सिर्फ यह जो हमारा संशोधन है इससे हम यह चाहते हैं कि मालगुजारी निश्चय करने का जो कुछ भी तरीका हो वह कायम रखा जाय और उसमें कोई तब्दीली न हो सके। मौजूदा जो क्लाज २३२ है उस धारा से सरकार को यह अधिकार हो जाता है कि वह जो मालगुजारी भूमिधर से ली जायगी उस मालगुजारी को फिर से निर्धारित कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। यहां तक कि अगर वह चाहे तो हर साल उसको रिवाइज कर सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि जो अभी भूमिधर हुये हैं, जो एक्स-जमींदार हैं, वह तो लोकल सेस भी देते हैं, लेकिन जो आज भूमिधर होंगे वह लोकल सेस नहीं देंगे। तो आपको यह अधिकार होगा कि जब आप उनका रेवेन्यू रिवाइज करें तो उनको भी बढ़ा सकते हैं तो मैं यह चाहता हूं और इस संशोधन के जरिये सरकार से यह मांग की गई है कि जो कुछ भी तरीका यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में दिया हुआ है वही कायम रखा जाय और इसे रिवाइज करने का अधिकार सरकार को न मिल सके नहीं तो हर साल जब भी वह चाहेगी अपना एसेसमेंट रिवाइज करेगी। एक शंका हो सकती है और हमारे माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि रिवीजन न किया जाय और ऐसा क्यों समझा जाय कि ऐसी कोई नाइन्साफी की बात की जायगी। यदि रिवीजन का अधिकार सरकार को दिया जायगा। लेकिन इसमें नाइन्साफी का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोगों को इस बात की शंका हो सकती है कि मुमकिन है कि सरकार उस समय यह चाहे कि ज्यादा से ज्यादा जितना रुपया हम सरकारी खजाने में ला सकें लावें तो उसके लिये वह प्रयत्न करेगी और इसकी कोशिश करेगी और उसमें यह भी है कि जब दो किस्म के भूमिधर होंगे तो एक किस्म के भूमिधर से यह कह सकते हैं कि साहब एक को लोकल सेस कम देना पड़ता है और एक को ज्यादा देना पड़ता है, इसलिये दोनों को बराबर कर दिया जाय। इसका नतीजा यह होगा कि जो पुराने जमींदार हैं और अब भूमिधर हो गये हैं उनका सेस पहले से बढ़ा दिया जायगा और बढ़ा कर बराबर कर दिया जायगा। तो हम लोगों की यह शंका और संदेह कोई बेजा नहीं है। इसलिये हम लोग यह चाहते हैं कि जो कुछ भी तरीका हो वह निश्चित कर दिया जाय और आपको यह अधिकार न हो कि आप जब चाहें तब या हर साल एसेसमेंट बदल सकें। यही इसकी मंशा है और हमें आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन ८७७, जो कि इस भवन के सामने उपस्थित है, जिस शक्ल में वह पेश किया गया है, मुझे उसके समझने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तकरीर से तो यह पता चलता है कि

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

हमारे मित्र यह चाहते हैं कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के जरिये से जो मालगुजारी मुकर्रर है, वही मालगुजारी देना चाहिये यानी उतनी मालगुजारी ही देने की जिम्मेदारी होना चाहिये। इस बिल के जरिये से यह होता है कि वाकई जो मालगुजारी देते हों यानी लोकल रेट जो ताय्युन हो सके उसको देने की भी उनकी ही जिम्मेदारी होनी चाहिये। तरमीम मे और बिल मे सिर्फ इतना फर्क है। लोकल रेट क्यों नहीं देना चाहिये इसकी कोई वजह हमारे नवाब साहब ने बतलाई नही। उनकी तरफ से यह अन्देशा है और उन्होने बतलाया नही, मुमकिन है मेरी राय गलत हो। शायद वह समझते हो मालगुजारी मे लोकल रेट शामिल है, उसको दोबारा इम्पोज नहीं होना चाहिये ऐसी कोई आशंका नही होनी चाहिये। धारा २३६ मे इसी विधेयक में यह साफ तौर पर कहा है कि अगर मालगुजारी मे लोकल रेट शामिल है तो दोबारा फिर वह सेस इम्पोज नहीं होगा। वह सेस जो होगा उसकी जिम्मेदारी जमीदार की है और वे ही शुरू से देते आये हैं। आइन्दा क्यों न दे उसकी माकूल वजह बतलाई नहीं गई है और दोबारा देना न पड़े इसका सेफगार्ड धारा २३६ मे हो चुका। लिहाजा ऐसी सूरत मे यह तरमीम बिलकुल अनावश्यक दिखलाई पड़ती है। इसके साथ-साथ मैं नवाब साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि ऐक्ट ६३-बी (आई) के मुताबिक़ जो वैल्यूएशन निकले उसके मुताबिक़ मालगुजारी मिले। जिस मंशा से आपने यह कहा है वह इस तरमीम का मंशा नही है और अगर दूसरी चीज के मुताबिक़ चाहते हैं तो वैल्यूएशन के मुताबिक़ मालगुजारी तशखीस होनी चाहिये। मैं बहैसियत दोस्त के मशविरा देना चाहता हू कि जिस वक्त मालगुजारी बहुत ज्यादा होगी अगर इस चीज से तशखीस करना चाहते हैं तो ज्यादा देना पड़ेगा और बिला सोचे-समझे तरमीम नहीं करना चाहिये। क्योंकि इस धारा का असर सारे सूबे पर पड़ेगा। चाहे आप इसे भले ही बरदाश्त कर ले, लेकिन जो करोड़ो की तादाद मे छोटे भूमिधर और सीरदार होंगे उनको यह चीज बरदाश्त नहीं होगी और आपकी तरमीम के जरिये से तो उन पर और इजाफा होगा, जिससे उनका नुकसान ही होगा और कोई फायदा न होगा। आपने जो-जो बाते कही हैं, उनमे अव्वल तो आपने लोकल रेट या सेस न देने की कोई वजह नही बतलाई, दूसरे इसमें जो आपने तरमीम की है, उससे आपका ही सरासर नुकसान होगा। आप चाहे इस नुकसान को बरदाश्त कर सके, लेकिन गरीब भूमिधर या सीरदार इसको हरगिज बरदाश्त न कर सकेंगे। लिहाजा यह तरमीम बहुत ही गड़बड़ है और मेहरबानी कर के आप इस को वापस ले लीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने जो तकरीर इस सिलसिले में फरमाई है मैंने उसको बड़े गौर से सुना। मैं भी निहायत साफ तरीके पर और मुखतसर तरीके से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका जो मकसद है, जैसा कि मोहरिक साहब यानी नवाब एजाज रसूल साहब ने अपनी तकरीर मे साफ तरीके पर बयान किया था कि जो एक्स (भूतपूर्व) जमींदार हैं और जो भूमिधर बनेंगे वे और दूसरे जो भूमिधर बनाये जा रहे हैं उनके दरमियान मे कोई किसी किस्म का फर्क नही रखना चाहिये। यह न होना चाहिये कि इन दोनों के सेस वगैरह मे कोई फर्क हो। उन सब को आपको एक ही हैसियत पर लाना चाहिये। पुराने जमींदार जो भूमिधर बनेंगे उनको दूसरे बनने वाले भूमिधरो के मुकाबिले मे किसी दूसरी नजर से न देखना चाहिये। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की इस चीज से बिलकुल मुत्तफिक हू कि इन चीजो को बिला सोचे-समझे न करना चाहिये, ख्वाह सोचने-समझने मे कभी गवर्नमेंट की तरफ से हो या अपोजीशन की तरफ से हो, लेकिन चूंकि यह कानून है और स्टेचूट बुक पर यह तमाम चीजे आवेंगी और इन के फार रीचिंग असरात होंगे, लिहाजा कोई वजह नही है कि हम इस पर गौर-फिक्र न करें। मैं आपकी तजवीज से मुत्तफिक हूं कि इस क्लाज पर

इस वक्त विचार मुल्तवी कर दिया जाय और अपोजीशन और आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू साहब हाउस के बाहर बैठकर इस पर गौर कर लें कि क्या सही रास्ता इसके लिये हो सकता है। मैं अपनी पार्टी की जानिब से इस चीज के लिये तैयार हूं कि इसको इस वक्त मुल्तवी कर दिया जाय और अलग बैठकर इस पर गौर कर लिया जाय और इस वक्त यहां पर कोई दूसरा क्लाज ले लिया जाय ताकि काम भी न रुके। हम हरगिज ऐसा नहीं चाहते कि कोई ऐसा कानून यहां बनाया जाय कि जो तकलीफदेह हो और गलत हो। मुझे उम्मीद है कि जिस हमदर्दी से आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने तकरीर की है उनको मेरी तजवीज को मान लेने में किसी किस्म का पसोपेश न होगा और अगर होता है तो मैं समझूंगा कि कुछ दाल में काला है और उनके दिल में कुछ है और जबान पर कुछ है। हम और हमारी पार्टी इस चीज के लिये तैयार है कि हम लोग आउट साइड दि हाउस (सदन के बाहर) बैठकर इस चीज पर पहले गौर कर लें और इस वक्त इसको मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री साजिद हुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं वह यह है कि मौजूदा जमींदारी के ऊपर किसी किस्म के ज्यादा टैक्स इस जमीन के मुताल्लिक़ न हो जो उनकी प्रोप्राइटरी काश्त में है। जहां तक प्रोप्राइटरी कल्टीवेशन का ताल्लुक है और मुझे जहां तक मालूम है सरकार उसका कोई खास कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) नहीं दे रही है। तो जब ऐसी सूरत है और सरकार उसका कोई खास कम्पेन्सेशन अलाहिदा नहीं दे रही है तो उस चीज में पोजीशन बिलकुल 'स्टेट्स को' ही रहनी चाहिये यानी जो पोजीशन आज है वह कल रहनी चाहिए। वह चीज अकेले तो मेरे ख्याल में वेस्ट भी नहीं करनी चाहिये। मगर अगर लीगल दिक्कतें हैं तो उस सूरत में यह तो कम से कम होना चाहिये कि असलियत में उसकी पोजीशन में कोई फर्क न पैदा हो। जमींदारी चली गई, जो जमींदारों के पास जमीन थी वह सरकार के पास आ गई, मगर उसके पास जो प्रोप्राइटरी कल्टीवेशन में जमीन है उसमें उसकी पोजीशन बिलकुल वही रहे जो कि वेस्टिंग से पहिले थी। ऐसी तब्दीली के बाद कोई ऐसा बोझ उसके ऊपर डाल देना, मेरे ख्याल में नामुनासिब और गलत होगा। अगर सरकार यह कह दे कि प्रोप्राइटरी कल्टीवेशन में जो जमीन है उसका भी वह मुआविजा देगी तो फिर मैं यह समझ सकता हूं कि लगान बढ़ाये। मगर जिस चीज का वह मुआविजा नहीं दे रही है उसमें इस किस्म का फर्क डालना या उसके टैक्स में इस किस्म का फर्क लाना मेरे ख्याल में बेइंसाफी होगी और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस चीज को फिर से गौर करेगी और इसके ऊपर फिर से राय कायम करेगी।

श्री रामसेवक सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र नवाब ऐजाज रसूल साहब ने पेश किया है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। वास्तव में वह संशोधन जिस गरज से पेश किया गया है वह उनके हित में नहीं है। इसके अलावा उसमें यह भी एक कमी है कि वह एक व्यर्थ के प्रोसीजर की व्यवस्था करते हैं। जो व्यवस्था बिल में की गई है उसके अनुसार जिस कदर मालगुजारी आज उनको इसमें अदा करनी है वही गवर्नमेंट चाहती है कि उनसे आगे भी ली जाय, लेकिन जो संशोधन पेश किया गया है उसके जरिये से यह मन्तव्य उनका होता है कि केवल मालगुजारी ही उनसे ली जाय और आखिर में वह यह भी जोड़ते हैं कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की दफा ६३—डी और ६३—आई के मातहत फिर से मालगुजारी की रकम कायम की जाय। मैं समझता हूं कि जो आज वे दे रहे हैं और जो आज उनसे काबिल वसूल है अगर वह रकम रख दी जाय तो इसमें किसी को एतराज नहीं है और किसी पर ज्यादती भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि जबकि आज इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) का जमाना है तो जो रकम आज देय है उसको भी कम करने की मंशा किसी की हो सकती है। ऐसा तो काश्तकारों के सम्बन्ध में भी नहीं किया जा रहा है फिर जमींदारों की मालगुजारी तो बहुत ही कम है। अगर जो मालगुजारी आज उनसे अदायगी के काबिल है वही आगे के लिये इसमें रखना चाहते हैं तो आपको क्या विरोध हो सकता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि लैंड

[श्री राधामोहन सिंह]

रेवेन्यू ऐक्ट की दफा ६३–डी और ६३–आई के मातहत मालगुजारी फिर से क्यों कायम की जाय। मैं समझता हूं, और जैसा माननीय मंत्री जी ने फरमाया, कि अगर वह प्रोसीज्योर अपनाया जाय जो तरमीम में दिया है तो इससे बड़ी दिक्कतें पैदा हो जावेंगी। ऐसी अवस्था में यह संशोधन व्यर्थ का है और इसे अस्वीकार करना चाहिये। जो व्यवस्था बिल में दी गई है वह सीधी–सादी है और उससे कोई भी मुश्किल किसी को नहीं पड़ती है। जो लोग मालगुजारी अबवाब और लोकल रेट अदा करते रहे हैं उनको अदा करना चाहिये और यह तरमीम नामंजूर की जानी चाहिये।

श्री एजाज रसूल––जनाबवाला, जैसा कि मेरे लीडर साहब ने कहा अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इस मसले पर हम लोगों से बात–चीत हो सके, तो इस मसले को चन्द घंटों के लिये मुल्तवी कर दिया जाय ताकि दोनों एक–दूसरे के नुक्तेनजर को समझ लें। अगर मेरी तरमीम मंजूर कर ली जावेगी तो यह एक्स–जमींदारों को फायदेमंद होगी। असेसमेंट रोल की हैसियत से जो मालगुजारी गांव पर पड़ती है उस परते के ऊपर उनसे उस सीर और खुदकाश्त की जमीन पर जो उनके पास बाकी रह जाती है लैंड रेवेन्यू वसूल कर ली जावेगी और साथ–साथ उसका लोकल रेट और सेस भी वसूल किया जायगा। मेरी तरमीम से अगर आप सेक्शन ६३–डी लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के बमूजिब उस जमीन का असेसमेंट करेंगे और सेक्शन ६३–आई के बमूजिम डिडक्शन्स होंगे और असेसमेंट किसी सूरत से होगा, उस जमीन के लगान का पट्टा लगाया जावेगा और गवर्नमेंट की मालगुजारी अगर वह ४० फीसदी है, तो उसका डिडक्शन किया जायगा। उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू बचेगी उसमें २५ परसेंट तक आप लगान डिडक्शन करेंगे। मेरा मतलब बहुत साफ और वाजे है। आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि क्या जस्टीफिकेशन है कि जिसकी बिना पर जमींदार चाहते हैं कि लोकल रेट और सेस न दें जोकि इस वक्त दे रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं कि उनको क्या जस्टीफिकेशन है कि जमींदारों की जमींदारी ले लें और कानूनन मुआविजा जो इस वक्त के कानून से होता है न देकर एक आर–बीट्रेरी तरीके से मुआविजा दें। अगर आप मौजूदा कानून के जरिये के किसी जमीन को लेते हैं तो आपको मार्केट वैल्यू देनी होती है। मैं पूछता हूं कि इतने लाख जमींदारों की जमीन आप आरबीट्रेरी तरीके पर क्यों लेना चाहते हैं। महज यह कि आप वोटर्स से वादा करके यहां तशरीफ लाये कि आप जमींदारी खत्म कर रहे हैं, आप जमींदारी खत्म कर रहे हैं। यह कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। यह तो महज एक ताकत की बात है, आपके पास कूव्वत है, जिससे आप यह कर रहे हैं। जब आप जमींदारी ले रहे हैं और एक्स–जमींदारों को भूमिधर बना रहे हैं तो उनकी वही हालत होगी, जो अब भूमिधर बनग। आप जमींदारों को नय राइट्स और प्रिविलेजेज नहीं दे रहे हैं। अगर आप नये राइट्स और प्रिविलेजेज देते तो आप जमींदारों से लोकल रेट वसूल कर लेते। आप कर यह रहे हैं कि काश्तकारों से लोकल रेट वसूल किया जायगा, लेकिन जमींदारों से नहीं वसूल किया जायगा। मैं यह चाहता हूं कि सब एक बराबरी में रहें। आप भी यह चाहते हैं कि हर शख्स इक्वेल पोजीशन पर रक्खा जाय और मैं भी यह चाहता हूं कि हर शख्स इक्वल पोजीशन पर रहे। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट फिर गौर करेगी और इस तरमीम को मंजूर करेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह––माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस तजवीज का ताल्लुक है हमारे लायक दोस्त एजाज रसूल साहब ने फरमाया कि उनका नुक्तेनजर बहुत साफ है और जहां तक सरकार के नुक्ते नजर का ताल्लुक है वह भी बहुत साफ है। लिहाजा जब दोनों नुक्ते–नजर साफ हैं तो मुल्तवी करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। सवाल यह है कि मालगुजारी प्लस लोकल रेट आप को देना चाहिये और अगर लोकल रेट मालगुजारी में शामिल है तो धारा २३६ की रू से दोबारा कोई लोकल रेट असेस आप पर नहीं होना चाहिये। यह सीधा–सादा सवाल है।

एक सवाल उधर से और पैदा किया गया कि पुराने जमींदार जो भूमिधर होंगे उनको और छोटे काश्तकार जो भूमिधर होंगे उनका दर्जा बराबर होना चाहिये और बराबर माल–

गुजारी होनी चाहिये। अगर हमारे पुराने जमींदार साहबान जो भूमिधर होने जा रहे हैं इस बात के लिये तैयार हैं कि जो मालगुजारी नये भूमिधर की होगी उसको वह अदा करेंगे, तो मुझे जरा भी कोई उज्र इसमें नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में आप तो चाहते हैं बकौल किसी के कि मीठा-मीठा दीजिए और कड़ुआ-कड़ुआ दूर फेंक दीजिये। आप अगर उनकी बराबरी करना चाहते हैं तो जिस रेट से वह मालगुजारी देंगे उसी रेट से आप भी मालगुजारी दीजिए। इसमें जरा भी कोई एतराज मुझे नहीं हो सकता। बहरहाल आप इधर-उधर की बातें कह कर के जो मेन इशू है उसको साइड ट्रैक करना चाहते हैं, लिहाजा यह संशोधन नामुनासिब और अनुचित है। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २३२ की उपधारा (क) (१) के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा (क) (१) रख दी जाय--

"(क) (१) मध्यवर्ती था, तो ऐसी धनराशि, जो गत-कृषि वर्ष में उसके द्वारा देय मालगुजारी से अधिक न हो, यू० पी० लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६३-डी (63-D) और ६३-आई (63-I) में नियत की हुई रीति से लगाई जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि धारा २३२ के खंड (क) के बाद निम्नलिखित खंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान खंड (क क) खंड (क क क) कर दिया जाय।

"(कक) यदि वह धारा १९ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन भूमिधर हुआ हो तो ऐसी धनराशि, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान के बराबर हो।"

इस संशोधन को उपस्थित करने से मेरा मतलब यह है कि जिस समय में कि शरह मोअइयन काश्तकार भूमिधर बना दिये गये थे उसके बाद कुछ ऐसे काश्तकार थे जो पट्टे पर जमीन लिये हुए थे और उनको जमीन पर हर तरह का अधिकार हासिल था, यहां तक कि अपने पट्टे के खाते की जमीन को बेचने का भी अधिकार था। ऐसे पट्टेदारों को आगे चल कर इस सदन में भूमिधर बनाने की व्यवस्था की गई और अब इस २३२ धारा के अंदर जहां पर यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी तरीके के बने हुए भूमिधर का लगान किस प्रकार नियत किया जाय जो धारा इस वक्त सदन में पेश है उसमें उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके लिये व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। इसीलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि धारा २३२ में यह भी व्यवस्था कर दी जाय कि धारा १९ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन जो भूमिधर बना है उसकी भी मालगुजारी की रकम इस प्रकार निश्चित की जाय। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन आनुषंगिक है इस वजह से मैं इसको स्वीकार करता हूं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २३२ के खंड (क) के बाद निम्नलिखित खंड (क क) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान खंड (क क) खंड (क क क) कर दिया जाय--

"(क क) यदि वह धारा १९ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन भूमिधर हुआ हो तो ऐसी धनराशि, जो निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान के बराबर हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २३२ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३३

सीरदार द्वारा देय मालगुजारी की मात्रा

२३३—(१) इस विधान के निदेशों को बाधित न करते हुए प्रत्येक सीरदार उस भूमि के लिये, जो उसके पास सीरदार के नाते हो, मालगुजारी के निमित्त प्रान्तीय सरकार को निम्नलिखित का देनदार होगा :—

(क) यदि वह धारा २० के अधीन सीरदार हुआ तो वह धनराशि जो उक्त दिनांक से पहले के दिनांक पर उसके द्वारा देय या देय समझे गये लगान के बराबर हो,

(ख) यदि सीरदार को धारा १९४ के अधीन भूमि उठाई गई हो तो ऐसी धनराशि, जो नियत किये जाने वाले सिद्धांतों पर अवधारित की जाय, या

(ग) यदि उसने सीरदार के अधिकार द्वारा २०१ या २०७ के अधीन उपार्जित किये हों तो वह धनराशि, जो ऐसे सीरदार द्वारा देय थी, जिसके अधिकार उसने इस प्रकार उपार्जित किये हैं।

(२) यदि उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट सीरदार स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उक्त भूमि के लिये ऐसे लगान का देनदार हो जो जिन्सी हो या खड़ी फसल के अनुमान या कूत के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो उक्त खंड के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा देय लगान वह धनराशि समझी जायगी, जिसे असिस्टेंट कलेक्टर नियत की जाने वाली रीति से और नियत किये जाने वाले सिद्धांतों के अनुसार अवधारित कर दें।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २३३ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३४

१ जुलाई, १९४८ ई० को या इसके बाद मिली भूमि के लिये सीरदार द्वारा मालगुजारी

२३४—धारा २३३ में किसी बात के रहते हुए भी, किसी सीरदार द्वारा ऐसी भूमि के लिये देय मालगुजारी, जो उसे काश्तकार के रूप में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद उठाई गई है, या ऐसी दशा में जब स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान उक्त दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से अवधारित लगान की धनराशि से कम निकले, उक्त धनराशि के बराबर होगा।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २३४ की अंतिम पंक्ति के शब्द "उक्त धनराशि के बराबर होगा" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"वह धनराशि होगी, जो उक्त दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से अवधारित लगान की धनराशि के बराबर होगी"।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इस धारा के साधारण अर्थ को स्पष्ट करने के लिये है। इसके रखने से अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा शब्दावली में मैं कोई दिक्कत नहीं समझता इस वजह से मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जयराम वर्मा—इसमें जहां तक 'होगा' शब्द है वह तो 'होगी' होना ही चाहिये। लेकिन मैं अपनी तरमीम वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २३४ विधेयक का अंश मानी जाय।

श्री ऐजाज रसूल—जनाबवाला, मैं इस दफा की मुखालिफत करता हूं और चाहता हूं कि यह दफा इस बिल के अन्दर से, इस विधेयक से निकाल दी जाय। इस दफा का मतलब यह है कि जो सीरदार काश्तकार पहली जुलाई, १९४८ ई० का है अगर उसका लगान सरकिल रेट से कम है तो जिस दिन से जमीन गवर्नमेंट में वेस्ट होगी उस दिन से उसका लगान सरकिल रेट के बराबर कर दिया जायगा। गवर्नमेंट यह चाहती है कि अगर १ जुलाई, १९४८ ई० को कोई काश्तकार ५ रुपये लगान देता हो और अगर जिस दिन गवर्नमेंट वेस्ट करे उस दिन उसका लगान सरकिल रेट से ७ रुपया आता हो तो गवर्नमेंट उसका सात रुपया लगान करके वसूल करेगी। मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं कि जब आप काश्तकारों से बहुत मुहब्बत रखते हैं और इस कानून को काश्तकारों की बहबूदी और भलाई के लिये पेश किया है तो फिर आप उनका लगान क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है, किस वजह से आप यह चाहते हैं! क्या आपने यह जहमत फरमाई है कि जो हर गांव में आपके पटवारी और कानूनगो वगैरह हैं उनसे पूछते कि कितने ऐसे आदमी हैं, जिनका लगान सरकिल रेट से कम है? अगर किसी का लगान सरकिल रेट से कम हो गया हो तो फिर उसको बढ़ा देना कहां तक जायज है? जब आप यह कह रहे हैं कि जो अपने लगान का १० गुना दे वह भूमिधर है और उसका लगान आधा है तो फिर जो पहली जुलाई, १९४८ ई० को काश्तकार बने थे उन्होंने अगर १० गुना दे दिया तो उनका लगान आधा हो जायगा। उनमें तो कोई गवर्नमेंट इजाफा न करे, लेकिन जिन गरीब काश्तकारों के पास रुपया नहीं है और वे १० गुना रुपया सरकार को नहीं दे सके, ऐसे लाखों खेत इस वक्त मौजूद हैं उनके ऊपर बड़ी ज्यादती होगी कि आप उनके ऊपर सर्किल रेट से लगान बढ़ा दें। मैं चाहता हूं कि यह दफा इस बिल में न रहे। पता नहीं भूल-चूक से यह कानूनी दफा यहां आ गयी है लिहाजा मैं गवर्नमेंट की इत्तिला के लिये यह कहना चाहता हूं कि कोई फैक्ट एंड फिगर्स आया गवर्नमेंट ने जिलों से मंगवाये कि कितने ऐसे काश्तकारों के पट्टे हुए हैं? १ जुलाई सन् १९४८ ई० के बाद। मेरा ख्याल है कि ऐसे बहुत ही कम काश्तकार होंगे। महज अधिकारियों की राय पर, बगैर किसी फैक्ट एंड फीगर्स के यह चीज कर दी गयी है। फर्ज कीजिए अगर कोई पट्टा लगान कम भी कर दिया गया है तो क्या यह सरकार का फर्ज है कि जिन काश्तकारों के पट्टे १ जुलाई, सन् १९४८ ई० को दिये गये उनका लगा बढ़ा दिया जाए। मेरे ख्याल में यह कोई इंसाफ की बात न होगी। अगर आप मौजूदा कानून देखें तो उसके अन्दर किसी काश्तकार का लगान १० साल के अन्दर न घट सकता है, न बढ़ सकता है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट पावरफुल (शक्तिशाली) है, जैसा कानून चाहे बनाए अपने फायदे के लिये। मिसाल के तौर पर मैं बतलाता हूं कि बहुत सी परती जमीन पड़ी हुई थीं, जिनको कोई काश्तकार नहीं लेता था, अगर सर्किल रेट के बमूजिब उनको उठाया जाता तो कोई काश्तकार उनको लेने को तैयार नहीं था। लेकिन ग्रो मोर फूड की वजह से कम रेट पर लेने के लिये काश्तकार तैयार हो गये। कम लगान पर उनको यह परती जमीनें उठा दी गयीं जो पहिले बेकार पड़ी थीं। सबसेसिव लगान पर उनको उठाया गया यानी पहले साल २ रु० पर, दूसरे साल ५ रु० पर और तीसरे साल १० रुपये पर। इस तरह खराब जमीनों को जमींदारों ने उठा दिया इन काश्तकारों को सस्ते लगान पर। लेकिन आप चाहते हैं कि पहली जुलाई, १९४८ ई० से उन काश्तकारों का लगान बढ़ा दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह निहायत गलत तरीका है। इससे आपको कोई खास फायदा भी नहीं होगा।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री ऐजाज रसूल—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि १ जुलाई १९४८ ई० को जो काश्तकार होंगे और जिनके पट्टे हो गये होंगे और अगर उनका लगान सर्किल रेट से कम होगा तो जिस तारीख से जमींदारी गवर्नमेंट में वेस्ट (निहित) हो जायगी उस तारीख से उनको पूरा लगान देना पड़ेगा। हमारे मौर्य जी जो शोषित संघ के मेम्बर हैं वे भी काश्तकारों का लगान बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर वे मेरी राय से मुआफिकत करते हैं और अगर वे समझते हैं कि मैं जो कहता हूं वह दुरुस्त है तो वे फौरन ही दफा २३४ को निकालने के लिये ताईद करेंगे, जैसा कि मैंने किया है। गरीब काश्तकारों का जिनका लगान कम है बेकार ही लगान बढ़ जायेगा। इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह लगान वह लगान रख दिया जाय जो सन् १९४८ ई० में था और यह दफा निकाल दी जाय।

श्री गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दफा २३४ की धारा का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं उस धारा में यह है कि १ जुलाई या उसके बाद जो काश्तकार होंगे, जिनके नये पट्टे होंगे उनका लगान अगर सर्किल रेट से कम है तो जब जमींदारी उन्मूलन हो जायगा और जमींदारी सरकार के अधिकार में आ जायगी, तो उनका वह लगान पूरा कर दिया जायेगा। जबकि मैं यह देखता हूं कि सरकार हमारे किसानों की काश्त को आगे बढ़ाने के लिये तैयार है और उनके साथ हमदर्दी रखती है तो फिर यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले के पट्टे तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो बाद के काश्तकार होंगे उनका लगान अगर सर्किल रेट से कम है तो वह पूरा कर दिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आया कि उसमें सरकार ने क्या खास बात समझी कि उसने किसानों के साथ ऐसा बर्ताव शुरू किया है। जबकि आप किसानों के हित की बात करना चाहते हैं, तो इस समय मान लीजिए किसी बेचारे गरीब किसान का लगान कम है तो उसको बढ़ाने से आपको क्या लाभ हो जाता है। इससे जाहिर हो जाता है कि एक तरफ तो आप किसानों का नेतृत्व करने का दावा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ मालूम होता है कि किसानों का, जिसमें असली नेतृत्व है, वह नहीं करना चाहते हैं बल्कि आपके मन में जो बातें आती हैं उन्हीं को करने के लिये तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस जस्टिस, जिसके बारे में मैंने कल कहा था, उसको आज रिपीट करता हूं कि यही कांग्रेस जस्टिस है कि किसानों के हित के लिये कानून बनाये जा रहे हैं, लेकिन जिसमें किसानों का हित होता है उस बात को आप मद्दे-नजर नहीं रखते हैं और किसानों का लगान बढ़ाने के लिये तैयार हैं। यही कल मैंने नजरबन्दी ऐक्ट के सिलसिले में भी कहा। प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में जो ड्राइव होता है उसमें भी आप देख लें कि यही कांग्रेस जस्टिस हुआ कि अगर कोई शख्स होता कुछ और है और उससे मांगा कुछ और जाता है। इसी तरीके से यह भी आपकी जस्टिस का एक नमूना है कि जिस किसान के पास पट्टा मौजूद है, पहली जुलाई, १९४८ ई० के पहले और पहली जुलाई, १९४८ ई० के बाद दोनों तरह के किसानों में आपने भेद पैदा कर दिया है। तो यह बात कहां तक न्यायसंगत और उचित है। इन सब बातों पर भी आपको विचार करना चाहिये। और मैं समझता हूं कि अगर यही हुआ तो इसका परिणाम यह होगा कि किसानों में एक बहुत बड़ी अराजकता फैलेगी, उनमें आपस में बहुत मनमुटाव हो जायगा। इन सब बातों का ख्याल करते हुए यह उचित नहीं है कि यह धारा जैसी की तैसी रखी जाय। और इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

श्री सुल्तान आलम खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा इरादा तो आज के मुबाहिसे में हिस्सा लेने का नहीं था, लेकिन मेरे मित्र माननीय मंत्री जी की कुछ ऐसी ख्वाहिश हुई कि मैं भी इस सिलसिले में कुछ अपना इजहार खयाल करूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—आपने समझा नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि उनकी यह ख्वाहिश नहीं थी। खैर, अगर मुझे पहले से यह मालूम होता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन बहरहाल जब मैं खड़ा हो गया हूं तो कुछ शब्द इस सिलसिले में अर्ज करूंगा। जहां तक दफा २३४ का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि यह दफा बिलकुल एक ऐसी दफा है, जिसका ताल्लुक काश्तकारों से और सरकार से है। इसके अन्दर जमींदार या जमींदारी

का कोई मसला दरमियान में नहीं आता और यह भी मुसल्लमा अम्र है कि गवर्नमेंट इस बात से पाबन्द है और एक मर्तबा इस बात का एलान कर चुकी है कि वह काश्तकारों का बोझ कम से कम करना चाहती है और लगान का जो बड़ा बोझ उनके ऊपर पड़ा हुआ है उससे रिलीफ देने जा रही है। और ये दोनों चीजें जमींदारी एबालिशन बिल में रखी गई हैं कि इसके जरिये से भूमिधरों का लगान आधा किया जा रहा है। फिर इसकी कोई वजह नहीं हो सकती है कि लगान क्यों आधा किया जाय जब कि हम इस बात को महसूस करते हैं और मानते हैं कि वाकई में काश्तकारों पर लगान का ज्यादा बोझ है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है और उसे कम करना चाहिये। यह तो बुनियादी और उसूली बात है कि भूमिधरों का लगान ५० फीसदी कर दिया जाय। लेकिन भूमिधरों में वे जमींदार भी उस रिलीफ के मुस्तहक हैं जो कि आजकल के जमाने में छोटे-छोटे जमींदार हैं या काश्तकार हैं या इस किस्म के काश्तकार हैं, जिनके पास अनइकनामिक होल्डिंग्स हैं, जिनके पास छोटी-छोटी आराजियात है और उन्हीं के ऊपर वे अपने खान ा की बसर औकात का जरिया अख्तियार किये हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद जो प्रोविजन इस दफा २३४ में रखा गया है उससे एक इंसान को सोचना पड़ेगा और उसे अपनी आंखे मलनी पड़ेंगी कि आखिर यह क्या बात है, यहां तो इस वसूल को बिलकुल पामाल किया जा रहा है कि काश्तकारों के ऊपर जो ज्यादा लगान का बोझ है उसे कम किया जाय। इसके अंदर दो चीजें दी गयी हैं। एक तो यह है कि काश्तकार जो तकरीबन दस साल से जो लगान इन्ज्वाय करता चला आता है वह न कर सकेगा और उसका लगान रिवाइज किया जायगा। फिर उससे आइन्दा हेरिडिटेरी रेट से लगान वसूल किया जायगा। इस तरीके से उनके ऊपर एक नया बार हो जायगा। मैं नहीं समझता कि यह उस पालिसी के, उस उसूल के कहां तक मुताबिक है, जिसके मातहत जमींदारी एबालिशन बिल लाया गया है और यह बिल सिर्फ जमींदारी एबालिशन बिल ही नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ लैंड रिफार्म्स बिल भी है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब मैं यह देखता हूं कि बहुत से बुनियादी उसूल, जिनको सामने रखकर यह बिल बनाया गया था उनको ठुकरा दिया गया है। उसका नतीजा यह है कि यह बिल जमींदारी अबालिशन भले ही रह जाये, लेकिन लैंड रिफार्म बिल नहीं रह सकता। इसलिये मैं गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात पर ठंडे दिल से गौर करे। हो सकता है यह दफा मालगुजारी के लिये इसलिये रखी गई हो कि कुछ रुपया और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आ जाय, लेकिन जो बुनियादी उसूल है उनको नहीं छोड़ना चाहिये। अगर हमको कहीं से ज्यादा तादाद में रुपया मिले तो हमको उसके लिये बुनियादी उसूल को नहीं छोड़ना चाहिये। जहां तक काश्तकारों के सिर पर माली बोझा है उसको हल्का करने की कोशिश करनी चाहिये। अगर हम इस कसौटी पर उतर जायं तो मैं यह समझाना चाहता हूं कि कभी हम पूरे नहीं उतरेंगे। जनाबवाला, हमने इस बात का एलान किया कि हम इस सूबे में और इस मुल्क में क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि जहां पर कोई गरीब न हो और न कोई अमीर हो, हर शख्स बराबर हो, बराबर से हुकूक हासिल हों, और बराबर की उनकी जिम्मेदारी हो। यह बहुत अच्छा उसूल है इससे कोई शख्स इंकार नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि जब हम बुनियादी उसूलों को मान कर आगे चलते हैं और इसके सिलसिले में जब हम रिफार्म योजना सामने लाना चाहते हैं वहां पर जब हमें उनकी तफसील में जाने का मौका मिलता है उस वक्त इस बात को देखकर अफसोस होता है कि हम उन बुनियादी उसूलों को भूल जाते हैं। न सिर्फ बाज-बाज मौकों पर ऐसा होता है बल्कि शोशल जस्टिस को भी पामाल किया जाता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ इस बात की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे सही तौर पर मालूम नहीं है कि अगर इस तरह से इस दफा के मुताबिक अमल करने से गवर्नमेंट के खजाने में कितना रुपया आ जायगा। अगर चन्द लाख रुपया खजाने में आ भी जाय तो यह कोई ऐसी बात नहीं है। असल सवाल तो फंडामेंटल उसूल का है। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल कुरबान होते हैं तो वह चन्द लाख रुपया कोई कीमत नहीं रखता है। हमने एक इन्कलाबी चीज जमींदारी को खत्म करने की अपने सामने रक्खी है और वह इसीलिये रखी है

[श्री सुल्तान आलम खां]
कि उसके लिये स्कीम बनाएं इसीलिये कि जो आजकल जमींदारों का तबका है वह काश्तकार की तरक्की में हाउल है और उसके रास्ते में रुकावट है। इसलिये इस तरीक़े से काश्तकार अपनी तरक्की कर सकें यह बिल लाया गया है। इस वास्ते काश्तकार के सर पर जो माली बोझा है उसको कम करने का आपका फर्ज है उस पर क़र्ज़ का जो बार है उसको कम करना जरूरी है, जहां तक हो सके उसको माली रिलीफ दी जाय और उसके सब बार को कम करने की कोशिश की जाय तो उसको फायदा हो सकता है। यह खुली हुई बात है कि जो छोटे काश्तकार और छोटे सीरदार हैं उसकी हालत अदना होती है, लेकिन उनसे भी रुपया वसूल करने की कोशिश की गई है। मैं यह अर्ज करूंगा कि वही एक्सप्लाएटेशन का तरीक़ा अख्तियार किया गया है जो पहले यहां पर ब्रिटिश रूलर किया करते थे। हम उनको बुरा कहा करते थे फिर क्या उनके तरीकेकार को अख्तियार किया जाता है। आज हमको मौक़ा है और हम इस बात को मानते हैं कि हम अपने अमल से उन ग़रीब काश्तकारों के बार को कम करें ताकि उनको इत्मीनान हो सके कि हमारे फायदे के लिये भी कुछ किया जा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अपनी पूरी कूव्वत के साथ अपील करूंगा कि आप इस पर अपने ठंडे दिल से गौर करें और इस बात की कोशिश करें कि आया इस दफ़ा से वह कमियां दूर करने की कोशिश की गई हैं या नहीं जिनसे सीरदार के ऊपर बहुत सी तकलीफ़ और बोझ का भार है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री मेरे इन अल्फाज पर गौर करेंगे।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, बिल की जो धारा २३४ है, जिसमें सेलेक्ट कमेटी ने यह व्यवस्था रखी है कि १ जुलाई सन् ४८ के या उसके बाद के जो नए काश्तकार हैं और जिन का लगान मौजूदा 'रोस्टर रेट, से कम नियत किए गए हैं उनको बढ़ाकर रोस्टर रेट के मुताबिक कर दिया जाय। सेलेक्ट कमेटी ने इस पर काफ़ी गौर किया और एक मुंसिफाना तरीक़े से इस चीज को मंजूर किया। सेलेक्ट कमेटी को यह भी देखना था कि यह शरह क्यों कम कर दी गई है और इस को किस लिए पूरा करना चाहिए उसने सरकार की माली हालत को भी देखा। आखिर कोई सरकार बिना रुपए के, बिना कर वसूल किए नहीं चल सकती और न अधिक दिनों तक क़ायम रह सकती है। इन तमाम बातों को गौर कर के ही सेलेक्ट कमेटी ने ऐसा किया है। अब भी अगर इस पर ठंडे दिल से विचार किया जाय तो यह बात सही साबित होती है। लेकिन खामख्वाह जो संशोधन उधर से मेरे लायक दोस्त गुरु नारायण जी ने पेश किया है और जिस पर बड़े-बड़े जमींदारों की तरफ से यह कहा गया है कि ग़रीब काश्तकारों के ऊपर सरकार को मेहरबानी करना चाहिए और उन पर लगान न बढ़ाना चाहिए। हम सभी यह भी जानते हैं कि जब उनका जमाना था तब उन्होंने काश्तकारों के लिए क्या-क्या किया? आप हम से आज कहते हैं कि आप जेर हुकूमत हैं बाअख्तियार हैं और आप ग़रीब काश्तकारों पर यह जुल्म क्यों करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वह बाअख्तियार थे और जब वही हुकूमत में सब कुछ थे तो उन्होंने इन ग़रीब काश्तकारों के ऊपर क्या क्या मेहरबानियां की थीं? जाहिर है कि उन्होंने काश्तकारों को तबाह व बरबाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी आज काश्तकारों के हित की बातें करते हैं और अपना कोरा फायदा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि भोले-भाले काश्तकार समझ लें कि अब तो उन्होंने कंठी बांध लिया है और इसलिए अब वह काश्तकारों के सच्चे हमदर्द हैं एक तो यह और दूसरे यह कि ज्यादातर जमींदारों ने एक जुलाई १९४८ ई० के बाद अपनी सीर व खुदकाश्त पर अपने खास लोगों को मौरूसी हक़ दिए हैं और उसमें उन्होंने लगान कम करने की कोशिश की है, यह लोग उन्हीं के रिश्तेदार हैं और उन्हीं के आदमी हैं, जिनसे हमेशा उनका वास्ता रहता है और वह चाहते हैं कि किसी तरह से उनका फ़ायदा रहे। वर्ना उनके दिल में काश्तकारों के लिए न पहले जगह थी और न आज है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने दूसरे काश्तकारों को भी कम लगान पर मौरूसी हक दिया है तो वह भी बिलकुल साफ़ है कि बहुत बड़े-बड़े नजराने लेकर ही लगान घटाया गया है।

वे तो जानते हैं कि जमींदारी तो अब चन्द रोजा है, इसलिये ऐसी हालत में मुझे सिर्फ उनसे यह निवेदन करना है कि अब तो जनता की सरकार

है और जनता की सरकार में सबको बराबर हक़ होता है। उनकी जमींदारी जा रही है, लेकिन उनको इसी देश में रहना है और यह देश अगर फले-फूलेगा तो उनका भी फायदा होगा और अगर कोई बात घुमा-फिरा कर ग़लत तरीक़े से कराना चाहेंगे और अगर वह ग़लत चीज हो गई तो उससे हमारी सरकार का ही नहीं बल्कि हमारे देश का नुक़सान होगा और वे और हम, तमाम लोग जो इस देश में रहते हैं सबको नुक़सान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब इस तरह से धोखा देने वाली चीज दुनिया में नहीं चल सकती। इसलिये वे मेहरबानी करके अब कोई ऐसी बात न करें। अब किसान इतना नासमझ नहीं है। वह समझता है कि आज जो गवर्नमेंट जमींदारी का खात्मा कर रही है उसमें कोई दूसरी बात नहीं है महज कि सानों की ओर अपने देश की भलाई के लिये है। और इस सूबे से और देश से ग़रीबी मिटाने के लिये ही सरकार यह काम कर रही है। तो अब ऐसी छोटी-मोटी बातों से किसान बहकने वाले नहीं हैं। यह एक समझने की चीज है। अब काग़ज की नाव देर तक चल नहीं सकती है इन शब्दों के साथ जो संशोधन हमारे लायक़ दोस्त ने मुखालिफ पार्टी की तरफ से पेश किया। उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् जी, जो धारा २३४ है उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी अभी हमारे त्रिपाठी जी ने जो भाषण दिया उसमें पहले की तरह से उन्होंने फिर कहा कि जमींदारों ने जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं वे चल नहीं सकतीं और हमारी गवर्नमेंट काश्तकारों की भलाई के लिये यह कर रही है। तो इसके माने यह हैं कि जमींदारी खत्म होने के बाद जब गवर्नमेंट खुद जमींदार बन गई तो वह चाहे जो जुल्म काश्तकारों के ऊपर करे वह ठीक समझते हैं। वह बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं कहूं कि गवनमेंट ने जमींदार होते ही पहला क़दम अपनी आमदनी बढ़ाने का उठाया है और इस धारा में आप चाहते हैं कि सीरदार का, जिनका रेट सर्किल रेट से कम है, लगान बढ़ा दिया जाय। यह सरकार काश्तकारों के फ़ायदे के लिये इतने बड़े-बड़े वायदे करके आयी है। हम तो समझते हैं कि बहुत ही कम काश्तकार ऐसे होंगे, जिनका सर्किल रेट से कम लगान होगा क्योंकि जमींदार तो बड़े जालिम रहे हैं, उन्होंने कहा उन काश्तकारों को छोड़ा होगा।

सरकार को चाहिये कि जो काश्तकार के हित की बात है उसको तो मान ले क्योंकि वह अपने को उनका नुमाइन्दा कहती है। अगर थोड़ा-बहुत रुपया काश्तकारों से नहीं लिया जायगा तो कोई बड़ी बातें नहीं होंगी। आपके ग्रो मोर फूड कैम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) में लोगों ने रद्दी जमीन को ठीक करने में अपना रुपया लगाया है तब आप क्यों नहीं उनको रिआयत देकर मौक़ा देते हैं? आगे जब सैटिलमेंट आवेगा तब आप सर्किल रेट से कर लीजिये। लेकिन आप तो जितना रुपया वसूल कर सकते हैं और जितनी सख्ती से कर सकते हैं वह करना चाहते हैं। इसी तरह से आपने अभी एक धारा ज्वाइंट रेसपांसिबिलिटी की पास कर दी जमींदारों की बक़ाया की तो आपको परवाह नहीं थी, लेकिन जब आप यानी सरकार खुद जमींदार हुई तो उसके ऐसे इन्तजाम कर लिये कि एक पैसा भी बाक़ी न रहने पावे या कहीं ऐसी जमीन न रहे जहां काश्तकार कम लगान देता हो। मैं कहूंगा कि इससे सरकार के खजाने में ज्यादा रुपया नहीं चला आवेगा और आपको ग़रीब काश्तकार का ख्याल करना चाहिये। अपनी पूरी मिल्कियत होते हुये अगर जमींदारों ने किसी को पट्टा कर दिया है तो आप इसमें कहते हैं कि १ जुलाई, १९४८ ई०से आप उसे नाजायज समझेंगे और उसे सर्किल रेट से लगावेंगे। अगर हम अपनी जमीन का पट्टा कर दिया तो रेवेन्यू तो बराबर आपको देते रहे और फिर अब आपको यह फिक्र क्यों है कि वह पट्टा हमने समझ-बूझ कर कर दिया? हमने अपने जिन काश्तकारों का लगान माफ कर दिया है उनकी भी रेवेन्यू बराबर सरकार को देते रहे। अगर हमने लगान कम करके जमीन दे दी तो सरकार को हमारा मुआहिदा मानना चाहिये। जब यह सवाल सेलेक्ट कमेटी में आया था तब भी हमने यह अर्ज किया था। सरकार इसकी फीगर्स देख ले। लेकिन जब यह ज्यादा नहीं है तो आप क्यों इस छानबीन में पड़ते हैं कि यह मालूम करायें कि किन के पास सर्किल रेट हैं और किन के पास नहीं है आपतो यह कहते आये थे कि हम तुम्हारा लगान माफ कर देंगे और तुम्हें जमींदार बना देंगे, लेकिन अब आपने आबपाशी का भी लगान बढ़ा दिया

[श्री वीरेन्द्र शाह]

अगर जमींदारों ने ऐसे पट्टे किये हैं तो उनकी कोई खास वजह होगी। आपने न तो हमारे लिये सीर छोड़ी और न खुदकाश्त की जमीन हम ज्यादा ले पाये। अब अगर हमने पट्टे कर दिये हैं तो उन पर आप लगान बढ़ाना चाहते हैं। आप शायद यह कहेंगे कि जमींदारों ने घरवालों के नाम पट्टे कर दिये हैं। मुमकिन है कि थोड़ा सा हिस्सा ऐसा भी हो जिन्होंने अपने भाई, भतीजे या गुजारेदारों को जमीन दी हो। अगर ऐसा किया है तो क्या बेजा किया है? हमारी हजारों बीघा जमीन आप कौड़ियों के दाम लिये ले रहे हैं। अब आपको सेटिलमेंट तक तो लगान बढ़ाने के लिये रुक जाना चाहिये। ऐसे बहुत कम पट्टे होंगे, जिनका लगान स्किल रेट से कम होगा।

मैं यह कहूंगा कि सरकार को इन छोटी-छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिये और किसानों की हालत देखते हुये अपने हथकंडे नहीं दिखाना चाहिये। जब इस धारा को इस बिल से निकाल दिया जायगा तब ही आपकी शोभा होगी वर्ना आपका यह सरासर अन्याय होगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खास जरूरत इस मौके पर बोलने की नहीं थी, लेकिन श्री ऐजाज रसूल साहब ने अपने भाषण के दरमियान में मेरा नाम लिया, इसलिए मैंने इस बात को महसूस किया कि मुझे भी अपनी राय जाहिर करना चाहिये।

उपाध्यक्ष—नाम तो आपका अक्सर लेते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई अगर माकूल तरमीम होती है विरोधी पक्ष की तरफ से या ऐजाज रसूल साहब की तरफ से, तो मैं इस बात की कोशिश करता हूं, कन्वेंसिंग करता हूं, माननीय माल मंत्री साहब से बहस भी करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री के पास भी जाता हूं कि वह बात मान ली जाय। यह बात दूसरी है कि एक चीज को मैं कुछ और समझूं और मेरे साथी कुछ और समझें। धारा २३४ के बारे में ऐजाज रसूल साहब ने यह कहा कि मौर्य जी भला कैसे उनके इस सुझाव की मुखालिफत करेंगे। जहां तक उन्होंने किसानों के साथ हमदर्दी जाहिर की और अपने ख्यालात का इजहार किया उससे मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन कोई फाड अगर गवर्नमेंट के साथ किया गया हो और जिसमें वाकई कोई ऐसी बात हो कि जिससे किसानों के साथ एक तरह की बेइंसाफी होती हो तो उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग मुझसे इत्तिफाक करेंगे। श्री सुल्तान आलम साहब ने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन शायद वाक़यात पर उन्होंने गौर नहीं किया। उन्होंने अपनी दलीलें किसानों की तरफदारी में दीं, लेकिन असल वाक़यात राजा वीरेन्द्र शाह साहब ने बयान कर दिया। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने सच्ची बात बयान कर दी। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने असल वाक़यात बयान कर दिये। उन्होंने यह कहा कि जमींदारों ने अगर अपने भाई भतीजों के साथ पट्टा कर दिया तो क्या बुरा किया। मैं भी कहता हूं कि ठीक है कि क़ानून के अन्दर उन्होंने अपने भाई भतीजों के नाम पट्टे कर दिये और काश्तकारों के नाम पट्टे कर दिये जिनसे खूब रुपये वसूल किया क़ानून के अन्दर इसका उनको अख्तियार था और उन्होंने ऐसा किया। यहां यह सवाल नहीं है कि जो पट्टे उन्होंने कर दिये या रुपये उन्होंने वसूल कर लिये वह उनसे वापस कराया जाय यहां सवाल यह है कि सन् ४८ के बाद जिन लोगों ने सरकार को धोखा देकर अपनी जमीनों को निकाल दिया है उनके लिए इंसाफ क्या कहता है। हमारी तरफ जो भी थोड़ी बहुत जमीनें बची थीं, यहां तक कि चरागाह, आबादी की परती, खलिहान, और तालाब वगैरह सभी जमींदारों ने पट्टे पर उठा दिया और किसानों से यह कह दिया कि तुम्हारा लगान हम बहुत कम किये देते हैं। हजार रुपये अगर नजराना लिया तो एक आना या दो आना बीघे पर पट्टा कर दिया। सरकारी रेट से जो जमीनें १५-२० रुपये बीघे पर उठतीं, उन पर जमींदारों ने हजार-हजार और डेढ़-डेढ़ हजार रुपया नजराना ले लिया और बहुत कम लगान पर उनका पट्टा कर दिया।

एक सदस्य—यह कहां हुआ?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--हमारे जौनपुर जिले में।

एक सदस्य--क्या नवाब मुहम्मद यूसुफ़ साहब ने ऐसा किया ?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--नहीं, छोटे-छोटे जमींदारों ने ऐसा किया और इसके अलावा एक पट्टी के जमींदार ने दूसरी पट्टी के जमींदार के हाथों में अपनी जमीन दे दी, अपनी पट्टी की खाली जमीन जैसे कोई परती हो चरागाह, खलिहान, वह उसको दे दी और इस तरह से दूसरा जमींदार उसके यहां काश्तकार हो गया और दूसरे जमींदार ने दूसरे को अपनी जमीन दे दी। इस तरह से एक जमींदार दूसरे के यहां और दूसरा किसी और के यहां काश्तकार बन गया और बिलकुल नामिनल रेंट लगाया गया। इस तरह बहुत से जमींदार खुद दूसरी पट्टियों में काश्तकार बने और जैसा राजा साहब ने खुद तसलीम किया, बहुत से जमींदारों ने अपने भाई-भतीजों के नाम पर फरजी तौर पर जमीन पट्टे पर उठा दी और रसीदें काट दीं। पट्टे पर नहीं, रसीदें काट कर ही काश्तकार बना दिये जाते हैं। अब इंसाफ क्या कहता है सरकार अपनी मालगुजारी से महरूम रहे या मुनासिब मालगुजारी जो होनी चाहिये वह वसूल करे वाक़या तो यह है कि उन्होंने काश्तकारों को धोखा दिया, यह कह कर कि देखो तुमको लगान सिर्फ १ आना, २ आना देना पड़ेगा, हमको नजराना ज्यादा दो। हमेशा के लिये तुम्हारा लगान कम हो जायगा। इस तरीक़े से उनको बहकाया गया और ज्यादा नजराना उनसे वसूल किया गया और लगान बहुत नामिनल कर दिया गया। मैं तो यह कहूंगा कि यह वाक़या सन् ४६ से ही जमींदारों की तरफ से हुए हैं जबसे जमींदारी खत्म करने का इस सदन ने प्रस्ताव स्वीकार किया। सरकार और गांव सभाओं को भी धोखे में डालने की कोशिश की गयी। उनकी चरागाहों को उठा दिया गया। मुश्किल तो यह है कि चरागाह और तालाब, जिनसे आबपाशी होती है, कागजात में नहीं है। उनको उठा दिया गया और लगान भी बहुत नामिनल रखा गया और इसके अलावा अपने भाई-भतीजों को भी आपने उठा दिया। अब आप इस बीच में क्यों पड़ते हैं कि जो मुनासिब मालगुजारी हो वह उस जमीन से ली जाय। उसके पहले के भी सीरदार काश्तकार मालगुजारी अदा करते हैं। अपने पहले इजाफे के जरिये से मालगुजारी उन पर बढ़ाई और उसके पहले के काश्तकार मुनासिब तौर पर सरकिल रेट से मालगुजारी अदा करते हैं, अब कोई वजह नहीं कि जो सन् १९४८ई० के बाद के काश्तकार हैं वे मुनासिब मालगुजारी अदा न करें। यह आपने भाई-भतीजों को पट्टा कर दिया तो खैर वह तो कर दिया, लेकिन एक काश्तकार जो सरकिल रेट से लगान देता रहा और उसी के बगल में एक आना, दो आने जो कि उसके पंद्रहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है दूसरा लगान दे, यह कहां का इंसाफ है। चाहिये तो यह था कि सन् ४६ के बाद जो सीरदार बन गये हैं उन सबसे सरकिल रेट से मालगुजारी वसूल की जाती। इसमें तो कोई बेइंसाफी है ही नहीं और न कोई किसान इसको बुरा कह सकता है, जबकि उसके बगल का किसान सरकिल रेट से देता है। लेकिन आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपने उनसे वादा किया था कि ज्यादा से ज्यादा रुपया नजराना दो और हम लगान कम किये देते हैं और आप के भाई-भतीजे समझते थे कि मुफ्त में जमीन मिल रही है। आज आपको परेशानी हो रही है कि क्यों उनसे मालगुजारी ली जा रही है। इतनी जबरदस्ती नहीं हो सकती कि जितनी जमीन खाली थी वह खत्म कर ली और कुल जमीन हड़प ली और जब मालगुजारी देने का सवाल आया तो कहते हैं कि हम रेवेन्यू फ्री ग्रांटी बने रहें। अब रेवन्यू फ्री ग्रांटी बनना चाहते हैं यह एक नामुनासिब चीज है और आपकी यह तमाम दलील गलत है कि गवर्नमेंट वही पुराना जमींदारों का तरीका अपना रही है जिस दलील को आप किसानों के नाम पर देते हैं कि यह गवर्नमेंट किसानों को तकलीफ़ दे रही है और बजाय मालगुजारी कम करने के मालगुजारी बढ़ाई जा रही है। यह गलत बात है न मालगुजारी बढ़ाई जा रही है और न यह गवर्नमेंट जमींदारों का वही पुराना रवैया अख्तियार कर रही है। उन जमींदारों के पुराने क़िस्सों को उठाते क्यों हैं। नवाब साहब का जिक्र किया गया। छत्तीस-छत्तीस तरह के नजराने वसूल होते थे। मैं नाम लूं, घोड़ही, भुसही, मोटरावन, लड़के के पैदा होने पर, इस तरह के ३६-३६ तरीक़े के गिने हुये नजराने हैं जो नवाब साहब की जमींदारी में किसानों से

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

वसूल किये जाते थे। सरकार कोई नजराना नहीं वसूल कर रही है। जो ३६ तरह के नजराने थे उन्हें छोड़ दीजिये। काश्तकारों की तरफ से क्या—क्या होता था यह तो एक अजब कहानी है। जमींदारों का जो रवैया था उसे अब भूल जाइये। हम उसको भूल जाना चाहते हैं, जमींदारी के खात्मे के साथ हम उसको भूल जाना चाहते हैं, लेकिन आप बारबार उसकी याद दिलाते हैं। जब आप यह कहते हैं कि जमींदारों के पुराने रवैये तो दिल को ठेस सी लगती है और आपकी पुरानी हरकतें याद आ जाती हैं। जो सहूलियतें आज सरकार आप को पहुंचाने जा रही है आप उसमें भी ठेस लगाना चाहते हैं क्योंकि जमींदारी खत्म होने के बाद आप भी किसान होने जा रहे हैं, इसलिये वह आपके साथ सहूलियतें बरत रही है। यह कह कर आप उसको ठेस लगा रहे हैं। होता तो यह कि जमींदारी खत्म होने के बाद सब जमीन गांव सभा को दे दी जाती लेकिन वह नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी आप चाहते हैं कि जमीनें मुफ्त मिल जायें। किसानों की बात तो महज धोखे की है असल में आप अपना फ़ायदा चाहते हैं। और अपने भाई—भतीजों को मुफ्त में जमीन दिलाना चाहते हैं और उन किसानों को, जिनको आपने धोखा दे कर रुपया लिया, आप समझते हैं कि हम उनके वारिस बनेंगे इस फिक्र में आप हैं। इसको छोड़ दीजिये। आप भी अब किसान होने जा रहे हैं। जो मुनासिब मालगुजारी सरकिल रेट की हो उसे सब लोग अदा करें, और खुशहाल रह कर खेती करें और यह गवर्नमेंट भी अपना फर्ज अदा करे और गवर्नमेंट का काम चलता रहे, लेकिन यह अंड़गे की नीति आपकी ठीक नहीं है कि तमाम वह जुल्म जो जमींदारों के थे वही जुल्म आज हो रहे हैं तो उन जमींदारों के जुल्म को याद कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो कम से कम माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और ईमान से कहता हूं कि जमींदारों का जुल्म याद आ जाने पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—मौर्य जी की तक़रीर को मैं बड़े गौर से सुनता रहा और आखिर में उन्होंने इस तरह से खत्म किया कि जमींदारों का नाम एक बार भी अगर उनके सामने लिया जाय तो उनको वह पुराने क़िस्से और पुरानी कहानियां याद आ जाती हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसलिये वह सुनना नहीं चाहते। मौर्य जी को यह याद रखना चाहिये कि अब गवर्नमेंट खुद जमींदार बनने जा रही है। और वे तमाम तैयारियां गवर्नमेंट ने शुरू कर दी हैं। जमींदार अपने जुल्म के लिये मशहूर थे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उन तमाम जुल्मों, जब्र और ज्यादतियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और बड़ा अफसोस भी हुआ कि मौर्य जी उस मसले पर गवर्नमेंट की तरफ से तकरीर करने के लिये खड़े हुये जो हक़ क़त में इस बिल का सबसे कमजोर प्वाइंट है और अपनी तकरीर में उन्होंने बड़ी लचर और कमजोर दलीलें दीं। मैं सुन रहा था जब अन्नरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू साहब से राजा वीरेन्द्र शाह ने कहा कि अपने भाई और भतीजों को जमीन दे दी है तो क्या गजब कर दिया? उसके जवाब में उन्होंने फरमाया था कि कैट इज आउट आफ दी बग (भेद खुल गया)। मैं भी आपके लिये वही कहना चाहता हूं कि कैट इज आउट आफ दी बग (भेद खुल गया)। अगर देखा जाय तो जो यह दफ़ा रखी गई है उसकी हक़ीक़त सिवाय इसके कुछ नहीं है कि इसके जरिये से दसगुना लगान वसूल हो। यह एक तरीका है, जिसके जरिये से आप चाहते हैं कि दसगुना लगान और ज्यादती के साथ वसूल कर लें। मैं जनाब से इस सदन के मेम्बर साहबान को बताना चाहता हूं कि इस बिल में क्या है। इसके अल्फाज में जनाब की इजाजत से दोहरा देना चाहता हूं।

"Notwithstanding anything contained in section 233, the land revenue payable by a sirdar for land to which he was admitted as tenant on or after the first day of July, 1948, shall, where the rent payable by him on the date immediately preceding the date of vesting was less than the amount of rent determined at hereditary rates applicable on the said date, be equal to such amount."

(धारा २३३ में किसी बात के रहते हुये भी, किसी सीरदार द्वारा ऐसी भूमि के लिये देय मालगुजारी जो उसे काश्तकार के रूप में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद उठाई गई है, ऐसा इशारा जब स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान उस दिनांक पर लागू नीरूपा दरों से अवधारित लगान की धनराशि से कम निकले, उक्त धनराशि के बराबर होगा।)

इसका यही मतलब है कि सीरदार के जो काश्तकार हैं, जिनका सरकिल रेट से लगान बढ़ा है यह लगान आप चाहते हैं कि इस दफा को रू से बढ़ाया जाय। दलील क्या है? दलील यह दी जाती है कि जिन काश्तकारों ने जमींदारों को नजराना देकर सरकिल रेट से कम के ऊपर लगान कायम करा लिया है, आप कहते हैं कि यह गलत चीज हुई है और यह नहीं होना चाहिये और आप कहते हैं कि जो इस तरह से अनजस्टिस हुई है उसे आप दूर कर रहे हैं क्योंकि कोई वजह नहीं है कि जो एक जायज तरीके से रेट हो गया है वह एक काबिले दूसरों के पर सरकिल रेट से कम लगान दे। मैं पूछता हूँ कि जो काश्तकार दसगुना लगान दाखिल करके भूमिधर बन जाता है उसका क्या रीजनिंग होगा। आपने उसके ऊपर भी यह शर्त क्यों नहीं आयद की। अगर उन्होंने दसगुना लगान दे दिया है तो ठीक यह था कि सरकिल रेट का आधा लगान उसके ऊपर लगे। लेकिन आपकी नजरों में तो उसका पुराना लगान ठीक है, लेकिन जो सीरदार ऐसे हैं जिन्होंने नजराना नहीं दिया, उनके ऊपर आप यह जुल्म ढा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने दसगुना लगान नहीं दिया है लिहाजा उसके ऊपर सरकिल रेट के लगान कर देना चाहते हैं। मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि सन् ई० १९४८ के बाद, थोड़ा देर के लिये मान लें वह काश्तकार जिसने नजराना दे कर जमींदार से लगान कम करा लिया है और दसगुना लगान जमा करने के बाद भूमिधरी का हक हासिल कर लिया है उसके लगान को क्या आप आधा नहीं करेंगे?

(इस समय २ बजकर ५१ मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर अस्थायी सभापति समिति के सदस्य श्री अलगूराय शास्त्री ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

आपने जब १० गुना नजराना भूमिधरी के नाम से उससे हासिल कर लिया है तो उसके लिए आपका हमदर्दी है और कहते हैं कि ठीक किया। मैं सेक्शन का मतलब सिवाय इसके कुछ नहीं समझता कि सीरदारों को जिन्होंने लगान सरकिल रेट से कम है उनको आप मजबूर कर रहे हैं कि या तो वह १० गुना लगान दाखिल करके भूमिधरी के हकूक हासिल कर लें और अगर नहीं करते हैं तो इस दफा २३४ के जरिए से हम तुम्हारा लगान इस हद तक पहुंचा देंगे। मैं पूछता हूँ कि यह कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का तरीका है। क्या जेड० ए० एफ० वसूल करने का यही मुनासिब तरीका है। हमारे मोर्य जी ने तमाम दलीलें दीं जमींदारों के मुताल्लिक और इस बात पर बड़ी नाराजगी का इजहार किया कि राजा वीरेन्द्र शाह ने यह कह दिया कि अगर किसी ने अपने भाई-भतीजे के नाम लगान का पट्टा कर दिया तो क्या कुछ गुनाह हो गया। क्या वह इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या उन्हें हक हासिल नहीं है जो तुम्हें है। महज जमींदार के भाई-भतीजे होने के कारण वह इसके अहल नहीं रहे कि उनके नाम जमीन का पट्टा हो सके। मोर्य जी ने अपनी सारी तकरीर इस मुद्दे पर बेस की। लेकिन उन्होंने हुकूमत फरमाया कि १० गुना वसूल करने के लिए वह क्या तरीका अख्तियार कर रहे हैं। किस तरह बैक डोर से यह तरगीब दे रहे हैं सीरदारों को कि अगर तुमने १० गुना लगान दाखिल कर दिया तो यही कम लगान रहेगा, अगर दाखिल नहीं किया तो हम तुम्हें यह सजा देंगे कि तुम्हारा लगान बढ़ा देंगे। क्या इसे इंसाफ कहा जा सकता है, क्या ऐसा कानून बना कर आप यह कह सकते हैं कि आप काश्तकारों के साथ हैं, कश्तकारों के हमदर्द हैं? मुझे इस सिलसिले में अर्ज करना है आनरेबिल मिनिस्टर रेवेन्यू से जिस वक्त से इस बिल का पैसेज हो रहा है अपोजीशन की जानिब से सैकड़ों कई तादाद में तरमीम आई और अपनी समझ में निहायत गौर और फिक्र के साथ बहैसियत बिल में इम्प्रूवमेंट (सुधार) हो इस गरज से उन्हें पेश किया, लेकिन एक भी तरमीम मंजूर नहीं की गयी। दो हालतें हैं या तो आनरेबिल रेवेन्यू मिनिस्टर यह कहें कि तमाम

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

अक्ल और फहम की मनोपोली (एकाधिकार) उनके पास है और अपोजीशन के विभाग में कोई सही चीज नहीं आ सकती और जितनी तरमीमें थीं वह इस काबिल नहीं थीं कि उन्हें वह क़बूल करते। अगर वह इसकी इजारेदारी लेने को तैयार नहीं हैं तो वह यह कह दें साफ तरीक़े से। चूंकि हम अक्सरियत में हैं और अक्सरियत को यह हक़ हासिल है कि वह जायज या नाजायज, मुंसिफाना या गैर मुंसिफाना, दयानत या बद दयानती की हर बात मंजूर करा लेंगे और जो आप मुनासिब समझेंगे वह करेंगे। यह डेमोक्रेसी की माकरी क्यों है। इससे क्या फायदा इस तरह से डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन को बदनाम किया जा रहा है। यह जाहिर है अक्सरियत जमात गवर्नमेंट फार्म करती है और जब गवर्नमेंट फार्म कर लेती है, जैसे कि आज कल है तो यह तै हो जाता उसके लिए लाजमी है कि वह अपोजीशन की किसी बात को न माने और अपनी बात को हर हालत में मंजूर करा ले तो फिर यह तमाशा, यह डिबेटिंग क्लब किस लिए क़ायम किया है। इसकी क्या गरज है जब कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई दलील, कोई रीजनिंग, जो अपोजीशन की जानिब से पेश की जाती है वह लाजमी तौर से आपके लिए क़ाबिले क़बूल नहीं है तो फिर अपोजीशन से क्या फायदा है।

मैंने तो यहां तक देखा है कि अगर ऐसी बात सामने आती है, जैसा कि कहते हैं कि जीती मक्खी नहीं निगली जाती और आप उसको मंजूर करने के लिये मजबूर हो जाते हैं, तो जब आप उसको मंजूर करते हैं तो भी बड़े करीने से मंजूर करते हैं। आप कहते हैं बात वही है हम तुमको अश्योरेंस देते हैं कि हम लोग अपनी जानिब से कोई दूसरी तरमीम लायेंगे। आप उसमें अपनी इज्जत की हतक समझते हैं, लेकिन मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब को यह बता देना चाहता हूं कि अपोजीशन की बात मान लेना गवर्नमेंट के लिये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। अपोजीशन की हर माकूल बात पर गौर करना चाहिये। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में स्ट्रांग अपोजीशन की जरूरत होती है। उसके मानी यही हैं कि अपोजीशन अगर स्ट्रांग होगा तो गवर्नमेंट को गलत रास्ते पर चलने से रोकेगा और गवर्नमेंट के जो रैश ऐक्ट्स होंगे उनको न्यूट्रल कर देगा। इसीलिये कहा जाता है कि अपोजीशन से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में कामयाबी पहुंचती है। लेकिन अगर यही तरीका, जो इस ऐवान में बरता जा रहा है, जिस तरीके से आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू अपोजीशन के साथ बरताव करते हैं, जिस तरीके से लाइट हार्टेडली ट्रीट किया जाता है (तुच्छ समझा जाता है) तो सिवाय इसके अपोजीशन के लिये और कोई रास्ता ही नहीं है कि वह खामोश रहे और ऐवान का वक्त जाया न करे वर्ना तो अगर आप एक जिम्मेदार कुरसी पर बैठे हैं और उसका एक काउन्टर पार्ट अपोजीशन है तो आपको उसकी माकूल बातों पर पूरी तौर पर गौर करना चाहिये और देखना चाहिये कि जो बातें अपोजीशन की जानिब से कही जाती हैं उनकी क्या कीमत है। हमारे सदन में एक अजीब तरह का कन्वेन्शन कायम किया जा रहा है, जो हमारी आइन्दा आने वाली हुकूमतों को खबरदार करने वाला है।

माननीय श्री हुकुम सिंह— दफा २३४ पर भी कुछ कह दीजिये।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां— दफा २३४ के बारे में ही यह बात है कि आपने यह सब जो कुछ रखा है वह सब जमींदारी अबालिशन फंड को वसूल करने के लिये ही किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप इस तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। अपोजीशन तो आपको समझाना चाहता है और कहता है कि इस तरीके से आप ठोकर खा रहे हैं, लेकिन अगर आप यह जिद करना चाहते हैं कि हमने तो यह लाजिमी करार दे दिया है तो आप क़दम-क़दम पर गलतियां करेंगे और इंसाफ का खून आपके हाथों से होता रहेगा। मैं जानता हूं कि मैं दफा २३४ के बारे में जो कुछ कहूंगा वह आप मानने को तैयार नहीं होंगे, जो कुछ मैं कहूंगा वह आपकी समझ में आने वाली चीज नहीं है। हम तो आपकी सही तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहते हैं।

अस्थायी सभापति-- धारा २३४ के बारे में आप जो कहना चाहते हैं वह कहिये आप दफा २३४ के ऊपर ही बोलिये।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां-- दफा २३४ के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप जेड० ए० एफ० (जमींदारी विनाश फंड) की वसूली करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके साफ तरीके से यह कह दीजिये कि दस गुना लगान लेने के लिये यह क्लाज लाया गया है और इससे ज्यादा कोई हकीक़त नहीं है कि इस चीज को आप क़बूल कर लें। लेकिन आप तो कहते कुछ हैं और होता कुछ है। फर्ज कीजिये कि एक किसान है, जिसने कि आपके इस कानून के पास होने के दूसरे ही दिन दस गुना जमा कर दिया तो आप फौरन ही उसको अपना मोहर वगैरह लगा कर भूमिधरी का परवाना दे देंगे। तो क्या यह बेइन्साफी की बात नहीं होगी कि वहां पर सरकिल रेट का ख्याल किया जाय और बाकी सब खतम हो जाय? इन अल्फाज के साथ मैं सख्त मुखालिफत करता हूं इस क्लाज की कि इस तरीके से वह इस बिल के अन्दर आये और मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू इस पर ज्यादा इसरार नहीं करेंगे और जो अगराज जाहिर किये गये हैं इन सब को समझेंगे।

श्री राधामोहन सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा २३४ को निकाल देने की बात इस वक्त इस भवन में पेश की गयी है। इसके लिये आवश्यक यह है कि हम धारा २३४ को पहले पढ़ें और तब इस पर विचार करें कि यह धारा निकाली जाय या नहीं। जो व्यवस्था धारा २३४ में की गयी है यदि वह आवश्यक हो तब तो उसे रहने दिया जाय और नहीं तो उसे निकाल दिया जाय। नवाब साहब ने इस दफा को पढ़ने का प्रयत्न किया, लेकिन पढ़ने के बाद फौरन ही बहुत दूर चले गये। इस धारा के अन्दर जो व्यवस्था की गयी है उसमें दो बातें विचारणीय हैं---एक तो यह कि बहस का विस्तार बहुत कम कर दिया गया है, उसमें तमाम काश्तकारों का प्रश्न नहीं है, बल्कि पहली जुलाई, १९४८ ई० के बाद जिनको पट्टा हुआ है उनका ही प्रश्न है। दूसरी बात यह कि हम लगान बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो यह कहते हैं कि जो सरकिल रेट हो वही उनसे भी लिया जाय। सरकिल रेट है क्या, इन तमाम बातों पर हमें ख्याल करना है। सर्किल रेट का माने यही है कि जो जमीन का फेयर रेंट हो। अगर सरकिल रेट से अधिक लिया जाय तो वह भी अनफेयर है और अगर कम लिया जाय तो वह भी स्टेट के साथ अनफेयर होगा। इसलिये इसमें सरकिल रेट की व्यवस्था की गयी है ताकि किसी से गैरवाजिब रुपया न लिया जाय। उधर से बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन सिर्फ मैं दो बातों का जिक्र यहां करना चाहता हूं। एक बात तो राजा साहब ने यह बतलायी कि बहुत सी जमीनें ऐसी दी गयी थीं, जो परती थीं और उनको तोड़ना था, इसलिये लगान कम था। दूसरी बात, जैसा कि हमारे मित्र श्री द्वारिका प्रसाद जी मौर्य ने कहा कि अपने भाई-भतीजे और रिश्तेदारों का भी ख्याल किया गया। उन सब बातों को दोहराने की जरूरत मैं नहीं समझता। तो आपका कहना यह है कि चूंकि उनको परती जमीन तोड़ने के लिये दी गयी, इसलिये उनका रेंट कम होना चाहिये और आप इसे क्यों बढ़ाने जा रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि अगर वाकई में ऐसी बात हो तो भी सन् १९४८ ई० से आज तक तीन वर्ष हो चुके और इस बीच में जब वे खेत इस काबिल हो गये कि उनमें अच्छी तरह से खेती की जा सके तो फिर उनके साथ भी कोई ज्यादती नहीं है। क्योंकि सरकार यह चाहती है कि सब काश्तकारों के साथ एक-सा व्यवहार किया जाय। इसलिये इसमें गैरमुनासिब तो कोई बात है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग भूमिधर बने हैं दस गुना लगान देकर, उन सब का लगान सरकिल रेट के बराबर ही हो। इस धारा के अन्दर एक ही सरकिल रेट की व्यवस्था की गयी है।

मैं यह कहता हूं कि इस वजह से ऐसा करना पड़ा। जब मालगुजार की जमींदारी खत्म हो रही है और भूमि-व्यवस्था करना उस हालत में निहायत जरूरी है तब यह सोच-समझकर किया गया, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया। अगर कोई काश्तकार अपना १० गुना लगान दे देता है तो उसके लिये भूमि-व्यवस्था करना जरूरी है। अगर कोई

[श्री राधा मोहन सिंह]

१० गुना लगान देने पर भूमिधर न बनता तो शायद भूमि-व्यवस्था करने की जरूरत न पड़ती। जब उसने भूमि की कीमत को अदा कर दिया तो उसको कोई न कोई रियायत देना जरूरी था। इसलिये स्टेट ने इसको किसी हद तक कम्पेन्सेट किया। उसके साथ यह कोई रियायत नहीं है, इन्साफ के मुताबिक़ यह किया गया है और स्टेट को ऐसा करना भी चाहिये और इस पर किसी को कोई एतराज का मौका भी नही मिल सकता है। आप तो भूमिधर बनते नही है, १० गुना लगान भी न हीं देते हैं, अपना पट्टा किसी को लिख देते हैं। मैं इन बातों मे जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे सिर्फ यह कहना है कि यहां पर जो यह दफा २३४ रखी गई है यह निहायत ही आवश्यक है। इन सब बातों को सोच-समझ कर ही यह धारा बनाई गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि २३४ धारा जो इस बिल मे रखी गई है यह बहुत ही आवश्यक है और इसको मंजूर करने मे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री प्रयाग नारायण—धारा २३४, जिसके ऊपर यह बहस चल रही है, मैं उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने जो स्पीचेज (भाषण) यहां पर सुनी है उससे मुझको यह मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि इन काश्तकारों का सरकिल रेट से कम लगान हो और उन पर लगान बढ़ा दिया जाय। मैं इसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या आप यह चाहते हैं कि काश्तकार और जमींदारों में अच्छी तरह से लड़ाई हो जाय। हमने काश्तकारों को रियायत के साथ जमीन सोच-समझकर उठाई थी और हमने देखा कि इसका लगान इतना ही होना चाहिये जितना कि रियायत से हो सकता है। हमारे मौर्य जी ने उन बातों पर बहुत ध्यान दिया, जो राजा साहब ने कही थी। उन्होंने बार-बार यह कहा कि राजा साहब ने अपने रिश्तेदारों को, अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, सब को चलते-चलते यह चीज बांट दी है। इसलिये अब गवर्नमेंट यह चाहती है कि जो रियायत उनको दी गई है वह रियायत अब उनसे ले ली जाय। आपको यह हक़ हमेशा हासिल है कि आपने जैसा कि सन् ४२ के झगड़ों के मुताल्लिक़ किया। वह गवर्नमेंट जो उस जमाने में थी आज नहीं है, वह यहां से चली गई है उसके बाद आपने उन लोगों को क्या-क्या चीज दे दी। क्या हम यह नहीं समझते हैं कि आपको उनके साथ, अपने साथ, काम करने वालों के साथ, जिनको आप अपने साथी कहते हैं, उनके साथ यह रियायत नहीं है। आपकी तो यह भी रियायत ही कही जायगी। जो भी गवर्नमेंट आई उसी ने ज्यादती की, अब आपने भी वही तीर लिये और आप भी वही कर रहे हैं।

मैं अब यह समझ रहा हूं कि एलेक्शन का जमाना नजदीक आ रहा है और वही एलेक्शन की चालबाजियां शुरू हो रही हैं। हर तरह की बात की जा रही है कि हम लोगों को कहीं पर खड़े होने का मौका न दिया जाय और काश्तकारों के दिमाग में यह बात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अब हमारी बात की कोई वकत नहीं है और तमाम रियायतें गवर्नमेंट ही दे रही है और गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम से यह लगान ले लेंगे। इस तरह से लगान लेने के क्या मानी है। जहां जैसी जमीन होती है उसी तरह का उसका लगान होता है और आपने यह भी कहा कि तमाम चरागाह जोत लिये गये और तालाब उठा दिये गये। हम तो नहीं कह सकते कि कहां चरागाह और तालाब उठा दिये गये। हमारे यहां तो ऐसा नहीं हुआ कहीं पूरब में या जौनपुर में भले ही किसी ने ऐसा किया हो। यह आप ही की तरफ हुआ होगा, जहां आप लोग मालिक हैं, जो चाहे करावें। हमारे यहां तो ऐसा हुआ नहीं और हमारी ऐसी हिम्मत भी नहीं होती। हम तो डरते हैं कि कहीं ऐसी बात न हो क्योंकि आप बरसरे हुकूमत हैं, कहीं खफा न हो जावें और बदला लेना शुरू कर दें और किसानों की निगाह में हमें और गिराना शुरू कर दें। मुमकिन है कि किसी ने फायदा उठाया हो, लेकिन हमने तो अपनी तरफ ऐसा नहीं देखा। अब तक तो आप दस गुना लगान वसूल कर रहे थे अब वह बन्द हो गया आपने यहां अब ११ गुना पास किया था, लेकिन अखबार

से मालूम हुआ कि दस गुना ही फिर आप करने जा रहे हैं। अगर आप बगैर सोचे-समझे जल्दी-जल्दी में ऐसा करेंगे तो उससे कोई फायदा तो है नहीं और इसी तरह की बातें आप २३४ धारा में करने जा रहे हैं, मुमकिन है वही बातें आप फिर करें। यह ऐसी चीज है, जिसको आपको हर तरह से सोच-समझ कर करना चाहिये और हमारा जो सम्बन्ध काश्तकारों से रहा है वह भी कायम रहे। अब तो हमें शक हो गया है कि आप जमींदारी को खत्म ही न कर पावेंगे क्योंकि आपका जेड० ए० एफ० तो फेल हो गया है और आप उसको वसूल ही न कर पाये और अब आप इससे ज्यादा क्या वसूल कर पावेंगे और आपकी ऐजेंसी ने भी पूरा काम किया और काश्तकारों को तंग करने में कोई दकीका उठा न रखा। मैंने जो सुना वही मैं बार-बार कह रहा हूं। मैं इसकी मुखालिफत के लिये खड़ा हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको दुरुस्त करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र राजा प्रयाग नारायण साहब ने फरमाया कि जेड० ए० एफ० कलेक्शन बन्द हो गये और हमने ११ गुना पास किया और अब फिर उसको दस गुना करने जा रहे हैं। जब इतने बड़े-बड़े दानिशमन्द लोग गलतफहमी में हैं तो मैं यह अपना फर्ज समझता हूं कि इस चीज को आपके सामने साफ कर दूं, क़बल इसके कि दफा २३४ के सम्बन्ध में कुछ कहूं। एग्रीकल्चरल टेनेंट्स प्रिविलेजेज एक्वीजिशन ऐक्ट अभी रायज है और उसकी पाबन्दी लाजिमी है। उसकी रू से किसान को दस गुना देने का हक़ है। इस विधेयक में ग्यारह गुना की तरमीम पेश हुई है। जब तक यह विधेयक कानून की शक्ल में लागू न हो ग्यारह गुने का मसला लागू नहीं हो सकता, जब तक कोई कानूनी तरीके से अमल न किया जाय। अगर आपको एतराज न हो तो एक्जीक्यूटिव आर्डर्स जारी किये जा सकते हैं। लेकिन सरकार तो ऐसा करना नहीं चाहती। सरकार तो हमेशा कानूनी तरीके से हर बात पर अमल करना चाहती है। जब राजा प्रयाग नारायण जी ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। राजा जगमनपुर ऐसी बातें कहते रहें तो कोई बात नहीं क्योंकि वह तो ऐसी बातें कहने के आदी हो गये हैं। आप कहते हैं कि जमींदारी अबालिशन फंड की स्कीम फेल हो गई। इसकी सच्चाई तो आपको इसी से मालूम हो जाती है कि एक हफ्ते में साढ़े चार करोड़ रुपया वसूल हुआ है। दुनिया में कोई ताक़त आज तक ऐसी नहीं हुई है जो एक हफ्ते में साढ़े चार करोड़ रुपये वसूल कर सकी हो।

श्री वीरेन्द्र शाह--मार, मार कर।

माननीय श्री हुकुम सिंह--जी हां, जगमनपुर में भी मार-पीट कर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि इस सिलसिले में कोई भी ज्यादती हुई है। अगर हुई होगी तो मैं उसका तदारुक करने के लिये बार-बार इस ऐवान में कह चुका हूं, मगर इस तरह से गैरजिम्मेदाराना तरीक़े से और निराधार बातों का बार-बार इस ऐवान में कहना कहां तक मुनासिब है और कहां तक इस सदन की शान के माफिक़ है। अगर आपके पास एक भी सबूत है तो मुझे दीजिये, मैं उस पर अमल करूंगा और जो उसका मुजरिम होगा उसको सजा देने के लिये तैयार हूं। हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने बार-बार इस ऐवान में यह बात कही, मगर अभी तक एक भी सबूत हमारे राजाराम जी शास्त्री ने नहीं दिया। जेड० ए० एफ० फेल हो गया। जरा इन्तजार कीजिये और देखिये कि कैसे फेल होता है। जमींदारी तो जब्त होगी ही चाहे रुपया आये या न आये। कानून में जिस तरीके से रुपया दिया जा सकता है दिया जायगा। ऐसे अख्तियारात कानून में हैं।

मुझे अफसोस है कि हमारे नवाब जमशेद अली साहब जो इस पार्टी के लीडर हैं यहां से तशरीफ ले गये। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर को अक़्ल की मानोपली नहीं है। मैं कब दावेदार होता हूं। लेकिन अक्ल तो भगवान की देन है और उनको भी मालूम है कि जसामत के साथ अक़्ल नहीं बढ़ती। जब जसामत होती है तो अक्ल का हिस्सा कम हो जाता है।

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

लिहाजा मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें यहां कहना कहां तक ठीक है। कहां धारा २३४ की बहस और कहां अक्ल की मानोपली की बात और तमाम दुनिया भर के मुकाबिले डिमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दिये गये, जिनसे रेलेवेंसी और इर्रेलेवेंसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं कहां तक बतलाऊं कि ये बातें इर्रेलेवेंट हैं। मुझे खुशी है कि जनाब ने उनका ध्यान आकर्षित किया कि धारा २३४ के मुताल्लिक़ भी कुछ बातें कह दें। इससे बड़ा अमूल्य समय इस सदन का बचा वरना सारी ऐसी ही बातें वह यहां कहते। फिर वह यहां से चले भी गये।

जहां तक धारा २३४ का ताल्लुक़ है, बड़ी लम्बी-लम्बी तक़रीरें हुईं। मैं कोई लम्बी तक़रीर करना नहीं चाहता हूं। हमारे कुंवर साहब ने भी कांग्रेस गवर्नमेंट की जस्टिस की बात फिर दोहराई। मैंने भी जवाब दिया। मैं क्या बताऊं मैं जवाब दोहराता नहीं। अगर कोई जवाब दूंगा तो नया जवाब दूंगा। एक बात का जोर एक ही मर्तबा होता है। अगर वही बात बार-बार कही जाय तो उससे कोई असर नहीं होता। यह कहां का इन्साफ है कि अगर कोई शख्स फ्राड करे या फ्राड में पार्टी हो तो उसको यह मौका मिले कि अपने फ्राड का फायदा उठाये। दुनिया की कोई लीगल जुरिस्प्रूडेंस इस बात को गवारा नहीं कर सकती। जिस वक्त जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट शाया हुई, वैसे तो ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० से ही, लेकिन जिस वक्त से यह रिपोर्ट शाया हुई उसके बाद से जमींदार तिलमिला उठे और जिस तरह से हो सका बड़ी-बड़ी रक़में वसूल करना शुरू किया। मुझे खुशी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने इस बात को क़बूल किया और कहा कि अगर जमींदारों ने ज्यादा नजराना लेकर लगान कम किया तो क्या हर्ज है, यह उनका हक़ है। आपने बड़े-बड़े नजराने लेकर जमींने नामिनल रेंट पर देना शुरू किया। मैं राजा साहब जगमनपुर की तारीफ करता हूं कि जहां वह ज्यादा बोलते हैं वहां कभी-कभी सच बात भी कह जाते हैं। उन्होंने ठीक बात कही कि अगर उन्होंने अपने भाई-भतीजों को दे दिया तो कोई बेजा बात नहीं की। टाइटिल जरूर उनके पास हो गया। मैं जनाब के जरिये से राजा साहब को बतलाना चाहता हूं कि उनको कोई हक़ नहीं था कि गवर्नमेंट के खिलाफ फ्राड्यूलेंट ऐक्ट करते और अपने कुनबे वालों को नाजायज फायदा पहुंचाने की कोशिश करते। सरकार इंसाफ करना चाहती है और आपकी चीज को बरक़रार रखना चाहती है। आपने नामिनल रेंट रखकर गवर्नमेंट को नुक़सान पहुंचाया है, उसका फायदा आपने या आपके अजीजों के हक़ में नहीं है। सरकार सबका लगान बढ़ाना नहीं चाहती है, जैसा कि कुछ मित्रों ने कहा सरकार उनका लगान जरूर बढ़ाना चाहती है, जिन्होंने धोखे से नामिनल रेंट करके सरकार को नुक़सान पहुंचाया है। एक मथुरा के जमींदार हमारे पास आये और मैं उनकी तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नामिनल रेंट लेकर पट्टा कर दिया। हां, जब मेरे पास राजा जगमनपुर जैसे बिला ख़राक के गवाह मौजूद हैं तो मैं और गवाह क्यों दूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत फ्राड्यूलेंट सौदे हुये हैं। सिर्फ ऐसी फ्राड्यूलेंट ट्रांजैक्शन्स को डिफीट देने के लिये यह प्रावीजन रखा गया है और फिर भी सरकार ने इसमें रियायत की। ऐसे ट्रांजैक्शन को कतई गैर-कानूनी क़रार देना चाहिये था और वे शुरू से ही अल्ट्रावायरेस होना चाहिये थे। लेकिन सरकार इसमें रियायत करना चाहती है। अगर खाली अजीजों के ही नाम पट्टे होते तो हम ऐसा भी सोच सकते थे कि उनको बिलकुल नाजायज क़रार दे देते। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं, जिनसे लम्बी-लम्बी रक़में ली गईं और पट्टे दिये गये। उनकी अगराज का नाजायज फायदा हमारे जमींदार भाइयों ने उठाया। लम्बी रक़में लेकर नामिनल रेंट दिया। अपना काम पूरा किया और दूसरे को भी इस फ्राड्यूलेंट ऐक्ट में पार्टी बनाया। मैं उसको इतना बड़ा क़सूरवार नहीं समझता। हालांकि कुछ हद तक उसका भी क़सूर जरूर है। ऐसी सूरत में कम से कम लगान तो पूरा हो जाना चाहिये। इसी के लिये यह दफा है।

कहा यह जाता है कि अपोजीशन की कोई बात नहीं मानी जाती है। मैं क्या बतलाऊं मेरी बदकिस्मती है कि मैं मानता भी जाऊं और रियायत भी देता जाऊं और फिर भी शिकायत बरक़रार है। फिर आप कहते हैं कि आपकी बात नहीं मानी गई और आप किसी दूसरे मौके पर तरमीम लावेंगे। अगर मैं कहता हूं कि आपकी तरमीम के अल्फाज़ नामुनासिब हैं और जिस शख्स ने तरमीम मुरत्तब की है उसने अक्ल से काम नहीं लिया और उसकी शब्दावली में गड़बड़ है, तब भी आपको नाराजगी होती है कि लीजिये रेवेन्यू मिनिस्टर ने यह बात कह दी, जबकि वह अपने को अक्लेकुल मानते हैं। मैंने कभी अक्ल की मोनोपली का दावा नहीं किया है।

नवाब ऐजाज रसूल साहब ने कहा कि जिस भूमिधर को दूसरे हिस्से की मालगुजारी देना पड़े उसे हक होना चाहिये कि कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दे सके और वह गवर्नमेंट रेवेन्यू की तरह से वसूल कराया जाय। मैं कहता हूं कि २३१ में नहीं, २६२ में इसका बन्दोबस्त रखा गया है।

एक सदस्य—मैंने नहीं एतराज किया।

माननीय श्री हुकुम सिंह—जी हां, आपने नहीं एतराज किया, लेकिन जनाब के लीडर ने ऐसा एतराज किया। क्या मैं यह उम्मीद करूं कि इस मामले में आपको अपने लीडर से मुखालिफत है और आप उनको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा है तो क्या मैं यह समझूं कि आप के लीडर की बातें सारी पार्टी की बातें नहीं होती हैं। आइन्दा मैं इस बात को एहतियात रक्खूंगा कि सब बात उनकी सब पार्टी की तरफ से नहीं होती है। बहरहाल अकसर इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया और यह कहा गया कि तरमीम मान ली जाय और अगर उसमें किसी किस्म की गड़बड़ी हो तो उसका सुधार माहरीन से करा लिया जाय। यह तरीका अमल में लाया गया, लेकिन फिर भी आपको शिकायत है कि हमारे अल्फाज़ नहीं माने गये और नये लफ्ज़ रख दिये गये। अगर आप के संशोधन की शब्दावली गड़बड़ है तो उसको मान करके इस बिल की सुन्दर तस्वीर को बदनुमा तसवीर बनाने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। जिसमें जनता का हित हो उसको मैं हमेशा मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन यह चीज़ मुनासिब मौके पर होना चाहिये। इन सब बातों पर नाराजगी का इज़हार कर देने से, एक लम्बी-चौड़ी तकरीर कर देने से और सख्त से सख्त अलफाज़ का प्रयोग कर देने से प्रेस्टिज नहीं बढ़ती है और न बहस में कोई ताक़त आती है। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को सख्त बात कहूं। सख्त बात से बिटरनेस पैदा होती है और वह मैं करना चाहता नहीं। बात सहूलियत से होना चाहिये। हमारे लायक़ दोस्त जमशेद अली साहब बतलायें कि सदन में अब कोई बात पेश हो तो वह किस तरह पास होना चाहिये। अगर कोई बाद-विवाद की बात हो तो कसरत राय से तय करने के अलावा अगर और कोई कांस्टीट्यूशनल तरीका हो तो उस पर भी अमल किया जा सकता है। हर बात पर बहस होती है, मुबाहिसा होता है और फिर सदन की राय से फैसला होता है। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है क्या आप यह चाहते हैं कि अपोजीशन अगर नामुनासिब बात कह दे और उसको मान लिया जाय तब ही डेमोक्रसी हो सकती है। जैसा मैंने कहा नवाब ऐजाज रसूल साहब की तरमीम मुनासिब थी, लेकिन जिस मौके पर वह चाहते थे वह नामुनासिब मौका था। उनका प्रिंसिपल मान लिया गया है और अगर आज नहीं तो कल एक तरमीम आने वाली है। कहा यह जाता है कि डेमोक्रसी का हनन हो रहा है, डेमोक्रसी के उसूलों को पामाल किया जा रहा है, लेकिन इस तरह के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। दुनिया जानती है कि किस तरह से डेमोक्रसी पर अमल किया जाता है। आपकी सारी पार्टी बोल चुकी है और कुछ लोग हमारी तरफ से भी बोल चुके हैं जो लोग हमारी तरफ से बोले उन्होंने अपने को धारा २३४ में ही कन्फाइन्ड रखा, लेकिन उस तरफ के लोग सारे सूबे में घूम आये और सारे बिल को उलट डाला। ऐसा मालूम होता था कि फर्स्ट या थर्ड रीडिंग हो रही है। धारा २३४ बिलकुल सीधी-सादी है। जो फ्राडूलेंट ट्रांजैक्शन हुये हैं उन्हीं को रोकने के लिये धारा २३४ रखी गयी है। अगर आपको यह शिकायत है कि इस

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

की वजह से कहीं जेड० ए० एफ० में तरक्की न हो जाय, तो इसके लिये मैं यह कहूंगा कि अगर इसकी वजह से तरक्की होती है तो कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर इसके यह असरात हैं तो बहुत अच्छा है। फ्राड को रोकना हमारा काम है और उसी को रोकने के लिये धारा २३४ रखी गयी है। और अगर उसके असरात से कुछ जेड० ए० एफ० में तरक्की होती है तो मुबारकबाद है, बड़ी खुशी की बात है कि इसके जरिये से इतने अच्छे और खुशगवार नतायज पैदा होंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि दफ़ा २३४ से किसी को कोई दिक्कत नहीं, जनता के हितों को कोई हानि नहीं पहुंचती और इससे आमतौर से मौरूसीदारों के लगान में इजाफा नहीं होता बल्कि उन लोगों के लगान में इजाफा होगा जिन्होंने जमींदारों से मिलकर सरकार के साथ धोखा धड़ीकरनी चाही। लिहाजा आम तौर से प्रोपेगैंडा करने की कोई जरूरत नहीं, न उसके असरात हो सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह धारा निहायत आवश्यक है और यह सदन कृपा करके इसे स्वीकार करे।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि धारा २३४ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ--)

पक्ष में--५७

आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इतिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चेतराम, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जुगुल किशोर, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृपाल सिंह, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लुत्फ अली खां, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीरबल सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डे, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

विपक्ष में—९

ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
गुरु नारायण, श्री
प्रयाग नारायण, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
हबीबुर्रहमान खां, श्री

धारा २३५

धारा २३२ और २३३ के अधीन मालगुजारी देने के दिनांक और किस्तें—

२३५—(१) प्रान्तीय सरकार ऐसा या ऐसे दिनांक, जिनसे और ऐसी किस्तें, जिनमें धारा २३२ और २३३ में अभिदिष्ट भूमिधरों और सीरदारों द्वारा मालगुजारी देय होगी, नियत कर सकती है।

(२) जो मालगुजारी या उसकी कोई किस्त निश्चित दिनांक पर या उसके पहिले देने से रह जायगी मालगुजारी की बकाया हो जायगी और उसके देनदार व्यक्ति बाकीदार (defaulters) हो जायेंगे।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २३५ की उपधारा (२) की प्रथम पंक्ति के अन्तिम शब्द "कोई" के स्थान पर शब्द "जो" रख दिया जाय।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से शब्दावली ठीक हो जाती है, लिहाजा मैं स्वीकार करता हूं।

अस्थायी सभापति—प्रश्न यह है कि धारा २३५ की उपधारा (२) की प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द "कोई" के स्थान पर शब्द "जो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अस्थायी सभापति—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २३५ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३६

भूमिधर या सीरदार द्वारा देय अबवाब और स्थानीय कर

२३६—(१) यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी क्षेत्र में किसी आस्थान के सम्बन्ध में अबवाब या स्थानिक कर निर्धारित और देय हों, तो स्वत्वाधिकार के दिनांक पर इस विधान के निदेशों के अनुसार भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी के अन्तर्गत उतना ही अबवाब और स्थानीय कर समझा जायगा जितना उसके खाते की भूमि के सम्बन्ध में ३० जून, १९४९ ई० को आदेय हो (levied with respect to the land in his holding on June 30, 1949)।

(२) उपधारा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जा सकेगा कि किसी स्थानिक अधिकारी को मालगुजारी में इस प्रकार अन्तर्गत धनराशि को अबवाब और स्थानिक कर के निमित्त आरोपित (impose) करने का अधिकार है।

श्री ऐजाज रसूल—जनाब चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २३६ की उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

[श्री ऐजाज रसूल]

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक भूमिधर की दशा मे लगान पर ५ पैसा पया और सीरदार की दशा मे लगान पर १ पैसा रुपया के हिसाब से लगाया जायगा।"

इस तरमीम का हुजूरवाला, मतलब यह है कि गवर्नमेंट से मैं इस बात को वाजे कर लेना चाहता हूं कि इस वक्त जमींदारों से मालगुजारी के हिसाब से लोकल रेट ६ पैसे रुपये लिया जाता है और काश्तकारों से एक पैसे के हिसाब से वसूल किया जाता है तो जो सीरदार इस दफा के बमूजिब कायम रहेंगे उनसे एक पैसा रुपया गवर्नमेंट वसूल करेगी या पाच पैसा रुपया वसूल किया जायगा। इस चीज को वाजे करने के लिये मैंने यह तरमीम पेश की है क्योंकि इस दफ़ा मे गवर्नमेंट का मफहूम बहुत साफ और वाजे नही है। इसलिये क्लीयर करने के लिये मैंने यह तरमीम पेश की है और मिनिस्टर साहब को सुनने के बाद अपनी राय इस मामले पर क़ायम करूंगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो संशोधन समझ मे आया, न तकरीर ही समझ मे आई, लेकिन नवाब साहब सरकार से यह चाहते हैं कि मैं मुफस्सिल तौर से जवाब दूं। अगर मैं समझता तो मुफस्सिल जवाब देता। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस धारा की रू से कोई लोकल रेट इम्पोज, एसेस या लेवी करने का कोई तात्पर्य नही है, सिर्फ यह अहतियात किया गया है कि जो मालगुजारी अब तक है जिसमें लोकल रेट्स शामिल हैं दोबारा रिइम्पोज न हो। धारा पढ़ ली जाए। मैं कहूं बिना पढ़े यह संशोधन लाया गया है तब भी नाराजगी का बायस हो सकता है। जमशेद अली साहब खड़े हो कर पचासियों बाते सुना देंगे। ६ पैसे, ५ पैसे या १ पैसे के सिलसिले मे जो यह तरमीम लायी गयी है, क्या मतलब है, क्या मौका है इसका, मैं नहीं समझ सका। बिलकुल बेमहल और बेमौक़ा तरमीम अगर कहूं तो फिर वह अताब नाजिल हो सकता है, ऐसा कह नहीं सकता। यह जमींदारों, भूमिधरों और सीरदारों के इन्ट्रेस्ट मे है। मैं साफ कर दूं अगर इंक्लूड है तो रिइम्पोज नहीं होगा। इसमें ५ पैसे या ४ पैसे का सवाल ही नहीं उठता। यह बिलकुल इंकंसिस्टेंट बात है। इसकी उपधारा २ भी पढ़ लीजिए। जमशेद अली साहब तो इस संबंध मे मुझसे भी बात कर चुके थे और रेवेन्यू सेक्रेटरी से भी गालिबन उन्होंने कुछ बातचीत की। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। पार्टी लीडर होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन अगर मैं लीडर होता तो ऐसी गैर-मुनासिब तरमीम न आने देता। मैं अगर शिकायत करूं कि लीडर होते हुए भी ऐसी नामुनासिब तरमीम को लाने से उन्होंने नहीं रोका तो यह बेजा शिकायत न होगी। मैं आशा करता था कि लीडर अपने अख्तियार बरतेंगे और नामुनासिब तरमीम को लाने से रोकेंगे, मुनासिब तरमीम पेश करायेंगे। यह समझूं कि लीडर होने के नाते सारी अक्ल की मानोपोली उन्हीं के पास है और जो तरमीम वह पेश करें वह सब ठीक ही है, ऐसी मानोपोली मैं नहीं मान सकता। अक्ल में हिस्सा सबका लगता है। मैं यह कहूंगा कि तरमीम मुनासिब नहीं है, इर्रेलेवेंट है। ऐसी सूरत में आप इसे वापस लें। आगे चले ताकि २६२ में आपकी तरमीम आ जाये। ऐसा न हो कि गुलेटिन का वक्त आ जाए और वह तरमीम भी पेश न हो सके।

श्री ऐजाज रसूल——जनाब वाला, मुझे हैरत हुई कि मिनिस्टर साहब ने इतनी लम्बी-चौड़ी तकरीर कर दी।

अस्थायी सभापति——मेरा ख्याल है आप धारा २३६ के साथ अपने संशोधन को फिर एक मर्तबा पढ़ लें और देखें कि चूल से चूल बैठती है या नहीं ?

श्री ऐजाज रसूल——मैंने तो मिनिस्टर साहब से बहैसियत एक मेम्बर के एक चीज दरियाफ्त करनी चाही थी, लेकिन मिनिस्टर साहब इस क़दर नाराज हो गये। अगर वह कुछ वजाहत कर देते तो मैं उस बात को समझ जाता, लेकिन उन्होंने कोई वजाहत ही नहीं की। मैंने तो यह पूछा था कि क्या लोकल रेट वसूल किया जायगा। और अगर वसूल किया जायगा तो असे करने का क्या तरीका होगा। मौजूदा जमींदारों से ६ पैसा रुपया वसूल किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में यह दफा तरमीम की गई है कि जमींदारों से लोकल सेस के बमूजिब ६ पैसा रुपया वसूल किया जायगा। और काश्तकारों से १ पैसा रुपया वसूल किया जायगा।

जब जमींदारी खत्म हो जायेगी तो उसकी क्या पोजीशन होगी तब फिर काश्तकारों से आप १ पैसा रुपया वसूल करेंगे या कि ६ पैसा रुपया। इस चीज की वजाहत करने के लिये मैंने पूछा तो मिनिस्टर साहब गुस्से के मारे जामे से बाहर हो गये। इस बात से मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है। एक मसल मशहूर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको डर है कि अगर उनका राज खुल जायगा तो बहुत बड़ा गजब हो जायेगा। इसलिये उसको छिपाने के लिये उन्होंने यह किया है। इसीलिये यह सब बातें कही गई थीं। अगर बात सच होती तो जैसी कि मिनिस्टर साहब के मिजाज की हालत है वह सब बातों को समझाने के लिये तैयार होते। वे सब बातें भूल गये और कुछ फरमाने के बजाय बंबार्डमेंट करना शुरू कर दिया। लिहाजा मैं समझता हूं कि इसमें जरूर कुछ दाल में काला है। कोई वजह जरूर है शायद गवर्नमेंट खुफिया तरीके से १ पैसा के बजाय ६ पैसा रुपया वसूल करना चाहती है और अगर ऐसी बात न होती तो वह साफ-साफ कह देती। मैंने तो सिर्फ वजाहत चाही थी, एक एक्सप्लेनेशन करना चाहा था, लेकिन वे गुस्से में जामे से बाहर हो गये। और कहा गया कि अपोजीशन तो हर चीज गलत-सलत पेश करता है। हर मेम्बर जो तरमीम पेश करता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसमें जितनी अक्ल होती है वह उससे काम करता है। मिनिस्टर साहब के पास सरकारी मुलाजिम हैं, उनके पास हर बात को समझाने के लिये इतना बड़ा स्टाफ है। उनको काम तो करना पड़ता ही नहीं, उनके महज जबानी कह देने से ही सारी बातें हो जाती हैं। अमेंडमेंट के लिये हम कोशिश कम नहीं करते हैं। उन्हें तो जो बात पूछनी होती है सरकारी मुलाजिमान को बुला कर पूछ लेते हैं और जो उनको समझा दिया जाता है वह उसे कह देते हैं। हर अमेंडमेंट के सिलसिले में कोई न कोई सरकारी अधिकारी जो यहां बैठा होता है, उससे पूछा जाता है और वह जिस रास्ते को बता देता है उसी रास्ते पर चला जाता है, अपने रास्ते पर चलें तो ठीक भी है। मैं देखता हूं कि वे किसी दूसरे की समझ से चल रहे हैं।

अस्थायी सभापति--आप अपने अमेंडमेंट के बारे में कुछ कहिये।

श्री ऐजाज रसूल--हुजूरवाला, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। चूंकि मेरी अक्ल के ऊपर और मेरी पार्टी की अक्ल के ऊपर अटैक (आक्रमण) किया गया है लिहाजा मिनिस्टर साहब की अक्ल पर (आक्रमण) किया जा रहा है।

अस्थायी सभापति--मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि उस धारा के साथ आपके इस संशोधन का मिलान किस तरह होता है मुझे बताने की चेष्टा आप करें। मुझे एक खास खामी उसमें नजर आती है और मुझे वह निष्प्रयोजन मालूम हो रहा है। उसकी उपयोगिता आप मुझे पहले बतलावें नहीं तो आप कहें तो मैं संशोधित रूप में भाषा सामने रख कर पढ़ दूं। यदि आपको स्वीकार हो तो आप उसी रूप में उसको पेश कर दें।

श्री ऐजाज रसूल--हुजूरवाला, मेरा मतलब सर्व हो गया। गवर्नमेंट को जो एक्सप्लेन करने की बात है वह एक्सप्लेन करेगी, लिहाजा मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २३६ की उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "मालगुजारी" और शब्द "इस" के बीच के शब्द "में" के स्थान पर शब्द "के" रखा जाय।

यह तरमीम इसमें सुधार के लिये है। इससे भाषा कुछ सुधर जाती है। मुझे आशा है कि इसे स्वीकार किया जायगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह--मैं इसे स्वीकार करता हूं।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि धारा २३६ की उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "मालगुजारी" और शब्द "इस" के बीच के शब्द "में" के स्थान पर शब्द "के" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २३६ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३७

सरदार द्वारा खाते के किसी भाग के समर्पण के कारण मालगुजारी में कमी

२३७--यदि धारा १८६ के अधीन सरदार अपने खाते का केवल एक ही भाग समर्पित (surrender) करे, तो उसके द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि ऐसे सिद्धान्तों पर, जो नियत किये जायं, घटा दी जायगी।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि धारा २३७ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३८

ऐसे भूमिधर की मालगुजारी में परिवर्तन, जिसकी धारा २३२ लागू होती है।

२३८--इस विधान में किसी बात के रहते हुये भी भूमिधर द्वारा देय मालगुजारी उसके खाते के क्षेत्रफल के घटने या बढ़ने के आधार को छोड़ किसी और आधार पर इस विधान के प्रारम्भ से ठीक बाद के चालीस वर्षों के भीतर परिवर्तित नहीं की जायगी।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि धारा २३८ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २३९

मालगुजारी का आरम्भिक बन्दोबस्त

२३९--इस विधान के प्रारम्भ से चालीस वर्ष के बाद किसी समय प्रान्तीय सरकार किसी जिले या उसके भाग की मालगुजारी का बन्दोबस्त (settlement) करने का निदेश दे सकती है। आगे चलकर इसको आरम्भिक बन्दोबस्त (original settlement) कहा जायगा।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २३९ की चौथी पंक्ति में शब्द "है" के बाद वाले विराम के बाद और शब्द "आगे" के पहले शब्द "इस अधिनियम में" जोड़ दिये जायं और उसी पंक्ति के अन्त में शब्द "इसको" के स्थान पर शब्द "यह" रख दिया जाय।

इस संशोधन से भाषा भी सुधर जाती है इसलिये मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन शाब्दिक है और इससे भाषा ठीक हो जाती है, इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि धारा २३९ की चौथी पंक्ति में शब्द "है" के बाद वाले विराम के बाद और शब्द "आगे" के पहले शब्द "इस अधिनियम में" जोड़ दिये जाय और उसी पंक्ति के अन्त में शब्द "इसको" के स्थान पर "यह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २३९ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २४०

२४०--आरम्भिक बन्दोबस्त से चालीस वर्ष बाद बन्दोबस्त मालगुजारी का पुनरीक्षण।

किसी समय प्रान्तीय सरकार किसी जिले या उसके भाग को मालगुजारी का नया बन्दोबस्त करने का निर्देश दे सकती है। इसको आगे चलकर पुनरीक्षित बन्दोबस्त (revision settlement) कहा जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समय विशेष पर प्रचलित बन्दोबस्त की समाप्ति से पहिले माल गुजारी में कोई वृद्धि कार्यान्वित नहीं होगी।

श्री ऐजाज रसूल--मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारायें २४० से २४८ तक के स्थान पर निम्नलिखित धारा २४० रख दी जाय।

"२४०--मालगुजारी यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के निदेशों के अनुसार निर्धारित (assess) की जायगी"

हुजूरवाला, इस अमेंडमेंट से मेरा मतलब साफ है। आइन्दा चलकर किस तरह से मालगुजारी गवर्नमेंट वसूल करेगी और किस सूरत से असेस किया जायगा यह मालूम नहीं है। २४० से लेकर २४८ तक की धारायें इसमें लिखी हैं। मेरा मतलब यह है कि जब आप लैंड रेवेन्यू कहते हैं तो लैंड रेवेन्यू की हैसियत से ही लगान लिया जाय। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। सैटिलमेंट के बाद इस वक्त सीरदार से मौजूदा लगान ही ले रहे हैं। भूमिधर ने अगर उसने १० गुना लगान दे दिया है तो उसका लगान आधा हो गया है। आइन्दा के लिये मैं कहता हूं कि कहीं सर्किल रेट बना दिये गये तो सीरदार का जो लगान कम है और भूमिधर का आधा हो गया है वह आगे चलकर पूरा-पूरा रख दिया जायगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट से लैंड रेवेन्यू असेस किया जाता है। मालगुजारी लगान से ४० परसेंट से ज्यादा नहीं है। अगर आप काश्तकार का फायदा चाहते हैं तो आइन्दा ४० साल बाद जो लगान होगा अगर उसमें कोई असेसमेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा मालगुजारी के जो तरीके हैं इजाफे करने के वह न रखे जायं बल्कि यह होना चाहिये कि जैसा २४० में लिखा हुआ है कि यू० पी० गवर्नमेंट असेम्बली के अन्दर एक रेजोल्युशन लायेगी और उस रेजोल्युशन के पास होने पर उसके मुताबिक क़ायदे बनायेगी और उन कायदों के मुताबिक ही इजाफा किया जायगा और वह कायदे यह होंगे कि जिनका लगान १० गुना जमा करने से आधा हो गया है, उनका फिर से पूरा कर दिया जायगा क्योंकि माली हालत सरकार की खराब है, गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं है, उसका दिवाला निकल रहा है। तो उस माली हालत की दुश्वारी से बचने के लिये पूरा पूरा लगान १७ करोड़ के बजाय २० करोड़ लगा दिया जाय। मेरे ख्याल में भूमिधर की हैसियत से जो लगान है वह बहुत ही कम रहेगा, लेकिन ४० साल के बाद जब सेटिलमेंट होगा गवर्नमेंट का रेजोल्युशन (संकल्प) पास जायगा तो जो भी कम्पेनसेशन उसको मिलेगा वह सब चला जायगा।

लिहाजा मैं गवर्नमेंट को इस मसले पर पिन डाउन करना चाहता हूं और उसकी सिनसियेरिटी को टेस्ट करना चाहता हूं कि वह भूमिधरों के साथ सिनसियर है या नहीं? वह लैंड रेवेन्यू की तरह असेसमेंट करना चाहती है या गवर्नमेंट अपने लगान में इजाफ़ा करना चाहती है कि हर दस-बीस साल बाद अपनी आमदनी बढ़ा ले। इस वक्त उसको मालगुजारी कहते हैं और बाद में जब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का माली इजाफ़ा हो रहा है और कहेंगे कि हम इसी लिए ऐसा कर रहे हैं, लिहाजा मैंने इसमें बहुत ही क्लियर कट (स्पष्ट) बात रख दी है और इस वक्त जो लैंड रेवेन्यू ऐक्ट का असेसमेंट का तरीक़ा रायज है वही क़ायम रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ईमानदार है और काश्तकारों और जनता के साथ कुछ करना चाहती है, हम लोग तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आपके १ करोड़ ३० लाख काश्तकार हैं और हम लोग २० लाख हैं।

[श्री ऐजाज रसूल]

गवर्नमेंट बाद में वही लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के तरीक़े को मानेगी और तरह-तरह से लगान को बढ़ावेगी और रुपया वसूल करेगी। अगर सीरदार रुपया अदा न करेंगे तो दूसरी बात है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उन पर भी इजाफा लगान कर सकते हैं। इसी डर से यह अमेंडमेंट मूव किया है और यह सब काश्तकारों के फायदे के लिए है और अगर गवर्नमेंट काश्तकारों का फायदा चाहती है और सिनसियर है तो वह इसको जरूर मंजूर करेगी।

माननीय श्री हुक्म सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीम आई है उसका तात्पर्य यह कहा गया कि सरकार की सिनसीयेरिटी जब की जाय और कोई तात्पर्य इसका मैं नहीं देखता। अगर इस बात पर भी गौर किया जाता कि इस के असरात क्या होंगे तो शायद नवाब साहब इसको पेश ही न करते और उनके सलाह करने वाले, जिनकी अक्ल से यह सब ड्रैफ्टिंग होता है, वह भी गालिबन इस शक्ल में न रखते। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त यह तरमीम कनसीव की गई, सोची गई तो इस बात पर ध्यान दिया गया या नहीं कि मालगुजारी तशख़ीस किस बात पर की जाय। मालगुजारी तो जमींदारों की नेट आमदनी पर तशख़ीस होती है और हर मुहाल पर तशख़ीस होती है। उसका यूनिट मुहाल होता है। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में और उसमें भी हिस्सेदार होते हैं और अक्सर एक से ज्यादा भी हिस्सेदार होते हैं। मैं चाहता हूं कि लीडर आफ दि डैमोक्रेटिक पार्टी अगर गौर से सुने तो मुमकिन है कि कुछ समझने के बाद वह पहले अमेंडमेंट की तरह यह भी वापिस हो जाय। मालगुजारी मुहालवाइज तशख़ीस होती है और लैंड रेवेन्यू मे यूनिट मुहाल होता है। इसलिए अगर यूनिट मुहाल माना जाय तो चीफ रिसपांसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) किसकी होगी? यह जो परिभाषा की जाती है कि हर भूमिधर, जिससे वसूल किया जाय उसको भी हक़ होना चाहिए यह सब ग़लत हो जाता है। इसमें रखा गया है कि अगर कोई नम्बरदार दूसरे की मालगुजारी देता है तो भी दफ़ा १८४ के मातहत मालगुजारी कलेक्टर वसूल करता है।

एक कोशेयरर को दूसरे को शेयरर के मुक़ाबिले में १८४ का हक़ नहीं होता और अगर वही उसूल आप मानते हैं कि यूनिट गांव माना जाय, हर एक खाता यूनिट न माना जाय तब तो अगर यूनिट गांव माना गया तो गांव के सारे रहने वालों पर ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) होगी और जब ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) होगी तो अगर नम्बरदार मुक़र्रर हो या कोई एजेंसी मालगुजारी वसूल करने के लिये मुक़र्रर हो और उसको किसी भूमिधर के एवज में मालगुजारी देनी पड़े तो उसको हक़ होगा कि वह कलेक्टर को दरख्वास्त दे कि उससे मालगुजारी वसूल करे। फिर यह नहीं हो सकता कि हर भूमिधर को ऐसा अख्तियार दिया जाय, जैसा कि इस तरमीम में बताया गया है और जिस उसूल को मैंने माना है। लिहाजा यह नहीं हो सकता कि आप और सब बातें मान लें, गांव को यूनिट मानिये मगर मुश्तर्का रेस्पांसिबिलिटी से गुरेज करें, भागने की कोशिश करें। यह ग़लत है। यहां पर तो इंडिविजुअल खाते पर आप मालगुजारी असेस करेंगे और जब ऐसा करेंगे तो उस बेचारे की सालाना पैदावार पर और मौजूदा ऐनुअल प्रोड्यूस को मद्देनजर रख कर आप लैंड रेवेन्यू का ताअयुन करेंगे और अगर मालगुजारी के उसूल को आप लगाना चाहते हैं, जैसा कि मेरे दोस्त लगाना चाहते हैं, तो उसमें प्रोडयूस का कहीं जिक्र नहीं, वह तो नेट इनकम पर लगाई जाती है। प्रांत भर की सारी मशीनरी इसमें लग जायगी। तो ऐसी सूरत में अगर फिर मैं कहूं कि बिला सोचे-समझे बात कही जाती है तो नाराजगी होती है। लेकिन मैं सही बात कहता जाऊंगा और अगर नाराजगी होती रहेगी तो दिल मसोस कर उसे बर्दाश्त करता रहूंगा, लेकिन बिला सोचे-समझे कोई बात कह देना कहां तक ठीक है? कहा गया कि मैं अपनी अक्ल से काम नहीं करता। लेकिन अगर किसी दूसरे की अक्ल से काम करता हूं तो ठीक तो करता हूं। आप न तो अपनी अक्ल से ठीक काम करते हैं और न दूसरों की अक्ल से ही ठीक काम करते हैं। मुश्किल तो यह है। बड़ी दिक्कत का सामना है।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैथम—गवर्नमेंट की अक्ल में और इनकी अक्ल में बहुत फ़र्क़ है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--आपकी भी अक्ल में फ़र्क़ है। इन्सान की अक्ल बराबर नहीं होती।

मैं यह कहना चाहताहूं कि खातेवाइज़ ही असेस करना चाहिये मोहालवाइज़ असेस करने में भूमिधरों को बड़ी दिक्क़त होगी। आपके पास बाग़ है, बड़ी लम्बी लम्बी सीरें हैं, हमारे छोटे-छोटे काश्तकारों के पास तो स्माल होल्डिंग्ज़ हैं। लिहाज़ा सारे मोहाल पर असेस करके गेहूं के साथ घुन भी पिस जाय, ऐसा न कीजिये। ज़मींदारी ख़त्म हो रही है। अब तो उनको जान छोड़िये। इधर-उधर की बात कह कर फिर उनको आप पीसना चाहते हैं। जब तक मैं न समझ लूंगा कि छोटे भूमिधरों के हक़ में कोई तरमीम है मैं मजबूर हूं कि आप से दरख्वास्त करूं कि इसे वापस लें।

पहले तो यह शिकायत थी कि यह बिल पचासों क़ायदों का हवाला देता है, चूं चूं का मुरब्बा है। इसमें आगे चल कर सब धारायें दी हुई हैं, जिससे लैंड रेवेन्यू ऐक्ट रिपील होता है। हम यह चाहते हैं कि वह रिपील हो और यह एक सेल्फसफिशियेंट ऐक्ट बने। यह इसलिये किया गया कि ऐसा न हो कि इस ऐक्ट की पोथी तो आप के पास हो फिर भी आप लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मोहताज रहें। फिर वह तो अंग्रेज़ी हुकूमत का एक ज़ालिमाना क़ानून है। क्या आप फिर उसी पर अमल करना चाहते हैं? सलाह लीजिये अपने लीडर साहब से। उन्होंने कल सलाह दी थी और मैंने बहुत ज़ोर के साथ उसको समझने की कोशिश की। लिहाज़ा इन बातों को छोड़िये। मौजूदा धारा में छोटे और बड़े सभी भूमिधरों को फायदा है और किसी को धक्का पहुंचने का अन्देशा नहीं है।

यहां एक-एक खाते का अलग-अलग असेसमेंट होगा। गांव-गांव की यूनिट या मुहाल की यूनिट नहीं मानी जायगी। जिनका ज़रा भी लैंड रैवेन्यू ऐक्ट से ताल्लुक़ रहा है वे इन दिक्क़तों को देख सकते हैं। मैं किसी और नियत से यह बात नहीं कहना चाहता। मैं लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के सारे उसूल मान लेता मगर परेशानियां हमारे और आपके सामने आ जावेंगी। मालगुज़ारी जैसे तशख़ीस होती आई है वैसे ही तशख़ीस होती। मगर क्या उसमें हमारे ज़मींदार साहेबान को कोई विशेष फ़ायदा हुआ है? उसमें उनको परेशानी है। इसलिये वे उस पुराने तरीक़े को छोड़कर इस नये तरीक़े को आज़मावें, शायद इसमें परेशानी कम हो।

इन अल्फाज़ के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे लायक़ दोस्त ज़रूर मेरी दरख्वास्त को मंज़ूर करेंगे।

श्री ऐजाज़ रसूल--जनाब वाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तक़रीर बड़े गौर से सुनी। उन्होंने कहा कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में ज्वाइंट रेसपांसीबिलटी (संयुक्त उत्तरदायित्व) है। क्या आपने इस दफ़ा २३० में तमाम भूमिधरों और सीरदारों के ऊपर ज्वाइंट रेसपांसी-बिलिटी ((संयुक्त उत्तरदायित्व) आयद नहीं की? मैंने माना कि आपने इसमें कुछ थोड़ी-सी तरमीम कर दी और वह भी एलेक्शन की वजह से। एलेक्शन अनकरीब आने वाला है और उसके बारे में सोचते हुये कि कहीं कलेक्टर भूमिधरों के ऊपर अपने अख़्तयार से गांव में वह सेक्शन लागू न कर दे। इस वजह से आपने कहा कि प्राविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त ली जाय। वरना इसमें और ज्वाइंट रेसपांसीबिलीटी (उत्तर संयुक्त उत्तरदायित्व) में कोई फ़र्क़ नहीं है।

मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि लैंड रैवेन्यू ऐक्ट में बड़ी दिक्क़तें हैं। मैं दफ़ा २४४ पढ़ देना चाहता हूं।

"The percentage of revenue to the surplus produce shall vary according to a graduated scale prescribed by the Provincial Government being largest on holdings with the highest surplus produce and smallest on holdings with the lowest surplus produce."

(उपज की बचत जितने प्रतिशत से मालगुज़ारी निर्धारित होगी वह प्रान्तीय सरकार द्वारा नियत किये हुये क्रमिक मान के अनुसार बदलता रहेगा, वह उपज की सबसे अधिक बचत वाले खातों पर सबसे अधिक होगा और उपज की सबसे कम बचत वाले खातों पर सब से कम।)

[श्री ऐजाज रसूल]

हो सकता है कि एक काश्तकार जो बहुत मेहनती हो और अच्छी फसल पैदा करता हो अगर उसका खाता कम है और उसके पास जमीन कम हो तो उसके ऊपर आपकी और इस ऐवान की मेहरबानी से यह होगा कि लैंड रेवेन्यू ज्यादा असेस हो जावेगी और एक काश्तकार, जिसके पास जमीन जायद है और जो काहिल होने की वजह से मेहनत नहीं करता है उसके ऊपर, उसकी औसत पैदावार कम होने की वजह से, लैंड रेवेन्यू कम लगेगी। आपकी २४४ का मतलब यह है, जिसको आप बहुत जोरों से सपोर्ट (समर्थन) कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि यह दफ़ा पास हो जाय और बाद में लोगों से कह दें कि भाई, हम क़ानून से मजबूर हैं कि पटवारी के यहां तुम्हारी पैदावार बहुत ज्यादा लिखी हुई है, इसलिये तुम्हारे ऊपर मालगुजारी ज्यादा होगी।

आज कल भी यही हो रहा है कि इस वक्त की जो पैदावार है वह कम है। बारिश की वजह से पैदावार कम हुई, लेकिन पटवारियों ने यह सब चीजें लिखी नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि लगान पूरे का पूरा वसूल हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि जेड० ए० एफ० (जमींदारी विनाश फण्ड) में रुपया वसूल करना है। गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक हफ्ते के अन्दर उसने किसी न किसी तरीक़े से ४ करोड़ रुपया वसूल कर लिया।

माननीय श्री हुकुम सिंह—वाजिब तरीक़े से।

श्री ऐजाज रसूल—अखबार में आपने देखा होगा कि सुलतानपुर में, गोरखपुर में और और मुख्तलिफ मुक़ामात पर आपके अधिकारियों ने जेड० ए० एफ० किस ज्यादती से वसूल किया है। मेरा मतलब यह था कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में एक उसूल लिखा हुआ है और उसी उसूल के बमूजिब आप मालगुजारी असेस करेंगे। मैं यह आप से जानना चाहूंगा कि क्या आप असामीवार लैंड रेवेन्यू असेस करेंगे?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जी।

श्री ऐजाज रसूल—इससे असामी बेचारे बहुत मुशकिल में फंस जायेंगे। आप यह करेंगे कि 'दि ग्रेटेस्ट दी प्रोडक्शन दी हाईयेस्ट दी लैंड रेवेन्यू' (जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही अधिक मालगुजारी होगी) चाहे किसी की जमीन कितनी ही कम क्यों न हो। इस तरह आप उसकी लेबर को खत्म करना चाहते हैं। जो मेहनत करने वाले लोग होंगे उनकी मालगुजारी ज्यादा होगी और जो काहिल होंगे उनकी मालगुजारी कम होगी। इस तरह होगा यह कि हमारे गवर्नमेंट की ग्रो मोर फूड स्कीम (अधिक अन्न उत्पादन योजना) को बहुत नुक्सान पहुंचेगा। मैं यह चाहता हूं कि यह दफ़ात हटा दी जायं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करें, खुद खायं, दूसरों को खिलायें और सूबे और मुल्क को फायदा पहुंचायें। लेकिन आप यह चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट को फायदा पहुंचायें, चाहे दूसरे लोग फाक़ा करें। मेरे और आप के नुक्ते नजर में यह फ़र्क़ है। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की दफ़ा में यह दिया हुआ है कि किसी इंडिविजुअल (व्यक्ति) पर असेसमेंट नहीं होता है बल्कि यह देखा जाता है कि किस क़िस्म की जमीन है, फिर उसका सर्किल रेट मुक़र्रर किया जाता है और फिर उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगाया जाता है। इसमें यह होगा कि हर काश्तकार का लगान मुक़र्रर किया जायगा। इस वक्त मौजूदा काश्तकार १ करोड़ ३० लाख हैं और २३ लाख ऐसे और लोग हैं, इस तरह १ करोड़ ५० लाख लोगों की मालगुजारी असेस करने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी की आप को जरूरत पड़ेगी। आपकी नियत साफ नहीं है। गवर्नमेंट की नियत यह है कि जो लगान कम हो गया है उसको बढ़ाया जाय। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा अमेंडमेंट बहुत दुरुस्त है और बहुत जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसे मंजूर करेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुहाल के असेस करने में बड़े बड़े ताल्लुक़ेदारों को फायदा है और गरीब भूमिधर परेशान होंगे, इसको मैं मान नहीं सकता। अलावा इसके मालगुजारी का उसूल बतलाया कि किन उसूलों पर मालगुजारी असेस होती है। ग़ालिबन लैंड रेवेन्यू ऐक्ट को आपने पढ़ा नहीं बल्कि वैसे ही कह दिया। उसमें भी आपकी नेट इनकम देखी जाती है। बिला नेट इनकम देखे हुये अगर मालगुजारी मुक़र्रर कर दी जाय तो एक हब्बा भी बाकी नहीं रहता, आमदनी का।

लिहाजा आमदनी तो देखी जाती है। हर काश्तकार की पैदावार देखी जायगी और पैदावार पर हमेशा मालगुजारी तशखीस होती है। अगर संडीले के इलाके की इनकम ज्यादा हुई तो वह ज्यादा हो जाती है और बागपत के इलाके की कम हुई तो वहां कम हो जाती है। यह तो मालगुजारी पर लगेगी ही। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखकर यह उसूल रखा गया है, वह ठीक है और जो कुछ आपने बताया है उससे भूमिधरों को और सीरदारों को नुक़सान होगा। लिहाजा मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

अस्थायी सभापति—प्रश्न यह है कि धाराएं २४० से २४८ तक के स्थान पर निम्न-लिखित धारा २४० रख दी जाय—

"२४०—मालगुजारी यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के निदेशों के अनुसार निर्धारित (assess) की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६

विपक्ष में—६०।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,
६ जुलाई, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर)

जिला	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक		यूनानी	
	सरकारी	सरकारी सहायता प्राप्त	सरकारी	सरकारी सहायता प्राप्त	सरकारी	सरकारी सहायता प्राप्त
गोंडा	ग्रस-किनवा	खरगपुर	बनगाई	मकसेरिया	कटरा बाजार	..
		धानीपुर	श्रीनगर	वंसीब्रास		
		सादुल्लानगर	रामपुर			
		मनकापुर				
		कर्नलगंज				
तरबगंज	बरगादी	धनावा	मंझगवां	अगवही	..	वजीरगंज
	परसपुर	खरबांज	मसका	घाटापर		
		नवाबगंज		खपुर		
				छीतापनी		
उतरौला	शिवपुर	उतरौला	रेहरा	मसकिनवा	महदेइया	इटईरामपुर
			गंखंडी	इटई		पुराना-कानूनगो
			मछली-गांव	मुबारकपुर		
				महराजगंज		
				निवाजपुर		
				बादरग्रान्ट		

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

क्रम-संख्या	कर्मचारी	संख्या	मासिक वेतन प्रति कर्मचारी
			रुपये
१	जिला विकास अफसर	१	७६०
२	सहायक इन्जीनियर	२	३५०
३	डि० डेवलपमेंट अफसर ..	२	२७५
४	डि० डेवलपमेंट अफसर	१	२५०
५	मेकैनिकल सुपरवाइजर	१	२१०
६	सीनियर इकनोमिक इन्सपेक्टर ..	१	१६०
७	ओवरसियर	१	१२०
८	सहायक मेकैनिक	१	९०
९	सहायक मेकैनिक	१	७५
१०	डेवलपमेंट आर्गेनाइजर	३	८०
११	डेवलपमेंट आर्गेनाइजर	२०	७५
१२	क्लर्क	१	८०
१३	क्लर्क	१	६३
१४	स्टोर कीपर	१	७२
१५	ड्राइवर व मिस्त्री	४	५१
१६	ड्राइवर	२	४५
१७	मोटर क्लीनर	१	२५
१८	हैमर मैन	१	१५
१९	कामदार	५	२०

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२५ पर)

इस योजना में चार बड़ी मशीनें थीं, जिनसे खास तौर से सड़क व बन्ध बनाने का काम लिया गया। डी ७ और डी ८ ने कुल ९ बन्ध बनाये, जो ५ लाख घनफुट मिट्टी की लागत से बने। सारी बरसात इसकी मरम्मत की गई।

फोर्डसन ट्रैक्टर से मशीनों के लिए सामान वगैरह ढोने तथा जुताई का प्रचार करने का काम लिया गया।

रोड ग्रेडर से ८ मील लम्बी सड़क बनाई गई तथा उसकी मरम्मत जारी रखी गई।

इस योजना की कोई भी मशीन बेकार नहीं पड़ी है। यह मशीनें अब फूड प्रोडक्शन विभाग में काम कर रही हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मशीने जैसे, रीपर २, सीड ड्रिल १, पानी उठाने के पम्प ५, बोरिंग सेट २, जेनरेटर १, प्रोजेक्टर १ भी हैं। यह औजार काम में लाये जा रहे हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४८, ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर)

१--जिन हेड कान्सटेबुल और कान्सटेबुलों का सीधा सम्बन्ध इस घटना से था और बरखास्त किये गये, उनके नाम यह हैं। बरखास्तगी के पहले इन्हें २८ दिन की रोल भी दी गयी :--

(क) हेड कान्सटेबुल राजाराम सिंह।

(ख) कान्सटेबुल विश्वनाथ प्रसाद।

(ग) कान्सटेबुल केदार नाथ।

(घ) कान्सटेबुल रेवाड़ी सिंह।

(ङ.) कान्सटेबुल हरद्वारी सिंह।

२--निम्नलिखित लोगों को उनके काम की ठीक देख-रेख न रखने के लिये, जो सजायें दीं गयीं, वे यह हैं :--

(क) प्लैटून कमांडर भदर सिंह--बरखास्त कर दिये गये।

(ख) हेड कान्सटेबुल राम नाथ सिंह--बरखास्त कर दिये गये।

(ग) सर्किल इंस्पेक्टर जियाउल हसन को सदा के लिये सब-इंसपेक्टर के पद पर वापस कर दिया गया।

(घ) सब-इंसपेक्टर मुहम्मद अख्तर को हेड कान्सटेबुल के पद पर वापस कर दिया गया।

(ङ.) सब-इंसपेक्टर श्री तुलसीराम शर्मा के कैरेक्टर रोल में इन्दराज किया गया

(च) डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस श्री असगर अब्बास जैदी की एक साल की वेतन-वृद्धि रोक दी गई तथा जितने समय में वह मुअत्तिल रहे उस समय के लिए उनको निर्वाह पुरस्कार (Subsistence Allowance) दिया गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ २३२ पर)

कृषि फार्म का लेखा —

वर्ष		बचत			घाटा		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१९३६–३७	..	३१६	९	३		..	
१९३७–३८	..	४९४	७	६		..	
१९३८–३९	..		..		१८८	५	३
१९३९–४०	..	२४५	३	६		..	
१९४०–४१	..	७५३	८	३		..	
१९४१–४२	..	१,४४७	१५	६		..	
१९४२–४३	..	१,९०४	८	६		..	
१९४३–४४	..	४,११७	११	०		..	
१९४४–४५	..		..		५८	८	९
१९४५–४६	..	१,०४५	११	६		..	
१९४६–४७	..	१,४६४	७	६		..	
१९४७–४८	..	१,८१०	३	३		..	
१९४८–४९	..	७६९	१५	३		..	
योग	..	१४,३७०	५	०	२४६	१४	०

पी० एस० यू० पी०—८९ एल० ए०—१९५०—५,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

शुक्रवार, ७ जुलाई, सन् १९५० ई०

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

—:o:—

अध्यक्ष—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५६)

अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद ख़ां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिज़ा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रज़ा ख़ां, श्री
कुशला नन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशवक्तराय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री

चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जहूरअहमद, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नीफसल हसन, श्री
नवाबसिंह, चौहान श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
पूर्णमासी , श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फखरुल इस्लाम, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिर्जाजी लाल, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
मुहम्मद याकूब, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फारूकी, श्री
यज्ञ नारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री

राघवदास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम शंकर लाल, श्री
राम शरण, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रोशनजमां खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल विहारी टण्डन, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयकुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
बीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रसन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुमसिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

—:o:—

शुक्रवार, ७ जुलाई, सन् १९५० ई०

— o:—

तारांकित प्रश्न

—:o:—

*१-२ श्री शिवकुमार मिश्र-[स्थगित किये गए।]

रामपुर में हुसेनी सराय तथा धर्मशाला बनवाने के लिए एकत्रित निधि

*३—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में विलीन होने से कई वर्ष पूर्व रामपुर की रियासती सरकार द्वारा हुसेनी सराय तथा धर्मशाला बनवाने के लिये वहां की जनता से कुछ धन एकत्रित किया गया था तथा पिछले वर्ष रियासती सरकार द्वारा नीलाम किये गये भूमि के एक प्लाट का धन भी इसी फंड में जमा किया गया था ?

*४—वह सब धन रियासत के उत्तर प्रदेश में विलीन होने पर सरकार को प्राप्त हुआ अथवा नहीं ? यदि हां, तो वह कितना है और सरकार उसका किस प्रकार उपयोग करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विषय में कुछ जांच कराने का विचार रखती है कि वह धन अब किसके अधिकार में है और कहां जमा है ?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव)—माननीय सदस्य के प्रश्नों में मांगी गई सूचना इस प्रकार है—

बहुत साल पहले भारत के शिया सम्प्रदाय ने हजरत इमाम हुसेन की यादगार में हुसेनी दिवस मनाया था जिसमें सब सम्प्रदायों के लोगों ने भाग लिया था। रामपुर में इस दिवस के मनाये जाने की योजना हिज हाईनेस नवाब साहब ने की थी। नवाब साहब रामपुर ने और रामपुर रियासत के कर्मचारियों तथा आम जनता ने ६,९२६ रु० इस सम्बन्ध में चन्दे के रूप में दिया था। रुपया पहले रामपुर रियासत के खजाने में जमा था किन्तु बाद में औकाफ कमेटी बनने पर यह धन ३० जून, १९४९ ई० को उस कमेटी को दे दिया गया था

और वह कमेटी के हिसाब में रामपुर इम्पीरियल बैंक में जमा हुआ। इस धन से हुसेनी सराय नाम से एक सराय बनाई जाने का इरादा था जिसमें सब सम्प्रदायों और धर्मों के लोग रामपुर जाने पर टिक सकें। इस सराय के लिये रामपुर सरकार ने २४८ वर्ग गज़ ज़मीन रेलवे स्टेशन के समीप दी थी। बाद में यह ज़मीन सराय के लिये उपयुक्त न समझी जाने के कारण रामपुर पी० डबल्यू० डी० द्वारा १०,६५० रुपये में बेच दी गई। इसमें से ३,६५० रु० औकाफ कमेटी के हिसाब में इम्पीरियल बैंक रामपुर में जमा कर दिया गया है और शेष ७,३०० रु० रामपुर पी० डबल्यू० डी० के ससपेन्स एकाउंट (Suspense Account) में है। बाद को सन् १९४८ में रामपुर सरकार ने ३ एकड़ की एक दूसरी ज़मीन बनारसी बाग़ में सराय बनाने के लिये दी। इस सराय को दो भागों में बनाने की योजना थी, एक भाग हिन्दुओं के लिये और दूसरा मुसलमानों के लिये। यह मालूम हुआ है कि जैसेही जनता से कुछ और धन एकत्रित हो जाय और इमारती सामान के मिलने की रुकावटें कुछ कम हो जाय वैसेही उक्त कमेटी द्वारा इस सराय के बनाने का योजना प्रारम्भ की जायगी। पी० डबल्यू० डी० के ससपेन्स एकाउण्ट (Suspense Account) में जो ७,३०० रु० की रकम पड़ी है उसके विषय में सरकार विचार कर रही है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह औकाफ कमेटी सरकारी है या ग़ैरसरकारी या अर्द्धसरकारी ?

श्री चरण सिंह—इस औकाफ कमेटी का कांस्टीट्यूशन तो मुझको मालूम नहीं है लेकिन यह कमेटी जिस वक्त इसका विलयन इस यूनियन के अन्दर हुआ उसके पहले की बनी हुई है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हुसेनी सराय के लिये १० हज़ार के अतिरिक्त कुछ अन्य सम्पत्ति भी इस औकाफ कमेटी के अधिकार में है ?

श्री चरण सिंह—यह भी मुझे मालूम नहीं। इसके लिये नोटिस की ज़रूरत है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार को पता है कि रामपुर की औकाफ कमेटी में एक ही सम्प्रदाय के लोग हैं ?

श्री चरण सिंह—सवाल तो आपका फंड की बाबत था और आपके सारे उपप्रश्न औकाफ कमेटी के बारे में हो रहे हैं। उसके सम्बन्ध में हमारे पास कोई मेटीरियल नहीं है और इसके लिये नोटिस की जरुरत है।

*५—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—[स्थगित किया गया।]

रामपुर सरकारी काटेज इण्डस्ट्रीज इन्स्टीट्यूट के कपड़े की बिक्री का प्रबन्ध

*६—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—क्या यह सच है कि रामपुर सरकारी काटेज इंडस्ट्रीज इन्स्टीट्यूट के गोदाम में ऐसा कपड़ा पड़ा है जिसकी बिक्री बाजार में नहीं है ? यदि हां, तो वह कितने मूल्य का है और सरकार उसे बेचने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय श्री केशव देव मालवीय (उद्योग मंत्री)—रामपुर सरकारी काटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट के गोदामों में काफी कपड़ा है। इसमें ऐसा भी कपड़ा हो सकता है जिसकी बिक्री बाजार में नहीं है। ऐसे माल का मूल्य तथा दूसरी जांचों का काम सरकार ने आरम्भ कर दिया है। इस लिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसका मूल्य क्या है। इस माल के बेचने का प्रबन्ध यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट की सरकारी दुकानों द्वारा किया जायगा।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर काटेज इन्डस्ट्रीज को पूर्व की भांति आगे भी एक शिल्प शिक्षा केन्द्र और व्यापारिक केन्द्र के नाते चलाने का विचार रखती है ?

माननीय श्री केशव देव मालवीय—अभी मैं इस प्रश्न के उत्तर में कुछ कहने को तैयार नहीं हूँ।

रामपुर में सरकारी इमारतों का प्रयोग

*७—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर में कितनी और कौन कौन सी सरकारी इमारतें हैं और वे इस समय किस किस प्रयोग में आ रही हैं ?

(ख) क्या कुछ अन्य इमारतें सरकारी कार्य के निमित्त वहां किराये पर भी ली गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी, किस किस कार्य के निमित्त, किन-किन से तथा किस किस किराये पर ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—(क) रामपुर में सरकारी इमारतों की एक फिहरिस्त† जिसमें यह बताया गया है कि वह किस-किस प्रयोग में आ रही है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

---

† फेहरिस्त छापी नहीं गयी

(ख) जी हां, सरकारी काम के लिए किराए पर ली हुई इमारतों की फिहरिस्त भी जिसमें मालिक मकान का नाम, किराया और उनको किराए पर लेने की गरज दिखाई गई है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब सरकारी इमारतें रामपुर में खाली हैं तो दूसरी इमारतें किराये पर किन कारणों से ली गई हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इसकी वजह वहां से दरियाफ्त करनी होगी, इसलिये नोटिस की जरूरत है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछली भवन को किस प्रयोग में लाने का विचार कर रही है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

रामपुर बिजली घर से बिजली की सप्लाई

*८—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के बिजली घर से जनता को बिजली तथा पावर के नये कनेक्शन देना क्यों बन्द कर दिया गया है ?

(ख) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के बिजली घर से १९४६, १९४७, १९४८ तथा १९४९ ई० में वहां के कारखानों, सरकारी इमारतों तथा जनता को पृथक-पृथक कितने किलोवाट बिजली तथा कितने हार्स पावर करेण्ट दिया जाता था और इस समय कितना दिया जा रहा है ? कृपया प्रत्येक कारखाने तथा सरकारी इमारत के विषय में उपरोक्त वर्षों का तथा वर्तमान का पृथक-पृथक ब्योरा दिया जाय ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—(क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है। प्राप्त होने पर जवाब दिया जायगा।

*९—१०—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—[स्थगित किये गए।]

रामपुर के कसबे केमरी के सरकारी अस्पताल का सुधार

*११—**श्री कृष्णशरण आर्य**—क्या सरकार को ज्ञात है कि रामपुर के कसबे केमरी के सरकारी अस्पताल में अस्पताल तथा मरीजों के प्रयोग के लिये पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है, अस्पताल की चार दिवारी नहीं है तथा कम्पाउंडर और डाक्टर के रहने के लिये छप्पर के ऐसे मकान हैं जो बरसात में पानी से भर जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके सुधार के लिये क्या उपाय सोच रही है ?

माननीय श्री लाल बहादुर (पुलिस मंत्री)—यह असत्य है कि रामपुर के कस्बे केमरी के सरकारी अस्पताल में अस्पताल तथा मरीज़ों के प्रयोग के लिये पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। वहां पर एक पक्का कुंवा है जिससे कि अस्पताल तथा मरीज़ों के लिये उपयुक्त मात्रा में जल प्राप्त होता है। यहां पर एक हाथ से चलाने वाला नल भी लगाया जा रहा है जिससे कि वर्षा ऋतु में स्वच्छ जल प्राप्त हो सकेगा।

(ख) यह सत्य है कि वहां पर चाहार दिवारी नहीं है।

(ग) डाक्टर और कम्पाउण्डर के रहने के लिये खपरेल के कच्चे मकान हैं। ज़मीन नीची होने के कारण बरसात में आसपास का पानी भरजाता है। सुधार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

डाकख़ाने की मुहरों पर रामपुर स्टेट का नाम

*१२—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—क्या सरकार को ज्ञान है कि डाकखाने की मुहरों पर अभी तक भी रामपुर स्टेट अंकित है ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सरकार ने भारतीय सरकार के डाक तार विभाग का ध्यान इस आवश्यक परिवर्तन की ओर दिलाया है ?

श्री चरण सिंह—इस सरकार ने डाक विभाग को अपनी राय लिख भेजी है कि नाम बदल देना चाहिये परन्तु डाकखानों और तार घरों के नाम और उनके हिज्जे बदलने का सारा प्रश्न गवर्नमेंट आफ इंडिया के विचाराधीन है इसलिये अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

विश्वकर्मा इञ्जीनियरिंग कम्पनी मऊनाथ भंजन, जिला आज़मगढ़ को सहायता की आवश्यकता

*१३—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार को मालूम है कि मऊनाथ भंजन, जिला आज़मगढ़ में सिलाई की मशीन की सुई बनाने का एक कारख़ाना है जो विश्वकर्मा इञ्जीनियरिङ्ग कम्पनी के नाम से विख्यात है ?

माननीय श्री केशव देव मालवीय—जी हां।

*१४—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—(क) क्या इस कम्पनी ने सरकार से इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये बतौर कर्ज़ के कोई सहायता मांगी थी ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सहायता देना क्यों नहीं स्वीकार किया ?

माननीय श्री केशव देव मालवीय—(क) हां, ५०,००० रूपया ऋण मांगा था

(ख) इतनी बड़ी रक़म कर्ज में देने के लिये विभाग में अब तक कोई प्रबन्ध या नियम नहीं है पर अब बड़ी रकमें देने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या अब सरकार इस कम्पनी को ऋण देने का विचार कर रही है ?

माननीय श्री केशव देव मालवीय—कोई विशेष कम्पनी को ऋण देने का प्रश्न तो मेरे सामने नहीं है पर बड़ी कम्पनियों को ऋण देने के लिये विचार हो सकता है।

मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के बुनकरों की सहायता के लिये केलेण्डर मशीन

***१५—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—(क) क्या सरकार ने मऊनाथ भंजन के बुनकरों को सहायता स्वरूप कोई केलेण्डर मशीन दी है ?

(ख) यदि हां, तो उस मशीन के लिये सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ा ?

(ग) यह मशीन इस समय किस दशा में है ?

(घ) इस मशीन का इस्तेमाल किया गया या नहीं ? यदि किया गया, तो कितने दिनों तक ?

माननीय श्री केशव देव मालवीय—(क) हाल में सरकार ने मऊनाथ भंजन के बुनकरों की सहायता स्वरूप कोई केलेण्डर मशीन नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नोट—सरकार ने मऊनाथ भंजन के बुनकरों की सहायता करने के लिये मऊनाथ भंजन में एक डायिङ्ग, ब्लीचिङ्ग एण्ड फिनिशिङ्ग फैक्टरी खोलने का विचार किया है। उसके लिये मशीनें जिसमें केलेण्डर मशीन भी है ले ली है। इमारत तैयार हो जाने पर यह फैक्टरी चलनी शुरू हो जायगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यह केलेण्डर मशीन जो मंगाई गई है वह इस समय कहां है और इन-आर्डर है या नहीं ?

माननीय श्री केशव देव मालवीय—मशीन जो खरीदी गई हैं उनमें से अधिकांश तो आ गई हैं और आशा है कि इसी जाड़े में तैयार हो जायेंगी और बुनकरों का हर प्रकार से काम शुरू हो जायेगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मऊनाथ भंजन के बुनकरों की सहायता के लिये जो मशीन लगाई गई है वह किस की देख भाल में है।

माननीय श्री केशव देव मालवीय—यह सब मशीनें डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्डस्ट्रीज की देख भाल में हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलायेगी कि खास तौर से यह मशीन कहां रखी हुई है और किस अवस्था में है।

माननीय श्री केशव देव मालवीय—मैं इस समय तो नहीं कह सकता कि यह मशीन कहां रखी हुई है।

१६-१७-**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—[स्थगित किये गये।]

पिछड़ी जाति के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिये छात्रवृतियां

*१८-**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछड़ी जाति के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिये इस वर्ष सरकार ने कितनी छात्रवृतियां कितने-कितने रुपये की निश्चित की हैं?

श्री चरण सिंह—इस वर्ष पिछड़ी जाति के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिये निश्चित छात्रवृतियों की संख्या निम्नलिखित है—

शिक्षा विभाग द्वारा—	८
हरिजन सहायक विभाग द्वारा	१४
	२२

प्रत्येक छात्रवृति ४० रु० प्रति मास की है।

बहराइच जिले के मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा स्कूल

१९-**श्री भगवानदीन मिश्र**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में अब तक माध्यमिक शिक्षा स्कूल (सेकेण्डरी हाई स्कूल) कौन-कौन हैं, जो सरकार द्वारा प्रमाणित किये जा चुके हैं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मन्त्री)—एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७० पर)

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि जिन स्कूलों को सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रमाणित किया था उन स्कूलों में सरकार ने दर्जा ११ वां खोलने की मनाही कर दी है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो इस वक्त प्रश्न थे उनमें यह लिखा नहीं है कि ११ वां दर्जा खोलने की इजाजत दी गयी या नहीं और उसकी इस वक्त मेरे पास सूचना भी नहीं है।

*२०—**श्री भगवानदीन मिश्र**—(क) इन स्कूलों में से किन-किन स्कूलों को सरकारी स्थायी या अस्थायी सहायता पिछले दो सालों में दी गई है और वह कितनी-कितनी है ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये संस्थाओं को किन २ नियमों की पूर्ति करना नितान्त आवश्यक समझा जाता है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७१ पर)

(ख) शिक्षा संहिता के ३५८वें अनुच्छेद में वर्णित नियमों की पूर्ति करने पर ही स्कूल राजकीय सहायता पाने के अधिकारी होते हैं।

*२१—**श्री भगवानदीन मिश्र**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आजाद स्कूल को सेकेण्डरी हाई स्कूल प्रमाणित करने में किन-किन विशेषताओं पर ध्यान रखकर प्रमाणित किया गया है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बोर्ड ने निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया है—

१—यह कि वहां पर दो माध्यमिक विद्यालय हैं जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते।

२—यह कि प्रबन्धकारिणी समिति का सभापति प्रभावशाली व्यक्ति है।

३—यह कि जिला इन्सपेक्टर मान्यता के लिये सिफारिश करता है।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त बोर्ड ने यह भी विचार किया है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों के माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करना उसकी नीति है।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि आजाद स्कूल में सभी कक्षाओं में मिलाकर १० से अधिक विद्यार्थी किसी समय नहीं हो सके ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय तो नहीं कह सकता। इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रबन्धकारिणी समिति के सभापति जिनके लिये कहा गया है कि वह प्रभाव शाली व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हैं तो प्रभावशाली लेकिन नाम नहीं बतला सकता।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या प्रबन्धकारिणी समिति का नाम सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रबन्धकारिणी समिति का नाम प्रबन्धकारिणी समिति है।

माननीय अध्यक्ष—आप सदस्यों का नाम पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री को मालूम हो तो बतला दें।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, सदस्यों के नाम तो नहीं मालूम।

गांधी हाई स्कूल बहराइच को प्रमाणित करने की आवश्यकता

*२२—**श्री भगवानदीन मिश्र**—क्या सरकार के मालूम है कि मिशन हाई स्कूल ने जो गांधी हाई स्कूल के नाम से म्यूनिसिपल बोर्ड, बहराइच के तत्वावधान में चलाया जा रहा है, नियमों का पालन करते हुये सरकार से प्रार्थना की थी कि उसे प्रमाणित किया जाय ? यदि हां तो वह अब तक प्रमाणित क्यों नहीं किया गया ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त विद्यालय से ऐसी कोई भी प्रार्थना कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रमाणित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भगवादीन मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि मिशन हाई स्कूल जो बहराइच जिले में बहुत दिनों से स्थापित है उसका प्रार्थना पत्र इन्स्पेक्टर द्वारा रिकागनीशन के लिए रोक दिया गया था ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने उत्तर में यह कहा कि दफ्तर में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है। माननीय सदस्य कहते हैं किसी ने जानबूझ कर रोक लिया। उनका अगर यह बयान ठीक है तो उस पर जांच की जा सकती है।

श्री भगवानदीन मिश्र—पुनः इस समय भी उस स्कूल द्वारा रिकागनीशन के लिए प्रार्थना पत्र म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा भेजा गया है, क्या वह अब तक सरकार के पास पहुंचा या नहीं ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर में कहा गया नहीं पहुंचा ?

उत्तर प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं के हरिजन सदस्य

*२३—**श्री गजाधर प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार एक ऐसा नक्शा मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें इस राज्य के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया के हरिजन मेम्बरों के नाम और पूरे पते लिखे हों ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)—इस सूचना के एकत्रीकरण के लिए जितने समय और परिश्रम की आवश्यकता होगी उसकी तुलना में सार्वजनिक लाभ बहुत कम होगा।

*२४—**श्री गजाधर प्रसाद** (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।]

*२५—२६—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—[स्थगित किये गये।]

पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में टेलीफून का अभाव

*२७—**श्री भगवान सिंह**—(क) क्या पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपने आफिस में टेलीफून कनेक्शन लगाने के विषय में टेलीफून अधिकारियों को कोई प्रार्थना पत्र भेजा है ?

(ख) यदि हां, तो कब ?

*२८—सन् १९४९ ई० में पीलीभीत शहर में किन-किन व्यक्तियों को कब-कब नये टेलीफून कनेक्शन दिये गये ?

श्री चरण सिंह—चूंकि यह केन्द्रीय सरकार का विषय है इसलिए उत्तर प्रदेशीय सरकार इसके विषय में सूचना देने में असमर्थ है।

श्री भगवान सिंह—क्या प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार का निवेदन करने का विचार कर रही है कि सूबे के जिन-जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में टेलीफून कनेक्शन्स नहीं है उन्हें टेलीफून कनेक्शन्स दिये जांय ?

श्री चरण सिंह—सरकार ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है।

तहसील नकुड़, ज़िला सहारनपुर में बिजली के कुएं

*२९—**श्री जगन्नाथदास**—क्या यह सही है कि तहसील नकुड़, ज़िला सहारनपुर में बिजली के कुछ नये कुएं बनाये जा रहे हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—यह सही है कि तहसील निकुड़ ज़िला सहारनपुर में कुछ नये ट्यूब वेल्स बनाये जाने की तजवीज़ है।

*३०—**श्री जगन्नाथ दास**—क्या सरकार को यह मालूम है कि तहसील नकुड़ में जो बिजली के कुएं बने हुए हैं उनमें से अधिकांश ख़राब हालत में हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—तहसील नकुड़ में ट्यूब वेल नं० ३ के अलावा जो फेल हो गया था मगर अब क़रीब-क़रीब बन चुका है बाकी सब ट्यूब वेल ठीक तौर से काम कर रहे हैं।

*३१—श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नये कुओं के बनाने की जगह निश्चय हो गई अथवा नहीं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी— नये ट्यूब वेल्स के बनाने की जगह अभी तक निश्चित नहीं हुई है।

*३२—श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार को ज्ञात है कि नकुड़ सेंटर पर जो बिजली का कुवां है वह अधिक समय से सिगरेट फैक्टरी की तम्बाकू की काश्त के लिये मिला हुआ है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—नकुड़ ग्रुप के ट्यूबवेल्स तम्बाकू की सिंचाई के अतिरिक्त दूसरी फसलों की भी सिचाई करते हैं।

श्री बादशाह गुप्त — यह जो बिजली का कुंवा नकुड़ सेन्टर पर है यह प्राइवेट है या सरकारी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—गालिबन सरकारी है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब यह कुये सरकार के हैं तो अन्न वगैरा पैदा करने की अपेक्षा तम्बाकू पैदा करने में बिजली के कुये का प्रयोग क्यों हो रहा है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—यह बड़ी मुश्किल की बात है कि किसी एक हल्के में एक फसल को सरकारी कुये से फायदा उठाने से रोका जाय। सरकारी पालिसी यह है कि एक इलाके में, जिसमें सरकारी कुआ हो, उसमें जितनी भी सिंचाई हो वह सब सरकारी कुये के जरिये से हो। अगर ऐसी खेती छोड़ दी जायगी तो उसमें नुकसान होने का बहुत अंदेशा है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी— यह तंबाकू की काश्त काश्तकार करते हैं या फैक्टरी की तरफ से की जाती है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी- इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

मौज़ा बिलावा, ज़िला इटावा के ज़मींदार पर आक्रमण

*३३—श्री दीनदयालु अवस्थी(अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि फरवरी या मार्च, सन् १९७० में मौजा बिलावा, थाना अजीमतल, जिला इटावा के जमींदार पर कुछ लोगों ने सैकड़ों आदमियों का गिरोह बनाकर दिन दहाड़े हमला किया था और उसे लूट लिया था और उस मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हां। २७ मार्च, १९५७ ई० को इटावा जिले के विलावा ग्राम के जमींदार श्री राम गोपाल और श्री जगत नारायण की गढ़ी तथा फुलवारी पर एक बड़े गिरोह ने हमला किया तथा उनकी सम्पत्ति को नष्ट किया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बलवे को शांत किया।

*३४-**श्री दीनदयालु अवस्थी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन हमलावरों में से पुलिस ने कितने और किन-किन आदमियों को गिरफ्तार किया और कितनों और किन-किन पर मुकदमा चलाया गया ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इस सम्बन्ध में संलग्न सूची के ४० आदमी गिरफ्तार किये गये तथा उन पर २ मुकदमें चलाये गये, एक फुलवारी पर हमला करने तथा दूसरा गढ़ी पर हमला करने के सम्बन्ध में। १६ आदमी फरार हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७३ पर)

श्री होती लाल अग्रवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो १६ आदमी फरार हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है, और अगर की गई है तो क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

*३५-**श्री दीन दयालु अवस्थी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि यह मुकदमें अभी तक चल रहे हैं ? यदि हां, तो इन मुकदमों के अभी तक फैसला न होने का क्या कारण है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हां। यह मुकदमें अभी चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ अभियुक्त डकैतियों के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिये गये और शिनाख्त कार्यवाही चालू रहने के कारण जेल में न लाये जा सके और मुकदमों को स्थगित करना पड़ा। इसके अतिरिक्त गवाहों की संख्या अधिक थी जिनके बयान लेने में बहुत समय लगा। मुकदमें की शीघ्र ही समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह मुकदमा इब्तिदाई अदालत में है या सैशन्स सुपुर्द हो चुका है ?

माननीय श्री लाल बहादुर—इब्तिदाई अदालत में।

श्री बादशाह गुप्त—जब मुकदमा सन् ४७ में चल रहा है तो क्या सरकार यह मुनासिब समझती है कि उसमें जल्दी करने के लिये कोई हिदायत जारी की जाय ?

नोट—तारांकित प्रश्न सं० ३३-३६ श्री होती लाल अग्रवाल ने पूछे।

माननीय श्री लाल बहादुर—हिदायत जारी है।

३६-श्री दीनदयालु अवस्थी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने कि कृपा करेगी कि इन मुकदमों के अलावा क्या और भी जिले में कोई मुकदमें ऐसे हैं जो फरवरी या मार्च, सन १९४७ ई० से अब तक चल रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे मुकदमें कितने हैं और उनमें से प्रत्येक के अभी तक फैसला न होने के क्या-क्या कारण हैं?

माननीय श्री लाल बहादुर—जी हां। दो मुकदमें और हैं जो सन १९४७ ई० से अब तक चल रहे हैं। यह दोनों मुकदमें सर्व श्री रामगोपाल तथा जगत नारायण के विरुद्ध चल रहे हैं। इनमें से एक मुकदमा प्रश्न ३ के उत्तर में कथित मुकदमों का क्रास केस (प्रतिअभियोग) है और उन्हीं के साथ चल रहा है। अभियुक्तों की गैर हाजरी की वजह से दूसरे मुकदमें की तारीख बढ़ती गई।

श्री होती लाल अग्रवाल—इस सवाल से ताल्लुक रखने वाले कौन से अभियुक्त गैरहाजिर हैं?

माननीय श्री लाल बहादुर—इसकी सूचना मुझे इस वक्त नहीं है।

३७-३८-श्री मुहम्मद असरार अहमद [स्थगित किये गये।]

श्री एल० एन० सरीन, स्पेशल मैनेजर कोर्ट आफ़ वार्ड्स लखीमपुर की ज़मींदारी विनाश कोष के स्पेशल अफ़सर के पद पर नियुक्ति

*३९-श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कोर्ट आफ़ वार्ड्स लखीमपुर खीरी के स्पेशल मैनेजर श्री एल० एन० सरीन को कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रेसीडेंट ने माननीय माल मंत्री, उत्तर प्रदेश के परामर्श से जमींदारी विनाश कोष के स्पेशल अफ़सर के पद पर नियुक्त किया है?

माननीय श्री हुकुम सिंह (मालमंत्री)—प्रेसीडेंट कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने श्री एल० एन० सरीन को जमींदारी उन्मूलन कोष का स्पेशल अफसर मुकर्रर किया इसमें माननीय माल मंत्री के परामर्श की न को आवश्यकता थी न ली गई।

*४०-श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त पद पर काम करने के लिये सरकार ने उनके लिये कितना सफ़र भत्ता नियत किया है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—सरकार ने कोई भत्ता नियत नहीं किया । जो दौरा श्री सरीन इस कार्य के लिये करते हैं उसका भत्ता कोर्ट आफ़ वार्ड्स के नियमों के अनुसार दिया जाता है ।

*४१-**श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ज़मींदारी विनाश कोष के सिलसिले में काम करने के लिये सरकार ने श्री एल० एन० सरीन को उनके मासिक वेतन के अतिरिक्त कोई और मासिक भत्ता नियत किया है ? यदि किया है, तो कितना ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—सरकार ने कोई भत्ता नहीं मुकर्रर किया है बल्कि कोर्ट आफ वार्ड्स ने १०० रुपया का मासिक एलाउन्स मुकर्रर किया है ।

*४२-**श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि श्री एल० एन० सरीन को उक्त पद पर नियुक्त करने के सिलसिले में यू० पी० कोर्ट आफ़ वार्ड्स के मेम्बरों ने एक प्रस्ताव के द्वारा आपत्ति प्रकट की जिसे प्रेसीडेंट ने पेश करने की आज्ञा नहीं दी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जी हां ।

*४३-**श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके उक्त प्रस्ताव की एक नक़ल मेज़ पर रक्खेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—प्रस्ताव की एक प्रति सम्बद्ध है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७४ पर)

*४४-**श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी**—(अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के कोर्ट आफ़ वार्डस की रियासतों से स्पेशल मैनेजर के द्वारा कितना रुपया ज़मींदारी विनाश कोष के सिलसिले में वसूल हुआ ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—कोर्ट आफ़ वार्डस की रियासतों से ८०,३४,००० रु० ज़मींदारी उन्मूलन कोष में वसूल हुए । परन्तु यह रकम काश्तकारों ने तहसील में जमा की । स्पेशल मैनेजरों द्वारा कोई खास रकम वसूल नहीं हुई ।

दानेदार चीनी के वितरण का तरीका

*४५—**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलायेगी कि जब से दोबारा शक्कर पर कन्ट्रोल हुआ है हर ज़िले में, शहरी और देहाती क्षेत्रों में अलग अलग कितना कोटा शक्कर (क्रिस्टल) का मुकर्रर हुआ और वाकई कितना-कितना कोटा शहरी और देहाती क्षेत्रों में बांटा गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मन्त्री)—सरकार दानेदार चीनी का ज़िलेवार कोटा विभिन्न ज़िलों के लिये सम्मिलित रूप से नियत करती है। शहरी और देहाती क्षेत्रों के लिये वह अलग अलग कोटा नहीं नियत करती। एक नक्शा मेज़ पर रख दिया गया है जिसमें ज़िलेवार कोटे दिखाये गये हैं और यह भी दिखाया गया है कि वे शहरी और देहाती क्षेत्रों में किस प्रकार बांटे गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

***४६–श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलायेगी कि क्रिस्टल शुगर के वितरण का क्या तरीका है और गांवों में यह किस तरह से बांटी जाती है और हर आदमी को कितनी दी जाती है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—बांटने का कोई एक नियत तरीका नहीं है। यह ज़िला अफ़सर के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे जिस तरह चाहें बांटें। उन्हें इस मामले में यह देखना होता है कि कुल कितनी चीनी है और ज़िले के भिन्न भिन्न इलाकों को कितनी ज़रूरत है।

बदायूं ज़िले में शकर का वितरण

***४७–श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलायेगी कि बदायूं ज़िले के देहातों में जब से दोबारा शकर का कन्ट्रोल हुआ है कितनी-कितनी शकर किस किस केन्द्र से बांटी गई ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक नक्शा परिशिष्ट (ख) मेज़ पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३७८ पर)

***४८–श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलायेगी कि ज़िला बदायूं में गावों के केन्द्र किस प्रकार मुकर्रर किये गये ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—बदायूं ज़िले के देहाती क्षेत्र में दानेदार चीनी की बिक्री के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट ने वितरण केन्द्र इस बात को ध्यान में रखकर चुने थे कि कितना माल मिल सकता है और चुने गये केन्द्र वितरण के लिये कितने उपयुक्त हैं, और वहां आसानी से पहुंचाया जा सकता है या नहीं। बदायूं तहसील के सभी अदालत पंचायत केन्द्र प्रयोग (तजुर्बे) के तौर पर शामिल किये गये थे।

***४९–श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिले बदायूं में कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी ६, ७ हजार से भी

ज्यादा है परन्तु उन्हें अब तक न तो कोई केन्द्र बनाया गया है और न उनको किसी किस्म की शकर दी गई है ?

माननीय श्री चन्भानु गुप्त—वितरण केन्द्र आबादी के आधार पर नहीं खोले गये थे, बल्कि इस बात को ध्यान में रखकर खोले गये थे कि वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है या नहीं। ये वितरण केन्द्र सभी गांवों के लिये हैं।

*५०–**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलायेगी कि सैदपुर गांव, जिला बदायूं में अब तक कितनी क्रिस्टल शुगर बांटी गई ? क्या यह सही है कि इस कस्बे की आबादी ५ हजार से भी अधिक है और उसकी अलहदा ग्राम सभा है और अदालती पंचायत का केन्द्र है ?

माननी श्री चन्भानु गुप्त—३ मई, १९५० ई० तक ३९ मन २५ सेर चीनी बांटी गई। सन् १९४१ ई० की मर्दुमशुमारी के अनुसार यहां की आबादी ४,८८५ है।

*५१–**श्री मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सैदपुर, जिला बदायूं में कई कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं और उनको क्रिस्टल शुगर बांटने के लिये कोई कोटा नहीं दिया गया है और क्यों ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, सैदपुर गांव में दानेदार चीनी का एक वितरण केन्द्र खोल दिया गया है और इस गांव की वस्ती कोआपरेटिव सोसाइटी को जो कोटा दिया गया था वह उठा लिया गया है और बांट दिया गया है।

*५२–५६–**मुहम्मद असरार अहमद** (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये]

अदालती पंचायत के पंचों और सरपंचों को मुअत्तल करने का जिलाधीशों को अधिकार

*५७–**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार ने जिलाधीशों को यह अधिकार दिया है कि अदालती पंचायत के पंचों और सरपंचों की शिकायत मिलने पर यदि ठीक समझें तो मुअत्तल कर दें ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जी हां।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार के पास जिलों से कुछ सरपंचों को हटा देने की सिफारिशें आई थीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है कि इस तरह की कोई सिफारिश आई। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या यह बात सरकार के विचाराधीन है कि यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया जाय या अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ?

श्री आत्माराम गोविन्द खेर—यह अधिकार तो दे दिया गया है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—क्या सरकार इसका कारण बता सकती है कि जब पंचायतें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में मानी गयी हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यक्षों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—पंचायतें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अधिकार में नहीं मानी गयी हैं और इसलिये यह विशेष अधिकार जो कि पंचों और सरपंचों को हटाने का है उसके लिये खास हिदायत है कि ऐसी अवस्था में जब उनका नैतिक अधःपतन वाला काम हो रहा हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तात्कालिक विधि से उनको मुअत्तल करके सरकार को इत्तिला करे।

*५८-**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—जौनपुर जिले में अब तक कौन-कौन पंच और सरपंच मुअत्तल और कौन-कौन से अलग किये गये ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—कोई पंच या सरपंच न तो पृथक किया गया और न मुअत्तल किया गया है।

जौनपुर जिले में मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने के लिये टेण्डर

*५९-**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार उन टेण्डरों की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी जो प्रेसवालों द्वारा जौनपुर जिले में मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने के लिये दिये गये थे ?

श्री चरणसिंह—टेण्डरों† की प्रतिलिपियां मेज पर रखी जाती हैं।

श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य—छपाई का रेट तय करने के लिये क्या टेण्डर मांगे गये थे ?

श्री चरण सिंह—जी हां, उसकी कापी मेज पर रख दी गयी है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यह रेट जो ६ रुपये का दिया गया है, यह गवर्नमेंट रेट है या टेंडर का रेट है ?

श्री चरण सिंह—यह एग्रीमेंट का रेट है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या जितने भी प्रेसों में लिस्ट छापने के लिये दी गयी थी सभी का रेट एक ही रूप में दिया गया था या भिन्न-भिन्न रेट उन लोगों ने दिये थे ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री चरण सिंह—इसके लिये माननीय सदस्य अगर मेरे कमरे में आवें तो मैं उनको सारी इत्तला दे सकता हूं। ऐसे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बादशाह गुप्त—क्या यह सही है कि सरकार ने एक रेट निश्चित करके जिले-जिले में भेज दिये थे और उसी के अनुसार सब को छपाई मिल जाती है बिना लिहाज इस बात के कि उन सबों ने कम पर छपाई करना स्वीकार किया था या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जी हां। एक जी० ओ० गया था, उसमें सरकार की तरफ से रेट निश्चित था।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने टेंडर आये थे और उनके क्या क्या रेट थे ?

श्री चरण सिंह—इसका जवाब मै पहले दे चुका हूं।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या किसी छापेखाने वाले ने कम शरह पर छापने के रेट दिये थे तो सरकार ने उसको कबूल न करके अपने रेट से अदा करने की जिम्मेदारी ली ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त(मुख्य मंत्री)—सरकार ने सारे सूबे के लिये एक पूरा रेट मुकर्रर किया था। अगर किसी जिले में कोई खास सवाल हो तब तो बात दूसरी है लेकिन सारे सूबे के लिये अलग अलग जगहों पर रेट मुकर्रर करना सरकार के लिये बहुत मुश्किल है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि जौनपुर जिले के लिये ६ रुपये का रेट सरकार ने निश्चित कर दिया था तो फिर जब टेंडर मांगे गये तो क्या फिर कोई छापेखाने कम रेट पर छापने को तैयार थे ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकार को कोई इत्तिला नहीं है। सरकार ने जो रेट निश्चित किये थे उसी पर छपवाया गया।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब सरकार ने एक रेट मुकर्रर कर दिया तो जब सरकार उसी रेट पर काम कराना चाहती है तो टेंडर क्यों मांगे जाते हैं ?

श्री चरण सिंह—मुमकिन है कि कोई प्रेस कम रेट पर छापने को तैयार हो जाय तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम रेट पर छपवा लें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रेट ६ रुपया निश्चित करके भेजा गया था तो सरकार ने यह आदेश क्यों नहीं दिया कि टेंडर रेट मांगे जायं ?

श्री चरण सिंह—एक रेट निर्धारित करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम रेट पर छपवा सकते हैं। मगर उनको यह अधिकार नहीं था कि ऊंचे रेट पर छपवायें। अगर ऊंचे रेट आते तो वह उनको सरकार के पास भेजते और वहां से राय लेते।

*६०—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—(क) क्या प्रत्येक प्रेसवाले के लिये निर्धारित सूची प्रकाशित करने के लिये कोई समय नियत था ?

(ख) यदि हां, तो क्या ?

चरण सिंह—(क) ज हां।

(ख) ३१-३-५० अन्तिम तिथि थी।

*६१—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—जिन प्रेसवालों ने नियत समय के भीतर सूची प्रकाशित नहीं की उनके शेष काम का बटवारा किस प्रकार किया गया ?

चरण सिंह—केवल सेवा प्रेस की थोड़ी सी सूची रह गई थी। उस काम का बटवारा उचित नहीं समझा गया।

नहरगंग मोहम्मदपुर में विद्युत् शक्ति का उत्पादन तथा उसका प्रयोग

*६२—**श्री जगन्नाथ दास** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि नहरगंग मोहम्मदपुर में विद्युत् शक्ति का जो कारखाना बन रहा है उसमें बिजली बनना शुरू हो गई ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—जी नहीं।

*६३—**श्री जगन्नाथ दास** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि उपरोक्त बिजली तकसीम करने का क्या तरीका रहेगा ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—सरकारी बिजली के कूओं को जो या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं बिजली दी जायगी। विचाराधीन उद्योग (Industry) तथा कृषि (Agriculture) सम्बन्धी भागों को भी बिजली दी जायगी। नगरों को भी कुछ बिजली रोशनी और पंखों के लिये दी जायगी।

*६४—**श्री जगन्नाथ दास** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि जिले सहारनपुर में बिजली के कुएँ बहुत कम संख्या में हैं ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—सहारनपुर जिले में दस सरकारी बिजली के कुएँ हैं। इस जिले में १०० सरकारी बिजली के कूओं की योजना जो सन् १९५२ ई० में पूरी होगी सरकार के विचाराधीन है।

नोट—तारांकित प्रश्न सं० ६२—६५ श्री राम स्वरूप गुप्त ने पूछे।

*६५–**श्री जगन्नाथ दास** (अनुपस्थित)—क्या सरकार का इरादा है कि इस विद्युत शक्ति के कारखाने से सहारनपुर ज़िले के किसानों की बिजली की मांग पूरी की जावेगी ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी—मुहम्मदपुर से किसानों के निजी बिजली के कुओं के लिये भी बिजली दी जायगी ।

चकिया ज़िले की जंगल की भूमि के पट्टे

*६६–**श्री खुशवक्तराय**—(क) ४ अप्रैल, सन १९५० ई० के श्री रामनन्दन सिंह के प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन ६२३ व्यक्तियों के जिनको पट्टे दिये गये हैं, क्या-क्या नाम व पते हैं तथा उनमें से प्रत्येक के नाम कितनी एकड़ भूमि का पट्टा किया गया है ?

(ख) क्या यह सच है कि २,८८१ एकड़ भूमि के पट्टे ११ अक्तूबर, १९५० ई० से १५ अक्तूबर, १९५० ई० के बीच किये गये ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) †एक सूची जिसमें मांगी गई सूचना लिखित है मेज़ पर रखी गई है ।

(ख) ११ अक्तूबर, १९४९ ई० से १५ अक्तूबर १९४९ तक २,८१६ एकड़ के लगभग भूमि के पट्टे दिये गये ।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सूची में जितने नाम दिये हैं वह सब भूतपूर्व बनारस राज्य के रहने वाले हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—बड़ी लम्बी फेहरिस्त है, मुमकिन है कि कुछ बाहर के भी रहने वाले हों ।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विलियन के ४ दिन पूर्व इतनी तादाद में पट्टे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—वहां की पहले की गवर्नमेंट इसका जवाब ठीक तौर से दे सकती थी ।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वर्तमान सरकार ने इस बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयत्न किया है या नहीं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—यह सब पट्टे सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन पट्टों पर विचार कब तक हो जावेगा ?

---

† सूची छापी नहीं गई ।

माननीय श्री हुकुम सिंह—ज्यादा ग़ैर जरूरी देरी नहीं होगी।

श्री राम नन्दनसिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिस भूमि के पट्टे दिये गये हैं वह बन भूमि का हिस्सा है और अधिकतर चरागाह के काम आता है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—बन का हिस्सा है, लेकिन चरागाह के काम आता है या नहीं यह साफ तौर से अभी नहीं मालूम।

श्री खुशवक्त राय—क्या सर ार कृपा करके बतलायेगी कि जिस समय इन पट्टों पर विचार हो रहा होगा उस समय जो बाहर के लोग हैं उनके पट्टे अवश्य रद्द कर दिये जावेंगे ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—अवश्य कहना तो मुश्किल है, कानून देखा जायगा कि रद्द हो सकते हैं या नहीं।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह पट्टे किस की ओर से दिये गये ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—उस वक्त के जंगल के कर्मचारियों ने दिये थे।

*६७-**श्री खुशवक्त राय**—(क) क्या यह सच है कि गत ६ जनवरी, १९५० ई० को माननीय पुलिस मन्त्री की अध्यक्षता में चकिया जिला राजनीतिक सम्मेलन चकिया में हुआ।

(ख) क्या यह भी सच है कि उस राजनीतिक सम्मेलन में एक प्रस्ताव इस आशय का सर्वसम्मति से पास हुआ कि उपरोक्त पट्टे रद्द कर दिये जायं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—(क) ६ जनवरी, १९५० ई० को चकिया में किये गये राजनीतिक सम्मेलन में माननीय पुलिस मन्त्री ने भाषण दिया था।

(ख) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार ने पुलिस मन्त्री से पूछने का प्रयत्न नहीं किया कि ऐसा प्रस्ताव पास हुआ या नहीं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—पुलिस मंत्री जी भी सरकार ही के जुज़ हैं।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह पट्टे जो दिये गए वह किस काम के लिए दिए गए ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—ग़ालिबन खेती के लिए।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा कर के बतलावेगी कि जितनी भूमि के पट्टे दिए गए हैं उस में से भूमि के कितने हिस्से पर अबतक काश्त हो रही है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

***६८–७२—श्री अम्मार अहमद खां**—[स्थगित किये गये]

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल

धारा *२४० (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष—अब सन् १९३९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार होगा।

श्री रोशन ज़मां खां—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २४० के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा २४० रखी जाय।

"२४०—आरम्भिक बन्दोबस्त से प्रति बीस वर्ष पर राज्य सरकार मालगुज़ारी का नया बन्दोबस्त करायेगी।"

जनाब वाला, सरकार ने बिल की दफा २४० में यह बात कही है कि हमारे राज्य में ओरिजिनल सेटेलमेंट या आरम्भिक बन्दोबस्त से ४० साल के बाद बन्दोबस्त हुआ करेगा। हमने अपनी तरमीम के ज़रिए से यह बात कही है कि ४० साल के बजाय २० साल के बाद बन्दोबस्त हुआ करे। देखने में तो यह एक बहुत साधारण सी बात मालूम होती है कि २० और ४० साल में कोई खास फर्क नहीं है और महज़ एक लफ्ज़ी लड़ाई है लेकिन मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि अगर इस ऐवान के मुअज़्ज़िज़ मेम्बरान इस पर ग़ौर फरमायें तो उन्हें मालूम होगा कि सरकार ने ४० साल का जो बन्दोबस्त मुकर्रर किया है वह ठीक नहीं है और उससे नुक़सानात होंगे। बरखिलाफ इसके जो तरमीम हमारी तरफ से पेश की गयी है उससे इस राज्य को बहुत से फायदे मालूम होते हैं। जाहिर है कि इससे पहिले अंग्रेजों के ज़माने में बन्दोबस्त होते रहे और उनकी मियाद ४० साल की थी। लेकिन जो बन्दोबस्त अब तक हुए हैं वह हरगिज़ इत्मीनान के कबिल नहीं हैं। इत्मीनान के काबिल इसलिये नहीं हैं कि उन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि एक नया तब्का जमींदारों का उन्होंने पैदा किया उससे ज्यादा से ज़्यादा वह कूवत हासिल कर सके। चुनांनचे अंग्रेजों के ज़माने में बन्दोबस्त के बारे में उनका नुक्तानिगाह सिर्फ यह था कि यहां के बसने वाले ज़मींदारों के साथ जितनी भी मुमकिन रियायत हो सके मालगुज़ारी के ताइयुन में और दूसरी चीज़ों में की जाय।

*६ जुलाई, सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपी है

[श्री रोशन जमां खां]

मैं ज़्यादा तफ्सील में नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर अर्ज़ करूंगा कि जो मालगुज़ारी शुरू में बन्दोबस्त में आमदनी की ६० फीसदी थी वह आखिरी बन्दोबस्त और आखिरी कानून में आमदनी का ४० वां हिस्सा कर दी गयी। इससे ज्यादा जमींदारों के साथ रिआयत क्या हो सकती है? उन बन्दोबस्तों में किसानों के साथ इन्साफ करने की कुछ भी कोशिश नहीं की गयी। इन हालात में जो आदादो शुमार, जो आंकड़े हमको पुराने बन्दोबस्तों में, यानी अब तक जो बन्दोबस्त हो चुके हैं, उनमें मिलते हैं वह काबिले इत्मीनान नहीं हैं और हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी है कि जितनी जल्द हो सके हम सही आंकड़े अपने राज्य के गांव के बारे में हासिल कर सकें। यह चीज़ अगर ४० साल के लिये हटा दी गयी तो उससे काश्तकारों को बहुत नुक्सानात होंगे। अब हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे ट्रानजीशन पीरियड (संक्रमण काल) कहा जा सकता है और हम चाहते हैं कि मौजूदा स्टेटस्को (प्राचीन व्यवस्था) कायम न रहे और जो सोसाइटी (समाज) की हालत है उसमें जल्द से जल्द तब्दीली करें अगर उसके लिये हमने ४० साल की मुद्दत का इन्तिज़ार किया तो उससे इस राज्य और यहां के बसने वालों के लिये नुक्सान पहुंचेगा। इसलिये लाज़िमी है कि हम जल्द, जितनी जल्द मुमकिन हो सके, नये बन्दोबस्त करें।

फिर एक चीज़ और है और वह खास तौर से निगाह में रखनी है। यह बन्दोबस्त जो हुआ करते हैं उनका मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ करता है कि एक हाकिम बैठा और उसने मालगुज़ारी में कुछ इज़ाफा या कमी कर दी, बल्कि एक बन्दोबस्त और दूसरे बन्दोबस्त के दौरान में जो तब्दीलियां हुआ करती हैं खुवाह वह जायदाद के बारे में हों या दूसरी चीज़ों के बारे में हमें कुछ मालूमात हो जाया करती हैं। तो जैसा मैंने कहा, पुराने मालूमात ठीक नहीं हैं और हमको नई मालूमात हासिल करना है, इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि कम से कम मुद्दत जो हो सकती है वह हमें इस वक्त रखना है और इस नुक्ते निगाह से ४० साल के बजाय २० साल की मुद्दत बहुत ज्यादा बेहतर और मुफीद साबित होगी।

यह कहा जा सकता है और हमारी भी निगाह में यह बात है कि एक बन्दोबस्त कराने में सरकार को बहुत बड़े स्टाफ (कर्मचारियों) की ज़रूरत पड़ती है और उसमें बहुत काफी खर्चा हो जाया करता है। लेकिन जो बन्दोबस्त का तरीका अंग्रेजों ने हमारे मुल्क में रायज कर रखा था वह हरगिज़ ऐसा नहीं था कि जबकि हम अंग्रेज के पंजे से नजात पा चुके, उसे हम कायम रखें। हमको जो बन्दोबस्त का तरीका था उसमें अब आसानियां पैदा करनी हैं, उसको सीधा साधा बनाना है और जहां तक अखराजात और स्टाफ का सवाल है, मैं तो यह कहता हूं कि हमारे राज्य में जो गांव पंचायतें क़ायम हो चुकी हैं अगर

हम उनका सहारा लें तो हमारा बहुत मामूली खर्चा होगा, बल्कि उससे २० साल के पहले कोई भी सरकार चाहे तो बन्दोबस्त कर सकती है। लेकिन हमें अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पूरे चैप्टर (अध्याय) में, बिल को तो जाने दीजिये, हमारी सरकार ने हमारी कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजों के बनाये हुए कानून की नकल करने की कोशिश की है। अगर आप देखें और चैप्टर का लैंड रेवेन्यू ऐक्ट से मुकाबिला करें तो रिकार्ड आपरेशन वगैरा में सब चीजें करीब-करीब उसी ऐक्ट से ली गयी हैं। ज़ाहिर है कि अगर हम सिर्फ नकल करने की कोशिश करते हैं और पुराने बने हुये कानून को जो हमारे समाज के हित में नहीं है अब भी नाफिज़ करने की कोशिश करते हैं तो इस राज्य के साथ इन्साफ नहीं कर रहे हैं। इसलिये हमारा फर्ज़ है कि हम बन्दोबस्त के तरीके को आसान बना दें और उसके बनाने से एक बहुत बड़ी आसानी राज्य को भी होगी कि हम जल्द से जल्द जब चाहेंगे बन्दोबस्त करा सकेंगे।

एक बात और इसी मौके पर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ और वह यह है कि आज़ादी से कब्ल अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने जो ऐडमिनिस्ट्रेशन (शासन संचालन) का सिस्टम (प्रथा) बनाया था वह इस निगाह से बनाया था कि सात समुद्र पार एक जज़ीरे में कुछ लोग बैठे हुये हैं और उसकी पार्लियामेंट के मातहत हिन्दुस्तान ऐसे बड़े मुल्क का इन्तज़ाम हो रहा है इसलिये उसी नुक्तेनिगाह से सारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई थी और उसी निगाह से बन्दोबस्त के बारे में जो मशीनरी उन्होंने रखी थी वह इसलिये थी कि उनका मक़सद अपनी आमदनी बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं था। बरखिलाफ इसके हमारा नुक्तेनिगाह दूसरा है। हम इस राज्य के बसनेवालों को इस बात पर आमादा करना चाहते हैं कि तुम भी फायदा उठाओ और इतना धन पैदा करो कि तुम भी धनी रहो और राज्य भी धनी रहे। हम जब इस नुक्तेनिगाह से काम करते हैं तो ज़ाहिर है कि हमारा काम सिर्फ यह नहीं कि अंग्रेज़ों के बनाये हुये कानून की नकल करें बल्कि हमारा काम यह है कि जो तरीका उनके इन्तिज़ाम का था, जो तरीका उनके बन्दोबस्त का था उसमें एक इन्किलाबी तबदीली हो और अगर इन्किलाब करने से महरूम हैं तो कम से कम यह तो करें कि इस राज्य के बसने वालों को यह मौका दें कि वह २० साल में जो नतीजे उनके सामने आयें, उनसे फायदा उठा सकें। इसलिए यह तरमीम मैंने रक्खी है कि बजाए ४० साल के २० के अन्दर हमारे यहां बन्दोबस्त हुआ करे और यह एक मुनासिब बात है और तरमीम को मंजूर करके सरकार अपनी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा करे।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाब वाला, मैं इस तरमीम की मुख़ालिफ़त करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे ताज्जुब है कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो अपने को

[श्री ऐज़ाज़ रसूल]

जन्ता की भलाई के दावेदार कहते हैं वह बन्दोबस्त बजाय ४० साल के २० साल में चाहते हैं। उसका नतीजा क्या होगा कि भूमिधरों और सीरदारों के ऊपर हर २० साल के बाद लगान का इज़ाफ़ा किया जाय। यह है आपकी इस तरमीम का नतीजा। एक तरफ़ तो आप बहुत ज़ोरों से फ़रमाते हैं और दुनिया भर में कहते फिरते हैं कि हम तो काश्तकारों की बड़ी भलाई चाहते हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि २०साल के बाद बन्दोबस्त हो जाय। अगर आपने इसको कन्फ़ूज़ करना चाहा और अंग्रेज़ों का क़ानून कह करके इसको बुरा बताया तो यह गलत बात है अगर कोई अच्छी चीज़ किसी गवर्नमेंट ने की है ख्वाह वह अंग्रेज़ी गवर्नमेंट हो या कोई हो और अगर वह अच्छी है तो अच्छी है। खुद आपकी पार्टी की बिना फारेन (विदेशी) है। सोशलिस्ट पार्टी के जितने असूल हैं वह देश से तो लिये नहीं गये हैं वह विदेश से लिये गए हैं। एक तरफ आप फारेन उसूल को भला बुरा कहते हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी जो है उसकी जितनी आइडियलोजीज़ (आदर्श) हैं वह सब फारेन हैं। तो इस वजह से मैं यह समझता हूं कि यह चीज़ गलत है यह कहना कि यह सिस्टम अंग्रेज़ों का रायज किया हुआ है यह बिलकुल ग़लत बात है। वह इस वजह से ग़लत है कि अंग्रेज़ों ने इस सिलसिले में जितने सिस्टम ऐडाप्ट (ग्रहण) किए हैं वह सब राजा टोडरमल जो कि अकबर बादशाह के वज़ीर थे और माल के मामलों में बड़े एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) थे उन्होंने हिन्दुस्तान में जारी किये। वह सिस्टम आज तक अंग्रेज़ों ने कायम रक्खा जिसको कि मुल्क की हालत देखते हुए एक हिन्दुस्तानी ने जो कि हिन्दुस्तान की एक बड़ी हस्ती गुज़री है, रायज किया था। आप उस सबको चेन्ज करना चाहते हैं। आप डिस्ट्रिब्यूशन आफ़ लैंड (भूमि वितरण) का सिस्टम लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर शख्स को २० एकड़ ज़मीन मिले। मेरे ख्याल में अगर ज़मीन रबड़ की होती तो उसे खींच कर बढ़ा सकते थे लेकिन ऐसा है नहीं। आप ये सब उलझे हुए और फारेन नेशन (जातियों) के ख़यालात इस मुल्क में लाना चाहते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि यह तरमीम बजाय फायदे के नुक़सान पहुंचायगी।

दूसरी चीज़ इस तरमीम से यह होगी कि हमारी सरकार को बड़ी दिक्कत पेश आयगी। वह दिक्कत यह है कि उसने भूमिधरों से वायदा कर लिया है कि उनको ४० साल तक फायदा होगा और ऐसी सूरत में अगर २० साल के बाद बन्दोबस्त होगा तो फिर उसके ऊपर आफत आ जायगी और उसको नुकसान पहुंच जायगा। मेरे ख्याल में इस तरमीम को मान लेने से यह होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने जो वायदा किया है कि इतने वर्ष तक भूमिधरों का फायदा होगा उससे वह हट जायगी। इस लिये मैं कांग्रेस गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह सोशलिस्ट पार्टी का कहना न माने। अगर गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा है तो यह है कि २० साल के बाद लगान बढ़ जायगा और उसकी आमदनी बढ़ जायगी लेकिन भूमिधरों से जो वायदा आपने फरमाया है और जिसकी बिना पर रूपया वसूल

किया है उसके यह खिलाफ होगा। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट (संशोधन) बड़ा खतरनाक है और गवर्नमेंट को इसे मंजूर नहीं करना चाहिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि अपने मित्र रोशन जमां खां साहब की बातों का जवाब दूं, मैं अपने दोस्त नवाब ऐजाज रसूल को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि वह जरा भी परेशान न हों। मैं कह देना चाहता हूं कि बकौल राजा साजिद हुसैन साहब के, जो बुनियादी तरीके पर ठीक बातें हैं उन पर सरकार हमेशा डटी रहती है। जो वायदा भूमिधरों से किया गया है उनको सरकार बखुबी पूरा करेगी और हर तरह से पूरा करने को वह तैयार है। सरकार को इस में कोई परेशानी नहीं हो सकती।

जहां तक हमारे रोशन जमां खां साहब के संशोधन का ताल्लुक है मैं उसका विरोध करता हूँ। शुरू में ही मैंने विरोध करने की बात इसलिये कह दी ताके हमारे मित्रों को इत्मीनान हो जाय और उनके दिल की परेशानी दूर हो जाय। मैं अपने मित्र रोशन जमां साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि यह ट्रानजीशन पीरियड (संक्रमण काल) है और मैं इससे भी इत्तफाक करता हूँ कि हमारे देश में बहुत सी इकोनामिक (आर्थिक) तब्दीलियां होंगी और होनी चाहिये, लेकिन मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि ट्रानजीशन पीरियड २० साल के लिये मुल्तवी कर दिया जाय। अगर हमारे मित्र यह कहते कि इस एक्ट के लागू होते ही बन्दोबस्त किया जाय तो मेरी समझ में बात आती। क्योंकि ट्रानजीशन पीरियड २० वर्ष तक चले और बाद को बंदोबस्त हो तो आप का मक़सद पूरा नहीं होता लिहाजा अगर बंदोबस्त न किया जाये तब तो आपके नुक्ते-खयाल से जो बात आप कहते हैं ठीक मालूम होती है बल्कि हम तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी बंदोबस्त करने से खराबी होती है। तजुर्बे ने यह बतलाया है और अगर मेरी याददाश्त काम करती है तो पहले ३० वर्ष की मियाद थी उसके बाद ४० वर्ष की मियाद रखी गई क्योंकि जल्दी बंदोबस्त होने में इनसिक्योरिटी (अनिश्चितता) रहती है। जिनके नतायज और असरात खेती बाड़ी पर बुरे पड़ते हैं। उसी तजुर्बे को लेकर उस जमाने की सरकार ने ३० से ४० वर्ष की मियाद बढ़ाई। इस जमाने में इनसिक्योरिटी का खौफ जाता रहता है।

हमारे लायक दोस्त ने एक बात कही कि अब विदेशी सरकार के क़वानीन की नकल करना इस सरकार के लिये जेबां नहीं है। इन क़वानीन को रद्दी खाते में फेंक देना चाहिये और नये कवानीन अजसरे नौ बनाकर उन पर अमल करना चाहिये। इस दानिशमंदी के मैं खिलाफ हूँ। अगर किसी में कोई अच्छी बात हो तो उसको न अपनाने में बुद्धिमानी नहीं है। कोई कहता तो बात दूसरी थी लेकिन हमारे रोशन जमां खां साहब कहते हैं जो कि खुद अंग्रेजों के बनाये हुये कानून से फायदा उठाकर मेम्बरी कर रहे हैं

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

वह उनके बनाये हुये १९३५ ई० के कांस्टीट्यूशन (संविधान) की रू से मेम्बरी से बाज आये और जब नये विधान में इलेक्शन (चुनाव) हो तो तशरीफ लायें तो ऐसी बहस और आरगूमेंट युक्ति पेश करने के मुस्तहक़ हो सकते हैं। मैं उस बात को दुहराना नहीं चाहता हूं जो कि हमारे नवाब ऐज़ाज़ रसूल खां साहब ने फरमाई है। हम उस क़ानून की नक़ल कर रहे हैं जो हमारे देश में लगाये गये थे और उनमें तब्दीली और तरमीम की गई हैं लेकिन हमारे दोस्त उन क़ानूनों की ताईद कर रहे हैं जो हामरे देश में कभी नहीं रहे और आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ रूस के क़वानीन की नक़ल करना चाहते हैं हालांकि वह यहां लागू नहीं हुये और न देश में उनका कोई तजुर्बा है। आया इन वाकयात को देखते हुये वह क़ानून हमारे यहां मुफीद साबित होंगे या नहीं। इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको तो उस रंग में अपनी पोशाक रगनी है। लिहाज़ा उसको रगना चाहते हैं और इस सरकार पर और यहां के लोगों पर इल्ज़ाम आयद करना चाहते हैं कि यह विदेशी सरकार की नक़ल करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जो बात अच्छी है उसको अपनाने में अक्ल दी है न कि बेवकूफी है। लिहाज़ा मैं ४० साल कि मियाद को हटा कर २० साल की मियाद नहीं करना चाहता हूँ एक पहलू और है कि हम काश्तकारों और भूमिधर की मालगुज़ारी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं हम ४० साल के अन्दर बंदोबस्त करना चाहते हैं ताकि ४० साल तक वही मालगुज़ारी बनी रहे। में यह भी कहना चाहता हूं कि बंदोबस्त के माने यह नहीं है कि मालगुज़ारी बढ़ाई जाये। बहुत सी जगह कम होती है, बहुत सी जगह उतनी ही रहती है और बहुत सी जगह मालगुज़ारी में इज़ाफा भी होता है। लिहाज़ा हम चाहते हैं, यानी सरकार चहती है कि काश्तकारों और भूमिधरों की मालगुज़ारी में ४० वर्ष तक कोई इज़ाफा न हो सके। अगर हमारे मित्र चाहते हैं कि बन्दोबस्त बजाय ४० साल के २० वर्ष में हो तो मुझे अफ़सोस है कि में उनकी इस बात से इत्तिफ़ाक नहीं करता। यह भले ही हो कि मेरी बात उनको नापसन्द खातिर हो लेकिन मैं इसको उसूलन गलत और जनहित के खिलाफ समझता हूं और काश्तकारों और भूमिधरों के खिलाफ समझता हूँ जिनकी नुमाइंदगी सरकार कर रही है, जिनके लिये हम इंतज़ामात कर रहे हैं। लिहाज़ा में इन शब्दों के साथ इस तरमीम की मुखालफत करता हूं।

श्री गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को अभी हमारे मित्र श्री रोशन जमां खां साहब ने उपस्थित किया है मैं उसके विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संशोधन के द्वारा आप चाहते हैं कि सेटिलमेंट (बन्दोबस्त) में जो तजवीज़ ४० वर्ष की इस कानून में रखी गई है उसके बजाय २० वर्ष की मियाद कर दी जाये। ऐज़ाज़ रसूल साहब ने अभी तक़रीर की और उन्ह ने जो कुछ भी आरगूमेंट्स (युक्तियां) दिये उनकी रोशन जमां साहब

ने तरदीद अपने भाषण में की मैं समझता हूँ और मुझे खुशी यह है और इत्तिफाक की बात यह है कि एक ऐसा मौका आया कि सरकार और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों की राय इस संशोधन में एक ही मालूम होती है। मैं संशोधन की मुखालिफत इसलिये करना चाहता हूं कि जैसी कि आपने दलील दी कि विदेशी तरीके यह गवर्नमेंट अपना रही है और विदेशी तरीकों पर उनके उसूलों पर और उनके आधारों पर ही यह काम करती है और कानून बनाये हैं। जैसा कि हमारे मित्र ऐजाज रसूल साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में तो यह हो सकता था कि विदेशी उसूलों को न अपनाते हों, लेकिन समाजवादी पार्टी जिन उसूलों पर आपने क़ायम की है। मै समझता हूं कि सोलहो आने आपने विदेशी तरीके को अपनाया है और शायद एक फीसदी भी न होगा जिसमें आपने हिन्दुस्तानी तरीके का खयाल रखा होगा। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। हमारे यहां देश की जो प्रथा है वह रहनी चाहिये। ४० वर्ष के बजाय २० वर्ष की मियाद कर दी जाये तो जो जमीन जोतता है उसकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ हमारे खर्चे बढ़ जायेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है जो मियाद ४० वर्ष की रखी है मुमकिन है इसलिये रखी हो कि कलेक्शन (वसूलयाबी) में मदद मिले। लेकिन उसूली बात यह है कि जितनी ज्यादा आप सिक्योरिटी काश्तकारों को देंगे उतना ही उनका फायदा होगा और उतना ही वह इम्प्रूवमेंट (सुधार) कर सकेंगे। इस समय हमारे माल मंत्री ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हम विदेशी बात न लें और हम अपनी बात करते रहें। मै तो उनको सलाह दूंगा कि जमींदारी सिस्टम हिन्दुस्तान की प्राचीन प्रथा थी और विदेशी हुकूमत के जमाने में भी यह रखी गई इसलिये अच्छी ही होगी इसलिये आप इस सलाह को मान लें और इस सिस्टम को कायम रखें और अगर कोई ऐसी बात हो तो उसमें तब्दीली कर सकते हैं। आप इसमें इम्प्रूवमेंट करें। अंग्रेजों ने इसको रखा तो इसलिये इससे कुछ न कुछ फायदा होगा। अगर इसमें खराबी की कोई चीज है जिसे सरकार पसन्द नहीं करती है तो उसको आप रिमूव (दूर) कर सकते हैं। इसमें अन्देशा है, इसको भी आपको नजर कर लेना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि आपने जब यह मान लिया है कि विदेशी हुकूमत की कोई बात अच्छी है तो वह रह सकती है। इसलिये मै आपको एडवाइस करूंगा (सलाह दूंगा) कि आप इस सिस्टम को कायम रखें। जहां तक इसका ताल्लुक है ४० वर्ष का वह मुनासिब है। अगर २० साल कर दी जाये तो नतीजा यह होगा कि इन्सिक्योरिटी हो जायेगी और इम्प्रूवमेंट सफर करेगा (हर्ज होगा)। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र रोशन जमा खां साहब ने पेश किया है उसकी मैं मुखालिफत करना चाहता हूं।

[श्री राधामोहन सिंह]

मेरी समझ में जो बहस इस संशोधन पर चल रही है वह गलतफहमी पर चल रही है। प्रश्न यह है कि बन्दोबस्त का समय २० वर्ष रहे या ४० वर्ष। लेकिन धारा २३९ जिसको कि हम स्वीकार कर चुके हैं अगर उसको देखें तो मालूम होता है कि इस समय इस विधान के स्वीकार होने के बाद ४० वर्ष तक मालगुजारी में तरमीम नहीं हो सकती है और ४० वर्ष के बाद जो बन्दोबस्त होगा वह ४० वर्ष तक लागू होगा। यानी मतलब यह है कि १९५० के बाद ८० वर्ष तक सेटिलमेंट (बन्दोबस्त) चलेगा, यानी २०३० में खत्म होगा। २४० धारा में इसकी व्यवस्था की गई है। हमारे मित्र रोशन जमां खां साहब का जो संशोधन है वह २४० धारा में है। उनका संशोधन अगर स्वीकार भी कर लिया जाये तो उसका मतलब यह होगा कि २०३० में जो बन्दोबस्त होगा वह २० व ° तक लागू होगा या ४० वर्ष तक यह भवन के सामने प्रश्न है। हम लोग जैसा कि आपने बतलाया ऐसे जमाने में चल रहे हैं जिसका पता नहीं कि २. वर्ष में क्या हो जाये। ऐसी सूरत में ८० वर्ष की बात सोचना व्यर्थ सी बात है।

दूसरी बात यह है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि बन्दोबस्त २० वर्ष का होना चाहिये। बन्दोबस्त जब होता है तो वह पोलिटिकल (राजनीतिक) पहलू पर नहीं होता है बल्कि एकोनोमिक पहलू पर होता है। पोलिटिकल (राजनीतिक) जो चेन्जेज (परिवर्तन) होते हैं, जो उथल पुथल होती हैं, उनका समय निर्धारित नहीं होता। पता नहीं क्या था और क्या हो जाये। जिस बन्दोबस्त के विषय में आज बहस हो रही है वह एकोनामिक (आर्थिक) आधार पर हो सकता है और एकोनामिक हालत जो अवस्था है वे २० वर्ष के अन्दर स्थिर नहीं हो सकती। इसलिये ४० वर्ष का रीजनेबिल पीरियड (उचित काल) है। जिस के अन्दर आर्थिक अवस्थायें जो तब्दील हों उनको हम ठीक तरह से समझ सकते हैं और उसके ऊपर हम आगे के बन्दोबस्त को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर २० वर्ष के अन्दर करते हैं तो समझ लीजिए कि बन्दोबस्त का बहुत बड़ा प्रोसीजर (रीति) है। इसमें बहुत समय लगता है, काफी खर्चा पड़ता है। कोई बन्दोबस्त ऐसा नहीं है जो १ वर्ष के पहले पूरा हो सके। जब १ वर्ष किसी बन्दोबस्त के करने में लग जांय और २. वर्ष की उसकी लाइफ (जीवन) रक्खी जाए तो इतना खर्चा और एनर्जी (शक्ति) बरबाद करना यह किसी स्टेज (स्थिति) के लिए उचित और संभव मालूम नहीं होता। मैं समझता हूं कि ४० वर्ष से कम समय का कोई बन्दोबस्त उचित नहीं कहा जा सकता। रही बात उथल पुथल की। इसे कोई नहीं जानता। हो सकता है समाजवादी सरकार या कम्युनिस्ट (साम्यवादी) सरकार आ जाय। फिर वह क्या करेगी यह कोई नहीं जानता। और न उन अवस्थाओं के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। कानून यह आज की एकोनोमिक हालतों को देखते हुए बनाया जा रहा है। एकोनोमिक तब्दीलियां अगर कोई बाद में होंगी और फिर बन्दोबस्त में कोई तब्दीली करने

की जरूरत पड़ेगी और जो मौजूदा अवस्था बन्दोबस्त में है उससे काश्त में खर्चा ज्यादा होता है और जो तब्दीलियां हो गयी हैं उनको देखते हुए जो मौजूदा बन्दोबस्त है वह काम नहीं कर सकता, तब सरकार विचार करेगी कि उस बन्दोबस्त में ऐसी तब्दीलियां की जाएं ताकि जो उस समय की व्यवस्था हो उसके अनुकूल वह हो। यह संशोधन हमारे मित्र ने जल्दी में पेश किया है। इसमें ८० वर्ष के बाद तब्दीली की जाए या ४० वर्ष के बाद तब्दीली की जाए इसके लिए मैं समय बरबाद करना उचित नहीं समझता, लेकिन साथ ही निर्णय करना है कि ४० वर्ष का जो पीरियड (काल) है, जो इस धारा में पहले से प्रोवाइड किया (रखा) गया है मैं समझता हूं वह उचित है और स्थितियों की स्थिरता देखने के लिए ४० वर्ष से कम समय देना मेरी समझ में किसी तरह से ठीक नहीं होगा। लिहाजा मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और धारा जिस प्रकार है मैं आशा करता हूं सदन उसे स्वीकार करेगा।

श्री साजिद हुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सोशलिस्ट भाई कोई न कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसके लिए भवन से ऐसा जवाब आ जाता है जिससे वह खामोश हो जाते हैं। वाकया यह है कि इस सदन में वह एक उसूल ऐसा लाए थे जिसको शायद माननीय सदस्य एप्रिशियेट (प्रशंसा) नहीं करते। वह गालिबन उसूल यह था कि ४० साल की मियाद जो है वह अंग्रेजी है उसको २० साल कर दिया जाए तो वह हिन्दुस्तानी हो जाएगी। बन्दोबस्त अगर ४० साल का है तो वह अंग्रेजी है लेकिन अगर २० साल का हो जाता है तो ठेठ हिन्दुस्तानी बन जाता है, वर्ना शायद वह ऐसा सुझाव यहां पेश न करते। अगर यह कहते कि बन्दोबस्त या तो मुस्तकिल हो या बिलकुल न हो, लेकिन बन्दोबस्त के उसूल को तसलीम करके उन्होंने सिर्फ सवाल यह पैदा किया कि बजाय ४० साल के २० साल का हो। गोया कि २० साल उनकी नजर में कोई मुत्तफर्रिक नम्बर है जो उन्होंने रखा। ५ साल, १० साल, १८ साल न रख कर ठीक २० साल रखा। अगर ४० रखा गया तो वह विलायती हो जाएगा। हालांकि जहां तक मुझे मालूम है इंग्लिस्तान में बन्दोबस्त नहीं होता। जैसा हिन्दुस्तान में जमींदारी के लगान के लिए बन्दोबस्त होता है वैसा वहां नहीं होता। लेकिन अगर हिन्दुस्तान में आकर अंग्रेजों ने ४० साल का बन्दोबस्त किया था तो उसका अगर निस्फ कर दिया जाय तो वह हिन्दुस्तानी बन सकता है। लिहाजा उनकी थियोरी (सिद्धांत) ऐसी है कि किसी फिगर (अंक) का आधा कर दिया जाय तो वह फिगर अंग्रेजी से हिन्दुस्तानी हो जाती है। मेरे ख्याल में उनका यह कैलकुलेशन (हिसाब) है कि अगर इस भवन के २२८ मेम्बर हैं तो दुगुना कर देने से हम लोग अंग्रेज हो जायेंगे। इस किस्म की बात इस भवन में कहना मेरे ख्याल में हम लोगों की इंटेलीजेंस (बुद्धि) की इन्सल्ट (अपमान)

[श्री साजिद हुसैन]

करना है। यह कोई डिक्टेटरशिप (तानाशाही) तो है नहीं कि इतना नहीं इतना हो जाय। इसके मानी क्या हैं, इसकी वजह क्या है कि इस मियाद के बदले यह मियाद रखी जाय। अगर आपकी डिक्टेटरशिप होती, माननीय सदस्य अगर रूलर (शासक) होते और हुक्म दे देते तब मैं समझ लेता कि यह मियाद नहीं यह मियाद हो जाय। लेकिन जब हम डेमोक्रैटिक (प्रजातन्त्रात्मक) तरीके से चल रहे हैं, डेमोक्रैटिक उसूलों पर चल रहे हैं, लेजिस्लेशन के जरिये से काम करते हैं, तो उनको लाजिम है कि वे दलीलें दें कि ऐसा क्यों होना चाहिए। महज यह कह देना कि फलां साहब ने ऐसा किया है इसलिए होना चाहिए, यह ठीक नहीं। अगर आपको उस कौम से नफ़रत है तो आप इस पूरी फ़ेहरिस्त की मुख़ालिफ़त क्यों नहीं करते मगर यह क्या कि उसमें आप अमेंडमेंट पेश करें और प्रिंसिपिल (सिद्धांत) को एक्सेप्ट (स्वीकार) करें यह कहां का उसूल है? अगर आप देखें तो हिन्दुस्तान की आबादी वहां से ६–७ गुनी होगी। आपकी यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने किस रीजनिंग (तर्क) से ४० का २० कर दिया। आप तो बिल्कुल उन उसूलों को लाना चाहते हैं जो बिल्कुल बेउसूलों की तरफ ले जाना चाहते हैं।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भवन के सामने श्री रोशन जमा खां ने पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस रिजोल्यूशन पर, जैसा कि गुरुनारायण जी ने फरमाया कि कांग्रेस और डेमोक्रैटिक पार्टी दोनों इस मौके पर इस रिजोल्यूशन के साथ हैं। सोशलिस्ट पार्टी की ओर से २० वर्ष का सवाल उठाया गया है जिस पर अंग्रेजी गवर्नमेंट का हवाला भी दिया गया है। एक बात यह भी है कि २० बरस और २० का अंक उनकी जबान पर बहुत जल्द जल्द आया करता है। वह एक सपना देख रहे थे कि अगर उनका अधिकार होगा और उनकी सरकार होगी तो वे अपने सूबे के या तमाम हिन्दुस्तान के किसानों को कम से कम २० बीघे जमीन का मालिक बनायेंगे। उन्होंने समझा कि हमारा सपना कभी न कभी पूरा होगा। इसलिये उन्होंने ४० साल की जगह २० साल का ही वक्त रखा कि २० साल के बाद किसानों का नया बन्दोबस्त हुआ करेगा। यों तो कहने के लिये वे किसानों का सबसे ज्यादा हमदर्द अपने को समझते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर दरअसल देखा जाय तो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन वे स्वयं हैं। लगान का बन्दोबस्त गल्ले की पैदावार और गल्ले के भाव पर निर्भर करता है। जो दुनिया की हालत है उसको समझना जरा मुश्किल बात है और मैं यह कहने का दावा करता हूं कि जिनको सोशलिस्ट या समाजवादी कहते हैं वे भविष्य की बातों को रत्ती भर भी सोचने की ताकत नहीं रखते हैं। जब हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ था और हमारे विश्वबन्धु महात्मा गांधी जी

कभी कभी जो कहा करते थे कि यहां से अंग्रेजी राज्य बहुत जल्द खत्म हो जायगा तो ये लोग बिल्कुल उसके उल्टा फरमाते थे। लेकिन बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तब इन लोगों को बड़ी बुरी तरह झेंप हुई। और दुनिया ने देखा कि समाजवादी कहलाने वाले लोग भविष्य का कोई भी ज्ञान नहीं रखते। आगे क्या होगा इसका कुछ भी ख्याल उन्हें नहीं रहता। किसानों की हमदर्दी उनके नस नस में भरी हुई है जैसा कि ये जाहिर करते हैं। लेकिन लगान का बन्दोबस्त २० वर्ष पर चाहते हैं। मगर हमारा यह ख्याल है और हमारी सरकार तो यह चाहती है कि किसानों का लगान न बढ़ाया जाय और कई मौकों पर हमारे माल मन्त्री जी ने और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह एलान किया है कि हम ४० साल के बाद लगान का बन्दोबस्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि लगान घटावें, बढ़ावें नहीं। हमारी सरकार लगान घटाने के पक्ष में है। हम कोई भी तरीका अख्तियार करेंगे तो यह सोच लेंगे कि लगान घटाया जाय, बढ़ाया नहीं जाय। लेकिन आप यह नहीं चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि किसानों का लगान बढ़ाया जाय। अब आप संकोच में पड़े हैं। हरएक आदमी जानता है कि गल्ले का भाव जिस पर लगान का बढ़ना और घटना मबनी है, तेज होगा। हालांकि हम तो चाहते हैं कि गल्ले का भाव सस्ता हो लेकिन हमारे चाहने से कोई बात होती नहीं। आगे क्या होने वाला है उसका लक्षण तो अभी से दिखाई देता है। अभी थोड़े दिन हुये एक संसार-व्यापी युद्ध हुआ और हमने यह समझा कि यह आखिरी संग्राम है लेकिन अब हमने समझा और यह मालूम हो रहा है कि जल्द से जल्द एक दूसरा युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। यह लड़ाई शुरू होगी और जरूर शुरू होगी, हिन्दुस्तान में रहने वाला और संसार का रहने वाला आज यह समझता है कि अगर लड़ाई होगी तो क्या गल्ले का भाव सस्ता होगा? हर एक आदमी चाहता है कि गल्ले का भाव सस्ता हो लेकिन कोई दूर अंदेश और भविष्य को जानने वाले का अनुमान यह कैसे हो सकता है कि गल्ले का भाव सस्ता होगा। हर एक आदमी इस बात को महसूस करता है कि गल्ले का भाव चढ़ेगा। हमारे समाजवादी भाई भी समझते हैं, लेकिन चूंकि उनको जाहिरी किसानों से हमदर्दी है और वास्तव में तो किसानों की हमदर्दी उनको रत्ती भर नहीं है इसलिये आप चाहते हैं कि २० साल बाद ही नया बन्दोबस्त हो ताकि लगान की दर को बढ़ा दिया जाय। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसानों का लगान बढ़ा दिया जाय। इसलिये हमने ४० वर्ष रखा है और फिर उस के बाद ४० वर्ष रखा है और उस के बाद फिर ४० वर्ष रखा है। तो यह ४० वर्ष का समय जो रखा गया है ब्रह्मा के दिन की तरह है। हमारे यहां जो मुक्ति के सम्बन्ध कहा जाता है कि वह सदा के लिये हो जाती है लेकिन बात वैसी नहीं है उसकी भी अवधि है जब उसकी मियाद पूरी हो जाती है लाखों और करोड़ों वर्ष की भी तब उसके बाद फिर यहां आना पड़ता है। जो ज्यादा मियाद होती है वह एक तरह से हमेशा

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

के लिये समझी जाती है और जो थोड़ी मियाद होती है उस में बे इत्मीनानी रहती है और नीयत भी खराब होती है। मैं तो अपने समाजवादी भाइयों को अगाह करना चाहता हूं कि वह इस तरह की बातें न करें कि जिनसे किसानों का कोई फायदा न हो बल्कि नुकसान ही नुकसान हो। इस वास्ते मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस लेलें इसमें कोई झेंप की बात नहीं है। अपनी गलती को तसलीम करने वाला बड़ा मरदाना होता है। अगर महात्मा गान्धी से भूल हो गई थी तो वह सबसे पहले खड़े होकर यह एलान करते थे कि उन से भूल हो गई अपने प्रस्ताव को वापस न लेना कोई अच्छाई की बात नहीं है। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रस्ताव को वापस लेंले। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इसके नीचे एक और प्रस्ताव है कि यह २४० निकाल दी जाय। इसके बारे में मैं समझता हूं कि गुप्तनारायण जी इसका समर्थन करेंगे और उनके साथ बैठने वाले तो उनका समर्थन करते ही हैं।

श्री सुल्तान आलम खां— जो तरमीम अभी हमारे भाई रोशन जमां साहब ने पेश की है मुझे अफसोस है कि मैं उसकी ताईद नहीं कर सकता। मैं यह तो नहीं कह सकता कि उन्होंने जो तरमीम पेश की है वह किसी गलती की बिना पर पेश की है लेकिन कोई बुरा नोटिंग देने के लिये तो तैयार नहीं हूं बल्कि इतना जरूर महसूस करता हूं कि इस तरमीम को देते वक्त इस मसले पर गौर नहीं किया। जितनी गौर की जरूरत थी उतना गौर नहीं किया गया। मैं नहीं कह सकता की इस मामले में सोशलिस्ट पार्टी का नुक्तेनिगाह इस मामले में क्या है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं यह उसूल का मामला नहीं है यह तफसील का मामला है और जिसके मुताल्लिक शायद सोशलिस्ट पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अभी रोशन जमां खां साहब ने अपनी तरमीम के जरिए से अपनी राय ऐवान के सामने रखी। जहां तक बन्दोबस्त का ताल्लुक है इस दफा में यह रखा गया है कि वह ४० साल के बाद हुआ करे। हमें मालूम है कि अब तक बन्दोबस्त हर ३० साल बाद ही होता रहा है। यह तजवीज रखी गई है कि बन्दोबस्त हर २० साल बाद हुआ करे बजाय इस के कि ४० साल के बाद हो। हमारे सामने ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिस से यह अन्दाजा हो जाय कि २० साल के बाद बन्दोबस्त करने से क्या फायदा होगा। हम सब यह जानते हैं कि बन्दोबस्त बहुत ही कीमती आपरेशन्स (कार्य) है और उनके अन्जाम देने में हजारों और लाखों रुपया खर्च होता है और तमाम अमला रखना पड़ता है और हुकूमत की काफी तवज्जह उस पर सर्फ होती है तब कहीं वह मुकम्मिल हो पाते हैं। इस के अलावा अगर गौर से देखा जाय तो मालूम होगा कि हर बन्दोबस्त में मालगुजारी बढ़ाई जाती है और यह चीज करीनेकयास भी है। चूंकि हर काश्तकार से यह तवक्को की जाती है कि वह आइन्दा ४० साल में खेती बाड़ी की तरक्की करेगा और अच्छे बीज और दूसरे आबपाशी वगैरा के जराए फराहम करेगा और अपनी पैदावार के

बढ़ाने और तरक्की के जो इमकानात हो सकते हैं उनको अन्जाम देगा। और इस तरमीम का लाजमी नतीजा यह होगा कि हर आइन्दा होने वाले बन्दोबस्त में मालगुजारी बढ़ती जायगी। हो सकता है कि कोई खेत ऐसे भी हैं जिन पर किन्हीं खास असबाब की बिना पर मालगुजारी कम की जाय लेकिन ज्यादातर ऐसे ही खेत निकलेंगे कि जिन पर बन्दोबस्त के बाद मालगुजारी बढ़ती है। तो हमें देखना यह है कि इस से काश्तकारों को क्या नफा या नुकसान हो सकता है। एक बात और काबिले गौर है और वह यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि आइन्दा जिन लोगों से इस का ताल्लुक होगा, यह चीज हमें न भूलना चाहिए कि अब बन्दोबस्त का ताल्लुक जमींदारों और सरकार के बीच न होगा बल्कि वह सरकार और काश्तकारों के बीच होगा, चाहे वह भूमिधर हों, सीरदार हों, असामी हों या अधिवासी हों कोई भी क्यों न हों। काश्तकारों और सरकार के दरम्यान में ही मालगुजारी मोवेश होकर कायम होगी और यह चीज एप्लाई (लागू) नहीं करती कि अबतक जो तरीका रायज था वही कायम रहेगा अब ताल्लुक काश्तकार और जमींदार का न होगा बल्कि काश्तकार और सरकार का ही होगा। जहां तक काश्तकार के मफाद का ताल्लुक है, चाहे कोई भी पार्टी सोशलिस्ट, कांग्रेस या कोई भी हो सब बात को मानते हैं कि काश्तकार के मफाद का लिहाज करना चाहिए क्योंकि वह पिछले जमाने में बहुत ही दबे हुए और मिटे हुये रहे हैं और उनको उठाने की कोशिश करना चाहिये। जब इस तरह की बात पर गौर किया जाय तो यह समझ में नहीं आता कि किस तरह से बन्दोबस्त जल्द करने की बात में काश्तकारों का फायदा हो सकता है। कहा जाता है कि जो मुसीबतजदा रहा है उसको तरक्की करने का मौका देना चाहिए और क्या वजह है कि उस को अपनी कोशिश के फल को एन्ज्वाय (उपभोग) करने का मौका न दिया जाय। ४० साल की मियाद ऐसी है कि जो सैकड़ों बरस से चली आ रही है और उसी पर अमलदरामद अब भी किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि २० साल की जो तजवीज की गई है उस के हक में क्या दलील पेश की गई है और क्या वजह है कि आरबिट्रेरीली (आज्ञप्त रूप से) २० साल ही की मुद्दत क्यों रखी गई है, यह दस साल भी हो सकती है, ५ साल भी हो सकती है और ८० साल भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि जो तरीका अब तक रायज है उस में अभी तक कोई दिक्कत या दुश्वारी तो महसूस नहीं हुई इसलिये उसी को कायम रखना ज्यादा मुनासिब है। और फिर उसमें सरासर काश्तकारों का नफा है क्योंकि हर बन्दोबस्त में कुछ मालगुजारी बढ़ेगी। जितनी आराजी में काश्तकार अपनी मेहनत और कोशिश से तरक्की करता है उसका वह नफा हासिल करता है। एक बात यह हो सकती है कि बाज वक्त इस किस्म के असबाब पैदा हों कि किसी जगह मालगुजारी को फौरी तौर पर कम व बेश करना पड़े, तो उसके लिये मैं यह देखता हूं कि इस बिल के अन्दर दफा २८८ और २५० (सी) मौजूद हैं जिनके जरिये आरजी तौर

[श्री सुल्तान आलम खां]

पर मालगुजारी कम व बेश हो सकती है। मसलन किसी कैलेमिटी (संकट) की वजह से कोई दुशवारी हो जाय और फसल खराब हो जाय, तो दफा २४८ के मातहत मौजूदा मालगुजारी घटाई जा सकती है। इसी तरह अगर गल्ला और कमोडिटीज (चीजों) की कीमत में कमी व बेशी हो और उसके सिलसिले में मालगुजारी को कम व बेश करने की जरूरत हो तो २५० (सी) में ऐसा प्राविजन (निदेश) मौजूद है जिसके मातहत वक्ती तौर पर मालगुजारी में कमी व बेशी की जा सकती है। जब यह चीज हमारे पास मौजूद है कि जब हमारे सामने ऐसी दुश्वारी पेश आये कि जिसमें मालगुजारी को कम व बेश करने की जरूरत हो तो वह हम कर सकते हैं, ऐसी सूरत में यह सवाल अपनी जगह पर और भी नहीं पैदा होता कि जो प्राविजन मुस्तकिल बन्दोबस्त का ४० साल के बाद करने का है उसको बदल करके बीस साल कर दिया जाय। इस प्रावीजन को अपनी जगह कायम रहना चाहिये क्योंकि इससे काश्तकारों को फायदा है और इससे गवर्नमेंट के अखराजात में भी कमी होगी। मैंने जहांतक इस मसले पर गौर किया मेरी समझ में नहीं आया कि वाकई यह तरमीम किस वजह से पेश की गई है। शायद अपनी दूसरी तकरीर में मोहरिक साहब कुछ और इस पर रोशनी डाल सकें लेकिन मेरे खयाल में यह तरमीम कोई उसूली हैसियत नहीं रखती है बल्कि यह तरमीम एक खयाली तरमीम है, एक आरबिट्रेरी किस्म की तरमीम है एक शख्स के दिमाग में एक बात आई और उसने उसे पेश कर दिया। अगर ऐसा है तो मैं मोहरिक साहब से यह तजवीज करूंगा कि वह इस तरमीम को वापस ले लें। इन अल्फाज के साथ मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूँ।

श्री रोशन जमां खां—जनाब वाला, मैं ऐवान के मेम्बरान का मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी तरमीम पर अपने खयालात का इजहार किया। मैं उन बातों या उन सख्त लफ्जों का जवाब तो देना नहीं चाहता जो मुअज्जिज मेम्बरान ने इस सिलसिले में फरमाये, लेकिन एक गलतफहमी मैं जरूर दूर कर देना चाहता हूं और वह यह है कि मैंने अपनी इब्तिदाई तकरीर में यह नहीं कहा था कि चूंकि यह तरीका अंग्रेजों का है लिहाजा गलत है। मैंने साफ यह कह दिया था कि चूंकि अंग्रेजों के नुक्तेनिगाह यहां के बन्दोबस्त के बारे में बल्कि कुल तरीके इन्तजाम के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो हमारे यहां आइन्दा होने वाला है या इस वक्त है और वह चीज हमारी कसौटी पर पूरी नहीं उतरती है इस लिये हम इसे लेने के लिये तैयार नहीं हैं। कुछ लायक मेम्बर साहबान ने मेरी तकरीर का यह नतीजा निकाल कर कि अंग्रेजों का तरीका है लिहाजा मैंने गलत ठहराया, एक बड़ा भारी महल खड़ा कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी का मामला था इसलिये एक बड़ा भारी महल खड़ा कर दिया गया गोकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं हरगिज इस कदर तंग नजर नहीं हूं कि किसी चीज को इस

लिये बुरा कह दूं कि उसका ताल्लुक अंग्रेजों से है, बल्कि मैंने यह बतलाया था कि उनके नुक्ते ख्याल में फर्क है इसलिए मैं उनके बनाये हुए इस तरीके को कुबूल नहीं कर सकता क्योंकि इससे नुक्सान होगा। सबसे बड़ी दलील जो मेरी तक़रीर के जवाब में पेश की गई वह यह है कि अगर जल्दी बन्दोबस्त करा दिया जायगा तो उससे नुक्सान होगा क्योंकि लगान में इजाफा होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि वही अंग्रेजों के ढपली और ताल की आवाज़ क्यों सुनाई देती है? बन्दोबस्त के माने कहां से आपने यह निकाल लिये कि लगान के इज़ाफा के लिये बन्दोबस्त किया जाता है। मैं यह कहता हूं कि हमारी नुक्ते निगाह यह है कि मौजूदा समाज की बुनियादों को बदल करके एक नया समाज बनायें और यह ज़ाहिर है कि अगर आप नया समाज बनाना चाहते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उन बुनियादों को बदलना होगा। अब ४० साल तक आप इंतजार करें। मैं तो कहता हूँ कि २० साल के बाद जायज़ा लेते रहिये और जितनी जरूरत हो उसके लिहाज से तब्दीली करते रहिये। उससे आपने यह मतलब निकाल लिया कि अंग्रेजों के ज़माने से चूंकि लैंड रेवेन्यु एक्ट अमेंड (संशोधित) नहीं किया गया, लिहाज़ा बन्दोबस्त करना ज़रूरी है। अगर इस लिहाज से आपको बन्दोबस्त करना है तो ४० साल के बाद कीजिये या २०० साल के बाद कीजिए, लेकिन मेरा मतलब तो यह है कि हमें यह देखना है कि हमारे राज्य में क्या हालात पेश आये और उनके बमूजिब हमें क्या तब्दीलियां करनी हैं जिससे हमारे सूबे के लोग आराम से ज़िन्दगी बसर कर सकें। एक सवाल यह उठाया गया कि २० साल की ही मुद्दत क्यों रखी गयी? क्या मैं जवाब में पूछ सकता हूं कि ४० साल की मुद्दत क्यों रखी गयी? जैसे आपने यह समझा कि ४० साल तक यह चलना चाहिये, उसी तरह से मैं कहता हूं कि आप जल्दी करें और उस जल्द मुद्दत को मैंने २० साल रखा। आप चाहें उसे १८ साल, १९ साल कर लीजिये, उसमें कोई बड़ी भारी साइंस नहीं है, लेकिन ४० साल की मुद्दत बहुत ज्यादा है और २० साल की मुद्दत उससे करीब है और जल्द से जल्द आप हालात का जायजा करते रहिये, ताकि तरमीमें और तब्दीलियां करने का मौका मिलता रहे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि आप एक बहुत बड़ा नुक्सान हमारे राज्य को पहुंचायेंगे। हमारे माल मन्त्री ने कहा कि अगर यह कहते कि बन्दोबस्त इसके बाद हो तो मेरी समझ में कुछ आ सकता था, यह २० साल की बात क्यों की गयी। लेकिन जनाबवाला, मैं निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस ऐवान के कायदे के बमूजिब यहां काम होता है। सोशलिस्ट पार्टी ने जनरल डिस्कशन (साधारण वाद विवाद) में अपने इस नज़रिये को साफ तौर से कह दिया है कि जिस वक्त यह ज़मींदारी अबालीशन बिल पास हो जाय तो जल्द से जल्द हमको बन्दोबस्त करना है और एक बन्दोबस्त जल्द से जल्द करना चा

[श्री रोशन जमां खां]

और फिर २० साल के बाद बन्दोबस्त हुआ करे । यह इस तरमीम का मतलब है । इन अल्फाज़ के साथ मैं यह समझता हूं कि हमारी तरमीम को यह ऐवान मंजूर फरमायेगा ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २४० के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा २४० रखी जाय—

"२४०—आरम्भिक बन्दोबस्त से प्रति बीस वर्ष पर राज्य सरकार मालगुजारी का नया बन्दोबस्त करायेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २४० की पंक्ति ४ के शब्द "इसको" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम में" रख दिये जाय तथा इसी पंक्ति में शब्द "चलकर" तथा शब्द "पुनरीक्षित" के बीच में शब्द "यह" बढ़ा दिया जाय ।

इस संशोधन से शब्द योजना सुधर जाती है, जो उम्मीद है स्वीकार कर लिया जायगा ।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन शाब्दिक है, इससे शब्दावली ठीक हो जाती है । मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २४० की पंक्ति ४ के शब्द "इसको" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम में" रख दिये जायं तथा इसी पंक्ति में शब्द "चलकर" तथा शब्द "पुनरीक्षित" के बीच में शब्द "यह" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २४० इस विधेयक का अंश मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धाराएं २४०—क, २४०—ख तथा २४०—ग

बन्दोबस्त की विज्ञप्ति

२४०—क—प्रान्तीय सरकार के यह निश्चित करने के बाद कि किसी जिले या उसके भाग का नया बन्दोबस्त प्रारम्भ किया जाय, उस आशय की विज्ञप्ति यथाशीघ्र प्रकाशित कर दी जायगी और तदुपरान्त उक्त जिला या उसका भाग तब तक बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन समझा जायगा जब तक बन्दोबस्त कार्यवाही की समाप्ति को प्रख्यापित करने वाली विज्ञप्ति प्रकाशित न हो जाय ।

एतबार है अपनी जुडीशियरी पर और इसी एतबार की वजह से हम यह चाहते हैं कि हमारी जिन्दगी का सबसे अहम मामला जिसके ऊपर जमींदार क्लास का मौत व जीस्त का सवाल है, यानी कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) हम चाहते हैं कि इसके मुताल्लक ऊपर से नीचे तक जूडीशियल आफिसर्स हों, यहां तक कि सबसे बड़ा अफसर हाई कोर्ट के जज के ओहदे का हो और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे का आदमी हो। यह हमारी ख्वाहिश कोई नई और अजीब किस्म की नहीं है। मद्रास और बिहार में जो जमींदारी अबालिशन बिल पेश हुये उनमें उन्होंने सिर्फ इसी के ऊपर इक्तफा नहीं किया है कि एक जज या एक मुन्सिफ के ऊपर तक महदूद रहे हों, बल्कि मद्रास और बहार सरकारों ने ट्रिब्यूनल (समितियां) तजवीज किये हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ज्यादा ट्रिब्यूनल तजवीज किये गये हैं। यह इतना अहम काम है कि जिसके लिये हम ट्रिब्यूनल तजवीज करते हैं। यहां हम लोग ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे मुआविजे के फैसले के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मुकर्रर कीजिये, हाईकोर्ट का जज मुकर्रर कीजिये और उसी निस्बत से सिविल आफिसर्स को मुकर्रर कीजिये। यह मांग निहायत हकबजानिब है। मैं हरगिज यह नहीं चाहता कि इस वक्त मुकाबिला करूं एक्जीक्यूटिव और जुडीशियल का। अपनी अपनी जगह पर और अपने अपने मौके के लिहाज से दोनों चीजें सही हैं, लेकन यहां पर जिस चीज की जरूरत है, जुडीशियल माइंड की जरूरत है और इन्साफ वाले दिमाग की जरूरत है जिसके ऊपर एक्जीक्यूटिव का कोई असर न पड़ सके।

आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने यह फरमाया कि ऐसी जरूरत क्या पेश आयेगी जिसके लिये आपको इतना ख्याल है। मैं समझता हूं कि अव्वल से लेकर आखिर तक अगर मजबूती के साथ जुडीशियरी ने काम नहीं किया तो मुआविजे की तशखीश में लाखों रुपयों का नुकसान पहुंच सकता है। हमें ये खतरात बिला किसी वजह के नहीं हैं। आनरेबिल मिनिस्टर ने एक बड़ी दलील यह दी है कि लैंड (भूमि) ऐक्वायर (प्राप्त) की जाती है, उसके मुआविजे का फैसला कौन करता है, वह तो एक डिप्टी कलेक्टर करता है। मुझे बड़ा हैरत आती है आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू जैसे काबिल आदमी की जानिब से यह दलील जब पेश की जाती है। कहीं दो चार बीघा जमीन फलां नहर बनाने के लिये या फलां डाकबंगला बनाने की दरकार उसको ऐक्वायर करने के लिये मुआविजा जो दिया जायगा, जो उसके लिये प्रस्क्राइब्ड कायदा है वह एक डिप्टी कलेक्टर के सुपुर्द किया जाता है। कहीं यह काम और कहीं सूबे की जितनी लैंडेड ऐसेट्स (स्थावर सम्पत्ति) हैं उन सब को हमेशा के लिए खत्म करना। इन दोनों के अन्दर कितनी एक्सानियत है वह आप सब समझ सकते हैं। यह दलील कि चूंकि लैंड एक्वायर करने के लिये जो मुआविजा तजवीज होता है वह डिप्टी कलेक्टर करता है, उसी हैसियत से जो तमाम लैंडेड प्रापर्टीज हैं उनका मुआविजा तजवीज किया जाय

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

कोई सही बात नहीं है इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लिहाजा हमारी तरफ से यह चीज कही जाती है और इस पर इसरार किया जाता है कि हम जुडीशियल आफिसर्स को चाहते हैं कि वह मुआविजा तजवीज करें। हमारी यह मांग बहुत सही है। आनरेबिल मिनिस्टर ने एक दलील यह इस हाउस के सामने पेश की कि हमारी समझ में नहीं आता कि बड़े जमींदार अपने मुआविजे के मुतालिक तो बार बार कहते हैं लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट के मुतालिक कोई उन्होंने इस किस्म की चीज नहीं कही। बाज वक्त हाफिजा धोखा दे जाता है। मालूम होता है कि आनरेबिल मिनिस्टर रफीन्यू को याद नहीं है कि हम लोग इस वक्त से मुखालिफ थे कि कोई ग्रांट रिहैबिलिटेशन के नाम से और कोई चीज इस तरह से खैरात के नाम से आप छोटे जमींदारों को ख्वाह वह कितने ही छोटे जमींदार क्यों न हों मत दें। वी डू नाट लाइक दैट (हम नहीं चाहते) कि आप ऐसा करें। हम इससे अर्ज नहीं करते कि आप छोटे जमींदारों को ज्यादा दें। बेशक दीजिये। २० गुना या २५ गुना दीजिये। लेकिन यह कहां का इन्साफ है कि कहने के लिये कहिये तो ८ गुना मुआविजा दिया और बाकी आप खैरात के नाम से दें। लेकिन खैरात की बात अपने छोटे जमींदार भाइयों के लिये हम कभी न चाहेंगे।

आप बेशक इन कुर्सियों पर बैठकर इसको कहना ज्यादा पसन्द करें कि फलाने को चेरिटी (खैरात) दे रहे हैं, उसको बरबाद करके फिर रिसेटल (पुनर्वास) करना चाहते हैं, आपके लिये यह शोभा देता है, लेकिन हमारे लिये यह कैसे मुनासिब है कि हम यह गवारा करें कि हमारे छोटे जमींदार भाइयों के लिये ऐसे लफ्ज इस्तेमाल में लाये जायें। उनकी जमीन के मुआविजे को, जिसको पाने के वह हर तरफ से मुस्तहक हैं, उसको चैरिटी कहें, यह कभी मुनासिब चीज नहीं हो सकती। हम इधर के बैठने वालों से साफ तौर से यह तय रखते हैं कि जो उसूल, जो तरीका, जो कायदा एक मर्तबा अख्तियार कर लिया उस पर निहायत सख्ती के साथ पाबन्द रहें। गवर्नमेंट को शिफ्टी (कपटी) होने में ज्यादा आसानी है, लेकिन हम लोग जिनके ऊपर गवर्नमेंट की बड़ी क्रिटिक (आलोचक निगाह रखती है), खयाल रखते हैं कि जो उसूल एक मर्तबा अपनी जानिब से पेश कर दिया उस पर कायम रहें, इसलिये हमारे लिये यह मुनासिब था कि रिहैबिलिटेशन आफिसर के लिये कोई तजवीज पेश न करें। जिस तरह से हम मुआविजे के लिये चाहते हैं कि बेहतरीन सर्वेयर का आदमी मुआविजे को तजवीज करे। उसी तरह हम छोटे और बड़े सबके लिये एक सा ख्वाहिशमन्द हैं।

आपने एक चीज यह भी फरमाई थी कि इतने जुडीशियल आफिसर कहां से मिलेंगे। आप इस कानून को लाने के जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट इस कानून को लाने की जिम्मेदार है और कानून को लाने के बाद यह कहना कि कानून तो वह

ले आई है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट (कार्यान्वित) करने के लिये इतने आफिसर कहां से आयेंगे। तो क्या इसकी ज़िम्मेदारी अपोजीशन के मेम्बरों पर है कि वे बतायें कि कैसे हम रिक्रूटमेंट (भर्ती) करेंगे और आफिसरों को पैदा कर देंगे। जब एक आदमी मकान बनवाता है तो बरसात के लिये अपनी छत दुरुस्त करा लेता है, लेकिन अगर आपने इस चीज को नहीं सोचा और बिना सोचे और समझे इस कानून को ले आये हैं तो कदम-कदम पर ठोकर खायेंगे और उत्तर प्रदेश का इन्तजाम करना आपके बसे की बात नहीं है। अगर आपने यह नहीं सोचा था कि इस मसले को कैसे हल करेंगे, अगर आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो मुझे आपके साथ हमदर्दी है और बहुत अफसोस भी है कि खुदा जाने क्या क्या टेक कंडीशन (सम्भ्रात्मक स्थिति) आप पैदा कर दें। मुझे बड़ी हमदर्दी है और अफसोस भी है कि बिला सोचे समझे आपने सोसाइटी (समाज) के आर्डर (व्यवस्था) को बदलने का इतना बड़ा अम्पट (प्रयत्न) किया है। मुझे इसका बड़ा अफसोस है और मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि इट इज नाट टू लेट—अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। बेहतर इसके कि आप इतने बड़े गड्ढे में फस जाय कि निकलना मुश्किल हो, बेहतर है कि आप इसे अभी सोचें, बमुकाबिले इसके कि अपोजीशन से कहें कि हमारे पास आदमी नहीं हैं। अरे साहब आदमी नहीं हैं आपके पास। कल को यह क्वेश्चन (प्रश्न) हो कि इन्साफ क्यों नहीं होता मुल्क के अन्दर, कल्प्रिटस (अपराधियों) को सजा क्यों नहीं दी जाती। यह क्वेश्चन (प्रश्न) हो सदन के सामने और कोई आनरेबिल मिनिस्टर यह जवाब देने लगें क्योंकि मैजिस्ट्रेटों की तादाद कम है इसलिए हम कल्प्रिटस को केवल उपदेश देकर छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे लोगों के हाथ में अपनी तकदीर को किसी तरह से भी देने को तैयार नहीं हैं जिनपर हमें एतबार नहीं है। आपके पास जुडीशियल आफिसर्स नहीं हैं, जो कोप (पूरा) कर सकें आपकी जरूरियात को तो माफ कीजियेगा हम इस चीज के लिये तैयार नहीं हैं कि जिस किसी को आप कम्पेन्सेशन देने के लिये मुकर्रर कर देंगे उसे हम मान लें। मैं आपसे अर्ज करूँगा कि अगर आप जरूरत समझें तो इस बिल के खत्म होने के बाद कोई वक्त लीजिए और इस पर रिकसीडर (पुनर्विचार) कीजिए कि इस बिल के अन्दर किस किस स्टाफ (कर्मचारीगण) की जरूरत होगी और किस किस तरीके से आपको इन्तजाम करना है और आया वह इन्तजाम भी आप कर सकेंगे या नहीं। इस वास्ते कि जो मामलात इसके साथ इंवाल्व (अनुबद्ध) हैं वह बहुत बड़े हैं। फ़क़त यह चीज आपके नामके साथ लग जाए कि हुकुम सिंह साहब वह हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ज़मींदारों का नाश किया था "ही वान्ट्स टू फेदर हिज़ कैप (वे यश चाहते हैं)" दैट इज नाट एनफ (यह काफी नहीं है) आप कौम के नुमाइन्दे हैं। आप उस नौइयत के मिनिस्टर नहीं हैं

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

जैसे अंग्रेजों की हुकूमत के मिनिस्टर होते थे। आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं और इस सूबे की बागडोर खुदा ने आपके हाथ में दी है, इस गरज से नहीं कि आप स्टेट की ईंट से ईंट बजा दें अपने गलत इन्तजाम से और अपने नाम नमूद के लिए। यह बिल खत्म हो जाने दीजिए। आपकी टोपी में एक पर लग जाने दीजिये, मैं उसके ऊपर जरा भी हसद नहीं करता। लेकिन इन दी इंटरेस्ट आफ दी स्टेट (इस राज्य के हित के लिए) आप गौर करें कि यह इन्तजाम के लिये कलेक्शन आफ रेवेन्यू (मालगुजारी की वसूली) कम्पेन्सेशन वगैरह देने के लिये जो जरूरियात होंगी उनके लिये आपके पास काफी पर्सन (व्यक्ति) हैं या नहीं। अगर पर्सन नहीं हैं तो फिर अजसरेनौ इस पर गौर कीजिए और एक अमेंडमेन्ट (संशोधक) बिल ले आइए। इन अल्फाज के साथ मैं इस तरमीम की ताईद करता हूं।

श्री अब्दुल बाकी—जनाब वाइस मुझे इस तरमीम की ताईद करनी है। दफा ३९१ इस बिल की इस सूबे की गवर्नमेंट को अख्तियार देती है कि अथारिटीज (अधिकारियों की तकर्रूरी का, कम्पेन्सेशन कमिश्नर, असिस्टेण्ट कम्पेन्सेशन कमिश्नर, कम्पेन्सेशन आफिसर और रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट आफिसर।)

जमींदारी के खत्म होने के बाद जमींदारी का मुआविजा मिल रहा है और मुआवजा देने वाले ने उसमें एक बड़ी चालाकी बरती है और उस मुआविजे को दो तरह से तकसीम कर दिया है और इस चीज को इस दफा में सिर्फ इसी गरज से रखा गया है। गवर्नमेंट समझती है कि वह इस रकम को खैरात कर रही है और जमींदार समझते हैं कि यह उनकी शान के मनाफी है। बसाओकात जब कोई रकम हजम करनी होती है तो दूसरा फरीक उसे चिढ़ा देना चाहता है ताकि वह चिढ़ कर अपनी वाजिब रकम को भी छोड़ दे। जब उनसे आप जमीन ले रहे हैं तो उसका मुआविजा आपको देना है लेकिन आपने उसको तकसीम कर दिया यह समझ कर जमींदार उससे घिना जायगा और वह उसे कबूल न करेगा। हालांकि जमींदार की इसमें खुद की गलती है उनको आगाह होना चाहिये और उसको जानना चाहिये कि दोनों रकमें ही उसकी वाजिब रकमें हैं। यह तो गवर्नमेंट की चालाकी है कि जिससे जमींदार मुतास्सिर होकर अपनी रकम को छोड़ दे। सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह है। उनको वसूल तो करना था १८० करोड़ और वसूल हुआ सिर्फ ६७ करोड़, अब उनको कोई तरकीब करना है। उससे आप जमींदार को बहकाना चाहते हैं कि कहीं वह यह कहदे कि उसे यह रकम नहीं लेना है। आप जिसे रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट (पुनर्वास अनुदान) फरमा रहे हैं वह रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट नहीं है यह आपके दिमाग की उपज है, आपने उसका नाम रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट रखा है। यह तो जमींदार और गवर्नमेंट का कांट्रेक्ट (ठेका) है जिसमें दोनों को राजी होना

लाजिम है और दोनों के राजी होने से ही एक चीज तय होगी। गवर्नमेंट का जोर ज्यादा है और जमींदारों में जोर नहीं है इसलिये गवर्नमेंट अपने जोर को इस्तेमाल करना चाहती है और फोर्स (जोर) के जरिये से वह जमींदारी को खत्म करना चाहती है और बिना वाजिबी रकम दिये। जिस रकम को पाने के लिये जमींदार के सामने यह नजरिया भी होगा कि रकम जो मिलने वाली है यानी ८ गुना कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) और २० गुना से लेकर ५ गुना तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट की तादाद, वह रकम मिलेगी भी या नहीं और जो आदमी तय करेगा वह अपने फरायज को पूरी तौर पर जिम्मेदारी के साथ अंजाम भी दे सकेगा या नहीं और इस बिल के निफाज पर जो उसकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है वह सही फैसला भी होगा या नहीं होगा। इस चैप्टर (अध्याय) में आपने उन अफसरान के तअयुन और मुकर्रर करने को बता दिया, लेकिन कोई दफा आपने ऐसी नहीं रखी कि वह किस हैसियत का होगा, उसकी जुडीशियल कैपिटी (न्याय सम्बन्धी योग्यता) क्या होगी। तो फिर भीतरी तौर पर यह शुबहा पैदा होता है और यह बिल्कुल नेचुरल (प्राकृतिक) है कि उसे यह शुबहा होना चाहिये। और गवर्नमेंट का यह फर्ज था कि वह इस बिल के जरिये से कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट पाने वालों को इत्मीनान दिलाते कि जो कुछ इस में तय किया गया है वह तुम्हें वाजिब वाजिब मिल जायगा। आप पर जमींदारों का इत्मीनान नहीं है। उसकी बड़ी वजह है, उनको आपके ऊपर इत्मीनान कैसे हो? आपके ऊपर तो आपकी पार्टी को ही इत्मीनान नहीं है और इसी वजह से आप की पार्टी के लोगों ने मिल कर मेन अपोजीशन ग्रूप (प्रधान विरोधी समूह) बनाया है। वे इस वक्त यहां नहीं हैं। जब वही आपके ऊपर इत्मीनान नहीं करते हैं तो इधर वाले कैसे करें? और हम लोग भी तो अखबार पढ़ते हैं, हम लोग भी हालत से वाकिफ हैं। हमने नहीं, जमींदार पार्टी ने नहीं, जनता पार्टी ने नहीं, सोशलिस्ट पार्टी ने नहीं बल्कि सिर्फ राइवल ग्रुप (प्रतिद्वन्द्वी समूह) ने आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया है वह ३० पेजों (पृष्ठों) में हैं और वे इल्जाम ऐसे हैं जिनसे मुकाबिला करने की भी आपकी हिम्मत नहीं होती। तो इन हालात को देखते हुये क्या जायज खतरात अपोजीशन (विरोधी दल) के दिल में नहीं हो सकते हैं? पहले आप यहां पर तय कर दीजिये कि जो कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) तय करेंगे आखिर वह क्या होगा। अगर एक्जीक्यूटिव के आदमी हों तो जमींदारों को क्या दुनिया के किसी शख्स को भी इंकार नहीं हो सकता है कि वे अपने हाथों से जायज और सही इंसाफ करेंगे, लेकिन हमें यह डर जरूर है कि अगर आपके पास रुपया फराहम नहीं हुआ तो कहीं आप अन्दर ही अन्दर एक चिट्ठी न जारी कर दें कि हमारे पास रुपया कम वसूल हुआ है इसलिये कम्पेन्सेशन पर कंसीडर (विचार) करते वक्त इस फैक्टर

[श्री अब्दुल बाकी]

(कारण) पर भी जरूर ख्याल रखना। और वे जरूर कंसीडर करेंगे क्योंकि दस गना वसूली के वक्त आपके जरा से इशारे पर देहातों के अन्दर तमाम गड़बड़ियां हुई और सैकड़ों मुकदमे कटेखाते में पड़े हुये हैं। इसलिये कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट पाने वालों को तो इस पर एतबार हो ही नहीं सकता और दुनियां में किसी को भी एतबार नहीं हो सकता। अगर आप एक्जीक्यूटिव साइड से किसी को कम्पेन्सेशन आफिसर मुकर्रर करें तो हरगिज कोई रजामन्दी नहीं देगा। अब तक बहुत हद तक इस मुल्क में जुडीशियल साइड के लोगों पर लोगों का बहुत एतबार है और उनकी पोजीशन (स्थिति) बहुत बुलन्द है, बहुत ऊँची है। अभी एक ऐक्ट जो इतनी जाफेशानी और मेहनत के बाद बिहार गवर्नमेंट ने तैयार किया था उसको पटना हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कुल का कुल खुर्दबुर्द कर दिया। तो अगर दिमाग से काम लेने वाले अगर कहीं हैं तो वह जुडीशियरी में ही हैं। कई जगह ऐसा हुआ भी है। इस प्रकार से आपके पास कुव्वत है और आप जमींदारी को तोड़ देंगे, रूल को तोड़ देंगे, लेकिन आपको चाहिये कि जमींदारों को इत्मीनान दिलावें कि इस फैसले के लिये कि मुआविजा क्या मिले, रिहैबिलिटेशन ग्रांट क्या मिले, कोई खास आदमी हों जिनके ऊपर इस हुकूमत का कोई असर न पड़ सके। दूसरे मुझे यह इमकान है कि आप ऐसे आदमी को भी मुकर्रर कर देंगे जो आपको चाहता हो। रोज हम यह देखते हैं, रात दिन का यह तजुर्बा है कि आप किस तरह से हर चीज को नजरअन्दाज कर देते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब यह भी फैसला करेंगे कि यह हो जाय और इसे गवर्नमेंट करेगी, तो अगर यह भी होता तो हमें तसकीन होती कि जनाब अपना कदम यहां से नहीं हटायेंगे। लेकिन आप तो एक्ट पास होने के बाद यहां से बिलकुल अलग चले जायेंगे और रोज गवर्नमेंट के अहकामात जारी होंगे कि फलां को मुकर्रर कर दो और इस तरह से आप के नातेदार, आपके चहेता, आप की पसन्द के लोग मुकर्रर किये जायेंगे। तो इस तरह से इंसाफ का बड़ा खून हो जायगा। दूसरी बात यह कि दुनियां भी जानती है और देहात के लोग भी जानते हैं कि जो जुडीशियरी साइड के आफिसर हैं उनकी कैपसिटी (सामर्थ्य) और जो एक्जीक्यूटिव साइड के आफिसर हैं उनकी कैपसिटी में क्या फर्क है। इसको यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। यह तो बिलकुल तयशुदा चीज है। इसलिए अगर यह अमेंडमेंट आता है कि एक तो आप रखें हाई कोर्ट के जज को दूसरा रखें डिस्ट्रिक्ट जज तीसरा रखें सिविल जज और चौथा रखें मुंसिफ, तो यह इंसाफ का तकाजा है और इंसाफ की मांग है।

अगर यह तसलीम नहीं करते तो बावजूद इसके आप इसको नामंजूर करेंगे अपनी वोटिंग के एतबार पर और इन्साफ की बिना पर आप इसको नामंजूर नहीं कर सकते। दानिशमन्दी का तकाजा है कि आप इसको न ठकरावें। जब आप कम्पन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट को मन्जूर करते हैं तो जो आपका फैसला

हो वह अच्छा फैसला होना चाहिये जिससे मुल्क को इत्मीनान हो और जमींदारों को इत्मीनान हो। वरना नतीजा क्या होगा ? आज आप यह कहते हैं कि आपके पास फंड नहीं है लेकिन काम तो चलायेंगे मगर उसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा यह होगा कि मुल्क के अन्दर नाखुशगवारी बढ़ेगी जब जमींदारी तबका यह महसूस करेगा कि इस कम्पन्सेशन के मिलने में उसके साथ इन्साफ नहीं बरता गया है जानिबदारी की गई है, कजूसी का सहारा लिया गया है तो यह तबका गवर्नमेंट को सपोर्ट (समर्थन) नहीं करेगा। तब यह तबका यह सोचेगा कि गवर्नमेंट की इमारत किस तरह से ढह सकती है और उसी तरह से यह काम करेगा। लिहाजा अपने हाल पर रहम कीजिये और अपनी गवर्नमेंट पर रहम कीजिये। यह चीज मुल्क के लिये फायदेमन्द नहीं है। इसमें आप कलाबाजी खायेंगे और समुन्द्र में लहरें मारते हुये आप इतने गोते लगायेंगे, कभी नीचे जायेंगे और कभी ऊपर आयेंगे और आप यह कहेंगे कि आपने यह क्या किया ? आप जमींदारों की जमींदारी ले रहे हैं उनके लिये आप मुआविजा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं, तो उनको इस बात का इत्मीनान होना चाहिये कि उनके साथ इन्साफ किया जा रहा है। बकौल चरणसिंह साहब के आपको १३७ करोड़ रुपया जमींदारों को देना है। क्या आप इसको ब्लैक मार्केटिंग (चोर बाजारी) करके कहीं से देंगे, यह उनको अन्देशा है। इस वजह से कि आपके पास तो है नहीं। सिर्फ २७ करोड़ रुपया आया है। इधर उधर से काट कर आप देंगे तो इसमें खतरा बहुत है। हमारे माननीय मिनिस्टर साहब ने तकरीर तो काफी लम्बी की लेकिन वह यह नहीं बता सके कि इस तरमीम को मंजूर करने से क्या खराबी पैदा हो जायगी। उन्होंने उस खराबी का तजकिरा नहीं किया, इस तरमीम के मंजूर करने से जो उनको पेश आयेगी। और उनका यह कहना कि इस दफा में हमने यह तय कर लिया है इस वास्ते इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो यह कोई रीजनिंग (युक्ति) नहीं है। अगर आप किसी अमेंडमेंट को नामंजूर करते हैं तो यह बताना चाहिये कि इसकी वर्किंग (कार्य) में क्या जहमत पैदा जायगी। इसकी सारी बातें सामने रखिये जो अपनी जगह पर मौजूं हों। यह तरमीम जो पेश की गई है और अब हाउस के सामने है मैं यह समझता हूं कि हर हालत में यह इन्साफ पर मबनी है और इसकी बुनियाद बिलकुल सही है। मैंने चन्द वजूहात इस ऐवान के सामने रखे हैं जो अपनी जगह पर बिलकुल सही हैं और नाकाबिल तरदीद हैं। लिहाजा यह अमेंडमेंट मंजूर किया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस तरमीम की ताईद करता हूं।

श्री कृष्ण शरण आर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मसले पर अब बहस बन्द की जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस मसले पर अब बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—)

पक्ष में —४९

विपक्ष में — ८

श्री गुरुनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को मैंने इस भवन के सामने रखा था उसके ऊपर जितनी तकरीरें हुई वह मैंने सुनी और माल मंत्रीजी की भी तकरीर सुनी। सबसे पहले तो मुझे इस बात का बड़ा दुःख हुआ कि एक तो आप जो एक्ट पास करने जा रहे हैं उसको प्रस्ताव द्वारा गिलोटिन कर दिया, बहस रोक दी और उस पर भी अब हमको जो थोड़ा सा समय दिया गया है उसमें भी जब सरकार की तरफ से क्लोजर मोशन्स (बहस बन्द करने के प्रस्ताव) आते हैं तो मुझे जरूर आश्चर्य होता है। जितने दिनों इसके लिये नियमित हैं उससे अधिक बहस तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कोई हमारा संशोधन ऐसा है कि जिस पर हम चाहते हैं कि हमारी तरफ की जो राय है वह आपके सामने अच्छी तरह से आजाय तो इसमें जब क्लोजर मूव (प्रस्तावित) किया जाता है तो वास्तव में दुःख होता है। फिर जब हमारा समय नियमित है चार दिन का तो इसमें क्या बात हो जायेगी। मैंने माननीय माल मंत्री जी से प्रार्थना भी की थी और इसलिये मुझे अधिक दुःख है कि यह कोई अमेंडमेंट तो था नहीं जो कि माल मंत्री जी स्वीकार न कर पाते। इसलिये अगर कम से कम ऐसे ही समझ करके कि इन लोगों की इच्छा है तो इनको मौका दिया जाय, मेरी बात मानली होती तो क्या बात हो जाती। लेकिन हमें दुःख है इस बात का है कि हम लोगों ने प्रार्थना की और उसको भी आपने स्वीकार नहीं किया।

मैंने माननीय माल मंत्री जी का भाषण इस संशोधन पर सुना। जो खास दलील जो कि संशोधन के खिलाफ में देनी चाहिये वह मुझे उनके भाषण में नहीं मालूम हुई। जब हम लोगों ने यह कहा कि हमको शंका है इसलिये हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज या जुडिशल आफिसर्स ये तीन कैटगरीज (प्रकार) के पदाधिकारी रखे जायं तो कोई खास दलील तो आपने दी नहीं और तरह की बातें कहते रहे। यह आपने नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों न किया जाय।

एक बात आपने कही कि इतने डिस्ट्रिक्ट जज कहां से आयेंगे और क्या होगा? उसका हमारी पार्टी के लीडर, नवाब जमशेदअली खां साहब, ने अभी उत्तर दिया है। मैं फिर अपनी सरकार से, और खास तौर से माल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विषय की गम्भीरता को वे इस तरीके से न ठुकरा दें जैसे कि करीब-करीब जितने भी संशोधन हमारी तरफ से पेश हुये उन को ठुकरा दिया। जमींदारों के लिये यह मामूली प्रश्न नहीं है। हम लोगों के लिये यह बहुत बड़ा सवाल है चाहे कोई छोटा जमींदार हो या बड़ा हो।

धारा २५०-क के अधीन अधिकारी की नियुक्ति

२५०-घ—धारा २५०-ग के अधीन विज्ञप्ति जारी हो जाने के बाद किसी समय भी प्रान्तीय सरकार ऐसे क्षेत्र में बन्दोबस्त अधिकारी के अधिकारों से युक्त कोई अधिकारी, ऐसे निरोधों और प्रतिबन्धों के साथ, जो उसे उचित जान पड़े, नियुक्त कर सकती है, किन्तु इस प्रकार नियुक्त किसी अधिकारी को कोई ऐसा अधिकार न दिया जा सकेगा जिससे वह उस क्षेत्र की मालगुजारी बढ़ा सके।

मालगुजारी से मुक्त अनुदानों के सम्बन्ध में वार्षिक जांच

२५०-ङ—ऐसी सब भूमि के विषय में जो मालगुजारी की अदायगी से, किसी प्रतिबन्ध के साथ या किसी विशेष अवधि के लिए मुक्त कर दी गई हो, कलेक्टर प्रति वर्ष जांच किया करेगा।

यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन हुआ हो तो वह उस मामले को आज्ञा के लिए कमिश्नर को प्रसूचित (report) कर देगा और यदि अवधि समाप्त हो गई हो या, जहां माफी का अनुदान माफीदार के जीवन काल के ही लिए हो, यदि माफीदार मर गया हो, तो वह भूमि पर मालगुजारी निर्धारित करके अगली कार्यवाही की स्वीकृति के लिए कमिश्नर को प्रसूचित कर देगा।

खेती भूमि घटाने या बढ़ाने के कारण मालगुजारी का घटाना या बढ़ाना

२५१—जब प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रकार के निदेश दे तो, प्रत्येक कृषि-वर्ष के प्रारम्भ में गांव-सभा, महलमाली प्रदेशों या कछार क्षेत्रों में स्थित खातों के क्षेत्रफल के सभी परिवर्तनों के विषय में कलेक्टर को सूचना देगा और तब कलेक्टर ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, ऐसी भूमि का, जो खेती से निकल गई हो, या खेती में ले ली गई हो, ध्यान रखते हुए गांव पर निर्धारित मालगुजारी बढ़ा या घटा सकता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धाराएं २५०, २५०-क, २५०-ख, २५०-ग, २५०-घ, २५०-ङ और २५१ इस विधेयक का अंश मानी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २५२

मालगुजारी की वसूली का प्रबन्ध

२५२—मालगुजारी की वसूली के लिए प्रान्तीय सरकार ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे साधनों (gen 108) का उपयोग कर सकती है, जो वह उचित समझे।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—[illegible] डिप्टी [illegible] कर [illegible], मैं [illegible] कि धारा २५२ व २५३ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा २५२ [illegible]—

"२५२—माल गुजारी की वसूली के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित प्रबन्ध कर सकती है—

(१) गांव सभा के [illegible] क्षेत्र में जिस के लिये [illegible] स्थापित की गई हो या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के [illegible] उसकी ओर से मालगुजारी और [illegible] दूसरे देय [illegible] वसूल करने और उगाहने का भार सौंप सकती है।

(२) जब गांव सभा को उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार भार न सौंपा गया हो, तो तत्सम्बन्धी गांव पंचायत का कर्तव्य होगा कि वह इस विधान के लिये [illegible] समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अनुसार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के संबंध में समय-समय पर प्रान्तीय सरकार को देय मालगुजारी तथा पूर्वोक्त देयों को वसूल करे और उगाहे।

(३) जब गांव सभा को उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार भार न सौंपा गया हो, तो ऐसे क्षेत्र में जिसके लिए [illegible] स्थापित की गयी हो, या उसके किसी भाग में राज्य सरकार के लिए या उसकी ओर से मालगुजारी और ऐसे दूसरे देय जो [illegible] किये जायं वसूल करने और उगाहने का कर्तव्य ऐसे [illegible] द्वारा पालन किया जायगा जो इस एक्ट की धारा १९ की उपधारा (१) के अधीन भूमिधर हो [illegible] राज्य सरकार नियुक्त करे।"

जनाबवाला, इस तरमीम से मेरा मतलब यह है कि दफा २५२ जो मैं हुजूरवाला की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं, निकाल दी जाय—

"The Provincial Government may make such arrangements and employ such agency for the collection of land revenue as it may deem fit."

(मालगुजारी की वसूली के लिये प्रान्तीय सरकार ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे साधनों का उपयोग कर सकती है, जो वह उचित समझे।)

इस दफा २५२ का मतलब एक अजीब है और इस धारा की वजह से गवर्नमेंट फेवरिटिज्म (पक्षपात) और नेपोटिज्म (सम्बन्धियों को लाभ पहुंचाना) कर सकती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की बहुत बदनामी होगी क्योंकि उसके मुताबिक गवर्नमेंट जिस किसी शख्स को चाहे वसूली के अख्तियारात दे सकती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं ? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस विधेयक की दफा २५२, २५३ और २५४ को अगर आप पढ़ें तो जो संशोधन आपने पेश किया है और उसमें क्या फर्क है इसको जरा साफ कर दीजिये।

श्री ऐजाज रसूल—आप घबरायें नहीं, जरा मेरी बात सुनिये, मैं हमेशा आपकी याद रखता हूँ, आपको भूलता नहीं हूं। जरा दफा २५२ को आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसमें गवर्नमेंट को यह अख्तियारात हैं कि वह राह चलते को भी वसूल करने का अख्तियार दे सकती है। हमारे मिनिस्टर साहब की जमींदारी खत्म होने वाली है, वह किसी भी नानपारा या बलरामपुर स्टेट को ठेका सुपुर्द कर सकते हैं। जिन्होंने भूमिधरी की वसूलियाबी में मेहनत की है उनके भी इसका मिजा मिल सकता है। इसमें इतने वाइड (व्यापी) अख्तियारात हैं जिनके मातहत गवर्नमेंट के आफीसरान फेवरिटिज्म बरत सकते हैं। और चाहे जिसको ठेका दे सकते हैं। अव्वल तो गवर्नमेंट ने पंचायतों का इतने जोरों से एलान किया, उनके ऊपर इतना एतबार किया और फिर अब इतनी बेएतबारी क्यों ? और उसके आगे चल कर आप देखें कि गवर्नमेंट इस तरह से अपना रुपया वसूल करेगी कि इलाका कलेक्टर को यह पावर (अधिकार) दे दिया गया है कि वह जिस गांव को भी चाहें अपने कब्जे में ले लें और रुपया वसूल कर लें। गरज कि मुख्तलिफ तरीके गवर्नमेंट ने रुपया वसूल करने के लिये बनाये हैं। मेरा खयाल यह है कि गवर्नमेंट इस वजह से डरती है कि एक लाख गांव हैं और डेढ़ करोड़ असामी हैं जिनसे रुपया वसूल करना है। तो जो पंचायतें हैं वही खुद रुपया वसूल करें और वही गवर्नमेंट को रुपया दें। लिहाजा कोई ऐसा सिस्टम निकाला जाय। मेरे खयाल में गवर्नमेंट की मंशा यह है कि इस वक्त जमींदारी खत्म की जाय और बाद में वही जमींदारी सिस्टम जो मौजूद है किसी सूरत से लागू कर दिया जाय। जैसा कि कहा जाता है, मुगल बादशाहों ने अपने जमाने के लोगों को बड़ी बड़ी जागीरें और ठेके दिये। बाद में अंग्रेज आये तो उन लोगों ने भी अपने लोगों को, जिनको मुनासिब समझा जमीनें दीं। और अब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट भी इस नाम से कि हम जमींदारों की जमीन तो जब्त कर नहीं रहे हैं, एक दूसरा ही तरीका जागीर देने का निकाला और इस तरह से दफा २५२ के जरिये से ठेकेदार और एजेंसी मुकर्रर करके दस, पन्द्रह वर्ष का ठेका देंगे।

माननीय श्री हुकुमसिंह—क्या मैं आपके जरिये माननीय सदस्य से दरियाफ्त कर सकता हूँ कि यह "ठेका" का लफ्ज कहां से आया ?

श्री ऐज़ाज़ रसूल—अगर आप दफा २५२ को पढ़ें तो मालूम हो जायगा। जो वसूलयाबी का ज़रिया है वही ठेका है। अगर आप कहते हैं तो मैं उसे ठेका न कह कर वसूलयाबी का ज़रिया ही पुकारूंगा। दफा २५२ के अल्फाज़ ये हैं :—

"The Provincial Government may make such arrangements and employ such agency for the collection of land revenue as it may deem fit."

(मालगुज़ारी की वसूली के लिये प्रान्तीय सरकार ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे साधनों का उपयोग कर सकती है, जो वह उचित समझे।)

इसको आप चाहे जिस नाम से पुकारें लेकिन गवर्नमेंट वसूलयाबी का ज़रिया कोई एजेंसी है या कोई शख्स है जिसके नाम कोई खास चीज़ लिखी हुई है वही ज़रिया वह हो सकता है जिसको हम ठेका कहते हैं। यानी तीन साल के लिये, चार साल के लिये या दस साल के लिये ठेका दिया जायगा और उसी के ज़रिये रुपया वसूल किया जायगा। आखिर वह ज़रिया क्या होगा ? जब तक गवर्नमेंट कोई एग्रीमेंट (फैसला) नहीं कर लेती है और गवर्नमेंट कोई चीज़ उसको सुपुर्द नहीं करती है। ६ महीने के लिये एक दूसरा ही तरीका हो तो मेरे ख्याल में इसी वजह से कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि ज़मींदारी खत्म हो जाय क्योंकि हमारे खत्म हो जाने के बाद शायद इस तरह की कोई चीज़ न रहे, हो सकता है कि यहां खेर साहब न रहे तो कम से कम मौर्य साहब को जो शोषित संघ के लीडर हैं, इसी हैसियत से ठेके ज़रूर मिल जायेंगे ताकि वे रुपया वसूल कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट को तो वोट की ज़रूरत है और उसके एवज़ में मौर्य जी कहेंगे कि अगर रुपया वसूल करने का ठेका हम को दे दिया जायगा तो ऊंच जाति वालों के अलावा और तमाम जातियों का वोट हम आपको दिला देंगे। अब मैंने समझा कि यही वजह है जिसकी वजह से यह तरमीम रखी गई है। और कांग्रेस पार्टी ने जो तरीका अख्तियार किया है वह आइन्दा एलेक्शन (चुनाव) के लिये ही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह चीज़ न की जाय। क्योंकि ख्वाह कोई भी गवर्नमेंट हो मैं उसकी बदनामी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर नेपोटिज़्म, और जाबरी का इल्ज़ाम न लगाया जाय जिस तरह से कि जन कांग्रेस के लोग मौजूदा कांग्रेस मिनिस्टरी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ठाकुर साहब का नाम भी उसी लिस्ट (सूची) में आ जाय। इसलिये कि इस वक्त तक उनका नाम बाला है, उजाला है और अब उनका नाम काले हरफों में न होना चाहिये। इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है और मैं यह चाहता हूं कि गांव पंचायतों के सुपुर्द ही इस काम को कर दिया जाय क्योंकि गांव पंचायतें विलेज रिपब्लिक (ग्रामीण जनतन्त्र) हैं। हम और आप जनता के नुमाइन्दे हैं उसमें भी जनता के ही नुमाइन्दे रहेंगे इसलिये जिस सूरत से भी हो गांव वाले ही खुद अपना इन्तज़ाम करें तो ठीक होगा। आखिर क्या वजह है कि उनके सुपुर्द आप इस इन्तज़ाम को नहीं दे रहे हैं ?

उनके ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है और अगर किसी वजह से यह नहीं चाहते हैं कि और किसी वजह से आपका यह सिस्टम फेल हो जाता है तो दफा १९ के मुताबिक जो भूमिधर बने हैं उनके सुपुर्द यह कर दिया जाय क्योंकि वह राइट (ठीक) आदमी हैं उनको तजुर्बा है वसूलयाबी करने का और वह अभी तक इस काम को करते आये हैं और उसकी वजह से ही आपको रुपया वसूल होता आया है। लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी वजह से गांव पंचायत को सुपुर्द न करें तो दूसरे आलटरनेटिव (उपायान्तर) में इनके सुपुर्द कर दिया जाय। डेढ़ करोड़ काश्तकारों से वसूल करने में काफी दिक्कत होगी। इसलिये मैं यह तरमीम रखना चाहता हूँ कि आप इस वसूलयाबी के काम को पंचायत के सुपुर्द करदें गवर्नमेंट को किसी किस्म की दिक्कत भी नहीं होगी और रूपया वसूल हो जायेगा। लिहाज़ा मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट मेरे अमेंडमेंट (संशोधन) को मन्ज़ूर फरमायेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—नवाब साहब ने जो तरमीम पेश की है उसमें तरमीम तो कुछ और कहती है और तकरीर में वह कुछ और बात फरमाते हैं कि सरकार धारा २५२ को रखकर गांव पंचायत पर अविश्वास करती है। यह बाकई गलत है। अगर कानून में यह बात होती है तो जो एक जनरल प्रावीज़न (साधारण निदेश) होता है और उसके बाद जो सक्सीडिंग (उत्तरागामी) प्रावीज़न किया जाता है तो उसका असर उस पर हो जाता है और उसको वह कण्ट्रोल (नियन्त्रण) करता है जनरल प्रावीजन में गवर्नमेंट कोई एजेण्ट गवर्नमेंट का रेविन्यू वसूल करने के लिये करती है तो गवर्नमेंट ने धारा २५३ रखी है उसमें गांव पंचायत से भी उनके ज़रिये से मालगुज़ारी वसूल करा सकती है। दानिशमन्दी और दूरन्देशी के माने यह हैं कि ऐसी भी गुन्जायश रखी जाय कि अगर किसी वक्त गांव पंचायत अपने इस काम को पूरा अन्जाम देने में कासिर रहती है तो ऐसी गुन्जायश रखनी चाहिये। दूसरा तरीका अगर कोई कामयाब नहीं होता है तो अगर ज़रा भी तत्व है तो इस बातकी गुन्जायश रखनी चाहिये कि अगर पंचायत उस काम को करने में कासिर रहती है तो गवर्नमेंट बेकाबू न हो जाय बल्कि कानून के अन्दर ऐसी गुन्जायश रखनी चाहिये कि जिससे मालगुज़ारी की वसूलयाबी का प्रबन्ध हो सके। सिर्फ यह मन्शा है। धारा में अविश्वास रखने का सवाल पैदा नहीं होता। हमारे लायक दोस्त की तरमीम में स्वार्थ का सवाल है। मैं कैसे कहूँ कि वह गांव पंचायत पर अविश्वास रखते हैं लेकिन स्वार्थ का सवाल ज़रूर है। आप यह फरमाते हैं कि पन्चायतों के नाम हो तो अगर वह नहीं हो सकता तो उस हालत में दफा १९ के मुताबिक जो भूमिधर बने हैं उनको हक दिया जाय कि वह मालगुज़ारी वसूल करें और दूसरे को मालगुज़ारी के वसूल करने का हक न दिया जाय। वसूली दिक्कत के अलावा इसमें और भी दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। अव्वल तो यह कि अगर

[माननीय श्री हुकुम सिंह]
इस संशोधन को मान लें तो मान लीजिए कि हमारे नवाब साहब हैं, मैं व्यक्तिगत बात तो कहता नहीं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूँ .....

श्री वीरेन्द्र शाह—कोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को शायद यह नहीं मालूम कि अब २४ सदस्यों का ही कोरम हो सकता है। नये विधान के अनुसार कुल संख्या का दसवां हिस्सा होना चाहिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं यह अर्ज कर रहा था कि नवाब साहब चले गये, अगर मिनिस्टर कनसर्न (सम्बद्ध) चला जाय तो जुर्म है लेकिन अगर प्रस्तावक महोदय चले जांय तो कोई हर्ज नहीं है। मैं मश्वरे के तौर पर अपनी एक दिक्कत आपके सामने रखना चाहता हूं अगर वह हल कर दें तो हम सोचें कि इसे मन्जूर करें या न करें। जरा देर को मान लीजिये कि नवाब साहब की बदइन्तजामी से उनका इलाका कोरट हो जाय अगर इस तरमीम को मान लिया जाय तो नवाब साहब का कलेक्शन (वसूली) का हक गांव सभा को चला जायगा इसके मानी यह होंगे कि आप या आपका कोई वारिस इस काबिल नहीं समझा गया कि वह वसूली कर सके। इस तरमीम से लाजमी होगा कि अगर हम चाहें कि बेगम साहिबा को वसूलयाबी का इन्तजाम दे दें जो कि निहायत खुशइन्तजाम लेडी (महिला) हैं, तो हम उनके सुपुर्द यह काम न कर सकेंगे। यह एक दिक्कत है जिस पर गौर करना है। लिहाजा आप इस प्वाइन्ट (बात) पर सलाह मश्वरा कर लीजिये तब आप इसके लिये प्रेस कीजिये (जोर दीजिये)। मुझे तो सोच समझकर यह मालूम हुआ कि इसमें यह क्रिटिकल डिफिकलटी (क्रियात्मक कठिनाई) है। बहुत से इलाके कोर्ट आफ वार्डस में हैं अगर उनके सकसेसर (उत्तराधिकारी) हिस्सेदार या लेडीज इस काबिल हैं कि उनके जरिये से वसूली कर सकें तो इस तरमीम के जरिये से हम उनको नाकाबिल नहीं करार दे सकते और उनके हक में यह बात मुनासिब न होगी और जो इन्तजाम कर सकते हैं उनको भी इससे महरूम करना मुनासिब न होगा। ऐसी तरमीम लाकर आप को गवर्नमेंट को इस पोजीशन (स्थिति) में न डालना चाहिये कि उस को दिक्कत का सामना करना पड़े इससे स्वार्थ भी हैं और साथ ही उनके कुनबे वालों का नुकसान भी है वर्ना मुझे इसे मंजूर करने में और कोई उज्र नहीं था। आप मेरी इस दिक्कत को हल नहीं कर सकते मुझे कायल नहीं कर सकते और मेरी परेशानियों और दिक्कतों को हटा नहीं सकते ऐसी सूरत में मजबूर हूं लिहाजा इसमें विश्वास या अविश्वास का कोई सवाल नहीं है और यह एक सीधा सादा मामला है। यह तो पब्लिक इनटरेस्ट (जनहित) का सवाल है हम लम्बरदार भी मुकर्रर कर सकते हैं और सरकार की यह कभी मन्शा नहीं है कि मौजूदा जमींदारों में से जो काबिल हैं उनको यह काम सुपुर्द न किया जाय। अगर गांव पञ्चायतें न भी मुकर्रर हों तो उनको भी जहां मुनासिब होगा

यह मौका दिया जा सकता है। यहां बैठ कर कयास करना कि आप को हम किसी काबिल नहीं समझते गलत है। हमें तो आप ही मुनासिब मालूम होते हैं हम ऐसी अच्छी शक्ले छोड़ कर और किस का भरोसा करें ? नवाब साहब को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ही से ऐसी बदगुमानी पैदा करना जिससे आप को खुद नुकसान पहुंचे मुनासिब और वाजिब नहीं है। आप को जिस शख्स ने मशवरा दिया उसने कुछ सच्चा नहीं वर्ना वह ऐसा गलत मशवरा आप को कभी न देता।

इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने मित्र नवाब साहब से इल्तिजा करूंगा कि इस तरमीम को वापस ले लें। साथ ही मैं अपने माननीय दोस्त नवाब जमशेदअली खां, राजा साहेब जगम्मनपुर और दीगर जुमला साहेबान जो उस तरफ बैठे हैं और जो मेरे दोस्त हैं, सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि वे अपने दोस्त को समझावें कि वह इस तरमीम का पेश न करें वर्ना हमको तो दिक्कत होगी ही, आपको भी नुकसान होगा।

श्री वीरेन्द्रशाह—श्रीमानजी, जो संशोधन अभी भवन के सामने श्री मेजाज रसूल साहब ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। आपकी आज्ञा से मैं इस दफा २५२ को पढ़ देना चाहता हूं। इसके जरिये सरकार यह चाह रही है कि मालगुजारी की वसूली के लिये प्रान्तीय सरकार ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे साधनों का उपयोग कर सकती है जो वह उचित समझे। कभी-कभी माननीय माल मंत्रीजी ने हम लोगों को बड़े बड़े आश्वासन दिये और इस तरीके के वायदे किये कि वह हमारा बहुत खयाल रखेंगे। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस धारा की रू से जब आप किसी एजन्सी के जरिये ही वसूल करेंगे तो फिर आप जमींदारों को क्यों खत्म कर रहे हैं ? आपने यह उसूल माना कि सिवाय सरकारी एजेन्सी के आप का बीच में दूसरी एजेन्सी नहीं रखेंगे तो फिर आप इस समय इस धारा के जरिये दोबारा जमींदार पैदा करने के लिये अधिकार क्यों मांग रहे हैं ? हमारे देश में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो नाना प्रकार के यहां आक्रमणकारी आये उन्होंने तरह तरह की जमींदारियां पैदा की। किसी ने सूबेदार बनाये और किसी ने जागीरदार बनाये। अब आपका राज्य क़ायम हुआ तो आप यह हक़ अपने लिये रखना चाहते हैं। जनता से तो आप कहकर यह आये कि आप उनको जमींदार या भूमिधर बना देंगे और अब आप इस धारा के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के लिये या वालंटियरों के लिये जो जिलों में मौजूद हैं ऐसे अधिकार क्यों मांगते हैं कि कलेक्टर साहब से कहकर यह किया जा सके कि फलां गांव की वसूली हमारे फलां साहब करेंगे और फलां गांव की फलां सरपंच करेंगे ? इस तरह तो आप एक नयी जमींदारी कायम करने जा रहे हैं। हमको तो सबसे ज्यादा विरोध इस धारा से इसलिये है कि जिस चीज को खत्म करने के लिये आप यह बिल लाये हैं

[श्री वीरेन्द्र शाह]

उसीको आप इस धारा से फिर बनाने जा रहे हैं जो आपने बिलकुल ग़लत चीज़ बतला कर लोगों को बहकाया था। आप यह नहीं बतलाते हैं कि कौनसी एजेंसी आप रखेंगे। कहने के लिये तो आपने कह दिया कि गांवसभा के ज़रिये से वसूल करायेंगे लेकिन उसका जो हाल है वह आपको भी मालूम है। आप उसको न पैसा देते हैं और न कोई किसी तरह की सहायता देते हैं बल्कि उसे और बदनाम करते हैं तो उसको तो आप कभी भी नहीं सौंपेंगे कि वह इस काम को करे। हमारा संशोधन यह है कि अगर आप गांवसभा को दें तो बहुत खुशी से उनको देना चाहिये। संशोधन का दूसरा भाग यह है कि "जब गांव सभा को उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार भार सौंपा गया हो, तो तत्सम्बन्धी गांव पंचायत का कर्त्तव्य होगा कि वह इस विधान के निदेश के या समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अनुसार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में समय समय पर प्रान्तीय सरकार को देय मालगुजारी तथा पूर्वोक्त देयों को वसूल करें और उगाहें। इस तरह दूसरी चीज़ यह हुई। तीसरी चीज़ हमने यह रखी है कि जैसा माननीय मंत्री ने कहा था, कि अगर कहीं हम फेल हो जायं तो उसके लिये हमने गुंजायश रखी है तो हमारा कहना यह है कि अगर पंचायतें वसूल न कर सकें तो वसूल करने का काम हम ले लिया जाय। आप जमींदारी प्रथा से नाराज़ हैं लेकिन जमींदारों से नहीं नाराज़ हैं। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि अगर आपको पंचायतों से लगान न वसूल कराना हो तो हमको सब से पहले मौका मिलना चाहिये।

माननीय श्री हुकुमसिंह—मैं आपके ज़रिए यह पूछना चाहता हूं कि जो हमारी दिक्कत है वह कैसे दूर होगी ?

श्री वीरेन्द्र शाह—आप की दिक्कत ही दूर करने के लिए हमने यह संशोधन रखा है। मैं यह कहता हूं कि आप की दिक्कतें अगर हम हल करने के लिए बैठें, तो हम सरकार ही न अपनी बना लें। आपके माहिर बड़े हैं आप खुद अपनी दिक्कतें दूर कीजिये। आप की दिक्कतों को हम कभी दूर नहीं कर सकते हैं। हमने जो संशोधन रखा है वह बिल्कुल साफ है और उसको हमने नेक-नीयती से रखा है। अगर सरकार जमींदारी प्रथा को नष्ट करके फिर उसी प्रथा को चलाना चाहती है तो सब से पहले हम को मौका मिलना चाहिये। अगर सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है, तो ठीक है, पंचायतों के ज़रिए आप मालगुजारी वसूल कीजिये, लेकिन यह अधिकार आप को नहीं लेना चाहिये कि आप फिर जमींदारी प्रथा कायम करें और उसमें अपने आदमियों को भरती करें। हमको बड़ा भारी शुबहा है और शुबहा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि अगर यह धारा रही तो अगर सब जगह नहीं तो कुछ जगहों में—ऐसा कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे—एम० एल० ए० साहबान की सिफारिश से जागीरें

बाटी जायँगी। २२ लाख जमींदारों की रोजी आपने ली है। उस रोजी को छीन करके आप समाज को दे सकते हैं लेकिन एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके माने यह हैं कि आप जमीदारी प्रथा से नाराज नहीं हैं बल्कि आप जमीदारों से नाराज हैं। चूंकि जमीदार आपके कहने के मुताबिक नहीं चले, इसलिये उनको खत्म करने के लिए आप जमीदारी प्रथा को खत्म कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को समझते हैं लेकिन वह इस बात को इस तरह घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि लोग समझ न सकें मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि वह इस पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दें। अगर आप इस चीज को करेंगे तो आगे चलकर आप बदनाम होंगे। जो कारनामे गवर्नमेंट के आज हैं उनसे गवर्नमेंट वैसे ही बदनाम हो रही है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—प्वाइंट आफ आर्डर सर (श्रीमान् जी मैं विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं) जो बात कही जा रही है, क्या उसका ताल्लुक तरमीम से है?

उपाध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि इसका ताल्लुक तरमीम से है। आप यह चाहते हैं कि ऐसे अख्तियारात सरकार अपने ऊपर न ले क्योंकि उनके लेने में सरकार की बदनामी होगी।

श्री वीरेन्द्र शाह—मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि हमारे नवाब साहब ने इसलिये यह संशोधन रखा है कि अगर सरकार को जरूरत पड़े तो जैसा उन्होंने अपने संशोधन में कहा है सरकार इनमें से कोई इंतजाम कर सकती है लेकिन यह अधिकार हम नहीं दे सकते हैं कि आप जो चाहें वह इंतजाम करें। सरकार खुद इसका इन्तजाम करे। पहले तो बड़ी भारी ग़लती यह हुई कि जमीदारों को नष्ट करने के लिये आप तैयार हो गये और आपने कलेक्शन की कोई स्कीम इस भवन के सामने नहीं रखी कि किस तरह से वसूल करेंगे। हम लोग तो समझते थे कि शायद पटवारी से और जिस इलाके में जमीदार नहीं होता है वहां रैयतवाड़ी सिस्टम से आप वसूल करेंगे, लेकिन आपने कोई तजवीज पेश नहीं की कि हम ज़मींदारों के जाने के बाद उनकी जगह क्या लाना चाहते हैं। दुनिया या आपकी जनता यह समझती है कि पंचायत वसूल करेगी या आपके कर्मचारी करेंगे। यहां तो सरकार यह अधिकार ले रही है कि हम जिसको चाहें, कलेक्टर जिसको चाहे उसको अधिकार दे सकता है कि वह ५ परसेंट या ६ परसेंट पर रेंट कलेक्ट करे। इससे हमको घोर विरोध है कि बुनियादी उसूल जो आपके हैं जिनको बिना पर आप इस बिल की रचना कर रहे हैं वह सारे खत्म होते हैं। आप २२ लाख जमींदारों की कुर्बानी करते हैं और एक धारा रखकर फिर जमींदार पैदा करने के लिये तैयार हो जाते हैं, इसीलिये हमको विरोध है। जैसा आपने कहा कि सबलेटिंग हम नहीं होने देंगे, यह हमारा उसूल है

[श्री वीरेन्द्र शाह]

उसी तरह यह हमारा उसूल है कि यह किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा एजेंसी नहीं चलाई जा सकती, पशु या मशीन से आप कराना चाहें तो भले ही करा सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो जीवन रखता है उससे नहीं करा सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी और अपने वादों को समझेगी कि क्या लम्बे वादे और उसूल लेकर आये और यहां आकर टाल दिया। आप चाहते हैं कि ५, ६ लाख को इस तरह से उभार लें और उनके ऊपर वसूली का भार डाल दें। हम २२ लाख की कुर्बानी इसलिये नहीं कर देंगे थोड़े आदमियों को आप फोड़ लें। आजकल जमाना ऐसा हो रहा है कि हर एक फिसल जाता है, लेकिन हम लोग फिसलने वाले नहीं हैं, कांग्रेस भले ही फिसल जाय। इसलिये या तो हमारे उसूल को आप मानें या धारा २५२ को बिल्कुल ही हटा दें और कह दें साफ कि गवर्नमेंट सरवेंटस द्वारा वसूली होगी या गांव सभा करेगी। तीसरा कोई आलटरनेटिव हम आपको देने वाले नहीं हैं। इसलिये सरकार हमको आश्वासन दे कि सिवाय इन दो तरीकों के कोई तीसरा तरीका नहीं होगा।

श्री राधा मोहन सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र नवाब साहब ने पेश किया है उसके ३ अंग हैं। दो तो केवल वही चीजें हैं जो धारा २५३ में दी हुई हैं। तीसरे पर जो आपका संशोधन है उसकी निस्बत हमें विचार करना है। संशोधन के जरिये से आपका मतलब यह है कि सरकार इसके लिये मजबूर कर दी जाय कि आइन्दा गांव सभा को जब मालगुजारी वसूल करने का हक न दिया जाय तो जो पहले के जमींदार रहे हैं और जो अब भूमिधर हो जायंगे उनको ही अधिकार दिया जाय कि वह ही वसूल करें। मैं समझता हूँ कि इस तरह की मांग रखना एक बड़ी उसूली गलती होगा और इस तरह का स्वार्थ का नंगा नाच मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इसमें अगर कोई उसूली बात होती, कोई सिद्धान्त होता तो मैं समझता। एक बात अवश्य है कि राजा साहब ने जो इसका समर्थन किया उनको मैं इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्टवादिता से काम लिया। उन्होंने अपने स्वार्थों और हकों को बड़े जोरों से जाहिर किया लेकिन हमें यह कहते हुये दुःख मालूम होता है कि जोर से कह देने से ही किसी की अच्छाई और बुराई साबित नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस बिल के अन्दर जो विधान बनाया है वह बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें यह बात साफ तौर पर कह दी गई है कि सरकार मालगुजारी वसूल करने के लिये एजेंसी (साधन) मुकर्रर कर सकती है। यह तो है धारा २५२ और धारा २५३ उसी को स्पष्ट करता है। इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेम्बरों को संदेह हो जाय, यह मेरी समझ में नहीं आया।

उनके अन्दर यह भावना कांग्रेसमैन या कोई रिश्तेदार या जान पहिचान की कहां से आई ? वैसे आपको बहुत से मौके हैं कांग्रेस और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिये और अगर आपने इस मौके को भी उसीके लिये चुना है तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप स्वयं रेंट कलेक्टर (लगान उगाहने वाले) नहीं होना चाहेंगे। और आप रेंट कलेक्टर होना ही चाहें तो आपको यह भी सोचना चाहिये कि अगर रेंट कलेक्टरी अच्छी चीज है तो आपने डेढ़ सौ वर्ष ब्रिटिश हुकूमत में रेंट कलेक्टर का काम किया, अगर थोड़े दिनों के लिये दूसरे को मौका मिला जाता है तो उसमें आप ग्रज (द्वेष) क्यों करते हैं। मैं सही मान लेता हूं कि हमारी नियत खराब है तो डेढ़ सौ वर्ष तक आपने तजुर्बा किया है और तरह-तरह की जुल्म, ज्यादतियां की हैं अब जरा औरों को भी मौका दीजिये, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपका दिल इतना संकुचित क्यों है कि आप और आदमियों को मौका क्यों नहीं देते। खैर यह तो जैसा आपने कहा उस पर मैं कहता हूं, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का मंशा कभी नहीं रहा है कि एजेंसी किसी आदमी की नहीं होगी चाहे वह कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी। लेकिन आखिर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) चलाना है उसके पास कोई न कोई विधान तो होना चाहिये। मान लीजिये कि गांव सभा में झगड़े हो जाय, या एलेक्शन (चुनाव) न हो सके या वह काम न कर सकें तो अगर उस वक्त के लिये क़ानून न हो तो क्या होगा ? ऐसी अवस्था के लिये कुछ न कुछ तो करना होगा। इसलिये यह चीज रखी गयी है। मैं राजा साहब को और नवाब साहब को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की मंशा और सरकार की मशा कभी नहीं है कि व्यक्तिगत एजेंसी रखी जाय। इसलिये आपको उसमें सदेह करने की गुंजायश नहीं है। अगर सरकार को कांग्रेस के भाइयों को कुछ देना ही हो जैसा कि हमारे भाइयों को शक है तो कांग्रेस की सरकार के पास सरकारी नौकरियां पड़ी हुई हैं, कंट्रेक्ट (ठेके) पड़े हुए हैं और सैकड़ों चीजे हैं उनमें उनको खपा सकती है जिसके लिये आप शिकायत भी किया करते हैं लेकिन गवर्नमेंट जब वह नहीं करती तो इसमें कितने आदमियों की वह मदद कर सकती है। और कितने आदमियों को रोजी दे सकते हैं। हमारा काम तो केवल जनता के हित के लिये होगा। कोई व्यक्तिगत एजेंसी का सवाल नहीं उठता है चाहे वह सफेद कुरता पहिननेवालों की हो या और किसी की। इसलिये आप इत्मीनान से बैठिये और अपने संशोधन को वापस लीजिये। आप जो संशोधन पेश कर रहे हैं उसमें जनता का स्वार्थ नहीं है आप अपने स्वार्थ की बातें करते हैं। इसको भूल जाइये। मैं प्रार्थना करता हूं, इसे आप वापस लीजिये। मुझे खुशी है कि राजा साहब ने संशोधन का समर्थन किया

[श्री राधामोहन सिंह]

लेकिन फिर भी इस संशोधन के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वह दल से समझते हैं कि इसका समर्थन करना ठीक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का स्टेंड (सिद्धान्त) है वह सही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको वापस लीजिये और भवनका अधिक समय बरबाद न कीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सभा भवन के समक्ष पेश हुआ है उससे मैं फायदा उठाना चाहता हूँ और अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

माननीय माल मंत्री जी ने कहा है कि लगान की वसूलयाबी के सिलसिले में हमने यह विचार किया है कि जो एजेंसी (साधन) कायम की जाय वह गांव सभा की हो, लेकिन अगर कहीं अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में, दिक्कत हो जाय तो कोई और ऐसी एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सिवाय, नहीं हो सकती, वहां की वसूलयाबी के लिये मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कभी-कभी यही एक्सेप्शन व्यापक रूप धारण कर लेता है। मिसाल के तौर पर भूमिधरी के सिलसिले में आपकी नानआफिशियल (गैर सरकारी) एजेंसी थी और आफिशियल (सरकारी) एजेंसी भी थी। चन्द महीने पहले आपकी वसूलयाबी इतने शान से हुई, इतने ठाठ की हुई कि हम लोग डंके की चोट पर कहा करते थे कि जो तरीका कांग्रेस गवर्नमेंट ने वसूलयाबी का अख्तियार किया है, वह इस जिन्दगी में तो हम लोगों को अब तक देखने को नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी क्षमा करेंगे, कि उसी एजेंसी की वजह से जहां हम अपने मुंह में चन्दन लगवाने की आशा करते थे आजकल हमारे मुंह में कालिख पोती जा सकती है। अगर हम जनता के सामने जांय तो हमारा मुंह काला किया जा सकता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं बढ़ा कर या अतिशयोक्ति के साथ बयान कर रहा हूं इसके पिछले हफ्ते में, आपके पास भी रिपोर्ट आई होगी, चन्द लाख रुपयों के वास्ते, करोड़ दो करोड़ के वास्ते जब कि आपको एक अरब ७० करोड़ की जरूरत थी, कान को गर्म करना, झूठ अंगूठों को लगवाना, जमानत मुचलका का लेना, वगैरह-वगैरह हुआ। अगर मैं एक लफ्ज गलत कहता हूँ तो जो सजा चोर की हो सकता है वह मेरी सजा हो। मैं सारे सूबे के लिये नहीं कह सकता लेकिन जहां का नुमाइंदिगी मैं करता हूँ वहां ऐसी बातें हुई हैं और वह डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर साहब की ही ऐसी एजेंसी थी जिनको न तो कांग्रेस की नीति से ताल्लुक है, न जनता से कोई सम्पर्क है, दूरदेश भी नहीं कि आगे चलकर, वह देखें कि, जनता के सामने हमें आना पड़ेगा।

माना कि वह उनको भूमिधर बनाना चाहते हैं और उनका कल्याण होने वाला है, लेकिन उसके लिये कौन सा रास्ता अख्तियार किया है। जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया उसमें क्या विडम्बना है। यह एजेन्सी जो मौजूदा जमाने में काम कर रही है.....।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जमीदारी अबालीशन फंड कैसे वसूल किया जा रहा है उसका इस संशोधन से क्या संबध है ?

उपाध्यक्ष—सरकार जो रास्ता अख्तियार करना चाहती है उनका खयाल है कि वह ऐसा न हो, जो सरकारी न हो। एजेन्सी मुकर्रर करने का इसमें जिक्र आया है। उसीके सबूत में वह मिसालें दे रहे हैं कि ऐसा न हो जो अच्छी निगाह से न देखी जाएं।

श्री रामकुमार शास्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए कहना चाहता हूं कि यह जो तरीका है वह बहुत गलत है जो गुमराह किया जाता है सरकार को और सरकार यह समझती है कि शायद राय देने वाला सही रास्ते पर ले जा रहा है। जो मै यहां नुक्ताचीनी करता हूँ वह इस अभिप्राय से नहीं कि सरकार गड्ढे में जाय, बल्कि सरकार अपना सुधार करे और जनता की सेवा करे। जो एजेन्सी मुकर्रर की जा रही है आफिशियल को उसमें अन्देशा है कि बजाय हित के कहीं अनहित न करें और बिल का जो उद्देश्य है वह पूरा न हो सके। मुझे खुशी है कि गांव सभाओं की जो शिकायतें की गयीं उनका हवाला देते हुए माल मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि कहीं न कहीं इसमें जरूर तत्व है। जब तत्व है तो उस तत्व को सामने रख कर यह भी देखना चाहिए कि उस तत्व में क्या नुकसान है और कौन एजेन्सी हमको मुकर्रर करनी चाहिए।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं समझा नहीं।

श्री रामकुमार शास्त्री—मैं समझाता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपके कहने का मतलब यह था कि गांव सभाओं की शिकायतें की गयी थीं कि वह ठीक तरह से फंक्शन (कार्य) नहीं कर रही हैं। अगर उनके जरिए कहीं नुकसान होने का अन्देशा हुआ तो एक्सेप्शन (अपवाद) के रूप में दूसरी एजेन्सी चाहे वह कलेक्टर की हो उनके जरिए रेट (लगान) वसूल किया जाएगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह—यह मेरा मंशा नहीं है। हजार में एक आध केस हो सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—मैं हजार में आधे का ही जिक्र करता हूँ। जब ऐसी बातें हैं तो हमें सतर्क होना चाहिए। उसके बजाय ऐसी एजेन्सी न मुकर्रर करदें जो मौजूदा जमाने में भूमिधर बनाने के लिए नियुक्त है। ये जो जमींदार

[श्री रामकुमार शास्त्री]
साहब हैं यह भी तो आजकल रेंट कलेक्टर ही हैं। ऐसा न हो कि इनकी जगह ज्यादा गजब की एजेन्सी आजाए। इसलिए सरकार को सतर्क रहना चाहिए। गांव सभाओं में हमारा पूरा पूरा एतबार है। हां एजूकेशन (शिक्षा) काफी तरीके से नहीं है। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उनको काफी एजूकेट करे और तब तक सतर्कता से काम करती रहे जब तक ठीक ढंग से वह कलेक्ट (वसूल) करने लायक न हो जायं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—संशोधन के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से फायदा उठा कर मैं अपने भाव को प्रकट कर रहा हूं। मैं ऐसी एजेन्सी को चाहता हूं उसका क्या अर्थ है वह तो माल मंत्री जी आप लगा लेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री रामकुमार शास्त्री की उस बात का जवाब देना चाहता हूं जो उन्होंने इस धारा के सम्बन्ध में ज़मींदारी अबालीशन फंड के सिलसिले में कही है। उन्होंने यह बयान किया है कि पहिले जो तरीके वसूली का था वह इतना अच्छा था कि सरकार के माथे पर चंदन लग सकता था लेकिन उसके बाद अब सरकार ने जो तरीका अख्तियार किया है वह ऐसा है जो सरकार के माथे पर कालिख लगाने वाला है। जब आप सरकार की तरफ थे तब तो ऐसा तरीका था जो चंदन लगाने वाला था और जब आप उधर से उठ कर अपोज़ीशन में बैठ गये तो वह तरीका कालिख लगाने वाला हो गया। यह मैं मुनासिब नहीं समझता कि यह बताऊं कि इस तरह की दलीलों में कहां तक सार है। हर एक इंसान अपने को सबसे ऊंचा समझता है। आपका कहना है कि अधिकारियों के ज़रिये से वसूल होने से ज़ुल्म होगा और सरकार की बदनामी होगी। वसूली के लिये इस धारा में जो कुछ लिखा गया है उसमें यह साफ तरीके पर लिख दिया गया है कि गांव सभायें जहां फंक्शन करती हैं वहां यह काम गांव सभाओं के जिम्मे कर दिया जायगा, लेकिन जहां यह चीज़ नहीं होगी वहां सरकार दूसरा इंतज़ाम कर सकती है। नवाब ऐज़ाज रसूल साहब ने संशोधन रखा कि यह काम उनके सुपुर्द कर दिया जाय जो दफा १९ (१) के अधीन भूमिधर बनें। मुझे वाकई इसको देखकर बड़ी हंसी आई। और याद आया कि जब औरंगज़ेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और उससे पूछा, उसे कौनसा काम दिया जाय तो उसने लड़कों को पढ़ाने का काम मांगा। औरंगज़ेब ने कहा कि अभी तक हुकूमत की बू नहीं गई। कैद में हो और हुकूमत का शौक है। ज़मींदारियां तो खत्म हो रही हैं लेकिन उसके बाद वसूली का इंतज़ाम अपने जिम्मे करना चाहते हैं। आखिरी वक्त में भी आप चाहते हैं कि किसानों के लिये जो कुछ बचा है उस पर भी पानी फेर दिया जाय।

इस संशोधन के जरिये से आपका कुछ मतलब हल नहीं हो सकता है। नवाब साहब ने कहा कि मौर्य जी को इंतजाम सुपुर्द कर दिया जायगा लेकिन उनके संशोधन के जरिये से भी मेरे लिये कोई रुकावट पैदा नहीं होती। धारा १९ (१) (ग) में जो शरह मुअइयन काश्तकार होंगे उनमें मैं भी भूमिधर बन जाऊंगा। इसलिये आप चाहते हैं कि जो जमींदार अब तक वसूल करते थे वही वसूल करते रहें, उन्हीं का इसका अधिकार बना रहे। लेकिन आपके इस संशोधन से वह मतलब हल नहीं होता है। क्योंकि अपने संशोधन में आपने साफ कह दिया है कि जो धारा १९ की उपधारा (१) के अधीन भूमिधर हो उसे ही यह अख्तियार होगा। इसलिये आपका जो संशोधन है वह आपके मंशा के खिलाफ है और वह ऐसा नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष—उसमें उन्होंने आपको भी शामिल रखा है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—इसके लिये मुझे बड़ी खुशी है कि श्री एजाज रसूल साहब मेरा ख्याल रखते हैं और शायद इसी ख्याल से उन्होंने मुझे भी शरह मुअइयन में रखा होगा। लेकिन मैं राजा वीरेन्द्र शाह से कहना चाहता हूं कि आपको वह खतरा बना ही रहता है। राजा वीरेन्द्र शाह जो अब तक मौर्य जी से रुपया वसूल करते थे हो सकता है कि अब मौर्य जी ही राजा वीरेन्द्र शाह से रुपया वसूल करने लगें। इसलिये ज्यादा मुनासिब होगा कि आप इस संशोधन को जरा और दुरुस्त करें ताकि जैसा कि राजा वीरेन्द्र शाह चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं जमींदारों को वसूली का अख्तियार दिया जाय जो अब तक जमींदार थे। आपने यह कहा कि इंटरमीडिअरीज खत्म करने का आखिर क्या मंशा है। अगर इसी तरह से सरकार अपना अधिकार किसी दूसरे को देकर उसके जरिये से मालगुजारी वसूल कराये। राजा साहब को समझना चाहिये कि इंटरमीडिअरीज और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो अब तक इंटरमीडिअरीज थे मुमकिन है कि आपका फेल अच्छा हो और अच्छे तरीके से आप सरकार का काम अंजाम दे सकते हों तो ऐसा भी हो सकता है कि रेंट वसूल करने का काम आपको ही सौंपा जाय। लेकिन इंटरमीडिअरीज ऐसी कोई चीज यह नहीं है। वे तो अपनी जमीन के मालिक थे और किसानों को अपनी जमीन देकर उनसे रुपया वसूल करते थे। लेकिन अब तो सरकार का रुपया वसूल करने के लिये कोई न कोई एजेन्सी होगी ही। वह एजेन्सी सरकारी मुलाजिम हो सकते हैं, वह एजेंसी गांव के बाशिन्दे हो सकते हैं, वह एजेन्सी कोई कलेक्टर या तहसीलदार भी हो सकता है। मगर आप तो चाहते हैं कि हर तरीके से आपको ही एजेन्सी मुकर्रर किया जाय। और सरकार द्वारा किसी दूसरे को एजेन्सी मुकर्रर करने का मौका न मिले। तो यह चीज मुनासिब नहीं है। जैसे कि और काश्तकार हैं, और भूमिधर हैं या नये भूमिधर बनेंगे औरआप भी बिना मुआविजा दिये भूमिधर होंगे तो सबको बराबर हक है, सूबे

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

में बसने वाले सभी बराबर हक़दार हैं। इस ख्याल से भी आपको इस पर विचार करना चाहिये। आज की दुनिया में आपका ही कोई खास तबक़ा ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि कोई भी प्रिविलेज हो, कोई भी खास अख्तियार हो वह आपको ही दिया जाय। अब उन प्रिविलेजेज के ऊपर बार बार सोचना कि आपके प्रिविलेजेज किसी तरह से कायम रखे जायं, यह ग़लत चीज़ है, ग़लत नुक्तेनिगाह है और गलत सोचने का तरीक़ा है। आपको इस पर बराबर इत्मीनान होना चाहिये और विश्वास रखना चाहिये कि जैसे सब के साथ इंसाफ सरकार करेगी उसी तरह से आपके साथ भी इंसाफ होगा। अगर इसी तरह से आप बराबर प्रिविलेजेज के बारे में सोचेंगे तो उसका रिएक्शन भी होता है और लोगों के दिल में गलतफहमी पैदा होती है। इसलिये आपका यह संशोधन बहुत नामुनासिब संशोधन है, ऐसे प्रिविलेज की बात कोई कानून के अन्दर नहीं होनी चाहिये। सबके साथ बराबर का ताल्लुक होना चाहिये और सबके साथ उसका बराबरी का ताल्लुक होगा, उसी तरह से आपके साथ भी सरकार का ताल्लुक होगा। किसी खास किस्म का इख्तलाफ किसी का ख्याल दूसरा हो और किसी का ख्याल दूसरा हो यह नहीं चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि आप अपना यह संशोधन वापस ले लेंगे और कोई मुनासिब तरीका बतलायेंगे जिससे रुपया आसानी से वसूल हो सके। इसलिये मुझे इत्मीनान है कि आप अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—मैं अपनी तकरीर में बावजूद इसके कि हमारे मौर्य जी ने बाज़ बाज़ चीज़ें ऐसी कहीं कि जिससे इस मुबाहसे के अन्दर गरमागरमी पैदा हो गई, लेकिन मैं समझता हूं यह मुबाहसा इस किस्म का नहीं और यह मसला जिसको लेकर हम यह मुबाहसा कर रहे हैं ऐसा नहीं कि जिसके अन्दर हम गरमागरमी पैदा करें। और जोश डालकर असली अहमियत को और कमज़ोर कर दिया जाय और यह समझा जाय कि यह जज़बाती तकरीर है और इमोशनल (जोश) लाने के लिये यह तक़रीर की जाती है। मैं समझता हूं, यह इसका मौका नहीं है। अव्वल तो मैं मिनिस्टर इन्चार्ज की जनरोसिटी की दाद देता हूं कि उन्होंने बड़े वसूख के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ बेगम साहबा का तज़किरा अपनी तकरीर में किया। उसकी वजह से उनको नवाब साहब को नालायक़ क़रार देना पड़ा और उनकी जायदाद को कोर्ट आफ वार्ड करना पड़ा। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो उम्दा चीज़ें हुआ करती हैं वह काबिलेदाद हुआ करती हैं। मुझे राधामोहन सिंह जी की तकरीर पर बड़ा रहम आया जब उन्होंने यह फरमाया कि तुमने रेंट वसूल किया और कुछ दिन हमको भी रेंट वसूल कर लेने दो। मुझे वाकई दुःख मालूम हुआ, लेकिन मैं अपने दोस्त की खिदमत में आपकी वसातत से यह अर्ज़ी करना चाहता हूं कि यही डर

है और इसी डर से यह तरमीम लाई गई है कि यह दफा जो इस बिल की है २५२ इसका ख्याल होता है और जैसा कि इस सदन में आपने इत्मीनान जाहिर किया। अगर मिनिस्टर इन्चार्ज जब यह कानून बन चुका होगा २, ४ इसी तरह की तक़रीर साफ़बयानी के साथ करें तो जी चाहता है कि हमको यह मौका दिया जाय कि उनको दाद दें। वह ऐसा ज़माना यहां पर लाये जो आज है और आगे जो मुल्क की और सूबे की हालत होगी वह बहुत गैरमौजू चीज़ होगी। मैं तो यह समझता था कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेविन्यू इसके लिये शुक्रिया अदा करेंगे। डिमोक्रेटिक पार्टी की ऐसी जायज़ तरमीम हम उनके सामने लाये वरना यह सेक्शन तो इस बिल के अन्दर एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें लिखा है कि :

"The Provincial Government may make such arrangements and employ such agency for the collection of land revenue as it may deem fit.,,

(मालगुज़ारी की वसूली के लिये प्रान्तीय सरकार ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे साधनों का उपयोग कर सकती है, जो वह उचित समझे।)

हालांकि २५३ में ऐसी चीजें बड़ी तफसील के साथ मौजूद हैं लेकिन यह जो है इससे शुबहा मालूम होता है। शुबहा क्यों है इसकी वजह आप मालूम कर सकते हैं कि क्या वजूहात हैं आपके शुबहे के और आप को क्यों शुबहा है। अभी श्री रामकुमार जी ने जो कुछ कहा, हुजूर घर का भेदी लंका ढावे। हम तो नहीं समझ सकते वह आप के बारे में बेहतर समझ सकते हैं आप उनके मुताल्लिक बेहतर समझ सकते हैं। जब उन्होंने तकरीर की तो मेरा ख्याल हुआ कि मैं ठाकुर साहब से अर्ज़ करूं कि श्री रामकुमार साहब की तकरीर के बाद हम लोग तो निर्दोश हैं और अगर हम ऐसा शुबहा करते हैं तो बेजा नहीं है। मैं नहीं कहता कि जो चीजें उन्होंने कही हैं वह सही हैं मुमकिन है सही हों या मुमकिन है गलत हों, आप उनके मुताल्लिक बेहतर जान सकते हैं और वह आपके मुताल्लिक बेहतर जान सकते हैं। जब यह चीजें दूसरी पार्टी के लोग देखें तो उनके लिए और क्या चारा रह जाता है, सिवा इसके कि वह अर्ज करें कि मेहरबानी करके यह क्लाज़ हटा दी जाय और इसको हटाने से किसी का कोई नुकसान न होगा। आप को इतना तो नुकसान ज़रूर होगा कि आपको अपनी पार्टी और जमाअत के बहुत से लोगों को अहसानमन्द बनाने का मौका कम मिलेगा, मैं इसको नैपाटिज़्म तो नहीं कहूंगा लेकिन यह ज़रूर कहूंगा कि आपको लोगों को अण्डर आब्लीगेशन करने का मौका कम रहेगा, लेकिन इससे सरकार का दामन साफ हो जायगा और उस पर कोई धब्बा बाकी न रहेगा। नवाब ऐज़ाज़ रसूल साहब ने निहायत समझदारी के साथ इस तरमीम को तरतीब दिया है और उन्होंने इसमें सबसे हले यह चीज़ रखी है कि आपकी कलेक्शन की जो नई मशीनरी बने वह

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

आपकी गांव पंचायत या गांव रिपब्लिक हो। जो कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा एचीवमेंट है। ऐसी सूरत में आपने जो सही किस्म की बुनियाद डाली है उसी मशीनरी से आपको आइन्दा वसूली करनी चाहिए और आपकी इन विलेज रिपब्लिक से अच्छी वसूली करने के लिए कोई और बाडी नहीं हो सकती है। पहली चीज तो इस अमेंडमेंट की यही थी कि हम चाहते हैं कि जहांतक हो सके जितने गांव समाज और पन्चायतें हैं उन्हींके जरिए से आप लगान वसूल करें इसके बाद यह सवाल हो सकता है कि आपने यह तमाम चीजें अपने जिम्मे क्यों नहीं लीं। जिस वक्त जमींदारी इनटैक्ट थी और आज भी हम मुल्क की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। यह सवाल हो सकता था जिसका जवाब हमारी तरफ से मुश्किल था कि हम अब मुल्क की खिदमत करने को तैयार हैं या नहीं। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर आपको हमारी खिदमात की जरूरत हो तो हम अपने गमोगुस्से में या इस बिना पर कि हमारी जमींदारी छीन ली गई है कभी इनकार न करेंगे बल्कि फिर भी स्टेट की सेवा सूबे की खिदमत और सरकार के हुक्म की तामील करने के लिए तैयार होंगे। मुझे अफसोस है कि वह चीजें जो वालंटियरी स्प्रिट में रजाकाराना स्प्रिट में पेश की गईं उसको भी इस तरह से यहां समझा जाता है। जनाबवाला तमन्ना इस तरह से निकलती है कि जैसे राधामोहन सिंह की जबान से निकल गया कि इतने दिनों तक तो जमींदार की हैसियत से वसूल किया तो कुछ दिनों इस मजे को हमें भी चखने दीजिए। आपकी यह क्लाज मौजूद है, इन्सान की तो कमजोरियां होती ही हैं उनकी आरजू पर यह काम कलेक्शन का भी उनके सुपुर्द कर दिया जाय।

अगर आपकी रेवेन्यू कलेक्शन की मशीनरी गलत हो जावेगी तो इसके मानी यह होंगे कि आप इस सूबे की बुनियादों को उखाड़ रहे हैं। यह बहुत सीरियस कसीडरेशन का मुकाम है कि आपकी कलेक्शन की मशीनरी क्या होनी चाहिए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप इस क्लाज को इसके अन्दर न रहने दीजिये जिससे आपके ऊपर आगे चल कर नैपोटिज्म और जाबरी वगैरा के इल्जामात न लगाये जा सकें। हमको दुःख होता है अगर कोई भी शख्स हमारी सरकार के ऊपर या उसके किसी फर्द के ऊपर ऐसे इल्जामात लगाता है। हमें रंज होता है जब कोई शख्स इस तरह के इल्जामात हमारी सरकार के ऊपर लगाता है। इसी अन्दाज से यह कहा गया है कि आप इस क्लाज को निकाल दें। अगर हम किसी की जबान से अपनी गवर्नमेंट की बुराई सुनते हैं तो वाकई हमें निहायत अफसोस होता है और दुःख होता है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—जो मेरी दिक्कत बतलाई गई उस पर भी कुछ फरमा दीजिये, वह तो अभी तक हल नहीं हुई।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—यह तो आपने इस तरह से हल कर ही ली है कि अगर नवाब साहब न करें तो बेगम साहिबा करें। उन्होंने इन्तज़ाम किया तो सही और नवाब साहेब ने किया तो सही। दो बैल जुड़े हुए हैं और घर का इन्तज़ाम चला रहे हैं। आप भी उसी हैसियत में हैं तो फिर मजीद जवाब देने की जरूरत नहीं।

अगर देखने वाला इस बिल को देखेगा तो एक दम उसकी नज़र यह जायगी कि जब अगले दफ़ा के अन्दर आपने कलेक्शन की पूरी मशीनरी बयान की है तो आख़िर यह एक चीज़ कैसी है? मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि आपको इसके अन्दर कोई लूपहोल नहीं छोड़ना चाहिए और अगर अपोज़ीशन की तरफ से ऐसा लूपहोल कोई बतलाया जाता है, तो आपको वह बन्द करना चाहिए बिला इस ख्याल के कि यह ग़लती किसने बतलाई है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लोग तरह-तरह के इल्ज़ामात आयद करेंगे और आपको जवाब देना मुश्किल हो जावेगा। गवर्नमेंट की हैसियत से आपको यह सब बातें संभालना बहुत दुश्वार हो जावेंगी। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यह अर्ज़ करूंगा कि जो तरमीम रखी गई है वह हर हैसियत से निहायत सही और दुरुस्त है। आप बिला वजह अपने ऊपर इल्ज़ाम न ओढ़िये। आप इसरार न कीजिये कि जो चीज़ अपोज़ीशन की जानिब से कही जाती है वह ज़रूर ही नामुनासिब होती है। वरना जितना आप इसरार करेंगे उतने ही हमारे शकूक और मज़बूत होते जावेंगे। आप हर चीज़ को जौंडिस्ड आई से न देखिये। जौंडिस्ड आई से अगर आप चश्मा उतार कर भी देखेंगे तो आपको हर चीज़ दूसरे ही रंग की दिखाई देगी। अगर आप ठीक आंख से देखेंगे तो आपको मालूम होगा, और आप खुद तसलीम करेंगे कि अपोज़ीशन आपके ऊपर बड़ा एहसान कर रही है। उसने बड़ी इनायत की है नवाब एजाज़ रसूल साहेब ने ऐसी माकूल चीज़ की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जह दिलाई है कि अगर वह नहीं तसलीम की जावेगी और उनकी तरमीम नहीं मंजूर की जावेगी तो आइन्दा आनेवाले जो भी रेवेन्यू मिनिस्टर होंगे वे सब बदनाम होंगे। इन चन्द अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस तरमीम की ताईद करता हूं।

श्री श्यामलाल वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन ऐजाज़ रसूल साहब ने पेश किया है मैं उसका बिरोध करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मैंने दोनों तरफ के व्याख्यानों को बहुत ग़ौर से सुना, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि डमोंक्रैटिक पार्टी के लोगों को इतने जोशोखरोश से बोलने की क्या आवश्यकता हुई। मामला सीधा-सादा सा है। वह इस प्रकार है कि यदि गांव सभाएं या पंचायतें रेंट कलेक्शन (लगान की वसूली) का काम पूरा न कर सकें, किन्हीं कारणों से, तो सरकार वसूली के लिए क्या करे, केवल इतना अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है।

[श्री श्यामलाल वर्मा]

इस छोटे से मामले को लेकर अपने व्याख्यानों में इतना जोश लाने की क्या आवश्यकता है ? अगर उन्हें यह महसूस होता है कि २२ लाख आदमियों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो इसके लिए वह मुझे माफ़ करेंगे । अगर मैं यह कहूं कि अगर वह अपने इतिहास को देखें, अपने कारनामों को देखें, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आती है, हमारे ऊपर नहीं । जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं और हमें आंखें दिखाना बेकार है ।

श्री ऐजाज़ रसूल—यह शिकायत नहीं है, आप दफा २५२ पढ़िये ।

श्री श्यामलाल वर्मा—जी हां, केवल इतना ही है कि अगर गांव सभाएं लगान की वसूलयाबी करने में असमर्थ रहें तो उस हालत में सरकार क्या करेगी ? लेकिन दूसरी बात मैं आप के सामने उसूल की रखना चाहता हूं । आखिर जो सरकार यहां क़ायम है वह मनमाने ढंग पर या तलवार के ज़ोर पर यहां नहीं बैठी है । जनता का समर्थन प्राप्त करके और जनता का आशीर्वाद ले करके वह यहां पर बैठी है और जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जब हम इलेक्शन लड़ने के लिए जनता के सामने गये तो हमने उनसे ज़मींदारी को ख़त्म करने का वचन दिया । उनके वोट से हम यहां आये और आज हम उन्हीं के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं । आपको घबराने की क्या ज़रूरत है ? अभी-अभी एक साहब कह रहे थे कि आप बहुत बदनाम हो चुके हैं और एक साहब यह कह रहे थे कि आपके माथे पर कलंक का टीका लग चुका है । मैं यह कहता हूँ कि आज वह एक पार्टी में हैं, कल दूसरी पार्टी में हैं, परसों तीसरी पार्टी में हैं, एक जगह हाथ मारने की कोशिश करते हैं और अगर हाथ नहीं लगता है तो दूसरी जगह भागते हैं । इस प्रकार जो आदमी जिस घोषणा—पत्र के आधार पर और जिस पार्टी की सहायता से एक स्थान पर पहुंचा हो, आज उसी को लात मार करके दूसरी जगह भागने की कोशिश करे तो उसके माथे पर कलक का टीका नहीं लगेगा तो क्या लगेगा ? यह सीधी सी बात है । इसके अलावा अभी एक साहब कह रहे थे कि सरकार बहुत बदनाम हो चुकी है । मैं यह कहता हूँ कि बदनाम होने की क्या बात है ? अगर सरकार बदनाम हो चुकी होती तो यहां आज नहीं बैठने पाती । जो कोई भी सरकार जनता के आशीर्वाद से जनता के आदेश से और जनता की आज्ञा से यहां बैठती है, उसके अख्तियारात भी होते हैं थोड़े अख्तियारात के ले लेने पर हाय-तोबा मचाने की आपको आवश्यकता नहीं है । अगर आप यह कहते हैं कि हम बदनाम हो चुके हैं, तो कल आप भी इन बेंचों पर बैठ सकते हैं, परसों कोई तीसरे लोग बैठ सकते हैं अगर जनता उनके साथ है, लेकिन जब कोई यहां बैठेगा तो उस के अख्तियारात अवश्य आयेंगे । डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) में, हर देश की डेमोक्रेसी में चाहे इंगलैंड में हो, चाहे अमरीका में हो' जब कोई

पार्टी सरकारी बेंचेज पर बैठती है, तो उसके हाथ में बहुत कुछ अख्तियारात आते हैं। उन अख्तियारात को जनता के हित में व्यवहार में लाना उस पार्टी का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार हमारी हुकूमत अपने अख्तियारात को जनता के हित में बराबर इस्तेमाल करती आयी है और यही कारण है कि आज हमारी सरकार यहां बैठी है। इस छोटी सी बात के लिए जोश खरोश दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ कि जमींदारों के प्रति जो भावना जनता में विद्यमान है उसका कारण स्वयं जमींदार साहबान हैं। अगर असली हालात में आप जायेंगे तो, अगर सरकार आपका बचाव करना छोड़ दे, अगर सरकार यह समझे कि इनको हमको मन माने ढंग पर जनता के हाथ में छोड़ देना है, यकीन रखिये कि जनता को थोड़ी ही शह देने पर वह जनता दौड़ कर आपको नोच नोच कर खा जायगी। आपको तो सरकार का एहसान मानना चाहिये कि किस प्रकार जनता के जो न्यायानुकूल अधिकार हैं वह उनको सौंप कर आपकी भी जान व माल की रक्षा की है। बजाय इसके कि आप सरकार के इसके लिये कृतज्ञ हों नाना प्रकार से आप सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है तो इसलिये इस छोटे से मामले में जिसमें कोई भी सरकार हो, आप हों, कोई भी हो, कोई भी सरकार यहां पर बैठेगी तो कोई न कोई इन्तजाम उनको करना होगा। शासन की भलाई के लिए यह आवश्यकीय है कि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि गांव सभा और अदालती पंचायतें उस काम को पूरा करने में असमर्थ हों तो सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार रहने चाहिये।

मैं समझता हूं कि आपका जो अमेंडमेंट (संशोधन) है वह मुनासिब नहीं है और आपको चाहिये कि इसको वापस ले लें। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री सुल्तान आलम खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एजाज रसूल साहब की तरमीम और उसपर जो तकरीरें हुईं उनको सुनने के बाद इस बात का खयाल पैदा हुआ कि मैं भी कुछ अपना इजहारे खयाल इस दफा के मुताल्लिक करूं। जनाब वाला, अब ऐसा महसूस होता है कि इस बिल के बनाने के वक्त जो नियत कारफरमा रही, उसके मातहत बराबर ऐसे मौके आते रहे कि जिन में इस किस्म के प्राविजन (निदेश) रखे गए हैं कि जिनमें गवर्नमेंट अपने लिये ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात हासिल करती जाती है। मैं या कोई शख्स भी इस बात के खिलाफ नहीं हो सकता कि जो अख्तियारात जरूरी हों वह हासिल न किये जायें, लेकिन मैं एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि बाज-बाज बातों में गवर्नमेंट ऐसे अख्तियारात हासिल कर रही है जिनकी जरूरत नहीं थी। मैं आपकी इजाजत से जिस दफा के मुताल्लिक यह तरमीम है वह पढ़ना चाहता हूं।

[श्री सुल्तान आलम खां]

उसमें लिखा हुआ है कि :

"The Provincial Government may make such arrangements and employ such agency for the collection of land revenue as it may deem fit."

(मालगुजारी की वसूली के लिये प्रान्तीय सरकार ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे साधनों का उपयोग कर सकती है जो वह उचित समझे।)

इससे ज़ाहिर यह होता है कि वह एजेंसी जो इस सिलसिले में बनाई जायगी और जो तरीका होगा वह सिर्फ वही होगा जो गवर्नमेंट चाहती है। अगर काश गवर्नमेंट इस दफा के अन्दर समझती कि "इट मे बी डीम फिट" (जो वह उचित समझे) के बजाय "इट मे प्रेस्क्राइब" (जो वह निर्धारित करे) ज्यादा मुनासिब है तो शायद इसका मन्शा यह होता कि वह रूल्स (नियम) बनाना चाहती है और रूल्स के अन्दर यह चीज रखना चाहती है कि वह एजेंसी क्या होगी और वह तरीका क्या होगा जो वह एम्पलाय (प्रयुक्त) करेंगे, लेकिन इससे साफ जाहिर यह होता है कि गवर्नमेंट ने न तो इस दफा के अन्दर प्रेस्क्राइब (निर्धारित) किया न ऐसा प्रोवीजन (निर्देश) किया, न रूल्स के अन्दर ही कोई चीज रखना चाहती है जिससे हमको मालूम होता है कि उसका दिमाग क्या काम कर रहा है और वह क्या तरीका है जो वह इस्तमाल करेगी और ऐसा मालूम होता है कि जो शिगून इस दफा के मुताल्लिक किये गये हैं वह बड़ी हद तक सही हैं। कहा तो यह गया है कि इस तरफ से कोई ऐसी बात नहीं रखी गई जिस से यह मालूम हो कि उस तरह का जो प्रोवीजन इसके अन्दर रखा गया है उसमें कोई गलती या कमी रह गयी है। मै यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो प्रोवीजन इस बिल के अन्दर रखा है वह खुद इतना गलत है, इतना गोल मोल तरीके पर तकरीर की गई है कि उसमें कोई यह पता नहीं चलता कि वह क्या करने वाले हैं।

यह सही है कि जमींदारी खत्म हो रही है और मालगुजारी की वसूलयाबी के लिये कोई न कोई आल्टरनेटिव (अन्य इन्तजाम) करना पड़ेगा, लेकिन वह इन्तजाम क्या होगा वह किस तरीके पर किया जायगा यह हमें नहीं मालूम। एक दफा नीचे आती है उससे पता लगता है कि वह इन्तजाम पंचायतों के सुपुर्द होगा लेकिन मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी तकरीर में फरमाया जो दफा २५३ का प्रोवीजन है वह यह है कि गवर्नमेंट को काफी शकूक हैं कि पंचायतें सही तौर पर इस काम को अंजाम नहीं दे सकेंगी। मैं जानता हूं कि उनका खयाल सही है कि पंचायतें जिस इब्तिदाई हालात में चल रही हैं उनसे कुछ ज्यादा तवक्को करना बहुत बड़ी गलती होगी। पंचायतें अगर काम ठीक नहीं करतीं तो उसके लिये क्या आल्टरनेट सिस्टम रखना होगा। उसके लिये दूसरा अरेंजमेंट (प्रबन्ध) यह हो सकता है कि सरकारी अफसरों के जरिये से इस काम को अन्जाम दिया जाय, लेकिन अगर सरकारी अफसर इस काम को अंजाम न दें तो फिर कोई गैरसरकारी एजेंसी रखनी पड़ेगी। लेकिन दफा २५२ में जैसा लिखा हुआ है कि न इस ऐक्ट से सवाल

किया जा सकेगा और न रूल्स में कहीं कोई प्रोवीज़न है, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट की स्वीटविल (इच्छा) पर मुनहसिर होगा जिसको चाहे रख दे। यह तरीका किसी भी सूरत से मुनासिब नहीं है और न वाकई अख्तियारात गवर्नमेंट के लिये मुनासिब होंगे और न यह भवन के शायानेशान है कि इस किस्म के अख्तियारात गवर्नमेंट को देदें और इसके बाद न कोई उससे पूछ सके कि क्या तरीका आपने रखा है। अब सवाल यह है कि आखिर वह गैरसरकारी एजेन्सी (साधन) और क्या हो सकती है और मेरा जाती ख्याल यह है और मैं समझता हूँ कि अपनी जगह पर वह सही है कि अगर पंचायतों के ज़रिये से सही काम नहीं हो सकता है तो वह पिछले लम्बरदार जो इस काम को करते रहे, उनके सुपुर्द इस काम को किया जाय वह लम्बरदार इस काम से वाकिफ हैं और इस काम का तजुर्बा रखते हैं। आखिर उनको क्यों इस काम में एलीमिनेट (निराकृत) कर दें। यह कहां तक मुनासिब होगा? यह हो सकता है कि जो वसूलयाबी लम्बरदार से होती है उसमें तरमीम करदें या उसी सूरत से उसको दें, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर आप उनसे इस काम को ले तो यह तरीका सस्ता भी पड़ेगा और आसानी से काम चलाया भी जा सकता है। इसके माने यह हरगिज़ नहीं हैं कि आप दूसरी एजेन्सी नहीं रख सकते। और कोई एजेन्सी आप इसी तरीके की मुक़र्रर कर सकते हैं लेकिन जैसा कि खुद मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मुनासिब तरीका तो यही हो सकता है कि पंचायतों को यह अख्तियार दिया जाय, लेकिन खुद गवर्नमेंट को इस बात में शकूक हैं कि मंज़िल में वह सही तरीके से इस काम को अन्जाम नहीं दे सकतीं और अगर नहीं कर सकती तो फिर दूसरे तरीके की जो दूसरी एजन्सी हो सकती हैं वह लम्बरदारों की हो सकती है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस मामले पर गौर करे। इस बिल में आपने यह प्रोवीज़न नहीं रखा कि वह एजेन्सी क्या होंगी और यह लिख दिया 'गवर्नमेंट मे डीम फिट' अगर उसकी जगह यह रख दिया जाय कि "ऐज़ मे बी प्रस्काइ-ड" (जैसा निर्धारित हो) तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। होना तो यह चाहिये था कि यह बुनियादी और उसूली मामला है और यह इस ऐक्ट के अन्दर आ जाना चाहिये था, लेकिन अगर किसी मसलहत की वजह से इस ऐक्ट के अन्दर आप नहीं रखना चाहते थे तो कम से कम रूल्स के अन्दर इसका प्रोवीज़न हो जाना चाहिये था ताकि रूल्स इस हाउस के अन्दर आ जाते और यहां के मेम्बरान को इस बात का मौका होता कि वह इस पर विचार करें और अपने ख्यालात रखते। लेकिन गवर्नमेंट बैकडोर से (छिपाकर चालाकी से) इसे रखना चाहती है और वह रूल्स में नहीं रखना चाहती और न ऐक्ट में, बल्कि अपनी स्वीटविल पर वह मुनहस्सिर रखना चाहती है कि जो एजेन्सी चाहे रक्खे जिस तरीके से चाहे काम ले। यह तरीका मुनासिब नहीं है और मैं माफ किया जाऊं अगर मैं यह कहूँ कि यह तरीका फासिस्ताई जहनियत से मिलता जुलता है। चाहिये तो यह था कि आप यहां साफ-साफ बतलाते कि जमींदारी के खात्मे के

[श्री सुल्तान आलम खां]

बाद कौनसा वह आलटरनेट (अन्य तरीका) वसूलयाबी का आप रख रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने माइंड मेकअप (इरादा निश्चित) न किया हो तो उन्हें चाहिये यह कि इसमें लफ्ज "ऐज मे बी प्रेस्क्राइब्ड" रख दें ताकि उसपर फिर गौर हो सके। और उसके बाद रूल्स में उसको प्रेस्क्राइब करें और वे रूल्स सदन के सामने रखे जांय ताकि लोग पढ़ सकें और गौर कर सकें और फिर उस पर अमल हो। इन अल्फाज के साथ मैं अपने दोस्त श्री ऐजाज रसूल साहब की तरमीम की ताईद करता हूं।

श्री गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र नवाब ऐजाज रसूल साहब ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। संशोधन बहुत साफ है। दफा २५२ की रू से सरकार ने अख्तियार ले लिया है कि वह कोई भी एजेंसी मालगुजारी वसूल करने के लिये रखे और दफा २५३ की रू से उसने गांव सभा को अधिकार दिया है कि जो गांव सभा हो वह मालगुजारी वसूल करे। अब हम यह चाहते हैं कि वसूल करने का अधिकार पहले गांव सभा को हो, इसको हम इंश्योर (आश्वस्त) करना चाहते हैं कि गांव सभा वसूल करे और उसके बाद गवर्नमेंट के पास केवल दो ही तरीके रह जांय, एक तो गांव सभा से वसूल करने का और दूसरा इंटरमीडियरीज (मध्यवर्तियों) के जरिये से वसूल करने का। गवर्नमेंट एजेंसी के सम्बन्ध में हम लोगों का जो खास विरोध है वह इसलिये है कि श्रीमान जी, इधर जमींदारी अबालीशन फंड (जमींदारी उन्मूलन कोष) के कलेक्शन (वसूली) में देखा कि गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि छोटे छोटे कर्मचारियों की होती है, ने अपने अधिकारों का बहुत ही दुरुपयोग किया और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने गवर्नमेंट एजेंसी के जरिये से, यानी इन छोटे छोटे सरकारी कर्मचारियों के जरिये से, वसूल तहसील कराई तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा और जनता में बहुत गड़बड़ी पैदा होने का अंदेशा है। माननीय माल मंत्री ने हमेशा यही कहा जब हमने जेड० ए० एफ० (जमींदारी उन्मूलन कोष) के सिलसिले में कोई बात कही, कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तमाम ऐसी शिकायतें आई हैं जब सरकारी एजेन्सीज के जरिए काम हुआ है तो बहुत परेशानियां हुई हैं। मेरे पास दो एक सबूत आए हैं जो सूचक हैं कि सरकारी एजेन्सीज द्वारा काम करने के किस तरह के परिणाम होते हैं और कितनी सख्ती से वसूलयाबी होती है मैं श्रीमान की आज्ञा से पढ़ कर सुना देना चाहता हूं कि ऐसी बातें हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इसको माननीय माल मंत्री जी नहीं मानेंगे, फिर भी मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ। यह पत्र मेरे पास गोरखपुर से आया है। मेरी मंशा कोई गवर्नमेंट को बदनाम करने की नहीं है, न बिला वजह कोई आक्षेप करना चाहता हूं। लेकिन अगर गलत भी हो तब भी आप निष्पक्ष जांच करें और देखें कि वाकई जो शिकायतें आती हैं वह कहां तक सही हैं और कहां तक गलत।

माननीय श्री हुकुमसिंह—क्या इसकी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया गया ? जो आप पढ़ कर सुनाना चाहते हैं उसको आप गवर्नमेंट की नोटिस में लाए ?

श्री गुरु नारायण—मै श्रीमान की आज्ञा से यह बतलाना चाहता हूं कि सरकारी एजेन्सी द्वारा काम करने से क्या परिणाम होते हैं, क्या-क्या दुश्वारियां होती हैं। अगर यह भवन भी दो चार बाते सुन ले तो इसका अन्दाज़ा सरकार को हो जाएगा।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी—आपने इसकी जांच कर ली है ?

श्री गुरु नारायण—पहले आप सुन लें। आप तो मानेंगे नहीं। मुझे है कि त्रिपाठी जी भी इस वक्त, जो इस चीज़ के कर्णधार हैं, यहां उपस्थित ह। मै कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष—आपसे एक सवाल पूछा गया कि आपने इसके सही होने की जांच कर ली है ? किसी ज़िम्मेदार या गैर ज़िम्मेदार शख्स ने इसे लिख कर भेज दिया हो।

श्री गुरु नारायण— ज़िम्मेदारी का सवाल ही नहीं उठता। अखबारों में भी यह छप चुका है।

उपाध्यक्ष—अखबारों की हर बात सच नहीं होती। आप मेम्बर की हैसियत से ज़िम्मेदारी ले कर पढ़ सकते हैं।

श्री गुरुनारायण—२५० से ज्यादा काश्तकारों के दस्तखत से यह पत्र आया है। रजिस्ट्री की हुई यह चिट्ठी है। यह इस प्रकार है:

श्रीमान, महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम निम्नांकित काश्तकारान, तहसील फरेन्दा टप्पा भारी बैमी, परगना हवेली, ज़िला गोरखपुर, अन्दर इलाका नेतवर के हैं। हम ग़रीबों ने जहां तक हो सका अपना पेट पर्दा काट कर अपने बच्चों का आहार बेच कर दस गुना जमा किया है अब लाचार होकर कुल पूरा जमा नहीं कर सकते हैं जिसकी वसूली के लिये श्रीमान् तहसीलदार साहब महोदय व श्री क़ानूनगो साहब महोदय, व श्री पटवारी आदि गारद, हथियार बद बदूक वगैरा लेकर हम ग़रीबों के गांव में आते हैं जिनको देखकर हमारे ग़रीब बच्चे व औरतें मकान छोड़ के नहीं मालूम किधर किधर भाग कर अपनी जान छिपाती हैं और हम ग़रीब काश्तकारों को जबर्दस्ती मकान के अन्दर या जहां भी हम लोग गारद वगैरा के डर से छिपे रहते हैं बदमाश सिपाहियों से पकड़वाकर

[श्री गुरु नारायण]

पिटवाते हैं, निहुराते हैं, पीठ पर ईंट रखवाते हैं, बुरी बुरी तरह से बेइज्जती करते हैं। हम गरीब कितनी ही मुसीबत में परेशान हो कर कराहते हैं मगर इन ज़ालिमों के दिल में लेशमात्र भी दया नहीं आती। जहां तक जुल्म व बेइज्जती, मारपीट कर सकते हैं, करते हैं, ऐसी बुरी दशा डाकू भी नहीं करते हैं, जैसी हालत ये लोग करते हैं। कैसा भी पत्थर वाला दिल का आदमी होगा ऐसी दशा कभी एक गरीब बेगुनाह की नहीं करेगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि आजकल के हाकिमान कैसे कट्टर दिल वाले हो गये हैं। हम प्रजा ने यह जाना था कि अब राम राज्य स्थापित हो गया और सतयुग लग गया है मगर हमारे सारे अरमान पर पानी फेर दिया जा रहा है, और रावण राज्य से भी अबतर बनाया जा रहा है। ऐसी दशा, मारपीट, बेइज्जती न जमींदार की तरफ से हुआ था न सरकार की तरफ से हुई थी। हम लोगों ने यह सुना था कि दस गुना जमा करने में किसी काश्तकार को कभी भी मजबूर नहीं किया जायगा। यह श्रीमान पंडित नेहरू महोदय और कई श्रीमान् लोगों के मुखारबिंद से निकली हुई आवाज है जिसका कि आज उलंघन किया जाता है। जब ऐसे महान पुरुषों के साथ ऐसी बात हाकिमान करते हैं तो हम गरीबों की क्या हालत होगी? अब आशा, निराशा है, ईश्वर ही सहायक है, हम गरीबों की कराह सुनें। अब दशा अबतर है। जब इज्जत नहीं बाल-बच्चों की ऐसी बुरी दशा हर जगह है तो जीना धिक्कार है

हमारे जमींदार श्रीमती मि० बी० ई० आरगिस साहबा से हमेशा कई प्रकार की मदद हम काश्तकारों को मिला करती थी सो आज उनकी भी हालत खराब हो रही है, उनसे हम लोग कुछ मदद मांगते हैं तो वह कहती हैं कि तुम्हारे लोगों की तरह तहसील के हाकिमान हमको भी परेशान कर रहे हैं, लगान व कई प्रकार की टैक्स की वसूली में कई तरह से सताये जा रहे हैं अगर मेरे पास रुपया होता तो मैं फौरन तुम लोगों की यह हालत देख कर कर्ज जैसे पहिले गल्ला व रुपया दिया करती थी बिला सूद दस गुना जमा करने को दे देती और इस मुसीबत से छुटकारा दिला देती।

यह भी कहा गया था कि बलराम भगत मौजा बैजनाथपुर वाले काश्तकार को बारह माह के लिये नजरबंद कर दिया जावे जिसके लिये हमारे जमींदार ने बहुत कोशिश की तब जान बची। अतः अंतिम प्रार्थना है कि श्रीमान जल्द से जल्द जांच पड़ताल करा कर इस महान आपत्ति से बचावें।

श्रीमान् जी, इस तरीके पर और भी दरख्वास्तें आई हैं।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी—उन जमींदार साहब का नाम तो बता दीजिये।

श्री गुरुनारायण—मीसेज बी ई० आरगिस। अगर उन्होंने एक बात लिख दी है तो क्या गलती उन्होंने की ? आप हुक्म ही तो देते हैं लेकिन अगर

आपके कर्मचारियो ने उसमें कोई ग़लती की है तो आपका कर्तव्य है कि आप उनके लिये अहतियात करत। अगर उनके बारे में आपसे कुछ कहा जाता है तो आपको इसके लिये नाराज़ नहीं होना चाहिये। जब आप सरकार हैं तो जो जनता की परेशानी या मुसीबत होगी वह आप तक पहुंचाई ही जायेगी। यह हमारा धर्म है कि हम उसे सरकार के पास तक पहुंचायें। यह मैंने महज़ गवर्नमेंट को बदनाम करने की ग़रज़ से नहीं कहा है, मेरा जो विरोध इस धारा से है वह ख़ासतौर से इसलिये है कि अगर उसकी वसूली आप छोटे छोटे कर्मचारियों के हाथ में रखते हैं तो बेशक उसका परिणाम भी यही होगा। हमारे माननीय माल मंत्री जी ने एक शंका प्रकट की थी कि हम ज़मींदारों को फिर से इसके लिये मुकर्रर करवाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की ओर से माननीय माल मंत्री देखें तो उनको मालूम होगा एक ऐसा संशोधन रखा गया है और उसमें दूसरी ही व्यवस्था की गई है। मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से उसे पढ़ना चाहता हूं :

"Provided that if the agency for the collection of land revenue is not the one mentioned in section 253, the agency for the collection of the land revenue of the mahal shall be a tenure-holder residing in the mahal who has been nominated by a majority of the tenure- holders in the mahal."

(किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मालगुज़ारी वसूल करने का साधन वह नहीं है जो धारा २५३ में उल्लिखित है तो महाल की मालगुजारी ऐसे खातेदार द्वारा वसूल की जायगी, जो उसी महाल में रहता हो और जिसे उस महाल के खातेदारों ने बहुमत से नामजद किया हो।)

इसकी मन्शा यह है कि हम यह नहीं कहते हैं कि ज़मीदारों को ही इस काम को दे दिया जाय। अगर आपको यह संशोधन पसन्द नहीं है तो आप ज़मींदार को ही नहीं किसी भी टिन्योर होल्डर (खाते दार) को, जो कि उस गांव का रहने वाला है और जिसको लोग मैजोरिटी (बहुमत) से चुन लेते हैं, आप मालगुज़ारी वसूल करने वाला मुकर्रर करदें। अब आप यह बतलावें कि इसमें क्या आपत्ति हो सकती है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—श्रीमान् जी, मैं आपके ज़रिये यह दरियाफ़्त करना चाहता हूँ कि यह कौन सी तरमीम है जिसका हवाला दिया गया है। किस नम्बर पर है।

श्री गुरु नारायण—वह तरमीम नं० ९०५ पर है, कार्यक्रम के। उसमें हम लोगों ने प्रोवीजन (प्रबन्ध) किया है और उसका मन्शा यह है कि हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो भी वसूलयाबी हो, उससे हम जनता को सरकारी एजेंसी (साधन) से बचाना चाहते हैं। जब आप गांव वालों को विलेज रिपब्लिक (ग्रामीण-जनतन्त्र) का अधिकार देने जा रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि उनको आप ऐसे अधिकार न दें। तो यह जो आगे तरमीम है अगर इसको भी आप मंजूर कर लेते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि कोई न कोई बेहतरीन आदमी गांव में जरूर मिल जायगा जो वसूली करके सन्तोषजनक काम दिखला सके। मैं फिर इसको साफ कर देना चाहता हूँ कि इसको पेश करने से हम लोगों का मन्शा कभी भी यह नहीं है कि आपके ऊपर किसी तरह का आक्षेप किया जाय। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह जानते हुये कि यह अच्छा काम है इसको इस तरह से करना चाहिये लेकिन फिर भी हम लोगों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि हमारे यहां के सरकारी कर्मचारी भी सही तरीके पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह स्वभाविक बात है कि उन्हें आपको किसी तरह से खुश करना है लिहाजा उन्हें कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसका नतीजा अच्छा नहीं होता। मैं बाद में माननीय माल मंत्री जी को यह तमाम कागजात दिखलाऊंगा और फिर उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे पहले एक बार इसकी जांच करलें और तब जो उचित कार्यवाही हो उसे करें। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ऐजाज रसूल—मैंने माल मन्त्री जी की तकरीर बहुत गौर से सुनी और मौर्य जी, राधामोहन सिंह और श्यामलाल जी की तकरीरें भी बहुत गौर से सुनीं। जहां तक मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है उन्होंने मेरे शकूक का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पहले भी यह कहा था कि अगर यह दफा २५२ कायम रहेगी तो उसके होने से लोगों को बहुत शक होगा क्योंकि आज कल डमोक्रेसी (जनतन्त्र) का जमाना है और आज इस सूबे में भी यहां की मिनिस्टरी की नुक्ताचीनी हो रही है तो मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब को उसके अन्दर नहीं लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे उससे दूर रहें और इसलिये मैं चाहता हूं कि यह दफा २५२ न रखी जाय। क्योंकि अगर यह दफा रखी गयी तो पार्टी के असरात की वजह से जो आइन्दा एलेक्शन (चुनाव) आयेगा और खास कर मौर्य जी के शोषित संघ का जब जोर लगेगा तो उसका यह नारा हर जगह सुनाई देगा ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, इन सब का हो मुंह काला।" तो उससे बचने के लिये इस दफा को हटाना चाहिये।

हजूरवाला, अगर यह उनका नारा है, यानी 'शोषित संघ का यह नारा, आप क्यों करते हैं सरकार का मुंह काला" इस तरह का उनका नारा है और वह सरकार को बचाने के लिये कहते हैं, क्योंकि अब एलेक्शन का वक्त आ गया है जिसके लिये हमारे शोषित संघ के लीडर तैयार हो रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उनको इस मालगुजारी के वसूल करने का ठेका दे दिया जाय और वह रुपया वसूल करने का नारा लगायें। दूसरी तरफ जन कांग्रेस है जिसकी वजह से गवर्नमेंट काफी बदनाम हो रही है। मैं इन सूरतों से उसको बचाना चाहता हूँ वरना २५२ दफा कायम रही तो जो एतराज आज पेपर्स (समाचार-पत्रों) में हो रहे हैं उनसे गवर्नमेंट को बचाना चाहता हूं, ख्वाह यह गवर्नमेंट हो या कोई दूसरी गवर्नमेंट हो। यह दफा कायम रही और इमानदारी से भी इन्तजाम किया तो भी वह बात नहीं हासिल हो सकती है। मेरी तरमीम जो है हजूरवाला, वह बहुत साफ है। मैं चाहता हूं कि गांव पंचायत के सुपुर्द यह इन्तजाम कर दिया जाय। आपको पंचायत के लोगों पर विश्वास नहीं है। आप खुद कहते हैं कि वह अच्छा काम करते हैं और कामयाबी के साथ वह पंचायतें चल रही हैं तो फिर उनको निकालने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट ने खुद दफा २६३ इस ऐक्ट में बनाई है उसमें लिखा है कि अगर कहीं वसूलयाबी में रुकावट हो और वसूलयाबी न हो तो कलेक्टर को अख्तियार है कि वह पंचायत को मुअत्तल करदे और खुद रुपया वसूल करे। जब यह अख्तियार वसूलयाबी के मुताल्लिक है तो २५२ में इस चीज को रखने की क्या जरूरत है कि जिसको गवर्नमेंट चाहे और जिसको मुनासिब समझे उसके जिम्मे वसूलयाबी का इन्तजाम करे और २६३ में भी जब इस तरह की बात है तो फिर आप को क्यों एतराज होता है? मैं समझता हूं गांव पंचायत जो है या जिन्होंने आज तक काम किया है और वसूलयाबी करते आये हैं उनके सुपुर्द यह काम कर दिया जाय। हमारे दोस्त श्यामलाल जी ने तकरीर की। उनको उनकी तकरीर मुबारक रहे। वह तो हिल एरिया (पहाड़ी प्रदेश) के रहने वाले हैं, वहां पर इस बिलसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसको हाउस भी जानता है और श्यामलाल जी भी शायद जानते हों कि यह कानून हिल एरिया में लागू नहीं होगा। अब राधामोहन सिंह जी ने फरमाया है कि अभी तक तो हम लोग यह करते थे और अब उनको इसके वसूल करने का मौका दिया जाय। आखिर इसीलिये तो यह दफा बनाई गई है कि जमींदारों को खत्म करके आप लोग नेता बनें और कांग्रेस के लोगों को जमींदार बनाया जाय। लेकिन याद रखिये कि वह जमाना बदल गया और यह डेमोक्रेसी का जमाना आ गया है और इन चीजों को सब समझते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि आप मेरी तरमीम को मन्जूर करें वरना यह दफा जो है वह ब्लेकेस्ट (दुष्टतम) दफा इस कानून के अन्दर रहेगी और हमेशा आपको बदनाम करती रहेगी और यह बिल इस दफा की वजह से काला कानून कहलायेगा, जैसा कि एक बार पंजाब में हुआ था। और

[श्री ऐज़ाज़ रसूल]

इस कानून के स्पोन्सर करने वाले हमारे मिनिस्टर साहब कहलायेंगे। बिला वजह हमारे मिनिस्टर साहब की नेकनामी में यह धब्बा लगाया जायगा जबकि इसको काला बिल के नाम से पुकारा जायगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस तरमीम को मन्जूर किया जायगा और अगर किसी वजह से यह दफा कायम रही तो मजबूरन फैवरिटिज्म (पक्षपात) करना पड़ेगा और इस दफा का रू से आपको ऐसे अधिकार मिलेंगे जिनको आप खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। महज़ पार्टी और आइन्दा एलेक्शन के असरात की वजह से आपको इस चीज़ को फिर लागू करना पड़ेगा। इसलिये मुझे उम्मीद है कि आप इसको मन्जूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र नवाब ऐज़ाज़ रसूल, नवाब जमशेद अली खां, कुंवर गुरु नारायण और राजा साहब जगमनपुर, जिन लोगों ने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी का इज़हार किया है और मुझको इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि वह मेरी बहबूदी और नेकनामी के लिये यह तरमीम लाये हैं, उनका मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं साथ ही उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि मेरी जो दिक्कत थी जिसको मैंने अपनी इब्तिदाई तकरीर में बताया था वह दिक्कत अभी तक हल नहीं हुई। जो दिक्कत मेरे रास्ते में है वह यह है कि इससे लोगों के साथ बेइन्साफी हो सकती है। अव्वल एतराज़ तो यह है कि क्या वजह है कि आप ही हमेशा के लिये रेंट कलेक्टर (लगान वसूल करने वाले) बने रहें, जैसा कि राधामोहन सिंह जी ने बताया इसमें अविश्वास की कोई बात नहीं है और इससे तो आप ही के स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट या स्वार्थपरता का परिचय मिलता है। अब तमाम मौका बदल गया, ज़माना बदला, परिस्थित बदली और वह देश के रहने वाले जो किसानों के नाम से घबराते थे उनको घृणा से देखते थे और जिन किसानों की कोई हैसियत नहीं होती थी, जो हमेशा कुचले जाते थे और हमेशा दबाये जाते थे आज उनके भी दिन फिरे हैं उनका भी पांसा पलटा है वह भी भूमिधर बन रहे हैं, बने हैं और बनाये जा रहे हैं और क्या वजह है कि वह हमेशा फायदे के कामों के लिये डिसक्वालिफाइड (अयोग्य) ही समझे जायं ? क्या फायदे के कामों के लिये उनका नाम शुमार में नहीं आ सकता। आज कांग्रेस की जनता की ओर उनकी सरकार है और हमें उनको मौका देना है जिसके जरिये से वह रेंट कलेक्टर बन सकें और लगान तहसील करके सरकारी खज़ाने में जमा कर सकें। अगर हम उनको मौका देना चाहते हैं तो आप को परेशानी क्या है ? इसको आप चाहे जाबरी कहें या नपोटिज्म कहें आपको अख्तियार है, लकिन ऐसी बात होना अब मुमकिन नहीं कि गरीबों के जो प्रिविलेजेज़ (अधिकार) हैं वह आपके हक़ में अब भी कायम रहें। आप भले ही सख्त अल्फाज़ इस्तमाल करें, जो चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर को कहिये या कांग्रेस सरकार के लिये कहिये, लेकिन इस्तयाल में आकर ठीक रास्ते

या सही उसूल को नहीं भुलाया जा सकता है और उससे हम विचलित होने वाले भी नहीं हैं। गरीबों का हित हम जरूर करना चाहते हैं और हमेशा हर चीज को हम इसी दृष्टिकोण से करते हैं कि इससे कहां तक जनता का और गरीबों का हित होगा और उसी के लिए हमारी तरफ से हमेशा प्रयत्न होगा। हम वाकई में बदनामी की बात नहीं करते, लेकिन अगर बदनामी फिर भी आती है और अगर कोई गलत बदनामी करना चाहता है तो उससे हुकुम सिंह नहीं डरते और न कांग्रेस सरकार डरती है। चूंकि हम जानते हैं कि सच तो सच ही साबित होकर रहेगा और गलत बात गलत साबित होकर रहेगी और सच को कहीं आंच नहीं है। मैं अपने उन दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बदनामी से बचाने के नुक्ते-ख्याल से तरमीम पेश की है। हमारे कुंवर साहब ने एक दरख्वास्त पेशकी और मिसेज आरगिसं की रियासत की बात कही और कुंवर साहब को मालूम हुआ कि वहां से एक दस्तखती चिट्ठी भी आई और उसमें लिखा है कि मिसेज आरगिसं से हम सहायता मांगते हैं तो वह कहती हैं कि हमको भी सरकारी अहलकारान परेशान किये हैं।

अगर वह कोई चीज सदन के सामने पढ़ें तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिये। वह कहने से कि मेरे पास आई और मैंने पढ़ दिया काम नहीं चलता है और आप कोई स्टेटमेंट (वक्तव्य) करना चाहते हैं तो आपको उसकी अथाटि-सीटी (प्रमाणिकता) की जिम्मेदारी लेना चाहिये। मैं कुंवर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आया मिसेज आरगिसं गोरखपुर जिले में हैं या लन्दन में हैं ?

श्री गुरु नारायण—मैं नहीं कह सकता।

माननीय श्री हुकम सिंह—अगर आप नहीं कह सकते तो आपको वह यहां पर बयान नहीं करना चाहिये था। मैं तो कहता हूँ कि मिसेज आरगिसं लन्दन में हैं उन्होंने एक शिकायत की दरख्वास्त चर्चिल साहेब को दी कि हमको कम्पेनसेशन (प्रतिफल) नहीं दिया जाता है। चर्चिल ने वह हाई कमिश्नर को दी, जिन्होंने उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा और वहां से वह मेरे पास आई। आप कहते हैं कि यह उनका लिखा हुआ खत है। मगर जब आपको यह पता नहीं कि वह हैं कहां और आप इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं तो आपको इस सदन के सामने ऐसे एलीगेशन्स (आरोप) नहीं लगाने चाहिये। मैं तो चाहता था कि जिम्मेदार सदस्य होने के नाते माननीय सदस्य इसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाते और अगर हम इन्क्वारी (जांच) न कराते तब तो उनको हक हो जाता कि वह गवर्नमेंट को कण्डम (निन्दा) कराते न तो उन्होंने खुद ही तहकीकात की और बिना उसकी एक्यूरेसी (ठीक होना) जिम्मेदारी लिये हुये उसको बयान करना कहां तक मुनासिब है ? मैंने फिर भी रेवन्यू सेक्रेटरी को आर्डर (आदेश) दिया है कि फौरन इसकी तहकीकात करावें और कलेक्टर से इनक्वायरी करावें। अगर कोई

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

ऐसी शिकायत हो तो सरकार की तवज्जह दिलानी चाहिये और अगर दिलाई जावेगी तो गवर्नमेंट जरूर उसकी तहकीकात करावेगी। हमारे कुंवर साहब के तर्जअमल से मैं यह नतीजा निकालने के लिये मजबूर हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि दरख्वास्त बनवा कर मगवाई गई हो। इसकी एक वजह यह भी है कि मेरे पास बहुत सी दरख्वास्तें आईं जिनके बारे में कहा गया था कि यह जमींदारी अबालीशन के खिलाफ हैं। मगर जब मैंने उनको पढ़ा तो किसी में लिखा था कि हमको तेल चाहिये और किसी में था कि हमको नमक चाहिये। (हंसी)

मेरे मित्र रामकुमार शास्त्री जी ने भी कुछ बातें बतलाई हैं। मैं क्या अर्ज करूं। मैंने जब पूछा कि आप तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं या मुआफिकत कर रहे हैं तो जल्दी से बैठ गये। उठकर लाबी में चले गये और यह कहने की जुरअत नहीं की कि उन्होंने मुखालिफत की है या मुआफिकत। जब वह यह नहीं बतलाने को तैयार हैं कि वह तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं या मुआफिकत तो मेरे लिये उनकी सलाह मानना कहां तक मुमकिन है, यह सदन खुद सोच सकता है। उन्होंने बहुत से एलिगेशन्स किये और बहुतसी बातें कह डालीं मैंने बस्ती जिले के कलेक्टर को भी कांटैक्ट (सम्पर्क) किया और फिर करूंगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह से गैरजिम्मेदारी के साथ गैरमुतालिका बातें कह कर एक ऐसा समां यहां पैदा करना ना मुनासिब बात है। इस संशोधन के बारे में जो मेरी दिक्कतें थीं उनको यहां बहुत सहूलियत के साथ रखा मगर उनके ऊपर कुछ नहीं कहा। मैंने देखा कि यहां यह तरीका अख्तियार किया जाता है कि इश्तियालआमेज बात कही जाय मगर उससे कोई फायदा नहीं है।

हमारे राजा साहब जगमनपुर की मैं तारीफ करता हूँ कि जो बात उनके दिल में आती है वह उसे साफ साफ कह देते हैं चाहे मुनासिब हो या गैरमुनासिब और ऐसा हो भी क्यों नहीं? ठाकुर आदमी हैं। वह फरेब से काम लेना नहीं चाहते। सीधी सीधी बात कह देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनका और गवर्नमेंट का दृष्टिकोण भिन्न हैं। वह चाहते हैं कि उनकी जमींदारी बदस्तूर कायम रहे, लेकिन सरकार ने तय किया है कि जमींदारी खत्म हो। हमारा और उनका कोई मीटिंग प्वाइंट (मिलन स्थान) नहीं है। उनकी हालत वही है कि भूखे आदमी से पूछो कि १ और १ के? तो कहता है कि दो रोटी। हमारे नवाब साहब इस तरमीम से चाहते हैं की उन्हीको रेंट कलेक्शन (लगान की वसूली) का काम दिया जाय। लोग कहते हैं कि सरकारी एजेन्सी नहीं होना चाहिये। क्यों नहीं होना चाहिये हर काम में सरकारी एजेन्सी की जरूरत है। आप यह चाहते हैं कि ऐसा कोई प्राविजन न रखा जाय ताकि झगड़ा हो। इस धारा से यह नहीं जरूरी है कि जमहज सरकारी एजेंन्सी के जरिए मालगुजारी वसूल हो। हम नम्बरदार मुकर्रर कर सकते हैं, हम नवाब ऐजाज रसूल साहब को मुकर्रर कर सकते हैं। हम एक नया

एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) करने जा रहे हैं कि गांव सभाएं मालगुजारी वसूल करें। जब कोई नया एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) किया जाता है तो चाहे जितना इत्मीनान हो, फिर भी इस बात की गुंजायश रखी जाती है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट में फेल हों तो उसका हम इन्तजाम कर सकें। दुनिया में कोई भी इनफालिबिल, (दोषरहित) नहीं है, यहां तक कि अल्ला मियां और भगवान भी इनफालिबिल नहीं हैं, लिहाजा यह कहना, कि हम जो कुछ कहेंगे वह बिलकुल पक्का होगा और उसमें गलती की गुंजायश नहीं हो सकती है, गलत है। जिस तरह आप गैरजिम्मेदारी की बात करते हैं और गैरजिम्मेदारी से काम करना चाहें तो सारा सूबा बर्बाद हो जायगा। अगर आप यह उम्मीद करें कि जिस गैरजिम्मेदारी से आप बात करते हैं उसी गैरजिम्मेदारी से सरकार बात करे तो गैरमुमकिन है। जनता ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद की है और यह हमारा फर्ज है कि जहां तक हो सके हम अच्छी तरह और दानिशमन्दी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाएं। इसी नुक्ते-ख्याल से यह धारा २५२ रखी गयी है। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि नवाब साहब ने यह फरमाया कि अगर यह धारा कायम रही तो यह ब्लैक (काला) कानून कहा जायगा और अगर यह धारा न रही तो यह सफेद कानून कहा जायगा। धारा ६ के बारे में भी आपने यह कहा था कि अगर धारा ६ कायम रही तो यह कानून ब्लैक कानून कहा जायगा। उस धारा के रहते हुये आज आप यह कह रहे हैं कि अगर धारा २५२ रहेगी तो यह कानून काला कानून कहा जायगा, इसका मतलब यह है कि धारा ६ के रहते हुये आप इस कानून को काला कानून मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि धारा २५२ की वजह से यह बड़ा उज्वल कानून होगा। इन शब्दों के साथ मैं नवाब साहब से नम्र निवेदन करूंगा कि वह फिर सोच लें और फिर विचार कर लें और मैं ने जो सलाह दी है उसको मान लें, वरना मुझे आशा है कि सदन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५२ व २५३ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा २५२ रख दी जाय:—

"२५२—मालगुजारी की वसूली के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित प्रबन्ध कर सकती है—

(१) गांव सभा को ऐसे क्षेत्र में जिसके लिए वह स्थापित की गयी हो या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के लिए या उसकी ओर से मालगुजारी और ऐसे दूसरे देय जो नियत किये जांय वसूल करने और उगाहने का भार सौंप सकती है।

[उपाध्यक्ष]

(२) जब गांव सभा को उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार भार सौंपा गया हो, तो तत्सम्बन्धी गांव पंचायत का कर्तव्य होगा कि वह इस विधान के निदेश के या समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अनुसार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के संबन्ध में समय-समय पर प्रान्तीय सरकार को देय मालगुजारी तथा पूर्वोक्त देयों को वसूल करे और उगाहे।

(३) जब गांव सभा को उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार भार न सौंपा गया हो, तो ऐसे क्षेत्र में जिसके लिए वह स्थापित की गई हो, या उसके किसी भाग में राज्य सरकार के लिए या उसकी ओर से मालगुजारी और ऐसे दूसरे देय जो नियत किये जायं वसूल करने और उगाहने का कर्त्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा पालन किया जायगा जो इस ऐक्ट की धारा १९ की उपधारा (१) के अधीन भूमिधर हो जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में—७

अम्मार अहमद खां, श्री
एजाज रसूल, श्री
गुरु नारायण, श्री
प्रयाग नारायण, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
हबीबुर्रहमान खां, श्री

विपक्ष में—५५

अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशीराम, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
चरण सिंह, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री

पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
शीधर मिश्र, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
वीरबल सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५२ के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मालगुजारी वसूल करने का साधन वह नहीं है जो धारा २५३ में उल्लिखित है तो महाल की मालगुजारी ऐसे खातेदार द्वारा वसूल की जायगी, जो उसी महाल में रहता हो और जिसे उस महाल के खातेदारों ने बहुमत से नामजद किया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५२ विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २५३

गांव-पंचायत द्वारा मालगुजारी की वसूली

२५३—(१) गजट में सामान्य या विशेष आज्ञा प्रकाशित करके प्रांतीय सरकार गांव सभा को ऐसे क्षेत्र में जिसके लिये वह स्थापित की गई हो या उसके किसी भाग में, प्रांतीय सरकार के लिये या उसकी ओर से मालगुजारी और ऐसे दूसरे देय जो नियत किये जायें, वसूल करने और उगाहने का भार सौंप सकती है।

(२) जब गांव-सभा की उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार भार सौंपा गया हो तो तत्सम्बन्धी गांव पंचायत का कर्त्तव्य होगा कि वह इस विधान के निदेश के या समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अनुसार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रांतीय सरकार को देय मालगुजारी तथा पूर्वोक्त देयों को वसूल करे और उगाहे ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५३ (१) में निम्नलिखित संशोधन किये जाय—

१—पंक्ति १ मे शब्द "या विशेष" हटाया जाय ।

२—पंक्ति २ मे शब्द "प्रान्तीय सरकार" के बाद शब्द "इस विधान के प्रारम्भ होते ही" बढ़ा दिये जायं ।

३—पंक्ति ३ व ४ से शब्द "या उसके किसी भाग में" हटा दिये जांय ।

४—पंक्ति ४ मे शब्द "या उनकी ओर से" हटा दिये जांय ।

५—पंक्ति ६ मे शब्द "सौंप सकती है" की जगह शब्द "सौंप देगी" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५३ की उपधारा २ की प्रथम पंक्ति में शब्द "गांव सभा" और शब्द "उपधारा" के बीच शब्द "की" के स्थान पर शब्द "को" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २५३ विधेयक का अंश मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

धारा २५४

गांव-सभा द्वारा मालगुजारी की वसूली के परिणाम

२५४—जब गांव सभा को धारा २५३ के अधीन मालगुजारी और दूसरे देयों की वसूली और उगाही का भार सौंपा गया हो तो,

(क) धारा २३० के आदेशों को बाधित न करते हुये, प्रत्येक भूमिधर और सीरदार अपने द्वारा समय विशेष पर देय मालगुजारी और दूसरे देयों का गांव-सभा के प्रति देनदार होगा ।

(ख) मालगुजारी और दूसरे देयों की ऐसी धनराशि, जो गांव पंचायत के किसी सदस्य (जिसके अन्तर्गत प्रेसीडेंट और वाइस-प्रेसीडेंट भी हैं) या किसी अधिकारी ने वसूल कर ली हो और प्रान्तीय सरकार को न मिली हो, समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अधीन उसके दायित्व (liability) को बाधित न करते हुए उससे या उसकी ऐसी सम्पत्ति से, जो उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal-representatives) के हाथ में हो, मालगुजारी की बक़ाया (arrears of land revenue) के रूप में वसूल की जायगी, और

(ग) उसके द्वारा या उसकी ओर से वसूल की और उगाही गई मालगुजारी या दूसरे देयों पर गांव-सभा को ऐसा कमीशन दिया जायगा, जो नियत किया जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५४ की उपधारा (क) की पंक्ति २ में शब्द "भूमिधर और सीरदार" की जगह शब्द "खातेदार" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५४ (ग) की प्रथम पंक्ति के शब्द "उसके" के स्थान पर शब्द "गांव सभा के" रक्खे जांय तथा दूसरी व तीसरी पंक्ति के शब्द "गांव सभा को" के स्थान पर शब्द "उसे" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २५४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २५४—क

२५४-क—तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हिसाब का लेखा, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये मालगुजारी के बाकी होने का, उसकी मात्रा का और ऐसे व्यक्ति के विषय में जो बाकीदार हो, निश्चायक प्रमाण होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे गांव में, जिसके सम्बन्ध में धारा २५३ के अधीन आज्ञा दी गई हो, ऐसा लेखा किसी विशेष बाकीदार के सम्बन्ध में गांव-सभा द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५४-क की पंक्ति १ में शब्द "तहसीलदार" की जगह शब्द "गांव-सभा" लिखा जाय तथा इस धारा का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २५४-क इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६०

२६०—मालगुजारी की बकाया निम्नलिखित रीतियों में से एक या अधिक से वसूल की जा सकेगी :—

(क) किसी बाकीदार पर मांग-पत्र (writ of demand) या उपस्थित-पत्र (citation) तामील कर के,

(ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध (detention) से,

(ग) उसकी चल सम्पत्ति की, जिसके अन्तर्गत उपज भी है, [*] कुर्की या नीलाम से,

(घ) खाते की कुर्की से,

(ङ) उस खाते का हस्तान्तरण करके जिसके सम्बन्ध में बकाया हो,

(च) बाकीदार की दूसरी अचल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम से।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६० की उपधारा (क) की पंक्ति २ के शब्द "या उपस्थित पत्र (citation)" निकाल दिये जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नोट—धाराएं २५५, २५६, २५७, २५८ और २५९ विशिष्ट समिति द्वारा निकाल दी गई थीं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६० की उपधारा (ख) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६० के खंड (ख) (ग) व (च) निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६० की उपधारा (ख), (ङ) व (च) निकाल दी जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है धारा २६० की उपधारा (ख) की पंक्ति १ व २ के शब्द "जिसके अन्तर्गत उपज भी है" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६० (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा (घ) रख दी जाय।

"(घ) धारा १४८ (ख) की कार्यवाही से"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि धारा २६० की उपधारा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"उस खाते की कुर्की से जिसके सम्बन्ध में बकाया हो"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६० की उपधारा (च) की पंक्ति २ के शब्द "से" के बाद "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बकाया उसी खाते के सन्बन्ध में हो जिसका वह भूमिधर या सीरदार है" लिख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६० की उपधारा (च) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६० इस विधेयक का अंश मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६०—क

२६०—क—(१) मालगुजारी की बकाया के देय होते ही तहसीलदार मांग—पत्र जारी करके बाकीदार को आदेश दे सकते हैं कि वह निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर बकाया दे।

मांग—पत्र और उपस्थित—पत्र

(२) मांग-पत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर तहसीलदार निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने और देय बकाया को जमा करने के लिये बाकीदार के विरुद्ध उपस्थित-पत्र जारी कर सकते हैं।

(३) जहां धारा २६१ के अधीन गांव-सभा को अधिकार दिया गया हो, वहां उपधारा (१) और (२) में अभिदिष्ट मांग-पत्र और उपस्थित-पत्र गांव-सभा की ओर से गांव-पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०-क की उपधारा (१) की पंक्ति २ में तहसीलदार की जगह "गांव सभा" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०-क की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०-क की उपधारा ३ निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०-क इस विधेयक का अंश मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६०—ख

गिरफ्तारी और निरोध

२६०-ख--कोई भी मालगुजारी का बाकीदार गिरफ्तार किया जाकर ऐसी अवधि के लिये, जो १५ दिन से अधिक न हो, निरोध में रखा जा सकता है, जब तक कि वह गिरफ्तारी और निरोध का व्यय, यदि कोई हो, उक्त अवधि से पहले ही न दे दे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री या अवयस्क की गिरफ्तारी या निरोध न हो सकेगा,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध ऐसी बकाया के लिये न हो सकेगी, जो किसी ऐसे खाते के सम्बन्ध में हो, जिसका भूमिधर या सीरदार न हो।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०—ख इस विधेयक का अंश मानी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६०—ग

चल सम्पत्ति की कुर्क और नीलाम—

२६०—ग— (१) बाकीदार चाहे गिरफ्तार हुआ हो या नहीं, कलेक्टर उसकी चल सम्पत्ति को कुर्क और नीलाम कर सकते हैं।

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक कुर्की और नीलाम दीवानी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में चल-सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम के विषय में, समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार, किया जायगा।

(३) कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ६० के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के खण्ड (ए) से (ओ) तक में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, ऐसी वस्तुएं भी, जो केवल धार्मिक उपासना के लिये अलग कर दी गई हों, इस धारा के अधीन कुर्की और नीलाम से मुक्त रहेंगी।

(४) कुर्की और नीलाम का व्यय मालगुजारी बकाया में जोड़ दिया जायगा और उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा।

(५) जहां धारा २६० के खण्ड (ग) के अधीन गांव-सभा को वसूली का अधिकार दिया गया हो, वहां गांव-सभा चल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०—ग (१) की पंक्ति १ से शब्द "बाकीदार चाहे गिरफ्तार हुआ हो या नहीं" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०—ग की उपधारा (१) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०—ग (५) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६०—ग इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६१

गांव पंचायत की धारा २६० के अधिकारों का प्रयोग

२६१—यदि गांव—सभा की धारा २५३ के अधीन मालगुजारी वसूल करने और उगाहने का भार सौंपा गया हो तो, प्रान्तीय सरकार गज़ट में तत्सम्बन्धी या विशेष आज्ञा प्रकाशित करके सामान्य गांव—पंचायत को अधिकार दे सकती है कि वह मालगुजारी की वसूली और उगाही में धारा २६० के खण्ड (क) (ग) और (घ) में उल्लिखित सब अधिकारों या उनमें से किसी का प्रयोग करें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६१ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६२

मालगुजारी की बकाया की वसूली के लिये खाते का नीलाम

२६२—(१) इस विधान में किसी बात के रहते हुये भी, यदि किसी खाते की मालगुजारी बाकी हो तो, कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह स्वयं या गांव पंचायत की प्रार्थना पर खाते को ऐसी रीति से जो नियत की जाय बेचकर बिक्री से प्राप्त आय को बकाया के भुगतान में लगा दे और यदि कुछ बचे तो उसे भूमिधर या सीरदार को, जैसी भी दशा हो, लौटा दे।

(२) इस धारा के अधीन हुए विक्रय की प्रसूचना (report) कलेक्टर नियत अधिकारी को देगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२ (१) निकाल दी जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२ (२) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६२—क

विक्रय मूल्य का प्रयोग

२६२–क—खाते का धारा २६२ के निदेशों के अधीन बिकने पर उसका विक्रय मूल्य, पहले नीलाम के व्यय की अदायगी में लगाया जायगा और फिर उसके बाद माल-गुजारी की बकाया के भुगतान में और जो बचेगा, वह उस व्यक्ति को देय होगा, जो उसका अधिकारी हो।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२–(क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "खाते" के बाद के शब्द "का" के स्थान पर शब्द "के" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २६२ (क) इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६२—ख

दूसरी अचल सम्पति में बाकीदार के स्वत्व के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार

२६२–ख—(१) यदि मालगुजारी को कोई बकाया धारा २६० के खंड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किसी भी प्रसर (Process) द्वारा वसूल न हो सके तो कलेक्टर, बाकीदार की किसी दूसरी अचल सम्पति में बाकीदार के स्वत्व से, बकाया वसूल कर सकते हैं, मानो उक्त बकाया ऐसी दूसरी सम्पति पर निर्धारित मालगुजारी की बकाया हो और उसीके सम्बन्ध में देय हो।

(२) ऐसा रुपया जो मालगुजारी के रूप में वसूल किया जा सकता हो, पर किसी भूमि विशेष के सम्बन्ध में देय न हो, इस धारा के अधीन बाकीदार की किसी अचल सम्पति से वसूल किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२–ख की पांचवीं और छठी पंक्ति के शब्द "सकते हैं" के स्थान पर शब्द "सकता है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २६२–ख इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६२—ग

धारा २५२ के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा अदा की गई बकाया की वसूली

२६२–ग—धारा २५२ के अधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति, जिसने ऐसे गांव के, जिसके लिये यह नियुक्त हुआ हो, किसी खातेदार द्वारा देय मालगुजारी की बकाया दे दी हो, उसे देने से ६ महीने के भीतर कलेक्टर को इस आशय का प्रार्थना–पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से उक्त बकाया को वसूल करा दिया जाय, मानो वह सरकार को देय मालगुजारी की बकाया हो।

ऐसा प्रर्थना–पत्र पाने पर, और इस बात का संतोष कर लेने के बाद कि मांगा जाने वाला रुपया ऐसे व्यक्ति को देय है, कलेक्टर उक्त खातेदार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो खाते के कब्जे में हों, व्यय और ब्याज सहित ऐसी धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह मालगुजारी की बकाया हो।

यदि ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में, जिसकी वसूली के लिये इस धारा के अधीन कलेक्टर ने आज्ञा दी हो, कोई वाद(suit) लाया जाय तो उसमें कलेक्टर प्रतिवादी न बनाया जायगा,

इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी, किन्तु उस आज्ञा की कोई बात या इस धारा के अधीन दी गई कोई आज्ञा, मालगुजारी की बकाया के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने के मार्ग में बाधक न होगी।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२ (ग) में निम्नलिखित संशोधन किये जांय —

(क) प्रथम अनुच्छेद (Para) निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"यदि किसी भूमिधर या सीरदार ने अथवा ऐसे व्यक्ति ने जो किसी गांव के लिये धारा २५२ के अधीन नियुक्त हुआ हो, किसी खातेदार द्वारा, देय माल-

गुजारी की बकाया अपने पास से दे दी हो तो इस प्रकार दी हुई बकाया को उसके वास्तविक देनदार से वसूल कर पाने के अन्य सम्भव विधिक उपायों के अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उक्त बकाया के भुगतान से छः मास के भीतर कलेक्टर को इस आशय का प्रार्थनापत्र दे कि ऐसी बकाया उसे इस प्रकार वसूल करा दी जाय मानो वह सरकार को देय मालगुजारी की ही बकाया हो।

(ख) दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति के अंत के शब्द "ऐसे व्यक्ति" निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "प्रार्थी" रख दिया जाय।

(ग) चौथे अनुच्छेद की दूसरी और तीसरी पंक्तियों में आने वाले शब्द "उस आज्ञा की कोई बात या इस धारा के अधीन दी गई कोई आज्ञा" निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं।

"ऐसी कोई आज्ञा या उसमें कही गई कोई बात"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२—ग की पंक्ति १—३ में धारा २५२..."हुआ हो" की जगह धारा २३१ के अनुसार लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२—ग के पैरा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई खातेदार इस बिना पर अपील कर सकेगा कि उस पर मालगुजारी की कोई बकाया देय नहीं है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २६२—ग इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६२—घ

२६२—घ—मालगुजारी की बकाया की वसूली से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के निदेश, इस विधान के प्रारम्भ के समय देय मालगुजारी की सभी बकाया को तथा ऐसे रुपयों को जो मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किये जा सकते हों, लागू होंगे।

विधान के प्रारम्भ समय देय बकाया को निदेशों का लागू किया जाना

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६२—घ की तीसरी पंक्ति के शब्द "जहां" के पूर्व के शब्द "निदेशों" के स्थान पर शब्द "निदेश" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २६२—घ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २६३

मालगुजारी की बकाया में गांव की कुर्की

धारा २६३—(१) कभी मालगुजारी बकाया में पड़ जाने के बाद किसी समय कलेक्टर उस गांव को या उसकी किसी भूमि की जिसके सम्बन्ध में बकाया हो, कुर्क करले और उसे ऐसे काल के लिये जो उसे उचित जान पड़े या तो स्वयं अपने प्रबन्ध में ले ले या किसी ऐसे एजेन्ट के प्रबन्ध में दे दे जिसे उसने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुर्की के दिनांक से ठीक बाद के कृषि-वर्ष के प्रारम्भ से तीन वर्ष से अधिक के लिये कोई गांव या उसमें की कोई भूमि इस प्रकार कुर्क नहीं की जायगी और यदि बकाया इस अवधि के भीतर ही चुका दी जाय तो कुर्की निरस्त (cancelled) कर दी जायगी।

(२) कुर्की की अवधि के समाप्त हो जाने पर गांव के सम्बन्ध के देय मालगुजारी की बकाया सम्बन्धी सरकार के समस्त दावों से मुक्त होकर गांव छोड़ दिया जायगा, और उसपर उसकी मालगुजारी की किसी बकाया के लिये सरकार का कोई दावा न रह जायगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६३ की उपधारा (१) में निम्नलिखित संशोधन किये जांय...

(क) प्रथम पंक्ति का शब्द "कभी" निकाल दिया जाय,

(ख) दूसरी पंक्ति में शब्द "कलेक्टर" और शब्द "उस" के बीच शब्द "को अधिकार होगा कि" बढ़ा दिये जांय,

(ग) दूसरी तथा तीसरी पंक्ति के शब्द "या उसकी भूमि को" निकाल दिये जांय तथा तीसरी पंक्ति के शब्द "बकाया हो" के बाद के अर्द्ध विराम के बाद शब्द "या उसके अन्तर्गत किसी भूमि के" बढ़ा दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६३ की उपधारा (१) कि पंक्ति ४,५,६ व ७ के शब्द "या तो स्वयं अपने प्रबन्ध में ले ले या किसी ऐसे एजेण्ट के प्रबन्ध में दे दे जिसे उसने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया हो" के स्थान पर शब्द "स्वय अपने प्रबन्ध में ले ले" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २६३ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं २६३—क, २६३—ख, २६३—ग, २६३—घ, और २६४

उसके प्रबन्ध के अधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में कलेक्टर के अधिकार और आभार

२६३—क—जब तक कोई निर्दिष्ट क्षेत्र इस प्रकार कलेक्टर के पास अपने ही प्रबन्ध में रहे, कलेक्टर ऐसे अनुबन्ध (engagement) से, जो बाकीदार और असामी या अधिवासी के बीच हुआ हो और कुर्की के काल में विद्यमान रहा हो, बाध्य होगा, और इस प्रकार अपने प्रबन्ध में ली हुई सम्पत्ति का प्रबन्ध करने और उससे उत्पन्न होने वाले लगान और लाभ को पाने का अधिकारी होगा। उक्त सम्पत्ति से इस प्रकार वसूल किया लगान, मालगुजारी की ऐसी किस्त की, जो कुर्की के बाद देय हुई हो तथा कुर्की और प्रबन्ध के व्यय की, अदायगी में लगाया जायगा और फिर यदि कुछ बचेगा तो वह उस बकाया के भुगतान में, जिसके निमित्त कुर्की हुई हो, लगाया जायगा।

उस खाते को जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, लगान पर उठाने के कलेक्टर के अधिकार

२६३—ख (१) यदि मालगुजारी की बकाया किसी खाते के सम्बन्ध में देय हो, तो इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी कलेक्टर उक्त खाते को, बाकीदार से भिन्न किसी व्यक्ति को अगली जुलाई के पहले दिन से लेकर अधिक से अधिक दस वर्ष के काल के लिये तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जिन्हे कमिश्नर निश्चित कर दे, उठा सकता है।

(२) इस धारा की किसी बात का किसी ऐसे खातेदारों के दायित्व पर, जो इस विधान के अधीन मालगुज़ारी की बकाया का देनदार हो, कोई प्रभाव न पड़ेगा।

(३) पट्टे की अवधि के बीत जाने पर खाता तत्सम्बन्धी खातेदार के पक्ष में, उक्त खाते की बकाया के लिये प्रांतीय सरकार के समस्त दावों से मुक्त होकर, प्रत्यर्पित (restored) हो जायगा।

क्षेत्र के लगान तथा तत्सम्बन्धी अन्य देयों की अदायगी

२६३—ग—धारा २६३ के अधीन किसी क्षेत्र के होने या धारा २६३—ख के अधीन उसके लगान पर उठा दिये जाने, पर घोषणा (proclamation) के दिनांक के बाद, असामी, अधिवासी या कब्ज़ा रखने वाले अन्य व्यक्ति के द्वारा, उस भूमि के लगान या अन्य देयों के निमित्त, कलेक्टर से भिन्न, किसी व्यक्ति को की गई किसी अदायगी से वैध रीति से किसी दायित्व का परिशोध (discharge) न होगा।

यू० पी० ऐक्ट ३ १९०१ ई० के निदेशों का इस अध्याय के अधीन प्रार्थना-पत्रों और व्यवहारों पर लागू किया जाना

२६३—घ—इस विधान द्वारा संशोधित यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ९ और १० के निदेशों, जहां तक वे इस विधान के निदेशों से असंगत न हों, इस अध्याय के अधीन दिये गए प्रार्थना पत्रों और चलने वाले व्यवहारों (proceedings) पर लागू होंगे।

नियम बनाने का अधिकार

२६४—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा दिये गये अधिक धन की धारा २३१ के अधीन प्रतिपूर्ति (reimbursement) की प्रक्रिया,

(ख) धारा २३७ के अधीन उपज्ञदारी करने की रीति,

(ग) धारा २५१ के अधीन मालगुजारी के बढ़ाने में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया,

(घ) मालगुजारी के वसूल के लिये धारा २५२ के अधीन रीति और व्यवस्था (arrangement),

(ङ) धारा २५३ के अधीन गांव-पंचायत द्वारा मालगुजारी की वसूली की प्रक्रिया,

(ङ ङ) धारा २६० के अधीन अचल सम्पत्ति की कुर्की, हस्तान्तरण और विक्रय की प्रक्रिया,

(च) धारा २६१ के अधीन गांव-पंचायत द्वारा अधिकारों के प्रयोग की रीति,

(छ) इस अध्याय के अधीन कर्त्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन,

(ज) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायें

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २६३-क की पंक्ति २ में शब्द "पास अपने" और पंक्ति २...६ में वाक्य खंड "कलेक्टर.....ली हुई" निकाल कर शब्द "उस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धाराये २६३-क,-२६३-ख, २६३-ग, २६३-घ और २६४ इस विधेयक का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस के बाद सदन ५ बजे सोमवार, १० जुलाई, सन् १९५०, के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
७ जुलाई, सन १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर)

विद्यालय का नाम	बालक अथवा बालिका	मुख्य स्थान
१—राजकीय	बालक	बहराइच
२—महराजसिंह	...	...
३—सआदत	...	नानपारा
४—जगतजीत	...	इकौना
५—किसान	...	जरवल रोड
६—श्री अलखेन्द्र	...	भिंगा
७—आजाद	...	बहराइच
८—तारा कन्या	बालिका	

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

	स्थायी सहायता		अस्थायी सहायता भवन निर्माण	
	(१९४८–४९)—	(४९–५०)	(४८–४९)—	(४९–५०)
१				
१—महराजसिंह हायर सेकेण्ड्री स्कूल, बहराइच	९,६७२ रु०	९,६७२ रु०	२,५०० रु०	२,५०० रु०
२—जगजीत हायर सेकेण्ड्री स्कूल, रकौना बहराइच		२,१२४ रु०		१,५०० रु०
३—साआदत हायर सेकेण्ड्री स्कूल, नानपारा बहराइच	४,१४० रु०	५,९६९ रु०		
४—तारा बालिका हायर सेकेण्ड्री स्कूल, बहराइच	६,००० रु०	६,३२४ रु०		
५—अलचन्द्र जूनियर हाई स्कूल, भिंगा, बहराइच		१५४८ रु०		

	अस्थाई सहायता (४८–४९) (४९–५०)	अस्थाई सहायता भवन निर्माण (४८– ९) (४९–५०)	अस्थाई सहायता (४८–४९) (४९–५०)	प्रारम्भिक अनुदान (४८–४९) (४९–५०)
१—किसान हायर सेकेण्डरी स्कूल जरवल रोड बहराइच ...	...		...	२५ रु०
२—आजाद हायर सेकेण्ड्री स्कूल बहराइच...	...	५,००० रु०	३,००० रु०	...

नत्थी—'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

गिरफ्तार किये गये लोगों की सूची

१—लल्लू
२—भरोसे
३—छुटकन सिंह
४—लक्ष्मी नारायण
५—निग्गू
६—रामेश्वर
७—दरियाव सिंह
८—अर्जुन सिंह
९—तखत सिंह
१०—केदार सिंह
११—गिरिधारी
१२—प्रभूदयाल
१३—राम नारायण
१४—गया प्रसाद
१५—प्रयाग नारायण
१६—राधा मोहन
१८—दीन मुहम्मद
१९—राम स्वरूप
२०—महद
२१—मुहम्मद
२२—सरमन
२३—सालिग राम
२४—मुल्ला
२५—लालता प्रसाद
२६—धरकन
२७—बाला प्रसाद
२८—गुपाला
२९—शम्भू
३०—सरदार सिंह
३१—पुत्तूलाल
३२—जसवंत सिंह
३३—सोना
३४—राम भरोसे
३५—भगत सिंह
३६—रोशन सिंह
३७—गुलाम
३८—विजयबहादुर
३९—गुल्ला
४ —धर्मसिंह

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सख्या ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर)

प्रस्ताव की प्रतिलिपि

The President of the Court of Wards sl.oul issue instructions nmediately to all managers of estates under the Court of Wards hat no pressure, direct or indirect, should be put on tenants to ontribute to the Zamindari Abolition Fund: that tenants-in-hief should be informed that their sub-tenants can only acquire-humidhari rights with their consent: and that cane growers who ell their cane to sugar factories cannot be compelled to contribute t part of their sale price to the fund. Instructions should be ssued that no hindrance should be placed on those who wish to xplain before the tenantry, in a perfectly constitutional manner heir views on this fund. Estates under the Court of Wards are eld in trust for their owners and are not Government estates in hich the Government can do what they please. Any attempt, on the part of Court of Wards servants to coerce the tenants to contribute to the Fund should be severely punished.

The appointment of Mr. Sarin as a kind of supervising officre over managers, whose main function will be to see that managers are active in getting money for the zamindari abolition fund is entirely uncalled for and is likely to lead to many abuses in securing money from the tenants apart from the unjustified financial burden on the Court of Wards. The Committee therefore resolve that Mr. Sarin's appointment be immediatley cancelled.

नत्थी—'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

शक्कर के जिलेवार कोटे तथा उसके वितरण का नक्शा।

संख्या बोरी में

क्रम संख्या	जिला	कुल दानादार शक्कर जो दी गई, सितम्बर सन् १९४९ से मई ५० तक	वितरण					
			शहर			देहात		
			सितम्बर से दिसम्बर १९४९	जनवरी से अप्रैल १९५०	मई	सितम्बर से दिसम्बर १९४९	जनवरी से अप्रैल १९५०	मई
१	देहरादून	१६,४९१	३,९८७	८,३०२	२२,५९	६४	७७९	२८१
२	सहारनपुर	३१,०६३	७,८५४	६,२८२	१७,२८	३,२८०	५,०३६	७०१
३	मुजफ्फरनगर	१४,५७४	१,१७१	३,६९६	३,५७	६२३	२,८१७	३५०
४	मेरठ	३१,४७२	६,५७४	१६,६३४	३७,८६	५१८	२,९१७	५७०
५	बुलन्दशहर	१४,८६९	१,७५४	३,७२१	८,६२	८६२	५,३७५	१,१०७
६	अलीगढ़	२६,९१२	२,७११	८,४८३	...	१,३४०	५,७६५	...
७	मथुरा	२१,०३४	२,८७७	९,७१५	१८,१०	१९४	२,४२२	१,१२५
८	आगरा	४१,०२३	६,३२१	२२,१५५	२६,५३	२,१९५	३,१७७	१७५
९	मैनपुरी	८,३९८	५६०	१,२६४	५,५६	४८२	२,५०१	९६२
१०	एटा	१०,२४१	१,३१२	२,२७७	२,६८	७९१	१,६७६	१४१
११	बरेली	२७,४०२	६,९०६	१०,९४४	३५,२०	१,८६०	२,५९८	८८३
१२	बिजनौर	१३,१४४	४,३०९	३,४१५	...	६९५	२,४३०	...

क्रम सख्या	जिला	कुल दानादार शकर जो दी गई, सितम्बर, सन १९४९ से मई, सन ५० तक	वितरण — शहर — सतम्बर से दिसम्बर १९४९	शहर — जनवरी से अप्रैल १९५०	शहर — मई	देहात — सितम्बर से दिसम्बर १९४९	देहात — जनवरी से अप्रैल १९५०	देहात — मई
१३	बदायूँ	१३,१३९	३,०६९	३,८३२	९०३	९२१	१,६५३	५२९
१४	मुरादाबाद	३३,००३	८,४७५	१४,३४७	३,४९८	९०	१,८६५	४९५
१५	शाहजहांपुर	१४,८५२	२,६२५	४,७११	८२०	५७१	३,२६५	९००
१६	पीलीभीत	८,१८०	२,१३८	३,२७१	९२८	५७८	८६५	२२०
१७	फर्रुखाबाद	११,०८०	२,०९१	४,२५८	१,१६०	८२६	१,९७०	५,०८०
१८	इटावा	११,१३२	१,६४५	२,०००	७५०	१,२३०	५,१५०	१,५००
१९	कानपुर	७७,५१३	११,५४१	२२,४१३	६,४५८	६,५५३	१०,३५५	३,८१५
२०	फतेपुर	८,२१९	६२०	१,०६५	२५०	१,५५०	२,९३०	४९८
२१	इलाहाबाद	४५,४५५	८,०३४	१८,८१९	३,२९३	७७१	९,२५२	२,४२९
२२	बांदा	७,१०६	७१५	२,१६८	...	९५३	२,१७२	...
२३	हमीरपुर	५,९२२	६४०	१,४६७	५९४	६४०	१,७९०	८५५
२४	झांसी	१४,०८३	१,७४२	२,८७३	९८०	१,३०६	४,७६५	१,५७१
२५	जालौन	६,९०३	१,०१०	१,४६४	२९९	...	१,०१५	२५२
२६	बनारस	४०,०१०	६,३७०	१७,९०३	३,१६०	३,३२५	३,८८६	२,०५२
२७	मिर्जापुर	११,०४०	१,४५२	३,६०३	५९२	१,०८१	२,५७०	६२३
२८	जौनपुर	११,५७९	१,६१०	२,६२५	८९२	१,६३५	२,२९७	१,२००
२९	गाजीपुर	१०,२५३	१,३०५	१,३९९	३५०	२,११७	३,८८१	९९७
३०	बलिया	९,०७६	७७८	२,३१	७००	१,२७५	३,२३५	९६५
३१	गोरखपुर	२३,१५३	३,५४३	४,०५१	२,४९८	२,५१०	५,९४२	१,५४९
३२	बस्ती	११,९७१	५१५	१,२००	...	४,४७५	५,०८१	...

३३	आजमगढ़	१२,७४७	८५६	१,४३८	४८२	८८२	२,२२३	८५१
३४	देवरिया	१५,५३४	५५२	६८१	३५२	४,७५६	६,[illegible]७१	४२२
३५	नैनीताल	११,६५१	१,६७८	२,६३६	७६६	१,८१३	३,०३५	८७५
३६	अल्मोड़ा	८,२७०	७०४	१,४५०	५१६	६६३	१,६०७	६२८
३७	गढ़वाल	७,६०२	२८५	८५२	...	८१५	२,[illegible]२६	...
३८	लखनऊ	६१,८५५	१६,४३८	३५,२५८	१००६०	३,२०४	६,८०१	१,८६०
३९	उन्नाव	१०,६७७	४२५	१,१७०	३६५	१,४०८	३,६७५	१,६६३
४०	रायबरेली	८,७८१	१,०६२	१,१०७	..	१,२००	२,०७२	
४१	हरदोई	११,६२६	१,८२५	३,७७३	१,०६१	२,३४०	४,१६७	१,५५६
४२	सीतापुर	१४,६६१	२,१६२	२५३	८५६	१,३२८	५,५३६	१,४१०
४३	खीरी	८,५०२	१,४१५	१,७[illegible]४	४६०	१,३०६	२,६४३	६८०
४४	फैज़ाबाद	४४,४२१	२,०१२	४,१५०	१,३१६	६६३	२,६३६	३६८
४५	गोंडा	१३,६०३	१,८२५	३,३७४	७४८	२,३४०	४,६५७	१,१००
४६	बहराइच	६,८३६	१,०३६	१,४६७	[illegible]६२	१,४[illegible]	३,५[illegible]१	६५०
४७	सुल्तानपुर	७,८५७	७[illegible]०	१,२[illegible]७	३६७	१,१६२	२,८७[illegible]	७[illegible]६
४८	प्रतापगढ़	७,२५३	७२१	[illegible],६७३	२६५	३६०	२,५५१	६१०
४९	बाराबंकी	६,१५८	६४२	१,७०६	६००	१,२८४	३,५८४	१,०४५
५०	टेहरीगढ़वाल	३,४१०	२१०	६३३	३७६	३२४	८५७	६१६
५१	रामपुर	१२,६६६	४,५३०	६,४०४	...	१,१७६	१,[illegible]७६	...

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

क्रम संख्या	वितरण केन्द्र	कुल चीनी जो एलाट की गई बोरों में
१	२	३
	तहसील बदाऊं	
१	बगनउसी	९४
२	बपौलीपुर	१२
३	गिधौल	१०३
४	दौरीमारूमपुर	९४
५	बिनावर	९१
६	ओदिरचौक	९४
७	नगलासरगी	७६
८	कुवरगांव	९४
९	कचला	१ २
१०	उझानी	५५
११	सिखपुरठ	४०
१२	ककोरा	४७
१३	कटिनाबुरज	७
१४	गुरगांव	१०
१५	लकरीदपुर	१०
१६	बसौमा	१०
१७	बरालीखदार	१०
१८	अनोला	१०
१९	बिलहट	१०
२०	सखान	१०
२१	भोर्वा	१०
२२	मलगवान	१०
२३	पुलहीसराह	१०
२४	खराबुवरू	१०
२५	हटसा	५
२६	मोहदपुरमाई	५
२७	रउली	१०

२८	अब्दुलागंज	...	१०
२९	अहारबारा	...	१०
३०	बुलादौल्लौत	...	१०
३१	भराबदौल	...	१०
३२	हजरतगंज	...	१०

तहसील दातागंज

३३	दातागंज	...	१७३
३४	सहदलागंज	...	९४
३५	शियानगुसाई	...	८९
३६	गौनलिया	...	१०४
३७	खेराजलालपुर	...	७२

तहसील सहीशवान

३८	सहिशवान	...	२६१
३९	रिसौली	...	८४
४०	रिसौली कला	...	२७
४१	सागारा	...	८४
४२	रिउनाई दिवाई	..	४२
४३	सिताली	...	२७

तहसील बिसौली

४४	बिसौली	...	५५
४५	वजीरगंज	...	९४
४६	आसफपुर	...	८३
४७	डबलिया	...	७९
४८	फेयरगंज	...	८३
४९	उदैन	...	१२
५०	बागरेन	...	५७
५१	बनकोटा	...	५
५२	खुरामपुर	...	५
५३	रोता	...	५
५४	रुदैन	...	५
५५	बगरैन	...	५
५६	मानकपुर	...	५
५७	शिरका	...	५
५८	गुरलिया	...	५
५९	सगरामपुर	..	५

६०	कासिमाबाद	...	५
६१	बेसोर	...	५
६२	रसूलपुर	...	३०
६३	दहीमू	...	१०

तहसील गुन्नौर

६५	गुमनियान	...	८१
६६	हटकौली	...	१३०
६६	बबराला	...	१०१
६७	राजपुरा	...	४५
६८	उशैली	...	४०

—:०:—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ७६

अ

अजित प्रताप सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

अत्याचार—
प्र० वि०—कुसमरा गांव में पुलिस तथा पी० ए० सी० द्वारा——। खं० ७६, पृ० २२६-२२७।

अध्यक्ष, माननीय—
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संम्बन्धी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव। खं० ७६, पृ० ९।
सन् १९४९ ई० संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० १०, १७, ७८, ८२, ८३, १७६, १७७, २३३, २३५, २३६, २४१, २४३, २९७, ३१२, ३१३, ३१४।
सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स (अधिकारों के विस्तार के) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा। खं० ७६, पृ० ९।

अधिकारियों—
प्र० वि०—पुलिस विभाग में सरकारी खर्चे पर कर्मचारियों तथा ————की वर्दियाँ। खं० ७६, पृ० ७६-७७।

अधिकारों के विस्तार—
सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स (————के) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा। खं० ७६, पृ० ९।

अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० १९८।

अम्मार अहमद खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २०४-२०६।
अस्थायी सभापति—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २५३, २५८-२६३।
अस्पताल—
प्र० वि०—रामपुर के कस्बे केमरी के सरकारी———का सुधार। खं० ७६, पृ० २७९-८०।

आ

आंखों के रोगों—
प्र० वि०—इलाहाबाद में——— ———का प्रकोप तथा उपचार। खं० ७६, पृ० ४-५।
आक्रमण—
प्र० वि०—गाजीपुर जिले में कुछ पटवारियों पर———। खं० ७६, पृ० ५७-५८।
प्र० वि०—मौजा बिलावा, जिला इटावा के जमींदार पर———। खं० ७६, पृ० २८६-८८।
आदर्श—
प्र० वि०—लखनऊ———तथा डिस्ट्रिक्ट जेल में हवालाती कैदियों से कार्य लेना। खं० ७६, पृ० ३।
आदेश—
प्र० वि०—श्रीमती चिन्नी तथा श्रीमती करेलिया की गतिविधि सीमित करने के——। खं० ७६, पृ० ७६।
प्र० वि०—सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति वालों की भर्ती के लिये सरकारी———। खं० ७६, पृ० ६५।
आधे लगान—
प्र० वि०—भूमिधर की जमीन की मालगुजारी में———की मुजराई न देने की शिकायत। खं० ७६, पृ० १७३-१७४।
आयु—
प्र० वि० – १६ वर्ष से कम— —- के व्यक्तियों को प्रत्येक सिनेमा न देखने के सम्बन्ध में सरकारी योजना। खं० ७६, पृ० ६९-७०।

इ

इञ्जीनियरों—
प्र० वि०—लखनऊ के पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियरों और——— ———के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५८-५९।
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २४६-२४७, ३०६, ३०८।
इन्स्टीट्यूट—
प्र० वि०—रामपुर सरकारी काटेज इण्डस्ट्रीज——— —के कपड़े की बिक्री का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० २७८।
इमारतों—
प्र० वि०—रामपुर में सरकारी———का प्रयोग। खं० ७६, पृ० २७८-७९।

उ

उन्नति—
प्र० वि०—घरेलू धंधों की——के लिए जापानी मशीनें। खं० ७६, पृ० ५।

उपाध्यक्ष—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २५-२७, ३८, ४८, ९१, ९२, ९४, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५८, १५९, १६०, १६१, १९७, १९८, २०९, ३१४, ३२१, ३२६, ३२९, ३३३, ३३५, ३४५, ३४८, ३५३, ३६९।

ए

ऐज़ाज रसूल, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ११, १५-१८, २४, २५, ७८, ८०, ८१, १०१, १०८, १७७-१७९, १९३-१९५, २०९-२१०, २१२, २१३, २३३, २३७, २४०, २४३, २४४, २५९, २६१, २६३, २६६, ३००, ३०१, ३२३-३२५, ३४०, ३४८, ३५०।

ऐडवाइज़र—
प्र० वि०—हुसैनाबाद तथा सुल्तानुल मदारिस के लिये——। खं० ७६, पृ० २१९।

ओ

ओवरसियरों—
प्र० वि०—लखनऊ के पी० डब्ल्यू० डी० के——और इञ्जीनियरों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५८-५९।

क

कटवाना—
प्र० वि०—ज़मींदारी विनाश विधेयक के कारण ज़मींदारों का परती के दरख्तों को——। खं० ७६, पृ० १७१-१७२।

क़त्ल—
प्र० वि०—कहुतरी, थाना बिदनी जिला गाजीपुर के पटवारी का——। खं० ७६, पृ० ५७।
प्र० वि०—मौजा नबदर, जिला गाजीपुर के श्री रामराज सिंह का——। खं० ७६, पृ० ५७।

कर्मचारियों—
प्र० वि०—पुलिस विभाग में सरकारी ख़र्चे पर——तथ अधिकारियों की वर्दियाँ। खं० ७६, पृ० ७६-७७।

प्र० वि०—प्रान्तीय सचिवालय तथा जिले के——में छटनी तथा उनके जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० ७०-७१।

कर्मनाशा—
प्र० वि०——की नहर से

चकिया सबडिवीज़न में एक शाख निकालना। खं० ७६ पृ० २१९।

काटेज इंडस्ट्रीज़—
प्र० वि०—रामपुर सरकारी——इन्स्टीट्यूट के कपड़े की बिक्री का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० २७८।

कापियों की चोरी—
प्र० वि०—लखनऊ स्टेशन पर परीक्षार्थियों के उत्तरों की——। खं० ७६, पृ० २२८।

काम—
प्र० वि०—सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों से एक घंटा अधिक——लिया जाना। खं० ७६, पृ० ६८-६९।

कारखानों—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश के सूती——के मजदूरों तथा उनके वेतन के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५९-६४।

कार्य लेना—
प्र० वि०—लखनऊ आदर्श तथा डिस्ट्रिक्ट जेल में हवालाती कैदियों से——। खं० ७६, पृ० ३।

काश्तकार—
प्र० वि०—काशी राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत——और उनकी ज़मीन। खं० ७६, पृ० २३०-२३१।

किसानों—
प्र० वि०—जवाहरगंज (इलाहाबाद) के बाढ़-ग्रस्त——के लिये स्थायी निवास का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० १७१।

कृष्ण शरण आर्य, श्री—
देखिए 'प्रश्नोत्तर"।

केलेण्डर मशीन—
प्र० वि०—मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ के बुनकरों की सहायता के लिये——। खं० ७६, पृ० २८१-८२।

केशवगुप्त, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

कोर्ट आफ वार्ड्स—
प्र० वि०—श्री एल० एन० सरीन, स्पेशल मैनेजर——, लखीमपुर की ज़मींदारी विनाश कोष के स्पेशल अफसर के पद पर नियुक्ति। खं० ७६, पृ० २८८-८९।

कौंसिल—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश की राजधानी में नर्सों और मिडवाइफ़ों की——। खं० ७६, पृ० ६६-६७।

क्वारसी कृषि फार्म—
प्र० वि०—अलीगढ़ जिले का——। खं० ७६, पृ० २३१-२३३।

क्ष

क्षयरोगाश्रम—
प्र० वि०—भुवाली——के इन्चार्ज डा० धर्मानन्द केशरवानी का हटाया जाना। खं० ७६, पृ० १७२।

ख

खरीद—
प्र० वि०—सूचना विभाग द्वारा

'वायर रेकर्डर' की——
खं० ७६, पृ० ३-४।

खर्चे-
प्र० वि०—पुलिस विभाग में सरकारी ——पर कर्मचारियों तथा अधिकारियों की वर्दियाँ। खं० ७६, पृ० ७६-७७।

खुशवक्त राय, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ९३।

ग

गंगा सहाय चौबे, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
गजाधर प्रसाद श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ९६-९७।
गतिविधि—
प्र० वि०—श्रीमती चिन्नी तथा श्रीमती करेलिया की सीमित करने के आदेश खं० ७६, पृ० ७६।
गबन—
प्र० वि०—जिला जालौन में सरकारी खजाने में——। खं० ७६, पृ० १७५।
गवर्नमेंट प्लीडर्स—
प्र० वि०——की फ़ीस। खं० ७६, पृ० ७१-७२।
गांधी हाई स्कूल—
प्र० वि०—बहराइच को प्रमाणित करने की आवश्यकता। खं० ७६, पृ० २८४।
गुरुनारायण, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६ पृ० २५, २६, ३०, ३१, ३६-३८ ७८ ७९, ८४-८६, १८६, १९०, १९३, २००, २०१, २३७, २४४, ३०२-३०३, ३४४, ३४५-४६, ३४७, ३४८, ३५१।
गैर-सरकारी निरीक्षकों—
प्र० वि०——द्वारा जेल निरीक्षण के लिए समय निर्धारण। खं० ७६, पृ० १७१।
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ९४, १०४-१०५, १८६, १८७।
ग्राण्टों—
प्र० वि०—सन् १९४९-५० ई० के बजट में विभिन्न——तथा विभागों में रुपये का लैप्स होना। खं० ७६, पृ० ६८।

घ

घंटा—
प्र० वि०—सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों से एक——अधिक काम लिया जाना। खं० ७६, पृ० ६८-६९।
घरेलू धंधों—
प्र० वि०—की उन्नति

के लिए जापानी मशीनें। ख० ७६, पृ० ५।
प्र० वि०——————क सलाहकार श्री पालटेलको। ख० ७६, पृ० ६-८।
घोड़ा-
प्र० वि०—पुलिस सब इन्सपेक्टरों को——खरीदने के लिए सरकारी सहायता। ख० ७६, पृ० ७७।
घोषणा —
सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश [illegible] (अधिकारों के विस्तार के) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की——— ——। ख० ७६, पृ० ९।

चतुर्भुज शर्मा, श्री —
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ९९-१००।
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स—
सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ——————(अधिकारों के विस्तार के) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा। खं० ७६, पृ० ९।

छ

छटनी—
प्र० वि०—प्रान्तीय सचिवालय तथा जिले के कर्मचारियों में——तथा उनके जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० ७०-७१।
छात्रवृत्तियां—
प्र० वि०—पिछड़ी जाति के पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिये ——। ख० ७६, पृ० २८८।

ज

जगन्नाथदास, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
जगमोहन सिंह नेगी, श्री --
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
जंगल- -
प्र० वि० [illegible] जिले की——की भूमि के पट्टे। ख० ७६, पृ० २९७-९७।
जमीन
प्र० वि० [illegible] की——की [illegible] में आधे लगान की छूट न देने की शिकायत। खं० ७६, पृ० १७२ १७४।
जमीन का कटाव—
प्र० वि०—चीकला सब-डिवीजन ([illegible] में बाढ़,——— और सूखा। खं० ७६, पृ० १७०।
जमींदार—
प्र० वि०—मौजा बिलावा, जिला इटावा के———पर आक्रमण। खं० ७६, पृ० २८६ ८८।
प्र० वि०—विलीन काशी राज्य के अन्तर्गत मध्यवर्ती———। खं० ७६, पृ० २३०।
जमींदारी—
प्र० वि०—विभिन्न जिलों में १५ जून, १९५० ई० तक फंड में वसूलयाबी। ख० ७६, पृ० ७३।
जमींदारी विनाश—
प्र० वि० — विधेयक

के कारण जमींदारों का परती के दरख्तों को कटवाना। खं० ७६, पृ० १७१-१७२।

जमींदारी विनाश कोष—
प्र० वि०—श्री एल० एन० सरीन, स्पेशल मैनेजर कोर्ट आफ वार्डस लखीमपुर की——— के स्पेशल अफसर के पद पर नियुक्ति। खं० ७६, पृ० २८८-८९।

जमींदारों—
प्र० वि०——की सीर और खुदकाश्त पर नाजायज कब्जा। खं० ७६, पृ० १७४।
प्र० वि०—जमींदारी विनाश विधेयक के कारण——का परती के दरख्तों को कटवाना। खं० ७६, पृ० १७१-१७२।

जयराम वर्मा, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २४२-२४३, २६१, २६२, ३१२, ३१४, ३१५।

जापानी मशीनें—
प्र० वि०—घरेलू धंधों की उन्नति के लिए———। खं० ७६, पृ० ५।

जिलाधीश—
प्र० वि०———, इलाहाबाद को दावतें। खं० ७६, पृ० १७५-१७६।

जिलाधीशों—
प्र० वि०—अदालती पंचायत के पंचों और सरपंचों को मुअत्तल करने का——— को अधिकार। खं० ७६, पृ० २९१-९२।

जिलों—
प्र० वि०—विभिन्न———में १५ जून, १९५० ई० तक जमींदारी फंड में वसूलयाबी। खं० ७६, पृ० ७३।

जीवन-निर्वाह—
प्र० वि०—प्रान्तीय सचिवालय तथा जिले के कर्मचारियों में छटनी तथा उनके———का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० ७०-७१।

जेल निरीक्षण—
प्र० वि०—गैर-सरकारी निरीक्षकों द्वारा———के लिए समय निर्धारण। खं० ७६, पृ० १७१।

ट

टाउन एरिया—
प्र० वि०———शामली, जिला मुजफ्फरनगर की म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तन। खं० ७६, पृ० ७४-७६।

टेण्डर—
प्र० वि०—जौनपुर जिले में मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने के लिए———। खं० ७६, पृ० २९२-९४।

टेलीफून—
प्र० वि०—पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में———का अभाव। खं० ७६, पृ० २८५।

ट्रकों—
प्र० वि०—विभिन्न सरकारी विभागों में मोटरों,———तथा वानों (गाड़ियाँ) की संख्या। खं० ७६, पृ० १७३।

ड

डाकखाने—
प्र० वि०————की मुहरों पर रामपुर स्टेट का नाम। खं० ७६, पृ० २८०।

डिस्ट्रिक्ट जेल—
प्र० वि०—लखनऊ आदर्श तथा ————में हवालाती कैदियों से कार्य लेना। खं० ७६, पृ० ३।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड—
प्र० वि०—पीलीभीत————के दफ्तर में टेलीफून का अभाव। खं० ७६, पृ० २८५।

त्र

त्रिलोकी सिंह, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ९७-९९, १०१, १०२, १०६।

द

दवाखाने—
प्र० वि०—गोंडा जिले में————। खं० ७६, पृ० २२२।

दानेदार चीनी—
प्र० वि०————के वितरण का तरीका। खं० ७६, पृ० २८९-९०।

दावतें—
प्र० वि०—जिलाधीश, इलाहाबाद को————। खं० ७६, पृ० १७५-१७६।

दीन दयालु अवस्थी, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ९-१०, १३-१४, १५, १८-२०, ८३, ९३-९६, २०२-२०४, २१२, २१३, २४८-२५०, ३२३, ३२३-३३६, ३४८।

ध

धर्मशाला—
प्र० वि०—रामपुर में हुसेनी सराय तथा————बनवाने के लिए एकत्रित निधि। खं० ७६, पृ० २७६-७७।

न

नत्थियाँ—
————। खं० ७६, पृ० ४९-५३, १६२-१६५, २१४-२१५, २६८-२७२, ३७०-३८०

नर्सें—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश की राजधानी में————और मिडवाइफों की कौंसिल। खं० ७६, पृ० ६६-६७।

नवाब सिंह चौहान, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

नाजायज क़ब्ज़ा—
प्र० वि०—जमींदारों की सीर और खुदकाश्त पर————। खं० ७६, पृ० १७४।

निधि—
प्र० वि०—रामपुर में हुसेनी सराय तथा धर्मशाला बनवाने के लिए एकत्रित————। खं० ७६, पृ० २७६-७७।

नियुक्ति—
प्र० वि०—श्री एल० एन० सरीन,

स्पेशल मैनेजर कोर्ट आफ वार्ड्स लखीमपुर की ज़मींदारी विनाश कोष के स्पेशल अफ़सर के पद पर———। खं० ७६, पृ० २८८-८९।

नियुक्ति तथा तरक्की—
प्र० वि०—देवगांव, ज़िला आज़मगढ़ के पुलिस स्टेशन आफिसर की——— आदि के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० १६९-१७०।

निर्वाचन क्षेत्रों—
——— के परिसीमन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव। खं० ७६, पृ० ८-९।

नोटीफाइड एरिया—
प्र० वि०———कर्नेलगंज (गोंडा) को सरकारी प्रबन्ध में लेने का विचार। खं० ७६, पृ० ४।

प

पंचायत—
प्र० वि०—अदालती——— के पंचों और सरपंचों को मुअत्तल करने का ज़िलाधीशों को अधिकार। खं० ७६, पृ० २९१-९२।

पटवारियों—
प्र० वि०—गाजीपुर जिले में कुछ———पर आक्रमण। खं० ७६, पृ० ५७-५८।

पटवारी—
प्र० वि०—कहुतरी, थाना बिदनी, जिला गाजीपुर के———का क़त्ल। खं० ७६, पृ० ५७।

पब्लिक कैरियर-
प्र० वि०——— तथा प्राइवेट कैरियर के रूट परमिट देने के नियम। खं० ७६, पृ० २२८-२३०।

परती के दरख्तों—
प्र० वि०—ज़मींदारी विनाश विधेयक के कारण ज़मींदारों का———को कटवाना। खं० ७६, पृ० १७१-१७२।

परमिट—
प्र० वि०—पब्लिक कैरियर तथा प्राइवेट कैरियर के रूट——— देने के नियम। खं० ७६, पृ० २२८-२३०।
प्र० वि०—राजनीतिक पीड़ित श्रीमती गिरीश कुमारी को गाड़ी का———। खं० ७६, पृ० २२०-२२१।

परिवतन—
प्र० वि०—टाउन एरिया शामली, जिला मुजफ्फर नगर का म्युनिसिपैलिटी में———। खं० ७६, पृ० ७४-७६।

परिसीमन सम्बन्धी समिति—
निर्वाचन क्षेत्रों के———की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव। खं० ७६, पृ० ८-९।

पान्टून ब्रिज—
प्र० वि०—गोंडा ज़िले के अन्तर्गत सरजू घाट के———का निर्माण। खं० ७६, पृ० २२५-२२६।

पावर हाउस—
प्र० वि०—हरदुआगंज———

के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ७४।

पिछड़ी जाति—

प्र० वि०— ———के पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियाँ। खं० ७६, पृ० २८२।

पी० डब्ल्यू० डी० —

प्र० वि०—लखनऊ के———— के ओवरसियरों और इञ्जीनियरों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५८-५९।

पुलिस तथा पी० ए० सी० —

प्र० वि०—कुसमरा गांव में———— ——द्वारा अत्याचार। खं० ७६, पृ० २२६-२२७।

पुलिस विभाग—

प्र० वि०— ————में सरकारी खर्चे पर कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्दियां। खं० ७६, पृ० ७६-७७।

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों—

प्र० वि०————को घोड़ा खरीदने के लिए सरकारी सहायता। खं० ७६, पृ० ७७।

पुलिस स्टेशन आफिसर—

प्र० वि०—देवगांव, जिला आजमगढ़ के———————— की नियुक्ति तथा तरक्की आदि के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० १६९-१७०।

पूछ-ताछ—

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश के सूती कारखानों के मजदूरों तथा उनके वेतन के संबंध में———— । खं० ७६, पृ० ५९-६४।

प्र० वि०—देवगांव, जिला आजमगढ़ के पुलिस स्टेशन आफिसर की नियुक्ति तथा तरक्की आदि के सम्बन्ध में————। खं० ७६, पृ० १६९-१७०।

प्र० वि०—लखनऊ के पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियरों और इञ्जीनियरों के सम्बन्ध में—— ——। खं० ७६, पृ० ५८-५९।

प्र० वि०—लालकुआंगंज पावर हाउस के सम्बन्ध में————। खं० ७६, पृ० ७४।

पूर्णिया निर्जी श्रमिकों देखिए "प्रश्नोत्तर"।

पोस्ट ग्रैजुएट —

प्र० वि०— पिछड़ी जाति के———— विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां। खं० ७६, पृ० २८२।

प्रकाशन—

प्र० वि०— सूचना विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के एक भाषण का————। खं० ७६, पृ० ३।

प्रकोप तथा उपचार —

प्र० वि०—इलाहाबाद में आंखों के रोगों का—— ——। खं० ७६, पृ० ४-५।

प्रबन्ध—

प्र० वि०—जवाहरगंज (इलाहाबाद) के बाढ़-ग्रस्त किसानों के लिये स्थायी निवास का————। खं० ७६, पृ० १७१।

प्र० वि०—प्रान्तीय सचिवालय तथा जिले के कर्मचारियों में छटनी तथा उनके जीवन-निर्वाह का ————। खं० ७६, पृ० ७०-७१।

प्रमाणित—
प्र० वि०—गांधी हाई स्कूल, बहराइच को— —करने की आवश्यकता। खं० ७६, पृ० २८४।
प्रयाग नारायण, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २०२, २५४, २५५।

प्रश्नोत्तर

अजित प्रताप सिंह, श्री—
सूचना विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के एक भाषण का प्रकाशन। खं० ७६, पृ० ३।
सूचना विभाग द्वारा 'वायर रेकर्डर' की खरीद। खं० ७६, पृ० ३-४।
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री—
कहुंतरी, थाना सिदनी, जिला गाजीपुर के पटवारी का क़त्ल। खं० ७६, पृ० ५७।
गाजीपुर जिले में कुछ पटवारियों पर आक्रमण। खं० ७६, पृ० ५७-५८।
मौजा नवदर, जिला गाजीपुर के श्री राम राज सिंह का क़त्ल। खं० ७६, पृ० ५७।
कृष्ण शरण आर्य, श्री—
डाकखाने की मुहरों पर रामपुर स्टेट का नाम। खं० ७६, पृ० २८०।
रामपुर के कसबे केमरी के सरकारी अस्पताल का सुधार। खं० ७६, पृ० २७९।
रामपुर बिजली घर से बिजली की सप्लाई। खं० ७६, पृ० २७९।
रामपुर में सरकारी इमारतों का प्रयोग। खं० ७६, पृ० २७८-७९।
रामपुर में हुसेनी सराय तथा धर्मशाला बनवाने के लिये एकत्रित निधि। खं० ७६, पृ० २७६-७७।
रामपुर सरकारी काटेज इंडस्ट्रीज़ इंस्टीट्यूट के कपड़े की बिक्री का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० २७८।
केशव गुप्त, श्री—
टाउन एरिया शामली, जिला मुज़फ्फरनगर की म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तन। खं० ७६, पृ० ७४-७६।
खुशवक्तराय, श्री—
चकिया जिले की जंगल की भूमि के पट्टे। खं० ७६, पृ० २९५-९७।
प्रश्नोत्तर—
पब्लिक कैरियर तथा प्राइवेट कैरियर के रूट परमिट देने के नियम। खं० ७६, पृ० २२८-२३०।
भुवाली क्षयरोगाश्रम के इन्चार्ज डा० धर्मानन्द केशरवानी का हटाया जाना। खं० ७६, पृ० १७२।
राजनीतिक पीड़िता श्रीमती गिरीश कुमारी को गाड़ी का परमिट। खं० ७६, पृ० २२०-२२१।
लखनऊ स्टेशन पर परीक्षार्थियों के उत्तरों की कापियों की चोरी। खं० ७६, पृ० २२८।
गंगा प्रसाद, श्री—
गोंडा जिले में दवाखाने। खं० ७६, पृ० २२२।
गंगा सहाय चौबे, श्री—
उत्तर प्रदेश के सूती कारखानों के मजदूरों तथा उनके वेतन के

सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५९-६४।

गजाधर प्रसाद, श्री--
उत्तर प्रदेश की राजधानी में नर्सों और मिडवाइफों की कौंसिल। खं० ७६, पृ० ६६-६७।

चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री—
गोंडा जिले के अन्तर्गत सरजूघाट के पान्टून ब्रिज का निर्माण। खं० ७६ पृ० २२५-२२६।
नोटिफाइड एरिया, कर्नेलगंज (गोंडा) को सरकारी प्रबन्ध में लेने का विचार। खं० ७६, पृ० ४।

जगन्नाथदास, श्री—
तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में बिजली के कुयें। खं० ७६ पृ० २८५-८६।
नहरगंग मोहम्मदपुर में विद्युत शक्ति का उत्पादन तथा उसका प्रयोग। खं० ७६, पृ० २९४-९५।

जगमोहन सिंह नेगी, श्री—
बन विभाग के अन्तर्गत सुरक्षित लकड़ी। खं० ७६, पृ० २२०।

जयराम वर्मा, श्री—
पुलिस विभाग में सरकारी खर्चे पर कर्मचारियों तथा अधिकारियों की वर्दियाँ। खं० ७६, पृ० ७६-७७।
पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को घोड़ा खरीदने के लिए सरकारी सहायता। खं० ७६, पृ० ७७।

दीनदयालु अवस्थी, श्री—
इटावा जिले की महेवा विकास योजना। खं० ७६, पृ० २२२-२२५।
मौजा बिलावा, जिला इटावा के जमींदार पर आक्रमण। खं० ७६, पृ० २८६-२८८।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री-
अदालती पंचायत के पंचों और सरपंचों को मुअत्तल करने का जिलाधीशों का अधिकार। खं० ७६, पृ० २९१-२९२।
गैर-सरकारी निरीक्षकों द्वारा जेल निरीक्षण के लिये समय निर्धारण। खं० ७६, पृ० १७१।
जमींदारी विनाश विधेयक के कारण जमींदारों का पत्नी के दरख्तों को कटवाना। खं० ७६, पृ० १७१-१७२।
जवाहरगंज (इलाहाबाद) के बाढ़-ग्रस्त किसानों के लिये स्थायी निवास का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० १७१।
जौनपुर जिले में मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने के लिये टेण्डर। खं० ७६, पृ० २९२-९४।
पिछड़ी जाति के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियाँ। खं० ७६, पृ० २८२।
मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के बुनकरों की सहायता के लिये कलेंडर मशीन। खं० ७६, पृ० २८१-२८२।
विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कम्पनी मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ को सहायता की आवश्यकता। खं० ७६, पृ० २८०-२८१।
सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति वालों की भर्ती के लिये सरकारी आदेश। खं० ७६, पृ० ६५।

नवाब सिंह चौहान, श्री—
अलीगढ़ जिले का क्वारसी कृषि फार्म। खं० ७६, पृ० २३१-२३३।
हरदुआगंज पावर हाउस के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ७४।
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती—
श्रीमती चिन्नी तथा श्रीमती करेलिया की गतिविधि सीमित करने के आदेश। खं० ७६, पृ० ७६।
फ़ख़रुल इस्लाम, श्री—
जिलाधीश, इलाहाबाद को दावतें। खं० ७६, पृ० १७५-१७६।
देवगांव, ज़िला आज़मगढ़ के पुलिस स्टेशन आफिसर की नियुक्ति तथा तरक्की आदि के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० १६९-१७०।
हुसैनाबाद तथा सुल्तानुलमदारिस के लिए तालीमी ऐडवाइज़र। खं० ७६, पृ० २१९।
बदन सिंह, श्री—
कुसमरा गांव में पुलिस तथा पी० ए० सी० द्वारा अत्याचार। खं० ७६, पृ० २२६-२२७।
भगवानदीन मिश्र, श्री—
गांधी हाई स्कूल बहराइच को प्रमाणित करने की आवश्यकता। खं० ७६, पृ० २८४।
भगवान सिंह, श्री—
पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ़्तर में टेलीफून का अभाव। खं० ७६, पृ० २८५।
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री—
लखनऊ आदर्श तथा डिस्ट्रिक्ट जेल में हवालाती कैदियों से कार्य लेना। खं० ७६, पृ० ३।
लखनऊ के पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियरों और इञ्जीनियरों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५८-५९।
शिकोहाबाद, ज़िला मैनपुरी में रजिस्टर्ड सहयोग समितियों द्वारा शक्कर का वितरण। खं० ७६, पृ० २२१-२२२।
मुहम्मद असरार अहमद, श्री—
उत्तर प्रदेश में अपराधी विद्यार्थी। खं० ७६, पृ० २३०।
गवर्नमेंट प्लीडर्स की फ़ीस। खं० ७६, पृ० ७१-७२।
दानेदार चीनी के वितरण का तरीक़ा। खं० ७६, पृ० २८९-२९०।
प्रान्त में बेरोज़गारी रोकने की सरकारी योजना। खं० ७६, पृ० ७२-७३।
प्रश्नोत्तर—
प्रान्तीय सचिवालय तथा जिले के कर्मचारियों की छटनी तथा उनके जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० ७०-७१।
बदायूं जिले में शकर का वितरण। खं० ७६, पृ० २९०-९१।
राज्य के विभिन्न विभागों में मोटर गाड़ियाँ। खं० ७६, पृ० ६७-६८।
विभिन्न जिलों में १५ जून, १९५० ई० तक ज़मींदारी फंड में वसूलयाबी। खं० ७६, पृ० ७३।
सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों से एक घंटा अधिक काम लिया जाना। खं० ७६, पृ० ६८-६९।
सन् १९४९-५० ई० के बजट में विभिन्न ग्रान्टों तथा विभागों में

रुपये का लैप्स होना। खं० ७६, पृ० ६८।
सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रत्येक सिनेमा न देखने के सम्बन्ध में सरकारी योजना। खं० ७६, पृ० ६९-७०।

मुहम्मद अबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री—
श्री एल० एन० सरीन, स्पेशल मैनेजर कार्ट आफ वार्ड्स लखीमपुर की ज़मींदारी विनाश कोष के स्पेशल अफसर के पद पर नियुक्ति। खं० ७६, पृ० २८८-२८९।

मुहम्मद शाहिद फारूकी, श्री—
इलाहाबाद में आंखों के रोगों का प्रकोप तथा उपचार। खं० ७६, पृ० ४-५।

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री—
घरेलू धंधों की उन्नति के लिये जापानी मशीनें। खं० ७६, पृ० ५।
घरेलू धंधों के सलाहकार श्री पालटेलको। खं० ७६, पृ० ६-८।

रामनन्दन सिंह, श्री—
कर्मनाशा की नहर से चकिया सब-डिवीज़न में एक शाखा निकालना। खं० ७६, पृ० २१९।
काशी राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत काश्तकार और उनकी ज़मीन। खं० ७६, पृ० २३०-२३१।
चकिया सब-डिवीज़न (बनारस) में बाढ़, ज़मीन का कटाव और सूखा। खं० ७६, पृ० १७०।
बिलौन काशी राज्य के अन्तर्गत मध्यवर्ती ज़मींदार। खं० ७६, पृ० २३०।

लाल बिहारी टण्डन, श्री—
ज़िला गोंडा में बिक्री-कर की वसूली। खं० ७६, पृ० १७२-१७३।
विभिन्न सरकारी विभागों में मोटरों, ट्रकों तथा वानों (गाड़ियों) की संख्या। खं० ७६, पृ० १७३।

वीरेन्द्रशाह, श्री—
ज़मींदारों की सीर और खुदकाश्त पर नाजायज़ क़ब्ज़ा। खं० ७६, पृ० १७४।
ज़िला जालौन में सरकारी खज़ाने में गबन। खं० ७६, पृ० १७५।
भूमिधर की ज़मीन की मालगुज़ारी में आधे लगान की मुजराई न देने की शिकायत। खं० ७६, पृ० १७३-१७४।

प्रस्ताव—
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का ————। खं० ७६, पृ० ८-९।

प्राइवेट कैरियर—
प्र० वि०—पब्लिक कैरियर तथा ————के रूट परमिट देने के नियम। खं० ७६ पृ० २२८-२३०।

प्रान्त—
प्र० वि०————में बेरोज़गारी रोकने की सरकारी योजना। खं० ७६, पृ० ७२-७३।

प्रान्तीय सचिवालय—
प्र० वि०————तथा ज़िले के कर्मचारियों में छटनी तथा उनके जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० ७०-७१।

फ

फखरुल इस्लाम, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

फंड—
प्र० वि०—विभिन्न जिलों में १५ जून, १९५० ई० तक जमींदारी ——में वसूलयाबी। खं० ७६. पृ० ७३।

फीस—
प्र० वि०—गवर्नमेंट प्लीडर्स की ——। खं० ७६, पृ० ७१-७२।

फूल सिंह, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ४३-४५, १०१, १०२, १०४।

ब

बजट—
प्र० वि०—सन् १९४९-५० ई० के ——में विभिन्न ग्राण्टों तथा विभागों में रुपये का लैप्स होना। खं० ७६, पृ० ६८।

बदन सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

बलदेव प्रसाद श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ९१।

बाढ़—
प्र० वि०—चकिया सब-डिवीज़न (बनारस) में——, ज़मीन का कटाव और सूखा। खं० ७६, पृ० १७०।

बाढ़-ग्रस्त—
प्र० वि०—जवाहरगंज (इलाहाबाद) के—— ——किसानों के लिये स्थायी निवास का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० १७१।

बिक्री-कर—
प्र० वि०—ज़िला गोंडा में——— की वसूली। खं० ७६, पृ० १७२-१७३।

बिजली—
प्र० वि०—रामपुर बिजली घर से ———की सप्लाई। खं० ७६, पृ० २७९।

बिजली के कुयें—
प्र० वि०—तहसील नकुड़, ज़िला सहारनपुर में———। खं० ७६, पृ० २८५-२८६।

बिल—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था——। खं० ७६, पृ० ९-४८, ७८-१६१, १७६-२१३, २३३-२६७, २९७-३६९।

बुनकरों—
प्र० वि०—मऊनाथ भंजन, ज़िला आजमगढ़ के————की सहायता के लिये कलेंडर मशीन। खं० ७६, पृ० २८१-२८२।

बेरोज़गारी—
प्र० वि०—प्रान्त में——रोकने की सरकारी योजना। खं० ७६, पृ० ७२-७३।

भ

भगवानदीन मिश्र, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि

व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ३५-३६।
भगवानसिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
भर्ती—
प्र० वि०—सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति वालों की——के लिये सरकारी आदेश। खं० ७६, पृ० ६५।
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
भाषण—
प्र० वि०—सूचना विभाग द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री के एक ————का प्रकाशन। खं० ७६ पृ० ३।
भूमिधर—
प्र० वि०————की ज़मीन की मालगुज़ारी में आधे लगान की मुजराई न देने की शिकायत। खं० ७६, पृ० १७३-१७४।
भूमि व्यवस्था—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और————————बिल। खं० ७६, पृ० ९-४८, ७८-१६१, १७६-२१३, २३३-२६७, २९७-३६९।

म

मजदूरों—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश के सूती कारखानों के————तथा उनके वेतन के संबंध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५९-६४।
मतदाताओं—
प्र० वि०—जौनपुर ज़िले में————की सूची प्रकाशित करने के लिये टेंडर। खं० ७६, पृ० २९२-२९४।
माध्यमिक शिक्षा स्कूल—
प्र० वि०—बहराइच ज़िले के मान्यता प्राप्त————। खं० ७६, पृ० २८२-२८४।
मान्यता प्राप्त—
प्र० वि०—बहराइच ज़िले के——माध्यमिक शिक्षा स्कूल। खं० ७६, पृ० २८२-२८४।
मालगुज़ारी—
प्र० वि०—भूमिधर की ज़मीन की————में आधे लगान की मुजराई न देने की शिकायत। खं० ७६, पृ० १७३-१७४।
मिडवाइफों—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश की राजधानी में नर्सों और————की कौंसिल। खं० ७६, पृ० ६६-६७।
मुख्य मन्त्री, माननीय—
प्र० वि०—सूचना विभाग द्वारा————के एक भाषण का प्रकाशन। खं० ७६, पृ० ३।
मुजराई न देने—
प्र० वि०—भूमिधर की ज़मीन की मालगुज़ारी में आधे लगान की————की शिकायत। खं० ७६, पृ० १७३-१७४।
मुहम्मद असरार अहमद, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री—
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव। खं० ७६, पृ० ८-९।

मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ८९-९१, १००, १०१, १८८-१९०, १९८, १९९, २३८, २३९, २५०-२५३, ३३६-३६८, ३३९।

मुहम्मद रजा खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ८५।

मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुहरों—
प्र० वि०—डाकखाने की———पर रामपुर स्टेट का नाम। खं० ७६, पृ० २८०।

मोटर गाड़ियाँ—
प्र० वि०—राज्य के विभिन्न विभागों में ————। खं० ७६ पृ० ६७-६८।

मोटरों—
प्र० वि०—विभिन्न सरकारी विभागों में————, ट्रकों तथा वानों (गाड़ियों) की संख्या। खं० ७६, पृ० १७३।

म्युनिसिपैलिटी—
प्र० वि०—टाउन एरिया शामली, जिला मुज़फ़्फ़रनगर का————में परिवर्तन। खं० ७६, पृ० ७४-७६।

य

योजना—
प्र० वि०—१६ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रत्येक सिनेमा न देखने के सम्बन्ध में सरकारी ————। खं० ७६, पृ० ६९-७०।

र

राजधानी—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश की———में नर्सों और मिडवाइफों की कौंसिल। खं० ७६, पृ० ६६-६७।

राजाराम मिश्र, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ३१४, ३१६।

राजाराम शास्त्री, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २०-२१, ३३-३५।

राज्य—
प्र० वि०———के विभिन्न विभागों में मोटर गाड़ियाँ। खं० ७६, पृ० ६७-६८।

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

राधामोहन सिंह, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० १८७-१८८, २३९-२४१, २५३, २५४, ३०३, ३०५, ३३०-३३२।

रामकुमार शास्त्री, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ८८, ८९, ३३२, ३३३, ३३४।

रामनन्दन सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"। खं० ७६, पृ० १७०।

रामशंकर लाल, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २०१-२०२, २१०-२११।

राष्ट्रपति की अनुमति—
सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश चेरिटेबिल इंडाउमेंट्स (अधिकारों के विस्तार के) विधेयक पर————की घोषणा। खं० ७६, पृ० ९।

रिपोर्ट—
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी समिति की———— प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव। खं० ७६, पृ० ८-९।

रुपये—
प्र० वि०—सन् १९४९-५० ई० के बजट में विभिन्न प्राण्टों तथा विभागों में——का लैप्स होना। खं० ७६, पृ० ६८।

रोशन जमां खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २९७-२९९, ३१०-३१२।

ल

लकड़ी
प्र० वि०—वन विभाग के अन्तर्गत सुरक्षित————। खं० ७६, पृ० २२०।

लाल बिहारी टण्डन, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

लैप्स होना—
प्र० वि०—सन् १९४९-५० ई० के बजट में विभिन्न प्राण्टों तथा विभागों में रुपये का————। खं० ७६, पृ० ६८।

व

वनविभाग—
प्र० वि०————के अन्तर्गत सुरक्षित लकड़ी। खं० ७६, पृ० २२०।

वर्दियाँ—
प्र० वि०—पुलिस विभाग में सरकारी खर्चे पर कर्मचारियों तथा अधिकारियों को——। खं० ७६, पृ० ७६-७७।

वसूलयाबी—
प्र० वि०—विभिन्न जिलों में १५ जून, १९५० ई० तक जमींदारी फंड में————। खं० ७६, पृ० ७३।

वसूली—
प्र० वि०—जिला गोंडा में बिक्रीकर की————। खं० ७६, १७२-१७३।

वानों (गाड़ियों)—
प्र० वि०—विभिन्न सरकारी विभागों में मोटरों, ट्रकों तथा————की संख्या। खं० ७६, पृ० १७३।

'वायर रेकर्डर'—
प्र० वि०—सूचना विभाग द्वारा

—की ख़रीद। खं० ७६, पृ० ३-४।
विकास योजना—
प्र० वि०—इटावा ज़िले की महेवा ————। खं० ७६, पृ० २२२-२०५।
विचार—
प्र० वि०—नोटिफाइड एरिया कर्नेलगंज को सरकारी प्रबन्ध में लेने का————। खं० ७६, पृ० ४।
वितरण—
प्र० वि०—दानेदार चीनी के————का तरीक़ा। खं० ७६, पृ० २८९-९०।
प्र० वि०—बदायूँ ज़िले में शकर का————। खं० ७६, पृ० २९०-२९१।
विद्यार्थी—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश में अपराधी ————। खं० ७६, पृ० २३०।
विद्युत् शक्ति—
प्र० वि०—नहरगंग मोहम्मदपुर मे ————का उत्पादन तथा उनका प्रयोग। खं० ७६, पृ० २९४-२९५।
विधेयक—
प्र० वि०—जमींदारी विनाश————के कारण ज़मीदारों का परती के दरख़्तों को कटवाना। खं० ७६, पृ० १७१-१७२।
सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश चौरिटेबिल इन्डाउमेंट्स (अधिकारों के विस्तार के)————पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा। खं० ७६, पृ० ९।
विभागों—
प्र० वि०—राज्य के विभिन्न————में मोटर गाड़ियाँ। खं० ७६, पृ० ६७-६८।
प्र० वि० विभिन्न सरकारी————में मोटरों, ट्रकों तथा वानों (गाड़ियों की संख्या खं० ७६, पृ० १७३।
विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कम्पनी—
प्र० वि०————मऊनाथ भंजन, जिला आज़मगढ़ को सहायता की आवश्यकता। खं० ७६, पृ० २८०-८१।
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मादारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ३४५, ३४६।
वीरेन्द्रशाह, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० १२-१३, २९, ३२-३३, ७९, ८२, ८३, ८४, ९१, १९९, २००, २४७, २४८, ३२६-३३०।
वेतन—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश के सूती कारख़ानों के मज़दूरों तथा उनके ————के संबंध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५९-६४।

व्यक्तिगत प्रश्न

एल० एन० सरीन—
श्री————, स्पेशल मैनेजर कोर्ट आफ वार्डस लखीमपुर की ज़मींदारी विनाश कोष के स्पेशल अफ़सर के पद पर नियुक्ति। खं० ७६, पृ० २८८-२८९।

करेलिया—
श्रीमती चिन्नी तथा- -की गतिविधि सीमित करने के आदेश। खं० ७६, पृ० ७६।

गिरीश कुमारी, श्रीमती—
राजनीतिक पीड़िता- के गाड़ी का परमिट। खं० ७६, पृ० २२०-२२१।

चिन्नी, श्रीमती—
————तथा श्रीमती करेलिया की गतिविधि सीमित करने के आदेश। खं० ७६, पृ० ७६।

धर्मानन्द केशरवानी—
भुवाली क्षयरोगाश्रम के इन्चार्ज डा०————————का हटाया जाना। खं० ७६, पृ० १७२।

पालटेलको—
घरेलू धंधों के सलाहकार, श्री——— ———। खं० ७६, पृ० ६-८।

श्री रामराजसिंह—
मौजा नबदा, जिला गाजीपुर के ————————का क़त्ल। खं० ७६, पृ० ५७।

व्यक्तियों—
प्र० वि०—१६ वर्ष से कम आयु के ————को प्रत्येक सिनेमा न देखने के सम्बन्ध में सरकारी योजना। खं० ७६, पृ० ६९-७०।

श

शक्कर—
प्र० वि०—शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में रजिस्टर्ड सहयोग समितियों द्वारा————का वितरण। खं० ७६, पृ० २२१-२२२।
प्र० वि०—बदायू जिले में- का वितरण। खं० ७६, पृ० २९०-२९१।

शास्त्र
प्र० वि०—कर्मनाशा की नहर से चकिया सब-डिवीजन में एक ————निकालना। खं० ७६, पृ० २१९।

शिकायत—
प्र० वि०—भूमिधर की ज़मीन की मालगुज़ारी में आधे लगान की मुजराई न देने की————। खं० ७६, पृ० १७३-१७४।

श्याम लाल वर्मा, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० ३३९, ३४०-३४१।

स

संख्या—
प्र० वि०—विभिन्न सरकारी विभागों में मोटरों, ट्रकों तथा वानों (गाड़ियों) की————। खं० ७६, पृ० १७३।

सचिवालय—
प्र० वि०————में सरकारी कर्मचारियों से एक घंटा अधिक काम लिया जाना। खं० ७६, पृ० ६८-६९।

सदस्य—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं के हरिजन————। खं० ७६, पृ० २८४-२८५।

सप्लाई—
प्र० वि०—रामपुर बिजली घर से बिजली की————। खं० ७६, पृ० २७९।

सब-इन्सपेक्टरों—
प्र० वि०—पुलिस————को घोड़ा खरीदने के लिए सरकारी सहायता। खं० ७६, पृ० ७७।
समय निर्धारण—
प्र० वि०—गैर-सरकारी निरीक्षकों द्वारा जेल निरीक्षण के लिये————। खं० ७६, पृ० १७१।
समय में वृद्धि—
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सबंधी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के————का प्रस्ताव। खं० ७६, पृ० ८-९।
सरकारी इमारतों—
प्र० वि०—रामपुर में————का प्रयोग। खं० ७६, पृ० २७८-२७९।
सरकारी कर्मचारियों—
प्र० वि०—सचिवालय में————से एक घंटा अधिक काम लिया जाना। खं० ७६, पृ० ६८-६९।
सरकारी खज़ाने—
प्र० वि०—जिला जालौन में————मे ग़बन। खं० ७६, पृ० १७५।
सरकारी नौकरियां—
प्र० वि०————में पिछड़ी जाति वालों की भर्ती के लिये सरकारी आदेश। खं० ७६, पृ० ६५।
सरकारी प्रबन्ध मे लेने—
प्र० वि०—नोटिफाइड एरिया, कर्नेलगंज (गोंडा) को————का विचार। खं० ७६, पृ० ४।
सरकारी योजना—
प्र० वि०—प्रान्त में बेरोज़गारी रोकने की————। खं० ७६, पृ० ७२-७३।
सरपंचों—
प्र० वि०—अदालती पंचायत के पंचों और————को मुअत्तल करने का ज़िलाधीशों को अधिकार। खं० ७६, पृ० २९१-२९२।
सलाहकार—
प्र० वि०—घरेलू धंधों के————श्री पालटेलको। खं० ७६, पृ० ६८।
सहायता—
प्र० वि०—पुलिस सब-इन्सपेक्टरों का घोड़ा खरीदने के लिए सरकारी————। खं० ७६, पृ० ७७।
प्र० वि०—विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कम्पनी मऊनाथ भंजन, जिला आज़मगढ़ को————की आवश्यकता। खं० ७६, पृ० २८०-८१।

साजिद हुसैन, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० १४-१५, २१-२२, २७-२८, ४५-४६, ८०, ८७, ८८, १७९, १८०, २०६, २०७, २११, २१२, २३९, ३०५, ३०६।
सिनेमा—
प्र० वि०—१६ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रत्येक——— —न

देखने के सम्बन्ध में सरकारी योजना। खं० ७६, पृ० ६६-७०।

सीर और खुदकाश्त—
प्र० वि०—ज़मींदारों की————पर नाजायज़ क़ब्ज़ा। खं० ७६, पृ० १७४।

सुधार—
प्र० वि०—रामपुर के कसबे केमरी के सरकारी अस्पताल का——। खं० ७६, पृ० २७९-२८०।

सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री—
सन् १९४९ ई० संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० १८०।

सुल्तान आलम खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० २६, २७, ३९-४३, १८०-१८३, २१४-२४६, ३०८-३१०, ३४१-३४४।

सूखा—
प्र० वि०—चकिया सब-डिवीज़न (बनारस) में बाढ़, ज़मीन का कटाव और——। खं० ७६, पृ० १७०।

सूचना विभाग—
प्र० वि०————द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री के एक भाषण का प्रकाशन। खं० ७६, पृ० ३।
प्र० वि०————द्वारा 'वायर रेकर्डर' की ख़रीद। खं० ७६, पृ० ३-४।

सूची—
प्र० वि०—जौनपुर ज़िले में मतदाताओं की——प्रकाशित करने के लिये टेंडर। खं० ७६, पृ० २९२-२९४।

स्टेट—
प्र० वि०—डाकखाने की मुहरों पर रामपुर———का नाम। खं० ७६, पृ० २८०।

अलीगढ़—
ज़िले का क्वारसी कृषि फार्म। खं० ७६, पृ० २३१-२३३।

इलाहाबाद—
—में आंखों के रोगों का प्रकोप तथा उपचार। खं० ७६, पृ० ४-५।
ज़िलाधीश,————को दावतें। खं० ७६, पृ० १७५-१७६।

कर्नेलगंज (गोंडा)—
नोटिफाइड एरिया,————को सरकारी प्रबन्ध में लेने का विचार। खं० ७६, पृ० ४।

कहुतरी—
——, थाना बिदरी, ज़िला गाज़ीपुर के पटवारी का क़त्ल। खं० ७६, पृ० ५७।

काशी राज्य—
विलीन— के अन्तर्गत मध्यवर्ती ज़मींदार। खं० ७६, पृ० २३०।
————क्षेत्र के अन्तर्गत काश्तकार और उनकी ज़मीन। खं० ७६, पृ० २३०-२३१।

केमरी—
प्र० वि०—रामपुर के कसबे———के सरकारी अस्पताल का सुधार। खं० ७६, पृ० २७९-२८०।

कुसमरा गांव—
————में पुलिस तथा पी०

ए० सी० द्वारा अत्याचार। खं० ७६, पृ० २२६-२२७।

गाज़ीपुर—
ज़िले——————में कुछ पटवारियों पर आक्रमण। खं० ७६, पृ० ५७-५८।

गोंडा—
जिला——मे दवाख़ाने। खं० ७६, पृ० २२२।
ज़िला——में बिक्री-कर की वसूली। ख० ७६, पृ० १७२-१७३।

चकिया—
कमनाशा की नहर से——सब-डिवीज़न मे एक शाख़ निकालना। खं० ७६, पृ० २१९।
——ज़िले की जंगल की भूमि के पट्टे। खं० ७६, पृ० २९५-२९७।

चकिया सब-डिवीज़न—
——————(बनारस) में बाढ़, ज़मीन का कटाव और सूखा। खं० ७६, पृ० १७०।

जवाहरगंज—
————(इलाहाबाद) के बाढ़-ग्रस्त किसानों के लिये स्थायी निवास का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० १७१।

जालौन—
ज़िला————में सरकारी खज़ाने में ग़बन। खं० ७६, पृ० १७५।

जौनपुर—
————ज़िले में मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने के लिये टेण्डर। खं० ७६, पृ० २९२-२९४।

देवगांव—
——————, ज़िला आज़मगढ़ के पुलिस स्टेशन आफ़िसर की नियुक्ति तथा तरक़्क़ी आदि के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० १६९-१७०।

[स्थानिक प्रश्न]

नकुड़—
तहसील——, ज़िला सहारनपुर मे बिजली के कुयें। खं० ७६, पृ० २८५-२८६।

नवदर—
मौजा——, ज़िला गाज़ीपुर के श्री रामराज सिंह का क़त्ल। खं० ७६, पृ० ५७।

पीलीभीत—
————डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ़्तर मे टेलीफोन का अभाव। खं० ७६, पृ० २८५।

बदायूँ—
——————ज़िले में शकर का वितरण। खं० ७६, पृ० २९०-९१।

बिलावा—
————मौज़ा————, ज़िला इटावा के ज़मीदार पर आक्रमण। खं० ७६, पृ० २८६-२८८।

बहराइच—
गांधी हाई स्कूल————को प्रमाणित करने की आवश्यकता। ख० ७६, पृ० २८४।
————ज़िले के मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा स्कूल। खं० ७६, पृ० २८२-२८४।

भुवाली—
——क्षयरोगाश्रम के इन्चार्ज डा० धर्मानन्द केशरवानी का हटाया जाना। खं० ७६, पृ० १७२।

मऊनाथ भंजन—
————, जिला आजमगढ़ के बुनकरों की सहायता के लिये कलेंडर मशीन। खं० ७६, पृ० २८१-२८२।
विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कम्पनी ————, जिला आजमगढ़ को सहायता की आवश्यकता खं० ७६, पृ० २८०-२८१।
महेवा (इटावा)—
इटावा जिले की————विकास योजना। खं० ७६, पृ० २२२-२२(।
मोहम्मदपुर—
नहर गंग————में विद्युत् शक्ति का उत्पादन तथा उनका प्रयोग। खं० ७६, पृ० २९४-२९५।
रामपुर—
डाकखाने की मुहरों पर———— स्टेट का नाम। खं० ७६, पृ० २८०।
——बिजली घर से बिजली की सप्लाई। खं० ७६, पृ० २७९।
————में सरकारी इमारतों का प्रयोग। खं० ७६, पृ० २७८-२७९।
————में हुसेनी सराय तथा धर्मशाला बनवाने के लिये एकत्रित निधि। खं० ७६, पृ० २७६-२७७।
————सरकारी कटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट के कपड़े की बिक्री का प्रबंध। खं० ७६, पृ० २७८।
लखनऊ—
————आदर्श तथा डिस्ट्रिक्ट जेल में हवालाती कैदियों से कार्य लेना। खं० ७६, पृ० ३।
————के पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियरों और इञ्जीनियरों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६, पृ० ५८-५९।
————स्टेशन पर परीक्षार्थियों के उत्तरों की कापियों की चोरी। खं० ७६, पृ० २८८।
लखीमपुर—
श्री एल० एन० सरीन, स्पेशल मैनेजर कोर्ट आफ वार्ड्स——— ——की जमींदारी विनाश कोष के स्पेशल अफसर के पद पर नियुक्ति। खं० ७६, पृ० २८८-२८९।
शामली—
टाउन एरिया————, जिला मुजफ्फरनगर की म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तन। खं० ७६, पृ० ७४-७६।
शिकोहाबाद—
————जिला मैनपुरी में रजिस्टर्ड सहयोग समितियों द्वारा शक्कर का वितरण खं० ७६, पृ० २२१-२२२।
सरजूघाट—
गोंडा जिले के अन्तर्गत———— के पान्टून ब्रिज का निर्माण। खं० ७६, पृ० २२५-२२६।
हरदुआगंज—
————पावर हाउस के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ७६ पृ० ७४।
स्थानीय संस्थाओं—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश की———— ————के हरिजन सदस्य। खं० ७६, पृ० २८४-८५।

स्थायी निवास—
प्र० वि०—जवाहरगंज (इलाहाबाद) के बाढ़-ग्रस्त किसानों के लिये ———————— का प्रबन्ध। खं० ७६, पृ० १७१।

स्पेशल मैनेजर—
प्र० वि०—श्री एल० एन० सरीन, ———————— कोर्ट आफ वार्ड्स लखीमपुर की जमींदारी विनाश कोष के स्पेशल अफसर के पद पर नियुक्ति। खं० ७६ पृ० २८८-२८९।

स्पेशल अफसर—
श्री एल० एन० सरीन, स्पेशल मैनेजर कोर्ट आफ लखीमपुर की जमींदारी विनाशकोष के ———————— के पद पर नियुक्ति। खं० ७६, पृ० २८८-८९।

ह

हटाया जाना—
प्र० वि०—भुवाली क्षयरोगाश्रम के इन्चार्ज डा० धर्मानन्द केशरवानी का—— ————। खं० ७६ पृ० १७२।

हरिजन—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं के———————सदस्य खं० ७६, पृ० २८४-२८५।

हवालाती कैदियों—
प्र० वि०—लखनऊ आदर्श तथा डिस्ट्रिक्ट जेल में ———————— से काम लेना। खं० ७६, पृ० ३।

हुसैनी सराय—
प्र० वि०—रामपुर में———————— तथा धर्मशाला बनवाने के लिये एकत्रित निधि। खं० ७६, पृ० २७६-२७७।

हुसैनाबाद तथा सुल्तानुहाल्मदारिस—
प्र० वि०———————— के लिये नीलामी एडवाइजर। खं० ७७, पृ० २१९।

हुकुम सिंह माननीय श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ७६, पृ० १०, १२, १६, १७, २३-२४, २८, ३२, ३७, ३८, ४६-४८, ७९-८२, ८५, ८६ ९१, ९२, ९३, ९४, १०५, १०६-१०८, १८३, १८६, १८७, १९०, १९५, १९६, २०७-२०९, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०-२४२, २५२, २५५-२५८, २६० २६१, २६४-२६७, ३०१, ३०२, ३१२, ३१४, ३१५, ३१६, ३२३, ३२५-३२८, ३३३, ३३४, ३३८, ३४५, ३४७, ३५०, ३५३।